उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १०

शुक्रवार, १६ फरवरी, सन् १९५१ ई० से शनिवार, २२ फरवरी, सन् १९५१ ई० तक

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

१९५२

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने ।

वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये ।

विषय सूची

खंड १०

शुक्रवार, १६ फरवरी, सन् १९५१ ई०

सोमवार, १९ फ़रवरी, सन् १९५१ ई०

विषय — पृष्ठ-संख्या

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री होरमसजी पेरोशा मोदी

मन्त्रि-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मन्त्री तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मन्त्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मन्त्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन तथा माल मन्त्री।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि तथा पशुपालन मन्त्री।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर मन्त्री।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वशासन मन्त्री।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मन्त्री।

माननीय श्री लाल बहादुर, एम० एल० ए०, पुलिस तथा परिवहन मन्त्री।

माननीय श्री केशव देव मालवीय, एम० एस-सी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा विकास मन्त्री।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव

१. श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी, एम० एल० ए०।

२. श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

३. श्री मंगला प्रसाद, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण मन्त्री के सभा-सचिव

१. श्री लताफ़त हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मन्त्री के सभा-सचिव

१. श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल मन्त्री तथा कृषि मन्त्री के सभा-सचिव

१. श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१. अचल सिंह	आगरा नगर
२. अक्षय कुमार करण	जिला फैजाबाद (पूर्व)
३. अजित प्रताप सिंह	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन
४. अब्दुल गनी अन्सारी	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
५. अब्दुल बाक़ी	जिला आजमगढ़ (पूर्व)
६. अब्दुल मजीद	मुरादाबाद—अमरोहा—चन्दौसी नगर
७. अब्दुल मजीद ख्वाजा	अलीगढ़—हाथरस—मथुरा नगर
८. अब्दुल रऊफ खाँ	जिला फतेहपुर और बाँदा
९. अब्दुल वाजिद, श्रीमती	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)
१०. अब्दुल हमीद	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)
११. अम्मार अहमद खाँ	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
१२. अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
१३. अलगू राय शास्त्री	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व)
१४. अली जहीर जाफरी	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
१५. अल्फ्रेड धर्मदास	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
१६. असगर अली खाँ	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
१७. अक्षयवर सिंह	जिला गोरखपुर (पश्चिम)
१८. आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	फर्रुखाबाद-इटावा-झाँसी नगर
१९. आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम	उत्तर प्रदेशीय एंग्लो इण्डियन
२०. इन्द्रदेव त्रिपाठी	जिला गाजीपुर (पश्चिम)
२१. इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	लखनऊ नगर
२२. इर्तिजा हुसैन	मेरठ—हापुड़—बुलन्दशहर—खुरजा—नगीना नगर
२३. उदयवीर सिंह	जिला बस्ती (दक्षिण)
२४. ऐजाज रसूल	जिला हरदोई
२५. कमलापति तिवारी	जिला बनारस (पूर्व)
२६. करीमुर्रजा खाँ	बदायूँ—शाहजहाँपुर—सम्भल नगर
२७. कालीचरण टंडन	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)
२८. किशनचन्द पुरी	उत्तर प्रदेशीय चेम्बर आफ कामर्स तथा उत्तर प्रदेशीय मर्चेण्ट्स आफ चेम्बर
२९. कुंजबिहारी लाल शिवानी	जिला झाँसी (उत्तर)
३०. कुशलानन्द गैरोला	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)

३१. कृपाशंकर	जिला बस्ती (दक्षिण)
३२. कृष्ण चन्द्र	जिला मथुरा (पश्चिम)
३३. कृष्ण चन्द्र गुप्त	जिला सीतापुर (दक्षिण)
३४. कृष्ण शरण आर्य	रामपुर (विलीन राज्य के नाम-निर्देशित)
३५. केशव गुप्त	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)
३६. केशव देव मालवीय, माननीय श्री	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)
३७. खानचन्द गौतम	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
३८. खुशवक्त राय	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)
३९. खुशीराम	जिला अल्मोड़ा
४०. खूब सिंह	जिला बिजनौर (पूर्व)
४१. गंगाधर	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)
४२. गंगा प्रसाद	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
४३. गंगा सहाय चौबे	जिला कानपुर (पश्चिम)
४४. गजाधर प्रसाद	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
४५. गणपति सहाय	जिला सुल्तानपुर (मध्य)
४६. गिरधारीलाल, माननीय श्री	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
४७. गुरु नारायण	ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन
४८. गोपाल नारायण सक्सेना	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४९. गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	बरेली—पीलीभीत—शाहजहाँपुर—बदायूँ नगर
५०. गोविन्द सहाय	जिला बिजनौर (पश्चिम)
५१. चतुर्भुज शर्मा	जिला जालौन
५२. चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	लखनऊ नगर
५३. चन्द्रभानु शरण सिंह	जिला गोंडा (दक्षिण)
५४. चरण सिंह	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)
५५. चेतराम	जिला बाराबंकी (उत्तर)
५६. छेदालाल गुप्त	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
५७. जगन्नाथ दास	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)
५८. जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल	जिला सीतापुर (पूर्व)
५९. जगन्नाथ सिंह	जिला बलिया (उत्तर)
६०. जगन प्रसाद रावत	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)
६१. जगमोहन सिंह नेगी	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)
६२. जफ़र अहमद	जिला सहारनपुर (उत्तर)
६३. जमीलुर्रहमान किदवाई	जिला बाराबंकी
६४. जयकृष्ण श्रीवास्तव	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स

६५. जयपाल सिंह	जिला फैजाबाद (पूर्व)
६६. जयराम वर्मा	जिला बाराबंकी (उत्तर)
६७. जवाहरलाल रोहतगी	कानपुर नगर
६८. जहूर अहमद	इलाहाबाद-झाँसी नगर
६९. जाकिर अली	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर
७०. जाहिद हसन	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)
७१. जुगल किशोर	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर
७२. त्रिलोकी सिंह	जिला लखनऊ
७३. त्रेपन सिंह	टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
७४. दयालदास भगत	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)
७५. दाऊदयाल खन्ना	जिला मुरादाबाद (पूर्व)
७६. द्वारिका प्रसाद मौर्य	जिला जौनपुर (पूर्व)
७७. दीनदयालु अवस्थी	जिला इटावा (पश्चिम)
७८. दीनदयालु शर्मा	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)
७९. दीनदयालु शास्त्री	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून—मुजफ्फरनगर नगर
८०. दीपनारायण वर्मा	जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर—गोरखपुर नगर
८१. नफीसुल हसन, माननीय श्री	जिला इटावा और कानपुर
८२. नवाजिश अली खाँ	फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर
८३. नवाब सिंह चौहान	जिला अलीगढ़ (पूर्व)
८४. नाजिम अली	जिला सुल्तानपुर
८५. नारायण दास	लखनऊ नगर
८६. निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	जिला मैनपुरी और एटा
८७. निहालुद्दीन	जिला बदायूँ (पूर्व)
८८. परागीलाल	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
८९. पुरुषोत्तमदास टंडन	इलाहाबाद नगर
९०. पूर्णमासी	जिला गोरखपुर (उत्तर)
९१. पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)
९२. प्रकाशवती सूद, श्रीमती	जिला मेरठ (उत्तर)
९३. प्रयागनारायण	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन
९४. प्रेमकिशन खन्ना	जिला शाहजहाँपुर (पश्चिम)
९५. प्रेमलाल वैद्य	टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
९६. फखरुल इस्लाम	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)

९७. फ़ज़लुर्रहमान ख़ाँ	जिला शाहजहाँपुर
९८. फतेह सिंह राणा	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
९९. फूल सिंह	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
१००. बदन सिंह	जिला बदायूँ (पश्चिम)
१०१. बनारसी दास	जिला बुलन्दशहर (उत्तर)
१०२. बलदेव प्रसाद	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
१०३. बशीर अहमद अन्सारी	जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)
१०४. बशीर अहमद हकीम	जिला सीतापुर
१०५. बादशाह गुप्त	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)
१०६. बाबू राम वर्मा	जिला एटा (उत्तर)
१०७. बृजमोहन लाल शास्त्री	जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)
१०८. बेचन राम गुप्त	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
१०९. ब्रजरानी, श्रीमती	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)
११०. भगवती प्रसाद दुबे	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम)
१११. भगवती प्रसाद शुक्ल	जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)
११२. भगवानदीन	कानपुर नगर
११३. भगवानदीन मिश्र	जिला बहराइच (दक्षिण)
११४. भगवान सिंह	जिला पीलीभीत (दक्षिण)
११५. भारत सिंह	जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)
११६. भीम सेन	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)
११७. मंगला प्रसाद	जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)
११८. मक़सूद आलम ख़ाँ	बरेली—पीलीभीत नगर
११९. मसुरियादीन	इलाहाबाद नगर
१२०. महफ़ूज़ुर्रहमान	जिला बहराइच (दक्षिण)
१२१. महमूद अली ख़ाँ	देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर मुजफ्फरनगर नगर
१२२. महमूद अली ख़ाँ	रामपुर (विलीन राज्य के नाम-निर्देशित)
१२३. मिजाजी लाल	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)
१२४. मुकुन्दलाल अग्रवाल	जिला पीलीभीत (उत्तर)
१२५. मुख्तार अहमद क़िदवाई	जिला फैजाबाद
१२६. मुजफ्फर हुसैन	लखनऊ नगर
१२७. मुहम्मद अदील अब्बासी	जिला बस्ती (पश्चिम)
१२८. मुहम्मद अब्दुल मुईज़ ख़ाँ	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)
१२९. मुहम्मद असरार अहमद	जिला बदायूँ (पश्चिम)
१३०. मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री	जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)

१३१. मुहम्मद इस्माईल	जिला मुरादाबाद (पूर्व)
१३२. मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ शेरवानी	जिला अलीगढ़
१३३. मुहम्मद एवज़	जिला पीलीभीत
१३४. मुहम्मद जमशेद अली खाँ	जिला मेरठ (पश्चिम)
१३५. मुहम्मद नबी, सैयद	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)
१३६. मुहम्मद नज़ीर	जिला बनारस और मिर्ज़ापुर
१३७. मुहम्मद फारूक़	जिला गोरखपुर (पश्चिम)
१३८. मुहम्मद फारूक़ चिश्ती	जिला गोरखपुर (पूर्व)
१३९. मुहम्मद याक़ूब	जिला गाजीपुर और बलिया
१४०. मुहम्मद यूसुफ़	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)
१४१. मुहम्मद रज़ा खाँ	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)
१४२. मुहम्मद शकूर	बनारस–मिर्ज़ापुर नगर
१४३. मुहम्मद शाहिद फाखरी	गाज़ीपुर–जौनपुर–गोरखपुर नगर
१४४. मुहम्मद शोएब	जिला रायबरेली
१४५. मुहम्मद सआदत अली खाँ	जिला बहराइच (उत्तर)
१४६. मुहम्मद सुलेमान अधमी	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)
१४७. यज्ञनारायण उपाध्याय	जिला बनारस (पश्चिम)
१४८. रघुनाथ विनायक धुलेकर	जिला झाँसी (दक्षिण)
१४९. रघुवंश नारायण सिंह	जिला मेरठ (पूर्व)
१५०. रघुवीर सहाय	जिला बदायूँ (पूर्व)
१५१. राघवदास	फैज़ाबाद–बहराइच–सीतापुर नगर
१५२. राजकुँवार सिंह	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन
१५३. राजाराम मिश्र	जिला फैज़ाबाद (पश्चिम)
१५४. राजाराम शास्त्री	कानपुर औद्योगिक मिल श्रम
१५५. राधाकृष्ण अग्रवाल	जिला हरदोई (मध्य)
१५६. राधामोहन सिंह	जिला बलिया (दक्षिण)
१५७. राधेश्याम शर्मा	जिला बस्ती (पश्चिम)
१५८. रामकुमार शास्त्री	जिला बस्ती (उत्तर–पूर्व)
१५९. राम कृपाल सिंह	बुलन्द शहर–मेरठ–हापुड़–खुर्जा–नगीना नगर
१६०. रामचन्द्र सेहरा	आगरा नगर
१६१. रामचन्द्र पालीवाल	जिला आगरा (उत्तर–पूर्व)
१६२. रामजी सहाय	जिला गोरखपुर (मध्य)

१६३. रामधर मिश्र	इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय
१६४. रामधारी पांडे	जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
१६५. राम नन्दन सिंह	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
१६६. राम नारायण	अपर इण्डिया चेम्बर आफ कामर्स
१६७. रामबली मिश्र	जिला सुल्तानपुर (पूर्व)
१६८. राममूर्ति	जिला बरेली (उत्तर- पूर्व)
१६९. राम शंकर लाल	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)
१७०. रामशरण	मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर
१७१. रामस्वरूप गुप्त	जिला कानपुर (दक्षिण)
१७२. रामेश्वर सहाय सिंह	जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)
१७३. रुक्नुद्दीन खाँ	जिला प्रतापगढ़
१७४. रौशन जमां खाँ	जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)
१७५. लक्ष्मी देवी, श्रीमती	जिला फैजाबाद (पश्चिम)
१७६. लताफ़त हुसैन	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१७७. लाखन दास जाटव	जिला बदायूँ (पूर्व)
१७८. लालबहादुर, माननीय श्री	जिला इलाहाबाद (गंगापार)
१७९. लाल बिहारी टंडन	जिला गोंडा (पश्चिम)
१८०. लीलाधर अष्ठाना	जिला उन्नाव (पूर्व)
१८१. लुत्फ़ अली खाँ	जिला मेरठ (पूर्व)
१८२. लोटन राम	जिला जालौन
१८३. वंशगोपाल	जिला फतेहपुर (पूर्व)
१८४. वंशीधर मिश्र	जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)
१८५. विजयानन्द मिश्र	जिला मिर्जापुर (उत्तर)
१८६. विद्याधर वाजपेयी	जिला सुल्तानपुर (पश्चिम)
१८७. विद्यावती राठौर, श्रीमती	जिला एटा (दक्षिण)
१८८. विनय कुमार मुकर्जी	लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम
१८९, विश्वनाथ प्रसाद	जिला मिर्जापुर (उत्तर)
१९०. विश्वनाथ राय	जिला गाजीपुर (पूर्व)
१९१. विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी	जिला उन्नाव (पश्चिम)
१९२. विष्णु शरण दुब्लिश	जिला मेरठ (उत्तर)
१९३. बीरबल सिंह	जिला जौनपुर (पश्चिम)
१९४. वीरेन्द्र शाह	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन
१९५. वेंकटेश नारायण तिवारी	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)

१९६. शंकर दत्त शर्मा	जिला मुरादाबाद (पश्चिम)
१९७. शान्ति प्रपन्न शर्मा	जिला देहरादून
१९८. शिव कुमार पांडे	जिला इलाहाबाद (द्वाबा)
१९९. शिवकुमार मिश्र	जिला शाहजहाँपुर (पूर्व)
२००. शिवदयाल उपाध्याय	जिला फतेहपुर (पश्चिम)
२०१. शिवदान सिंह	जिला अलीगढ़ (पश्चिम)
२०२. शिवमंगल सिंह	जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)
२०३. शिवमंगल सिंह कपूर	जिला आजमगढ़ (दक्षिण)
२०४. श्यामलाल वर्मा	जिला नैनीताल
२०५. श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री	जिला बाँदा (उत्तर)
२०६. श्याम सुन्दर शुक्ल	जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०७. श्रीचन्द सिंघल	जिला अलीगढ़ (मध्य)
२०८. श्रीपति सहाय	जिला हमीरपुर
२०९. सज्जन देवी महनोत	बनारस नगर
२१०. सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री	बनारस नगर
२११. सरवत हुसैन	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)
२१२. सलीम हामिद खाँ	जिला झाँसी, जालौन और हमीरपुर
२१३. साजिद हुसैन	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
२१४. सालिग्राम जयसवाल	जिला इलाहाबाद (यमुनापार)
२१५. सिंहासन सिंह	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
२१६. सीताराम अष्ठाना	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
२१७. सुदामा प्रसाद	जिला गोरखपुर (उत्तर)
२१८. सुरेन्द्र बहादुर सिंह	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)
२१९. सुल्तान आलम खाँ	जिला फर्रुखाबाद
२२०. सूर्य प्रसाद अवस्थी	जिला उन्नाव (दक्षिण)
२२१. सईद अहमद	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)
२२२. हबीबुर्रहमान अन्सारी	जिला लखनऊ तथा उन्नाव
२२३. हबीबुर्रहमान खाँ	जिला खीरी
२२४. हरगोविन्द पन्त	जिला अल्मोड़ा
२२५. हरप्रसाद सत्यप्रेमी	जिला बाराबंकी (दक्षिण)
२२६. हर प्रसाद सिंह	जिला बाँदा (दक्षिण)
२२७. हसरत मोहानी	कानपुर नगर
२२८. हुकुम सिंह, माननीय श्री	जिला बहराइच (उत्तर)

२२६. हीतीलाल अग्रवाल	जिला इटावा (पूर्व)
२३०. हैदर बख्श	जिला मथुरा तथा आगरा
२३१. रिक्त	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम), मुस्लिम ग्रामीण
२३२. रिक्त	ट्रेड यूनियन

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

माननीय श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

अधीक्षक

श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

श्री राम प्रकाश, बी० कॉम०, एल-एल० बी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ फरवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३६)

अचल सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जहीर हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
परागीलाल, श्री
पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बदन सिंह, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मसुरिया दीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फारुक, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की --

(१) श्री मुहम्मद शोएब ।

(२) श्री अक्षय कुमार करण ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१--३--श्री सलीम हामिद खां--[स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी स्टेशन रोड का निर्माण

*४--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी स्टेशन रोड को जो सरकारी अस्पताल से तापड़िया मिल्स होती हुई रेलवे स्टेशन को गयी है अन्तिम बार तामीर कब और किस विभाग द्वारा की गयी है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--सड़क आखिरी बार सन् १९४८ ई० ई० में पी० डब्लू० डी० ने बनाई थी।

*५--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क जो बनायी गयी वह किस प्रकार की है यानी कंकड़ रोड, सीमेंट रोड अथवा डामर रोड ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--सड़क वाटर बाउन्ड पत्थर की गिट्टी से बनाई गई थी।

*६--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क का जो भाग बनाया गया है उसकी लम्बाई-चौड़ाई क्या है और उसके बनाने में क्या लागत लगी है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह सड़क १० फर्लांग लम्बी, १२ फीट चौड़ी बनाई गई थी जिसका खर्चा १२,००० रुपया था।

*७--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क कब से चलने योग्य दशा में नहीं रही है जिसके फलस्वरूप सवारियां मुख्यतः मैनपुरी से करहल जाने वाली सड़क द्वारा स्टेशन को जाती है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--नवम्बर सन् १९५० ई० में यह सड़क उखड़ गई।

*८--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डामर रोड की लागत साधारणतः प्रति मील क्या है और उसकी सेवा काल (ड्युरेशन) क्या है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--आमतौर पर १ मील लम्बी और १२ फ़ीट चौड़ी डामर की सड़क बनवाने की लागत लगभग २५,००० रुपए है। अगर हर तीसरे साल मरम्मत होती रहे तो २० वर्ष चलती है, लेकिन अगर सवारियों का वजन ८०० टन रोजाना से ज़ायद हो तो सीमेन्ट की सड़क बनवाना जरूरी हो जाता है।

डिबाई-चन्दौसी सड़क का निर्माण

*९--श्री अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि डिबाई-चंदौसी सड़क के पूरी होने में कितना समय और कितना रुपया लगेगा ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--माली कठिनाइयों की वजह से इस सड़क पर काम रोक दिया गया है और नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह सड़क पूरी बन जायगी। इस सड़क को पूरा करने के लिए पांच लाख पचास हजार रुपया और लगेगा, बड़े-बड़े पुलों का खर्चा इसके अलावा है जो रोड प्रोग्राम के दूसरे फेज़ में बनाया जाएगा।

बिजली को वितरित करने के लिए सरकारी आदेश

*१०--श्री अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि माननीय निर्माण मन्त्री ने कोई एक्जिक्यूटिव आर्डर इस प्रकार के दिये हैं कि मौजूदा Domestic Electric Load को कुछ Domestic और कुछ पावर (रेफ्रिजरेटर के लिए) तक़सीम किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने विधान सभा में Temporary Electric Powers Bill के विचार के अवसर पर १९५० ई० में आश्वासन दिया था?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। एक्जिक्यूटिव आर्डर के देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बिजली का कंट्रोल सीधे सरकार द्वारा किया जाता रहा। विधान सभा में दिये गये आश्वासन की शर्तों के मुताबिक Domestic Load के तक़सीम करने का सवाल मद्देनज़र रहा है।

*११--श्री अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके इस एक्जिक्यूटिव आर्डर की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खेगी?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--प्रश्न ही नहीं उठता।

मुहम्मदपुर पावर हाउस का चालू होना

*१२--श्री अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मुहम्मदपुर पावर हाउस कब तक बिजली देने लगेगा?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--कोई पक्की तारीख नहीं दी जा सकती। पावर हाउस को जल्दी से जल्दी चालू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि मुहम्मदपुर पावर हाउस सन् १९५१ ई० में चालू हो जायेगा।

गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कतिपय पदाधिकारियों का निलंबन

*१३--श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या यह सत्य है कि सन् १९४८ ई० में गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क व भवन) के कुछ उच्च पदाधिकारी मुअत्तिल किये गये थे?

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--जी हां।

*१४--श्री जगमोहन सिंह नेगी--यदि हां, तो वे कौन-कौन थे और किन-किन आरोपों पर मुअत्तिल किये गये थे?

श्री लताफत हुसैन--सिर्फ एक अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियर, श्री शम्भू प्रसाद चन्दोला, सन् १९४८ में नीचे लिखे आरोपों पर मुअत्तिल किये गये थे--

(१) किसी एक ठेकेदार के साथ पक्षपात करना।

(२) काम की देखभाल में खराबी, फरायज के पूरा करने में कोताही और ठेकेदार व मातहतान के ऊपर निगरानी की कमी।

(३) एक ओवरसियर के साथ साजिश करके पैमाइश की किताब में बेजा इज़ाफा (interpolation) करना,

(४) लैंसडाउन दोगिला सड़क की रिटेनिंग वाल (Retaining wall) की गलत पैमाइश करना।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ये चार आरोप जो बतलाये हैं क्या वे चारों के चारों उनके खिलाफ साबित हो गये थे?

श्री लताफत हुसैन--जी हां, करीब-करीब साबित हो गये थे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार इस करीब करीब को स्पष्ट करने की कृपा करेगी?

श्री लताफत हुसैन—इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बहुत बड़ी है। अगर आनरेबिल मेम्बर उसे देखना चाहते हैं तो उस कमरे में आकर देख सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार उस ठेकेदार का नाम बतलाने की कृपा करेगी जिस पर यह आरोप थे?

श्री लताफत हुसैन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार इसका कारण बता सकती है कि वे (इंजीनियर) कुछ समय के लिये क्यों पुनर्नियुक्त किये गये थे?

श्री लताफत हुसैन—उनकी प्रिविलेज लीव बाकी थी जो टरमिनेट होने वाली थी, इसलिये यह बेहतर समझा गया कि उसकी वह मुद्दत पूरी कर देनी चाहिये।

*१५—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने अथवा कौन-कौन पूरी जांच के बाद निर्दोष पाकर मुक्त किये गये?

श्री लताफत हुसैन—कोई नहीं।

*१६—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उपरोक्त मुअत्तिल किये गये पदाधिकारी स्थायी नियुक्ति (Permanent service) वाले थे या नहीं?

श्री लताफत हुसैन—श्री चन्द्रौला स्थायी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं थे।

*१७-१८—श्री रामनन्दन सिंह—[स्थगित किये गये।]

*१९-२१—श्री गुरु नारायण—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर आगामी शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३—श्री भगवान दीन मिश्र—[स्थगित किये गये।]

*२४—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[स्थगित किया गया।]

*२५-२९—श्री नवाजिश अली खां—[माननीय मुख्य मंत्री से संबन्धित पहले गुरुवार के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक तथा निधि के सम्बन्ध में पंचायती अदालतों तथा सरपंचों को सरकारी आदेश

*३०—श्री असरार अहमद खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि उसने जमींदारी विनाश कोष और भूमि-व्यवस्था विधेयक के खिलाफ अपने जायज हकूक की हिफाजत करने से रोकने के लिये कोई हुकुमनामे गांव के सरपंचों और पंचायती अदालतों को जारी किये हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

अलीगढ़ जिले में दिये गये बिजली के नये कनेक्शन

१—श्री असरार अहमद खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अलीगढ़ खास और जिला में कितने रोशनी (Domestic Electricity) और पावर के नये कनेक्शन पहिली जनवरी, १९४८ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५० ई० तक कब-कब और किस किसको दिये गये?

नोट—तारांकित प्रश्न ३० श्री एजाज रसूल ने पूछा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मांगी हुई सूचना के इकट्ठा करने में जो मेहनत सर्फ होगी वह उससे हासिल होने वाले नफे से बहुत ज्यादा होगी। इसलिये अफसोस है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती है।

२--श्री अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अलीगढ़ खास और जिला में पहिली जनवरी, १९४८ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५० ई० तक किस-किसकी दरख्वास्तें अपने कनेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कराने की मंजूर हुई?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--प्रश्न सं० १ के उत्तर में दिये हुये कारणों से इस सूचना का देना भी मुमकिन नहीं है।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री मुहम्मद यूसुफ का प्रार्थना-पत्र

माननीय अध्यक्ष--अब हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १६५ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री मुहम्मद यूसुफ के प्रार्थना-पत्र पर विचार करेंगे। इस प्रार्थना-पत्र में माननीय सदस्य ने बजट का जमाना वगैरह लिखा है और इससे पहले भी काफी दिनों से वह यहां मौजूद नहीं रह सके अपनी आंखों की तकलीफ की वजह से। मैं समझता हूं कि अप्रैल के आखिर तक के लिये उनको छुट्टी दे दी जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह--सरकार को उन्हें छुट्टी स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री मुहम्मद यूसुफ का प्रार्थना-पत्र अप्रैल के अन्त तक उनको छुट्टी के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने के बिल पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने के बिल, सन् १९४८ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ मई, सन् १९४८ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ मई, सन् १९४८ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति १९ मई, सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का २६ वां ऐक्ट बन गया।

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन विधेयक पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ अक्तूबर सन् १९५० ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ नवम्बर, सन् १९५० ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १४ जनवरी, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश रीजनल एम्प्लायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मन्त्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि रीजनल एम्प्लायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि रीजनल एम्प्लायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--मैं इस कमेटी के निर्वाचन के संबंध में नामांकन-पत्र प्राप्त करने के लिये २१ फरवरी को १ बजे दिन तक का समय नियत करता हूं और उन नामांकन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के लिये २२ फरवरी को १ बजे का समय और नाम वापिस लेने के लिये २३ फरवरी को १ बजे तक और चुनाव की यदि आवश्यकता हो तो २४ फरवरी को ११ बजे दिन से ४ बजे तक विधान वाचनालय में।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों का उपस्थित किया जाना

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों को उपस्थित करता हूं।

श्री मुख्तार सिंह की मृत्यु के कारण संसद में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मुझे यह घोषणा करना है कि श्री मुख्तार सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रतिनिधि का स्थान संसद में रिक्त हो गया है और मैंने उपरोक्त उपनिर्वाचन के लिये सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग अफसर के पद पर तथा श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, सहायक सचिव, को रिटर्निंग अफसर के अधीन उनकी चुनाव में सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर रिटर्निंग अफसर का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है और इस उपनिर्वाचन के लिये मैंने निम्न-लिखित कार्यक्रम भी निर्धारित किया है--

(१) नामों के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि और समय--२४ फरवरी, सन् १९५१ ई० को १-३० बजे तक।

(२) नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा करने के लिये तिथि और समय--२६ फरवरी, सन् १९५१ ई० को १-३० बजे।

(३) निर्वाचन से नाम वापस लेने के लिये अन्तिम तिथि और समय--२८ फरवरी, सन् १९५१ ई० के १-३० बजे तक।

(४) यदि आवश्यक हो तो मत प्रदान करने की तिथि, समय तथा स्थान-- ९ मार्च, सन् १९५१ ई० को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में।

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के संबंध में सामान्य विवाद और मतदान के लिये तिथियों की सूचना

माननीय अध्यक्ष--मुझे यह भी बताना है कि वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये जो मांगें आज उपस्थित हुई हैं उनके संबंध में

[माननीय अध्यक्ष]

मैंने नियमावली के नियम १२९,१३० तथा १३३ के अन्तर्गत सामान्य विवाद और मतदान के लिये निम्नलिखित तिथियां नियत की हैं। सामान्य विवाद के लिये १९ फरवरी, सन् १९५१ ई० और मतदान या वोटिंग के लिये २१ फरवरी, सन् १९५१ ई०।

वित्तीय वर्ष १९५१–५२ के आय-व्ययक के संबंध में सामान्य विवाद तथा मतदान के लिये तिथियों की सूचना

माननीय अध्यक्ष--सन् १९५१–५२ के आय-व्ययक के संबंध में जो २४ फरवरी, सन् १९५१ ई० को उपस्थित किया जाने वाला है, मैंने नियमावली के नियम १२९ तथा १३० के अन्तर्गत सामान्य विवाद तथा मतदान के लिये निम्नलिखित तिथियां नियत की हैं--

सामान्य विवाद--२७ और २८ फरवरी और १ और २ मार्च।

मतदान, यानी वोटिंग आफ डिमांड्स के लिये--३ मार्च, ५ मार्च, ७ मार्च से १० मार्च तक, १२ मार्च से १७ मार्च तक और १९ मार्च से २१ मार्च तक।

सन् १९५०–५१ ई० के अनुपूरक अनुदान तथा सन् १९५१–५२ ई० के आय-व्ययक संबंधी विनियोग विधेयकों को पारित करने के लिये तिथियों की सूचना

माननीय अध्यक्ष--इस अनुपूरक आय व्ययक के संबंध में जो विनियोग विधेयक आयेगा वह २३ फरवरी को उपस्थित किया जायगा और उसी दिन उसे विचार करने और पारित करने के प्रस्ताव भी उपस्थित किये जायेंगे। अगले वर्ष के आय-व्ययक के संबंध में विनियोग विधेयक २२ मार्च को उपस्थित किया जायगा और उसी दिन उस पर विचार किये जाने और उसको पारित किये जाने के प्रस्ताव भी उपस्थित किये जायेंगे।

श्री खुशवक्त राय--श्रीमान् जी, इसके संबंध में एक बात आप से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जो द्वितीय अनुपूरक अनुदान आज उपस्थित किया गया, उस संबंध में जो हमको यह कार्यक्रम दिया गया है उसमें सामान्य विवाद के लिये एक दिन और मतदान के लिये भी एक दिन रखा गया है। पिछली बार जो इसी तरह की अनुपूरक मांग पेश की गयी थी उसमें तीन दिन थे। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बार दो ही दिन रखे गये हैं या और कोई समय मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष--दो ही दिन रखे गये हैं।

(इसके बाद सदन ११ बजकर १८ मिनट पर सोमवार, १९ फरवरी, १९५१ के ११ बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ फरवरी, सन् १९५१ ई०।

पी० एस० यू० पी०--२६८ एल० ए०--१९५१--६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ फरवरी सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीमुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६८)

अचल सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री

नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागी लाल, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानदीन, मिश्र
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसेन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फारूक, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री बादशाह गुप्त--[माननीय उद्योग मंत्री से संबंधित आगामी पहले मंगलवार के लिये स्थानांतरित किया गया।]

*३--श्री बादशाह गुप्त--[माननीय मुख्य मंत्री से संबंधित आगामी पहले गुरुवार के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

चौबटिया के रिसर्च स्टेशन के लिये असिस्टेंट हार्टिकल्चरिस्ट की नियुक्ति

*४--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अपनुस्थित)--क्या यह सच है कि चौबटिया के Research Station Assistant Horticulturist के लिये की अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)--जी हां, नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर की तजवीजें अभी तक गवर्नमेंट के विचाराधीन हैं।

सरकार द्वारा अल्मोड़ा के करीब हवालबाग रियासत का किराये पर लिया जाना

*५--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या यह सच है कि सरकार ने अल्मोड़ा के करीब हवालबाग नाम की रियासत ४,००० रुपया सालाना लगान पर किराये पर ली है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हां इस शर्त पर कि पहिले पांच साल का कोई किराया नहीं दिया जायगा और दूसरे पांच साल का किराया ३,००० रुपया सालाना होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन पर इस वक्त तक सरकार ने कितना रुपया लगाया है और आगे उसकी क्या योजना है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इस जमीन पर इस वक्त तो एक स्कूल खोला गया है, ऐग्रीकल्चर स्कूल। वहां एक तो वर्नेलाइजेशन (बीज को तापक्रम के के अनुसार बनाना) के मुताल्लिक एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) होंगे और उसके अलावा वहां कुछ फ्रूट (फल) का रिसर्च वर्क (गवेषणा-कार्य) भी करना है।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस समय तक उस पर कितना रुपया खर्च किया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इसके लिये नोटिस चाहिये।

*६--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या इस किरायेनामे की एक शर्त यह भी है कि १० साल के बाद यह रियासत पुराने मालिक को वापस कर दी जायगी और १० वर्ष के अन्दर सरकार उसमें ३ लाख रुपया लगायेगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी नहीं। इस तरह की कोई शर्तें नहीं हैं

*७--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिससे उसने इस रियासत को किराये पर लिया है उसने उसे ५०,००० रुपया पर खरीदा था ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--सरकार को इसकी इतला नहीं है।

*८--श्री रामनन्दन सिंह--[स्थगित किया गया।]

जिला जेल, मैनपुरी की चहारदीवारी की गिरी हुई दीवारें

*९--श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि मैनपुरी की जिला जेल की चहारदीवारी की एक दीवार दो वर्ष हुए गिर गयी थी ?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर मंत्री)--अगस्त सन् १९४८ ई० में मैनपुरी जिला जेल की दो दीवारें गिर पड़ी थीं।

*१०--श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि इस दीवार के न बनने के कारण एक विशेष पुलिस गार्ड नियुक्त किया गया है और उस पर ७०० रुपया मासिक खर्च होता है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--दीवारें गिर जाने के कारण अगस्त सन् १९४८ ई० से जनवरी सन् १९४९ ई० तक जेल की रक्षा के लिये एक पुलिस गार्ड तैनात किया गया था। उस गार्ड पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ क्योंकि वह जिले की रिजर्व पुलिस से लिया गया था।

*११--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार इस दीवार के न बनने के कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--दीवारें जनवरी सन् १९४९ ई० में बनकर तैयार हो गई थीं।

मैनपुरी जेल की गिरी दीवारों पर व्यय

*१२--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, मैनपुरी की कौन-कौन सी दीवारें कब-कब से गिरी पड़ी हैं ?

*१३--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दीवारों में से कौन-कौन सी दीवारें सन् १९५० ई० में पुनः-निर्मित कर दी गई हैं और उन पर पृथक-पृथक क्या-क्या व्यय हुआ है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--मैनपुरी जिला जेल के मेनसरकिल की अन्दरूनी दीवार (११६ फुट) और जेल के अन्दर के बगीचे की बाहरी दीवार (७५ फुट) अगस्त सन् १९४८ ई० में गिर पड़ी थी। बगीचे की बाहरी दीवार (१९० फुट) और (२४० फुट) जुलाई, अगस्त सन् १९४९ में गिर पड़ी थी। जो दीवारें सन् १९४८ में गिर पड़ी थीं वे जनवरी सन् १९४९ में बन कर तैयार हो गईं। उन दीवारों को पक्का बनाने में ७,००० रु० का व्यय हुआ। सन् १९४९ ई० में जो दीवारें गिर पड़ी थीं वे कैदियों द्वारा बनाई जा रही हैं। उन पर १८० रु० का व्यय होगा।

*१४--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पुलिस कैम्प टूटी हुई दीवारों के मार्गों की देखभाल करने के लिये पड़ा हुआ है वह कब से पड़ा हुआ है और उस पर मासिक व्यय क्या पड़ रहा है?

माननीय श्री गिरधारी लाल--अब कोई पुलिस गार्ड जेल की रक्षा के लिये तैनात नहीं है अगस्त सन् १९४८ ई० से जनवरी सन् १९४९ ई० तक और फिर अगस्त सन् १९४९ से जनवरी सन् १९५१ तक जेल की रक्षा के लिये एक पुलिस गार्ड तैनात हुई थी, उस पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ क्योंकि, वह जिले की रिजर्व पुलिस से लिया गया था।

श्री बादशाह गुप्त--कोई अतिरिक्त व्यय न होते हुए क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस गार्ड पर जो वहां पड़ी रहती थी मासिक व्यय क्या हुआ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--जो पुलिस गार्ड रिजर्व से ली गयी उस पर ५६० रु० मासिक व्यय होता था।

अतारांकित प्रश्न

जिला बांदा में मद्य-निषेध योजना का लागू होना

१--श्री श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह बांदा जिले में मद्य-निषेध योजना को कब तक लागू करने का विचार कर रही है?

माननीय श्री गिरधारीलाल--इस विषय में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है।

२--श्री श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री--बांदा जिले से सरकार को मद्य की बिक्री से प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है?

माननीय श्री गिरधारी लाल--मद्य की बिक्री से जिले की वार्षिक आमदनी घटती-बढ़ती रहती है और यह आमदनी १९४९-५० ई० में ५,५८,९७७ रुपया थी।

शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी व मैनपुरी शहर में टिंचर जेन्जीवरी बेचने के अधिकार

३-श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि टिंचर जेंजीवरी के बेचने का अधिकार सन् १९४९ ई० के अन्त में शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी व मैनपुरी शहर में कितने-कितने व्यक्तियों को पृथक-पृथक था और दिसम्बर १९५० ई० के अन्त तक उक्त संस्थाओं में पृथक-पृथक कितने-कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है?

माननीय श्री गिरधारी लाल--

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	दवाओं का कारोबार करने वाले लाइसेंस दारों की संख्या जो १९४९ ई० के अन्त में थी	दिसम्बर, १९५० तक दिये गये नये लाइसेंसों की संख्या
१	२	३	४
१	मैनपुरी म्युनिसिपैलिटी ..	७७	५
२	मैनपुरी जिला म्युनिसिपैलिटी को छोड़कर ..	३२	८
३	शिकोहाबाद म्युनिसिपैलिटी ..	९	५

ऊपर के कालम ३ व ४ में बताये गये लाइसेंस वालों को टिंचर जंजीबरी बेचने का भी अधिकार प्राप्त था, परन्तु जो लोग वास्तव में टिंचर बेचते थे उनकी संख्या नीचे दी जाती है--

क्रम-सं०	क्षेत्र का नाम	१९४९ में	१९५० में दिसम्बर तक दिये गये लाइसेंसों को संख्या
१	मैनपुरी म्युनिसिपैलिटी ..	९	८
२	मैनपुरी जिला म्युनिसिपैलिटी को छोड़कर ..	१९	..
३	शिकोहाबाद म्युनिसिपैलिटी .	३	..

४--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि उक्त पदार्थ के बेचने के लाइसेंस देने का अधिकार किस अधिकारी को है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में फुटकर विक्रय का लाइसेंस मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के द्वारा दिया जाता है।

५--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पदार्थ के बेचने के निमित्त लाइसेंस पाने के लिये नियमानुसार किन-किन शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--टिंचरों के विक्रय के लिये "फुटकर बिक्रय" का लाइसेंस स्वीकृत करने के निमित्त कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो व्यक्ति चाहे यह लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।

६--१२--श्री बादशाह गुप्त--[स्थगित किये गये।]

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

माननीय अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, सन् १९५०-५१ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय स्पीकर महोदय, करीब एक महीना हुआ इस आदरणीय सदन में सप्लीमेंटरी ग्रांट्स (अनुपूरक अनुदान) एक करोड़ ११ लाख रुपये के मंजूर हुये थे। मुझे उस समय इस बात का अन्दाज नहीं था कि महीना भर के अन्दर ७ करोड़ से ज्यादा के और सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस वर्ष के खर्चा के सिलसिले में हमारे सामने आयेंगे। श्रीमन्, उस समय मैंने माननीय अर्थ मंत्री को बधाई दी थी कि इतने बड़े बजट में एक करोड़ ११ लाख रुपये की कमी होना या ऐसे खर्चे आना, जिनके लिये बजट में गुन्जाइश नहीं रक्खी गयी थी, कोई असाधारण बात नहीं थी। मैं जानता हूं कि बजट का नक्शा बजट के पास होने के पांच-छः महीना पहले तैयार किया जाता है और कभी कभी जितने भी खर्चे अगले साल में आयेंगे उनके लिये पूरी गुंजाइश रक्खी जाय, इसका सही अनुमान लगाने में दिक्कत और दुश्वारी होती है लेकिन उसी के साथ-

साथ इस सदन का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात को देखे कि जो बजट उसने मंजूर किया है, जो फैसले उसने किये हैं, जो निर्णय उसने दिया है उसकी पूरी तामील की जाती है या नहीं। बजट सब से बड़ी महत्व की बात है, जो इस सदन के सामने आता है और उसका एक फ्लूइड स्टेट में छोड़ देना, बजट के साथ यह भावना बना लेना कि हम जिस मद में चाहेंगे कमी कर देंगे, जिस मद में चाहेंगे बढ़ती कर देंगे, इस सदन के फैसलों की अवहेलना है। मैं जानता हूं संविधान में भी लिखा हुआ है और अभी जैसा मैंने भी कहा है कि छः महीना पहले अन्दाज लगाकर आना पाई से हर चीज के लिये पूरी गुंजाइश रखना आसान बात नहीं हुआ करती है, लेकिन उसी के साथ यह भी नहीं हुआ करता है कि जो हमने फैसले किये हैं, जो खर्चे हमने रक्खे हैं वह खर्चे न किये जायं या उनसे बहुत ज्यादा किये जायं।

सप्लीमेंटरी डिमांड्स संविधान के अनुसार अन्फोरसीन एक्सपेंडीचर (अतर्कित व्यय) के लिये होते हैं, जिसका उस समय कोई ज्ञान न हो, लेकिन मैं देखता हूं कि जो लेखा हमको यहां दिया गया है उसमें ऐसी मदें हैं कि जो सन् १९४८–४९ के खर्चे हैं लेकिन वह सन् १९४९–५० में नहीं पूरे किये गये। अब सन् १९५०–५१ में उनको पूरा करने की बात है। मैं श्रीमन्, इसमें यह देखता हूं कि डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स (विकास सम्बन्धी योजना) और वह काम कि जिनसे देश का उत्पादन बढ़ेगा, जिनसे हमारे मुल्क में दौलत बढ़ेगी, जिनसे हमारे संकट कम होंगे, उन्हीं पर ज्यादा हाथ साफ किया गया है, उन्हीं के खर्चे में कमी की गयी है। माननीय निर्माण मंत्री हमारे सामने विराजमान हैं। बनारस जिला में एक डेवपलमेंट की जरूरत है। यह ग्रांट नम्बर ९ के सम्बन्ध में है।४२ हजार रुपये की मांग होती है लेकिन सात हजार रुपये उसके लिये दिये जाते हैं। यह जाहिर है कि रुपये की कमी है लेकिन जब आप कोई स्कीम रखते हैं तो उस स्कीम पर कितना रुपया खर्च होना चाहिये, इसका सही अन्दाजा आपको होना चाहिये। अगर सही अन्दाजा न हो तो यह बजट बेकार है और आपका सारा मुहकमा और वह लोग जो आपके सलाहकार हैं उनकी सारी मेहनत रायगां जाती है। बहुत जरूरी स्कीम थी, बाढ़ आती थी, बांध बांधना था, इंजीनियर एस्टीमेट करता है ४२ हजार ५ सौ रुपया, आपने प्रोवाइड (व्यवसाय) कर दिया सात हजार रुपया। इतने धन से कितना बड़ा बांध बंधता? नहीं हो सकता था। इसी प्रकार आप देखें कि राजखौर रिजरवायर प्रोजेक्ट इन दूधी स्टेट मिर्जापुर के लिए ५ लाख रुपये का बजट था। सन् १९४९–५० ई० में ढाई लाख रुपये खर्च किया जा चुका था। सन् १९५०–५१ ई० डेढ़ लाख की मांग थी, लेकिन आपने १८ हजार रुपया दिया। इतने रुपये में कितना काम होता? अगर किसी डैम को आप बनाते हैं, किसी बांध को बनाते हैं तो उसके लिये आपकी पूरी स्कीम और योजना दिमाग में होनी चाहिये। आप जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके अनुसार बजट में उसकी गुंजाइश होनी चाहिये। उससे कोई फायदा नहीं होता कि आपने एक मद को जब चाहा तब काट दिया और उसके बाद जब चाहा बढ़ा दिया। बजट, श्रीमन्, हमारे प्रदेश की जान है। इस बजट की कामयाबी के ऊपर हमारे प्रदेश की जनता की खुशहाली मुनहसिर है और अगर आप कोई स्कीमें निकालते हैं तो वह इस लिहाज से चलनी चाहिये कि जिससे हमारे राज्य का काम चले और हमारी दिक्कतें दूर हों, खाने की, कपड़े की, बेरोजगारी की, अमनो अमान की दिक्कतें दूर हों। अगर यह दिक्कतें दूर नहीं होतीं तो वह बजट बिलकुल निरर्थक और बेकार है।

माननीय पुलिस मंत्री जी यह फरमाते हैं कि जरायम घट गये। माननीय अर्थ मंत्री सप्लीमेंटरी डिमांड्स में लिखते हैं कि जेल की आबादी बढ़ गयी। ३० हजार जेल की पापुलेशन है। ऐवरेज में इस साल के अन्दर श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर जरायम घट रहे हैं तो जेल की आबादी कैसे बढ़ रही है। इसमें शुबहा नहीं कि हमारे प्रदेश में भी बहुत लोग डिटेंशन (निरोध) में बन्द हैं लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि उनके कारण ३० हजार की तादाद औसत में हो जाय। श्रीमन्, जब सिविल

[श्री त्रिलोकीनाथ]

डिस्ओबिडिएंस हुआ करती थी तब ३०-३४ हजार की तादाद हुआ करती थी। अगर उस वक्त की, १९३० ई० की, यू० पी० की ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पढ़िये तो ३४ हजार उस वक्त जेल की पापुलेशन थी जबकि १३ हजार आदमी सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये थे। उस हिसाब से आप इस तादाद को देखें तो इस बजट को हम किस अनुपात से नापें और तौलें? यह इस आदरणीय सदन का फर्ज और हक है कि वह यह जान सके और परख सके कि जिस मद के लिये उसने जिस रुपये को मंजूर किया है और जिस मकसद के लिये उस मद को रखा है वह मकसद पूरा होता है या नहीं होता है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर हाथ फेरा गया है। मेडिकल ग्रान्ट पर आप गौर करें तो हर अस्पताल में इक्विपमेंट (सामान) की कमी है। हर अस्पताल में दवाइयों की कमी है, चाहें वह अस्पताल लखनऊ शहर में हो चाहे वह इलाहाबाद शहर में हो या मिर्जापुर या गोरखपुर जिले के अन्दर किसी गांव में हो।

श्री फतेह सिंह राणा—मेरठ में नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह—आपके यहां बीमारी कम है।

श्री ई० एम० फिलिप्स—आगरा

श्री त्रिलोकी सिंह—आगरे में तो मेंटल अस्पताल है। तो एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां दवाइओं की कमी न हो, इक्विपमेंट की कमी न हो और कितने ही ऐसे हैं कि जिनकी इमारत इस काबिल नहीं है कि उसमें गोदाम भी रखा जाय न कि मरीज रखे जायं और मरीजों की दवाओं को वहां रखा जाय। लेकिन, श्रीमन् मैं देखता हूं कि अस्पतालों के सिलसिले में हर जगह दिखला दिया गया कि बचत हो गयी। यह बचत हुई कहां से, क्या आप मरीजो को पूरी तादाद में दवा नहीं देते या आप की स्कीम ज्यादा दवाखाने खोलने की थी आप उन दवाखानों को न खोल करके यह बचत दिखला रहे हैं? ग्रांट नं० १९ में वह लिखते हैं कि तीन हजार आठ सौ ब्लैंकेट्स (कम्बल) हम को खरीदने थे उसके बाद वह लिखते हैं कि नर्सेज ऐंड पेशेंट्स के लिये पहले एक लाख पचहत्तर हजार रुपया प्रोवाइड किया गया था और अब चाहते हैं कि एक लाख और दे दिया जाय। क्या लिखते हैं "बाई अरेंजमेंट आफ सेविंग्ज अवेलेबिल अंडर अदर हेड्स" (अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों द्वारा) मुझे खुद मालूम है कि लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में जो मुफलिस मरीज हैं उनका रोग इसलिये नहीं जाता है कि वह माकूल गिजा जो बीमारी के जमाने में मिलनी चाहिये नहीं हासिल होती न अस्पताल देता है और न वह खुद मुहय्या कर सकते हैं तो यह लम्बी बचत आप की कहां से होती है?

दूसरे आप लिखते हैं, इंडिजिनस डिस्पेंसरीज (देशी औषधालय) के लिये १५ लाख रुपये का प्राविजन किया गया था उसमें एक लाख अड़तालिस हजार रुपये की और बढ़ती की जरूरत है फिर लिखते हैं "ऐज दि टोटल एक्सेस विल आलमोस्ट बी कवर्ड फ्राम सेविंग विदिन दि ग्रांट" (चूंकि कुल अधिक व्यय अनुदान के अन्तर्गत की बचतों से करीब करीब पूरा होजायगा) मैंने जैसा निवेदन किया जितना अधिक मेडिकल बजट है सब का सब तोड़ मरोड़ करके सेविंग (बचत) से मीट (पूरा) किया गया है। अगर दवा और इलाज पूरे तौर से प्राप्त नहीं होंगे तो यह अस्पताल हैं किस लिये। इसी में एक इमारत है जिसको कहते हैं कि पानी टपकता है, उसका शेड गिर रहा है, दीवारें टूटी हैं। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि यह सारी टूटी-फूटी और टपकने की हालत सिर्फ दो ही तीन महीनें में हो गयी? क्या आप इस खर्चे को अन्फोरसीन (अतर्कित) करार दे सकते हैं। हुकूमत चलाने का यह कायदा है कि हर जिले और हर महकमे के अफसरों से, बड़े बड़

काबिल अफसर हैं, उनकी लम्बी तनख्वाहें हैं, जिलों के अफसर हैं सूबे के अफसर हैं, कितनी दवाओं की जरूरत है, इमारतों की क्या हालत है, इमारत में कोई मजीद तोड़फोड़ की जरूरत है खास मरम्मत की जरूरत है अल्फोरसीन तखमीना लगवाने से ४२ हजार रुपया एक अस्पताल में खर्च करना पड़ा। उसकी इमारत गिरी पड़ती थी मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्त सत्यप्रेमी जो बाराबंकी के माननीय सदस्य हैं। उनको भी यह शिकायत थी कि बाराबंकी के अस्पताल में मुद्दत से छत नहीं है। उसकी मरम्मत नहीं होती। बाराबंकी के अस्पताल में इस साल क्या किया गया ? मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी मरम्मत करवा दी गयी होगी। लेकिन आपका अनुमानित बजट, खेर साहब फरमाते हैं कि बन गया है मैं खुश हूं। लेकिन माननीय अन्न मंत्री जो बिल्कुल उनके पड़ोस में बैठे हैं उनमें और खेर साहब में ऐसी बात हुई जिससे अंदाजा होता है कि अभी नहीं बना है। लेकिन जो कुछ भी हो बना या नहीं बना मेरे जाती इल्म में दो, तीन, चार अस्पताल इसी जिले में ऐसे हैं जिनकी इमारत की बुरी हालत है। उनकी इमारत तामीर नहीं होती लेकिन सवाल यह नहीं है। मेरा सवाल बिलकुल दूसरा है। आप इमारत की तामीर में खर्च कीजिये, आप दवाई के लिये हम से रुपया मांगिये, एक नहीं चार बार मांगिये, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिये। वह तरीका यह नहीं है कि जब चाहे तब सप्लीमेंटरी डिमांड पेश कर दिया या एक अल्लटप तरीके से, कहीं निगाहे करम हो गयी तो वहां की इमारत तो तामीर हो गयी और बाकी जगहों की वैसी की वैसी बनी रहीं।

श्रीमन् इसमें मैंने देखा कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वन महोत्सव के सिलसिले में ९९ हजार रुपये का खर्च रखा गया है और यह कहा गया है कि जब पिछले साल १४ लाख दरख्त लगाये गये थे तो इस साल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ४० लाख दरख्त लगाये गये हैं जिसके माने साफ तौर पर श्रीमन् यह होता है कि २६ लाख दरख्त इस सूबे के अन्दर बन महोत्सव के सिलसिले में लगाये गये हैं। मैंने बागबानी की है। मेरे पास भी दो-तीन बाग हैं। मैं खेती से भी कुछ वाकफियत रखता हूं। गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि जुलाई के पहले इस सूबे के अन्दर कहीं भी दरख्त नहीं लगाये जाते। ये दरख्त पहली जुलाई को लगाये गये और उस सिलसिले में २८ हजार रुपये की रकम दौरे में खर्च कर दी गई। अफसरान की दौड़ धूप में यह रकम खर्च की गई। यह स्वांग हम कब तक चलायेंगे। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि रुपये की कमी है। मुल्क मुसीबत में है, किसान मुसीबत में है, मजदूर मुसीबत में है, सरकारी कर्मचारी मुसीबत में हैं, छोटे-छोटे रोजगार और धंधे करने वाले मुसीबत में हैं। बड़े आदमी भी अपनी मुसीबतों का बखान किया करते हैं और उनके भी बयान कुछ कम नहीं हुआ करते हैं तो उस मुसीबत में और उन सब के ऊपर सरकार की भी मुसीबत है उसमें भी हमें देखना ही होगा। हर मद में कमी, दुश्वारी और दिक्कत माननीय अर्थ मंत्री को बजट को बैलेंस (संतुलित) करने में होती है। वे एक एक मुहकमे की तरफ से जो जरूरी खर्च की मांग होती है उनको मंजूर करने में दिक्कत महसूस करते हैं। यह सही है कि यह बन महोत्सव गवर्नमेंट आफ इंडिया के माननीय कृषि मंत्री ने तीन महीने पहले चलाया था लेकिन आपको तो देखना चाहिये था और हमारे सौभाग्यवश हमारे प्रदेश के कृषिमंत्री भी खुद एक खेतिहर हैं, खेती के काम से उनकी काफी वाकफियत है, किताबी नहीं है जाती वाकफियत है। बाग भी उनके हैं और वे जानते हैं कि पेड़ कब लगाये जाते हैं। पहली जुलाई को पेड़ लगाये गये, कहां लगाये गये, पुलिस लाइन में लगाये गये, कलेक्टर साहब के बंगले में लगाये गये, किसी कचहरी में लगाये गये, गांवों में नहीं लगाये गये, और अगर २६ लाख दरख्तों में वे दरख्त भी शामिल हैं जो लखनऊ के जिले में हैं तो मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि मुझे उनके सही होने में शुबहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि वह इस स्वांग के चक्करों में न आवें। काम कम कीजिये, ज्यादा कीजिये, थोड़ा कीजिये, आपके पास साधन नहीं हैं, मत कीजिये, लेकिन फिजूलखर्ची मत कीजिये।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मैंने देखा कि माननीय अर्थमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं उनकी प्राइमरी स्कूलों की योजना में ४४०० स्कूल हर साल खोलने की योजना थी। तीन वर्षों में ११ हजार से कुछ अधिक स्कूल्स खोले गये। अब की साल धन की कमी थी लिहाजा उनके सिर्फ ५ सौ स्कूल्स खोलने की बात समझ में आती है। अगर आप इसलिये स्कूल्स नहीं खोलें तो भी बात समझ में आती हैं लेकिन मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि यह जो ११ हजार स्कूल्स खोले गये थे और ५ सौ का और इजाफा कर दिया गया है और अगर अगले साल में यही रफ्तार रही तो पांच सौ स्कूल्स और खुलेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिये टाट और पट्टियां मौजूद हैं। क्या उन स्कूलों के लिये, इमारत जाने दीजिये, साफ सुथरी जगह और छायादार जगह भी मुयस्सर हैं जहां बच्चे पढ़ सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि इस स्कीम पर जितना रुपया खर्च किया गया और जितना रुपया खर्च किया जा रहा है उसका चौथाई भी लाभ नहीं हुआ। दावा हमारा यह था कि हम जहालत को दूर कर देंगे। हमें हौसला था कि यही नहीं कि हम अपने मुल्क के हर एक बच्चे को पढ़ायेंगे बल्कि जो बेपढ़े जवान और बूढ़े हैं उनको भी शिक्षा देंगे। साल के बजट में सिर्फ ५०० प्राइमरी स्कूल्स खोले गये लेकिन ५०० स्कूल खोलिये या जितने भी स्कूल खोलिये वे स्कूल नमूने के स्कूल होने चाहियें। वे स्कूल ऐसे होने चाहिये कि गांव के बच्चे अगर दो-तीन बरस की तालीम हासिल कर लें तो उनके दिल में यह बात पैदा हो जाय कि एक इंसान को साफ कपड़े पहनना उसकी इंसानियत को कायम रखने के लिये जरूरी है। उसको इस बात का ज्ञान हो जाय कि अच्छी खाद छोड़ने से अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सकती है और अनाज की पैदावार बढ़ाने से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है और उसको जब कपड़े ज्यादा पहनने को मिलेंगे तो उसकी इज्जत होगी और दुनिया की जरूरियाते जिन्दगी को वह आसानी के साथ हासिल कर सकेगा। इस स्टैन्डर्ड (स्तर) से यह अंदाजा लगाया जाय कि इन ११ हजार स्कूलों के खोलने से क्या नतीजा हुआ? मैं तो अपने जिले की बात जानता हूं। वहां भी स्कूल खोले गये। १०० से ज्यादा संख्या उनकी हैं। सरकार की यह योजना थी कि वह सिर्फ १,००० रुपये इमारत के लिये देगी और गांव वाले १,००० इमारत के लिए देंगे उससे १० स्कूल बन सकें बाकी सबके सब स्कूल कहीं छप्पर के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे और अजीब बुरी हालत में हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कम खोलिये लेकिन जितने खोलिये उतने मजबूती के साथ खोलिये, नमूने का काम कीजिये क्योंकि हर तरफ से आज आपके ऊपर संकट है। मैं सरकार की मदद करना चाहता हूं इस संकट से छुटकारा पाने के लिये और प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये जिससे हर आदमी सुखी हो और अमन शान्ति हमारे प्रदेश के अन्दर कायम हो।

श्रीमन् आप देखें, माननीय कृषि मंत्री के बजट की एक और बात मैं नहीं समझ सका। इरिगेशन पम्पों की इस साल थोड़ी कमी थी'। पानी कम बरसा था। सरकार ने पूर्वी जिलों में तालाबों से और नदियों से पानी निकालने के लिये इरिगेशन पम्प की योजना रखी थी। शुरू में लोगों की समझ में कम आया लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी शशोपंज नहीं है कि इरिगेशन पम्प के जरिये से बहुत काम हुआ। लाखों एकड़ जमीन बोयी गयी। इरिगेशन पंम्स न होते तो नहीं बोयी जा सकती थी लेकिन ५० इरिगेशन पंम्स जो बढ़ाये तो उसके लिये एक पर्सनल असिस्टेंट, तीन ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर्स और मालूम नहीं कितने बाबू, मुंशी, चपरासी और खलासी रखे गये। मेरी समझ में नहीं आया कि आपके १५० पंम्स थे उनके लिये कुछ स्टाफ था, ५० पंम्स आपने बढ़ाये तो स्टाफ भी बढ़ा दिया। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि इन इरिगेशन पंम्स के लिये कोई नया चीफ ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर भी मुकर्रर किया गया? मैं, श्रीमान सरकार की हर योजना में यह कमी पाता हूं कि अलग-अलग डफली, अलग-अलग राग। मुत्तादिद चीफ इंजीनियर, मुत्ताद्दिद अफसर पर

अफसर बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सबका, हेड दूसरी तरफ डिपार्ट-मेंटल हेड्स अपने काम के लिये जिम्मेदार। जहां देखिये ड्वेल कंट्रोल (द्वैध नियंत्रण) कोई जिम्मेदारी नहीं। प्राविन्शियल हेड से पूछिये तो उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर टाल दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा तो उसने कह दिया कि अब की बजट में प्राविजन नहीं था। जब कोई योजना सरकार ने तैयार की तो उसके लिये स्टाफ पहले रख लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर साहब मौजूद हैं, मुझे ठीक संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन जो साहब ट्यूबवेल बोर कराते हैं, जो मामूली कुओं के काम में मदद देते हैं ऐग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स (कृषि उपकरण) के सिलसिले में मुनासिब सलाह देते हैं, क्या वह इरिगेशन पंप्स का प्रबन्ध नहीं कर सकते थे? यकीनन वह कर सकते थे सिर्फ जरूरत इस बात की थी कि वह यह न समझते कि यह दूसरे महकमे का काम है। एक टेंडेंसी है, एक रुख है और एक रुझान है कि इस काम से हमें कोई वास्ता नहीं है। यह तो फलां सेक्शन और फलां साहब का काम है। डिवीजन आफ वर्क (श्रम विभाजन) से एलोकेशन आफ (श्रम निर्धारण) वर्क ज्यादा जरूरी है। जिसके सिपुर्द आप जो काम करें उससे काम लें। लेकिन यह नहीं कि हर नये काम के लिये आप स्टाफ रख दें। फिर टेम्पोरेरी स्टाफ से क्या उम्मीद कर सकते हैं। किसी काम को करने में और उसके समझने बूझने में समय लगा करता है।

श्रीमन् आप देखें कि..........

"Charges on account of Commissioners and District Administration."

(कमिश्नरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय)

ग्रांट नम्बर १२—इसमें एक खर्चा आया है कि १,१०,००० रुपये इस काम के लिये हैं ....

To meet the pay of watermen for supplying water to litigants in Revenue Courts for which no provisions exists in the Budget.

(माली अदालतों में मुवक्किलों को पानी सप्लाई करने के लिये पानी वालों का वेतन देने के लिये, जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।)

बड़ा अच्छा काम किया गया कि जो मुक़द्दमेबाज आये उनके लिये पानी का इन्तजाम किया गया और उसके सिलसिले में १,१०,००० रुपया खर्च किया गया। भलमनसाहत का काम या सेवा समिति का काम था। लेकिन इसे एक्सपेंडीचर अनफोरसीन (अतर्कित व्यय) समझना मेरी समझ में नहीं आता है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि पानी पिलाने के लिये साल गुजश्ता के बजट में कोई रकम मुअइयन की गई थी या नहीं और अगर नहीं की गई थी तो आप अगले साल इसको ले आते। लेकिन बीच में १,१०,००० की रकम रख देना कि मुव-क्किलों को पानी पिलाया जायगा, ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैं जाती इल्म से कहता हूँ कि मुक़द्दमों का पेशा और बिलखुसूस रेवेन्यू कोर्ट्स में एक सेहत इन्दराज का दावा कीजिये, बस ८ पेशी होंगी। रेवेन्यू अफसर हैं और अफसरों पर अफसर हैं लेकिन कोई मुक़द्दमा फैसल नहीं होता जब तक कि ८--१० पेशी न हो जाय। एक सेहत इन्दराज का दावा मैंने किया उसमें ७ पेशी हुई और वह भी ६ महीने के बाद उसका हुक्म हो सके और आज तक साल भर हो गया लेकिन सेहत इंदराज नहीं किया गया सिर्फ मिसल पर लिख दिया गया है। यदि आपने उनके लिये शेड्स बनवा दिये होते तो पानी के बजाय उनकी मांग ज्यादा होती क्योंकि लोग पानी का इन्तजाम तो खुद

[श्री त्रिलोकी सिंह]

ही कर लेते हैं। वहां कुयें हैं और गांव के लोग लुटिया डोर साथ लाते हैं। लेकिन खैर में अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि इसको इस समय टाला जा सकता है।

इसी मद के सिलसिले में एक डेढ़ लाख रुपये की रकम—

"Rs. 1,50,000 for the pay of Drivers and Cleaners of vehicles used in districts for Zamindari Abolition Fund collection work and Grow More Food Drive."

(जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में जिलों में इस्तेमाल की गई गाड़ियों के ड्राइवरों और क्लीनरों के वेतन के लिये १,५०,००० रु०।)

ग्रांट नं० ११ है—

"Rs. 50,000 for hiring of vehicles to be engaged for visiting sub-treasuries and spot collections and also for the carriage of money thus collected.

Rs. 25,000 for publicity through the District Congress Committees or other non-official organisations.

Rs. 25,000 for publicity through the Information Department.

(५०,००० रु० उन गाड़ियों का किराया देने के लिये जो उप खजानों या निरीक्षण करने और स्थान पर जाकर उगाही करने और इस प्रकार जमा किये गये रुपये ले जाने के लिये रखी जायंगी।

२५,००० रु० जिला कांग्रेस कमेटियों या अन्य गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा प्रख्यापन के लिये।)

२५,००० रु० सूचना विभाग के द्वारा प्रख्यापन के लिये।

श्रीमान्, आप देखेंगे कि जमींदारी अबालीशन फंड के जमा करने के सिलसिले में बहुत सी मोटरें दौड़ाई गईं। मुझे एतराज न होता अगर साफ बात रहती कि जमींदारी अबालीशन फंड के सिलसिले में इतना खर्चा किया गया, मोटरें रखीं, ड्राइवर्स रखे और क्लीनर्स रखे। किराये पर वह मोटरें ली गई जिसका जिलों का खर्चा ४२ हजार रुपया आया है। लेकिन साथ ही साथ आपने उसका नाम देने के लिये ग्रो मोर फूड ड्राइव (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) भी रखा है। यह मोटरें जो किराये पर ली गई इनमें कानूनगो ने सफर किया या पटवारियों ने किया? ग्रो मोर फूड ड्राइव का नाम दे देना तो अच्छा मालूम होता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितना रुपया जेड० ए० एफ० (जमींदारी विनाश निधि) में लगाया गया और कितना रुपया ग्रो मोर फूड ड्राइव में लगाया गया। मैं अपने जिले के अनुभव से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रो मोर फूड के सिलसिले में कोई भी दौरा नहीं किया गया तो फिर यह ग्रो मोर फूड के सिलसिले में दौरे कब किये गये। मई में या जून में किये गये जब कि जोर के साथ लू चल रही थी। श्रीमान्, आप गौर करें कि जो यह लिखा है वह कहां तक सही है। इसी तौर पर आपने यह लिखा कि—"Publicity through the Congress committees or other non-official organizations."

(कांग्रेस कमेटियां या अन्य असरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशन।)

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कितना रुपया दूसरे नानआफिशियल आर्गनाइजेशनस (असरकारी संगठनों) को दिया है। आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के

जरिये से यह काम क्यों ले रहे हैं जब कि वह एक पोलिटिकल संस्था है। किसी सरकार के लिये किसी मखसूस पोलिटिकल संस्था से इस तरह से मदद लेना और उसको इस तरह से रुपया देने की मिसाल किसी दूसरे लोकतन्त्रवादी देशों में नहीं मिल सकती और अगर यह इस तरह की बात आ जाय तो नोंच खोंच हो जाना और एक मिनट के लिये भी वह सरकार नहीं चल सकती। क्या जिस पार्टी की यह सरकार है, जिस पार्टी की यहां अक्सरियत है वह अपना काम चलाने के लिये किसी पोलिटिकल संस्था को इस तरह की माली मदद दे सकती है कि आप इससे दौरा कीजिये और इस तरह से काम कीजिये। इस तरह की बात सरकार के लिये शोभा की बात नहीं होती। मैं बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यह रवइया कायम हो गया तो इसके बाद जो पोलिटिकल पार्टी पावर में आयेगी वह तो ७५ लाख रुपया इस तरह से देगी। आपने तो ७५ हजार रुपया ही दिया है। इस तरह की मिसाल होना बहुत गलत बात है और मैं यह उम्मीद करता हूँ और बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की बात आइन्दा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह किसी भी सरकार के लिये शोभा देने वाली बात नहीं है।

श्रीमान्, आप यह भी देखें कि पब्लिक इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट में १० हजार रुपये की रकम से दो पावरफुल पब्लिक ऐड्रेस इक्विपमेंट खरीदे गये हैं। क्या जरूरत थी इनके खरीदने की। आप ३–४ साल से अपना काम चला रहे थे। जब कि रुपये की कमी थी तो आपने यह रकम किस वास्ते खर्च करके इन चीजों को खरीदा। किराये पर अच्छे से अच्छे और दूर तक आवाज फेंकने वाले लाउड स्पीकर मिल सकते हैं। कहीं पर आप चले जाइये किराये पर आसानी से लाउड स्पीकर मिल सकते हैं। माननीय मंत्री दौरा करते हैं और तकरीबन सभी मंत्री दौरा करते हैं और कमोबेश सभी के जलसों में मजमा इकट्ठा होता है। कहीं पर हजार पांच सौ आदमी हो जाते हैं तो कहीं पर दस पांच हजार का मजमा हो जाता है लेकिन बड़े मजमों में भी अच्छे लाउड स्पीकर किराये पर मिल सकते हैं और उनसे काम सरकार का अच्छी तरह से चल सकता है। और मेरा तो जाती अनुभव यह है कि इस किस्म की चीज अगर किसी तिजारती फर्म के पास रहे तो वह ज्यादा दिनों तक काम कर सकती है और अच्छा काम करती है बनिसबत इसके कि वह किसी सरकार के पास रहे या किसी पोलिटिकल पार्टी के पास रहे। तो आप कम खर्च में ज्यादा अच्छा काम चला सकते थे और दस हजार की जगह पर आपको मुश्किल से हजार पांच सौ रुपय खर्च करना पड़ता।

श्रीमन्, मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता और मैं तो यही अर्ज करना चाहता था कि आपने एक बजट मंजूर किया, इस आदरणीय सदन ने एक बजट मंजूर किया और उसकी तामील होना लाजिमी है। सप्लीमेंटरी बजट एक निसेसरी इविल (अपरिवर्जनीय बुराई) है और किसी भी सरकार के लिये यह लाजिमी हो जाता है कि वह उसको लावे लेकिन उसमें जहां तक मुमकिन हो कम से कम मदें होना चाहिये और सिर्फ वही होना चाहिये कि जिनके बिना काम ही न चल सकता हो यह भी सही है कि एक मद से दूसरी मद में रुपया देने में भी इस आदरणीय सदन की अनुमति होनी चाहिये और वह यहां आनी चाहिये लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे सामने जो लेखा है उसमें कई किस्म की कमियां हैं और उनमें से थोड़ी सी बातें मिसाल के तौर पर मैंने श्रीमान्, आपकी सेवा में अर्ज कर दीं। मैं यह कहना चाहता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी और अर्थ मंत्री जो खास तौर से इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कम से कम अगले साल का जो बजट अभी आने वाला है उसमें इस तरह की गुंजायश न हो कि जो सन् ४८—५० के ट्रान्सफर की थी वह अब सन् ५०–५१ में आप ट्रान्स पर कर रहे हैं और रुपया आप के पास है

[श्री त्रिलोकी सिंह]

एलेक्ट्रिसिटी में आप ३९ हजार का फर्क देख रहे हैं। चूंकि ३.५ पाई का इजाफा हुआ है। यह टैक्स किस ने लगाया ? आप को तो हर चीज का अन्दाजा होना चाहिये और आपको यह कोशिश होनी चाहिये कि आप अपने बजट पर सख्ती के साथ पाबन्दी करें और जिस मकसद और जिस नियत से बजट मंजूर किया जाता है और खर्च को मंजूर किया जाता है वह सबकी सब नियतें पूरे तौर से एक नक्शे के मुताबिक साल के अन्दर हमें हासिल होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चूंकि इस पर बहस के लिये आज ही का दिन है इसलिये क़ब्ल इसके कि आप तक़रीर करें मैं वक्त मुक़र्रर कर दूं तो अच्छा है। हर एक माननीय सदस्य ज्यादा से ज्यादा २० मिनट ले सकते हैं।

श्री श्यामलाल वर्मा—अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों की सूची देखने के उपरान्त मेरे ऊपर साधारणतः जो प्रभाव पड़ा है वह इस प्रकार पड़ा है कि सरकार ने बहुत कुछ सोच समझ कर यह अनुपूरक मांगों की सूची हमारे सम्मुख उपस्थित की है। यह सूची जो पेश की गई है अगर हम उसको ग़ौर से पढ़ें तो हमें यह मालूम होगा कि आम तौर से सरकार ने जिन जिन कामों के लिये इस आदरणीय सदन से रुपया मांगा है वह काम ऐसे हैं जिनकी इस समय प्रदेश को अति आवश्यकता है। साधारणतया जो रुपया मांगा गया है वह रुपया सिंचाई के हेतु, वह रुपया शिक्षा प्रसार के हेतु या वह सब रुपया अन्य ऐसे कामों के लिये मांगा गया है जिससे हमारे सूबे की जनता को आराम मिले, उसकी बहबूदी और उसकी उन्नति हो और वह आज कल की समस्याओं का जैसे अन्न की समस्या है, मुक़ाबला करने में समर्थ हो सके। मैं अपने विरोधी दल के बुजुर्ग तथा आदरणीय नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी के व्याख्यान को बड़े ग़ौर से सुन रहा था। उन्हें कुछ ऐसे एतराजात पेश करने का खयाल आया जिनको सुनकर कम से कम मेरे ऊपर तो ऐसा असर पड़ा कि वह उनकी शान के अनुकूल नहीं है, जैसे वन महोत्सव के सम्बन्ध में आपका कहना है कि क्या कहीं जुलाई के महीने में पेड़ भी उगाये जाते हैं और अगर उगाये भी जाते हैं तो क्या कचहरियों या दूसरे ऐसे स्थानों में जो कि शहर के नजदीक हैं पेड़ों का उगाया जाना ठीक है ? फिर यह एतराज कि जो पेड़ उगाये गये हैं, जिनके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया है, वे उगाये भी गये हैं या नहीं। तो इस प्रकार की अपनी शंका को हमारे सामने उपस्थित करके उन्होंने यह बात मान ली है कि कुछ रुपया वन महोत्सव में खर्च किया गया है वह एक तरह की फिजूलखर्ची है। मेरा उनसे सादर यह कहना है कि क्या वे लखनऊ शहर के अन्दर रहते हुये यहां के हरे हरे मैदानों में सुन्दर पेड़ों को देखते नहीं हैं ? क्या उन्होंने ऐसे मकानों के अन्दर जो कि लोगों के अपने हैं बड़े बड़े सुन्दर फलों के या और दूसरे पेड़ों को लगे हुये देखा नहीं है ? वन महोत्सव के सिलसिले में प्रचार स्थानों में पेड़ों के लगाने का उद्देश्य यह भी था कि लोग इस बात का जानें कि पेड़ों का लगाना देश के हित में कितना आवश्यक है। इसलिये वन महोत्सव के सम्बन्ध में जिले के खास-खास स्थानों में पेड़ लगाने से यदि और कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है तो कम से कम इतना तो अवश्य फायदा हुआ है कि लोगों के दिल में इसके लिये दिलचस्पी पैदा होने लगी है, वे वनों की आवश्यकता प्रतीत करने लगे हैं और यह समझने लगे हैं कि हमारे राष्ट्र निर्माण के कार्य में वनों का कितना महत्व है।

इस प्रकार हमने देखा कि सड़कों के निर्माण के लिये बहुत सा रुपया मांगा गया है। वे सड़कें भी ऐसी हैं जिनके बनाने से केवल यातायात की सुविधा ही नहीं होती है बल्कि उन सड़कों के आस पास के गांव के निवासियों को एक प्रकार की सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि देश में बाढ़ आ जाने से बहराइच के

इलाके में ६४४ गांव तबाह हो गये और उनका जितना नाज घरों में था वह बह गया। वहां की सड़कों का निर्माण करने से सरकार ने एक तो यातायात के साधनों की सुविधा की है और साथ में वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, उनको मजदूरी कराके पेट पालने का साधन भी उपस्थित किया है। तो इस प्रकार सड़कों का निर्माण, सिंचाई के कामों को बढ़ाना और वनों के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा करना, खाद की अवस्था सुधारना जिससे ज्यादा अन्न उत्पन्न हो सके, ऐसे कार्यों के लिये सरकार अगर रुपया मांगती है तो इसे मैं सही समझता हूँ और हमें उनकी बात को मान कर रुपया देना ही चाहिये।

इतना कहने के उपरान्त अब मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट की ओर आता हूँ। यह मैं अभी तक दो तीन साल से नहीं जान सका कि लड़ाई से लौटे हुये लोगों की बाबत जो जंगलात विभाग के हैं, सरकार की क्या नीति है। आम तौर से चाहे प्रान्तीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, उन्होंने एक नीति निर्धारित की थी कि लड़ाई से लौटे हुये लोगों को काम में लगाया जायगा और उनके साथ उचित व्यवहार किया जायगा। जंगलात विभाग में कुछ ऐसे अफसर हैं जो लड़ाई से पहले इसी विभाग में काम करते थे और उन्हें वहां से आने के बाद डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का काम दिया गया। उससे पहले उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उपस्थित भी होना पड़ा। अब सवाल यह आता है कि उनकी सीनियारिटी किस तरह आंकी जाय। क्या उनके साथ वही नीति बरती गई है जो लड़ाई से लौटे हुये तमाम अफसरान के साथ, जो दूसरे महकमों के हैं, बरती गई है? इस सम्बन्ध में मैं सरकार से स्पष्टीकरण अवश्य चाहता हूँ। साथ ही हमसे जो रुपया मांगा गया है उसके लिये यह कहा गया है कि बहुत सी स्टेट्स के मर्ज हो जाने से हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई है कि हमारे अफसरान जगह जगह का दौरा करें और इसके लिये उनको भत्ते के तौर पर काफी रुपया देना होगा। जरूरी बात है कि जब उनके काम का इलाका बढ़ेगा तो उनका भत्ता भी बढ़ेगा। लेकिन इससे मेरे हृदय में यह शंका होती है कि क्या हमारे अफसरान इतने योग्य और तजुर्बेकार हैं कि वह जिन स्थानों पर पहले काम करते थे उनसे सवैया स्थानों पर अब काम कर सकेंगे। क्या वह इतने क्षेत्र में आसानी से काम कर सकेंगे? क्या हमारे फारेस्ट अधिकारी का काम इतना सरल हो गया है कि वह अपने पहले से दुगने क्षेत्र का दौरा तथा कार्य उतनी ही योग्यता से कर सकेंगे जितना कि पहले करते थे? आज इस बात की आवश्यकता है कि जंगलों के प्रति जो हमारी उदासीनता हमेशा से रही है हम उसे छोड़ें और उनकी ओर ध्यान दें। यह सरकार इस बात को मान चुकी है कि हमारे देश के उत्थान के लिये, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, हमारे देश की आबहवा को ठीक रखने के लिये और वर्षा के लिये पेड़ों की आवश्यकता है। इस सब के लिये जंगलों का कितना भारी महत्व है, हमारी सरकार इसे जानती है। ऐसी सूरत में हमारे जंगलात के प्रति उदासीनता रखना कहां तक ठीक है? जब से हमारा स्वराज्य हुआ है बहुत से अंग्रेज अफसर चले गये हैं जो अनुभवी और योग्य थे। आज हमारे पास जो अफसर हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि अगर अंग्रेज छोड़ कर नहीं गये होते तो शायद जो आज कंजर्वेटर हैं वह अपनी जगह पर काम करते रहने से कंजर्वेटर नहीं होते और जो डी० एफ० ओ० (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर) हैं वह डी० एफ० ओ० नहीं होते तो ऐसे जब हमारे आफिसर हैं और उसी के साथ जब उनके कार्य का विस्तार भी बढ़ चुका है ऐसी हालत में हमारा स्टाफ कितना होना चाहिये, इस ओर हमारी सरकार का ध्यान न देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आफिसरों की नियुक्ति के लिए अगर सरकार हमसे और भी

[श्री श्यामलाल वर्मा]

रुपया मांगे, तो जंगलों की महत्ता को देखते हुये हम और भी रुपया सरकार को देने के लिये सहर्ष तैयार रहेंगे।

इसके अलावा जंगलों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने की एक बात है। इस सम्बन्ध में मैं जानता हूँ कि सरकारी तौर पर बहुत कुछ काम होता है और लीसे के काम से सरकार को बहुत काफी आमदनी भी होती है लेकिन बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर हमारे जंगल के अधिकारियों का जाना और वहां पर इस प्रकार के कार्य करना, जिससे हमारे राज्य को लाभ हो एक प्रकार से असंभव सा प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूँ कि अगर सरकार की ओर से इस प्रकार का प्रोत्साहन वहां की जनता को मिले कि वह सरकारी समिति के आधार पर लीसे को उन जंगलों से निकाले जहां जंगल के अधिकारियों का जाना एक प्रकार से असंभव है या अनइकोनामिक (अलाभकर) प्रतीत होता है, तो मैं समझता हूं कि वहां के निवासी लीसा निकाल करके कुछ न कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं और उससे वहां के रहने वालों को कुछ न कुछ फायदा पहुँच सकता है। लीसे के सम्बन्ध में मेरा इतना और अनुरोध है कि इस समय बाहर से बहुत कुछ लीसा इम्पोर्ट (विदेशों से मंगाना) हो जाने के कारण आपके राज्य को या सरकार को जितना फायदा इस काम से होना चाहिये था उतना नहीं होता है और साथ ही इस काम को आगे बढ़ाने का जितना हमें अवसर मिलता, उतना नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो इम्पोर्ट नीति है, उसकी ओर भी ध्यान दिलाना मैं आवश्यक समझता हूँ, ताकि चीड़ के जंगलों से जो फायदा हमारी सरकार या यहां की जनता को हो सकता है वह पूरा पूरा फायदा हमारी सरकार और जनता को मिल सके।

इसी के साथ-साथ सरकार ने रामपुर के पास कोसी नदी में बांध बांधने की बात कही है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि हर साल बढ़िया आ जाने से उस जगह कोसी के किनारे के गांव और विशेषकर रामपुर जिले में बहुत से गांव बह जाया करते हैं और वहां की फसल को नुकसान हुआ करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसी कोसी नदी के किनारे पर सुल्तानपुर नाम का एक गांव हमारे नैनीताल जिले के अन्तर्गत है और वह रामपुर जिले से क़रीबन २ मील की दूरी पर है। मैं यह चाहता हूँ कि जब यह बांध बांधा जाय तो उसकी लम्बाई इस प्रकार और बढ़ाई जाय कि जो हमारे सुल्तानपुर के गांव में हर साल बरबादी हुआ करती है वह बरबादी भी रोकी जा सके।

साथ ही मैं इसके लिये सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि उसने छोटी-मोटी स्कीमें ऐसी निकाली हैं जिनके द्वारा पहाड़ में भी सिचाई हो सकेगी और उस सिंचाई के लिये सरकार ने एक ऐसी नीति अख्तियार की है कि कुमायूं में जैसे जैसे नहरें तैयार होती जायं, फौरन ही उनको वहां की गांव पंचायतों को उनका इन्तजाम करने के लिये दे दिया जाय। जहां तक इस निर्णय का सम्बन्ध है, मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरा सरकार से इतना अनुरोध अवश्य है कि जब पहले-पहले साल वह नहरें बनती हैं तो वह इस योग्य नहीं होतीं कि उससे जनता को पूरा-पूरा फायदा हो सके। कम से कम पहाड़ पर कोई सड़क खोली जाती है, नहरें बनाई जाती हैं या मकानात बनाये जाते हैं तो जिस पहाड़ को खोद करके यह काम होता है उस पहाड़ पर सिलिप्स आया करते हैं। हर साल वहां पर जमीन खिसका करती है और दो-तीन साल के बाद वह जमीन अपने स्थान पर गड़ जाती है तथा स्थिर हो जाती है उसके बाद सिलिप्स आने रुक जाया करते हैं। तो इसलिये अगर आप फौरन ही उन नहरों का इन्तजाम गांव सभाओं को देना चाहते हैं तो उससे न तो सरकार का उद्देश्य पूरा होगा न गांव वालों को कोई

[illegible] होगा, क्योंकि [illegible] तक उनमें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अगर इस गांव सभाओं के हाथ में गयीं तो वह जो आवश्यक संरक्षण है उसका पूरा करना उनके बूते के बाहर की बात होगी, तो उससे बजाय फायदे के नुकसान ही होगा। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनका इन्तजाम गांव सभाओं को न दे कर के ३ साल तक इनकी देखभाल का इन्तजाम सरकार अपने हाथ में रखे ताकि उसको जो [illegible] संरक्षण है वह कार्य सरकार के द्वारा हो सके। इस साल टेहरी-गढ़वाल में छोटी-छोटी [illegible] के लिये सरकार ने रुपया मांगा है। इस सब के लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन वहां ऐसी चाल की जरूरत नहीं है। इस इलाके के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि वहां की जनता से आप भिज्ञ हैं और वहां की जमीन सम्बन्धी समस्याओं से भी आपको अच्छी जानकारी है। तो जहां तक नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में [illegible] का इन्तजाम करने का सवाल है उसके लिये तो हम सरकार के आभारी रहेंगे।

गांव सभाओं के सेक्रेटरियों की जहां तक तनख्वाह का सवाल है उसके सम्बन्ध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब सरकार यह जानती है कि कुमायूं, गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है जब जिला बोर्डों जैसी संस्थायें वर्षों से वहां कायम हैं उसको अपनी आमदनी से अपना काम चलाना दुर्लभ हो रहा है तो वह जो हमारी कल की गांव सभायें हैं वह कैसे बिना आमदनी अपना काम कर सकती हैं? चाहे उनको उधार के रूप में या ग्रांट के रूप में रुपया दिया जाय लेकिन मुझे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक है कि वहां के गांव सभाओं की आमदनी के सोर्सेज (साधन) ऐसे नहीं हैं कि वह अपने पंचायत के सेक्रेटरीज को वेतन दे सकें। जहां तक मेहनत का सवाल है गांव सभाएं इस चीज में धनी हैं, मेहनत के जो भी कार्य होंगे उनको वह पूरा कर सकेंगी, लेकिन जहां तक रुपये का सवाल है उसमें गरीबी के कारण उनके पास इतना रुपया नहीं हो सकता कि वह पंचायत के सेक्रेटरीज की तनख्वाहें दे सकें, यह समस्यायें हर साल सरकार के पास बार-बार आयेंगी और सेक्रेटरीज को तनख्वाहें न मिलना यह गांव सभाओं के फायदे की चीज नहीं है। तो वहां की साधारण आर्थिक अवस्था को और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत को अपने सामने रखते हुये सरकार को इस बात का निर्णय करना ही चाहिये कि वहां की पंचायत के सेक्रेटरीज की तनख्वाहें सरकार ही दे।

एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं कि अपने यहां लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कृषि सम्बन्धी कान्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसको सहायता देने का जो वचन सरकार ने दिया है उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि के सम्बन्ध में ज्यादा प्रचार होना, उसकी जांच होना, उसकी उन्नति होना हर विचार के लोगों का एकत्रित होकर के लोगों का ध्यान कृषि की ओर आकर्षित करना यह हमारा मुख्य काम है, इसलिये कि कृषि और अन्न की समस्या ही हमारे सामने प्रधान रूप में पहाड़ बनकर खड़ी हुई है। इसीलिये कृषि के सम्बन्ध में जो कोई भी कार्य सरकार करने जा रही है जिस प्रकार से प्रचार करने जा रही है और कृषि की उन्नति के लिए जो हर प्रकार से सहायता करने जा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और उस सब के लिये मैं सरकार को बधाई भी देता हूं।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के कार्य-क्रम में सम्मिलित करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री खुशवक्त राय—मुझे एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करनी है। मैं आप की इजाजत से आप का ध्यान संविधान की धारा १७६(१) के ऊपर लाना चाहता हूं। आप की इजाजत से मैं इस धारा को पढ़ देना चाहता हूं।

[श्री खुशवक्त राय]

" 176. (1) At the commencement of every session, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

[१७६—(१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान मंडल को बतायेगा।]

आप देखेंगे कि इसमें शब्द "शैल" इस्तेमाल किया गया है। वह शैल "ऐड्रेस" को भी गवर्न करता है और "इन्फार्म" को भी गवर्न करता है। इसके साफ तौर से यह मानी हैं कि जब कोई सेशन कोई सत्र प्रारम्भ हो तो उस समय माननीय राज्यपाल के लिये यह आवश्यक है कि सदन के सामने जो कार्य होने वाला है उसके बारे में वह बतला दें। अगर आप मौजूदा कांस्टीट्यूशन (संविधान) के अनुच्छेद १७६ को देखें और साथ ही ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन (संविधान के प्रारूप) को देखें तो उस वक्त यह धारा १५५ थी उसके नीचे एक फुटनोट (पाद टिप्पणी) लिखा हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि यह जो एड्रेस (संबोधन) करने की बात है वह कहां से ली गयी है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वह रिटेन (लिखित) है उसमें जो बात दी गई है उसी पर हमको चलना है ......

माननीय अध्यक्ष—यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप वह बात पहले बतला दें।

श्री खुशवक्त राय—अब बात यह है कि इस सत्र का प्रारम्भ १८ दिसम्बर को हुआ है। इसी भवन में इस भवन के और दूसरे भवन के तमाम सदस्य एकत्रित हुए और उनके सामने माननीय राज्यपाल ने अपना सम्बोधन दिया। उसी के संबन्ध में मेरी यह आपत्ति है। उस संबोधन में किसी सप्लाई के मामले की बात नहीं दी हुई है आवश्यक था कि माननीय राज्यपाल ने जो सम्बोधन दिया था उसमें वह इस भवन को बतला देते और अगर आप देखेंगे तो जो हाउस आफ कामंस में किंग्ज ऐड्रेस (राजा का संबोधन) होता है उसमें सप्लाई के लिये एक अलग से पैरा होता है वह सिर्फ हाउस आफ कामंस को एड्रेस्ड (संबोधित) होता है और यहां पर मैं देखता हूं कि सारे सम्बोधन में कहीं भी सप्लाई का सवाल नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि इस संबोधन में जो काजेज आफ समन (आहवान के कारण) बतलाये गये हैं वह जितनी कार्यवाही करने के लिये गवर्नर साहब ने कहा था वह सारी की सारी हम खत्म कर चुके हैं। इसलिये इस समय सप्लीमेंटरी बजट का आना अवैधानिक है और जितनी भी कार्यवाहियां अब आने वाली हैं वह भी सब अवैधानिक हैं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)—जनाबवाला, एक बहुत दिलचस्प बात इस हाउस की तवज्जह को एक दिमाग को थकाने वाले काम में से जुदा करके दूसरी तरफ लगाने के लिये मेरे दोस्त ने बयान की। मैं जो उन्होंने इरशाद फरमाया है उसकी निस्बत दो बातें अर्ज किया चाहता हूं। एक तो जेनरल (सामान्य) बात है और वह इसके मातहत कहता हूं कि किसी हालत में मैं जो कुछ कहूंगा उसके खिलाफ भी मंजूर किया जा सकता है। जहां तक हमारे इस देश के लेजिस्लेचर्स (विधान मंडलों) का ताल्लुक है उन पर उन तरीकों की जो इंग्लिस्तान में रायज हैं कोई पाबन्दी सिवाय उतनी बातों के जितनी के बारे में तजकिरा कांस्टीट्यूशन (संविधान) में है आयद नहीं आती। जो बात इस वक्त कही जा रही है वह बात आर्टिकिल (अनुच्छेद) में जो कांस्टीट्यूशन का है उसमें नहीं आती। कंवेंशंस (अभिसमय) वहां के जो भी हों उनमें से जिस किसी को हम अच्छा और मुनासिब समझ कर अख्तियार करें कर सकते हैं और जिसको हम न अख्तियार करें किसी वजह से भी तो उसकी बिना पर किसी कार्यवाही पर एतराज नहीं हो सकता है तावक्ते कि यह बात साबित न हो कि

इस बात को उस तरीके से करना हमारे कांस्टीट्यूशन के लिहाज से जरूरी है। दूसरी बात यह कि जो कुछ कहा गया है उसमें सबसे मैं यह समझता हूं कि जिस वक्त गवर्नर ने सेशन (सत्र) के शुरू में एड्रेस दिया उस वक्त उस एड्रेस में कुछ बिजनेस (विषयों को) बयान किया उन बिजनेस के खत्म होने पर यह समझा जायगा कि वह सेशन खत्म हो गया। एक बात तो यह और दूसरी यह कि जो मैं अपने दोस्त की तकरीर से निकालता हूं कि जो कुछ बिजिनेस उस एड्रेस में आउट लाइन किया (रूप-रेखांकित) गया है उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अगर मैं अपने दोस्त के मतलब को सही समझा हूं तो मेरे ख्याल में यह वाइटल प्वाइंट (मुख्य बात) है जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि मेरे दोस्त का एतराज कहां तक सही है और काबिले लिहाज है। मैं बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि वह गलतफहमी पर मबनी है। इस वक्त मैं उनको नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरे दोस्त अगर खुद भी उन किताबों का मुताला फरमायेंगे जिनमें इंग्लिस्तान के कांस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेज (संवैधानिक व्यवहार) और तरीकों और कंवेंशंस का जिक्र है तो उनको खुद भी यह बयान जो उन्होंने किया है कि जो बिजनेस एड्रेस में बयान किया जाय सिर्फ उसी तक महदूद रहना चाहिये वो इस कदर लाजिम नहीं है। वहां भी उसके अलावा और बिजिनेस हो जाते हैं और हुये हैं। लिहाजा यह कि उस बिजिनेस का कि जो इस सिटिंग (बैठक) में हम शुरू कर रहे हैं चूंकि कोई तजकिरा उस ऐड्रेस में नहीं था कि जो इस सेशन के शुरू करते वक्त गवर्नर साहब ने वहां फरमाया था तो मैं अर्ज करूंगा कि उससे कोई मुमानियत लाजिमी नहीं आती है और हम फिर भी इस बिजिनेस को कर सकते हैं और यह कार्यवाही हमारी उसी सेशन का जुज समझी जा सकती है जो सेशन कि उस वक्त गवर्नर साहब के उस एड्रेस से शुरू हुई थी। कहीं से कोई बात उसके खिलाफ नहीं आती है इस वक्त जाहिर है कि गवर्नर साहब ने लेजिस्लेचर्स को प्रोरोग (सत्रावसान) नहीं किया है जो बैठ रहे हैं वह इसी सेशन के सिलसिले में बैठ रहे हैं जो पहले हो चुका था वह इस वक्त तक जारी है। लिहाजा ऐसी हालत में अगर यह कहा जाय जोकि पहले से शुरू है यह उस कांस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस में भी नहीं मिलेगा जिसका कि हवाला हमारे दोस्त ने दिया है। जो बयान किया गया और ऐलान किया गया अगर खत्म हो गया तो बगैर प्रोरोग किये गये पार्लियामेंट प्रोरोग समझ लिया जायगा। यह प्रपोजीशन (प्रसंग) कहीं नहीं पैदा होता। प्रोरोग होना या उसका डिक्लेरेशन (घोषित) होना काम्पीटेंट अथारिटी (सक्षम प्राधिकारी) की तरफ से जुज है वह एन्ड (समाप्त) हो गया। अब दूसरी कार्यवाही शुरू होगी दूसरा सेशन होगा। इसको टर्मीनेट (समाप्त) होना चाहिये। किसी सिटिंग के माने यही होते है कि अगर सेशन या पार्लियामेन्ट या लेजिस्लेचर्स प्रोरोग न हुआ तो दूसरा सेशन शुरू नहीं होता। अगर सिटिंग एक दफा हो कर दूसरी सिटिंग होगी तो वह उसी सेशन के इनकन्टीन्युएशन (क्रम से) होगी और उसी के सिलसिले में होगी जो कि पहले हो चुका था और उस वक्त एड्रेस की जरूरत नहीं होगी इसमें कोई इंवैलिडिटी (अवैधता) मेरी समझ में नहीं आती है या कांस्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है और मैं यह भी नहीं समझता हूं कि हम प्रैक्टिस के खिलाफ कर रहे हैं जोकि हमारे लिये काबिल पाबन्दी भी नहीं है, लेकिन इंगलिस्तान में जारी है। हम इसके भी खिलाफ नहीं करते है।

अभी यहां हाल में हमारे प्रेसीडेंट साहब का एड्रेस जो पिछले सेशन मे हुआ था उसको लेकर पढ़िये और मुलाहिजा फरमाइये कि क्या बिजिनेस आउट लाइन किया गया था और जब दूसरी सिटिंग जारी हुई तो दुबारा एड्रेस नहीं हुआ और उसमें भी जो कार्यवाही हमारे यहां होने वाली है वहां पर भी होने वाली है। यह प्रैक्टिस मैं अपने मुल्क की अर्ज करता हूं और उस जगह की हैं जिसको हमारी स्टेट्स मानती है और उस पर अमल करना ज्यादा मुनासिब समझेगी तो यह उस प्रैक्टिस के खिलाफ है जो इंगिलस्तान में या और जगह जारी होगी।

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

हमारी पार्लियामेंट जो करेगी उसको करने में हम अपनी इज्जत समझेंगे और हम उसी को मुनासिब समझेंगे और गालिबन हमारे लिये यह उस प्रैक्टिस से ज्यादा मुनासिब है, इसलिये मैं उन बातों में जो हमारे दोस्त ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं पाता जिसकी बिना पर मैं यह समझूं कि यह जो कार्यवाही हो रही है वह नहीं हो सकती।

माननीय अध्यक्ष—जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री खुशवक्त राय ने उठाया है उसमें जहां तक मैं समझता हूं कि एक जो बड़ा सिद्धान्त है वह यह है कि हमें इस पर विचार करना है कि आया इस सदन को कोई अधिकार है कि किसी ऐसे काम को भी करे जिसका महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कोई जिक्र न किया हो । हमें अपने संविधान को देखना है। यह तो साफ है कि यह नया सत्र नहीं है और वही सत्र चल रहा है सिर्फ सवाल यह है कि एक सत्र के दौरान में वही चीज हमारे सदन को करना है जिसका जिक्र संबोधन में है या उसके अतिरिक्त और कार्य भी किया जा सकता है यह प्रश्न विचारणीय है।

मैं संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे यह नतीजा निकल सके कि सदन को सिवाय उसके जिसका कि संबोधन में जिक्र किया गया हो और कोई काम करने का अख्तियार नहीं है और मैं इसे कायदे के खिलाफ नहीं समझता। फिर यह बजट भी जो इस आदरणीय सदन के सामने रखा गया है वह कांस्टीटयूशन के अन्तर्गत महामान्य राज्यपाल ने खुद रखवाया है। मै समझता हूं कि यह कायदे के अन्दर है और इस आपत्ति के खिलाफ मैं फैसला करता हूं।

अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों के सम्मिलित रूप से उपस्थित किये जाने पर वैधानिक आपत्ति

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—अध्यक्ष महोदय मैं भी एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहता हूं । यह दूसरी आपत्ति है पहली वाली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ये जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स (अनुपूरक अनुदान) आप के सामने पेश हुई है ये बिल्कुल इर्रेलेवेण्ट (विसंगत) हैं और उनको पेश करने की आप को इजाजत न देनी चाहिये । मैं इसलिये कहता हूं कि मैंने उनको गौर से पढ़ा है । इसमें सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में एक्सेस टोकेन ग्रांटस (अतिरिक्त प्रतीक अनुदान) हैं और सप्लीमेंटरी ग्रांट्स भी हैं। तीनों मखलूत हैं। मैं आपकी तवज्जह कांस्टटीचूशन के अनुच्छेद २०५ की तरफ दिलाना चाहता हूं और यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली मर्तबा मेरे लायक दोस्त खुशवक्त राय ने इस तरफ तवज्जह भी भवन की दिलाई थी और जनाबवाला ने पहले अपनी यह रूलिंग (निर्णय) दी थी। हम लोग इसे एक्सेस ग्रांट समझते रहे और सरकार उसे सप्लीमेंटरी ग्रांट्स समझती रही क्योंकि दोनों के लिये टेक्निकली (परिभाषानुसार) गवर्नर की रिकमंडेशन (सिफारिश) की जरूरत है और चूंकि गवर्नर की रिकमंडेशन मौजूद है इसलिये हम लोग उसको एक्सेस ग्रांट समझते रहे और सरकार उसको सप्लीमेंटरी ग्रांट्स समझती रही। लेकिन बाद को बार बार मेरे लायक दोस्त खुशवक्त राय जी की तवज्जह दिलाने के बाद आपने यह * रूलिंग दी की जो गलती रह गयी हो....

माननीय अध्यक्ष—मैंने यह कहा था कि अगर कोई गलती हो तो माननीय वित्त मंत्री उस पर विचार कर लें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—कोई गलती रह गयी हो तो विचार करने के बाद उसको दुरुस्त कर लें यह आपकी रूलिंग थी । मैं यह पेश करना चाहता हूं कि हर ग्रांट में मैंने देखा कि कांटिजेंसीज फंड (आकस्मिकता निधि) से इसने रुपये ले लिये गये इन एंटिसिपेशन आफ दी सेक्शन आफदी लेजिस्लेचर (विधान मण्डल की स्वीकृति का आशा में)

सप्लीमेंटरी और एक्सेस ग्रांट में फर्क यह है कि जो रुपया सर्फ न हो जिसको सरकार चाहती हो उसके लिये सैंक्शन आव दी लेजिस्लेचर ले उसे सप्लीमेंटरी ग्रांट कहते हैं और अगर सरकार कांटिजेन्सी फंड से रुपया लेकर खर्च कर चुकी हो उसे एक्सेस ग्रांट कहते हैं। मेरा अपना खयाल यह है कि सारा रुपया कांटिजेन्सी फंड से क्यों कि खर्च किया गया है तो जब वह भवन उसको सैंक्शन कर देगा तो उसका रिफंड कांटिजेन्सी फंड में चला जायगा। सबसे ज्यादा दिक्कत यह होती है कि सप्लीमेंटरी और एक्सेस ग्रांट्स का अलग-अलग जिक्र होता तो इस सदन के सदस्य समझ सकते कि कौन सी सप्लीमेंटरी ग्रांट है, कौन सी एक्सेस ग्रांट है। इसलिये मैं आपको अनुच्छेद २०५ सुनाना चाहता हूं। उसमें साफ तरीके से रखा गया है --

"205. (1) The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess as the case may be."

[२०५--(१) यदि--

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है।

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।]

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि एक ही स्टेटमेंट के अन्दर यह दोनों चीजें आगई यानी एक्सेस और सप्लीमेंटरी ग्रांट दोनों आ गई। अब जब कि यह एक्सेस और सप्लीमेंटरी ग्रांट का स्टेटमेंट अलग-अलग नहीं आया तो यह चीज इर्रेगुलर (अनियमित) है। तो मेरी दरख्वास्त आप से यह है कि आप इसको पेश करने की इजाजत न दें जब तक कि एक्सेस और सप्लीमेंटरी ग्रांट का स्टेटमेंट अलग-अलग न आये। इससे भवन के सदस्यों को यह पता नहीं चल सकता कि कितना एक्सेस ग्रांट में है और कितना सप्लीमेंटरी ग्रांट में है। यह चीज जो पेश की गई है वह गुमराह करने वाली है और नामुकिम्मल है।

माननीय अध्यक्ष--इसमें माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि यह दोनों चीजें अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान अलग-अलग होना लाजिमी है। तो वह देखेंगे कि आर्टिकिल

[माननीय अध्यक्ष]
२०५ के दोनों सब क्लाजेज (ए) और (बी) में दी हुई किसी एक या दोनों सूरतों में एक अलग स्टेटमेंट (Staetment) रखा जाना चाहिये। उन सूरतों में सालाना बजट के स्टेटमेंट से अलग एक स्टेटमेंट की जरूरत है। यह नहीं है कि इन दोनों का अलग-अलग स्टेटमेंट हो, अलग-अलग स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं मालूम होता। जिस स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर है वह इन दोनों के लिये अलग-अलग स्टेटमेंट का नहीं है बल्कि सालाना बजट स्टेटमेंट से अलग स्टेटमेंट का है। जिस तरह से यहां पर यह मांग रखी गई है वह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर असम्बली सभापति समिति के सदस्य श्री अब्दुल गनी अन्सारी पीठासीन हुये।)

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री ई० एम० फिलिप्स--जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने इस वक्त पेश किया गया है उसके मातहत जितनी बातें हैं जो गवर्नमेन्ट तक पहुंचना चाहिये मैं उनको पेश करना चाहता हूं। पहली बात जो बहुत काबिलेदीद है वह यह है कि इतना बड़ा सप्लीमेंटरी बजट कभी अब से पेश्तर कम से कम इन चन्द सालों में जैसा की मालूम हुआ है बड़े अरसे से पेश नहीं किया गया।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--पहले २३ करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट पेश हो चुका है।

श्री ई० एम फिलिप्स-- एक बात यह कहना चाहता हूं कि एक बजट पेश पेश हुआ था और दूसरा यह सप्लीमेंटरी बजट है। इसी साल एक बजट १५ दिन हुए पेश हुआ था और एक अब पेश किया जा रहा है। मेरे खयाल से पुराना तरीका जो था वह ऐसा था कि यह बजट सितम्बर या अक्तूबर के महीने में पेश किया जाता था ताकि असली हालत जो है उसको समझने में किसी तरह से कोई तकलीफ न हो। मैं आपके जरिये से श्रीमान् जी गवर्नमेन्ट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो तरीका सरकार ने अख्तियार किया है वह नाजेबां है।

दूसरी बात जिसके मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि जो जनरल अनस्टेडी इकानामिक सिच्वेशन प्राविन्स में (राज्य में सामान्य अदृढ़ आर्थिक स्थिति) है जिसकी तरफ पिछले बजट के मौके पर मुख्तलिफ मेम्बरों ने तवज्जह दिलाई थी उसके मुताल्लिक हमारे माननीय मंत्री ने कोई ऐसा तरीका इस वक्त पेश नहीं किया जिससे यह मालूम हो कि आइन्दा वह इसके मुताल्लिक क्या करने का विचार रखते हैं। पब्लिक बहुत दुखी है खुराक की कमी है और कपड़ा बिलकुल नहीं मिलता और इतनी तंगदस्ती है कि जिसकी वजह से परेशानी तरह-तरह की होती है और यह तकलीफ न सिर्फ उस पब्लिक को ही है कि जो छोटे मजदूर हैं बल्कि उन लोगों को भी है कि जो तनख्वाहदार हैं। मैंने पिछली मर्तबा भी अर्ज किया था कि हमारे मुलाजमीन सरकार में से बहुत से ऐसे हैं जिन को दो हारटी मील या अच्छी तरह से दो खाने एक दिन में नहीं मिलते। इसके मुताल्लिक जरूरत है कि गवर्नमेंट तवज्जह करे और बतलावे कि वह क्या आइन्दा करना चाहती है या क्या करेगी। यह चीज बजट में कहीं नहीं दिखलाई देती और न यह हमें पता चलता है कि सरकार इन दुखों को किस तरह से दूर करना चाहती है। यह कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो आज ही आप के सामने आयी है बल्कि इस तरफ आप को तवज्जह एक मर्तबा नहीं बल्कि दो-तीन सालों में कई मर्तबा दिलाई जा चुकी है और यह एक ऐसी बात है कि जिसकी तरफ तवज्जह करने से सूबे में एक अमन की सूरत पैदा हो सकती है।

मैं ग्रो मोर फूड कम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हर शख्स जानता है कि यह एक बहुत ही जरूरी मसला है और करोड़ों रुपया इस मद में खर्च होता है। ऐसी-ऐसी चीजों की तरफ तो गवर्नमेंट ने तवज्जह दी कि सड़कों के नाम बदल दिये जायें। स्टेट्समैन पर लिफ्टमेंट रूम के बजाय "भोजनालय" हो जाय। ऐसी ज्यादा बातें की जाती हैं जिनमें अगर देखा जाय तो बहुत रुपया जाया किया गया है और अगर इतनी तवज्जह ग्रो मोर फूड कम्पेन की तरफ दी जाती तो यकीनन बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। न मालूम यहां ग्रो मोर फूड कम्पेन कैसा है और कहां तक ... रिवर बेड्स (नदियों की घाटें) को काम में चेंज किया (परिवर्तित किया) गया है लेकिन हमारे यहां जमुना वगैरह के किनारे ऐसे ही बेकार पड़े हैं, उनमें यहां कुछ भी नहीं किया गया है और मालूम किया गया तो यह काम हमारे यहां जीरो (शून्य) के बराबर है। इस तरफ भी सब से ज्यादा और सब से पहले तवज्जह करने की जरूरत थी। पानी को ऊपर उठाया जाता और जमीन को हमवार करके ऐसी तरक्की दी जा सकती थी कि जिससे पैदावार बढ़ती। चेयरमैन साहब, मैं आप के जरिये गवर्नमेंट का तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि सैकड़ों एकड़ जमीन आप के पास पड़ी हुई है और इस तरह से एक-एक कलेक्टर और कमिश्नर का जो हद है वह इतनी कम है कि अगर एक नगर बसा दिया जाय तो बस सकता है। लेकिन उस तरफ तवज्जह नहीं दी गयी कि उधर भी ग्रो मोर फूड की मद को कनवर्ट (परिवर्तित) कर दिया जाता इससे पब्लिक का या मुलाजमीन सरकार का ही फायदा होता या अगर किसी का फायदा न होता तो कलक्टर साहब का ही होता।

एक और बात जिसकी तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारी हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि हम इस तरीके से काम करें जो कि वेस्टर्न कन्ट्रीज (पश्चिमी देश) करते हैं। इंगलैंड और अमेरिका में काम करने का जो तरीका है, वह दूसरा है। हमारे यहां जो प्रोपेगैंडा डिपार्टमेंट (प्रचार विभाग) है और जिस तरीके से उसका काम हो रहा है उसमें बहुत सा खर्चा इस तरीके का हो रहा है जोकि नहीं होना चाहिए। मैं अपने माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाता हूं कि यह काम जो गैर मुमालिक में होता है वह पब्लिक के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अमरीका में तो यहां तक है कि जो रेडियो है उसके ऊपर कोई लाइसेंस नहीं है और जो पब्लिक के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वही उसे हैंडिल करते (देखते) हैं और उन्हीं का काम प्रोपेगैंडा का है। वह गवर्नमेंट से उस काम को ले लेता है और जो कुछ गवर्नमेंट प्रापेगैंडा करना चाहती है उसको वे कर देते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो इस डिपार्टमेंट के मातहत बहुत सी मोटरें हैं। मोटर का खर्च इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के बारे में कहा था, इस वक्त मैं आप के जरिये से, चेयरमैन साहब, अपनी लायक गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाता हूं कि इस डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा मोटरें हैं और इतना ज्यादा पेट्रोल का खर्च है और इतनी फिजूलखर्ची हो रही है कि अगर इसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी जाय तो यह मालूम हो जायगा कि कम से कम इसका आधा खर्च तो जरूर ही कम हो सकता है। मैं इस वक्त कोई डिटेल (विवरण) में बयान करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि कहां-कहां मोटरें इस्तेमाल की गयीं और कितनी शादी ब्याह में लग गयीं लेकिन यह सब ऐसी बातें हैं कि जो भी कहा जाय वह गलत नहीं है बल्कि सही है और इसकी तरफ विचार करने की जरूरत है ताकि सही तरीके के ऊपर खर्च में कमी की जा सके। यह भी काबिले अर्ज है कि कांग्रेस पार्टी के जरिये से जितना प्रोपेगैंडा किया गया है वह गलत है। किसी पार्टी के मातहत इस तरीके से प्रोपेगैंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोपेगैंडा तो जो प्रोपेगैंडा डिपार्टमेंट कायम है उसके जरिये से होना चाहिए। पार्टी को इस तरह से रुपया देकर काम लेने से यह नहीं मालूम होता कि कितना काम कांग्रेस पार्टी का हुआ और कितना गवर्नमेंट का वह काम हुआ जिसको कि वाकयी होना चाहिए था।

[श्री ई० एम० फिलिप्स]

मैं आप की तवज्जह चन्द डिपार्टमेंट्स की तरफ दिलाता हूं जिसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह की जरूरत है। पहला डिपार्टमेंट जिससे मुझे उन्सियत भी है वह पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट के मातहत, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ यह तवज्जह करने की जरूरत है कि इस डिपार्टमेंट को ऐसा कर दिया जाय कि इसकी भावना यह हो कि हम सर्विस को हाइयेस्ट स्टैंडर्ड (उच्चतम स्तर) के ऊपर करेंगे। मैंने आप के सामने बयान करने के लिए इस वक्त एक बात सोची है और वह यह है कि मुझे इंग्लैंड में अन्डर ग्राउंड (पृथ्वी तल) रेलवे देखने की जरूरत हुई। मैंने जो इसको जानना चाहा कि कैसे देखूं तो यह मालूम हुआ कि पुलिस वाले की मदद के बिना नहीं देख सकता, चूंकि वहां बहुत शकूक किये जाते हैं कि यह कौन है। यस्टन स्क्वायर के ऊपर मैंने एक पुलिस वाले से यह कहा कि तुम मुझे यह दिखला दो उसने कहा कि १२ बजे तुम मेरे पास आओ तो मैं जरूर दिखला दूंगा। वह १२ बजे आफ ड्यूटी हो कर ६ बजे शाम तक मेरे साथ रहा और उसने दिखाया। शाम को विक्टोरिया स्टेशन से निकलते हुए मैंने उसे १० शिलिंग का टिप (पुरस्कार) देना चाहा तो उसने कहा कि—

"If suited booted gentleman like you wants to make us corrupt how can we correct our country?"

(यदि सूट-बूट पहने हुए आप के समान सज्जन हम लोगों से भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं तो हम अपने देश का सुधार किस प्रकार कर सकते हैं।)

हमें यह देखना है कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसा हाई स्टैंडर्ड काम का हमारी पुलिस का होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वालों को अभी यह एहसास नहीं हुआ है कि मुल्क हमारा है, हमें इसे दुरुस्त करना है और अपने जहन को इस बात पर लगा देना है कि किस तरीके से हम पुलिस की सर्विस करें। यहां वे तरीके अख्तियार करने चाहिएं कि जो कुछ पुलिस के सामने इक़बाल किया जाय वह अगर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान किया जाय तो वह मयस्सर हो और मैजिस्ट्रेट इस बात का यकीन कर सके कि यह सही है। इस वक्त तक इसके मातहत कुछ नहीं किया गया। उसके मुताल्लिक जो बात कही गयी थी कि हम कंस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) काम करेंगे वह भी अभी तक हुआ ही नहीं बल्कि शुरू भी नहीं किया गया है। वह तभी उम्दा हो सकता है और उसके उम्दा नतीजे तभी निकल सकते हैं जब कि आप पुलिस की तनख्वाहें इस तरीके से रक्खें कि उनके रोजमर्रा के अखराजात और जरूरियात पूरी हो सकें। मैं अपनी गवर्नमेंट को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी पुलिस का जो कांस्टेबिल है उसे हमारे लेबरर (श्रमिक) से कम तनख्वाह मिलती है। आज तीन रुपये रोज से कम पर लेबरर नहीं मिलता। हमारी पुलिस के कांस्टेबिल की तनख्वाह ३० या ३५ रुपये है। जो गिरानी का एलाउन्स जोड़ कर ६०/६५ रुपये होती है। वह २४ घंटे का मुलाजिम होता है और वह नहीं जानता कि २५वें घंटे में उसे आराम भी मिलेगा या नहीं। गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे पुलिस का काम अच्छा हो सके। वह तभी हो सकता है जब कि उनका दुख दूर किया जाय। पुलिस में खराबियां हैं, हम जानते हैं। मुझे एक ऐसा वाकया मिला कि एक पुलिस वाले ने मेरे सामने रिश्वत ले ली और मैं अपने आपसे मुंह फेर कर चला गया, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं इस शख्स की रिपोर्ट करता हूं तो यह बरखास्त हो जाता है और अगर नहीं करता हूं तो पब्लिक को दुख है। मगर मैं खामोश रहा और यही तय किया कि रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी इस कमजोरी को महसूस करता हूं। इसकी मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे माननीय मंत्री जी इसके मुताल्लिक बतला

है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे इस जमाने में एक दिवानी के मुकद्दमे में मसरूफ होना पड़ा, पेशकार की यह खबर मुझे मिली कि वह हमारे वकील से कुछ मांगता था। मैंने कहा कि आप कुछ न दें। मुकद्दमा खत्म हुआ और मैंने ५ रुपया उसको इनाम के तरीके पर भेज दिये। मैं जानता हूं कि आप लोग इसे गलत समझेंगे।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—किसे ?

श्री ई० एम० फिलिप्स—यह नहीं बतलाऊंगा कि वह कहां का है। मैंने वह भेज दिये और उसने ले लिया, मगर मैं समझता हूं कि मैंने रिश्वत नहीं दी, इनाम दिया। मुकद्दमा खत्म हो गया, मगर मैंने यह सोच कर दिया कि इस शख्स को और कोई आमदनी का जरिया नहीं है। मैं इन चपरासियों को देखता हूं जो आप के साथ रहते हैं। जब पहले हम और आप मिलने आते थे तो १ रुपया इन्हें देते थे तो इनका काम चल जाता था। अब आप के सामने इनकी दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाय। आप इसके मुताल्लिक क्या कर रहे हैं ? यह दिक्कत दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह चपरासी और पुलिस के कांस्टेबिल बराबर तनख्वाह पाते हैं। इस तरह यह चपरासी और पुलिस के कांस्टेबिल एक ही जुमले में हैं और इस तरफ आपको तवज्जह देना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जिसके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं वह ट्रांस्पोर्ट के मुहकमा के मुताल्लिक है। ट्रांस्पोर्ट के मुहकमा के मुताल्लिक गवर्नमेंट ने जो गलती की है, उस गलती को गालिबन गवर्नमेंट ने अब महसूस कर लिया होगा। जब ट्रांस्पोर्ट बिल यहां पास हुआ था, उस वक्त पूरे हाउस की यह पुकार थी कि ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट को आप गलत तरीके से हैंडिल कर (चला) रहे हैं। मुझे याद है कि कांग्रेस की तरफ से भी और नीज उस एडवाइजरी कमेटी (परामर्शदात्री समिति) में भी, जिसका मैं भी एक मेम्बर था, यह डिमांड की गयी थी कि पब्लिक को साथ लेकर के आप ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट को चलाइये, लेकिन आप ने एक बिल यहां इस तरीके से पास कराया जिसकी जरूरत नहीं थी और वह भी उस वक्त जब कि हाई कोर्ट ने आप के ऊपर बहुत से एतराजात किए थे और जजमेंट आप के खिलाफ पास किये थे। आप ने उस बिल को पास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ ? सेंटर को एपरोच करना (केन्द्र के पास जाना) पड़ा। सेंटर को एपरोच करके यह दिखलाना पड़ा कि यह गलतियां हैं जो कि गवर्नमेंट से हो रही हैं। अब सेंटर ने इसका एनाउंसमेंट (घोषणा) कर दिया है कि हम यह चाहते हैं कि इस तरह के जितने डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ले उनको कारपोरेशन की शक्ल में तब्दील करके चलाये। जो ऐडहाक कमेटी की रिपोर्ट ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के सिलसिले में है, उसको इस वक्त तक गवर्नमेंट लिए बैठी है और उस पर वह अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज को हम ऐसी शक की निगाह से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरफ हम गवर्नमेंट की तवज्जह दिला करके यह चाहते हैं कि इस सिलसिले में दूसरा अमेंडिंग (संशोधक) बिल ला करके और कारपोरेशन बना करके काम किया जाय। आपने इसके अन्दर ऐसे आदमी रख रक्खे हैं जो कामर्शियल और मेकेनिकल लाइन से बिल्कुल वाकफियत नहीं रखते हैं। इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है।

मुझे और बहुत से डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक कहना था लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं बैठ जाऊंगा। मैं समझता हूं कि मेरे और लायक दोस्त उनकी तरफ आप की तवज्जह दिलायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र—श्रीमान् चेयरमैन साहब, आज जो हमारे सामने अनुपूरक मांगें पेश हैं उनके संबंध में पहले तो मुझे निवेदन यह करना है कि यह हमारे संविधान के लागू होने के बाद पहला वर्ष है जब कि हम बजट को और बजट के संबंध में अनुपूरक मांगों पर पहली

[श्री कृष्ण चन्द्र]

दफा इस संविधान के अंतर्गत विचार कर रहे हैं । ऐसे तो पिछले वर्ष जब बजट पेश हुआ था और जब अनुपूरक मांगें पेश हुई थीं, उस वक्त भी संविधान लागू हो चुका था, लेकिन चूंकि इस वक्त वह कुछ ही महीना पहले लागू हुआ था, इस वास्ते हमने वह तरीका इस्तेमाल किया जो तरीका हम अभी तक इस आदरणीय सदन में इस्तेमाल करते रहे हैं । अब इस बार हमारे लिए यह पहला मौका है कि हम संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार इस आदरणीय सदन को प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में बजट के मुतालिक और गवर्नमेंट की जो शासन संबंधी नीतियां हैं उनके नियंत्रण के मुतालिक जो इस आदरणीय भवन को पूरे अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हम किन प्राक्करण संस्थापन अपने इस देश में और अपने इस प्रदेश में करें, हमारे लिए उसका यह अवसर है। अनुपूरक मांगों को जो सरसरी तौर पर मैंने पढ़ा, उस अध्ययन से मेरे दिल पर जो बातें नक्श हुईं उनका, श्रीमन्, मैं यहां पर जिक्र करूंगा और उन्हीं के संबंध में कुछ तफसीली बातें मैं इस आदरणीय भवन के सम्मुख निवेदन करूंगा । पहली बात जो मुझको मालूम हुई वह यह है कि अनुपूरक मांगों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि जितनी ज्यादा तौर पर मदों में अधिक रुपये की मांग की गयी है वह मदें बहुत सी ऐसी मदें हैं जो नार्मल (साधारण) खर्च की मदें कही जा सकती हैं और उनमें जैसा कि हमारा इस्टैबलिशमेंट है, जैसा हमारा अमला है, हमारे सरकारी अहलकार हैं एक विभाग के अन्दर, उनकी तनख्वाहों का जो खर्चा है वह हमारा नार्मल खर्चा है । उनमें अगर गवर्नमेंट बजट पेश करते समय कोई कटौती करती है तो वह इस ख्याल से करती है कि गवर्नमेंट की नीति है कि वह किफायतशारी से काम ले, एकोनोमी करे । जब भवन गवर्नमेंट की कटौती पूर्ण उस मांग के ऊपर विचार कर के उसको पास करता है तो उसका मतलब यह हो जाता है कि यह किफायतशारी या मितव्ययता सरकारी अहलकारों के ऊपर जो रुपया खर्च किया जाता है उसमें अमल में आवे । लेकिन मैं यह देखता हूं कि अनुपूरक मांगों में, नार्मल खर्च की मांगों में जो अभिव्यक्ति हुई है उससे साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि गवर्नमेंट की जो नीति थी कि वह किफायतशारी करे, एकोनोमी करे जिसका समर्थन इस आदरणीय भवन ने किया था, उसका अमल बराबर नहीं हो पाया । उसका एक ही मतलब निकल सकता है, वह यह कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का नियंत्रण खर्चे के ऊपर नहीं है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और वित्त मंत्री का होना चाहिए । माननीय महोदय, इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि फाइनेंस का मुहकमा किसी भी गवर्नमेंट के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण मुहकमा कहलाता है । उसी मुहकमे के ऊपर गवर्नमेंट के काम और गवर्नमेंट के कामों की सफलता बहुत हद तक निर्भर है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उनकी सफलता रुपये के ऊपर ही निर्भर है और रुपये का उचित कामों के खर्चे के लिए मयस्सर होना इस बात पर निर्भर है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रोल, कितना नियंत्रण खर्चों के ऊपर है।

मैं इस संबंध में बहुत सी मिसालें आप के सामने इस अनुपूरक अनुदान के संबंध में पेश नहीं करूंगा क्योंकि न उसके लिए वक्त है और न उसका करना ज्यादा जरूरी है लेकिन चन्द उदाहरण सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के सम्मुख अवश्य उपस्थित करूंगा । पृष्ठ संख्या ६ अनुदान ९ पर इर्रीगेशन वर्क्स मेट फ्राम रेवेन्यू (सिंचाई के निर्माण कार्य जिनका व्यय राजस्व से पूरा किया जाता है) विभाग की मांग थी २८ लाख रुपये की और गवर्नमेंट के प्रस्ताव के मुताबिक इस आदरणीय सदन ने बजट में २५ लाख ८४ हजार रुपये मंजूर किये हैं। यानी २ लाख १६ हजार रुपये कम गवर्नमेंट के प्रस्ताव के अनुसार इस आदरणीय सदन ने स्वीकार किये थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि अनुपूरक मांग की जो अतिरिक्त खर्च की मांग है वह तीन लाख रुपये की है । तो इस आदरणीय सदन ने गवर्नमेंट के प्रस्ताव के मुता-

जिस को २ लाख १६ हजार की किफायत करना मंजूर किया था वहां हम देखते हैं कि बजाय इस किफायत के तीन लाख की मांग अब की जा रही है यानी जो किफायतशारी इसने की थी उस किफायतशारी को भी खत्म कर दिया गया और उसके अलावा और चालीस पैंतालीस हजार रुपये खर्च कर दिये गये ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अनुपूरक मांगों को देखने से पता चलता है कि नार्मल खर्चे में जो बढ़ोती हुई है उस का कारण यही हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का नियंत्रण खर्चे पर कम है । मैंने एक मिसाल दी थी । अब मैं ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा । मेरे पास इस किस्म की दस मिसालें मौजूद हैं । पृष्ठ संख्या ८, अनुदान संख्या १०, इरींगेशन ऐण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट (सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना) बजट में मंजूर किया गया था २ करोड़ २१ लाख ६५ हजार रुपया और अब मांगा है ११ लाख, २६ हजार और यह जो इस्टैब्लिशमेंट के खर्चे के लिए है जो नार्मल खर्चा कहलाता है और उसके अन्दर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि इसकी वृद्धि के जो कारण हैं उनमें से एक यह भी कारण है कि जो नये मुहकमे खोले गये थे, उनका जो इरादा था कि उनको निरस्त कर दिया जायगा, उनको निरस्त नहीं किया जा सका । एक और मिसाल दी गयी है यमुना कांस्ट्रक्शन (निर्माण) सर्किल की । इसके बारे में बजट के अवसर पर गवर्नमेंट ने तय किया था कि पहली जुलाई को यह खत्म हो जायगा । लेकिन वह पूरे साल तक कायम रहा । तीसरी मिसाल है पृष्ठ सं० ५०, अनुदान संख्या ३०, यातायात और उसमें "डाइरेक्शन" (संचालन) की जो मद है यानी व्यवस्था की मद है उसमें भी इस्टैब्लिशमेंट है। उसमें पहले था १३,८४,७०० रु० और अब मांगा है १,८७,००० रु० । इससे भी मालूम होता है कि नार्मल खर्चा जो करना चाहते थे वह नहीं हो सका । कुल ऐसी मदें जो मेरे पास हैं उनका टोटल आता है ८० लाख रु० और अनुपूरक मांगों में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर (राजस्व-लेखा) की जो मांग है वह दो करोड़ सैंतीस लाख बयासी हजार रुपये की है। इसमें से ८० लाख रु० की मांगें ऐसी हैं जो नार्मल खर्चे की हैं जिनको गवर्नमेंट ने कम करने को सोचा था, लेकिन वहां किफायतशारी अमल में नहीं आ सकी । अनुपूरक मांगों से पता चलता है कि बजट के इस मौके पर इस आदरणीय सदन ने जिस नीति को स्वीकार किया था उस नीति का पालन गवर्नमेंट कुछ कारणों से नहीं कर सकी । मिसाल के तौर पर आप पृष्ठ संख्या १३, अनुदान संख्या १३, पंचायत विभाग और ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) का थर्ड (मद) आइटम देखिये । उसमें १२ लाख रुपया की अनुपूरक मांग दी गयी है जो गांव पंचायतों के सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाहों को देने के लिए । बजट के अवसर पर जब यह मसला इस आदरणीय सदन के सामने था तो कितने ही माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि काफी पंचायतों के जो नयी कायम हुयी हैं सेक्रेटरियों की तनख्वाहों का बोझा शुरू से लादना नामुनासिब होगा । उनको थोड़ी सी उम्र में ही उनको कुचल देना होगा । तब भी गवर्नमेंट ने आदरणीय सदन को इस मांग को मंजूर नहीं किया और यह गवर्नमेंट ने बजट में रखा कि हम इस प्रकार तो रुपया नहीं दे सकते लेकिन हम उनको कर्जे के तौर पर देंगे। माननीय महोदय, जब भवन ने यह मांग स्वीकार की थी तब उसके अमल में लाने में गवर्नमेंट को दिक्कतें आयीं जैसा कि मेमोरेंडम में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने लिखा कि सेक्रेटेरियों को गवर्नमेंट अनुदान के रूप में तनख्वाह नहीं देगी तो नतीजा खराब होगा। तब गवर्नमेंट को यील्ड करना पड़ा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की मांग यह थी और इसमें गवर्नमेंट को दिक्कतें हुईं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस

[श्री कृष्ण चन्द्र]

के लिखने पर गवर्नमेंट ने मान लिया तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है।

पृष्ठ संख्या १६, अनुदान संख्या १६ पुलिस, इसमें प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी पर ११ लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। इस बजट में इस आदरणीय सदन ने जो नीति मंजूर की थी, वह पी० आर० डी० और प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के लिये मंजूर की थी। गवर्नमेंट का कांस्टेबुलरी के खर्चे में किफायत का प्रस्ताव था लेकिन इसको गवर्नमेंट अमल में न ला सकी और खर्चा ज्यादा हुआ। इसको पूरा करने के लिये ९ लाख रुपया पी० आर० डी० की मद में से, जो आदरणीय सदन ने पी० आर० डी० के लिये मंजूर किया था, इसमें बचत कर के आर्म्ड कांस्टेबुलरी पर खर्च किया और यह बतलाया गया कि पी० आर० डी० का इस साल कैम्प नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यह प्रान्तीय रक्षक दल वैसे ही बहुत कमजोर है, इस पर गवर्नमेंट की निगाह बहुत कम है तो इस तरह जो पी० आर० डी० के लिये खर्चा मंजूर होता है उसमें से काटने की नीति मुनासिब नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा और वह यह है कि अनुदान संख्या ५०, पृष्ठ ७६ लोन्स एंड एडवांसेज (ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण) इसके मेमोरेंडम से पता चलता है कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी जो सुपरसीडेड (अवक्रान्त) म्युनिसिपैलिटी है, उसके लिये गवर्नमेंट ने ५ लाख रुपये के कर्जे देने की व्यवस्था की है। ३२ लाख रुपया ११० म्युनिसिपैलिटीज के लिये हैं यानी उनको लोन देने के लिये रखा गया है तो इनमें से ५ लाख लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के लिये निकल गया और २७ लाख बाकी म्युनिसिपैलिटीज के लिये था। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने गवर्नमेंट पर जोर दिया और यह कहा जैसा कि बतलाया गया है कि ९ लाख रुपये के कर्जे की मांग पूरी होनी चाहिये नहीं तो वाटर वर्क्स की योजना में दिक्कत होती। गवर्नमेंट ने ९ लाख रुपये लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के लिये मजीद मंजूर किये हैं यानी १४ लाख रुपये अकेले लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को दिये गये। कुल ११० म्युनिसिपैलिटीज थीं जिनके लिये ३२ लाख रुपये के कर्जे की व्यवस्था की गयी थी। उसमें से इतना रुपया तो अकेले लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को दे दिया गया जो हाउस ने मंजूर नहीं किया था। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी चीज गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिये। गवर्नमेंट की नीति तो यह है कि जो छोटे शहर हैं या गांव हैं उनके स्वास्थ्य की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान ज्याद है, उनको मदद दी जायगी न कि बड़े-बड़े शहरों को। तो मेरा निवेदन यह है कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी है। जो वजह लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के बारे में बतलायी गयी कि उन्होंने एक योजना चला रखी थी और उस योजना को बीच में छोड़ना नुकसानदेह होता तो दूसरी म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी अगर आप देखें तो यह वजह बतलायी जा सकती थी। कई योजनाएं उनके लिये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने मंजूर कर रखी थीं, वे बीच में थीं। तो जो वजह लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के लिये दी जा सकती थी वह दूसरी म्युनिसिपैलिटियों के लिये भी दी जा सकती है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि हाउस के सामने कुछ ग्रांट्स आती हैं और कुछ ऐसी ग्रांट्स होती हैं जो हर एक म्युनिसिपैलिटीज के लिये अलग-अलग होती हैं और हम इस सदन के सदस्य अपनी-अपनी म्युनिसिपैलिटी के लिये जोर लगा सकते हैं, उस वक्त एक चीज मंजूर हो जाती है। फिर उसके बाद एक बड़ी म्युनिसिपैलिटी के लिये उससे जायद रकम देना मैं समझता हूं हमारे लिये उचित चीज नहीं है। इन शब्दों के साथ जो बजट इस सदन के सामने रखा गया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि बजट की मांगों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे और उन बातों पर गौर करके जो मैंने कही हैं एक मुनासिब नतीजे पर पहुंचेंगे।

श्री महफ़ूजुर्रहमान--जनाबवाला, जैसी कि सूबे को जरूरत हो उसको सामने रखते हुए गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी बजट हाउस के सामने मंजूरी के लिये रखे तो यह कोई गैरमुनासिब बात नहीं है, उसको जरूरत के लिहाज से जरूर रखना चाहिये। लेकिन यह जरा गैरमुनासिब बात मालूम पड़ती है कि हर दो महीने के बाद, थोड़े-थोड़े अरसे के बाद बड़ी-बड़ी रकमों के लिये हाउस में मुतालबे रखे जायें। इससे मालूम होता है कि गवर्नमेंट के सामने कोई मंसूबेबन्दी नहीं होती कि वह ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिये सोच कर पूरी तरह से गौर करके एक मुकम्मल चीज एक बार लाये। बहरहाल जिन जरूरतों के वास्ते गवर्नमेंट ने यह बजट पेश किया है वे जरूरतें कहां तक पूरी हो रही हैं, कागज पर कितनी हैं, वाक्यतन कितनी पूरी हो रही हैं, यह एक बड़ी लम्बी बात है और इसके लिये चूंकि अब बजट आ रहा है उस समय तफसील के साथ हमें कुछ कहने का मौका मिलेगा। इस वक्त मैं इस सिलसिले में सिर्फ दो बातों की तरफ गवर्नमेंन्ट की तवज्जह बजूल कराना चाहता हूं और वह भी इसलिये कि जिस गरज से गवर्नमेंट ने इन रकमों की मंजूरी चाही है वह वाकई उसी मसरफ में सर्फ हों और वह काम पूरा हो। रोड कांस्ट्रक्शन के सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो तवज्जह की है बहराइच के जिले में ये सड़कें बनायी जायं और दो लाख दस हजार रुपया गालिबन इस सिलसिले में रखा गया है। मैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उसने इसकी तरफ खास तवज्जह की। वाकया यह है कि सैलाब की वजह से वह इलाका इतना तबाह हुआ है कि दूर से उनकी बुरी हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ६,७ रोज हुए, मैं वहां गया। वहां एक साहब ने हड्डियों को चुनने के बाद उनको लोड करके स्टेशन तक पहुंचाने के लिये कुछ नौकरों की ख्वाहिश की। हड्डियों का जमा करने और उनको उठा कर स्टेशन तक पहुंचाने के लिये ४० आदमी जमा हुए। उनमें से जितने लोग वापस हुए उन्होंने इस बात को कसम खा कर कहा कि अगर उन्होंने ३ दिन से खाना खाया हो तो सुअर का गोश्त खाया हो। तो यह हालत है उस वाकये की जो सैलाब और उनकी फसल बरबाद होने से हुई। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट ने यह जो कदम उठाया है कि वहां की सड़क तामीर की गई यह बहुत मुनासिब कदम है हालांकि इसके लिये बहुत कलील रकम २ लाख १० हजार रुपये की सरफ की गई है। इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट को और नजरसानी करने की जरूरत है। इससे उन लोगों की हालत जो खराब थी उसको बहुत मदद मिलेगी और उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अहसान होगा।

दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है और खासतौर से मैं उसकी तरफ आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आपने सड़क की बनवाई में रुपया सरफ कर दिया यह ठीक है लोगों की तकलीफ इस वक्त रफा हो गयी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा तवज्जह इस तरफ भी करनी चाहिये कि आया वह सड़क कितने दिनों तक कायम रहेगी। पिछले साल जो सैलाब आया था उसके सिलसिले में वहां के रहने वालों का और मेरा जाती भी यह खयाल था कि बहरामघाट के पास जो सड़क बनायी गयी है असल में उसकी वजह से सैलाब का बहराइच में जोर रहा क्योंकि सीधे पानी बहराइच में पहुंचता है। अगर एक तरफ उससे गांवों का फायदा हुआ तो हमारे जिले का बहुत नुकसान हुआ। तो अगर सड़क बनाते वक्त उस मसले पर गौर नहीं किया गया तो फिर वही होगा और बरसात के दिनों में फिर वहां पर सैलाब आयेगा। उससे फिर खेती बारी को नुक-सान होगा और नहीं मालूम पब्लिक वहां पर रह पायेगी या नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट सड़क के बनाते वक्त ही उस पर तवज्जह करे और किसी इंजीनियर को वहां पर भेज कर देखे कि इसके ऊपर तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर उसकी वजह से उस पर कोई असर पड़ता है तो उसका इंतजाम करना चाहिये और उसको देखना चाहिये। एक बात तो मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करनी थी....

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो हुजूरवाला, जनाब के जरिये से मुकर्रिर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या इरशाद फरमाया। इतना जरूर सुना कि किसी सड़क का जिक्र है लेकिन क्या है यह नहीं समझा।

श्री महफूजुर्रहमान--बहराइच बहरामघाट से केसरगंज की तहसील में एक सड़क बननी मंजूर हुई है सिर्फ उन लोगों की इमदाद के लिये कि जो लोग सैलाबजदा हैं यह इंतजाम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह दो लाख दस हजार की रकम इस काम के लिये बहुत कम है और इसमें इजाफा फरमाया जाय। दूसरी बात यह अर्ज कर रहा था कि सैलाब का ज्यादा जोर जो हो रहा है, ख्याल यह है कि बहरामघाट का जो कस्बा है कि जहां आप तशरीफ ले गये थे और जहां आपसे लोगों ने कहा था कि नदी काट रही है और उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिये। वहां रेलवे की तरफ से जो बन्द बंधा है उससे एक तिहाई नदी का पानी सीधा वहां टक्कर लेता है और वह बहराइच जाता है और कहा जाता है कि इस बन्द की वजह से बहराइच जिले को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे रेलवे को इससे फायदा होता हो। लिहाजा आप इंजीनियर्स से तहकीकात करा लें कि आया कि बन्द की वजह से नुकसान हो रहा है और अगर ऐसा है तो तवज्जह करें कि फिर सैलाब न आने पावे। यही २ बातें मैं अर्ज कर रहा था।

इसके बाद मुझे कुछ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज करना है। हैन्डलूम इंडस्ट्री के वास्ते ५० हजार रुपये की रकम रखी गयी है और वह शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया की तजवीज के मुताबिक या वहां जो हैन्डलूम वीवर्स बोर्ड है उस की तजवीज के मुताबिक किया गया है। अगर गवर्नमेंट वाकयी चाहती है कि यह इंडस्ट्री तरक्की करे और हैन्ड-लूम की तरक्की हो तो कब्ल इसके कि वह इस किस्म की एक सरकारी एजेंसी कायम करे जिसमें सिर्फ मुलाजमीन का भत्ता और बड़ी बड़ी तनख्वाहें ही दी जाय बल्कि वह एक ऐसा सही इकदाम करे जिससे गरीब लोगों को नफा पहुंचे। आप देखिये कि खादी की स्कीम है और कितना रुपया गवर्नमेंट का उसमें खर्च होता है और आप देखें कि कितनी तरक्की उसमें हुई है। कितना ज्यादा सूत कतता है और कितना ज्यादा कपड़ा बनता है और कहां तक कपड़े का मसला हल हुआ है। यह हमें देखना चाहिये। गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों में यह होता है कि दफ्तर के काम करने वालों में, उनके वेतन में और जो दफ्तर कायम होते हैं उनमें इतना रुपया सर्फ होता है। यह ५० हजार रुपया इसलिये है कि एक ऐसा मुहकमा कायम हो जाय जो यहां के लोगों को मशविरा दे और नुमायश वगैरा हो जाय। हालत यह है कि यहां सूत की कमी की वजह से कपड़ा तैयार नहीं होता या बहुत कम तैयार होता है तो इस ५० हजार से सिवा इसके कुछ लोगों की परवरिश हो जाय या नुमायश हो जाय और कोई फायदा नहीं होता। हमको देखना चाहिये कि दूसरे मुल्कों में जाकर यहां की चीजों ने तरह तरह की सनदें हासिल की हैं जब कि किसी किस्म की कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी। जिस तरह से मल्लाह के लड़के खुद ही पैरना जानते हैं, जो लोग जो काम करते हैं वह उस काम के माहिर होते हैं और तरह-तरह के डिजाइन वह खुद तैयार करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि बजाय इसके आप यह सरकारी एजेंसी कायम करें आपको चाहिये कि आप बराहेरास्त इस इंडस्ट्री को फैज पहुंचाने और तरक्की देने में इस रुपये को लगावें। इस रुपये को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाय कि सूत चाहे मिलों के जरिये से तैयार कराया जाय या चर्खों के जरिये से और उसे वीवर्स को दिया जाय ताकि वह कपड़ा तैयार कर सकें। मैं समझता हूं कि इस सूरत में ज्यादा फायदा गवर्नमेंट उनको पहुंचा सकती है बजाय इसके यह अफसरों और नुमायशों में सर्फ किया जाय। सोचिये तो कि इस रकम से उन गरीबों का क्या फायदा हुआ जिनके मुताल्लिक पहले भी बहुत कुछ यहां पर अर्ज किया जा चुका है। तो इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि

जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनाये वह सिर्फ यह न देखे कि कागज पर और मुलाजमीन पर कितना खर्च हुआ, बल्कि उसको जायजा लेना चाहिये कि जो वाकई काम करने वाले हैं उनके ऊपर कितना खर्च हुआ। ग्रो मोर फूड कैम्पेन को ही ले लीजिये। इसीसे कुछ नहीं होता कि अफसरों की मीटिंग कर दी और कमिश्नरों से कह दिया कि प्रोपेगेंडा करो। हमारा रुपया जब तक उन काश्तकारों पर नहीं सर्फ होगा जो कि जमीन का सीना चीरेंगे और उसके अन्दर बीज डालेंगे और गल्ला पैदा करेंगे तब तक कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इस इंडस्ट्री के मुताल्लिक मुझे सिर्फ यही अर्ज करना है कि इसके अन्दर जितना रुपया खर्च किया जा रहा है वह उन गरीबों पर नहीं खर्च किया जा रहा है। वैसे तो इस तरफ गवर्नमेंट ने जितनी तवज्जह दी है उसके लिये बहुत शुक्रिया की मुस्तहक है, लेकिन हमारा सुझाव यह है कि ये चीजें सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि जिस गरज से की जा रही हैं वह पूरी हो ताकि पब्लिक का रुपया काम में लगे और लोग सरकार का शुक्रिया अदा करें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से पहले इस बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस भवन में हिन्दी प्रचलित है और मैंने कोशिश भी इस बात की की कि हिन्दी में बजट पढ़ूं ताकि समझ भी सकूं। लेकिन हिन्दी में पढ़ते हुए ५ सफा पर मैंने देखा कि लिखा हुआ है "योग्यता प्राप्त सीनियर असिस्टेंट को ९० रुपये प्रति दिन के हिसाब से १८ दिन के लिये" और उसका टोटल ७५६ है जो किसी तरीके से मिलता ही नहीं है। तब मैंने अंग्रेजी में पढ़ा तो उसमें ठीक लिखा हुआ है। दूसरे मैंने देखा सफा ८२ पर तीन ग्रामीण वर्कशाप पर ६० हजार रुपये प्रति वर्कशाप के हिसाब से ६ लाख रुपये लिखा हुआ है। यह भी मेरी समझ में नहीं आया। फिर अंग्रेजी को उठाया तो उसमें ठीक दिया हुआ है। दस वर्कशाप हों तो ६ लाख रुपये होते हैं। तो मेरी समझ में यह आया कि यह जो हिन्दी में परिश्रम किया जा रहा है कि हिन्दी में करें, इससे तो अच्छा यह हो कि हिन्दी न पढ़ें। सरकार तो यह चाहती है कि हम अंग्रेजी में ही काम करते रहें हिन्दी की तरफ तवज्जह न हो। तो कम से कम इस काम की तरफ मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि हिन्दी जोकि अब अथाराइज्ड वर्जन (अधिकृत संस्करण) है--अंग्रेजी तो एक तरीके से हिन्दी का तर्जुमा है--उसमें ऐसी गलती नहीं होनी चाहिये अंग्रेजी में हो भी जाय तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से और भी कई जगह हैं, मैंने तो आपको सिर्फ दो जगह पढ़ कर सुनाया। तो इस बात की तरफ श्रीमान् के जरिये से मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

श्रीमान, २४ तारीख को सन् १९५१–५२ का बजट पेश होने जा रहा है। आज १९ तारीख है और १९ तारीख को यह ८ करोड़ की सप्लीमेंटरी ग्रांट हमारे सामने है। इसको पढ़ने के बाद यह मालूम नहीं होता है कि इसमें कितनी एक्सेस ग्रांट है, कितनी टोकेन ग्रांट (प्रतीक अनुदान) है और कितनी वाकई में सप्लीमेंटरी ग्रांट है। मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस बात पर तो वह रोशनी डाले कि इसमें सप्लीमेंटरी ग्रांट्स को कौन सी धारायें हैं और कौन सी इसमें टोकेन ग्रांट है और कौन सी ऐक्सेस ग्रांट है। क्योंकि मुझको तो ऐसा मालूम होता है कि आज जब १९ फरवरी को यह सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश हो रही है तो उसका सारा रुपया खर्च हो चुका होगा या मैं यह समझूं कि इन सप्लीमेंटरी ग्रांट के पास होने के बाद रुपया खर्च किया जायगा। अगर ऐसा है तो वह भी हमको मेहरबानी करके बताना चाहिये क्योंकि ज्यादातर इसमें मैंने देखा है कि आनरेरिया, इस्टैब्लिशमेंट डियरनेस अलाउन्स और पटवारियों को कुछ रुपया ३ बरस पहले के लिये दिया गया है और उसकी सप्लीमेंटरी ग्रांट आज रखी जाती है। तो क्या पटवारियों को वह रुपया जो ४२ लाख रुपये के करीब है, दिया गया या नहीं? इस रकम में कितने रुपये का डिसबर्समेंट (भुगतान) होने को बाकी है जो आज या कल जो ग्रांट्स पेश होंगी उनके पास होने के बाद दिया

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

जायगा और कितना कंटिंजेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) से खर्च हो चुका है? मैं तो यह समझता हूं कि यह जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स हैं ये बिल्कुल फर्जी हैं। ऐसा है क्या कि कंटिंजेंसी फंड खर्च हो चुका है और अब जब कि यह सदन इसकी मंजूरी दे देगा तब कंटिंजेंसी फंड में उसका रिकूपमेंट (पूरा) किया जायगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि अगर ऐसा है तो इन सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का पेश करना बिलकुल गलत है। एक्सेस ग्रांट का चार्ट बनाकर इस भवन के सामने रखना चाहिये था और तब हम उस पर कोई बहस भी करते कि बगैर मंजूरी इस भवन के इतना रुपया खर्च कर दिया गया। जब माननीय मंत्री जवाब देंगे तो कम से कम ये आंकड़े तो हम लोगों के सामने बता ही दिये जायें कि कितना कंटिंजेंसी फंड में खर्च हुआ है और कितना अभी डिसबर्स करने के लिये बाकी है।

दूसरा बुनियादी सवाल यह पेश होता है कि इस वक्त इन सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के ऊपर हम क्या बहस करें। २४ तारीख को नया बजट पेश होने वाला है। कोई भी फायदा सरकार को हमारी इस यहां बहस से नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के बजट बना चुकी होगी। हमारी अब इस नुक्ताचीनी का फायदा सरकार नहीं उठा सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि ये सप्लीमेंटरी ग्रांट्स बिल्कुल बेबुनियाद और बेकार पेश की गयी हैं। इनके यहां पेश करने का कोई मकसद ही हो नहीं सकता। हां, अगर यह इसलिये पेश की गयी है कि हमको यह मालूम हो जाय कि बजट भी इसी पैमाइश का होगा तो ठीक है। यही नमूना बजट का भी होगा अगर यह बात सही है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह बजट जो पेश होने वाला है वह जनहित के लिये नहीं हो सकता है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि पहली सप्लीमेंटरी ग्रांट यहां १ करोड़ रुपये की थी। इस तरफ बैठने वालों ने सरकार को बड़ी बधाई दी कि यह तो अबकी मर्तबा हमारी सरकार की सप्लीमेंटरी ग्रांट बहुत कम रह गई। बड़ी सराहनीय बात है। लेकिन १५ दिन के बाद ८ करोड़ का बजट आता है। मैं सरकार से पूछता हूं कि यह पहले क्यों नहीं आया। अगर १ करोड़ का बाद में आता तो समझा भी जा सकता था।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--८ या ७ करोड़?

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--७ करोड़।

श्रीमान्, जिस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता था वह यह है कि जो बजट पेश होने वाला है उसका यह नमूना है। उस मर्तबा तो मैंने माल मंत्री की तवज्जह इस बात की तरफ दिलायी थी कि पियन्स (चपरासियों) की तनख्वाह २५--१/२-३० है लेकिन इस मर्तबा मैं देखता हूं कि वेटरिनरी डिपार्टमेंट में पियन्स की तनख्वाह २०--१/२-२५ रक्खी गयी है, इस तरह १० साल में २५ रु० होंगे और दूसरी तरफ दो हजार और तीन हजार की तंख्वाहें हैं। जरा इस भवन के सदस्य सोचें कि अगर्चे हमारा बजट ऐसे ही पेश होता चला जायगा, एक वर्ष हुआ, दो वर्ष हुए, तीन वर्ष हुए, चार वर्ष हुए और अब भी चार वर्ष के बाद हमारी सरकार चपरासियों की तनख्वाह २०--१/२--२५ रखना चाहती है, तो इसके मानी यह हैं कि उसके ख्याल में अभी दस वर्ष तक इन चपरासियों की तंख्वाह २५ रु० से ज्यादा नहीं होने वाली है, यानी दस वर्ष तक आप कोई कदम गरीबों की गरीबी दूर करने के लिये नहीं उठाना चाहते हैं। हमारे माल मंत्री चले गये, उन्होंने जवाब में उस दिन यह फरमाया था कि चाहता तो मैं भी यही हूं लेकिन जिस दिन उस तरफ के बैठने वाले इस चीज को कर देंगे, उस दिन से मैं उनके पीछे चलने लगूंगा। क्या जवाब है? कितना माकूल जवाब है। सरकार आप बनावें, सरकारी कुर्सियों पर आप बैठें, जिस दिन हम उन

कुर्सियों पर बैठेंगे, उस दिन आप हमसे कहियेगा। आज हम आप से पूछते हैं कि आया आप कोई कदम इस तरफ बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर्चे आप कदम बढ़ाने नहीं जा रहे हैं और जैसा कि मालमंत्री ने कहा कि जब तक कैपिटिलिज्म खत्म नहीं होगा तब तक इस तरफ कदम बढ़ाया ही नहीं जा सकता, तो इसके मानी यह हैं कि जो आयन्दा बजट पेश होने वाला है उसका स्ट्रक्चर (ढांचा) बिल्कुल पूंजीवाद का स्ट्रक्चर होगा और छोटा सा भी कदम सरकार उठाने के लिये तैयार नहीं है। इस पर इस वक्त कोई लम्बी तकरीर करने से कोई नतीजा नहीं है क्योंकि ८ दिन के बाद हमको फिर वही जमीन रौंदना है और इस वक्त की नुक्ताचीनी सरकार को तो कोई फायदा भी नहीं पहुंचाने वाली है। यह दो तीन बुनियादी चीजें मैंने अर्ज कीं और मैं यह चाहूंगा कि सरकार इनका जवाब जरा वाजेह तौर पर देवे कि किस तरह वह यह कहते हैं कि यह बजट जो वह पेश करते हैं वह जनहित के लिये हैं। मैं देखता हूं कि आज उसका स्ट्रक्चर जन–हित के लिये नहीं है, इसकी बुनियाद ही गलत है। अगर गलत बुनियाद के ऊपर कोई महल बनाया जायगा तो ढह जायगा। जब बुनियाद ही गलत है तो सही मकान उसके ऊपर बन ही नहीं सकता है।

मैं दो चार आइटम्स की तरफ सरकार का ध्यान इस सप्लीमेंटरी ग्रांट में दिलाऊंगा और ज्यादा वक्त न लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझको बीस ही मिनट का वक्त मिला है और इसमें मैं पूरी रोशनी इस सप्लीमेंटरी ग्रांट के ऊपर नहीं डाल सकता। सफा १० के ऊपर इसमें लिखा हुआ है,

"25,000 for publictty through the District Congress Committee or or other non-official organisations."

(जिला कांग्रेस कमेटियों या अन्य असरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशन के लिये २५,००० रु०)

यह जेड० ए० एफ० फंड के सिलसिले में २५ हजार रुपये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों को दिये गये और इस भवन के सदस्य जानते हैं कि यह रुपये माल मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों को नहीं बांटे बल्कि सिविल सप्लाइज मिनिस्टर ने यह २५ हजार रुपये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों को दिये। और इसमें यह जो 'अदर आर्गेनाइजेशंस' लिखा हुआ है, मेरा तो आज तक कहीं भी उनसे वास्ता नहीं पड़ा और न मेरे इल्म में है कि महज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अलावा वह कौन सी आर्गेनाइजेशंस हैं जिनको रुपया दिया गया। अगर्चे नहीं दिया गया तो यह अल्फाज क्यों रखे गये कि अदर आर्गेनाइजेशंस? छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। साफ तरीके से लिख दिया जाता कि सरकार हमारी है, जिस एजेंसी से काम लेती है उसको वह रुपया देते हैं। जैसा मेरे नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा था, मैं उसको फिर दोहरा देता हूं कि यह प्रथा आप गलत कायम कर रहे हैं। दूसरी सरकारें जो आपके बाद आएंगी उनके लिये आप यह बहुत गलत नमूना पेश कर रहे हैं। आप २५ हजार देते हैं, दूसरे अपनी आर्गेनाइजेशंस को लाखों रुपया देंगे और इसी तरीके से जम्हूरियत की, प्रजातन्त्र की नींव को आप खोखला बना देंगे।

और भी मैंने इसमें देखा। जेड० ए० एफ० के सिलसिले में इसमें मुख्तलिफ जगह पर कहीं वर्कमैन और लारीज के रिपेयर्स (मरम्मत) के लिये रुपया रखा हुआ है, कहीं पेट्रोल के सिलसिले में रुपया रखा हुआ है। गरज कि कहीं पर से कोई अकेला नक्शा सही नहीं मिलता है कि आखिर इस जेड० ए० एफ० के सिलसिले में किस किस मद से कहां कहां पर रुपया खर्च हुआ। जेड० ए० एफ० एक काम था। सरकार ने

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

उस काम को अपने ऊपर लिया था। उसका अलग एक सीगा बनाना चाहिये था जहां से उसमें सब खर्चा होता। उससे सही आदादो शुमार मालूम होते। यह नहीं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से २ लाख डाल दिया गया, रेवेन्यू में से भी डाल दिया गया। मुख्तलिफ जगहों से इसको ऐसा गोलमाल बना रखा है कि कोई सही अन्दाज न लग सके कि इस जेड० ए० एफ० के फंड के कलेक्शन में कितना रुपया खर्च हुआ। एक मद में यह भी है कि पटवारीज और सेक्रेटरीज और तमाम अहलकारों को एक लाख रुपया इनामात में बांट दिया गया। यह इनामात मेरी समझ में नहीं आये कि यह किसलिये इन पटवारियों और कानूनगोओं को बांटे गये, जब कि उनसे और कोई काम नहीं लिया गया। मैं जानता हूं और तजुर्बे से मैंने देखा है कि यहां तक कि एस० डी० ओ०, कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर्स से जो उनके काम थे वह कोई उनसे नहीं लिये गये और सिर्फ जेड० ए० एफ० का काम लिया गया। तब उनको यह इनामात बांटने की क्या जरूरत थी? मैंने एक मर्तबा और भी कहा था और फिर कहता हूं कि यह इनामात इसलिये बांटे गये कि उन्होंने जबर-दस्ती रुपया वसूल किया। उन्होंने जाकर सख्ती से रुपया वसूल किया और इस बात का उनको इनाम दिया गया। वरना अगर उनका कारे मंसबी था और उन्होंने यह कारे मंसबी अदा किया तब क्या जरूरत थी इन इनामात के बांटने की? और आज जब हमारे प्रदेश की आर्थिक दशा इतनी खराब होती जाती है उस समय इस तरीके के इनामात बांटना कहां तक जायज है, मैं सरकार से पूछता हूं? या तो इनामात बांटने के लिये, गरीब देश है, भूखा देश है, गरीबों को अनाज ही बांट दें। जब भंडार खुला हुआ है तो गरीबों को खाना मिले यह अच्छा है बजाय इसके कि जो तनख्वाहदार हैं उनको इनामात दें।

मेरे भाई श्यामलाल जी ने यह कहा कि वन महोत्सव तो इतना अच्छा कार्य था उसको भी विरोधी दल के नेता ने नहीं छोड़ा, उसकी भी नुक्ताचीनी की। मैं भाई श्यामलाल से यह कहूंगा कि वन महोत्सव भी अच्छा काम है, तालीम भी बहुत अच्छा काम है, गिजा का बढ़ाना भी बहुत अच्छा काम है, स्कूलों और अस्पतालों का खोलना इनको कौन कह सकता है कि यह अच्छे काम नहीं हैं। हर शख्स जानता है कि काम बहुत अच्छे हैं। अगर्चे दरख्त लगाएं, फूलें, सरसब्ज हों, तो उस पर अगर्चे रुपया सर्फ हो तो किसी को ऐतराज की गुंजायश नहीं है। अगर्चे आप गल्ला ज्यादा पैदा करें, स्कूल गांव–गांव में खोलें, अस्पताल गांव–गांव में खोलें उसके ऊपर रुपया सर्फ हो तो किसी को, चाहे इस तरफ बैठने वाले हों, चाहे उस तरफ बैठने वाले हों, ऐतराज नहीं हो सकता। वन-महोत्सव पर जो नुक्ताचीनी की गयी वह तो इसलिये की गयी कि बिल्कुल बेकार रुपया जाया किया गया। कहां दरख्त लगाये गये। बिल्कुल एक नुमायशी चीज की गयी। मकानों में दरख्त लगाये गये। मैं यहां के पचास मकानों को बतला सकता हूं जिनके सहन में जाकर, पपीते, अमरूद, केले के दरख्त लगा दिये गये। वह शुमार में आगये। कचहरियों में, रेवेन्यू कोर्ट्स में लगा दिये गये। तुलसी-पत्र लगा दिये गये। वह भी वन-महोत्सव में आ गये। सरकार यह तमाशा कर रही है और ९९ हजार रुपया खर्च कर दिया। किसी और साहब को सनक उठेगी वह कोई और चीज पेश कर देंगे। शायद वह कहेंगे कि हवन की जरूरत है। हवन करवा दिया जाय। अमीनाबाद पार्क में हवन करवा दिया जाय ताकि इस सरकार के ऊपर जो संकट आने वाला है वह दूर हो जाय। एक लाख रुपया उसमें खर्च कर दिया जाय। श्यामलाल जी उसको भी बुरा नहीं कहेंगे।

जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, वक्त कम है। बजट के वक्त बहुत मौका मिलेगा ताकि हम वाजे तौर से उन चीजों की तरफ तवज्जह दिला सकें। लेकिन दो तीन चीजों की तरफ मैंने जो तवज्जह दिलायी है मैं, १, २, ३ करके आपके

जरिये से माल मंत्री जो यहां मौजूद हैं उनके सामने फिर पेश करना चाहता हूं। पहले मैंने जो कहा था वह बात यह है कि हिन्दी में सही-सही वर्सन आना चाहिए। यह जो अंग्रेजी में सही वर्सन आता है और हिन्दी में गलत आता है यह बड़ी गलत चीज है और उसका सुधार जरूर होना चाहिये आइन्दा से जो लोग हिन्दी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका उत्साह सरकार घटायेगी नहीं बल्कि बढ़ायेगी।

दूसरी बात जो मैंने कही थी वह यह कि हमको साफ नक्शा मालूम होना चाहिये कि कितना रुपया इस सात करोड़ में से डिस्बर्स हो चुका है और कितना इसके बाद डिस्बर्स होगा या सारा अमाउंट (धन) खर्च हो चुका है और जिस वक्त सप्लीमेंटरी ग्रांट पास हो जायगी उसका कंटिजेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) से रिकूपमेंट हो जायगा।

इसके अलावा सप्लीमेंटरी के जिम्न तीन और चार के मुताल्लिक मैंने जो कहा है उनका भी मैं वाजे तौर से जवाब चाहूंगा ताकि भवन के सदस्यों को समझने में दिक्कत न हो।

श्री फूल सिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उस तरफ बैठने वाले साथियों में से जब श्री त्रिलोकी सिंह जी का भाषण हो रहा था मैं उनकी पूरी तकरीर नहीं सुन सका। जो बातें उन्होंने इस सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में कही हैं उनमें से कुछ से तो मैं बिल्कुल इत्तिफाक नहीं करता, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे इत्तिफाक करता हूं मगर दलीलों से इत्तिफाक नहीं करता। मसलन स्कूलों के सम्बन्ध में जो यहां यह कहा गया कि इतने स्कूल खोलना जब तक उनकी इमारतें अच्छी न हों, फर्नीचर ठीक न हो मैं समझता हूं कि हम में से वह भाई जो स्कूलों के खोलने में दिलचस्पी रखते हैं वह इस दिक्कत को महसूस करते होंगे कि यू० पी० में अगर आपको लोअर मिडिल स्कूल खोलना है तो पांच हजार रुपया जमा कीजिये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--यह तो किसी ने नहीं कहा।

श्री फूल सिंह--त्रिलोकी सिंह जी ने कहा है। आपने सुना नहीं होगा। बिल्डिंग अच्छी हो, फर्नीचर हो, लाइब्रेरी हो, इन सब चीजों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी स्कूल में यह तमाम बातें हों तो अच्छी बात है। स्कूल का तो मुकद्दम काम यह है कि वह लोगों में विद्या का प्रचार करे। अगर कोई स्कूल लोगों में ठीक तरह से अच्छी शिक्षा दे सकता है तो फिर यह शर्त लगा देना कि वह स्कूल तभी रिकगनाइज होगा जब उसके पास बिल्डिंग होगी और उसके पास फंड होगा। मैं समझता हूँ कि यह विद्या के प्रचार को थोड़ा रोकना है और अगर हमारी सरकार ने इस तरह की कुछ सख्ती नहीं की है तो वह धन्यवाद की पात्र है। मुझे पंजाब के स्कूलों का तजुर्बा है। जहां मैंने तालीम पाई थी वहां जरूरी नहीं था कि कमरे बने हुए ही हों हम तो चारपाई पर बैठ जाते थे और मास्टर जी कुर्सी पर बैठ जाते थे और उस स्कूल में आठ सौ लड़के थे। डिस्ट्रिक्ट का वह सर्वोत्तम स्कूल था और इतना तो पंजाब में हुआ था। अब यह शर्त लगाना कि इतना रुपया खर्च करो तब कहीं स्कूल की इजाजत होगी मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से जो उन्होंने दूसरी बात वन-महोत्सव के सम्बन्ध में कही और जिसका गोपाल नारायण जी ने भी बड़ा चर्चा किया उसमें दो बातें देखने के काबिल हैं। एक तो यह कि जब वह महोत्सव मनाया गया था तो वह मुनासिब मौका था या नहीं। जो लोग दरख्त लगाने के मामले में वाकफियत रखते हैं वे जानते हैं कि कुछ बरसात होने के बाद दरख्त लगते हैं। बरसात के शुरू में नहीं और जुलाई में तो यू० पी० के लिये मुनासिब मौका नहीं था मुमकिन है दूसरे प्राविंसेज के लिये हो। इसके अलावा देखने की बात तो यह है कि

[श्री फूल सिंह]

दरख्त लगाना इतना कठिन नहीं है जितना कि उसका देखभाल करना कठिन है। असल बात तो यह है कि जितने दरख्त लगाये गये थे उनकी हिफाजत हुई या नहीं देखने की बात तो यह थी। मुझे इस बात का इल्म है कि कुछ जगह डिपार्टमेंट के लोगों ने दरख्त की टहनियां लेकर भेज दिया। लेकिन एक मिसाल को लेकर सारे प्राविंस के ऊपर थोपना या सारे सूबे के साथ और सूबे की सरकार के साथ इंसाफ नहीं है। तो जो वन-महोत्सव के सम्बन्ध में नुक्ताचीनी हुई वह ठीक तरह से नहीं हुई। इसी तरह से कचहरियों में पानी पिलाने की आलोचना हुई। उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि बहुत सारे रेवेन्यू अफसर थे और बहुत सी तारीखें पड़ीं। तो उसका उससे क्या ताल्लुक था। क्या यह मतलब था कि तारीखें चाहे कितनी लगतीं लेकिन पानी एक ही तारीख को पिलाया जाता। तो पानी पिलाने का और तारीखें लगाने का कोई सम्बन्ध नहीं है। पानी पिलाने की जो बात है वह तो बजाते खुद कोई काबिले एतराज चीज नहीं है। लेकिन जहां मैं अपने उन साथियों से इस सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में इत्तिफाक नहीं करता वहां मुझे सप्लीमेंटरी बजट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जिन पर आशंका है। मसलन यह कि यह सिद्ध नहीं है कि ठीक तरह से छानबीन करके और देखभाल करके बजट तैयार हुआ है। मेरे दोस्त प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल पुख्ता नहीं है। मुझे उनसे इत्तिफाक है। मैं आपके ध्यान के लिये एक चीज पेश करता हूँ। कोल्हुओं के लाइसेंस के लिये जो मुहकमा कायम किया गया और जिसके लिये बजट में ६५ हजार का प्राविजन किया गया वह मुहकमा मुद्दतों हुये टूट भी चुका है लाइसेंस आर्डर विदड्रा हो चुका है लेकिन रुपया बजट में प्रोवाइडेड है। मैं नहीं जानता, अगर यह बात छानबीन की गई होती तो यह बजट में कैसे आती।

एक सदस्य—रुपया खर्च हो चुका है।

श्री फूलसिंह—ठीक है खर्च हो चुका है। तो लेने से पहले खर्च हो चुका होगा क्योंकि एक महीने से ज्यादा मुहकमा तो चला नहीं। दूसरी चीज जो मैं आपसे अर्ज करने वाला था वह यह है कि आप इस सप्लीमेंटरी बजट को देखें तो यह आपकी समझ में नहीं आ सकता कि इस चीज की क्या अर्जेंसी (त्वरणीयता) थी। यह कि अगर आप इस बजट की सब मदों को तकसीम करेंगे तो आपको सबसे बड़ी मदद मिलेगी। तनख्वाहों की प्रोफेसर साहब ने इसकी खूब व्याख्या की है। इसके सम्बन्ध में कोई खास अर्जेन्सी की बात नहीं थी अगर मुहकमा शुरू से कायम था तो पहले से ही करना चाहिये था। हां, अगर कोई ऐसी बात हो गई जिसका अन्दाजा पहले से नहीं था और खर्च करना जरूरी था तब तो जरूरत थी। अगर पहले से फोरसी (तर्कित) नहीं किया जा सकता और अर्जेन्सी नहीं थी तब इस समय इसका यहां पर लाना ठीक नहीं है बल्कि अगले साल के बजट में रखना चाहिये था।

मैं ३-४ चीजें और रखना चाहता हूँ। इसके सफे १४ पर नहर स्थापना की मद है जिसमें ४,४२,००० रुपया खर्च किया गया है। लिखा है कि आबपाशी वसूल करने के लिये मजीद स्टाफ की जरूरत हुई। मैं इस पर बहस नहीं करता कि आबपाशी बढ़ी या नहीं। आबपाशी आपकी ५० लाख बढ़ी है और खर्चा आपका ४,४२,००० हो गया है जो साढ़े तीन परसेंट से भी ज्यादा है। मेरा एतराज तो यह है कि जो आबपाशी बढ़ी थी तो वह पिछले बजट में ही बढ़ गई थी इसलिये पिछले बजट में ही इन्तजाम होना चाहिये था। अगर नहीं देखा तो डिपार्टमेंट ने भूल की और इस तरह से इसको यहां लाने का अकेजन (अवसर) नहीं था।

दूसरी बात मैं प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने फरमाया है कि इसकी मदद की जरूरत थी। लेकिन जहां तक मैंने इसके अधिकारियों से

और उन लोगों से जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो एक शख्स भी मुझे यह नहीं बतला सका कि इसका मकसद क्या है? इसकी जरूरत थी उस वक्त जब कि मुल्क में बल्वे हो रहे थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो गई है। अब कहते हैं कि उनसे टिड्डी मरवाओ, दरख्त लगवाओ, जंगल साफ कराओ। मैं नहीं कह सकता कि इस तरह से कोई संस्था चल सकती है। अगर जरूरत है तो जो २५ लाख रुपये का प्राविजन किया गया है तो क्या यह ऐसी बात थी जो मालूम नहीं थी। यह सब आइटम शुरू में ही मालूम हो जाने चाहिये थे। सप्लीमेंटरी बजट में लाना ठीक नहीं है। इसी तरीके से शफाखानों के सम्बन्ध में ब्लैंकेट और दवाओं की बात है। लिखा यह है कि इस साल भेजे जाने चाहिये थे तो यह बात तो पहले से मालूम हो जानी चाहिये थी और यह असल बजट में आनी चाहिये थी। इसको सप्लीमेंटरी बजट में लाने का कोई अकेजन मालूम नहीं होता।

एक और दिलचस्पी की चीज है। कुछ चीजें उल्टी हुई हैं। मस्लन बहराइच में बिजली नहीं थी और वहां के लिये बल्ब्स और फैन्स पहले से ही आ गये हैं। अब यह कहना कि यह आ गये हैं, इसलिये इसका प्रावीजन कर दिया गया है यह नामुनासिब है।

मैं एक बात और इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इस बजट को हमें एक और नजर से देखना है और वह यह कि इससे कामन मैन (सर्वसाधारण) को क्या फायदा होगा? मैं तीन-चार बातें पेश करना चाहता हूँ। पहला आइटम है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स (कृषि सम्बन्धी उपकरण) का। खेती के औजारों पर जो खर्चा होगा यकीनन उससे किसानों को नफा होगा, खेती की पैदावार में बढ़ौतरी होगी और देश की उन्नति होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस आइटम में २,८५,००० रुपये की बचत हो गई है। जो आइटम ऐसा था जिससे मुल्क को नफा होता, पैदावार बढ़ती उसमें तो किफायत की गई है और जो आइटम ऐसे हैं जिनका मकसद दूसरा है उसमें इजाफा तो नम्बर एक आइटम एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स पर है। दूसरा आइटम झांसी डिवीजन में कांस उखाड़ने के सम्बन्ध में है। कांस उखाड़ने में ५२ रुपये फी एकड़ का खर्चा आया और वह रुपया किसानों से वसूल किया जायगा और काश्तकारों की तरफ से वह रुपया फारेस्ट डिपार्टमेंट को अदा कर दिया जायगा। कांस उखाड़ने वाली स्कीम के सम्बन्ध में मुझे जाने का मौका मिला और इत्तिलात मुझे हुई उनसे मालूम होता है कि पहले-पहल झांसी जिले में कांस उखाड़ने पर १२ रु० १२ आने फी एकड़ वसूल किये जाते थे, उसके बाद यह खर्चा २० रुपये फी एकड़ हुआ, उसके बाद ३६ रुपये ५ आने फी एकड़ हुआ और अब यह ५२ रुपये वसूल किया जाने लगा है। मैं नहीं कह सकता कि इस खर्चे से कुछ ज्यादा नफा किसानों को है या नहीं लेकिन यह बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक यह न मालूम हो सके कि कांस उखाड़ने से पैदावार में क्या इजाफा हुआ। मेरी मालूमात उस इलाके से यह है कि गेहूँ में तीन मन फी एकड़ पैदा होता था लेकिन कांस उखाड़ने के बाद ६ मन फी एकड़ पैदा होने लगा यानी तीन मन ज्यादा और इसी तरह से चना ५ मन फी एकड़ अधिक पैदा होने लगा। मैं यह बात डिपार्टमेंट पर जांच के लिये छोड़ता हूँ कि कांस ५२ रुपये फी एकड़ के हिसाब से उखाड़ा जाना अच्छा है या तीन मन गेहूँ पैदा करना ज्यादा अच्छा है। तीसरी चीज जो इस सम्बन्ध में काबिले गौर है वह फर्टिलाइजर की है। बजट में अगर आप देखेंगे तो प्राविजन था ५० लाख रुपये का और अब खरीदे गये हैं एक लाख साठ हजार रुपये के। तो इतने रुपये क्यों ज्यादा खर्च किये गये। इस पर मैं बहुत

[श्री फूल सिंह]

रोशनी नहीं डाल सकता लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि लड़ाई के खतरे की वजह से ज्यादा खरीद लिये गये। मैं नहीं कह सकता कि इसके खरीदने का क्या हश्र होगा लेकिन इस मुहकमे की एक बात मालूम है। पार साल सप्लीमेंटरी बजट में उसे रखा गया था। ९० हजार रुपये के काटन सीड्स खरीदे गये थे लेकिन तीन-चार साल रखने के बाद पार साल उनको बेंचना पड़ा। फर्टिलाइजर्स का भी क्या यही हश्र होगा? इसी तरह से इमारतों का बनाना, फेंसिग वगैरह भी है खेती के मुहकमे में चंद आइटम्स हैं उनमें जो ऐसे हैं, जिनसे कामन मैन को नफा होने वाला है, एक बड़ा आइटम फेंसिंग का है। सहारनपुर के कम्पनी बाग की चर्चा है। उसमें ३५ हजार रुपया दीवार बनाने में लग जायगा और इस दीवार को पुरानी ईंटों से बनाया जायगा। जब पुरानी ईंटों से यह दीवार बनाई जायगी तो क्या सीमेंट और मजदूरी पर इतनी बड़ी रकम खर्च होने जा रही है? खेतों के चारों तरफ दीवार बनाना यह भी हमारे सामने एक नया तरीका है। इसके अलावा मथुरा का फार्म है और शिकोहाबाद का फार्म है, उसके चारों तरफ भी दीवार बनाते जा रहे हैं। यह सरफा जरूरी था या नहीं, इनको सप्लीमेंटरी बजट में पेश करना मुनासिब नहीं था, ये सब आइटम्स बजट के वक्त हमारे सामने आते ताकि लोग उन पर विचार कर सकते। मैं समझता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी इसमें कोई गल्ती नहीं है। खर्चा हो गया इसलिये उन्होंने इसको रख दिया। माननीय मंत्री के सुझाव के लिये एक बात में और रखना चाहता हूँ। यह मैंने सप्लीमेंटरी बजट के बारे में आपको बतलाया कि उससे क्या असरात पड़ते हैं। यह दोनों तरह के अखराजात जो हो गये हों और जो अन्दाजे की बिना पर होने वाले हों उन दोनों को मिलाकर अगर एक ही बजट में पेश किया जाय तो इससे बहुत पैसा बच सकता है और दो बार पेश करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपने ख्यालात को आपके सामने पेश करता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--आनरेबिल मिनिस्टर आफ फाइनेंस ने सप्लीमेंटरी बजट की कड़वी गोली के असरात को कम से कम महसूस करने के लिये दो हिस्सों में सप्लीमेंटरी बजट को तकसीम किया है लेकिन मैं जनाब के जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर आफ फाइनेंस से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह तदबीर मेरे खयाल से सही नहीं थी इस वास्ते कि बजाय इसके कि मुंह एक बार ही कड़वा हो मुंह दो बार कड़वा हुआ और उस सप्लीमेंटरी बजट के जो बुरे असरात थे बजट की खराबी के वह अपनी जगह पर बदस्तूर कायम रहे। यह बात कि अनफोरसीन (अतर्कित) अखराजात जिनके मुताल्लिक कुछ सोचा नहीं जा सकता था वह हुये उनको यहां पर दो किस्तों के अन्दर सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर पेश किया गया है जो कि काबिले ऐतराज है और खासतौर से इधर के बैठने वालों ने जो तकरीरें की हैं उन्होंने एतराज उठाया है। क्या वजह थी कि जिसकी मजबूरी से इस बजट को दो किस्तों में तकसीम किया गया और सिर्फ डेढ़ महीने का वक्त ही गुजरा है कि पहला बजट पेश हुआ था। पहला जो बजट आया था वह १ करोड़ ११ लाख का था और अब जो दूसरी किस्त का बजट सामने है वह ७ करोड़ और कुछ रुपये का है। मैं समझ सकता था अगर यह इस तरह से होता कि पहली किस्त ज्यादा होती और बाद में किसी गलती से या इत्तफाकिया अखराजात की बिना पर रुपये की जरूरत होती तो कुछ रकम जो खर्च हुई थी वह सप्लीमेंटरी बजट में दूसरी किस्त के मौके पर पेश करदी जाती। इस तरह से इस चीज को पेश करना कोई सही बात नहीं है। मैं यह अर्ज करता हूँ कि पहला बजट जब पेश हुआ और उस पर जो बहस मुबाहिसा हुआ और उसमें जो वक्त

सर्फ हुआ, वह सरासर गलत था। यह दोनों बजट यह दोनों किस्त एक साथ ही पेश की जा सकती थीं और खसूसन उस वक्त जब कि असली बजट चन्द रोज के बाद ही पेश होने वाला हो इस तरह से इसको दो टुकड़ों में पेश करना किसी तरह से समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि यह कहूं कि अपोजिशन को तसल्ली देने के लिये यह एक तरीका निकाला गया है जो कि बिल्कुल गलत है। कभी एक किस्त के सूरत में और कभी दूसरी किस्त की सूरत में तसल्ली देने का तरीका है। बहरहाल हकीकत अपनी जगह पर कायम है कि आपने जो अन्दाजे किये वह सब बिला समझे-बूझे किये हैं और जो गलत खर्चे हैं उनके ऊपर सब की नजर जायगी और वह हमेशा एतराज़ के काबिल रहेंगे।

अब मैं निहायत मुख्तसर तरीके से आपके जरिये से गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ मबजूल करना चाहता हूँ कि मुझे ताज्जुब हुआ फारेस्ट की ग्रांट को देख कर। जनाब की इजाजत से मैं इसके चन्द अल्फाज पढ़ दूं। इसके शुरू में कहा गया है कि——

"Against the original budget provision of Rs. 96,71,400 under the Grant, the expenditure, as now estimated, amounts to Rs. 1,03,85,500. Out of the total excess of Rs. 7,14,100 a supplementary estimate for Rs. 2,65,000 for the maintenance of forest communications has already been voted.

A supplementary estimate for the balance of Rs. 4,49,100 only is now necessary as detailed below:"

(उक्त अनुदान के अन्तर्गत बजट में की गयी ९६,७१,४०० रु० की मूल व्यवस्था की तुलना में व्यय इस समय के तखमीने के अनुसार १,०३,८५,५०० ० होगा। ७,१४,१०० रु० की कुल अधिक वृद्धि में से २,६५,००० रु० के पूरक तखमीने की स्वीकृति वन के यातायात मार्गों को ठीक दशा में रखने के लिये दी जा चुकी है। अब केवल शेष ४,४९,१०० रु० के लिये पूरक तखमीने की आवश्यकता है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है——)

इस लफ्ज "ओनली" (केवल) की दाद नहीं दी जा सकती। अब २,६५,००० रुपया मांगा जा रहा है। अगर यह सूरत होती कि यह ४ लाख पहले सर्फ हो गया और अब २ लाख ६५ हजार की जरूरत बाकी थी तब तो कुछ समझ में आता।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द——वह तो एक करोड़ के मुकाबले में "ओनली" (केवल) कहा गया है।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां——इस लफ्ज "सिर्फ" की दाद नहीं हो सकती। गनीमत समझना चाहिये कि ४ लाख कुछ पर ही बीती वर्ना खुदा जाने कि कितनी नौबत पहुंचती। इस तरह से पेश करना और इस तरह से तरतीब देना मेरी समझ में नहीं आता। इसी तरह से और भी ग्रांट हैं ग्रांट नम्बर ९ है "मेंटनेंस चार्जेज आफ गंगा हाइड्रो एलेक्ट्रिक ग्रिड" (गंगा जल विद्युत् ग्रिड का रखरखाव) इसमें लिखा गया है कि——

"The activities of the Ganga Hydel Grid have been increasing every year with the extension of transmission lines. With the increase in its revenue, the maintenance charges have also been increasing. A demand of Rs. 28 lakhs was, therefore, made for the maintenance of

[श्री मुहम्मद जमशद अली खां]

the existing works during the current financial year, but it was reduced to Rs. 25.84 lakhs due to financial stringency."

(गंगाजल-विद्युत् ग्रिड की कार्यवाहियां प्रति वर्ष दूर-प्रेषण लाइनों के विस्तार के साथ-साथ बढ़ती जा रही हैं। इसलिये चालू वित्तीय वर्ष में मौजूदा निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिये २८ लाख रुपये की मांग की गयी थी परन्तु वित्तीय संकट के कारण उसे घटा कर २५.८४ लाख रुपया कर दिया गया।)

जो काम ट्रांसमिशन लाइन का हो चुका है उसको बरकरार रखने के लिये जो रकम २९ लाख रुपये की थी उसमें आपने तखफीफ २६ लाख की की। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा करीने किफायतशारी है। जो कुछ आप कर रहे हैं उसको बरकरार रखने के लिये २८ लाख की जरूरत पेश आयी और आप किफायतशारी पर आये तो आपने उसमें से २६ लाख खत्म कर दिया। यह चीज जनाबवाला मेरी समझ में नहीं आती कि कहां तक मुनासिब है।

हमारा ग्रो मोर फूड का मसला ऐसा था कि जिसको प्रायरिटी (प्राथमिकता) दी जा रही है और हमारा इरादा है कि हम इस गल्ले की कमी को सन् ५२ तक पूरा करेंगे इसलिये इसकी तरफ तवज्जह की जरूरत है और हमें जरूरत इस बात की है कि इस मद में जहां तक हो सके कोई कमी न करें और ज्यादा इस पर खर्च करें। वह लोग जो बजट के बनाने के जिम्मेदार हैं वह इन बातों की तरफ तवज्जह नहीं करते बल्कि सिर्फ यह दिखलाने के लिये कि हमारी किफायत की तरफ नजर रहती है और हम रकम किफायत के लिये कम करते रहते हैं। इस तरह से रकमों को बगैर-सोचे समझे घटाना या बढ़ाना मुनासिब नहीं है।

इसी तरीके से ग्रांट नम्बर १० है जिसके अन्दर तहरीर है कि--

"The budgeting officer's estimate amounting to Rs. 2,50,34,000 for 1950-51 consisting of a demand of Rs. 2,15,52,100 for Irrigation Branch and of Rs 34,81,900 for Hydro Electric Branch was cut down to Rs. 2,21,67,200 (Rs. 1,94,79,200 for Irrigation Branch and Rs. 20,88,000 for Hydro Electric Branch) due to financial stringency and also on the assumption that some of the charges would be abolished in the beginning of the current financial year. The latter proposal did not, however, materialise in full and Yamuna Construction Circle which was proposed to be abolished on July 1. 1950, has been allowed to continue throughout the year for administrative reasons."

(१९५०-५१ ई० के लिये बजट के अफसर ने उक्त प्रयोजन पर व्यय के लिये २,५० के ३४,००० रु० का तखमीना लगाया है, जिसमें से २,१५,५२,१०० रु० सिंचाई शाखा के लिये और ३४,८१,९०० रु० जल-विद्युत् शाखा के लिये रक्खा गया है। वित्तीय संकट के कारण और यह मान कर कि कुछ व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ में समाप्त कर दिये जायेंगे, बजट के अफसर के तखमीने को घटाकर २,२१,६७,२०० रु० (१,९४,७९,२००, रु० सिंचाई शाखा के लिये और २६,८८,००० रु० जल-विद्युत् शाखा के लिये) कर दिया गया। फिर भी बाद वाले प्रस्ताव पर पूर्णरूप से अमल न किया जा सका और यमुना निर्माण सर्किल को, जिसे १ जुलाई, १९५० ई० से समाप्त करने का प्रस्ताव था। प्रशासकीय कारणों से साल भर चालू रखने को स्वीकृत दी गयी।)

अब जैसा कि मैंने अभी यह पढ़कर सुनाया इन बातों में से कौन सी बात ऐसी थी जो पहले नहीं सोची जा सकती थी कि हमें यमुना कांस्ट्रक्शन सर्किल को कायम

रखना चाहिये। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ग्रो मोर फूड कैम्पेन वगैरह में बड़ी मदद मिलेगी। यह चीज निहायत काबिले एतराज है और मैं समझता हूं कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर आफ फाइनेंस को इस तरफ खासतौर से तवज्जह करनी चाहिये कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये जो बिल्कुल जाहिरा तौर पर समझी जा सकती हों।

इसी सिलसिले में कहा गया कि--

"Similarly under Hydro-Electric Establishment, the likely expenditure for the whole year based on actuals for the first six months will amount to Rs. 32,91,700 resulting in an excess of Rs. 3,90,200 over the current year's grant of Rs. 29,01,500. The total requirement of Rs. 32,91,700 meant for existing permanent staff and those temporary posts only, provision for which was approved by Government and any reduction in expenditure is not possible without affecting the efficiency of the works."

(इसी प्रकार जल-विद्युत् स्थापना के अन्तर्गत वर्ष के प्रथम ६ महीनों में वास्तविक आंकड़ों पर आधारित पूरे वर्ष में ३२,९१,७०० रु० व्यय होने की संभावना है। इसके फलस्वरूप चालू वर्ष के २९,०१,५०० रु० के अनुदान में ३,९०,२०० रु० की वृद्धि होगी। मौजूदा अस्थायी कर्मचारिवर्ग और अस्थायी जगहों के लिये कुल ३२,९१,७०० रु० की आवश्यकता है, जिसके लिये की गयी व्यवस्था को सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और यदि इस व्यय में किसी प्रकार की कमी की गयी तो कार्यक्षमता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।)

यह चीजें भी इस तरह की हैं कि इसके मुताल्लिक पहले से समझ लेने की बात थी कि हम अपने अखराजात इतने कम न करें, कि हमारी एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) कम हो जाय। ये चीजें वे हैं जो आमतौर पर समझ लेना चाहिये और गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहबान से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस किस्म की सामने की चीजों को यकीनन अपने ध्यान में रखेंगे और उनको रखना चाहिये बजाय इसके कि वे फिर दोबारा अपने ख्यालात को तब्दील करें और अखराजात के लिये रुपये लेने इस भवन में आयें।

इसी सिलसिले में मैं आगे देखता हूं जिस पर मेरे पहले जो तकरीर करने वाले साहबान थे उन्होंने भी इस चीज का बयान किया है कि हमारी समझ में नहीं आया कि—

"Rs. 25,000 for publicity through the District Congress Committees or other non-official argnisations."

(जिला कांग्रेस कमेटियों या अन्य असरकारी संस्थाओं द्वारा प्रख्यापन के लिये २५,००० रुपये।)

पचीस हजार रुपया कांग्रेस के जरिये से खर्च किया गया और एक लाख रुपया इनामात के तौर पर तकसीम किया गया।

अब आप आइन्दा चल कर यह मुलाहिजा करें कि--

"Rs. 1,50,000 required for the pay of Drivers and Cleaners of vehicles used in the districts for Zamindari Abolition Fund Collection work and Grow More Food Drive.

Rs. 2,00,000 on account of petrol and running charges of vehicles used in connexion with Zamindari Abolition Fund Collection work and Grow More Food Campaign.

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

Rs. 1,00,000 required to meet the repairing charges of such vehicles."

(जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में जिलों में इस्तेमाल की गयी गाड़ियों के ड्राइवरों और क्लीनरों के वेतन के लिये १,५०,००० रुपये।

जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में इस्तेमाल की गयी गाड़ियों को चलाने और पेट्रोल पर होने वाले व्यय के कारण २,००,००० रु०।

इन गाड़ियों की मरम्मत संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये १,००,००० रु०।)

ये वे रकूमात हैं जो जमींदारी अबालीशन फंड (जमींदारी उन्मूलन निधि) के सिलसिले में दो मुख्तलिफ मुकामात पर दी हैं। अव्वल तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तरीका निहायत ही काबिले एतराज है कि किसी खास पोलीटिकल पार्टी को रकम दी जाय पब्लिक एक्सचेकर से। ख्वाह ऐसी रकम जमींदारी अबालीशन फंड (जमींदारी उन्मूलन निधि) के काम में हो या किसी काम में हो यह कोई बात नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह कौन से आर्गेनाइजेशन्स हैं जहां रुपया तकसीम किया गया है जो इसके अन्दर तहरीर है।

दूसरी चीज इनामात है। आखिर पब्लिक का रुपया इस तरीके से इनामात में तकसीम करने का क्या मकसद था? अव्वल तो मुझे यह कहना है कि हमारी गवर्नमेंट इस बात की दावेदार रही है कि वह जमींदारी अबालीशन फंड (जमींदारी उन्मूलन निधि) की वसूली में किसी किस्म की सख्ती या जुल्म नहीं करेगी बल्कि यह स्कीम ऐसी है जिस वक्त काश्तकार को इसका पता चलेगा तो बहुत ही आसानी के साथ रुपया इकट्ठा हो जायगा। काश्तकार रुपया जमा करने को बेकरार हो जायगा। जब यह बात थी तो उस फंड के इकट्ठा करने के लिये १ लाख रुपये के इनामात रखने की क्या जरूरत थी? पटवारियों को और दीगर लोगों को इनामात दिये गये। क्या यह इसीलिये दिये गये कि वह सीधे-साधे और भोले-भाले गांव वालों के साथ सख्ती करें और बाकायदा एक किस्म की घुड़दौड़ हो कि कौन सबसे ज्यादा सख्ती करता है ताकि उसे इनाम मिल सके। मैं यह समझता हूं कि यह पब्लिक मनी (सार्वजनिक रुपये) का सरासर वेस्टेज (अपव्यय) है जो इस तरीके से रुपया खर्च किया गया है। मैंने अभी अर्ज किया था कि मोटरों की मरम्मत पर और पेट्रोल पर काफी रुपया खर्च किया गया है। मैंने अपनी तकरीर में एक बात यह कही थी कि जमींदारी अबालीशन का बहुत सा रुपया इस तरीके से खर्च किया जा चुका होगा और जमींदारों का नाम बदनाम है कि उन्हें मुआविजा देने के लिये यह रुपया लिया जा रहा है। इसके तकसीम होने से पहले इसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार खर्च कर चुकी है। आप देखें कि जो रुपया गरीब काश्तकारों से वसूल किया गया था और जबरन वसूल किया गया उसे किस तरह खर्च किया गया और किस बेदर्दी से खर्च किया गया।

अब मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इसमें यह जाहिर किया गया है कि नेशनेलिटी के सिलसिले में जो रजिस्टर बनेंगे उन पर ५० परसेंट खर्च यह स्टेट बर्दाश्त करेगी और ५० परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया बर्दाश्त करेगी। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह तमाम तरह का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना चाहिये। हमारे सूबे की गवर्नमेंट की जानिब से अगर और इसरार किया जाय तो बिलकुल हक बजानिब होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सर्फा बर्दाश्त करे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस चीज का खर्चा ?

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--इंडियन नैशनेलिटी के सिलसिले में जो आपने यह कहा है कि ५०-५० परसेंट की बेसिस पर खर्च करना हमने तय किया है, मैं समझता हूं कि हमें इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिये बल्कि हमारे सूबे की गवर्नमेंट की जानिब से इसरार होना चाहिये कि पूरा खर्चा सेंटर को बर्दाश्त करना चाहिये न कि इस स्टेट को। इन अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री भगवानदीन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदानों के स्मृति-पत्र को देखने के बाद कुछ विषयों पर गवर्नमेंट के सामने निवेदन करना मैं आवश्यक समझता हूं। यह देखकर कि पंचायतों के संबंध में पिछले बजट में सरकार ने उनके मंत्रियों के वेतन के संबंध में १६ लाख रुपया ऋण के रूप में रखा था, लेकिन वैधानिक आपत्तियों के कारण वह ऋण न मिलने से १२ लाख रुपया पूरक अनुदान में रक्खा गया है। मैं फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पंचायतों की योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को संचालित करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि सेक्रेटरियों के वेतन का रुपया इस आर्थिक कठिन परिस्थिति में भी अगले बजट में अवश्य रक्खा जाय अन्यथा गांवों हो जाने पर गांवों में जो उन्नति की योजनायें हैं वह किसी प्रकार से सफल न हो सकेंगी। उसके साथ ही साथ गांवों के रहने वाले लोगों में इस बात की भावना पैदा होगी कि जो भी पैसा हमसे वसूल किया जाता है वह कुछ लोगों के वेतनों में बांट दिया जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि सचिवों के वेतन के लिये सरकार अपने बजट में पूरा पूरा खर्चा सरकारी तौर से रक्खे जिससे गांवों को जो भी टैक्स से आमदनी हो या लाइसेंस फीस से हो या जुर्माना से हो, वह गांवों की उन्नति की योजना में खर्च की जा सके जिससे गांव के लोग यह समझ सकें कि वास्तव में यह योजना हमारी उन्नति के लिये है और हमारे गांवों के सुधार के लिये है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिस तरह आपको १२ लाख रुपये पूरक अनुदान में रखकर के सचिव के वेतन के लिये सहायता करनी पड़ी है, फिर आपको उसी तरह इस पर गौर करना चाहिये और अगले बजट में इस ग्रांट को पूरी तौर से सरकारी खर्चे में लाने की योजना रखनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह देखकर कि रसद विभाग में और अन्न बांटने के संबंध में पूरक अनुदान में एक रकम रक्खी गयी है, मैं समझता हूं कि इस ओर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। मेरा विचार है कि इन विभागों में अधिक से अधिक कर्मचारी मौजूद हैं और जिनकी उपयोगिता बिलकुल नहीं है ऐसी अवस्था में कर्मचारियों के संबंध में अधिक व्यय करना किसी तरह उचित नहीं मालूम होता। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पूरक अनुदान में इस बात का भी प्रतीक है कि पूर्वी जिलों में विकास योजना के संबंध में एक विभागिक समिति ने यह सिफारिश की थी कि पूर्वी जिलों में विकास योजना आवश्यक है। उसमें आजमगढ़, बलिया और बस्ती में कुछ ट्यूबवेल्स की सिफारिश की गयी है, जिनके द्वारा सींचने का सरकार का प्रबंध हो जायगा। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही ठीक है और उचित है, लेकिन पूर्वी जिलों में इस बात की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बहराइच जिले में जहां से कि लगभग १६-१७ लाख मन गल्ला प्रतिवर्ष सरकार को इस राशनिंग के जमाने में भी और इससे पहले भी बराबर मिलता रहा है, उस जिले में सूखा के कारण धान की फस्ल सर्वथा नष्ट हो गयी और आज चावल की जो समस्या है वह बहराइच जिले में सूखा के कारण और भी कठिन बन गयी है। क्योंकि काफी चावल बहराइच से मिला करता था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ४७,४०० रुपये का प्रतीक अनुदान प्रयोगात्मक वेधन कार्य के लिये रक्खा गया है ३ जिलों के लिये। अगर सरकार उचित समझे तो यह वेधन कार्य का काम बहराइच जिले में भी किया जाय जहां

[श्री भगवान दीन मिश्र]

समुचित तरीके पर ट्यूबवेल्स की योजना चालू हो सकती है, क्योंकि वहां बिजली बहुत दिन से मौजूद है। मुझे पता नहीं कि श्री फूल सिंह ने बहराइच के सिलसिले में यह क्यों कहा था कि सामान आ गया लेकिन बिजली नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहराइच में कई वर्षों से बिजली मौजूद है और वहां कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं थी।

कुछ मित्रों ने हमारी जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की रकम पर और कुछ लोगों ने इनामात की रकम पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि इस योजना के प्रचार के लिये यदि जिला कांग्रेस कमेटी ने यह इंतजाम किया कि लोग सुविधा से जगह जगह पहुंच सकें और इस योजना का पूरा पूरा प्रचार गांवों में कर सकें और किसान को तैयार कर सकें कि वह अपनी जमीन का मालिक बन जाय। उसके लिये अगर यह रकम रखी गयी है तो यह किसी प्रकार आपत्तिजनक नहीं कही जा सकती है। जहां तक इनामात की बात है, वास्तव में सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना के सिलसिले में अधिक से अधिक परिश्रम जगह-जगह पर किया है, समय असमय में भी तथा रात में और दिन में हर तरह से, जब एक योजना के संबंध में कोई कार्य किसी से लेना होता है तो उस सिलसिले में अगर पुरस्कार के रूप में अगर दिया जाय तो वह कोई अन्याय की बात नहीं कही जा सकती। वह तो उन्होंने अपने कामों के अतिरिक्त काम किया। मसलन पटवारियों से काम लिया गया। वह अपना सारा काम करते हैं। अब अगर उन्हें इस योजना को सफल करने में बराबर भागदौड़ करनी पड़ती है, जिनकी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं, अगर उनको ऐसी रकम दी गई है तो वह एतराज करने की या आपत्तिजनक बात नहीं कही जा सकती है इसके अतिरिक्त यह देख करके खुशी हुई कि कुष्ट रोगों का अस्पताल बहराइच में है जिसकी आर्थिक दशा बहुत खराब थी उसके लिये ४,७०० रुपये की रकम रख दी गयी है जिससे उसका संचालन इस साल तो होता रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको प्रान्तीय संस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है और सरकार इस पर ध्यान देगी।

जहां तक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सहायता के स्वरूप में २,१०,००० रुपये की रकम बहराइच जिले में सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में रखी गयी है, मैं समझता हूं कि वह रकम कम है, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो भी रकम रखी गयी है इसकी मैं सराहना करता हूं। फिर भी उसमें एक टैक्निकल आपति की वजह से वह काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ और यह कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि चूंकि यह सहायता बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सहायता फंड से दी गयी है इसलिये १० आने से अधिक मजदूरी कैसे दी जा सकती है। लेकिन विचार करने की बात है जो पक्की सड़कें हैं उन के बनाने के लिये केवल युवकों और पुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता है। परन्तु बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जो बसने वाले हैं उसमें लड़के-बच्चे, स्त्री-पुरुष सभी काम में लगा लिये जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो टेकनिकल आपत्ति है उसको सरकार दूर कर देगी और जल्द से जल्द इस योजना के द्वारा उस सड़क का निर्माण करेगी साथ ही साथ लोगों को सहायता करने में दत्तचित्त होगी। मैं समझता हूं कि वहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र तो है उसी के साथ-साथ सूखा के कारण भी उसका एक भाग बहुत ही पीड़ित है जिसके लिये स्थानीय जिला बोर्ड ने लगभग एक लाख रुपया खर्च करने का निश्चय किया है और वह आज तीन जगहों पर चरवा, भिनगा और कुछ कपूर्थला के इलाके में बराबर पीड़ित जनता की सहायता कर रहा है। फिर भी मैं समझता हूं कि एक मास तक इस बात की आवश्यकता है कि उन लोगों को पूरी सहायता पहुंचायी जाय ताकि वहां के मजदूर दल को या गरीब किसानों को भोजन की आपत्ति का सामना न करना पड़े।

एक योजना कृषि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पंपिंग प्लांट की भी रक्खी गयी है। पहले २५० पंपिंग प्लांट्स थे। लेकिन इस वर्ष कितनी बड़ी उपयोगिता हुई है। मैं समझता हूं कि प्रायः सभी जिलों में जहां पर पानी देर से बरसा, रबी की फसल में भी लोगों ने देखा और मेरे जिले में जहां भी पंपिंग प्लांट्स हम पहुंचा सके वहां पर कुछ धान की पैदावर भी हो गयी। इस सिलसिले में यह कहूंगा कि इस विभाग की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बराबर टेलीफोन करने पर, तार भेजने पर भी समय से सहायता नहीं पहुंचती। मैं समझता हूं कि अगर समय से सहायता पहुंच सकती, जिन जिलों में पानी का कोई साधन नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं हैं, नहरें नहीं हैं उनमें खासतौर से ऐसा प्रबंध होना चाहिये जिससे अवर्षण काल में अधिक से अधिक उनसे सहायता ली जा सके। मैं बजट के समय पर इस ओर खास तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा कि तराई के इलाके में पर्वतीय नदियों से काफी कुछ बहते हैं। अगर उसमें बांध की योजना सरकार ले ले, दो तीन जगहों पर बांध बना दे तो मैं समझता हूं कि इस तराई के इलाके में अवर्षण की आपत्ति बहुत कुछ कम हो सकती है और उसमें अति अधिक खर्च करने की जरूरत भी न होगी।

इसी के साथ-साथ पशु प्रदर्शनी के संबंध में मैंने पूरक अनुदान देखा है। इस योजना का जगह-जगह पर पशुओं की नस्ल ऊंची होने और अच्छे बैल पैदा करने जिसके द्वारा कृषि में पूरी-पूरी सहायता मिल सके इसलिये रखा गया है। मेरे जिले में बराबर इस बात की मांग रही है कि हरियाना सांड़ की वहां व्यवस्था की जाय, किसी पुराने समय से वहां खैरीगढ़ के सांड़ की व्यवस्था है। वहां बराबर इस बात की मांग की गयी है, और इस साल भी प्रार्थना की गयी थी। लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गयी। इस पूरक अनुदान में भी देखा। लेकिन २९ सांड़ों की जो व्यवस्था की गयी है उसमें बहराइच जिला नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे कृषि मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे। वहां की जनता यह चाहती है कि हरियाना सांड़ के जरिये से वहां बहुत अच्छे बैल पैदा किये जा सकें जिनके द्वारा कृषि में सहायता मिल सके। कई प्रकार के खेत होते हैं कहीं पर बड़े बैलों की आवश्यकता होती है इसलिये इस ओर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं जिससे यह आपत्ति हमारे यहां दूर हो जाय।

प्रांतीय रक्षा दल के संबंध में कुछ लोगों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि ये गांव सभाओं और पंचायतों का अंग बन कर अगर संचालित हों, प्रत्येक गांव में स्वयं सेवक बनाकर यह कार्य करें तो यह उपयोगिनी से उपयोगिनी संस्था सिद्ध होगी। यह बात सत्य नहीं है कि जब दंगे होते थे तब इनकी उपयोगिता होती थी। मैं समझता हूं कि प्रत्येक गांव को अपनी रक्षा के लिये स्वावलम्बी बनना परमावश्यक है और उस हेतु यह संस्था अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सप्लीमेंटरी बजट का ताल्लुक है यह दूसरा सप्लीमेंटरी बजट है और इस बात पर बार-बार एतराज किया गया है कि एक ही सप्लीमेंटरी बजट से ही क्यों नहीं काम निकाला गया और दूसरा क्यों लाया गया। कानूनी एतबार से तो मेरे दोस्त बाकी साहब कहते हैं आर्टिकिल २०५ का भी यही मकसद है कि एक ही सप्लीमेंटरी बजट होना चाहिये। मैं कानूनदां तो हूँ नहीं इसलिये मैं इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता लेकिन जहां तक सप्लीमेंटरी बजट का ताल्लुक है और मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर कोई सर्फा ऐसा अर्जेंट या जरूरी हो और जो बजट में न आ सका हो वह इसमें ले लिया जाय या यह कि जो बजट में रकम रखी गई है और वह कम पड़ गई है वह उसमें ली जाय। इस किस्म के अनफोरसीन

[श्री साजिद हुसैन]

(अतर्कित) सर्फे जो बढ़ जाने की वजह से या किसी तरीके से न होने की वजह से हुये हों उनकी मंजूरी की जरूरत है वह सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से ले आये जायं। काबिले तारीफ वह बजट है जिसमें करीब-करीब सभी चीजें मौजूद हों और सप्लीमेंटरी की जरूरत न हो। शायद यह मुमकिन नहीं है। मगर जब दो सप्लीमेंटरी बजट लाये गये तो मैं सवाल करता हूं कि क्या वजह है कि हर महीने एक सप्लीमेंटरी बजट न लाया जाय। इसमें गवर्नमेंट के लिये भी आसानी हो जायेगी और कम से कम मेम्बरान का भी फायदा होगा। आदमी से भूल-चूक होती है और उसको इस तरह से आसानी से दूर किया जा सकता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--आपकी सलाह पर गौर किया जायगा।

श्री साजिद हुसैन--हमें तो आपका ख्याल है। मैंने तो आपके ही ख्याल से कहा है। अपोजीशन वाले चाहे फोर्स करें यह तो आपके इंटेरेस्ट में हो सकता है। एक साहब कहते हैं कि कानून ऐसे भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर दो सप्लीमेंटरी बजट हो सकते हैं तो २४ सप्लीमेंटरी बजट भी हो सकते हैं और कोई वजह नहीं है कि उनकी तादाद बढ़ाई न जा सके। अब रहा यह कि इस बजट के सिलसिले में हर मौके पर एक फायदा मेम्बरान का और भी हो जाता है। यानी जब भी बजट आये तो इस सप्लीमेंटरी बजट पर भी जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पूरी पालिसी पर क्रिटिसिज्म (आलोचना) करने का मौका मिलता है और मैं भी उस मौके से फायदा उठाना चाहता हूँ। चन्द छोटी-छोटी बातों पर जो मेरी नजर में आयीं अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूं। लखनऊ में सड़कों के नाम बदल दिये गये हैं। बड़ी खुशी है कि विदेशी आदमियों की जगह पर हमारे देश के मशहूर लोगों के नाम आ गये। मगर पब्लिक की प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज (व्यावहारिक कठिनाइयों) का जरा भी जोश में अहसास नहीं किया गया। नाम तो बदल दिये गये मगर अब यह पता नहीं चलता है कि वह जो पुराना नाम था उसकी जगह पर क्या नाम रखा गया तो उसके लिये ऐसे मुकामात पर जैसे हजरतगंज है और जगह है, वहां पर ऐसी फेहरिस्त लटकायी जानी चाहियें जिससे पब्लिक को आसानी हो कि वह यह जान सके कि पहले इस नाम की सड़क थी वह अब इस नाम से है। ताकि थोड़े दिनों में उनको आदत हो जाय और लोग समझ जायं फिर इसकी जरूरत नहीं है। इसके कुछ पैम्फलेट्स छपवाकर तकसीम करवा दिये जायं। अगर म्युनिसिपैलिटी को रुपये बनाने की जरूरत हो तो दूकानों पर और स्टाल्स पर उनको रखवा दिया जाय ताकि लोग वहां से खरीद सकें। ख्वाह नक्शा बनाया जाय या न बनाया जाय लेकिन एक ऐसी फेहरिस्त होनी चाहिये जिसमें पुराने और उनके जो नये नाम हैं वह हों। यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इससे पब्लिक को बड़ी आसानी होती है। अगर कोई काम किया जाय और वह ठीक तरह से न किया जाय तो तकलीफ होती है ऐसे मौके पर ही हम इस तरह की बातें गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हैं।

दूसरे आप यह देखें कि लखनऊ का जू (जिन्दा अजायबघर) है उसको गवर्नमेंट ने ले लिया है मैं भी उसका एक डोनर था। यह जूलोजी की स्टडी के लिये जरूरी चीज है अच्छा किया जो गवर्नमेंट ने ले लिया। मगर मैं यह महसूस करता हूँ कि यहां के जू में वह फैसिलिटीज (सुविधायें) नहीं हैं जो यूरोप वगैरह के जिन्दा अजायबघरों में होती हैं। विलायत में और बर्लिन वगैरह के जू में हाथी होते हैं और बच्चे उन पर सवारी करके बहुत खुश होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान में तो हाथी प्रेजेन्ट कर रहे हैं, टर्की में कर रहे हैं लेकिन चिराग तले अंधेरे का मामला है। आइन्दा जो बच्चों पर मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, कम से कम उनका बचपन तो खुशी से गुजर जाय। इसका

एहसास गवर्नमेंट को करना चाहिये। इसमें कोई बड़ा सर्फा नहीं सिर्फ अटेंशन ड्रा करना (ध्यान दिलाना) है ताकि वह इसका ख्याल रखें और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर इस बात को छोटा न समझ कर अमल में लायेगी।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि हमें दुःख होता है और बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि वह चीजें जो हमारे मुल्क का नाम दुनिया के हिस्सों में फैलाती थीं यानी हमारे मुल्क की कारीगरी की बात है वह गवर्नमेंट की बेतवज्जुही की वजह से या उसके दूसरे कामों में मसरूफियत की वजह से बरबाद होती जा रही है। अभी हमारे प्रेसीडेंट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक एक्जीबीशन देहली में खोली तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले जमाने में राजे महाराजे इनको पैट्रोनाइज करते थे लेकिन अब सरकार की ड्यूटी है कि इनको पैट्रोनाइज करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब सरकार का फर्ज है क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास जो कुछ था उसको सरकार छीन रही है, हम कहां तक कर सकते हैं, हमें अफसोस होता है और हरएक नागरिक को होना चाहिये और हमें खुसूसन अफसोस है कि हमारे यहां के आर्ट और कल्चर का जो पेट्रोनेज होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। टांडा की जामदानी, लखनऊ की जरदोजी और बनारस की कमखाब, वगैरह इन चीजों को पैट्रोनाइज करना चाहिये। मैं कहूँगा कि फैस्टीवल्स (उत्सवों) पर हमारे प्रधान मंत्री जामदानी की टोपी पहनें बजाय खद्दर के इस चीज को दिखाने के लिये कि इन चीजों की कद्र होनी चाहिये। कम से कम उनको आइंदा शादी-ब्याह में यह जामदानी और बनारस की कमखाब की अचकनें पहनने लगें। इसे हम दुनिया में एक्सपोर्ट (निर्यात) करें और खत्म न होने दें। खत्म हो गयी तो यकीन जानिये पोसटेरटी (भावी सन्तान) हम को माफ नहीं करेगी कि हमारे होते हुए यह चीज दुनिया से जा रही है। टांडा में जामदान बनाने वाले आज भी हैं। एक जामदान बनाने वाले ने कहा कि पहले ८०-९० कारखाने थे लेकिन अब किसी तरह से ४-५ चल रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं। बहुत से आजिज आकर जब फाकेकशी की नौबत आ गयी तो पाकिस्तान भाग गये। हमारी सरकार की यह ड्यूटी है कि कुछ भी हो कि फाइनआर्ट (कला) हमारे मुल्क में है उसे पेट्रोनाइज करें। मैंने टांडे की जामबंदी और बनारस की कमखाब की ड्रेस अपनी फेमली के लिये बनवाई। आज हमारी आंखों से ये चीजें गायब हो रही हैं। क्या इसी के मानी हैं जनहित? मैं इसको तसलीम नहीं करता। यह चीज बिल्कुल गलत है और सरकार इसकी तरफ तवज्जह करे। जापान ने अपने को वेस्टर्नाईज करने के जोश में बहुत सी अपनी पुरानी चीजों को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में महसूस किया कि गलती की। उनके कंसेंट्रेटेड एफर्ट (अनवरत प्रयास) हुए कि वे चीजें रिवाइव्ज की जायं। उसके लिये उन्होंने कोशिश की। यह चीजें हैं जिनको मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी नोट करेंगे और इसकी तरफ तवज्जह करेंगे।

अभी यह कहा गया कि फलां पोलिटिकल पार्टी को इतना रुपया दे दिया। मैं सख्त खिलाफ हूँ कि किसी पोलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट का रुपया दिया जाय जिसमें हर पोलिटिकल पार्टी और गैर पोलिटिकल पार्टी का रुपया शामिल हो। यह एक क्राइम है अगेंस्ट सोसाइटी। गवर्नमेंट को सर्फ करने की जरूरत है तो अपने अधिकारियों और आदमियों के जरिये खर्च करे लेकिन इस तरह पोलिटिकल पार्टी को देना यकीन जानिये आप अपने को हिस्ट्री में कंडम करायेंगे। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ क्राइम है। यह उसूल गलत है।

अभी जिक्र किया गया पंचायतों के सेक्रेटरीज की कमी के सिलसिले में। जहां तक गरीब आदमियों की सेलरी में कमी का सवाल है उनके लिये मुझे पूरी हमदर्दी है। लेकिन हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ इन सेक्रेटरीज ने ढिंढोरा पिटवाया कि लगान न दो। यह साफ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट (न्यायालय का अवमान) है। इस तरह से ला एंड आर्डर मेनटेन नहीं

[श्री साजिद हुसैन]

हो सकता। इस तरह से ढिंढोरा पिटवाना कि लगान न दो, जिसको कहते हैं क्लीयर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट (न्यायालय का स्पष्ट अवमान) लेकिन यह गवर्नमेंट यहां बैठी है, इसको क्या खबर नहीं है ? उसको महसूस होना चाहिये कि अगर यह चीजें तहकीकात में आयें तो उनको सजा देनी चाहिये। मैं कहता हूँ कि यह गवर्नमेंट ऐसे रास्ते से चले कि जब दूसरी गवर्नमेंट इसकी जगह आये तो उसको सबक हो और वह इसके रास्ते पर चले। इसको उनके लिये प्रेसीडेंस (दृष्टान्त) कायम करना है और अच्छा प्रेसीडेंस कायम करना है। सरकार को ठीक तरह से डेमोक्रेसी को चलाना है। लोगों ने एतराजात किये। मुझे इससे बहस नहीं कि उनके क्या अगराज थे लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि जो भी काम करे वह एक नमूना हो आइंदा जनरेशंस (सन्तति) के लिये, आइंदा गवर्नमेंट के लिये और कोई बात ऐसी न करे जिसके करने से, ठीक डेमोक्रेसी चलाने के लिये वह उसी की जड़ काटे। इसी तरह से बजट के मौके पर मैं सरकार को मशविरा दूंगा कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा दो ही बजट हों। एक मेन बजट हो और दूसरा सप्लीमेंटरी बजट हो। मगर यह मुताद्दिद मर्तबा बजट में तरह तरह की गलतफहमी होती है। और मुमकिन है कि ऐसी बात हो जिसको आप अच्छा समझते हों लेकिन जब तक उनकी बुराई दूर न हो जाय तब तक उनको तवज्जह के साथ देखना चाहिये ? मैं पुलिस वालों की तरह से एक ही मोटो नहीं रखना चाहता कि हर एक आदमी खराब ही है। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि सरकार अपने उन अधिकारियों को इस बात की इन्स्ट्रक्शन दे दे कि जब वे बजट को बनाने बैठें तो वह पूरा नक्शा सामने रखें और तजुर्बेकार मुलाजिमीन उनके पास हों। मैं जानता हूँ कि सरकार के पास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सैकड़ों बजट बना डाले हैं लेकिन वे इस बात का ख्याल रखें कि सरकार बदनाम न हो। जहां तक हो सके मेन बजट के अन्दर सब खर्च को रखें और अगर फिर कोई नया सर्फा आ जाय या कहीं पर कमी पड़ जाय तो आखिर में जाकर उसके लिये मांग कर सकती है और उसमें सरकार के लिये कोई ऐतराज की बात भी नहीं हो सकती है और यह जो जरा जरा सी बात पर ऐतराज किया जाता है उसका मौका भी नहीं आयेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार, जहां तक लायब्रेरी का ताल्लुक है किसी न किसी तरीके से और कुछ न कुछ उसके लिये करेगी। मुझे तो बार बार तकाजा करते शर्म आती है मगर सरकार ने पुस्तकालय के लिये कोई ख्याल नहीं किया है। मैं तो यह समझता हूँ कि हर इंडिपेंडेंट मुल्क के लिये यह एक बुनियादी चीज है कि जिसकी बिना पर हम एक एडवान्स्ड और कलचर्ड सोसाइटी बना सकते हैं और जहां तक पब्लिक लायब्रेरी का ताल्लुक है इससे ज्यादा कोई सोशलिस्टक एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन नहीं हो सकता। हमारे मिनिस्टर साहब सोशलिस्ट होने का दावा करते हैं और फिर पब्लिक लायब्रेरी के साथ इस तरह से स्टैप मदरली ट्रीटमेंट (विमाता का सा व्यवहार) करना मेरी समझ में नहीं आता है। पहले तो सोशलिस्ट जरूर थे पर पता नहीं इस कदर क्यों सख्ती की शक्ल में वे बदल गये।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपकी लायब्रेरी की तो जहां तक हो सका है काफी खिदमत की है।

श्री साजिद हुसैन—शुक्र है कि आपने कुछ न कुछ ख्याल तो किया। मगर हमको तो आपसे उम्मीद बहुत कुछ है और आपको उसके लिये पूरा एहसास करना चाहिये। अगर आपने अभी तक कुछ किया है तो वह नहीं के बराबर है। हम तो आपका ध्यान आइन्दा के लिये दिलाना चाहते हैं कि आप इस तरफ तवज्जह फरमायें और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खसूसियत के साथ इस पर ख्याल करेंगे। आपका भी इसमें बहुत नाम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माइक्रोफोन की तरफ कुछ कहने को आ रहे हैं इसलिये मैं उनको देख कर खुद ही बैठ जाता हूँ।

श्री रामस्वरूप गुप्त—श्रीमान्, आज जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने पेश हैं उसके बारे में दूसरी तरफ से तरह तरह की दलीलें और आलोचनाएं सुनी गई। यह सब सुनने के बाद भी एक बात में मुझे सन्देह नहीं है कि जो रुपया इस वक्त सदन से मांगा जा रहा है वह अधिकांश में उपयोगी और निर्माण कार्यों के लिये मांगा जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्माण की योजना अपने हाथ में ले रखी है उनमें इस वक्त रुपये की कमी की जा रही है तो उससे इस प्रदेश की जनता को ही नुकसान पहुँचता है। इसलिये इन मांगों का पेश किया जाना और इस सदन का उनको स्वीकार करना मैं जरूरी समझता हूँ। एक बात जरूर है कि सरकार के अर्थ विभाग से या दूसरे उन विभागों से कि जिनकी तरफ से यह मांगें आई हैं यह अवश्य किया जा सकता था कि उनमें से बहुत सी मांगें यदि समुचित ध्यान रखा जाता तो जिस समय पहले सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ था उस समय उसमें शामिल की जा सकती थीं। कोई कारण नहीं था कि उनमें से बहुत सी मांगें एक महीने बाद तो मालूम हो जायं और एक महीने पहले उनके बारे में मालूम न हो सकता हो। जरूर इसमें भवन का बहुत सा समय जाता है और सरकार का पैसा खर्च होता है और एक कोई अच्छा उदाहरण हम नहीं पेश करते हैं अपने प्रदेश के अर्थ को मुनासिब तरीके से और किफायत-शारी से खर्च करने का। मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में अर्थ विभाग और सरकार पूरी जांच करेगी और यदि असावधानी से कुछ मांगें देर में आई हैं तो उनको सचेत कर दिया जाय कि आगे से वह समय पर अपनी मांगें भेज दिया करें। ताकि जहां तक सम्भव हो एक ही सप्लीमेंटरी बजट में वह सारी चीजें पेश हो सकें। मैं केवल एक बात पर अपने भाषण में इस भवन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि सबसे बड़ी मांग इस सप्लीमेंटरी बजट में जो पेश की गई है वह दो करोड़ ५६ लाख रुपये की मांग है और वह सरकार की उन योजनाओं के लिये है जो स्टेट ट्रेडिंग के नाम से हैं। यानी राशन और कंट्रोल की व्यवस्था के लिये। यह २ करोड़ ५६ लाख की मांग उस बड़ी मांग का एक हिस्सा है कि जो ३४ करोड़ के बजट के समय इस सदन के सामने पेश की गई थी। इस मांग को फिर दोबारा पेश करने का कारण हमारे सामने यह रखा गया है कि इस वर्ष में पहले सरकार का इरादा यह था कि केवल १७ शहरों में राशन व्यवस्था रखी जाय और बाकी में बन्द कर दी जाय यानी इस आर्थिक वर्ष के ३ महीने तक तो ६१ कस्बों में यह व्यवस्था रक्खी जायगी और उसके बाद और शहरों में बन्द करके केवल १७ ही में जारी रखी जायगी। क्या ही अच्छा होता कि सरकार अपने इस विचार पर कायम रहती और इस वक्त जो यह मांग २ करोड़ ५ लाख की भवन के सामने पेश की जा रही है उसे पेश करने की नौबत ही न आती। हममें से सब कोई जानते हैं कि इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी कितना असन्तोष जनता में है इस सारी राशन व्यवस्था से। इसलिये इसको जितना कम किया जा सके उतना ही इस प्रदेश की जनता के हित में है और सरकार के प्रति असन्तोष कम करने वाली बात होगी। जहां तक मैं समझता हूँ, हमारे सूबे में डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स जहां अन्न की कमी मानी जाती है, १७ जिले हैं और बाकी सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स (बहुतायत वाले जिले) हैं। यह जरूर एक बड़ा उपयोगी विचार है कि जो कमी वाले जिले हैं वहीं हम राशन की व्यवस्था जारी रखें और जो सरप्लस जिले हैं उनमें राशन की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है बहुत चाहें तो जो पांच कैबाल टाउन्स हैं उनमें और कर दें। एक उपाय तो राशन व्यवस्था को कम करने के सिलसिले में यह है। दूसरा उपाय यह है कि आंशिक राशन व्यवस्था जारी की जाय। प्रत्येक दशा में अपना इस जिम्मेदारी को जितना सरकार कम कर लेगी उतना ही गल्ले की खरीद और उसके संग्रह का जिम्मेदारी उसको कम

[श्री रामस्वरूप गुप्त]
हो जायगी और उतनी ही इन जिम्मेदारियों से सरकार के प्रति जो जनता में असन्तोष है वह दूर हो जायगा।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कितनी मोटी सी बात है कि आप ६१ शहरों में राशन व्यवस्था कायम किये हुये हैं, उन शहरों के आस-पास आपकी कोई राशन व्यवस्था नहीं है। शहरों में जो लोग रहते हैं और जिनको आप गल्ला देते हैं उनसे अपेक्षाकृत गरीब लोग उसके आस-पास के रकबे में रहते हैं, देहातों में और कस्बों में, वे लोग भी अन्न खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, सरकार की किसी सहायता के बिना। कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि वे लोग ज्यादा कष्ट में हैं। शिकायत तो करते हैं वे लोग, जिनके लिये आप यह सारी व्यवस्था और जिम्मेदारी अपने ऊपर लिये हुये हैं और सब से बड़ी आपकी आलोचना और असन्तोष उन्हीं नगरों में हैं और इसी बुनियाद के ऊपर है और फिर भी आप यह जिम्मेदारी लिये हुये हैं। पिछले बजट के आंकड़ों से आप देखेंगे कि यह केवल पूंजी लगाने की योजना नहीं है बल्कि इसमें करोड़ों रुपये का घाटा सरकार को उठाना पड़ता है, जैसे कि सन् १९५०-५१ ई० के बजट में यह दिया हुआ था कि ३४,१९,००,००० की लागत तो इस सरकारी व्यापार में थी और ३३,१२,००,००० की आमदनी गल्ले और दूसरे सामान के बेंचने से थीं। इस तरीके से हिन्दी के बजट में जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे कि एक करोड़ और सात लाख का शुद्ध व्यय था, यह पूरा रुपया खरीद में गया। ताज्जुब नहीं कि इस समय इस भवन से जो दो करोड़ ५६ लाख रुपये की मांग की जा रही है उसमें से अधिकांश रुपया शुद्ध व्यय में जाय। तो कहां तो नगर में लोग गल्ले के वितरण से सैकड़ों और हजारों की आमदनी करते थे और अपना व्यापार चलाते थे और कहां सरकार घाटा करती है और १ करोड़ रुपया जनता ही से तो वसूल करना है। जनता पर दोहरी मार पड़ती है। दूकानदार लोग अपनी जीविका इसी से चलाते थे और इस योजना से उनकी आमदनी जाती रही। इसलिये इस मौके पर मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ और इस भवन के सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर पूरा जोर देकर हमें उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारियों को कम करवा देना है। इसमें कोई यह बहाना नहीं है और कोई यह बाधा नहीं है कि क्या करें साहब, हम नियंत्रण करने के लिये मजबूर हैं। केन्द्रीय सरकार के कहने से हमको करना पड़ता है, ऐसी बात इसमें नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा आपसे कहती है कि गल्ले की चीजों की कीमत नियंत्रण की जाय या यातायात के नियंत्रण के लिये कहती है। लेकिन इसमें हमको स्वतंत्रता है कि कितनी जगह और कहां हम राशनिंग की व्यवस्था रखें और कहां न रखें। प्रान्त के अन्दर यातायात के बारे में भी प्रान्तीय सरकार को स्वतंत्रता है। वह चाहे जितनी ढील दे सकती है और चाहे जितनी कड़ाई कर सकती है। जिन बातों में हमें स्वतंत्रता है यदि उनमें ही हम नियंत्रण को ढीला करें और उसके प्रतिबन्धों को कम करें तो जनता के असन्तोष को हम कुछ दूर कर सकेंगे। मैं इस भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं इस एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सरकार का और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, मुझे अपने इस तरफ के बैठने वालों की इस तकरीर पर कि सप्लीमेंटरी बजट क्यों पेश किया गया, बड़ा ताज्जुब हुआ। हमें तो खुशी होनी चाहिये कि इस सरकार ने विधान के मुताबिक जिस कानून की इसमें कसम खाई थी उसे भवन के सामने मंजूरी के लिये रखा और हमको और

सबको इस बात का मौका दिया कि हम लोग अपने खयालात का इजहार कर सकें। यह कोई बात नहीं है कि इससे किसको फायदा होता है और किसको नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इस भवन के हर मेम्बर और जिम्मेदार का यह फर्ज है कि वह ट्रस्ट जो पब्लिक के रुपये का इस सरकार और इस सदन के अन्दर है उसे हम पूरा करें। अगर वह रुपया सही तौर पर सर्फ होता है तो हमें उसकी ताईद करनी चाहिये और अगर गलत तौर पर हो रहा है तो उसकी मुखालिफत करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इन्हीं बुनियादों पर भवन को इस सप्लीमेंटरी पर गौर करना चाहिये। उसे देखना चाहिये कि आया जो सप्लीमेंटरी हमारे सामने है वह कहां तक जरूरी और मुनासिब है।

जनाबवाला, इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि यह नीति इस सप्लीमेंटरी से साफ जाहिर होती है कि यह सरकार एक कैआस (अन्ध व्यवस्था) लाने वाली है या एक अनबलैंस्ड (असंतुलित) तरीके पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। यानी इसके सामने कोई नक्शा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इस सरकार की भी अजीब हालत है, और जनाबवाला, अफसोस यह है कि यह बड़े बेहतरीन पैटरिट्स (देश-भक्त) बड़ी ही कुर्बानियां इन्होंने की हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। आखिर जब यह इस मुसीबत में मुबतिला है तो इस मुल्क का और इस देश का क्या होने वाला है, यह सोचना चाहिये। मैं जनाबवाला, यह यकीन दिलाता हूं कि मैं सोचा करता हूं और मैं समझता हूं कि दूसरे भी सोचा करते हैं और मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले जिम्मेदार हुक्काम यानी मिनिस्टर्स भी गौर करते हैं कि आया वह जिस चक्कर में पड़े हुये हैं उससे क्योंकर निकलें और उससे निकलने के क्या तरीके अख्तियार करें। मैं समझता हूं कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है, इसकी कोई और वजह नहीं है और वह यह है कि अंग्रेजी साम्राज्य का वह ब्यूरियोक्रेटिक (नौकरशाही) नक्शा जो कि अंग्रेजों ने अपनी जरूरियात के लिए बनाया था यानी वह सेक्रेटेरिएट में टाप से लेकर नीचे चपरासी तक एक खास जहनियत, एक खास उसूल, एक खास प्रोग्राम और एक खास नजरिया के साथ काम करें, आज पांच वर्ष के बाद भी यह सरकार उस नजरिये में तब्दीली नहीं पैदा कर सकी है, उस उसूल में तब्दीली नहीं पैदा कर सकी है, उस तरीके में तब्दीली नहीं पैदा कर सकी है और वह तरीका यह है रेड टैपिज्म का यानी कागज की कार्यवाही जारी रखो और जनता की आवाज को हमेशा ठुकराओ। आज यह तरीका है इनके मुलाजिमान का और इनके कारिन्दों का। शुरू में जब यह सरकार बरसरे इक्तिदार आई, तब यह मुलाजिमान खौफ खाते थे और डरते थे। सफेद टोपी के पहनने वालों को देखने के बाद वह परेशान होते थे और यह सोचते थे कि शायद हमारी मुलाजिमतें खत्म हो जायं लेकिन आज उन्होंने इस सरकार को अपने जाल में इस तरह फंसा लिया है कि यह सरकार निकल ही नहीं पाती है और वह जाल इस तरह का है कि जब तक यह सरकार उससे निकल न सके तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकती है।

सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के सिलसिले में अगर आप जनाबवाला, इसको पूरा पढ़ डालें तो आपको यह मालूम होगा कि पुलिस और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन यह दो ऐसे मुहकमे हैं जिनमें जितना रुपया मांगा जाय उतना रुपया दिया गया है और दिया जायगा। जब पिछला बजट पेश किया गया था तब यह कहा गया था कि हाइयेस्ट प्रांट एजूकेशन का है। मैं आज सवाल करना चाहूंगा कि आज एजूकेशन का क्या पोजीशन है और पुलिस और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कहां स्टैंड करते हैं। आप देखिये कि आज एजूकेशन का बजट कितने परसेंट रह गया है लेकिन जहां तक पुलिस और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उस सप्लीमेंटरी में भी और इसमें भी उनकी रकम आगे बढ़ी है और जो फागर्स हमारे सामने २४ तारीख को आयेंगी उनसे भी साफ जाहिर हो जायगा कि उनकी फीगर्स कितनी आगे बढ़ी हैं दूसरे डेवेलपमेंट के मुहकमों के मुकाबिले में। जो रकमें मांगी गयी हैं वह इसलिए नहीं मांगी गयी हैं कि एक काम जारी हुआ और उस काम में कुछ जरूरतें पैदा हो गयीं मैटीरियल (सामान) की या और किसी तरह की और इस वजह से रुपये की जरूरत है बल्कि जो मांग सन् १९४९-५० ई० में मंजूर की गयी और जो किन्हीं वजहों से पूरी नहीं हुई थी उसके लिए रुपये की मांग की गयी है। इसी तरह जो

[श्री फखरुल इस्लाम]

आइन्दा बजट आनेवाला है उसमें भी ऐक्चुअल फोर्सेस नहीं आयेंगी बल्कि सप्लीमेंटरी बजट की जो पेट भरने वाली चीजें हैं वह सामने आयेंगी और तरह-तरह के जेवर पहना करके एक दुल्हन हमारे सामने खड़ी कर दी जायगी ताकि हर आदमी देखे कि सरकार ने बहुत कुछ किया है।

हमारे सूबे को अपनी हुकूमत जिनके हाथों में है उनकी पैट्रिएटिज्म (राष्ट्रप्रेम) और उनकी इंटेलिजेंस (बुद्धिमता) के बारे में शुबहा नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके हाथ ऐसे बंधन में बंधे हुये हैं कि वह कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वह मजबूर हैं कि जो भी रिपोर्ट उनके सामने आये उसको वह पास कर दें इस सिलसिले में मैं, जनाबवाला, यह भी कहना चाहूंगा कि यह जैसा कि आपने पास किया, अच्छा किया, बेहतर किया। इस हाउस को इसका शुक्रगुजार होना चाहिये कि उसके सामने मंजूरी के लिये आया, लेकिन जो तरीका कि स्पिरिट आफ कांस्टिट्यूशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है उसके खिलाफ मैं कुछ कहना चाहूंगा कि विधान की दफा के मातहत जो कुछ किया जाय तो हाउस की सैंक्शन ली जाय, लेकिन इस हाउस की नहीं बल्कि फाइनेंस कमेटी की भी सैंक्शन नहीं ली जाती है और रुपया खर्च किया जाता है और उनको स्वीट विल और मर्जी के ऊपर खर्च किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह तरीका रहना चाहिये। क़ानून की जो अड़चनें हैं वह इसलिये हैं कि जब रुपये की जरूरत हो, डिमांड हो उसकी अहमियत हो तो वह रखी जाय। हमेशा कोई आदमी जब अपने मकान को बनाना चाहता है तो वह यह समझता है कि कितनी ईंटें चाहियें, कितना चूना चाहिये, कितना पत्थर चाहिये, मुझे लोहे की कितनी जरूरत है, वह एक प्लांड तरीके पर हर एक आदमी अपने मकान के बनाने के पहले इन हर सेक्शंस पर गौर कर लेता है और उसके मुताबिक अपना एक बजट प्रिपेयर करता है, अगर बजट न भी तैयार करे तो खर्चा करता है और अपने मकान को वक्त मुअइयना के अन्दर पूरा कर लेता है। लेकिन इस सरकार की यह नीति यह बतला रही है कि किस कंफ्यूज्ड स्टेट के अन्दर काम हो रहा है। मैं जनाब वाला, आपके जरिये से पूछना चाहता हूं उन दोस्तों से कि यह ५ बरस के अन्दर जो कार्रवाइयां इस सरकार ने की हैं उसके बाद वह अपने तौर पर मुतमइयन है और महसूस करता है कि हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे जनता की हालत दुरुस्त होगी और हमने जनता को इतना आगे उभार दिया? यों काम हुए, उससे इन्कार नहीं हो सकता लेकिन जैसा होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ। अगर किसी काम के लिए इतना रुपया सर्फ किया गया होता तो वह जरूर आगे बढ़ता। अभी एक साहब ने बतलाया कि राशनिंग और ट्रेडिंग के सिलसिले में गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये का खसारा रहा और हो रहा है। उसके बाद भी और रुपया मांगा गया है। मैं कहूंगा कि बारहा इस चीज के खिलाफ कहा जाता रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है सुनना कौन चाहता है?

मैं तो हैरान रह गया जब मैंने एक अखबार में पढ़ा कि आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने और देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा कि कोई स्टार्वेशन डेथ नहीं हुई मैं यह नहीं कहता कि कोई मरा या नहीं मरा, लेकिन क्या जनाब वाला, हमारी सरकार यह समझती है कि आज यहां की जनता जिन्दा है? आज देहातों की हालत, शहरों की हालत, गरीबों और मजदूरों की हालत, उन औरतों की हालत जाकर देखिये, उनको जिन्दा तो नहीं कहा जा सकता है। मुरदे से बदतर उनकी हालत हो चुकी है। आज औरतें हैं जिनकी छातियों में दूध नहीं है कि वह अपने बच्चों को पाल सकें। आज ऐसे मजदूर हैं जो अपने पेट को न भर सकें, अदना क्लास के ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे और औरतें भूखों मर रहे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है उनको जिन्दा कौन कह सकता है? इसकी जिम्मेदारी मुझपर, आप पर, इस भवन पर, सबके ऊपर है। इसलिये कि हम जनता के प्रतिनिधि बनकर इस ऐवान में बैठे हैं। हम पर एक जिम्मेदारी है। हमें यह देखना चाहिये कि आज जनता के अन्दर किस क़दर मुसीबत, कितनी दुश्वारियां हैं। इसके रीजन्स (कारण) क्या हैं? मैं समझता हूं कि बहुत से रीजन्स हैं लेकिन एक सर जोड़कर एक जगह बैठकर एक नान-कंट्रोवर्शियल (विवाद रहित) चीज के अन्दर तमाम कंट्रोवर्सीज अराइज की (विवादास्पद विषय उठाये)

जायं इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो ऐसी चीजों के अन्दर जिनपर जनता की ज़िन्दगी का दारोमदार है उनसे सियासत से कोई मतलब नहीं होना चाहिये बल्कि उन चीजों का इन्तज़ाम एक ऐसे शख्स के हाथ में होना चाहिये जिसपर हरएक पार्टी और ग्रूप का इत्मिनान हो, तभी वह गाड़ी आगे चल सकती है। अभी एक कंट्रोल की कमेटी अप्वाइंट हुई, उसका नतीजा क्या हुआ कि उसमें ऐसे लोगों को रखा गया जो उनकी हां में हां मिलाने वाले थे ताकि उसकी रिपोर्ट उनके मुआफिक हो जाय। तो क्या फायदा पब्लिक का रुपया बरबाद करने से, अपने को धोखा देने से ? बेहतर यह है कि ऐसी कमेटियां ही न बनाई जायं जिससे हर ग्रूप और हर पार्टी को शामिल न करके ऐसे कंट्रोवशियल ईश्यूज़ को ला सकें।

आप अपने सेक्रेटेरिएट की हालत देखिये। आप खत लिखिये कुछ जवाब नहीं दिया जाता। एक साहब कह रहे थे कि ऐक्शन लिया जाय। यही खौफ, जब अंग्रेज बैठता था अपने कमरे में तो डिप्टी कलेक्टर दस बजे से साढ़े पांच बजे तक काम करते थे। आज मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरे शहर में सात आठ डिप्टी कलेक्टर इंतज़ाम करते हैं। लेकिन आज क्या है ? डिप्टी कलेक्टरान कार लेकर घूम रहे हैं। अभी इधर बैठने वाले एक दोस्त ने कहा कि पचीस हज़ार रुपया कांग्रेस वालों को ज़मींदारी अबालिशन के सिलसिले में दिया गया। अगर आप एक लाख रुपया कांग्रेस वालों को दे दें तो मुझे खुशी है लेकिन वह दो लाख, पचीस लाख और साठ लाख रुपया जो इन अफसरों ने अपने टी० ए० और डी० ए० में सर्फ कर दिया उसका रोना आप नहीं रो सके। उन्होंने किस तरह से पानी की तरह रुपया बहाया। हर ज़िले में एस० डी० ओ०, जूडीशियल मैजिस्ट्रेट्स, और रेवेन्यू आफिसर्स की एक पल्टन लगी हुई है। लेकिन कुछ काम नहीं करते। भाई रुपया आयेगा कहां से ? काम होगा कैसे ? काम करने वाले क्या करते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। डिप्टी कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने सिगरेट नहीं पिया करते थे, बात नहीं करते थे, खौफ खाते थे। अब क्या है, खाना है, पीना है, कोई डर और खौफ है ही नहीं। अफ़सर समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। लोगों का ख्याल है कि मिनिस्टर करते हैं, मिनिस्टर नहीं करते हैं, हां, कोई पार्टी का मसला आ जाय तो जरूर कर देते हैं, नहीं तो उनके सामने कागज़ आया और उस पर आर्डर्स कर देते हैं। खौफ नहीं, डर नहीं, हर आदमी महसूस करता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चपरासी, क्लार्क, अफसर हर आदमी अपने यहां पर मालिक है। मैं आप से पूछता हूं कि इन पांच वर्षों के अन्दर क्या ऐक्शन लिया गया डिसिप्लिनरी (अनुशासन संबंधी), जो इफेक्टिव (प्रभावशाली) हो सके, प्रोमोशन रुक सके, डिस्मिसल हो सके। गवर्नमेंट आफ इंडिया के लिये रोज अखबारों में देते हैं कि इतने डिप्टी सेक्रेटरी, इतने अफ़सर निकाल दिये गये यहां क्या है ? यहां बिलकुल आपने आंख बन्द कर ली है। जब आप अपनी लगाम को ढीली कर देंगे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में सख्त दिल और नर्म दिल दोनों होना चाहिए और सख्ती के साथ आंख फेर कर काम करना चाहिए। आज चाहे सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, कितना स्टैब्लिशमेंट बढ़ा हुआ है। काफ़ी हाउस में भरे हुए हैं। अफ़सर क्या काम कर रहे हैं ? रेड टेपिज्म हो रहा है लेकिन ऐक्चुअल काम कुछ नहीं होता। उसका नतीजा यह है कि आप कभी भी तरक्क़ी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अब को से सोशलिस्ट शिकस्त दे देंगे, जन कांग्रेस वाले शिकस्त दे देंगे, हिन्दू महा सभा शिकस्त दे देगी, कम्युनिस्ट शिकस्त दे देंगे, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि कोई पार्टी बरसरे इक्तदार आये, लेकिन सरकार को शिकस्त देने वाला उनका सेक्रेटेरियट होगा उसके सबार्डिनेट्स होंगे। आप यह देखिये कि इन पांच वर्षों के अन्दर जब भी इन अफ़सरों की नुक्ताचीनी की गयी, उनको टैप किया गया, एनकरेज किया गया, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। उनकी देख-रेख नहीं की गयी। पिछले पांच वर्षों से बराबर उनकी तारीफ की गयी। उनसे बुलंद आज कोई नहीं, उनसे बेहतर आज कोई नहीं। उस तारीफ़ का नतीजा मुझे नहीं, उन कांग्रेस मेम्बरों से पूछिये जो जाते हैं उनको किस तरह से ठुकराया जाता है। कुर्सी से उठा नहीं जाता। मैं तो उनमें से नहीं हूं, जरा भी बात हुई, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दें मैं फिर कभी नहीं जाता। लेकिन

[श्री फखरुल इस्लाम]

बहुत से जाने वाले बाहर जाते हैं उनको इसका तजुर्बा है। जब ये चीजें चल रही हैं तब आप क्या उम्मीद करते हैं। अगर इस भवन के मेम्बरों को, मिनिस्टरों को इज्जत नहीं की गयी तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं खौफ खाता हूं और यह हो सकता है कि मेरा यह स्पीच हो, उसके बाद बजट में मेरी लास्ट स्पीच हो, क्योंकि उसके बाद नया चुनाव हो और मैं यह महसूस करता हूं कि इस सूबे में इंसान की कोई जिन्दगी नहीं है, पालिटिक्स में इंसान को नहीं रहना चाहिए। जहां के ऊपर इंसानों की कोई जगह नहीं है एसी दुनिया के अन्दर हम सारे इस हाउस के सामने ही नहीं बल्कि खुदा के सामने भी जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि भवन का हर एक सदस्य इसके लिये जिम्मेदार है क्योंकि पब्लिक का नुमाइंदा बन कर आया है। जनता की इन तकलीफों की जिम्मेदारी किस पर डाली जाय, जब हर तरफ इन्एफीशियेंसी (अक्षमता), हर तरफ करप्शन (भ्रष्टाचार), हर तरफ नैपोटिज्म (पक्षपात) हर तरफ फेवरिटिज्म जब यह बुनियादें बन चुकी हैं हमारी तो फिर क्या कहा जाय और किसको कहा जाय ? जिधर जाओ, हर तरफ एक रोना है। बस में बैठना मुश्किल है, सड़क पर चलना मुश्किल है, गाड़ी में सफर करना मुश्किल है। किससे कहें और किस से सुनें ? इस हाउस के अन्दर कहते-कहते थक गये, कमेटियों में कहते-कहते थक गये। अब परेशान हो गये हैं। मैं समझता हूं कि मैं क्या हमारे उधर के दोस्त भी कहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा?

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि इस बजट के सिलसिले में अब आइंदा साल के लिये बजट आने वाला है। लेकिन कोई ऐसी चीजें हों जिनसे इंसान की जिन्दगी अच्छी बन सके वह देखना है। इस मसले पर बहुत सोचना विचारना है, हो गौर व फिक्र की जरूरत है। इस पर सोचना चाहिये कि हम बहुत क्यों कर जनता को तमाम तकालीफ को चाहे वह कम तनख्वाह पाने वाले हों या ज्यादा बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हों या और लोग हों उनकी तकालीफ को दूर कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं और जनता में हम कहां तक कांफीडेंस क्रियेट (विश्वास पैदा) कर सकते हैं, कहां तक उन्हें समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं गल्ला नहीं है यह मुसीबत का वक्त है और हम तुम्हें इतना नहीं दे सकते लेकिन वह इस तरीके से नहीं हो सकता कि जिस तरह से सेक्रेटेरियट से स्टेटमेंट दे दिया कि खजूर आ रहे हैं, बच्चों के लिये मिल्क (दूध) आ रहा है। क्या गलत बेबुनियाद बातें की जाती हैं और इस तरह से गलत बातें जाहिर कर देने से कोई नतीजा नहीं निकलता। जब खजूर आ गये होते तभी यह बात निकालना चाहिये थी। इसका पता नहीं लेकिन मुमकिन है कि खजूर ईराक से चली हो बस यहां सेक्रेटेरियट से एक खबर निकलती है कि इतना वेस्टर्न में चला जायगा इतना ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस को मिलेगा। बच्चों के लिये चूंकि राशन कम हो गया है इसलिये दूध का इंतजाम हो रहा है। इस तरह की चीजों से ही खराबियां पैदा होती हैं। इन तमाम चीजों को सामने रख कर ही बातें निकाली जानी चाहियें और जनता से तकलीफ बरदाश्त करने के लिये कहा जा सकता है ताकि यहां की जनता को यह मालूम हो कि हमारी सरकार दिक्कत में है। तो मुझे उम्मीद है कि जनता हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देगी। उसने दी है, देती रही है, देती रहेगी और दे देगी लेकिन उसे इस बात की तकलीफ होती है कि चीजें इस गलत तरीके से करके उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। और वह भी आपकी वजह से नहीं है आपके इन्हीं सबार्डिनेट लोगों की वजह से है जिनके लिये आपने छूट दे रखी है कि जो चाहो सो करो, स्याह-सफेद जो चाहो करो हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। वही जो चाहते हैं करते हैं। और अब भी अगर इन चीजों को देख लें तो हालत सुधर सकती है। आप शायद इन चीजों को पसन्द न करें लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज आपके सामने रख दी ताकि आप ध्यान दें गौर करें। यह कहा जाता है कि डिमोक्रेसी में यह नहीं होता और वह नहीं होता, लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं कि इस पर गौर कीजिये इस पर सोचिये कि यह डेथ (मृत्यु) जो हो रही है वह नेचुरल डेथ तो नहीं होगी लेकिन यह एक क्वस्टोडेथ हम आप अपने हाथों अपने नेशन की कर रहे हैं इसलिये कि इस मुल्क के बच्चों को न तालीम हासिल हो सकेगी,

न हेल्थ हासिल हो रही है, न वह फैसिलिटीज हासिल हो रही है, जिनके लिये हमने आपने और सबने जिम्मेदारी ली है। मैं नहीं कहता कि अकेले आप की जिम्मेदारी है बल्कि हम सब उसके लिये जिम्मेदार हैं जो कुछ हो रहा है। अगर हमें अपने सूबे की भलाई करनी है, हमें जनता की भलाई करनी है तो जरूरी है कि हमें यकीनन खुशी से इन बातों पर गौर करना चाहिये और देखना चाहिये कि बजट उसी जनता के लिये हो और उसी के फायदे के लिये हम काम करें।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, और कुछ कहने के पहले मैं एक शिकायत आप के सामने रखना चाहता था। हमारे सामने बार-बार दूसरे मुल्कों के पार्लियामेंट्स के क़ायदे, क़ानून और उनके दस्तूर उनके कनवेंशन्स (अभिसमय) की चर्चा आती है। मैं समझता हूं कि हमें उनके कुछ दस्तूरों को ज़रूर अपनाना चाहिये और उनमें से एक दस्तूर की तरफ़ मैं ध्यान दिलाता हूं।

जब सदन के सदस्य और खास कर जिम्मेदार सदस्य अपनी तक़रीर में गवर्नमेंट की आलोचना करें तो मैं आवश्यक समझता हूं कि कर्टसी यानी सौजन्यता का यह तकाज़ा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जवाब सुनने के लिये मौजूद रहें वर्ना यह सदन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, मैं किसी मिनिस्टर की बात नहीं करता हूं, वह सदन के साथ डिसकर्टसी (असौजन्यता) की बात है। अगर इस क़िस्म की आलोचना हो और जवाब न दिया जाय तो नामुनासिब न होगा। फिर भी मैं स्वीकार करता हूं इसलिये कि मैं कम से कम गलत मिसालों का अनुकरण नहीं करना चाहता हूं।

इस बहस के सिलसिले में श्री त्रिलोकी सिंह और श्री कृष्ण चंद्र और कुछ सदस्यों ने कुछ सिद्धान्त की बातें हमारे सामने रखीं और वह मैं पूरे तौर से स्वीकार करता हूं कि उनकी बाबत कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यह बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि अगर किसी गवर्नमेंट को सप्लीमेंटरी बजट न पेश करना हो तो बहुत उम्दा बात है। अगर किसी तरीके पर साल के अंदर जितना खर्चा हो उसका अंदाज़ा किया जा सके और सारा रुपया बजट में रखा जा सके तो बहुत ही अच्छा है।

यह दो तरीक़ों से ही हो सकता है। एक तो यह कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा तरीक़ा मालूम हो कि जो कुछ भी साल भर में होने वाला है उसका अंदाज़ा किया जा सके। दूसरे इंफ्लेटेड बजट ऐसा बना दिया जाय जिसमें मोटी-मोटी रक़में रख ली जायं और उनको साल भर में खर्च किया जाय। बहरहाल हम इस बात का तो दावा नहीं करते हैं कि ऐसी बात मालूम है, जिससे हम हर चीज़ को जोड़ा कर सकते हैं और इंफ्लेटेड बजट बनाना हम ग़लत समझते हैं। इसलिये हमें मजबूरन सप्लीमेंटरी बजट पेश करना पड़ता है। यह सही बात है कि जब बहुत ही आवश्यक बात हो तब ही पेश करना चाहिये अन्यथा नहीं करना चाहिये। अब ज़रूरत है या नहीं। इसको तय करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। इसका अंदाज़ा कौन करे गवर्नमेंट के सामने जो खर्चे आते हैं उन पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा-पूरा विचार करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार जिसको आवश्यक समझते हैं कि वह बहुत ज़रूरी है उसी चीज़ के लिये रुपया खर्च करना मुनासिब समझते हैं, उसी को खर्च करते हैं। जो कुछ हमारा ख्याल होता है वह फाइनेन्स कमेटी के सामने जाता है और वहां पर उस पर विचार होता है और वहां से छनकर फिर सदन के सामने वह आता है। हो सकता है कि हमारा ख्याल हो खर्च होना चाहिये, ज़रूरी है और अनएवायडेबिल (अपरिहार्य) है और इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा ख्याल हो कि उस खर्चे को बचाया जा सकता था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसा हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि हर मौक़े और हर काम के संबंध में ऐसा होगा कि सब लोगों का विचार हर बात में पूरे तौर से नहीं मिलेगा। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि फायनेन्स डिपार्टमेंट को कड़ाई के साथ देखना चाहिये। जहां तक होता है हम देखते हैं। इतना तो मानना चाहिये कि फ़ायनेन्स डिपार्टमेंट रुपया बचाने का ही काम नहीं है, बल्कि रुपये पर निगाह रखनी चाहिये, जहां तक उत्तर प्रदेश के आवश्यक कामों में बाधा न पड़े। लेकिन जब ऐसी बात सामने आजाय कि आवश्यक कामों में बाधा पड़ती हो तो महज़ लकीर पकड़ कर

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बैठे रहना कि आज से पहले जो बजट पास किया गया था उसके अनुसार हम एक पैसा भी ज्यादा खर्च करने के लिये राजी नहीं होंगे। यह नहीं करना चाहिये और कहीं भी दुनिया में फाइनेन्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता है। अब जहां तक फोरसीन (तर्कित) और अनफोरसीन (अतर्कित) का सवाल है दो-एक चीजें ऐसी हैं जिनको अनफोरसीन कहा जा सकता है। किसी साल पानी ज्यादा बरस गया या पानी बिल्कुल न बरसा। साइंस का किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो शायद फोरसी कर सके। दूसरे लड़ाई ही छिड़ सकती है। स्टेट गवर्नमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से खर्चे हैं जिनका अंदाज हम नहीं कर सकते उन खर्चों को अनफोरसीन कहा जा सकता है। फोरसीन और अनफोरसीन को कोई खास डेफिनीशन (परिभाषा) देना मुश्किल है। कई खर्चे होते हैं जिनको फोरसी किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया कि सप्लीमेंटरी जो पहले पेश किया गया था उस वक्त इसका अंदाज क्यों नहीं लगाया गया, पहले इतना खर्चा होता था अब क्यों कम कर दिया। ऐसा होता है कि किसी मुहकमे के काम के लिये रुपया रखा गया कि इस रक़म को साल भर में खर्च करना है लेकिन किसी वजह से खर्च नहीं हो सका। इसको अनफोरसीन कह सकते हैं। जिस तरह से हिसाब लगाया जा सकता है उसे लगाया जाता है। ख्याल हुआ इस साल इतना काम होगा और इतने रुपये की जरूरत पड़ेगी लेकिन काम उस रफ्तार से ज्यादा हुआ जिसको कि हम समझते थे जरूरत नहीं पड़ेगी लिहाजा ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ गयी। ऐसे मौक़ों को हम अनफोरसीन कह सकते हैं। सरकार इस चीज को देखती है और इस मानी में फोरसी करना कि काम खत्म होगा या नहीं होगा मुमकिन है। इस तरह से अंदाज लगाने पर सरकार समझती है कि इतना रुपया खर्च नहीं होगा लेकिन किन्हीं वजूहात से, काम ज्यादा तेजी से हुआ और वह रुपया खर्च हो गया, इस मानी में वह अनफोरसीन बात है। ये दिक्क़तें होती हैं। इन बातों को लिहाज में रखते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक बन पड़ेगा हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक का रुपया है वह ज्यादा खर्च न हो। एक सवाल कई दोस्तों ने उठाया कि यह दो सप्लीमेंटरी बजट पेश करने की क्या जरूरत पैदा हो गयी। कुछ-कुछ मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब ने उसका जवाब भी दिया। सवाल हुआ कि एक नया बजट पेश होने वाला था तो उससे पहले एक सप्लीमेंटरी बजट क्यों पेश किया गया। जमशेद अली साहब मौजूद नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि एक कड़वी दवा एक साथ न पीना पड़े इसलिये उसे दो किस्तों में रख दिया। एक मर्तबा एक खूराक और दूसरी मर्तबा में दूसरी खूराक दी। जहां तक सब्सटेंशियल बजट (मूल आय व्ययक) की बात है एक बात समझ लेना चाहिये मेरा ऐसा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि आगे चल कर कोई भी गवर्नमेंट होगी जब तक यह कांस्टिटयूशन मौजूद रहेगा उसके मुताबिक साल में कम से कम दो सप्लीमेंटरी बजट तो पास ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई ऋषि-मुनि होने की बात नहीं है। जो सूरत है क़रीब-क़रीब गैर मुमकिन है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो, इस कांस्टिटयूशन के रहते हुए उसको कम से कम दो सप्लीमेंटरी बजट पेश करने ही पड़ेंगे। हो सकता है किसी के पास फुर्सत हो, पब्लिक के मनी का ख्याल न हो तो जैसा नवाब साहब ने कहा उसके मुताबिक १५ दिन में बजट पेश किया जाय, महीने भर में पेश किया जाय। कांस्टिटयूशन में कोई मनाही नहीं है रोज का रोज पेश किया जाय। यह सब तो मुश्किल है लेकिन कम से कम दो मर्तबा तो पेश करना ही पड़ेगा। वजह यह है कि पहले जो १० करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट पेश होता था या २० करोड़ या २५ करोड़, जितने का भी वह होता था, उस वक्त एक चीज थी कि गवर्नमेंट जो भी साल में बजट मंजूर करती थी उसके मंजूर होने के बाद अगर साल में कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ी तो वह चीज हाउस के सामने आती थी। दुनिया में ऐसा होता रहा है, होता रहेगा और गैर मुमकिन बात है कि ऐसा न हो। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट समझती है कि हाउस को इस वक्त मंजूरी लेना मुनासिब नहीं है। दो-दो यहां हाउसेज हैं अगर बिल लाया गया, मंजूरी ली गयी तो तब तक काम रुक जायगा। जब यह चीज गवर्नमेंट के सामने पैदा

होती है तो बिना मंजूरी के खर्च करना पड़ता है और खर्च करने के बाद उस खर्च को वह हाउस के सामने रखती है। अगर हाउस ने मंजूर किया तो हाउस का सरकार पर कांफिडेंस (विश्वास) है और अगर नामंजूर किया तो वैधानिक संकट की बात पैदा हो जायगी।

इस क़िस्म की दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखती है उसके सामने ऐसे मौक़े ज़रूर आयेंगे कि उसको हाउस की बिला मर्जी के खर्च करना पड़े और वह कभी हाउस की बिला मर्जी के ख़र्च कर बैठे। पहले यह सूरत थी कि जो जरूरी खर्चा था, वह हो गया था जो ज़रूरी ख़र्च करने की ज़रूरत है तो उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट हाउस के सामने रख दिया और वह साल भर में एक बार रख दिया जाता था। लेकिन अब यह सूरत हो गई है कि एक कंटिन्जेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) क़ायम किया गया है। उस फंड में गवर्नमेंट की तरफ से हाउस से यह दरख्वास्त की गई है कि वह उस फंड के लिये ४ करोड़ रुपया या पांच करोड़ रुपया मंजूर करे। यह हाउस की मरजी पर है कि वह उसको मंजूर करे या न करे। लेकिन आपने पिछली दफा इस फंड के लिये ४ करोड़ रुपया मंजूर किया। उसके मंजूर करने के माने यह हैं कि हम किसी भी खर्च के मुताल्लिक़ इस फंड से ले सकें और वह हम ४ करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते और न उससे आगे ही जा सकते हैं। तो हम ४ करोड़ तक खर्च कर सकते हैं इससे ज्यादा ख़र्च नहीं कर सकते हैं। *इसके माने यह हुये कि साल के अन्दर ऐसी जरूरत पैदा हो सकती है कि ३ या ४ या ५ करोड़ रुपया खर्च हो गया और उसमें जो भी कमी पड़ेगी उसको पूरा करने के लिये गवर्नमेंट को हाउस के सामने एक सप्लीमेंटरी बजट लाना होगा और आपकी मंजूरी होने पर जितना भी कंटोन्जेन्सी फंड से रुपया खर्च हुआ है वह रिकूप हो जायगा ताकि सरकार के लिये आगे के लिये आसानी हो और वह अपना काम चला सके। तो या तो किसी गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेचर से मंजूरी लेकर इतना बड़ा फंड बना लिया हो कि जिसमें १५-२० करोड़ रुपया हो और इतने रुपये तक वह खर्च कर सके या हमारा बजट जो क़रीब ५० करोड़ का होता है उसमें अगर हम १५, २० करोड़ का कंटोन्जेंसी फंड बना लें तो साल में अगर उससे ज्यादा हमारा खर्चा नहीं तो हमको भी दो बार या इससे ज्यादा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा काम एक ही सप्लीमेंटरी बजट से चल जायगा। यह तो ज़रूर एक बुद्धिमानी की बात होगी अगर एक ही सप्लीमेंटरी बजट से काम चल जाय या एक चीज यह हो सकती है कि आगे चल कर इत्तफ़ाक़ से साल भर के अन्दर इतना ख़र्चा न हो कि जितना कंटोन्जेंसी फंड में रखा गया है उससे काम चलाने की जरूरत न पड़े जो पहले रखा गया है उससे ही काम हो जायगा यानी जो फंड की हद है उससे आगे नहीं पहुंचे। नहीं तो मेरा यह ख्याल है कि इन हालतों को छोड़ कर आगे चल कर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जिसको अपने लेजिस्लेचर के सामने साल में कम से कम दो मर्तबा सप्लीमेंटरी बजट को न लाना पड़े। इससे ज्यादा बजट लाने की जरूरत होगी या नहीं इसकी बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बात को मैंने बहुत संक्षेप में पहले बजट के मौके पर निवेदन किया था लेकिन अब मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि इस संबंध में कोई किसी तरह की गलतफहमी नहीं रह जायगी इस संबंध में गवर्नमेंट की कोई खास गलती नहीं है कांस्टीट्यूशन जिस तरह की इजाजत देता है उसके मुताबिक ही हमको करना पड़ता है और आगे भी उसके मुताबिक ही काम होगा। कम से कम हम ४ करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकें हैं और उस ४ करोड़ के खर्च होने के बाद आप के सामने आये हैं वरना हमको कई बार आपके सामने आना होता। इसके लिए एक बात यह भी कही गई शायद फिलिप्स साहब ने कही थी कि सप्लीमेंटरी बजट को नवम्बर या दिसम्बर में पेश करना चाहिए था। साल भर का पूरा खर्चा नवम्बर-दिसम्बर में हो जाय यह किसी तरह से मुमकिन नहीं है। कुछ खर्च इस तरह के होते हैं कि वह साल के अखिर में आते हैं जैसा कि महीने के आखिर में जिसकी आमदनी लिमिटेड (परिमित) होती है उसको आया करते हैं उसी तरह से साल के आखिर में सब खर्चों की मांग आती है उसी तरह से

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गवर्नमेंट के यहां भी ऐसा होता है और उनमें भी हर किस्म के खर्चे आया करते हैं कुछ में ज्यादा रकम होती है और कुछ में मामूली रकम होती है लेकिन उसका अन्दाजा नहीं होता है। अगर आगे चलकर उसमें ज्यादा रकम हो जाय तो उसको भी देना होता है।

इस बजट के सिलसिले में बहुत सी बातें कही गयीं । कुछ जनरल (सामान्य) बातों का भी जिकर किया गया । मैं यह नहीं कहता कि इस विचार से कहा गया कि किसी गवर्नमेंट को या मुझको ड्रा आउट करने के मतलब से कुछ कहा गया । ऐसी बातें कही गईं कि मुलाजिमीन की तनख्वाह वगैरह के बारे में सरकार का क्या ख्याल है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है इसका कोई पता इससे नहीं लगता। हमारे गोपाल नारायण सक्सेना जी ने कहा कि अगर इस बजट से कोई बात नहीं मालूम होती है तो बजट कुछ दिनों के बाद पेश होने वाला है तो उसमें क्या आशा हो सकती है। आप को उम्मीद हो या नाउम्मीद हो लेकिन मैं इसके बाबत कुछ नहीं कह सकता । उस बजट में क्या होगा इसकी बाबत तो मैं कोई बात इस वक्त नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि अगर सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर सब बातों पर रोशनी नहीं डाली गयी है जो कि हमारे सामने है चाहे वह तनख्वाह की बाबत हो या फाइनेंस की मुसीबत की बाबत हो या इकनामिक (आर्थिक) मुसीबत की बाबत हो या एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट क्या करने वाली है या उसका क्या करने का इरादा है या सड़कों के मामले में वह क्या करने जा रही है या किसी और मामले में क्या करने वाली है अगर इनके मुताल्लिक कोई रोशनी नहीं डाली गयी है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है हम ऐसा कर नहीं सकते और ऐसा करना उसूल और कायदे के खिलाफ होगा क्योंकि सप्लीमेंटरी बजट में तो सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र होना चाहिए जिनके बारे में उसमें आइटम्स (मदें) हैं और उन आइटम्स की बाबत उसमें जिक्र नहीं हो सकता जो जनरल हैं या उसमें नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई दूसरा भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा और अगर वह फाइनेंस के उसूलों पर चलेगा उसे मजबूर होकर मेम्बर साहबान को नाउम्मेद करना पड़ेगा और वह मजबूर होकर जनरल बातों की बाबत उसमें कुछ नहीं कह सकता । उन बातों का जिक्र तो जनरल बजट जो साल भर का अभी ५ या ६ दिन में आने वाला है उसमें आ सकता है, लेकिन इस बजट में उनका जिक्र नहीं आ सकता वह दूसरी बात है कि किसी खास चीज की छाया किसी सिलसिले से इसमें आ जाये चाहे उनकी चर्चा करने का इरादा हो या न हो । मसलन गुप्ता जी ने अभी राशन का जिक्र किया और सभी जानते हैं कि यह एक बड़ा भारी मसला है कि राशन होना चाहिए या न होना चाहिए या पार्शल (आंशिक) राशन होना चाहिए या सब जगह होना चाहिए या यह कि कहां हो और कहां न हो और कैसे हो । उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खुदमुख्तार हो और वह सेंट्रल गवर्नमेंट की पाबन्द न हो। मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारी खुदमुख्तारी और हमारी आजादी के बारे में गुप्ता जी का विचार गलत है और जितना स्वतंत्र वह हमें समझते हैं उतने स्वतंत्र हम नहीं हैं । अगर कुल उत्तर प्रदेश को मिला कर हमारी स्टेट सरपलस होती तो हम खुदमुख्तारी की बात सोच सकते थे लेकिन चूंकि सूरत यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की मदद की हमको बहुत सी बातों में जरूरत है इसलिए हम भूल कर भी इस तरह का विचार तो कर ही नहीं सकते कि खुदमुख्तार हम हो जायं। यह चीज हमारे हाथ की नहीं है और हमारी बहुत सी मजबूरियां हैं कि हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया की नीति पर चलना पड़ता है।

श्री गोपाल नारायण जी ने, कहा कि अंग्रेजी और हिन्दी के वरजन में फर्क है। यह बात उनकी ठीक है और मुनासिब बात है फर्क न होना चाहिए और दोनों एक ही होने चाहिए वर्ना वाकई इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है । मैं भी यह चीज मानता हूं और इसमें सावधानी बर्तना चाहिए।

इस बात का भी जिक्र किया गया कि बजट में लिखा हुआ है कि २५ हजार रुपया कांग्रेस कमेटी और दूसरी नान-आफिशियल बाडीज़ (असरकारी निकायों) की सहायता के लिए रखा गया है जो जेड० ए० एफ० के सिलसिले में रखा गया था। बार बार पूछा गया कि यह कौन सी नान-आफिशियल बाडी है। जाहिर सी बात है कि इसको रखा ही बजट में इस मकसद से गया है कि चाहे वह कांग्रेस कमेटी हो या कोई और नानआफिशियल बाडी हो जो भी मदद करना चाहे वह इसमें से ले सकती है। २५ हजार की हद तक इसमें खर्च किया जा सकता है। आज भी हमारे कुछ दोस्त उधर बैठे हैं जोकि पहले कांग्रेस में थे और अब जनकांग्रेस में हैं और इस जमींदारी अबालिशन के सिद्धान्त को मंजूर कराने में जिनका हाथ था और कांग्रेस आज भी उन्हीं के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस कमेटी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की हमने उससे काम लिया अगर कोई भी पार्टी हमसे कहती तो हम जरूर उसको भी देते। कोई नहीं आता तो हम क्या करें। (एक आवाज--दरख्वास्त दिलवा दी जाय।) हां अगर दरख्वास्त दी जायगी तो जरूर कुछ न कुछ किया जायगा और हम तो जमींदारों को भी नान-आफिशियल की हैसियत से मदद करेंगे। लेकिन खाम-ख्वाह कहना कि इसको दिया गया और इसको नहीं दिया गया यह समझ में नहीं आता। दो-एक बातें और भी कही गईं। मसलन हमारे मित्र भगवानदीन जी ने कहा कि सरकार को पंचायत अफसरों के वेतन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए और अच्छा होता अगर बजट के वक्त उस पर गौर किया जाता। लेकिन सोचना यह है कि शुरू में थोड़ी सी मदद करना ठीक हो सकता है ताकि वह पंचायतें अपने पावों पर खड़ी हो सकें और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह करना कहां तक उसूली बात होगी कि पंचायतों के जो अफसर हैं या अहलकार हैं उनको एक सरकारी कर्मचारी की तरह बनाया जाय और इस तरह से आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहां तक पंचायतों की खुदमुख्तारी रह सकती है। अगर वे गवर्नमेंट से तनख्वाह पाते रहेंगे और एक किस्म के गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो जायंगे तो उनके जो इमीजिएट आफिसर्स हैं, पंचायतें और सरपंच, उनकी मातहती वे कहां तक कर सकेंगे और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्प्रिट हम लोगों में पैदा करना चाहते हैं वह कहां तक पैदा कर सकेंगे ? यह गौर तलब बात है। फिर भी एक उसूल का सवाल है इस पर सदस्यों को विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जब बजट का वक्त होगा तो उस वक्त इस पर और अच्छी तरह विचार हो सकता है।

हमारे दोस्त नवाब साजिद हुसैन साहब ने दो-तीन बातें कहीं। एक तो यह कि उनकी शिकायत है कि लखनऊ के सड़कों के नाम बदल दिये गये हैं, जैसे विक्रमादित्य मार्ग वगैरह-वगैरह, लेकिन यह लोगों को पता नहीं कि किस सड़क का क्या नाम रख दिया जाय। कोई नक्शा हो तो ठीक है। सही है, नक्शा होना चाहिए। उन्होंने इस सदन के जरिये से लखनऊ के ऐडमिनिस्ट्रेटर का ध्यान आकर्षित करना मुनासिब समझा, मेरा ख्याल तो यह है कि अगर वे खुद एक खत लिख देते तो आसानी से काम हो सकता था और जल्दी हो जाता था। अब प्रोसीडिंग्स छपेंगी तब भेजी जायंगी और तब वे देखेंगे।

मैं यह भी मानता हूं कि लखनऊ के जू (जिन्दा अजायबघर) में कई चीजों की कमी है। बच्चों को सवारी कराने के लिए हाथियों की, नाचने वाले बन्दरों की कमी है। बहरहाल उसके मुन्तजिम जो कोई होंगे उनके पास आपकी सिफारिश भेज दी जायगी।

श्री भगवानदीन जी ने इस बात का जिक्र किया कि बहराइच के ज़िले में हरियाना बुल्स नहीं पहुंचाये गये। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां हरियाना बुल्स (सांड़) की बहुत कमी है। इतने नहीं हैं कि हर जिले में एक साथ पहुंचाये जा सकें और अगर पहुंचाये भी जायंगे तो धीरे धीरे पहुंचाये जायंगे। दूसरा सवाल यह है कि जो इंडिजनस (देशी) किस्म के बुल्स हैं उनकी बाबत क्या होगा। कई अच्छे जानकारों का ऐसा ख्याल है कि जो लोकल कंडीशन्स हैं उनके लिहाज से कई मानों में इंडिजनस गाय और बैल ज्यादा अच्छे साबित होंगे। यह भी ख्याल हो रहा है कि हरियाना बुल्स तराई के लिए ज्यादा अच्छे नहीं साबित

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होंगे । बहरहाल इन सब चीजों का एक्सपेरीमेंट हो रहा है और दूसरे जिलों के साथ-साथ बहराइच में भी हरियाना बुल्स पहुंचाये जायंगे और इसका जरूर ख्याल रखा जायगा।

मैं और बहुत सी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उनके बारे में परसों जब बजट आने वाला है तो ब्योरेवार बहस होगी लेकिन दो-एक बातें हैं और खासतौर से अंत आखिर में मेरे दोस्त मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब ने जो कहा वह बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फूड की बात है वह एक नानपोलिटिकल सब्जेक्ट (राजनीति से पृथक विषय) होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी पार्टी को जब फूड के मसले पर गौर हो तो इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि आज फूड का इंतजाम फलां पार्टी के आदमी के हाथ में है और अगर उसकी आलोचना कर देते हैं तो हमारी पार्टी की जीत हो जाती है और उस पार्टी की हार हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मामूली चीज नहीं है, बल्कि लोगों के जान के साथ मजाक करना है और यह मजाक किसी हालत में भी क्षम्य नहीं हो सकता। हर आदमी को इस पर गौर करना चाहिए कि उसका इन्तजाम कैसा हो। फूड की हमारे यहां बहुत कमी है। अब इस बात का बहस करना बहुत मुश्किल है कि जितनी कमी बतलायी जाती है उतनी है या नहीं? या गांव वाले जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा होर्ड किये (बचाये) हुए हैं? यह आमतौर से लोगों का ख्याल है कि आज देहात के आदमी पहले जो खाते थे उससे ज्यादा खाते हैं और अच्छा खाते हैं और खाना चाहिए। यह हममें से कोई नहीं कहता कि देहात के आदमी भूखों मरें या मोटा अनाज खायें। आज यह भी सही है कि गल्ले की कीमत इतनी ज्यादा हो गयी है कि देहात के आदमी को बाजार में अपने अनाज को लाने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर उनको लगान वगैरह देना है तो भूसा वगैरह को बेच कर दे सकते हैं। इसलिए उसको बाजार में अनाज लाने की उतनी जरूरत नहीं है।

ये सब बातें हैं। साथ ही इसके गल्ले की भी कमी है, इस बात को भी मानना चाहिए। हमारे देश में सब से बड़ी ग्रेनरी (अनाज के भंडार) पंजाब और सिंध थे। जब भारत में हर जगह अन्न की कमी रहती थी तो पंजाब और सिंध अच्छी तरह से पूरा कर सकते थे और करते थे। आज उनके हमारे देश से निकल जाने से और उन कारणों से जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है हमारी कमी पूरी नहीं हो पा रही है और हमें बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है। आज हमारी ग्रेनरी हमारे पास नहीं रही है और वह फारेन टेरीटरी (विदेशी राज्य-क्षेत्र) हो गयी है। वे पाकिस्तान में हैं। जिस आसानी के साथ हमारे देश को पंजाब व सिंध से गल्ला मिल सकता था उस आसानी के साथ आज नहीं मिल पा रहा है।

श्री नवाजिश अली खां—कल ही डेढ लाख टन का ऐग्रीमेंट हुआ है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी बड़ी खुशी है। फारेन टेरीटरी हो जाने से हमारे देश में अनाज की कमी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको गेहूं कहीं न कहीं से लाना होगा। चावल भी हमारे यहां कम है। वह भी हमें बरमा और चीन से लेना होता है। यह तो हर आदमी मानेगा कि हमारे यहां कुल मिलाकर अनाज की कमी रहती है और हमें बाहर से ही उसे अभी पूरा करना पड़ रहा है। छोटी-छोटी बातों पर डिफ्रेंस आफ ओपीनियन (मतभेद) हो सकता है अगर असली बड़ी बात को तो हर कोई मानेगा। हमारा एक स्टैंडर्ड है और हमारा एक आइडियल (आदर्श) है और वह यह है कि जितनी जल्दी हो सके हम १९५१ तक यानी सालभर के अन्दर अपनी कमी पूरा कर लें। कम से कम इतना तो गल्ला पैदा कर लें कि अपने प्रान्त भर को काफी हो सके और हमें केन्द्रीय सरकार से न लेना पड़े। अगर हम इतना भी कर लें तो हम देश की बड़ी सेवा कर सकेंगे क्योंकि जो गल्ला अब केन्द्रीय सरकार हमको देती है वह दूसरों को दे सकेगी और उसे बाहर से भी कम मंगाने की आवश्यकता होगी। अच्छा तो यह हो

कि अगर हम कुछ दूसरे प्रान्तों को भी दे सके मगर वह तो अभी दूर की बात है पहले तो हमें यही करना है कि हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। इसलिए सरकार के ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) के काम में हर शख्स को मदद करनी चाहिए। इसमें मुखालिफत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।

कहा गया कि हमारे यहां कैरेक्टर (चरित्र) की कमी है। कैरेक्टर की कमी की वजह से हम अपनी स्कीमों को जितना कामयाब बना सकते थे उतना नहीं बना सके हैं। कई साहबान ने इसका बार–बार जिक्र किया और फखरुल इस्लाम साहेब ने भी इसके बाबत में अपनी स्पीच में कहा। करप्शन (भ्रष्टाचार) और नैपोटिज्म (पक्षपात) का भी बहुत जिक्र किया गया और बहुत जोर दिया गया। इसकी चर्चा बहुत है। हर जगह इसकी चर्चा है। इसके क्या मानी हैं? कहा गया कि जब तक अंग्रेज यहां रहा तो हमारे ऊपर उसका हाथ रहने से हमारा कैरेक्टर ठीक रहा और अब उसके यहां से चले जाने पर हमारा कैरेक्टर गिर गया है। दुनिया के सामने हम बार-बार इसका ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां करप्शन और नेपोटिज्म का दौरदौरा है। इससे क्या लाभ है? अंग्रेज का हाथ हमको शरीफ बनाय हुए था और उसके उठ जाने से हमारा कैरेक्टर गिर गया है।

श्री फखरुल इस्लाम––यह किसने कहा है? मैंने कहा है कि केंद्रीय दफ्तर में बैठकर वह इंतजाम को अच्छी तरह से चलाता था। आप का जो अफसर आज ठीक काम नहीं करता है वह उनके जमाने में निहायत एफीशैंटली (क्षमतापूर्वक) काम करता था। इसका जवाब दें कि यह क्यों है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द––मुझे अफसोस है कि फखरुल इस्लाम साहब ने ठीक सुनने और समझने की कोशिश नहीं की है। आज जो करप्शन (भ्रष्टाचार) और नेपोटिज्म (पक्षपात) का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है वह गलत इस्तेमाल किया जाता है। उनका मतलब यह था कि अंग्रेज ज्यादा सख्ती के साथ हुकूमत करते थे अंग्रेज के जमाने में सख्ती ज्यादा होती थी और आज हिन्दुस्तानी हुकूमत के जमाने में सख्ती नहीं होती है, इसीलिए लोगों में डर नहीं है, भय नहीं है। उनका मतलब यह है कि हम लोग सख्ती के आदी हैं, जब हमारे ऊपर कोई हंटर लिए रहता है, तब हम ठीक काम करते हैं और अगर हमारे साथ कोई नर्मी का बरताव करता है तो हम ठीक काम नहीं करते हैं। जहां तक इनडिसिप्लिन (अनुशासन हीनता) या इनएफिशिएंसी (अक्षमता) का ताल्लुक है, चाहे हमारे आफिसर्स में हों, चाहे हम मिनिस्टर्स में हों, वह शर्म की बात है। लेकिन हमारे यहां का जो सबार्डिनेट स्टाफ है चाहे उसमें कोई डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे कोई क्लर्क हो, अगर वह इसलिए काम करता था कि उसके ऊपर कोई हंटर लगाने वाला था और आज उसके साथ चूंकि इंसानियत का बर्ताव होता है इसलिए वह काम नहीं करता है तो यह उसके लिए भी शर्म की बात है। आज हमको समझना चाहिए कि हमारा अपना राज्य है और हमारा मुल्क चूंकि गरीब है, इस लिए हमारे जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज (साधन) हैं उन्हीं के जरिये हमको बालू से रस्सी बट करके निकालना है। मैं आशा करता हूं कि हममें से हर एक में यह स्प्रिट आयेगी, सरकारी और गैर-सरकारी सब में यह स्प्रिट आयेगी। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि करप्शन और नेपोटिज्म का बार–बार जिक्र करना अच्छा नहीं है, इससे हम किसी को सुधारते नहीं हैं बल्कि दुनिया के सामने हम यह चीज रखते हैं कि हमारा देश इतना गया गुजरा है यह भी बड़े अफसोस की बात है कि अंग्रेज के जाते ही यह चर्चा होने लगी है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना––प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कहते हैं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द––उनकी भी राय गलत है अगर वह ऐसा कहते हैं। जो भी ऐसा कहता है वह गलत कहता है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात कहें तो वह बिल्कुल सही ही नहीं हो सकती है।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फूड के और दूसरे जो मसले हैं उनमें हम सब को अपनी पूरी शक्ति के साथ सहयोग देना चाहिए। किसी एक पार्टी की हार हो सकती है, किसी एक पार्टी की जीत हो सकती है लेकिन किसी एक पार्टी की हार और जीत में अगर लोग तबाह होते हैं तो फिर किसी पार्टी के हार-जीत के कोई माने नहीं। हम सब को मिल करके काम करना चाहिए और जी लगा करके काम करना चाहिए लेकिन काम करने के सिलसिले में हमें कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे हमारा नेशन दूसरों की निगाहों में गिरे। इसी के साथ-साथ अगर किसी आदमी से बार बार कहा जाय कि तुम इतना गिरे हुए हो तो वह आदमी खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है। इस प्रकार किसी आदमी को अपनी निगाहों में गिराना न अच्छी बात है और न मैं उसे अच्छी बात कह सकता हूं और ब्योरे की बातों में जाना बेकार होगा, खास कर जब कि परसों फिर यहां ब्योरे की बातों पर चर्चा होगी ही।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर बुधवार २१ फरवरी, १९५१ ई० को ११ बजे पूर्वाह्ण तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१९ फरवरी, १९५१।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—२६९ एल० सी०—१९५१—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ फरवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४१)

अचल सिंह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खा, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कालीचरण टन्डन, श्री
किशन चन्दपुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जाहिद हुसन, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
झंबन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नारायण दास, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फजलुर्रहमान खां, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अमहद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद ऐवज, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नदीन खां, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विनयकुमार मुकुर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
विरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

विषय — पृष्ठ-संख्या

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

गाजियाबाद नगर पालिका में मुसलमान सदस्यों के रिक्त स्थान

*१--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी में कुछ मुसलमान मेम्बरों की जगहें कुछ समय से खाली हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वायत्त शासन मंत्री)--जी हां, कुछ जगहें खाली हैं।

*२--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या यह सच है कि इन स्थानों के चुनाव का एलान हो गया था, किन्तु नामजदगी हो जाने के बाद चुनाव स्थगित कर दिये गये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- जी हां।

*३--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--यदि हां, तो क्यों ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--गाजियाबाद में साम्प्रदायिक वैमनस्य तेजी से बढ़ रहा था, इसलिये बोर्ड को उपचुनाव रोकने के लिये कहा गया था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नामजदगियों के बाद वहां का वातावरण बिगड़ा या नामजदगियों के पहले ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पहले से बिगड़ रहा था, लेकिन सरकार को यह पूरी तरह से मालूम नहीं था कि वातावरण खराब हो गया है, लेकिन जिलाधीश ने फिर उसके बाद रिपोर्ट की कि यहां तो मार-पीट का अन्देशा है। क्योंकि बहुत से निर्वासित भाई भी वहां मौजूद थे। वह भी अपने लिये चाहते थे कि जो जगहें खाली हो गई हैं उनमें उनका भी स्थान होना चाहिये और जो मुसलमानों की पार्टियां थीं वह भी आपस में झगड़ रहीं थी। इस वजह से मालूम हुआ कि खतरा बहुत है इसलिये उन्होंने लिख कर भेजा। तार के द्वारा उनको कहा गया की चुनाव रोक दिये जायं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने दिनों तक किस तारीख से किस तारीख तक वहां वातावरण खराब रहा और कब से वातावरण सुधर गया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--सुधरने की तो कोई खबर नहीं है। उस वक्त वातावरण खराब था इसलिये चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद अभी कुछ हाई कोर्ट की एक रूलिंग हो जाने की वजह से चुनाव नहीं हो सकते हैं और उसके लिये इस भवन के सामने में एक बिल ला रहा हूं जिससे सरकार को यह अधिकार मिले की उपचुनाव वह कर सके।

श्री त्रिलोकी सिंह-- क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने के कारण चुनाव मुल्तवी करने का अधिकार सरकार को किसी दफा के अनुसार प्राप्त है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट की दफा का सवाल इसमें नहीं उठता। जहां मार-पीट होती है वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अधिकार से कोई कार्य रोक सकता है जिससे कोई मार-पीट न हो। उसी अधिकार का इस्तेमाल किया गया ?

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन उपचुनावों को सरकार ने रोका या जिला मैजिस्ट्रेट ने ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जिला मैजिस्ट्रेट ने इजाजत चाही कि ऐसी परिस्थिति है लिहाजा इस वक्त उपचुनाव रोक देने चाहिये। सरकार की इजाजत हो रोकने की, तब सरकार ने कहा कि मुल्तवी करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कितने अरसे के लिये यह चुनाव मुल्तवी करने के लिये लिखा था।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- कोई अरसा मुकर्रर नहीं किया ?

*४--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह इन चुनावों को कब तक कराने का विचार रखती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उपचुनावों का प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

लखनऊ नगरपालिका के कोषाध्यक्षों द्वारा गबन

*५--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर पालिका के कोषाध्यक्ष किस प्रकार और किसके द्वारा नियुक्त किये गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--तारीख ३१-८-४९ तक श्री सुन्दरलाल गुप्त म्युनिसिपल बोर्ड के आमदनी और खर्च दोनों के कोषाध्यक्ष थे। उनको तत्कालीन चेयरमैन स्वर्गीय श्री नवलकिशोर हलवासिया ने तारीख २-९-४६ को नियुक्त किया था। बाद में खजाने का काम बहुत बढ़ जाने के कारण एक और कोषाध्यक्ष का पद सरकार की मंजूरी से बढ़ाया गया। उस पर श्री पन्नालाल भार्गव कोषाध्यक्ष (आमदनी) तारीख १-९-४९ से नियुक्त किये गये और श्री सुन्दरलाल गुप्त कोषाध्यक्ष (खर्च) हुये। ये दोनों मुअत्तिल थे और अब बरखास्त हो गये हैं।

श्री बादशाह गुप्त-- क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आय और व्यय के पृथक पृथक कोषाध्यक्ष नियत करने की प्रथा प्रदेश की अन्य किन-किन नगरपालिकाओं में प्रचलित है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- इसके लिये नोटिस चाहूंगा।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि यह प्रथा आय और व्यय के पृथक-पृथक कोषाध्यक्ष नियुक्त करने की लखनऊ नगरपालिका के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित है या नहीं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मुझे इस समय याद तो नहीं है। मुझे नोटिस दें तो मैं तहकीकात करके बतला सकता हूं।

श्री बादशाह गुप्त-- क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त कोषाध्यक्ष कब मुअत्तल हुये और कब पृथक किये गये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--गबन की जब इत्तिला मिली उसके कुछ दिनों के बाद ही मुअत्तल कर दिये गये और उसके कुछ अरसे के बाद बरखास्त कर दिये गये।

*६--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ नगरपालिका को किसी प्रकार की आय के सम्बन्ध में किसी को ठेका दिया गया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जी नहीं, किसी को ठेका नहीं दिया गया।

*७—श्री बादशाह गुप्त—यदि हां, तो किसको, कितने में और किस कार्य के लिये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—यह प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगरपालिका में टोल टैक्स में गबन

*८—श्री बादशाह गुप्त—क्या यह सच है कि लखनऊ नगरपालिका में कुछ मास पूर्व टोल टैक्स आदि सम्बन्धी कोई गबन पाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—टोल टैक्स में कोई गबन नहीं था। गबन बोर्ड के खजाने में पाया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो गबन पाया गया है वह आय की मद में पाया गया है या व्यय की मद में या दोनों मदों में ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैं इसका जवाब इस वक्त देना उचित नहीं समझता क्योंकि यह मामला पुलिस की तहकीकात में है और ऐसी दशा में जब मुकद्दमा चलने वाला है तो इसके उत्तर से कुछ असर मुकद्दमे पर पड़ सकता है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो अभी तक रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार अंदाज से कितने का गबन है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—पहले तो १०० रुपये का पता लगा था। लेकिन जांच करने से मालूम हुआ कि तीन चार सालों से गड़बड़ी चली आ रही है। और कई हजार रुपये के गबन का अंदाजा है। लेकिन अभी पूरी रकम का पूरा-पूरा पता नहीं लगा है।

रामपुर की अवक्रान्त नगरपालिका में दियासलाई पर आयात-कर न लेने के लिए सरकारी आज्ञा

*९—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुपरसीडेड (अवक्रान्त) रामपुर म्युनिसिपैलिटी में दियासलाई पर से चुंगी (आयात-कर) कब से तथा किस सरकारी आज्ञा के द्वारा लेना बन्द किया गया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—रियासती सरकार ने अपनी आज्ञा द्वारा १ फरवरी, १९४४ ई० से रामपुर म्युनिसिपैलिटी में दियासलाई पर चुंगी (आयात-कर) लागू की। दियासलाई पर चुंगी का लगाना उत्तर प्रदेशीय सरकार की किसी आज्ञा द्वारा नहीं वरन् म्युनिसिपल अकाउन्ट्स कोड की धारा १३१ (५) के अन्तर्गत ६ जुलाई, १९५० ई० से बन्द कर दिया गया है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—इसी विषय से संबंधित पिछले प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि रामपुर म्युनिसिपैलिटी में दियासलाई पर चुंगी १ अगस्त, सन् १९४९ ई० से लेना बन्द कर दिया गया है, लेकिन आज बताया गया है कि १ जुलाई, १९५० ई० से बन्द किय गया। क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों में से कौन सी तारीख सही है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इस संबंध में पहले जो जवाब दिया गया था वह मेरे पास नहीं है। मैं तारीखों की तुलना करके कह सकूंगा लेकिन मैं समझता हू कि जो अभी प्रश्न का जवाब दिया गया है वह सही है क्योंकि उस रोज से शायद यह अमल में लाया गया।

*१०--श्री कृष्ण शरण आर्य--उक्त आज्ञा से पहले रामपुर में दियासलाई पर चुंगी की दर क्या थी तथा उक्त आज्ञा लागू होने से एक वर्ष पूर्व की अवधि में कितनी चुंगी प्राप्त हुई थी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उक्त आज्ञा के लागू होने से पहले दियासलाई पर चुंगी की निम्नलिखित दर थी :--

दियासलाई बक्स (४० तीली) ४ आना फी ग्रोस ।

दियासलाई बक्स (५० तीली) ५ आना फी ग्रोस ।

दियासलाई पर चुंगी लगाना बन्द होने से एक वर्ष पूर्व की अवधि में इस कर से म्युनिसिपल बोर्ड, रामपुर को केवल २,४०१ रु० ९ आ० की आमदनी हुई थी ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--इसी विषय से संबंधित पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि १ जून १९४९ ई० से ३० जून सन् १९५० ई० तक दियासलाई से रामपुर म्युनिसिपैलिटी को कोई आमदनी नहीं हुई जब कि आज बताया गया है कि पिछले वर्ष में २,४०१ रु० ६ पा० आमदनी हुई । उनमें से कौन सा जवाब सही है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यही सही है जो जांच करने के बाद आया है ।

फर्रुखाबाद जिले में पंचायत राज के सचिवों का वेतन

*११--श्री कालीचरण टण्डन--फर्रुखाबाद जिले में कुल कितने पंचायत राज सेक्रेटरी हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--१६८ ।

*१२--श्री कालीचरण टण्डन--इन सेक्रेटरियों में से कितनों को कितने-कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मांगी हुई *सूचना संलग्न है ।

श्री कालीचरण टण्डन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तनख्वाहों में बकाया का संलग्नपत्र है वह फरवरी, सन् १९५० ई० तक ही क्यों दिया गया ? उसके बाद की संख्या क्यों नहीं दी गई है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--वहां से जो इत्तिला आई वह मैंने माननीय सदस्य के सामने रख दी है । मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि तारीख में गलती हो गई हो और ५१ का ५० हो गया हो । इसलिये जांच करने के बाद में यह कह सकता हूं ।

श्री कालीचरण टण्डन--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न सं० ११ में जो १६८ की संख्या दी गई है और प्रश्न सं० १२ में जो बकाया की लिस्ट दी गई है उसमें कुल १० पंचायत राज सेक्रेटरी ऐसे हैं, जिनकी तनख्वाहें चुकता हुई हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय सदस्य स्वयं जोड़ लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा ही है, करीब १०-१५ ही हैं जिनकी तनख्वाहें बाकी नहीं थीं लेकिन बाकी पंचायत राज सेक्रेटरियों की तनख्वाहें बाकी रही हैं, किसी की एक महीने, किसी की दो महीने, किसी की तीन महीने, अधिक से अधिक ६॥ महीने ।

श्री कालीचरण टण्डन--क्या मंत्री महोदय को पता है कि इसके बाद भी और ज्यादा तनख्वाहों के बकाया होने की शिकायतें आपके पास पहुंची हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--उसके बाद शिकायतें पहुंचने पर सरकार ने करीब १२ लाख रुपया तनख्वाहों के वितरण के लिये मदद के तौर पर दिया है और मैं समझता

---

*देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३४ पर

हूं कि सप्लीमेंट्री बजट में इसका जिक्र भी है। उसकी वजह से अंदाजा यह है कि इससे कम मंत्रियों को बकाया तनख्वाह बाकी होगी।

पंचायतों द्वारा टैक्स वसूली के नये तरीके

*१३--श्री कालीचरण टंडन--पंचायतों द्वारा टैक्स वसूली के संबंध में क्या नये तरीके निर्मित किये गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--टैक्स वसूली के संबंध में जो नियम बने हैं उन्हीं के अनुसार कार्य-संचालन का प्रयत्न हो रहा है, अभी तक नये नियम या तरीके अमल में नहीं लाये गये। इस विषय पर विचार अवश्य हो रहा है।

शाहजहांपुर जिला बोर्ड में सदस्यों के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति

*१४--श्री शिवकुमार मिश्र--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिला बोर्ड में सदस्यों के दो स्थान लगभग १० मास से रिक्त हैं? यदि हां, तो अब तक उन रिक्त स्थानों की पूर्ति न करने का क्या करण है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, एक निर्वाचित सदस्य का स्थान और दूसरा को-आपटेड सदस्य का स्थान रिक्त है। निर्वाचित सदस्य के स्थान की पूर्ति इस समय तक कुछ शासन संबंधी कारणों से न हो सकी और इस संबंध में सरकार ने जिलाधीश को आदेश दे दिया है कि वे इस स्थान की पूर्ति के लिये शीघ्र ही उचित कार्यवाही करे। को-आपटेड सदस्य के स्थान की पूर्ति जिला बोर्ड में दो पार्टियों की आपसी दलबंदी के कारण अब तक न हो सकी।

श्री शिवकुमार मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुनाव न हो सकने में क्या शासन सम्बन्धी कठिनाई पड़ी और को-आपटेड सदस्य की भर्त्ती में किस प्रकार की दलबन्दी उसमें बाधक थी?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसमें उन्होंने बताया है कि मार्च १९५० ई० में यह जगह खाली हुई। जब तक कि प्रबन्ध करें, शाहजहांपुर में कुछ दिनों के बाद कम्युनल डिस्टर्बेंस (साम्प्रदायिक झगड़ा) हुआ और उन्होंने उसको स्थगित कर दिया क्योंकि उस हालत में देहातों में चुनाव नहीं होना चाहिये। उसके बाद यह सोचा गया था कि नवम्बर-दिसम्बर में जेनरल एलेक्शंस होंगे, इसलिये उन्होंने रोक दिया। लेकिन सरकार के पास जब इत्तिला आई और आपने प्रश्न पूछा तो उनसे कह दिया गया कि यह सब मुलतवी हो रहे हैं और वहां की हालत भी दुरुस्त हो गई है, देहातों में कम्युनल डिस्टर्बेंस का डर भी नहीं है इसलिये तुरंत चुनाव करा लेना चाहिये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की यह नीति है कि जिन बोर्डों में दलबन्दी हो वहां को-आप्शन न किया जाय?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस तरह की नीति नहीं है। को-आप्शन करने के लिये बोर्ड की मीटिंग भी होनी चाहिये और बोर्ड को को-आप्ट करना पड़ता है, सरकार को तो करना नहीं है। वहां पर कई बार बोर्ड की मीटिंग हुई। आखिरी मीटिंग की रिपोर्ट आई है। दो मीटिंगें हुई। आखिरी मीटिंग में आधे मेम्बर अलग बैठ गये और आधे दूसरी तरफ। आधे ने कहा कि हमारी मीटिंग सही है और आधे ने कहा कि हमारी मीटिंग सही है। इस तरह का को-आप्शन का झगड़ा वहां के कमिश्नर के पास मौजूद है, इसकी तहकीकात हो रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि को-आप्शन हुआ या नहीं हुआ और फिर मीटिंग करने की जरूरत है या नहीं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने शाहजहांपुर जिला बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही इस को-आप्शन न करने के लिये क्यों नहीं की?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जब को-आपरेशन के बारे में खुद कार्यवाही हो रही है और उन्होंने मीटिंग की और झगड़ा सरकार के पास मौजूद है और ऐसा मालूम नहीं होता है कि ऐसा काम नहीं किया है जिससे बोर्ड को बरखास्त कर दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दलबंदी की शिकायत कितने अर्से से सरकार के सामने है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--दलबंदी तो बहुत दिनों से चली आ रही है लेकिन मीटिंग का झगड़ा दिसम्बर १९५० ई० यानी करीब दो महीने से हुआ। जब वह झगड़ा हुआ कि किसी को को-आप्ट नहीं किया तो यह मामला कमिश्नर के पास है। जब प्रश्न पूछा गया तब पता लगा कि कमिश्नर ने फैसला नहीं किया है। अब सरकार ने लिख दिया है कि इसका जल्द फैसला होना चाहिये।

*१५--श्री शिवकुमार मिश्र--[स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में गांव-सभा की सहमति के बिना पंचायत राज विभाग के आदेशानुसार टैक्स का लगाया जाना

*१६--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--क्या यह सही है कि बाराबंकी जिले में गांव-सभा की रजामंदी से नहीं बल्कि पंचायत राज विभाग के आदेश से टैक्स जारी किये गये हैं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी नहीं।

श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--क्या यह सही नहीं है कि बाराबंकी जिले में पंचायत टैक्स बांधने के लिये गांव-सभाओं की मीटिंगें करके स्वीकृति नहीं ली गयी बल्कि प्रेसीडेंटों के हस्ताक्षर कागज पर करा लिये गये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह तो माननीय सदस्य स्वयं इत्तला दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी इत्तला है तो उसकी तहकीकात हो सकती है। लेकिन मेरी इत्तला तो यह है कि पंचायतों ने स्वयं टैक्स लगाये और उसकी इजाजत जो मांगी जाती है वह अफसरों से मांग कर टैक्स लगाये गये हैं ?

श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि पंचायतों के टैक्स के संबंध में किसानों ने जो अपीलें कीं उनके फैसले में गांव-सभाओं से मशिवरा नहीं किया गया और केवल इंसपेक्टरों द्वारा ही फैसला भी हुआ।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अपीलों के बारे में तो कोई सवाल नहीं किया गया। माननीय सदस्य अगर नोटिस दें तो जांच करूंगा कि क्या हुआ लेकिन जाहिर यह होता है कि गांव-पंचायतों ने टैक्स लगाये और उसकी अपील पंचायत आफिसर के पास गई होगी।

*१७--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--यदि हां, तो वे किस प्रकार के टैक्स हैं, और उनकी अधिकतम रकम क्या है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--प्रश्न ही नहीं उठता।

*१८--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी--उक्त टैक्स की वसूली के सिलसिले में कितने किसानों की कुर्कियां ३१ दिसम्बर, १९५० ई० तक हो चुकी हैं या करने का आदेश जारी किया जा चुका है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--प्रश्न ही नहीं उठता।

*१९-२०--श्री अम्मार अहमद खां--[स्थगित किये गये।]

*२१--२४--श्री रामकुमार शास्त्री--[स्थगित किये गये।]

टाउन एरियाओं में हैसियत एवं जायदाद टैक्स

*२५--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि एल० एस० जी० कमेटी की रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि टाउन एरियाओं से हैसियत व जायदाद टैक्स हटा दिया जाय ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--एल० एस० जी० कमेटी ने यह सिफारिश नहीं की थी कि टाउन एरियाओं से हैसियत व जायदाद टैक्स हटा दिया जाय परन्तु जिन टैक्सों के लगाने की सिफारिशें की गई थीं उस सूची में यह टैक्स नहीं है ।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष सरकार ने हैसियत व जायदाद टैक्स बढ़ाने के सिलसिले में कोई आज्ञा-पत्र टाउन एरियाज को जारी किया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय सदस्य अपने प्रश्न को फिर से दोहरायें । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वह यह चाहते हैं कि सरकार ने यह हिदायत दी कि टैक्स की तादाद बढ़ा दी जाय या वह चाहते हैं कि उनकी टैक्स लगाने की जो हद है वह कुछ बढ़ा दी जाय ।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मैं अपना सवाल फिर दोहराये देता हूं । क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में कोई आज्ञा-पत्र सरकार ने इस हेतु जारी किया है टाऊन एरियाज को कि वह अपने यहां हैसियत व जायदाद टैक्स की शरह को बढ़ा दें ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी नहीं, ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ टाउन एरियाज में यह हैसियत और जायदाद टैक्स की शरह बढ़ा दी गयी है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--हां, उनको बढ़ाने का अधिकार है । अगर उनकी जरूरत बढ़ गयी है और वह यह देखते हैं कि तरक्की के लिए शरह बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाने का उनको अधिकार है ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो टैक्सों की सूची में यह हैसियत और जायदाद टैक्स नहीं है तो सरकार ने इन टाउन एरियाज को यह टैक्स लगाने से रोका क्यों नहीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अब तो टैक्सों की सूची में वह दर्ज है।

श्री त्रिलोकी सिंह--मैं आपकी इजाजत से अपने सवाल को फिर दोहराना चाहता हूं। मेरे पास एक सर्कुलर की कापी है जो गवर्नमेंट ने जारी की है । क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५० ई० के महीने में कोई आज्ञा-पत्र सरकार ने टाउन एरियाज में हैसियत और जायदाद टैक्स बढ़ाने का सर्कुलेट किया ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय सदस्य कृपा करके उसे पढ़ दें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो मैं नोटिस चाहूंगा

*२६--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी की सिफारिशें अब तक अमल में क्यों नहीं लायी गयीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यथासंभव इस कमेटी की सिफारिशें अमल में लायी गयीं हैं जोकि स्थानीय संस्थाओं से संबंधित कानून में पिछले चार वर्षों में किए गए संशोधनों से स्पष्ट है।

सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का पाकिस्तान चला जाना

*२७--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन अभी हाल ही में पाकिस्तान चले गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां। वे १ दिसम्बर, १९५० ई० से ३१ जनवरी १९५१ ई० के लिए टेम्पोरेरी परमिट पर पाकिस्तान गये थे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--क्या सरकार को यह मालूम है कि सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन अभी पाकिस्तान से वापस नहीं आये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इस वक्त मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है। ३१ जनवरी तक के लिए वह गये थे। उसके बाद आये या नहीं आये इसका पता नहीं।

*२८--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि उपरोक्त चेयरमैन ने अपने पद से त्याग-पत्र नहीं दिया है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया।

* २९--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार उपरोक्त चेयरमैन के पद को रिक्त करने का विचार रखती है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

* ३०--३२--श्री रामकुमार शास्त्री--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ३३--३६--श्री प्रयाग नारायण--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ३७--४०--श्री खुशवक्त राय--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ४१--४३--श्री राधेश्याम शर्मा--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के करण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ४४--४६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--[माननीय पुलिस मंत्री के अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ४७--४९--श्री मुहम्मद असरार अहमद--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गए।]

* ५०--५१--श्री अम्मार अहमद खां--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ५२--श्री गंगा सहाय चौबे--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किया गया।]

* ५३--५५--श्री बादशाह गुप्त--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ५६--श्री मुहम्मद असरार अहमद--[स्थगित किया गया।]

* ५७--५९--श्री श्रीचन्द सिंघल--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

* ६०-६१--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

नोट--प्रश्न संख्या २७--२९ श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल ने पूछे।

अतारांकित प्रश्न

१-४--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये।]

५--श्री बादशाह गुप्त--[स्थगित किया गया।]

६--श्री श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किया गया।]

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--श्रीमान् जी, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत १४,०१,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग १९५०-५१ के लिए स्वीकार की जाय।

जहां तक इस मांग का ताल्लुक है क्या इतनी ज्यादा रकम की जरूरत हुई, इसके मुताल्लिक मेमोरेंडम आफ सप्लीमेंटरी डिमांड्स के वाल्यूम १ के सफा २ पर विस्तार-पूर्वक दिया हुआ है। पे आफ एस्टैब्लिशमेंट (कर्मचारियों के वेतन) के सिलसिले में एक रकम की जरूरत हुई क्योंकि पटवारियों की तादाद २७,००० से कुछ अधिक है। उनको इंक्रिमेंट (वेतन वृद्धि) देने का आदेश सरकार ने दिया जोकि सालाना बजट एस्टिमेट तैयार होने के बाद दिया गया। लिहाजा उनके इंक्रिमेंट के लिये करीब ५,७०,००० रुपयों की जरूरत बढ़ गयी और मर्ज्ड स्टेट्स (विलीन राज्य) में लैंड रिकार्ड को स्केल आफ पे वही देने का सरकार ने आदेश दिया जो स्केल आफ पे यू० पी० में रायज है। लिहाजा उस सिलसिले में जो रकम रखी गयी थी, वह पहले रियासतों में जो स्केल रायज था उसके मुताबिक रखी गयी थी जो अब नाकाफी साबित हुई और उसमें ९० हजार रुपये की जरूरत पड़ी है। उसके साथ-साथ स्टेट जो मर्ज (विलीन) हुए वह भी बजट एस्टिमेट प्रिपेयर (तैयार) होने के बाद हुए इसलिए उसके स्टाफ को देने के लिए भी ९० हजार रुपये की जरूरत है। इस तरह से ७ लाख ५० हजार रुपये की पूरी तफसील इसमें बतलायी गयी है। एलाउंसेज और आनरेरियम (मानदेय) देने के लिए भी ५ लाख ५० हजार रुपये की जरूरत है। इसकी भी पूरी तफसील उसमें दी हुई है। और कंटिजेंसी (आकस्मिकता निधि) से पटवारियों का फार्म छपवाने के संबंध में भी एक लाख रुपये की जरूरत है। इस तरह से यह कुल रकम १४,०१,२०० रुपये की होती है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत १४,०१,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग १९५०-५१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ५--लेखा शीर्षक १०--वन

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत ४,४९,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग १९५०-५१ के लिए स्वीकार की जाय। इस सिलसिले में भी काफी विवरण वाल्यूम १ के सफा ३ पर दिया हुआ है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुहकमा जंगलात के सिलसिले में जो लेखा ग्रांट नं० ५ का इस सदन में बांटा गया है उसमें एक रकम ८४,२०० रु० की दी हुई है, इस सदन के सामने जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि यह वृद्धि हुई है "एक्सटेंसिव टूरिंग टु कंट्रोल दि प्राइवेट फारेस्ट्स (प्राइवेट वनों का कंट्रोल करने के लिए अधिक दौरे) यानी प्राइवेट फारेस्ट्स के नियंत्रण के सिलसिले में जो दौरे हुए हैं उस दौरे के सिलसिले में इस रकम की वृद्धि हुई है। श्रीमन्, प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू हुए दो साल से अधिक हो गये। मुझे यह नहीं अनुभव था कि इस प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के द्वारा बजाय इसके कि दरख्तों को लगाने की, उनकी हिफाजत करने की और उनके इस्तेमाल करने की कोई सहूलियत पैदा हो, एक जबरदस्त अड़ंगा पैदा हो सकता है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में खासतौर पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज के दिन कायदा यह है कि एक बबूल का दरख्त भी कोई आदमी जब तक माननीय मंत्री जी की इजाजत नहीं हासिल कर ले, काट नहीं सकता। श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मुझे जाती तजुर्बा है कुछ बबूल के दरख्त कटाने के सिलसिले में। मुझे तो बहुत एहतियात बरतना पड़ती है कि कहीं कानून की गिरफ्त में न आ जाऊं। इसलिए मैंने सरकार को दरख्वास्त दी कि मुझे कुछ बबूल के दरख्त कटाने की इजाजत दी जाय। मालूम यह हुआ कि अवध लैंड मैनेजमेंट के जो आफिसर साहब हैं उनको दरख्वास्त दीजिये। उनको जब दरख्वास्त दी तो वहां से कहा गया कि चीफ कंजरवेटर साहब को दीजिये। दरख्वास्त भेजी और उनसे मिला और उन्होंने बतलाया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब देते हैं। उनसे मिला तो उन्होंने बतलाया कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देते हैं। अब आप इसमें देखें कि ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) की हर तरफ चर्चा है और तकाजा है, लाखों-करोड़ों रुपया सरकार ने अपने बजट में इसके लिए लिया है और आये दिन इसके एलान होते हैं कि कोई • कसर किसानों को सहूलियत देने के लिए नहीं उठा रखी जायगी। लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आमतौर पर हल बबूल के लकड़ी के ही बनते हैं और बबूल ऐसे दरख्त हैं जो खुदरों पैदा होते हैं। सरकार ने कुछ जगहों पर इन दरख्तों को बुवाया भी है लेकिन वे पैदा नहीं हो पाये हैं और इसमें सरकार को नाकामयाबी हुई है। किसान भी इसका बीज कहीं से लाकर बोते नहीं हैं वह तो खुदरों ही पैदा होते हैं। तो अगर आज किसी किसान को हल बनाने के लिए इसकी जरूरत है तो क्या वह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की खिदमत में दरख्वास्त दे। जाहिर सी बात है कि मुझको जब इजाजत हासिल करने में ४ महीने लग गये और उसके लिए भी जमानत मांगी गई जबकि मेरा पेड़, मेरी जमीन, मेरी जरूरत थी तब मुझसे इस तरह की जमानत मांगी गई कि ५० रुपये जमा करो तब उसको काटो और फिर उसको वैसा ही उगाना पड़ेगा। मैं आप से अर्ज करता हूं कि जैसा मैंने कहा कि यह पेड़ खुद ही पैदा होते हैं और जब तक मैं उसको उगाने की जिम्मेदारी न लूं तब तक मैं उसको काट नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है और किस तरह से यह प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू होता है और यह कहां लागू किया जाता है और किन लोगों ने इसको लागू किया है ? मैं अपने को दोषी समझता हूं कि जिस समय यह लागू किया गया तो मुझको भी इसमें राय देनी पड़ी थी। उसके बाद दो साल के अरसे में कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, इसकी वजह यह है कि मैं गफलत में था और मैं उन लोगों के साथ था जिनकी दयानतदारी पर मुझे पूरा विश्वास था। जब मैंने कानून को देखा एक बबूल का पेड़ भी एक आदमी नहीं काट सकता है तो मैं आज यह निवेदन करता हूं कि आपने जो यह ४ लाख ४९ हजार रुपये की मांग उपस्थित की है क्या आपको इसका पता नहीं था कि आफिसर्स इतने दौरे करेंगे और इस तरह से रुपया खर्च किया जायगा ? आप मेहरबानी करके इस सूबे की जनता पर रहम करके इन दोनों को कम कीजिये और इस किस्म के जो आपके कायदे हैं कि बिना रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की इजाजत के

कोई एक बबूल का पेड़ भी नहीं काट सकता है उसको आप ईश्वर के लिए और देश की जनता के हित के लिए खत्म कीजिये।

श्री असरार अहमद खां--जनाबवाला, हमारे वजीर साहब ने जंगलात के लिए डिमांड (मांग) पेश की है उसके सिलसिले में पूरी तफसील बताने के बजाय आप ने फरमाया कि उसकी तफसील सप्लीमेंटरी ग्रांट में लिखी हुई है और उसके वास्ते उन्होंने रुपया चाहा है। उसको देखने से यह मालूम होता है कि ४ लाख ४९ हजार रुपये की ग्रांट हुकूमत की तरफ से इन जंगलात के लिए मांगी जा रही है, लेकिन अगर आप इस पर गौर फरमायें कि अभी डेढ़ महीना हुआ हुकूमत ने २ लाख ६५ हजार रुपये की ग्रांट मांगी थी और वह मंजूर करा चुकी है। अब इससे ज्यादा और क्या ताज्जुब खेज चीज हो सकती है कि कुछ दिन पहले उस ग्रांट को मंजूर करा चुकी है और अब जो ग्रांट मांगी जा रही है उसके लिए कोई हवाला नहीं दिया जाता है। इसकी बाबत मैं यह अर्ज करता हूं कि उस वक्त क्या हमारी हुकूमत को यह पता नहीं था कि हमारे आफिसर्स की तनख्वाह क्या होगी और उनके अलाऊंसेज क्या होंगे? कम से कम मैं तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह वाकया है कि हुकूमत के यह इल्म में था कि इस किस्म की चीजें आयेंगी और उस वक्त भी इन तमाम चीजों के अन्दर एतराजात को हम लोगों से और इस सदन से छिपा कर रखना और आज ४,४९,१०० रुपये की डिमांड पेश करना इन्तहाई ज्यादती मालूम होती है। अभी अभी जैसा हमारे दोस्त त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, यह वाकया है कि प्राइवेट फारेस्ट का कानून जो आपने बनाया उस कानून का सही इस्तेमाल जो मेरे ख्याल में मिसयूज (दुरुपयोग) भी नहीं, बल्कि एब्यूज हो रहा है और उससे जनता की इस कदर ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई है कि अगर आज किसी शख्स को एक हल के वास्ते लकड़ी की जरूरत हो तो उसके वास्ते वह अपने घर को छोड़ कर लखनऊ का दौरा करे और किसी के जरिये से वजीर साहब तक पहुंचने की कोशिश करे और उसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि आया उसको परमिट मिलेगी या नहीं। एक तरफ तो आप ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) के वास्ते बड़े जोरों के साथ दावा करते हैं लेकिन हमारे वजीर साहब ने ऐसा कोई नुस्खा अभी तक नहीं बताया कि जमीन के बजाय दरख्तों के पत्तों पर भी ग्रो मोर फूड हो सकता है। जमीन के अन्दर ग्रो मोर फूड करने के वास्ते यह जरूरी है कि जमीन को जोता जाय, अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) दरख्तों को जो जमीन पर खड़े हैं उनको काटा जाय और जमीन को साफ किया जाय। लेकिन इसके वास्ते जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके मुकाबिले लोग मजबूर हो कर यह ज्यादा पसंद करते हैं कि वह इस किस्म के दरख्तों को, चाहे वह खुदरौ हों, या उसके लगाये हुए हों, खड़ा रहने दें। क्या इस तरीके से आप ग्रो मोर फूड कर सकते हैं? यह तो बिलकुल एक ऐसी किस्म की चीज हो गयी जो आपके मकसद के बिलकुल खिलाफ पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जहां इतनी जरूरत ग्रो मोर फूड की पेश आ रही है, हमको इस वक्त गल्ले के वास्ते इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे मुल्कों की तरफ बराबर देखना पड़ता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जहां तक मुनासिब हो उनको ऐसा मौका देना चाहिए कि वे इस किस्म के दरख्तों को जो वाकई बेकार हैं काट सकें और जमीन को रिक्लेम (प्रत्याभियाचन) करें।

जनाबवाला, दरअस्ल जंगल के हालात से बहुत कम लोग बाखबर हैं। जंगल सिर्फ नाम के ही जंगल नहीं हैं बल्कि दरअस्ल हमारी हुकूमत ने अभी तक जो कुछ अपना इस्लाही कदम जंगल की तरफ उठाये हैं वे इस किस्म के हैं कि इसके अन्दर बजाय बेहतरी के बदतरी होती रही है और हर तरफ से खराबी ही नजर आती है। मैं वजीर साहब की तवज्जह इस सिलसिले के अन्दर दिलाऊंगा कि सबार्डिनेट सर्विस के जो लोग फारेस्ट (वन) के अन्दर रहते हैं उनके साथ जो आप का तर्जे अमल है वह किस कदर खिलाफ इंसाफ है कि उसकी बाबत अगर सरकार अभी गौर नहीं करेगी तो वे बर्बाद हो जायंगे।

[श्री अम्मार अहमद खां]

जनाब वाला, आप हर तरह से गौर करते हैं कि जनता की भलाई हो लेकिन उन गरीबों का ख्याल आपने बिलकुल दरगुजर कर दिया है कि जो अपनी तमाम उम्र खासतौर से तराई के जंगलों में इन्तहाई मुसीबतों के साथ गुजारा करते हैं। उनके वास्ते न किसी किस्म का प्राविज़न (उपबन्ध) रखा गया कि अगर उनकी मौत उस जगह पर हो जाय या वे बीमार पड़ जांय तो उनके वास्ते हुकूमत कोई इनाम या ग्रांट वगैरह देगी। ये तमाम चीजें इस किस्म की हैं कि हुकूमत का उनकी तरफ गौर न करना एक बहुत दुःख का बायस होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि इस वक्त जो ४,४९,१०० रुपये की ग्रांट आयी है या २,६५,००० रुपये की जो पहले आयी थी वह हुकूमत की बहुत ज्यादा कमी करने का नतीजा था। अगर आपने शुरू में बिला वजह इतनी कमी न की होती तो गालिबन यह नौबत न आयी होती। यह नौबत सिर्फ इस वजह से आयी कि आपने बिलकुल एक गलत तरीके से किफायतशारी का सबूत दिया और उस किफायतशारी को अब खत्म करने के लिये अब दुगनी रकम खर्च करनी पड़ रही है। आप जिस वक्त किफायतशारी का सबक लें तो आपको यह देखना बहुत लाजिमी और जरूरी है कि वाकई में वे कौन सी चीजें हैं जिनके अन्दर कमी करना लाजिमी है। क्या आप समझते हैं कि हम सड़कों को कम करके अपने मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स (यातायात साधनों) को काट कर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल में यह बिलकुल नामुमकिन है। आपको यह भी ख्याल करना चाहिये कि जंगल के वे बहुत से टुकड़े जो अब पब्लिक की पहुंच में थे, जहां पब्लिक आसानी से पहुंच सकती थी, वहां उनका पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। उसके साथ साथ जंगलों की इंडस्ट्री (उद्योग) और ट्रेड (व्यापार) भी खत्म हो गई है। जब लोगों को सहूलियत नहीं होगी तो वे कैसे अपना काम कर सकेंगे? मैं तो यह समझता था कि अब मौका हमारे वास्ते है कि हम इस तरीके से जनता की सहूलियत के वास्ते जंगलात में लोगों के आने-जाने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें। मैं चाहता हूं कि हमारे जंगलों की सड़कों को अच्छी हालत में रखा जाय। मेरे इल्म में है कि हमारे यहां नैशनल हैली पार्क है। पार्क की पब्लिक के वास्ते वही इम्पार्टेंस है जो किसी स्कूल या अस्पताल की हो कसती है। पब्लिक के वास्ते सिर्फ स्कूल ही जरूरी नहीं है बल्कि हर चीज जरूरी है और पार्क भी उतना ही जरूरी है। आपने उसे नेग्लेक्ट (उपेक्षा) करके उसे ठीक हालत में नहीं रखा और वह बरबाद होता जा रहा है। इस तरह से किसी का कोई फायदा नहीं हो सकता है मैं समझता हूं कि इसके अन्दर सरासर नुकसान है। अगर आप इन बातों की ओर जल्दी तवज्जह नहीं देंगे तो आपको काफी नुकसान उठाना होगा और बहुत ज्यादा खर्च करना होगा। हो सकता है कि इसमें आपका दुगना, चारगुना या पांचगुना तक भी खर्च हो जाय। हो तो यह रहा है कि हमारी हुकूमत उस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जह देती है जहां कि लोग आवाज उठाने के लिये और शोर मचाने के लिये तैयार होते हैं। जंगल में कौन आवाज उठाने वाला है? दरख्तों के तो जबान होती नहीं है। वे तो बोल नहीं सकते हैं। उसके अलावा वहां की पब्लिक जो है वह भी ऐसी है कि वह अपने को आर्गेनाइज नहीं कर सकती और नहीं वह कुछ आवाज उठा सकती है। वह किसी तरह से अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकती है। मैं गवर्नमेंट से इस्तदुआ करूंगा कि वह इस तरफ तवज्जह करे और ज्यादा नुकसान होने से बचाये। मैं सरकार से अर्ज करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि वह जंगलों के वास्ते कोई रिआर्गेनाइजेशन कमेटी या कोई ऐसी चीज बनाये जो कि गवर्नमेंट को सुझाव दे सके जिनकी रोशनी में जंगलों की हालत दुरुस्त की जा सके।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत ७,१४,१०० रु० में सरकार ने २,६५,००० रु० के करीब पिछले अनुपूरक अनुदान के अन्दर मांगा था और अब उसके लिये ४,४९,१०० रु० है। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बात को समझ गई है कि बिना यातायात को ठीक किये हुये हम अपने जंगलों से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। मैं अपने वन विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितने आपके जंगल नीलाम होते हैं और ठेकेदार उन्हें लेते हैं, जो कंट्रोल

आपका इमारती लकड़ी पर बंधा हुआ है कीमतों का, यह सब काम इस तरीके पर होता है कि वहां पर सड़कों का कोई ख्याल नहीं किया गया है कि किस सड़क पर मोटर ट्रांसपोर्ट है और किस सड़क पर आदमियों से ढुलाई होती है। मैंने कई बार इस संबंध में प्रश्न भी इस आदरणीय सदन में किये थे। मुझे उत्तर भी दिया गया मगर मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि हमारी सरकार के पास हमारे सरकारी अहलकार बहुत गलत रिपोर्टें भेजा करते हैं। यद्यपि हम अनुशासन के अन्तर्गत इन प्रश्नों पर जो आध घंटे का समय आपने निर्धारित कर रक्खा है लेना नहीं चाहते और पत्रों द्वारा हम अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते ही रहते हैं, मगर मैं यहां पर स्पष्ट यह कह देना चाहता हूं कि देहरादून जिले में टमिल एक स्थान है और टमिल से खास मोटर रोड आती है, मगर वहां पर जो रेट टिम्बर का रक्खा गया है वह हमारे कालागढ़ डिवीजन से ज्यादा रक्खा गया है, अर्थात् वहां के जो माल देने वाले ठेकेदार हैं वह ज्यादा मुनाफा उठाते हैं और कालागढ़ में जहां पर खच्चरों के ऊपर या आदमियों की पीठ के ऊपर माल आता है वहां के ठेकेदार कम मुनाफा उठाते हैं। आपके अधिकारियों का यह कहना है कि माइलेज के हिसाब से वह ज्यादा है, मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूं मगर देखने की वह आवश्यकता है कि जो माल मोटर से लाया जा सकता है उसको इंसानों के सिर पर लाने में कितनी कठिनाई होगी। मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कहता कि मेरा किसी कान्ट्रैक्टर से कोई सम्बन्ध है, मगर मैं यह जानता हूं कि वह ठेकेदार जो जंगलों में काम करते हैं अगर वह इन ज्यादतियों की वजह से खत्म हो जायेंगे तो अगले नीलाम में वह पूरी बोली नहीं बोल पायेंगे और इससे सरकार की आमदनी में कमी होगी।

मैं समझता हूं कि जंगल के संबंध में सरकार की व्यापार की दृष्टि होना चाहिये ताकि सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो सके। सरकार को यह देखना चाहिये कि ठेका ऐसे गैर जिम्मेदार आदमियों को न दिया जाय जो गैर कानूनी तौर पर कटान करें और ऐसे कमजोर आदमियों को भी ठेका न दिया जाय जो ठीक समय पर सरकार का रुपया अदा न करें। कालागढ़ असलियत में कालाघर है जहां भयानक स्थान हैं और जहां हेली पार्क वगैरा बने हुये हैं। मैं यह मानता हूं कि वह स्थान एकान्त वासियों के लिए अच्छे हैं। इसी के साथ साथ यह बात भी है कि वहां इमारत की सब से अच्छी लकड़ी मिलती है लेकिन वहां यातायात की कोई सुविधा नहीं है। पिछली लड़ाई में करीब करीब सब सरकारी जंगल खत्म कर दिये गये थे और उनमें पुरानी लकड़ी नहीं है, केवल कालागढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पुरानी लकड़ी है, मगर वहां यातायात की कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिली है। इस बात के लिए मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था और एक बड़ा लम्बा नोट भी दिया था। यह भी ठीक है जैसा कि कमिश्नर साहब ने डि० एफ० ओ० साहब से कहा कि तीन लाख में तीन किस्तों में जो आप बनाना चाहते हैं वह पी० डब्ल्यू डी० वाले ५० लाख में नहीं कर सकते हैं। फिर भी देखना यह है कि उस जंगल से मार्च से लेकर आखीर तक सब सामान एक्सपोर्ट हो जाया करता था मगर वहां इस साल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जहां तक मुझे पता चला है कि उन्होंने शिष्ट मंडल के रूप में मंत्री महोदय से मिलने की आज्ञा मांगी थी और उन लोगों को २५ तारीख तक समय भी दिया गया है। उनकी मुख्य मांग यह है कि बावजूद इसके कि यह ग्रांट भी आप मंजूर करा रहे हैं और पिछली ग्रांट भी मंजूर हुई लेकिन इस वक्त तक वह सड़क बड़ी खराब हालत में है। इस मर्तबा जब मैं हल्द्वानी से लौट कर आया तो मुझे पता चला कि एक आदमी उस सड़क से माल ला रहा था, लेकिन रास्ते में गिर गया और मर गया और उसके निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और ऐसी सूरत में जब ठेकेदार अपना माल नहीं निकाल पायेगा तो उसको कोई रुपया बाजार में नहीं मिलेगा। अगले साल वह बोली नहीं बोल पायेगा जिससे आप अपनी आमदनी भी बरबाद करेंगे और कितने ही परिवारों के कितने आदमियों को, जो इस पेशे को करते हैं, उनको भी समाप्त करेंगे। तो मैं इस चीज के लिये जो कि विरोधी दल की तरफ से या किसी तरफ से कही जाती है कि सरकार ज्यादा मांग रही है, तो मैं तो समझता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन (यातायात) के लिये जितना रुपया हमारी सरकार मांगना चाहती है हम बखुशी देने के लिये तैयार हैं और हमें देना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार तो चाहती है कि यातायात बनें, मगर

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

सरकारी अधिकारी दोनों चीजें चाहते हैं । वह चाहते हैं कि हाथी भी रहे और मोटर भी रहे। वह कहीं पर तो सड़क जान बूझकर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वह चाहते हैं कि हाथी भी रहे। कुमायूं सरकिल से जो हकूकी जंगल हैं उसको वेस्टर्न सरकिल में डाल दिया, जो कि कामर्शियल फारेस्ट है। जब उनसे सड़क के लिये कहा गया तो कह दिया कि अच्छे पेड़ वहां नहीं हैं। जब वहां से कुछ निकलना नहीं है तो सड़क निकालने की क्या जरूरत है। जब यह कहा गया कि यह हकूकी जंगल वापस कर दिया जाय। अगर सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है तो वे (कर्मचारी) कहते हैं कि वह तो बड़ा अच्छा जंगल है। जब सड़क बनाने का सवाल आता है तब तो उनका यह आर्गूमेंट (तर्क) है और यह बहस होती है कि वहां अच्छा जंगल नहीं है और जब जनता या पंचायतों को वापस करने के लिये कहा जाता है तो उनका यह आर्गूमेंट होता है कि यह अच्छे जंगल हैं। तो इस चीज की तरफ मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करूंगा कि आपके अहलकारों का यह रवैया है। मुझे एक अधिकारी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ तो वह कहते हैं कि हमारी जो मोटर रोड्स हैं उनके लिये ही काफी नहीं निकलता है और के लिये हम क्या करें।

अब हम गढ़वाल रीजन को देखें तो उसके चैनल गढ़वाल से न निकलकर जो पुरानी सड़क अलमोड़े से आई है वही रह गयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गढ़वाल २०० मील लम्बा जिला है। एरिया बहुत बड़ा है गोकि आबादी कम है। कोटद्वार से बद्रीनाथ तक १८० मील है और यही उसकी विड्थ (चौड़ाई) है जो लक्ष्मण झूला और नैनीताल तक है, तो वहां का रेसिन और लीसा जो चीड़ के पेड़ से निकला है उसके लिये सरकार ने ३,५०,००० रुपये की मांग रखी है। उसके लिये बिलकुल नार्दर्न कारनर टैप किया गया, मिडिल पोर्शन को टैप नहीं किया गया। इस स्कीम से सरकार का ही लाभ होगा। मगर उन हिस्सों में गढ़वाल के कुली और मजदूर ही काम कर सकते हैं। वह लीसा को टैप करें, कनस्तरों में भरकर मंडियों में ले जायं और वहां से मोटरों में जाये। इस चीज को कोटद्वार में लाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। आप की जो टरपेंटाइन और रेजिन फैक्टरी जो कलक्टरबकगंज, बरेली में है उसके गलत ठेके हुए, मगर जो चीज हो गयी है उसको हमें मानना है, मगर उसमें पंचायती जंगलों का, सिविल फारेस्ट का जाना जरूरी नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि कोटद्वार में टरपेंटाइन और रेजिन फैक्टरी बनाई जाय। मैंने कुमायूं फारेस्ट कमेटी में यह दरख्वास्त पेश की थी कि हमारे गढ़वाल के ३ डिवीजन हैं और तीनों का नीलाम गढ़वाल में नहीं किया जाता है। किसी का देहरादून में, किसी का और कहीं। मैं मानता हूं कि देहरादून एक अच्छा शहर है। मगर आज हमारे जिले में एक भी शहर इस काबिल नहीं है कि जिसमें बाहर के लोगों को आकर ठेका दिया जाय, बावजूद इसके कि सारी कमेटी ने सिफारिश की कि कोटद्वार में, लैंसडाउन में नीलाम किया जाय। लेकिन किसी का हल्द्वानी में, किसी का देहरादूनन में और किसी का नैनीताल में किया जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है।

आज हम लोगों की जमीनें ले कर सरकार ने हमें इतने कष्टों में डाला है। सरकार की तरफ से हमारे साथ भी सहानुभूति का बरताव होना चाहिए। एक नीलाम हमने अपने लिये मांगा था। जिससे बाहर के लोगों के लिये एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाय। वह कहते हैं कि साहब, एक दफा बीस वर्ष पहले एक एक्स्पेरीमेंट (प्रयोग) किया गया। लेकिन सरकार को जितनी आमदनी होनी चाहिए वह नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि जो चीज बीस वर्ष पहले नहीं हुई वह आज क्यों नहीं हो सकती। यह तो उस सरकार का जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है, पापुलर सरकार कहाने का दावा रखती है और उसी की बनायी हुई एक कमेटी जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं उन की सर्वसम्मति से जो सिफारिश थी उसको न मानना, जनता की बात को ठुकराने के बराबर है। ट्रेजरी का सवाल पेश किया गया। वहां पर तीन चार बैंक हैं। अगर ट्रेजरी की ब्रांच वहां पर नहीं है तो इसका भी दोष सरकार पर है। हम तो केवल यहां पर मांगों को

रखते हैं और यदि अरन्य रोदन, जंगल में रोने का सवाल है तो मंत्री महोदय समझ लें कि जैसे वहां पर रोते हैं यहां पर भी रो लेंगे। वहां की जनता के हृदय में इस संबंध में एक बड़ा रोष है कि कम से कम एक जंगल का नीलाम हमारे यहां किया जाय। एक बार कहा भी कि लैंसडाउन में कर लिया जाय। लेकिन फिर न मालूम क्यों टेलीग्राफ से उसको पलट दिया।

इस समय में इस विषय पर अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी अनुदान हैं, यद्यपि वन विभाग के संबंध में मुझे बहुत बातें कहनी हैं। जनरल बजट के अवसर पर मैं अपने हृदय के उद्गार आपके सामने रखूंगा। चाहे आप सुनें या न सुनें, आप करने की कृपा करें या न करें। अंत में मैं यह कहूंगा कि कालागढ़ रोड जो ढिकाला से लेकर रामनगर तक जाती है, उसके संबंध में मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि पी० डब्ल्यू डी० से अगर सड़क बनवाएं तो पचास लाख से कम खर्च नहीं होगा। मैंने जो रिपोर्ट दी थी, जिस को कंजरवेटर और चीफ साहब सबने रेकमेंड (समर्थन) किया। तीन किश्तों में तीन लाख रुपया केवल खर्च करने की योजना है। अगर आप उसके फैक्ट्स और फीगर्स (तथ्य और आंकड़े) भी जानना चाहेंगे तो मैं आप को बतला दूंगा। एक या दो वर्ष में ही सरकार को बीस लाख से ऊपर का फायदा केवल कालागढ़ डिवीजन से हो जायगा। वार टाइम (युद्ध के समय) में केवल इसी वजह से सड़क नहीं थी, सब जंगल एक्स्प्लायट (शोषण) हो गये थे, अब ऐसी लकड़ी बची हुई है जिससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है।

अंत में सरकार का ध्यान फिर पहले रेजिन फैक्टरी, दूसरे कालागढ़ सड़क और तीसरे नीलाम के सवालों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अब्दुल बाकी--जनाब स्पीकर साहब, अव्वल तो मुझे बड़ा शुबहा है कि गवर्नमेंट को यह हक हासिल है या नहीं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट में जिन मदों का जिक्र गवर्नमेंट ने किया है वह उसको ला सकती है या नहीं, क्योंकि जो मदें हैं वह इस किस्म की मदें नहीं हैं जिनकी जनवरी के पहले कोई जरूरत महसूस हुई हो बल्कि जनवरी के पहले ही की वह रकमें हैं जो इस सप्लीमेंटरी ग्रांट में आई हैं और जनवरी गुजिश्ता में एक सप्लीमेंटरी बजट आ चुका है और इन तमाम मदों को उनमें आ जाना चाहिये था। दूसरी जो दिक्कत है वह मेरे ख्याल में यह है अगर्चे उसके मुताल्लिक वजीर बजट ने कहा है कि साल में दो सप्लीमेंटरी बजट आने चाहिये, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी राय बड़ी गलत है। आर्टिकिल २०५ में खुद फाइनेंस बजट के बाद सिर्फ यह दिया हुआ है कि ऐन अदर सप्लीमेंटरी बजट आयेगा और 'ऐन अदर' के कभी भी यह माने नहीं होते कि दो आयेंगे। अब यह इस वक्त तो एक ऐकेडेमिक प्वाइंट (विवाद का प्रश्न) हो जाता है, लिहाजा उसमें न जा कर मुझे जो कहना है वह यह है कि कानूनों की इतनी ज्यादती हो गई है कि कानूनों का जंगल पैदा हो गया है।

अभी श्री त्रिलोकीसिंह जी ने एक दिक्कत की तरफ इशारा किया है कि प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट पास हो गया है और दरख्तों के काटने में बड़ी मुसीबतें किसानों को महसूस हो रही हैं। इस सिलसिले में मुझे जो कुछ अर्ज करना है वह यह है कि दरख्तों की तीन किस्में होंगी--कुछ प्राइवेट फारेस्ट्स होंगे, कुछ ग्रोब्ज होंगे और कुछ मुतफर्रिक दरख्तान होंगे। प्राइवेट फारेस्ट्स से ताल्लुक मुतफर्रिक दरख्तान से बिलकुल नहीं है। ग्रोव्ज से मुताल्लिक जरूर है और वह भी जब गवर्नमेंट का नोटीफिकेशन होगा और जिस जिले के मुताल्लिक होगा वहीं पर प्राइवेट फारेस्ट्स ग्रोव्ज के मुताल्लिक होंगे। वरना प्राइवेट फारेस्ट्स ग्रोव्ज से मुताल्लिक नहीं होंगे। जून सन् १९४९ ई० में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें कुछ दरख्तों की फेहरिस्त बताई गई है कि कौन दरख्तान फारेस्ट्स से काटे जा सकते हैं और कौन कौन से ग्रोव्ज से काटे जा सकते हैं। चूंकि फारेस्ट ऐक्ट मुतफर्रिक दरख्तान से मुताल्लिक नहीं है, इसलिये इस सवाल को बार-बार जब मैं जिले में था तो लोगों ने इसको पूछा कि मुतफर्रिक दरख्तान काटे जा सकते हैं या नहीं। जून सन् १९४९ ई० का जो नोटिफिकेशन है उसमें मुतफर्रिक दरख्तान के मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं है सिर्फ फारेस्ट के मुताल्लिक हिदायत है। ग्रोव्ज के मुताल्लिक़ यह कहा है कि आम, महुआ, नीम और शीशम के दरख्त नहीं काटे जा सकते। सिर्फ इन चार दरख्तों को बताया गया है बकिया

[श्री अब्दुल बाकी]

और दरख्तान ग्रोवज से काटे जा सकते हैं। मुतफर्रिक दरख्तान के मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं है। उनके मुताल्लिक न कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है और न प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट में कोई ऐसा प्राविजन है जिससे रोका जा सके। इसी वजह से लोगों से आम तौर पर कहा करता हूं कि यह अजीब तमाशा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट की हिदायत है कि दरख्त लगावो और दूसरी तरफ जो दरख्तान हैं उनके मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन (अधिसूचना) नहीं है। तीसरे जमींदारी अबालिशन हो रहा है तो उसमें मुतफर्रिक दरख्तान वेस्ट (निहित) होंगे पंचायत में। इसलिये फितरी तौर पर हर आदमी जो मुतफर्रिक दरख्तान के पास है वह काट लेने की कोशिश करेगा और यही हो रहा है। कतई तौर पर हर जगह हो रहा है। अभी जो श्री त्रिलोकी सिंह ने अपनी दुश्वारी का जिक्र किया है, गो उन्होंने बहुत एहतियात बरते हैं और उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि मैं कानून से डरता हूं और डरना भी चाहिये, उन्होंने यह कहा कि उन्होंने कई दरवाजों को खटखटाया मगर जवाब कहीं से बरामद नहीं हुआ। मगर मैं अपनी इत्तिला के मुताबिक यह बताना चाहता हूं कि बबूल के मुताल्लिक न तो बाग से काटने की मुमानियत है, न मुत्तर्फारिक दरख्तान से काटने की और जिन मुहकमे वालों ने यह जवाब दे दिया कि हमसे मुताल्लिक नहीं है उन लोगों को भी शायद इत्तिला नहीं है कि इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट के कोई अहकामात नहीं हैं। इसलिये प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के मुताबिक न बाग से बबूल काटने की कोई मुमानियत है न मुत्तर्फारिक दरख्तान से। लेकिन आम तौर से लोगों को एक खतरा पैदा होता है, वह खतरा पैदा होता है लाल पगड़ी वालों से, वे जा-बजा छेड़ते हैं और पकड़ लेते हैं, इसलिये लोग हिम्मत नहीं करते। हर आदमी तो कानून नहीं जानता लेकिन कानून जानने वाले हिम्मत कर के काट लेते हैं। अभी अभी इसी फरवरी के शुरू में आजमगढ़ में एक साहब ने मुझसे पूछा कि मेरा एक आम का दरख्त मुत्तर्फारिक में है, मैं उसे काट सकता हूं या नहीं। मैंने कहा कि कानूनन तो कोई मुमानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो ऐसा न करने देंगे। मैंने कहा कि यह सर्कुलर है, इसको लो। उन्होंने उसको पुलिस वालों को दिखलाया और पुलिस वालों को मुतमईन किया। इसलिये जहां तक प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट मैंने पढ़ा है, जहां तक उसका ताल्लुक है वह खुद भी जब तक कि नोटिफिकेशन अजला में नहीं होगा वहां पर लागू नहीं है। मुत्तर्फारिक दरख्तान के मुताल्लिक मेरी यह राय है।

अब गवर्नमेंट ने जो इसमें मदें दी हैं उसमें चन्द मदें ऐसी हैं जो बड़ी काबिले एतराज हैं। एक मद यह है, जहां पर कि ३,५१,५०० की रकम दी है उसमें जो दूसरी मद है वह यह है—

"more expenditure on firewood and charcoal in Tehri and Almora."

(टेहरी और अल्मोड़ा में जलाने की लकड़ी और कोयले पर अधिक व्यय।)

इसके मुताल्लिक मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी निगाह सिर्फ उन्हीं अजला में नहीं रखनी चाहिये थी। गवर्नमेंट को यह भी महसूस करना चाहिये था कि हर जिले में फ्युयेल (ईंधन) की दिक्कत उसी कदर है जिस कदर कि लोगों को गल्ले की दिक्कत महसूस हो रही है। करीब-करीब उतनी ही दिक्कत लोगों को फायरउड (जलाने की लकड़ी) की भी महसूस हो रही है और गवर्नमेंट ने अब तक कोई इमदाद का इंतजाम नहीं किया है। कम से कम आजमगढ़ जिले के लिये मैं जानता हूं कि वहां सिर्फ एक कंट्रैक्टर है, कस्बा मऊ में है। वहां से हर जगह लकड़ी भेजना चाहें तो भेज ही नहीं सकते, इसलिये गवर्नमेंट को यह ख्याल रखना चाहिये कि हर जिले में उसी तरह की जरूरत है। यहां पर गवर्नमेंट ने अपने को टिहरी और अल्मोड़ा के लिये महदूद कर दिया है और इस बजट को देखने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट ने इस मसले पर कोई निगाह नहीं डाली।

इसके अलावा जहां ५,३०० की रकम दी गई उसमें पहली रकम "repairs to Chief Conservator of Forests' touring lorry" (चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट की दौरे की लारी की मरम्मत) और दूसरी रकम टेन्ट की दी है। मैं यह नहीं समझ सका कि फरवरी के महीने के आखीर में यह फौरी जरूरत क्या हो गई क्योंकि आम तौर पर बरसात के बाद

हीं मरम्मत शुरू हो जाती है। इस रकम को जनवरी के सप्लीमेंरी बजट में आना चाहिये था, यहां पर नहीं आना चाहिये। इस बजट को देखने से यह नहीं मालूम होता कि इसकी कब जरूरत महसूस हुई, जनवरी के पहले या बाद में? मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर खासकर ऐसी चीजें गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी बजट में लाती है तो उसका यह फर्ज है कि हमको आगाह कर दे कि पिछला सप्लीमेंटरी बजट जिस वक्त तैयार हुआ था उस वक्त यह चीज मौजूद नहीं थी। बजट के हर आइटम को देखने से भी यह पता नहीं चलता कि जनवरी के बाद इस रकम की जरूरत हुई है या वह जनवरी से ही डयू थी। इसलिये मैं चाहूंगा कि आइन्दा साल जब सप्लीमेंटरी बजट आये और यह राय हो कि दो सप्लीमेंटरी बजट आने चाहिये तो कम से कम यह तो बतला दिया जाय कि जिस वक्त बजट तैयार हुआ था उस वक्त इसकी जरूरत थी या नहीं या उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। इन अल्फाज के साथ मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि फारेस्ट्स के मुताल्लिक गवर्नमेन्ट जरूर एहतियात करेगी कि वह इन चीजों की तफसील दे दे कि गवर्नमेंट को इसकी उस वक्त जरूरत महसूस हुई।

श्री फूल सिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर श्री त्रिलोकी सिंह ने सरकार का ध्यान दिलाया है वह सचमुच ऐसी है कि इस पर सरकार को काफी ध्यान देना चाहिये। देहात में जहां किसानों को परेशानी के बड़े-बड़े सबब हैं वहां उनमें से एक बड़ा सबब यह भी है कि लकड़ी काटने में अपने खेतों के काम के लिये उसे काफी कठिनाई होती है। यह कहने की जरूरत नहीं कि खेतों के काम में लकड़ी की काफी आवश्यकता होती है। फिर बरसात के मौसम में उसका मकान गिरता रहता है और उसको तख्ते तथा कड़ियों की जरूरत पड़ती है और उसके लकड़ी काटने के लिये जंगल के मुहकमें से इजाजत लेने की जरूरत है। यह तो सही है कि लड़ाई के दौरान में जिस तेजी से लकड़ी कटने लगी और बागात जल्द साफ होने लगे उसको देखते हुये इस बात की जरूरत हुई कि इस पर पाबन्दी लगाई जाय। इधर जमींदारी उन्मूलन कानून की चर्चा हुई। इस पर बहुत से जमींदारों ने भी अपने जंगल साफ करवाने शुरू कर दिये और वह सब लोग जिनके लिये यह कानून बना था इससे बचने का इंतजाम कर लेते हैं। दिक्कत अगर होती है तो गरीब किसानों को ही होती है। मुझे मालूम है कि बड़े बड़े जमींदारों ने तो जंगल के मुहकमें से इजाजत ले ली और गरीब किसान हैं जो परेशानी में हैं। इस मामले में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चहता हूं। मेरा अनुमान यह था कि वे सब भाई जो देहात में रहते हैं जिनका खेती से सम्बन्ध है वह इस मामले को जरूर महसूस करते होंगे। क्योंकि अगर यह कहा जाय तो बेजा नहीं होगा कि यह कानून बना तो देश के नफे के लिए था और इसकी भी जरूरत थी, लेकिन यह एक जरिया होगी रिश्वतखोरी का। कोई अगर दरख्त काटना है तो दरख्वास्त देने पर न जाने कितने दिन लगेंगे। जंगल के अफसर रहते हैं जब उनको खर्चे की जरूरत पड़ती है तो दौरा कर लेते हैं और उनके पास काफी पैसा आ जाता है और अगर किसी का चालान हो जाय और उसको छुड़ाना मंजूर हो तो एक दो अहलकार शहादत दे देते हैं कि यह पेड़ काम के काबिल नहीं था। इस तरह से काफी नफा उठाया जा रहा है और किसानों में काफी बेचैनी है। यह सही है कि यह कानून मुतफर्रिक दरख्तों पर लागू नहीं है, लेकिन हर किसान के पास मुतफर्रिक दरख्त नहीं हैं और जिनके पास हैं वह काफी काम कर लेते हैं और जिनके पास नहीं हैं उनका अगर हल टूट जाय या उनको लकड़ी की जरूरत हो तो कहां से लकड़ी लायें। फिर मुहकमेंवाले खुद भी कायदों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर माननीय मंत्री आंकड़े मंगाकर देखेंगे मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कह सकता हूं तो मालूम होगा कि कितने चालान होते हैं। बेहद लोग इससे परेशान हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस कानून को हटा लिया जाय तो फिर जितने जंगलात बचे हैं उनका सफाया हो जायगा, लेकिन इतना जरूर हो कि खेती के सम्बन्ध में जो लकड़ी की जरूरत है उसमें जो दिक्कतें पैदा हो गई हैं उनको रफा करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले में उचित ध्यान देंगे।

श्री साजिद हुसैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि जंगलात का ताल्लुक है और उस कानून का ताल्लुक है, जो लकड़ी कटान के लिये यहां बना था जो स्प्रिट उसके मातहत थी उससे मुझे इत्तिफाक था। मगर जिस तरह से वह आपरेट (लागू) किया जा रहा है मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत डिसएप्वाइंटिंग (निराशापूर्ण) है। जब एक ऐसा कानून बनता है कि हम लकड़ी की कटान को रोक दें तो उसके साथ साथ यह जरूरी हो जाता है कि हम उसी के साथ एक प्लान (योजना) तैयार करें, जिसके मातहत हमको एफारेस्टेशन (वन लगाना) करना चाहिये और जिसके मातहत जहां जरूरी हो हमको डिफारेस्टेशन करना (वन कटवाना) चाहिये। यह कि एक हेपहेजर्ड (अव्यवस्थित) तरीके से जहां चाहा, जो चाहा किया या न किया यह मेरे खयाल में बिलकुल नामुनासिब बात है। फिर जब कि सरकार के पास टेक्नेशियंस मौजूद हैं फारेस्ट्री के मुताल्लिक जो लोग नालेज (ज्ञान) रखते हैं वे लोग मौजूद हैं उनके होते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की। अभी मेरे दोस्त ठाकुर फूल सिंह जी ने कहा कि जमींदार लोग तो इजाजत ले लेते हैं, लेकिन काश्तकारों को काटने की इजाजत नहीं मिलती। मैं आप के सामने अपनी एक जाती मिशाल पेश करता हूं, मैंने सरकार से इजाजत के लिये कहा और मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट के पहले जीने से चला डी० एफ० ओ० से चीफ कंजरवेटर तक और जबानी मैंने माल मंत्री जी से भी जिक्र किया। अब वह मामला मुख्य मंत्री के पास है। मामला क्या है? एक छोटा सा तुख्मी बाग है, जिसमें ७०-७५ दरख्त हैं। रकबा दो तीन एकड़ का है। दरख्त जब पुराने हो जाते हैं तो उनमें वह खूबी नहीं रहती, न वे सरसब्ज होते हैं न फल देते हैं तो जरूरत होती है कि वे दरख्त काट दिये जायं। मेरा ख्याल हुआ कि उनको काट कर उनकी जगह पर कलमी दरख्त लगाये जायं। मैं समझता हूं कि मुझे जो फायदा होता उसके अलावा इससे नेशनल वेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट (उन्नति) होता। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि वह बाग इत्तिफाक से लबे सड़क है, म्युनिसिपैलिटी के करीब है, और कामर्शियल प्वाइंट आफ व्यू (व्यावसायिक दृष्टिकोण) से भी यह बहुत अच्छी और जरूरी चीज थी, मगर करीब क़रीब साल भर से ज्यादा हो चुका कि खतोकिताबत हो रही है और कोई नतीजा मालूम नहीं हुआ। बाग काटने की पर्मिशन (आज्ञा) मिले या न मिले लेकिन यह हालत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की देखने की है कि वह इस तरह से आपरेट (कार्य) करता है। यह एफिशियेंसी (कार्यक्षमता) की हलत है। मालूम नहीं किस गुंजलक दिमाग से वे काम करते हैं। वे यह नहीं देख सकते कि इसमें नेशनल वेल्थ की तरक्की होती है। यह भी नहीं समझ पाते कि इसका काटना अच्छा है या बुरा है। मेरे ख्याल में माल मंत्री जी यह जो तरीका है उस पर विचार करेंगे। बाग को पर्मिशन (आज्ञा) के लिये वह कसम खा लें नहीं देंगे और मैं भी कसम खा लूंगा कि पर्मिशन नहीं मागूंगा लेकिन यह जो तरीका बिना समझे-बूझे काम करना, कागजी घोड़े दौड़ाना, क्लर्क लोग डेप्युटेड हैं जवाब दे दें और आफिसर्स अपनी फेट सैलरीज (बड़े-बड़े वेतन) महीने पर लेते रहें यह कोई तरीका है? मेरे ख्याल में यह क्राइम्स हैं अगेन्स्ट सोसाइटी, अगेन्स्ट कंट्री। इस तरह से काम करना दरअस्ल कोई काम करना नहीं है। इस तरीके से यहां काम किया जा रहा है और फिर कहा यह जाता है कि बजट में यह रुपया दे दीजिये वह रुपया दे दीजिये, चाहे काम हो या न हो। पेपर पर दुनिया भर की स्कीमें और प्लान्स (योजनायें) दिखा दिये जाते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, मगर काम क्या हो रहा है उसकी सूरत यह है जो आप के सामने है। इस वक्त लोगों को जलाने की लकड़ी हासिल करने के लिये काफी परेशानी है। मैं पूछता हूं कि उनके लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) ने कौन सी सहूलियत देने का इन्तजाम किया है, जिससे उन बेचारों को लकड़ी मिल सके? आप देखेंगे कि बाज-बाज जगह तो बहुतेरे लोगों को अपने मुर्दे जलाने के लिये भी लकड़ी मिलने में मुश्किल पड़ती है। मैं मानता हूं कि बिलकुल होलसोल (पूर्णरूप से वनों का काटना) डिफारेस्टेशन नहीं होना चाहिये, मगर जहां पर जरूरत हो वहां डिफारेस्टेशन (वन का काटना) कतई होना चाहिये। मगर फारेस्टेशन हो तो (वन लगाना) वह एक प्लानिंग तरीके पर होना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि इससे बारिश पर काफी असर पड़ता है, मगर यह कोई तरीका नहीं है कि उजलत

में कोई ऐसा कानून बनाया जाय जो आगे चल कर सब लोगों के लिये तकलीफ का बायस बन जाय। जिस वक्त यह कानून बना उस वक्त किसी के दिमाग में यह बात नहीं थी। उस वक्त लोगों का ऐसा ख्याल था कि बाकायदा कोई प्लानिंग होगी उस पर कोई प्राम्प्ट ऐक्शन (शीघ्र कार्यवाही) लिया जायगा और तब कोई काम किया जायगा जिसके मातहत मुल्क की तरक्की हो सकेगी। मगर यह कोई तरीका नहीं है कि महज कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। कोई बात पूछी जाती है तो उसका कोई जवाब नहीं आता और अगर आता भी हैं तो उसे आगे बढ़ा देते है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जहां और चीजें कर रही है वहां इसका भी ख्याल रखेगी जिससे काम में एफिशिएन्सी पैदा हो और बदनामी न हो। बदनामी के अलावे इससे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये इस्तदुआ करता हूं कि वह इसका जरूर ख्याल करेंगे।

श्री भगवान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ रोशनी डाली है। प्राइवेट फारेस्ट के सम्बन्ध में जो इसके साथ सवाल उठाया गया है वह मैं समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट फारेस्ट में गार्डेन भी शामिल कर लिया गया है। यहां पर एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। बागों को काटने की इजाजत में बहुत मुश्किल पड़ती है। वे लोग पहले अपनी दरख्वास्त डी० एफ० ओ० को देते हैं। डी० एफ० ओ० जांच कराने के लिए रेंजर को दे देता है और फिर कंजरवेटर को भेजता है और तब जा कर बहुत दिनों के बाद दरख्त काटने को इजाजत मिलती है। वहां डी० एफ० ओ० को यह अख्तियार है कि सरकारी जंगलों का वह स्वयं ही सालाना नीलाम करे और उसके बारे में उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वहां कायदा यह है कि रेंजर लोग दरख्तों पर निशान लगाते हैं, लिस्टें तैयार की जाती हैं और लिस्टें तैयार होने के बाद जंगल आक्शन कर दिया जाता है। जहां तक प्राइवेट गार्डेन का सम्बन्ध है वहां पर डी० एफ० ओ० को यह अख्तियार नहीं है कि यह इजाजत दें कि यह दरख्त बहुत पुराना है या इस दरख्त को काटने से पब्लिक का फायदा हो सकता है। डी० एफ० ओ० जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिनको सरकार ने हर डिवीजन में मुकर्रर कर रखा है तो क्या बात है जो प्राइवेट फारेस्ट समझे जाते हैं वहां पर तो उसे पहले से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है और जहां पर कि गवर्नमेन्ट के अपने जंगलात हैं गवर्नमेन्ट फारेस्ट हैं जहां की लकड़ी अच्छी समझी जाती है जिनका जबरदस्त सुपरविजन (निरीक्षण) होता है वहां पर डी० एफ० ओ० को स्वयं अख्तियार है। मैं इसके मुताल्लिक एक दूसरी बात पेश करना चाहता हूं। जहां तक बड़े बड़े प्राइवेट फारेस्ट का सम्बन्ध रहा है वहां पर कुछ जमींदारों ने, उन लोगों ने यह दरख्वास्त दी थी कि इन फारेस्ट की नराई का इन्तजाम कर दिया जाय ताकि फारेस्ट अच्छी हालत में हो जाय। जहां पर सरकारी फारेस्ट हैं वहां पर भी सालाना नराई होती है और जो काम के दरख्त नहीं होते है उनको अलग से नीलाम किया जाता है। जमींदारों को ऐसी दरख्वास्तों के विषय में सरकार ने जो नीति अख्तियार की उससे जमींदारों को कोई फायदा नहीं हो पाया। जमींदारों को फायदा न होने के मतलब यह भी हुय कि देहातों के अन्दर ईन्धन का अभाव हो गया और उसके लिये उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यही हालत बागात की भी हुई और यही हालत प्राइवेट फारेस्ट के बारे में हुई।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक जंगलात का सवाल है वहां पर बहुत से छोटी-मोटी तिजारतें भी जंगलात से सम्बन्ध रखती हैं। सरकार को इस नीति को लेते हुये कि उसने मछलियों का इन्तजाम जंगलात के ही सुपरविजन में कर दिया है। अन्य छोटी-मोटी काटेज इन्डस्ट्रीज का भी जंगल विभाग

[श्री भगवान सिंह]

में सम्बन्ध रहना चाहिए, उनमें एक हनी का मुहकमा है जो कि बिलकुल अलग है और जिनके इन्सपेक्टर बिलकुल अलग हैं। जहां जहां पर यह हनी इन्सपेक्टर रखे गये हैं वहां यह कोई भी काम नहीं करते हैं सिवाय इसके कि जिलाधीश के बंगले पर छोटे मोटे हनी के डिब्बे रख दिये या कोई कहीं पर लेक्चर दे दिया और कोई काम नहीं होता है। अगर इसका सम्बन्ध जंगलात के मुहकमे से कर दिया जाता तो यह ज्यादा मुनासिब होता। जंगलात से कई लोग और रोजगार के तरीके पर सम्बद्ध हैं, जैसे कि दरख्तों की छाल है। वहां पर साखू के पेड़ से बहुत सी छाल निकलती है जो रंग के काम में आती है। बाहर के व्यापारी जंगलात में पहुंचते हैं और वहां से छाल ले जाते हैं इसलिये जिस तरह से गवर्नमेंट लकड़ी का इन्तजाम करती है अगर वहां पर छाल का भी इन्तजाम कर दे तो इससे काफी आमदनी हो सकती है और रंग के मामले में काफी तरक्की हो सकती है। इसी प्रकार जंगल की अन्य पैदावारों से भी विशेष लाभ उठाया जा सकता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—मैं बहस बन्द करने का प्रस्ताव करने की अनुमति चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष—आप प्रस्ताव कर सकती हैं।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—मैं प्रस्ताव करती हूं कि अब बहस बन्द कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस मसले पर विवाद बन्द कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री जगमोहन सिंह नेगी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सदन को सलाह दी है कि जंगल विभाग के कम्युनिकेशन (यातायात) के लिये जितनी रकम मांगी जाय इस सदन को स्वीकार करनी चाहिये। मैं वाकई तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक मौजूदा मांग का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में कहते हुये हमारे मित्र नेगी जी ने कम्युनिकेशन (यातायात) के मुताल्लिक ही अपना सारी स्पीच सर्फ की। लेकिन अगर यह मेमोरैंडम देखा जाय तो इस मांग में कम्युनिकेशन के बारे में एक पैसे की मांग नहीं है। हमारे मित्र अम्मार अहमद साहब ने भी कम्युनिकेशन का जिक्र किया। वह भी एक ऐसा निशाना था। उन्होंने शिकारी होते हुये ऐसी फायरिंग की जो निशाने से बड़ी दूर थी वह भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

कई बातें प्राइवेट फारेस्ट के बारे में भी कही गई हैं। हमारे दोस्त राजा साजिद हुसैन साहब ने भी फरमाया। उन्होंने अपनी एक जाती दरख्वास्त का हवाला देते हुये यह कहा कि उनको काटने की इजाजत मिलने में बड़ी तवालत हुई और अभी तक इजाजत नहीं मिली और गालिबन अब वह लेना भी नहीं चाहते जैसा कि उन्होंने नाराज हो कर फरमाया।

श्री साजिद हुसैन—लेना तो मैं चाहता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं यह अर्ज करना चहता हूं कि जहां तक इन बागों को काटने के परमिशन (परवाना) का ताल्लुक है जमींदार साहबान या ग्रोव होल्डर्स (बागदारों) ने ऐसी बरहमी के साथ बागों का काटना शुरू कर दिया, किस वजह से यह मुझे पता नहीं, इसका जवाब वे ही दे सकते हैं। लिहाजा जनता के नुमायन्दों ने यह मुनासिब समझा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाय जिससे बागात का काटना खत्म हो जाय। जो माहिर

हैं वे इस बात को कहते हैं कि जंगल, बागात और दरख्तों का होना आबोहवा पर भी असर डालता है और बारिश पर भी असर डालता है। लिहाजा इन सब का होना बहुत जरूरी है? इस नुक्ते खयाल से इस सदन ने प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के नाम से एक कानून पास किया, जिसके हिसाब से बागात और दरख्तान का काटना रोक दिया गया। हां, इस वक्त मैं थोड़े दिनों से यह देखता हूं कि अभी तक हमारे जमींदार साहब इस बात की तरफ जरा भी तवज्जह नहीं करते थे कि पुराने बागात को काट कर नये तरीके से बागात नस्ब किये जायं ताकि नेशनल वेल्थ (राष्ट्रिय धन) बढ़े, लेकिन साल छः महीनों से इस तरफ बहुत तवज्जह है। बहुत सी परती जमीन हमारे दोस्तों के पास पड़ी हुई है, मगर किसी ने उसमें बागात नस्ब नहीं किये, लेकिन जो बागात लग हुये हैं उनको काटकर एक माडल तरीके से बागात लगाने की तरफ ज्यादा तवज्जह है। गालिबन इसकी एक वजह यह मालूम होती है कि लकड़ी का भाव बड़ा गरां है। नेशनल वेल्थ बढ़ाने की वजह से कोई ऐसी भावना पैदा हो गयी हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं बागात को काटने के बड़ा खिलाफ हूं। बागात नेशनल वेल्थ हैं उनका रहना बड़ा जरूरी है। इस वजह से जब तक कोई वजह माकूल न मालूम हो जाय तब तक बागात को काटने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती।

जहां तक हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी और श्री फूल सिंह जी का ताल्लुक है, त्रिलोकी सिंह जी कुछ गलतफहमी में थे जोकि फूलसिंह जी की तकरीर से साफ हो गयी। त्रिलोकी सिंह जी का यह ख्याल था कि स्कैटर्ड ट्रीज (छितरे वृक्षों) के लिये भी . . .

श्री त्रिलोकी सिंह--आपने मुझको इजाजत दी है या नहीं दी है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--गालिबन दी है और यह जान कर दी है कि त्रिलोकी सिंह जी बड़े होशियार और चतुर आदमी हैं और कानून से बिलकुल वाकिफ हैं। वे जब तक नोटीफिकेशन (अधिसूचना) में नहीं आ जायगा तब तक दरख्वास्त देने के लिये तैयार नहीं होंगे। अगर उन्होंने दरख्वास्त दी है तो मेरे दिल में यह खयाल हुआ कि वह या तो बागात की तारीफ में आते हैं या जंगलात की। अगर मेरे दोस्त त्रिलोकी सिंह जी चाहें तो मैं यह नोटीफिकेशन पढ़कर . . .

श्री त्रिलोकी सिंह--यह किस डेट (तारीख) का है? सन् ४९ के गजट में निकला है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--नोटीफिकेशन आप देख न लें (श्री त्रिलोकी सिंह के पास भेजा)। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्कटर्ड ट्रीज के मुताल्लिक वह लागू नहीं होता। वह महज फारेस्ट और ग्रोव के मुताल्लिक है। मेरे मित्र फूल सिंह जी ने बतलाया कि काश्तकारों को इसमें तकलीफ है। यह किसी का मंशा नहीं है कि काश्तकारों को कोई तकलीफ हो। त्रिलोकी सिंह जी को शिकायत तो गलत-फहमी पर मबनी थी। मेरे पास एक भी दरख्वास्त नहीं आई है कि किसी काश्तकार को इस सम्बन्ध में कोई तकलीफ हुई हो। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई स्पैसीफिक केसेज (विशेष मामले) मेरे सामने लाये जावेंगे तो मैं उनकी देखभाल करूंगा और जहां तक होगा मैं शिकायत रफा करने की कोशिश करूंगा। हमारे दोस्त नेगी साहब ने भी दो-एक बातें कहीं।

श्री त्रिलोकी सिंह--इस सिलसिले में मैंने जो बात अर्ज की थी मुतफर्रिक दरख्त की वह बबूल के दरख्तों पर भी लागू है। जो नोटीफिकेशन गजट एक्स्ट्राआर्डिनरी असाधारण ३ जून, ४९ ई० का है इसमें जो फेहरिस्त है उसमें साल, शीशम, महुआ, आम, बबूल, जामुन, इमली, खैर, करघई और नीम भी हैं। मैंने जो बबूल कहा था वह इस लिस्ट में है। मैं माननीय मंत्री को यह भी बतलाना चाहता हूं कि मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसमें लिखा हुआ है स्कैटर्ड ट्रीज (छितरे वृक्ष) डी० एफ० ओ० की रिपोर्ट में हैं। स्कैटर्ड ट्रीज और जो आपको इजाजत है

[श्री त्रिलोकी सिंह]

उसमें भी स्कैटर्ड ट्रीज हैं। जो फालिंग लाइसेंस मिला है उसमें भी स्कैटर्ड ट्रीज है मालूम नहीं आप यह कैसे फरमाते हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--हमारे मित्र जी त्रिलोकी सिंह जी का यह कहना है कि बागों में बबूल नहीं लगाये जाते हैं यह कोई नहीं कहता।

श्री फखरुल इस्लाम--बहराइच में होता है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैंने देखा है कि इलाहाबाद में नौबस्ता मोहल्ले के बाद बबूल के दरख्त हैं। वहां कसरत से लगे हुये हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक काश्तकारों का ताल्लुक है, स्कैटर्ड (बिखरे हुए) अगर उनके खेतों में हों तो वे काट सकते हैं।

हमारे भाई नेगी जी ने एक सड़क के बारे में भी बात कही। वैसे तो वह आज इस सप्लीमेंटरी से कोई सम्बन्ध नहीं रखती लेकिन जो उन्होंने फरमाया उस पर विचार किया जायगा। जब सालाना बजट आवेगा तो उस समय जैसा मेरे मित्र ने कहा है वह मेरी मदद करेंगे और मुझे काफ़ी रक़म दिलाने की कोशिश करेंगे तो तब उस पर विचार किया जा सकता है। उसके साथ एक बात मेरे मित्र ने कही कि कोटद्वार में जंगलात का नीलाम या नैनीताल में या हल्द्वानी में नहीं होना चाहिये। इस मसले पर कई मर्तबा ग़ौर किया गया लेकिन बहुत सी दिक्क़तें आयीं। उन दिक्क़तों में से एक दिक्क़त यह है कि वहां हमारी कोई ट्रेज़री नहीं है। लाखों रुपया जमा होगा, लेकिन वहां रुपया की सेफ कस्टडी (सुरक्षा) किसी तरह मुहैया नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में वहां नीलाम कराने में हमारे रास्ते में यह एक बड़ी दिक्क़त है। वहां कौन कौन सी हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता लेकिन ट्रेज़री के अभाव के कारण यही तय किया गया कि जहां नीलाम होता था वहीं बदस्तूर नीलाम होता रहे।

रेज़िन के मुताल्लिक़ एक कम्पनी से कुछ मुआहिदा है जैसा कि हमारे मित्र नेगी जी ने फरमाया और वह मुआहिदा हमारे लिए क़ाबिले पाबन्दी है और उस पर हमको अमल करना है। यह भी कहा गया कि जो छोटी मोटी काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको हम एन्करेज (प्रोत्साहित) नहीं करते हैं। कोआपरेटिव बेसिस पर अगर वहां ऐसी इंडस्ट्रीज जारी की जायं तो उनको सहायता देने के लिए हुकूमत हमेशा तैयार है। जितने हमारे पास रेज़िन हैं, उस कम्पनी को सप्लाई करने के बाद, हुकूमत और दरख्वास्तों पर विचार करने के लिए और मदद देने के लिए तैयार है।

हमारे मित्र भगवान सिंह ने डी० एफ० ओ० को अख्तियारात देने के संबंध में बातें कहीं। यह ठीक है कि डी० एफ० ओ० हमारे जंगलों का नीलाम करता है, लेकिन मंज़ूरी कनज़र्वेटर करता है। जहां तक प्राइवेट फारेस्ट्स का ताल्लुक है और बाग़ों के कांटने की इजाज़त देने का ताल्लुक है, इस वक्त एक ऐसी स्थिति है कि ज़मींदारी एबालिशन का सवाल हमारे सामने दरपेश है, लोग अपने जंगलों को खत्म करने पर पहले से दरपे थे और अब और ज्यादा हैं। अगर उनको ज़रा भी गुंजायश मिल जाय तो वह सब जंगल खत्म कर दें क्योंकि ज़मींदारी एबालिशन में यह है कि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद जंगल गांव-सभाओं में वेस्ट (निहित) हो जायंगे। जब लोग ऐसे जंगलों को काटने के लिए तुले हुये हैं तो ऐसी स्थिति में अगर मैं वहां इजाज़त दे दूं और दूसरों को न दूं तो लोगों को यह शिकायतें करने का मौक़ा मिलेगा कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन (भेद भाव) करती है। इसी वजह से कंट्रोल अभी रक्खा गया है। यह ऐबनार्मल कंडीशन्स (विशेष दशाएं) हट जायं और फिर हमको कोई एतराज नहीं होगा डी० एफ० ओ० को अख्तियारात देने में। आज कल अनसेटिल्ड कंडिशन्स (अनिश्चित दशाएं) हैं, इसी लिए सरकार ने तमाम अख्तियारात अपने हाथ में रक्खे हैं। अगर ऐसा इस वक्त न किया जाय तो डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) होने का एहतमाल है जिससे हमारे राजा साजिद

हुसैन साहब को शिकायत करने का मौक़ा मिलेगा। अगर ऐसी बात न होती तो इस मसले पर ध्यान दिया जा सकता था।

शहद के मुताल्लिक़ भी चन्द बातें कही गयीं। जहां तक शहद का ताल्लुक़ है उसका पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं है, वह ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। फिर भी फारेस्ट डिपार्टमेंट ने शहद को एकट्ठा करने का बन्दोबस्त किया है। कुछ डिवीजनों में इसका इन्तज़ाम किया गया है और आगे हम इसको तरक्क़ी देने की कोशिश करना चाहते हैं।

पेपर (कागज) संबंधी इंडस्ट्री के बारे में हमारे मित्र ने ज़रा सा इशारा किया था। सारे प्रश्नों के साथ यह प्रश्न भी धन पर निर्भर करता है। यदि हमारे फंड में रुपया हो तो पेपर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर खड़ी की जा सकती है, लेकिन पेपर इंडस्ट्री को कौन कहे, धनाभाव की वजह से हमारे बहुत से काम स्थगित हैं यहां तक कि हमारी सड़कें बनना भी स्थगित हैं। इस वजह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी यह मौक़ा नहीं है जब हम इसके बारे में कोई डेफिनिट (निश्चित) बात कह सकें, लेकिन फिर भी इन सब बातों पर विचार होगा और विचार करके जहां तक संभव होगा हर तरह से उद्योग करने की कोशिश की जायगी और जंगल के पदार्थों को ठीक तरह से इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जायगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि कम से कम इस मांग को ज़रूर स्वीकार किया जाय। जनरल बजट के सिलसिले में बहुत से मौक़े होंगे जब बहुत सी बातें कही जायेंगी और तफसील के साथ उनपर विचार करने का मौक़ा होगा और जो सुझाव माननीय सदस्य उस वक्त देंगे उनपर भी विचार किया जायगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत ४,४९,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--श्रीमन् गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३४,५१,४०० रुपयों को अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय। यह दरअस्ल कोई खर्च की मांग नहीं है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के सिलसिले में जो आमदनी हुई है वह रोड फंड में जमा करने के लिये मांग है और मैं समझता हूं कि इसको तो सदन ज़रूर ही मंजूर करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३४,५१,४०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५० ५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--जनाब वाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ८--लेखा शीर्षक १३--अन्यकर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। सन् १९४८ ई० में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बिजली के प्रोडक्शन और सप्लाई के मुताल्लिक

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

एक ऐक्ट बनाया था। वह ऐक्ट अब तक नाफिज है। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीज का जो खर्चा होता है उसमें लेबर की तरफ से जो वेजेज वगैरा चीजें बढ़ाई गयी हैं।

कुछ सदस्य--यह तो पास हो जायगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--तो मुझे अर्ज नहीं करना है। इसमें लिखा हो हुआ है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-(ख)--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना के व्यय को छोड़कर) के अन्तर्गत ११,००,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसकी तफसील तो लिखी हुई है। अगर कोई साहब कुछ दरियाफ्त करना चाहें तो मैं अर्ज कर दूंगा।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाब वाला, जो ग्रांट कि इस वक्त हमारे सामने जनाब वजीर साहब ने पेश की है उसके देखने से ३-४ चीजों का खासतौर से इजहार होता है। पहली चीज तो यह है कि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड के सिलसिले में यह इजहार किया गया है कि इसके अन्दर आमदनी भी बढ़ रही है, उसकी लाइन्स का ट्रांसमिशन भी बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ अखराजात भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया मांगा जा रहा है। मैं जहां तक समझता हूं मुमकिन है कि यह सही हो, अखराजात के साथ आमदनी भी बढ़ रही हो। मगर आमदनी अगर रेट्स बढ़ाने से ज्यादा हो रही हो तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब चीज नहीं है। चंदौसी और हरदुआगंज स्टीम स्टेशंस का हवाला दिया है कि इस वक्त उन पर अखराजात इस वजह से ज्यादा हो रहे हैं कि उनको ज्यादा काम करना पड़ा और ज्यादा काम इस वजह से करना पड़ा कि अपर गैंजेज कैनाल बंद हो गयी थी। मैं जहां तक समझता हूं अपर गैन्जेज कैनाल हर साल बन्द होती है। इस साल कोई नयी चीज नहीं है। पिछले साल भी इसी तरीके से बन्द हुई थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। मैंने पिछले साल अपनी आंखों से बन्द होते हुए देखा था। जब कि हर साल उतना ही खर्चा होता है तो इस साल खर्च के लिये ज्यादती क्यों की जाय?

इसके अलावा सबसे बड़ी गौरतलब चीज यह है कि इस बजट में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पर एलेक्ट्रिसिटी की रकम पी० डब्ल्यू० डी० के लिये लायी गयी है। आज ट्यूबवेल्स और बिजली की दिक्कतें बदस्तूर कायम हैं। आज ट्यूबवेल्स के कमांड में इतना बड़ा एरिया रखा गया है कि उन ट्यूब वेल्स को उसका पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर पर तो वह चीज बहुत अच्छी मालूम होती है या हुकूमत बतला सकती है कि उन्होंने इतने बीघे आबपाशी की। लेकिन कमांड के अन्दर इतना ज्यादा रकबा है कि एक ट्यूबवेल के वास्ते

बिल्कुल नामुमकिन है कि वह पूरा कर सके। मेरा मक़सद यह नहीं है कि मैं इस सवाल के ऊपर ट्यूबवेल्स और हाइड्रोइलेक्ट्रिक के मुताल्लिक जितने ग्रीवेंसेज (आपत्तियां) हैं वह मैं वज़ीर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--अभी मौका आने वाला है, उस वक्त जितनी बातें आप फरमा रहे हैं, इससे ज्यादा बुरी बातें फरमाने का मौका होगा।

श्री अम्मार अहमद खां--बहरहाल, जो आइंदा मौका आयगा उससे भी हत्तुल-इमकान फायदा उठाने की कोशिश की जायगी, लेकिन इसका मकसद यह नहीं कि इस ग्रांट में जो अखराजात पास करवाये जा रहे हैं उसके ऊपर इजहारे राय न किया जाय।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, मेरे दोस्त को गलतफहमी है। हेडवर्क्स जो हमारे हैं, उन नहरों की जो नहरें मसलन गंगा से नहर निकाली है उसका जो हेडवर्क्स है उसको ओवरहाल निरीक्षन और सफाई)) करने की जब जरूरत होती है तो उस वक्त नहर को बिल्कुल बन्द करना होता है और जितने भी पावर स्टेशंस नहर के जरिये से चलते हैं वे सब बन्द हो जाते हैं। मेरे दोस्त का यह खयाल गलत है कि ऐसा हर साल होता है। तो जब ओवरहाल करने की जरूरत होती है तो उनको बन्द करके वक्त सर्फ किया जाता है। तब जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनमें ज्यादा बोझ जा पड़ता है। उनमें कोयला ज्यादा खर्च होता है। यही कोयला जो इस साल ज्यादा खर्च हुआ इसी लिये यह रकम ज्यादा चढ़ी। पिछले साल के लिये जो मेरे दोस्त ने फरमाया, उसमें उनको गलतफहमी है और वह यह है कि मुहम्मदपुर का जो पावर स्टेशन बना है उसके लिये चेनल जो निकालना था उसके लिये बंद बांधा गया था नहर में। उस अर्से के लिये, थोड़े दिनों के लिये, उस तरफ का पानी रोक कर के इस तरफ को डाइवर्ट (मोड़) कर के चैनेल (नहर) बनाई गई। वह काम बिलकुल दूसरा था, १० या १२ दिन का था। बाकी हर साल यह नहीं होता।

मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि खर्चा बढ़ा है, आमदनी तो नहीं बढ़ी है, वगैरह वगैरह। यह बात नहीं है। कनेक्शन नहीं दिया जाता यह सही है, लेकिन ट्यूब वेल बराबर बन रहे हैं, ट्यूब वेल हर साल बनते हैं, उसकी मुस्तकिल स्कीम चल रही है, उनकी ट्रांसमिशन लाइन बराबर बिछती है। उसी का तजकिरा इसमें है। हर साल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक के अन्दर एक्स्टेंशन होता है, लाइनें और बिछती हैं, ट्रांसमिशन लाइनें और तैयार होती हैं, तो उसका खर्चा हर साल बमुकाबिले पहिले के बढ़ता है। अगर इस साल ५०० हैं और अगले साल ७०० हो गई तो फिर बाकी २०० के मेन्टेनेंस (रख-रखाव) का खर्चा बढ़ेगा ही। इसमें जो सवाल है वह घटने बढ़ने का नहीं है। इसमें यह है कि ओरिजिनली (प्रारम्भ में) जितना रुपया मांगा गया था उतना रुपया अवेलेबिल (प्राप्य) नहीं था, उससे कम रुपया मिल सका था। उस वक्त जब बजट बनाया गया उतना रुपया नहीं था, थोड़ा सा रुपया उसमें से काट कर के छोड़ दिया गया था, जो कि अब खर्च में आया है और इसमें रखा गया है।

श्री अम्मार अहमद खां--मैं जनाबवाला की इजाजत से मालूम करना चाहूंगा कि अब वह रुपया कहां से आ गया जिस वास्ते कि कमी को पूरा किया गया है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--वह तो तीन लाख है, इसमें जो करोड़ों रुपया आ गया है वही मांगा गया है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

[माननीय अध्यक्ष]

के अन्तर्गत ११,००,२०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान सं० १०—लेखा शीर्षक—१७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना पर व्यय

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना पर व्ययके अन्तर्गत ११,३७,२०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसकी तफसील किताब में लिखी हुई है। अगर बाद को जरूरत होगी तो मैं बयान और कर दूंगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ११,३७,२०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ११—लेखा शीर्षक—२५ सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर) के अन्तर्गत ४,४१,४०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट में लेजिस्लेटिव बाडीज के सिलसिले में १ लाख २९ हजार २ सौ रुपये की मंजूरी मांगी गई है। जाहिर सी बात है कि लेजिस्लेटिव बाडीज के सिलसिले में जो रकम बजट में मंजूर की गई थी उसमें १ लाख २९ हजार की कमी माननीय अर्थ मंत्री समझते हैं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अगर अखबारों की खबरें सच हैं तो एक मरतबा उसमें निकल चुका है कि असेम्बली के एक दिन के सेशन पर ५ हजार रुपया खर्च होता है और यह सेशन, जिसमें आज हम बैठे हुये हैं, यह १६ तारीख को बुलाया गया था। सप्लीमेंटरी बजट को पेश करके बैठक मुलतवी कर दी गई। १७ और १८, जो हमारा दस्तूर है, शनीचर और इतवार को असेम्बली की मीटिंगें न करें उसके अनुसार बैठक स्थगित रखी गई, लेकिन क्या बैठक बजाय शुक्रवार के सोमवार को नहीं बुलायी जा सकती थी और अगर यह बैठक सोमवार को बुलाई जाती तो यह शनीचर और इतवार का जो दो दिनों का खर्च फालतू पड़ गया वह बच जाता और श्रीमन्, आप देखें कि हर तरफ कटौती की ओर ही ध्यान है और उसके लिये मजबूरी है। आमदनी कम है खर्च ज्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ कटौती करने का ढंग भी होता है। खर्च की बचत कैसे की जा सकती है। काम भी ठीक तरह से चले, खूबी के साथ चलता जाय और कम हो तो मेरी समझ में यह नहीं आया और मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि असेम्बली का यह अधिवेशन, जिसमें आज हम हिस्सा ले रहे हैं, अगर बजाय १६ के १९ को बुलाया गया होता तो तीन दिन का खर्चा जो अखबारों की रिपोर्ट से ५ हजार रोजाना का औसत है यानी तीन दिनों का १५ हजार रुपये बच जाते। मैंने यह

इसलिये निवेदन किया और उम्मीद भी करता हूं कि गवर्नमेंट जब कभी भी असेम्बली बुलायगी तो इस बात का ध्यान रखेगी और जितने दिनों के लिये सेशन करती है उतने दिनों के लिये कम से कम बिजिनेस (कार्य) तो हों। कल के लिये भी बिजिनेस नहीं है। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के सिलसिले में कुछ संशोधन करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिये ख्वाहिश भी की कि कल वह लिया जाय। मैंने यह मजबूरी जाहिर की कि मैं भी समझ बूझ लूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रोग्राम इस तरह से बनाया जा सकता था कि तीन दिनों की बचत हो जाती और यह तीन दिनों की बचत कोई मामूली बचत नहीं होती। और माननीय सदस्यों को भी जो उनकी अपने अपने स्थानों से गैर हाजिरी होती है और उसमें जो असुविधा होती है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती।

इसी अनुदान में जब सप्लीमेंटरी ग्रांट पर आम वाद-विवाद हुआ था तो मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि किसी एक अमुक राजनीतिक संस्था को २५ हजार रुपया पब्लिसिटी के सिलसिले में दिया गया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या वह रकम दी जा चुकी है या देना बाकी है और मैं महज इसलिये जानना चाहता हूं कि १९४९-५० ई० में भी इस मामले पर वाद-विवाद हुआ था और बड़ी पब्लिक में कंट्रोवर्सी (विवादास्पद विषय) पैदा हो गई थी कि एक राजनीतिक संस्था को और उस राजनीतिक संस्था के एक अमुक व्यक्ति को क्यों इतनी रकम दे दी गई और अलग हिसाब क्यों खुलवा दिया गया कि जिला कांग्रेस कमेटी इसको खर्च करे। उस वक्त जब वह वाद-विवाद उठाया गया था और यह जमींदारी अबालीशन का काम १९४९ ई० से चल रहा था तो यह अन्फोरसीन (अतर्कित) नहीं कहा जा सकता है। इसलिये कि जमींदारी अबालीशन फंड कलेक्शन की ड्राइव (जमींदारी उन्मूलन विधि के एकत्रीकरण का आन्दोलन। ४९ के अक्तूबर में शुरू की गई और ४९ में ही वह खत्म होने वाली थी। जनवरी में जब यह तय कर लिया गया था तो यह रुपया जो जमींदारी अबालीशन फंड के कलेक्शन में सप्लीमेंटरी बजट में लाया गया है इसको अन्फोरसीन एक्सपेंडीचर (अतर्कितव्यय) नहीं कहा जा सकता है। वही सिलसिला था और सरकारी योजना थी और बजट के पास होने के दो महीने पहले इसका ऐलान कर दिया गया था कि इसकी ड्राइव और कोशिशें मीटिंग्स के जरिये, इश्तिहारों के जरिये, जाबजा खजाने खोलकर आयन्दा साल यानी रबी की फसल में लाई जायगी, जब यह ऐलान था तो कोई वजह मालूम नहीं होती कि आप इसकी बजट में गुंजायश नहीं रखते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं और उन्होंने फरमाया था कि अब और कोई कोशिश भाग-दौड़ का सिलसिला इस रुपये को जमा करने में नहीं होगा, बल्कि किसानों को इस बात की सुविधा जरूर होगी कि जब जो चाहे आकर दस गुना रुपया देकर भूमिधर बन जाय। लेकिन मेरा जाती तजुर्बा है रायबरेली जिले के एक गांव का जहां मुझे जाने का मौका मिला खास तौर पर हुक्कामान जिला, डिप्टी साहबान, कानूनगो और पटवारी और दूसरे गैर-सरकारी लोग साथ साथ दौरा करते हैं, जमा करते हैं, इसकी तहरीक करते हैं और उनसे कहते हैं कि वह दें। यह बात माननीय मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य के सिलसिले में उस ऐलान के खिलाफ होती है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें इसकी इत्तला है या नहीं। महज उनको इत्तला देने के लिये कहता हूं कि बावजूद उनके ऐलान के और हुक्म के होते हुये हुक्कामान जिला अक्सर जगह, जिसमें एक वाकया मेरे इल्म में आया और मुझे देखने का मौका मिला इस बात की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने श्रीमन्, निवेदन किया खर्च की कमी के सिलसिले में उसको कम करने का एक जरिया यह भी है। यह नहीं कि बजट में कमी का प्रावीजन करें और सप्लीमेंटरी बजट में उस कमी को पूरा कर दें। आप जो कमी किसी महकमे में करना चाहते हैं, पूरे बजट में या किसी मद में या सब मदों में उसके लिये एक नक्शा आपके जहन में होना चाहिये। कमी जब कीजिये तो सोच विचार के कीजिये और इस बात की कोशिश कीजिये कि आप उस पर कायम रहें। मुझे मालूम है सन् १९४९-५० ई० में

[श्री त्रिलोकी सिंह]

जितनी आमदनी हुई उतनी आमदनी १९५०-५१ ई० में नहीं होगी और सन् १९४९-५० ई० में जितना खर्चा था उतना खर्चा १९५०-५१ ई० में नहीं करेंगे, लेकिन जो नक्शा हमारे सामने आया है उसको देखने से मुझे इस बात में संदेह होता है क्योंकि ५२ करोड़ रुपये का हमारा खर्चा था सन् १९५०-५१ ई० के लिये जो हमने बजट किया था और अब जब यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स मिला दी जायं तो यह खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इस खर्चे में बचत कितनी होगी इसका कोई अन्दाज और ज्ञान हमको इस लेखे से नहीं मिलता। तो मेरे निवेदन करने का मंशा यह है कि यदि आपके पास रुपये की कमी है तो आप अपने खर्चे को कम करें और खर्चे को कम करने का आपका मियार यह होना चाहिये कि काम खूबी से हो, वक्त से हो, कोई जरूरी बात करने से न रह जाय और उसी के साथ साथ आपकी फिजूलखर्ची एक पैसे की न हो।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--त्रिलोकी सिंह जी ने बजट के आम उसूलों के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं काफी हद तक जो उसूल उन्होंने कहे उनसे इत्तिफाक करता हूँ। बजट बनाने में जहां तक हो इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जो कुछ भी जरूरियात हों, उनके लिये गुंजाइश रहे और कम से कम मौका हाउस में आया करे सप्लीमेंटरीज के लिये या और चीजों के लिये। यह एक उसूल है। इसी के साथ साथ यह भी मानना जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट बगैर सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स (अनुपूरक प्राक्कलन) के अपना काम नहीं चला सकती। अनुपूरक मांग हर गवर्नमेंट में, हर लेजिस्लेचर में हमेशा आया करती हैं और आज तक कभी भी यह बात मुश्किल से ही मुमकिन हो पाई है, क्योंकि इसके जो दूसरे नतीजे हो सकते हैं वह यह हैं कि बजट में फिर बजाय इसके कि किफायत करने की कोशिश की जाय, इस तरह से र. में रखो जायं कि जो भी पासिबिल एक्सपेंडिचर (सम्भव व्यय) हो, वह सब उसमें रखा जाय। अगर उसको रखा जाता है तो उसका नतीजा यह होता है कि फिजूलखर्ची होती है। रुपये लेजिस्लेचर से लेकर जब हमें मिल जाते हैं, तो उस रुपये का खर्चा करना, जिसको मंजूरी हो चुकी है, बहुत आसान बात हो जाती है। इसलिये कोशिश हमेशा यह रहती है कि जहां तक हो इस तरह के खर्चे के लिये यह गुंजाइश रखी जाय जो खर्चा लाजिमी है और हमारी कोशिश अपनी तरफ से यह रहती है कि जहां तक किफायत हो सके, उसको करें। जब यह कोशिश रहती है कि किफायत जहां तक हो सके उसको करें तो लाजिमी है जो अखराजात आते हैं, जिनको करना पड़ता है उनके लिये फिर सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स लाये जायं। सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स से बचने के लिये एक ही जरिया है और वह यह कि जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा रुपया बजट में रखा जाय और फिर उसका खर्च हो सके तो किया जाय, न हो सके तो बाकी रहे, लेकिन यह बजट के लिये ज्यादा खतरनाक है बमुकाबले हमारा आपके पास फिर दरख्वास्त करना।

एक बात मैं आपसे यह भी अर्ज करता हूँ कि सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स में हाउस को दोबारा मौका मिलता है जांच करने के लिये। यही रकमें अगर बजट में होतीं जो कुछ भी फैसला होना होता तब हो जाता और वह उन्हीं दिनों में होता जितने कि बजट की जांच-पड़ताल के लिये मुकर्रर किये जाते हैं, लेकिन इसमें दो-चार दिन पहले और दो-चार दिन अब मिले ताकि उन्हीं बातों पर हाउस राय दे, जो बजट में शामिल होतीं तो हाउस न दे पाता। इसलिये जहां तक व्यवस्थापिका सभा का ताल्लुक है उसको अनुपूरक अनुदानों के जरिये ज्यादा मौका गवर्नमेंट के ऊपर अपने खर्चे के मामले में हाथ रखने का और उसके बारे में नुक्ताचीनी करने का मिलता है। उतनी और गुंजायश निकलती है जितनी कि वैसे नहीं होती। इसलिये इस बात को देखते हुए और दो-तीन बातों को सामने रखते हुये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि

जो उसूल यहां समझा जाता है कि बड़ी गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आपकी और हाउस की सब की यही ख्वाहिश हो सकती है कि जो रुपया लगता है उसकी पूरी कीमत जहां तक मिल सकती हो वह टैक्स पेयर्स को मिले। दूसरी बात यह है कि जहां तक खर्चे की बात है वह यह है कि जो जरूरी काम करना हो वह बगैर पैसे के किया जा सकता हो तो किया जाय या जितना पैसा उस पर खर्च किया जा सकता हो उतना ज्यादा किसी काम में खर्च न किया जाय। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूँ कि जो यह सप्लीमेंटरी डिमांड होता है वह कोई काबिले उज्र नहीं है। पहले ऐसा होता था, सारा सप्लीमेंटरी डिमांड बजट पेश करने के दिन लाया जाता था और उसी वक्त तय हो जाता था। बजाय इसके अब हमने इसको दो जुज में लाना तय किया है ताकि पहली दफा जहां तक हो सके इस पर बहस-मुबाहिसा करने का मौका हाउस को मिल सके और फिर दूसरी दफा भी यह हाउस के सामने आ जाय ताकि कोई एक्सेस डिमांड (अतिरिक्त मांग) साल खत्म होने के बाद न आवे बल्कि साल खत्म होने के पहले ही सब डिमांड हाउस के सामने रख दिये जायं।

अब इसके अलावा कुछ बातें, जो इस मद की तफसील के बारे में कही गयीं कि गवर्नमेंट को यह समझ लेना चाहिये कि इसमें शायद इतना रुपया जरूर खर्च होगा, तो यह मैं जानता था कि जमींदारी एबालिशन बिल आयेगा, मगर इस तरीके से जमींदारी एबालिशन बिल में इतना ज्यादा वक्त लगेगा इसका अन्दाजा हमने गलत किया, यह अब मानना पड़ता है कि हमारा अन्दाजा गलत था। मगर उस अन्दाजे के गलत होने के बाद भी खर्चे में तो कोई कमी हो नहीं सकती, वह तो करना ही पड़ेगा। अगर हाउस किसी बात को करना चाहता है तो हमारी भी यह ख्वाहिश रहती है कि हम भी उसमें जिस हद तक मदद दे सकते हों, दें। इसलिये हमारी भी ख्वाहिश थी और हम चाहते थे कि जमींदारी एबालिशन बिल जल्द पास हो जाय और उतना वक्त न लगे जितना कि लगा। और इसीलिये हमको एक रेजोल्यूशन इस किस्म का लाना पड़ा कि इतनी मुद्दत के भीतर यह जमींदारी एबालिशन बिल जरूर पास हो जाय और उसी से अन्दाजा लग सकता है कि हमारा जो अन्दाजा था और हम समझते थे कि इतना वक्त इसमें लगना चाहिये उससे ज्यादा वक्त इसमें लगा है। यहां तक कि मजबूरन हमें इस तरह का एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा। इससे यह नतीजा निकलता है कि हमारा जो पैमाना था और यहां पर जिस तरह से बहस हुई उससे उसमें ज्यादा वक्त लगा। इसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका नतीजा यह जाहिर करता है कि खर्चा ज्यादा हुआ और उसके अलावा कई और मसले भी हाउस के सामने आये जिनमें जिससे कुछ ज्यादा वक्त लगा जितना कि हम समझते थे, लगेगा। इसलिये यह खर्च बढ़ा। और इसके बारे में कोई खास, कोई ऐसी नाप-तौल करना भी बड़ी मुश्किल बात है और इस खर्चे के बारे में कम से कम यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि मेम्बर्स बुलाये जायं और खर्चा न हो। यह तो होना ही है। और जब तक लेजिस्लेचर का काम चलेगा तब तक इस किस्म के मौके आ सकते हैं।

दूसरी बात जमींदारी एबालिशन फंड के बारे में कही गयी है। यह तो इतना पुराना मसला हो चुका है कि अब इसको नयी बात कहना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि जो इसके उसूल हैं, गलत या सही , उन्हें हाउस मंजूर कर चुका है। कांग्रेस कमेटी को कोई पहली दफा रुपया नहीं दिया गया है। इसके पहले भी रुपया दिया जा चुका है और उसे हाउस ने मान लिया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको वह बातें पसन्द नहीं थीं, मगर फिर भी हाउस ने उसको मंजूर किया और फिर उस उसूल के मुताबिक कार्यवाही की गई। एक बात मैं यह

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस चीज के बारे में कोई बिल या कोई कानून इस हाउस से मंजूर हो जाय और उसका निफाज करना हो, तो उसके निफाज कराने में, उसके लिये पब्लिक ओपीनियन जनमत को उसके साथ लाने में और उसके मुताबिक अमल कराने में कुछ दिक्कत होती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह चीज कुछ ठीक सी नहीं, लेकिन इस हाउस से यह उम्मीद की जा सकती है और हर एक यह तवक्को रख सकता है कि सब लोग ऐसा करेंगे, मगर फिर भी जहां पर राय खिलाफ होती है और लोग जिसके बारे में यहां बातें तय हो जाती हैं उससे खुद इत्तफाक न करें और वैसे हर एक आदमी यह उम्मीद करे कि वह उसके मुताबिक जरूर अमलन् कार्यवाही करने में मददगार होगा लेकिन वह उनके खिलाफ करता है तो फिर ज्यादा फैयाजी की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। एक बात यहां पर तय हो गई, लेकिन फिर भी ऐजाज रसूल साहब ने अदालत में उसके खिलाफ मुकद्दमेबाजी शुरू कर दी। ऐसी हालत में यह उम्मीद करना कि वह जाकर इसकी कोशिश करेंगे कि यह काम पूरा हो तो जरा मुश्किल हो जाता है। अब जमींदारी एबालिशन फंड के बारे में रुपया जमा करने में हमने यह समझा कि यह अच्छा काम है। हाउस ने इसके लिये पहले भी एक बिल पास किया और फिर बाद में भी इसको तय किया। यह जाहिर है कि ऐसे मसलों में नान-आफिशियल के सपोर्ट (सहायता) से काफी काम आगे बढ़ सकता है और उस काम में मदद मिल सकती है। बहुत से लोगों ने खुद इस चीज को पसन्द नहीं किया और बहुतों को इसमें शिरकत करने से अपनी पापुलेरिटी (जन प्रियता) बढ़ाने की गुंजायश नहीं मालूम हुई और बहुत लोगों ने यह अच्छा समझा और इसके लिये काफी परेशानी उठा कर इसको किया। लिहाजा इस बात की जरूरत हुई कि गैर-सरकारी लोगों से इन्तजाम करने में ज्यादा से ज्यादा जितने कोआपरेशन (सहयोग) की गुंजायश मिल सकती है वह इस तरह के मामलों में जो कि इस किस्म के हों, कांग्रेस कमेटी को छोड़कर मुश्किल से ही दूसरी जमात मिल सकती है जो कि हमको मदद दे सके। इससे यह समझना कि इससे कांग्रेस कमेटी को बहुत बड़ी सब्सीडियरी (सहायता) मिल रही है यह मैं अर्ज करता हूँ कि यह बात सही नहीं है और फिर हमारे सूबे के लिये २५ हजार की रकम कोई ऐसी रकम भी नहीं है जिससे किसी पार्टी का काम चल सके। कांग्रेस भी आखिर अपनी कोई जगह रखती है और उसकी जानकारी लोगों के साथ इतनी है कि उस रकम से कोई खास नतीजा नहीं निकल सकता है। मगर मैं यह दावा कर सकता हूँ कि इस २५ हजार रुपये की रकम को खर्च करके हमने १० लाख का फायदा किया है। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एतराज के काबिल कही जा सके। आप लोग जानते हैं और इस हाउस का हर एक आदमी जो काम करने वाले हैं वह सब जानते हैं कि एक मीटिंग में कितना खर्चा होता है। आप एक मीटिंग कहीं देहात में कीजिये, वहां पर शामियाना लगावें, लोगों को बुलावें, इत्तला देवें और इश्तहार बंटवावे तो इस तरह से लोगों को जमा करने में कितना सरफा होता है वह आप सब लोग जानते हैं कि कितना खर्चा होता है। इसका अन्दाजा लगा कर आसानी से यह मालूम हो सकता है। इन लोगों ने काफी मेहनत करके अपने पास से रुपया खर्च करके जांफिशानी से तकलीफ उठा कर इस काम को किया है। मैंने खुद उनकी मीटिंगों में जाकर हिस्सा लिया है और मैं समझता हूँ कि बाजऔकात मीटिंगों में इतना खर्चा हुआ है कि उनका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। रामकुमार जी शास्त्री यहां पर नहीं हैं। जब वे हमारे साथ थे उनके जिले में एक मीटिंग की गई उनको अन्दाजा है कि कितना खर्चा एक मीटिंग में होता है। लिहाजा २५ हजार की रकम ऐसी है कि जिससे कोई खास नतीजा नहीं निकल सकता है। जो इस काम को करते हैं वह जानते हैं कि इससे क्या नतीजा निकल सकता है। उन लोगों ने बड़ी जांफिशानी

ने इस काम को किया है। बाज वक्त अखबारात भी समझते हैं कि इस रुपये से तो बहुत से लोगों को बड़े गुलछर्रे करने की गुंजायश निकल रही है और इससे अच्छा कोई और पेशा हो नहीं सकता? मैं उनसे भी कहता हूँ कि जरा एक ही मीटिंग में देहात में जायं और देखें कि कितनी तकलीफ इस मामले में होती है, कितना खर्च करना पड़ता है, तब यह पता चलेगा कि असल में इससे फायदा होता है या मुकाबिलतन कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमने इस काम को बहुत ज्यादा किफायत के साथ करने की कोशिश की है और मेरा दावा है कि आज किसी और फंड में गवर्नमेंट के इतने कम खर्चे में इतना रुपया जमा नहीं हुआ। अभी तक करीब २८ करोड़ ६३ लाख की फीगर हमारे सामने है, यानी २९ करोड़ रुपये हमने जमा किये हैं और इसमें कुल खर्च सब लगा कर करीब–करीब ६७ लाख या इसके करीब आता है।

श्री ऐजाज रसूल––और अफसरों की तनख्वाह लगाइये।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––वह भी मैं कहूँगा दो परसेंट और ढाई परसेंट के बीच में, दो से कुछ ज्यादा और ढाई से कम रहा है। इसमें सिर्फ यही नहीं कि रुपया जमा किया गया हो, बल्कि कागजात तैयार किये गये, फिर कागजात में इन्दराज किये गये, भूमिधरों की लिस्टें बनायी गयीं, इतना काम किया गया। अगर यह तहरीरी काम ही होता तो उसमें भी इतना ही खर्च होता। यह सही है कि इसमें और आफिसर्स का भी हिस्सा रहा, जिनकी तनख्वाहें इसमें शामिल नहीं हैं, मगर वे आफिसर्स अपना काम तब भी करते रहे और उनको तनख्वाहें भी दी जातीं अगर यह काम न होता। लिहाजा इसकी वजह से अफसरों को कोई तनख्वाह ज्यादा नहीं देनी पड़ी। जितना स्टाफ इस काम के लिये रखा गया वह सब इसमें शामिल है। जो स्टाफ गवर्नमेंट का होता है वह तो गवर्नमेंट का सब काम करता है, ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) करता है, पंचायत का अगर कोई काम होता है तो उसको करता है, अगर जमींदारी का आ जाय तो उसको करता है। लिहाजा जो अखराजात उनकी तनख्वाहों के हैं वह तो एक परमानेंट लायबिलिटी (स्थायी दायित्व) है और उसका कोई हिस्सा इस तरफ ढालना सही बात नहीं है। इससे कोई खर्चा बढ़ा नहीं है। उन्होंने यह काम और किया। इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि जो नेशनल सेविंग्स ड्राइव (राष्ट्रीय बचत आन्दोलन) होता है उसमें कमीशन कितना दिया जाता है। जो लोग जमींदारी रखते हैं और लगान वसूल करते हैं, जिसके लिये कानूनी सेक्शन है, उनका कितना खर्च होता है। इन सब को देखते हुये जितनी किफायत के साथ यह काम किया गया है। हमारा दावा है कि कोई गवर्नमेंट फंड इतने कम खर्चे के साथ कभी जमा नहीं किया गया और इसके लिये हम मशकूर हैं अपने सब गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, मगर उनके मुकाबिले में ज्यादा मशकूर हैं कांग्रेस वालों के, जिन्होंने अपने पास से खर्च करके, तकलीफ उठा कर और बगैर किसी एवज के इसमें काम किया। यह जो थोड़ा सा खर्चा है यह तो मोटर वगैरह का खर्चा है, इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। जो साहबान वाकिफ हैं वे जानते हैं कि इन थोड़ी रकमों से क्या हो सकता है।

अभी यहां पर जिक्र किया गया उस बात का जो मैंने कही थी कि अब इस तरह का ड्राइव नहीं होगा। मैंने जो बात कही थी उसके मुताबिक अब भी काम हो रहा है। बात यह थी कि पहले जब हमारा जमींदारी ड्राइव हुआ था तो आफिसर्स ने सब काम छोड़कर के इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन (पूर्ण एकाग्रता से काम) किया था। अब यह है कि वैसे और कामों को करते हैं उसी के साथ–साथ इस काम को भी करते हैं। जो लोग दौरे में जाते हैं, जिन देहातों में करना चाहें इसे भी करते हैं। मगर यह नहीं है कि

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सिर्फ इसी के ऊपर कंसेंट्रेशन हो। वह चीज नहीं है। कई जिलों में तो इसका कुछ काम है ही नहीं। कुछ थोड़े से जिलों में है। लिहाजा उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। यह काम जो किया गया वह कई वजूहात से कुछ थोड़े ही जिलों में महदूद रहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, और कामों के सिलसिले में यह काम भी अफसरों ने किया। यह इतना बुरा काम तो नहीं है कि अफसरान इसके पास नहीं जावें। अब हम भी उम्मीद करते हैं कि अफसरान इसमें मदद करेंगे। इसी सिलसिले में कुछ जिक्र रायबरेली का किया गया, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि त्रिलोकी सिंह जी ने भी ज्यादा नहीं कहा। मगर अगर उन्होंने कोई खत देखा है तो उसका जवाब भी उन्होंने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं उनको दिखला दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि उससे उनको बहुत सी बातें मालूम हो जावेंगी। क्योंकि उन्होंने ज्यादा नहीं कहा, इसलिये मैं भी तफसील में जाना गैर-जरूरी समझता हूँ। हाउस में बिना जरूरत किसी मुबाहिसे को उठाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा, उससे त्रिलोकी सिंह जी को तसकीन हो गयी होगी चाहे वे इसे जाहिर करें या न करें।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन को छोड़कर) के अन्तर्गत ४,४१,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय) के अन्तर्गत २८,१०,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, २८,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग जो अब पेश की गई है मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल इर्रेग्युलर (अनियमित) है। १९ तारीख को जिस वक्त आम बहस हो रही थी उस वक्त भी मैंने तवज्जह इस तरफ दिलाई थी कि इस तरह की मांग पेश करना बिल्कुल इर्रेग्यूलर है। इससे मेरा यह हर्गिज मंशा नहीं है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स नहीं होनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री से बिलकुल इत्तिफाक करता हूँ कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का आना बहुत जरूरी है। लेकिन माल मंत्री ने परसों एक अजीब व्याख्या इस सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की दी जो मेरी समझ में बिलकुल नहीं आई। उन्होंने यह फरमाया कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स कम से कम २ तो पेश करनी होंगी ही क्योंकि इस नये संविधान की वजह से उनके रास्ते में कुछ ऐसी नयी चीजें आ गई हैं, जिनकी वजह से कम से कम २ सप्लीमेंटरी ग्रांट्स, जिसके माने यह भी निकाले जा सकते हैं कि मुमकिन है २ से ज्यादा भी हों, तीन भी हो सकती हैं, वे ला सकते हैं। मैंने संविधान की धारा २०५ बड़े गौर से पढ़ी और २६७, जो कंटिंजेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) से ताल्लुक रखती है, उसे भी बड़े गौर से पढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि माल मंत्री कैसे इस नतीजे पर पहुँचे कि २ सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का लाना जरूरी है। कंटिंजेंसी फंड कायम होने के बाद तो और भी समझ में नहीं आता कि २ सप्लीमेंटरी ग्रांट्स क्यों आनी चाहियें। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का एक उसूल रहा करता है। शुरू में जब बजट बनता है तो वह एक अन्दाजे का बनाया जाता है और सरकार अपने अन्दाजे से बजट पेश करती है। छः महीना के बाद जब ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर (वास्तविक व्यय)

हो जाता है और उससे जाहिर होता है कि छः महीना में कितना खर्च एक मद हुआ तब दूसरा सप्लीमेंटरी ग्रांट उन ऐक्चुअल्स (वास्तविक आंकड़ों) को बिना पर लाया जाता है कि छः महीना में जब ऐक्चुअल इतना खर्चा हुआ है तो दूसरे छः महीना के लिये भी अन्दाजा किया जा सकता है और वह ज्यादा सही होगा। इस तरह ऐक्चुअल खर्चा होने के बाद दूसरा सप्लीमेंटरी ग्रांट लाया जाता है और लेजिस्लेचर का सेंक्शन (मंजूरी) लिया जाता है। यह एक आम व्याख्या है इस सप्लीमेंटरी ग्रांट की और सप्लीमेंटरी बजट की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह जो २८ लाख १० हजार की मांग रक्खी गयी है मैं इसको इर्रेगुलर समझता हूं। यह २८ लाख १० हजार रुपया सबका सब कंटिजेंसी फंड से खर्च हो चुका है और अब भवन इसकी स्वीकृति दे देगा तब वह कंटिजेंसी फंड इससे रिकूप (पूरा) हो जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट छः महीना के बाद आता है और उसका सैंक्शन लेजिस्लेचर से लिया जाता है और तब खर्च किया जाता है। उस सप्लीमेंटरी ग्रांट के बाद भी अगर्चे कोई खर्च सरकार को करना पड़े तो वह कर सकती है और कंटिजेंसी फंड से ले सकती है लेकिन उसका एक्सेस (अतिरिक्त) ग्रांट आना चाहिये जिसका सैंक्शन इस हाउस से लिया जाय। माल मंत्री ने कहा कि दो ही तरीके हो सकते हैं--एक तरीका यह हो सकता है कि हम बजट में इतना लम्प-सम रख लेवें कि हमें सप्लीमेंटरी ग्रांट के लाने की जरूरत ही न पड़े और जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से हम खर्च करें। दूसरा तरीका उन्होंने यह फरमाया कि हम कंटिजेंसी फंड में बजाय चार करोड़ के १५ या २० करोड़ रुपया रख लेवें और उससे खर्च करें। मेरी समझ में नहीं आता है कि माल मंत्री जी की यह दोनों व्याख्यायें ठीक हैं। मैं कहता हूँ और दावे से कहता हूँ कि उनके डिपार्टमेंट ने संविधान को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। अगर्चे वह संविधान को अच्छी तरह से पढ़ते तो सदन में दो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के आने की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह यह जो खर्च असेम्बली के ऊपर पड़ रहे हैं उनमें भी शायद कमी हो जाती? इस सिलसिले में मेरा यही कहना है और मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री जी जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, एक कुशल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अगर वह जो मैंने कहा है उसमें कुछ त्रुटि समझते हैं तो मेहरबानी करके विस्तार के साथ हमको बतलावें। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि यह जो २८ लाख १० हजार की मांग रक्खी गयी है, इसमें से वाकई अभी तक कितना खर्च हो चुका है और आठ रोज में कितना डिसबर्समेंट (व्यय) होने वाला है। इस मद में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि कंटिजेंसी फंड से कितना रुपया लिया गया है। इसके माने यह हैं कि यह २८ लाख १० हजार रुपये अभी डिसबर्स होने को बाकी हैं जो आगे १५ दिन में दिये जायेंगे।

मैं अब मद १२ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मैं जब इसको गौर से देखता हूं तो मेरी समझ में यह आता है कि इस देश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, निहायत खुशहाल यह प्रदेश है और यहां सरकार को रुपये की बिलकुल कमी नहीं है। जिस तरीके से वह चाहे, रुपये खर्च कर सकती है क्योंकि इस आइटम के पहले वाले आइटम में यह दिया हुआ है--

"Rs. 1,50,000 required for the pay of Drivers and Cleaners of vehicles used in the districts for Zamindari Abolition Fund Collection work and Grow More Food Drive.

Rs 1,10,000 required to meet the pay of watermen for supplying water to litigants in Revenue Courts for which no provision exists in the budget."

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

(जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में जिलों में इस्तेमाल की गयी गाड़ियों के ड्राइवरों और क्लीनरों के वेतन के लिये १,५०,००० रुपये।

माली अदालतों में मुअक्किलों को पानी सप्लाई करने के लिये पानी वालों का वेतन देने के लिये १,१०,००० रुपये, जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।)

इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने इसका जिक्र किया था कि यह तो मुमकिन नहीं है कि पहले पानी न पिलाया जाता हो रेवेन्यू कोर्ट्स में या यह समझा जाय कि वहां पहले कोई पानी पिलाने का इन्तजाम नहीं था, लेकिन अब पानी पिलाने का इन्तजाम किया गया है। यह इन्तजाम पहले भी किया जाता होगा और पहले भी खर्च होता होगा। यह कोई नयी बात नहीं मालूम होती है। यह मुमकिन है कि पहले पानी का इन्तजाम नहो और अब सरकार ने पानी पिलाने का इन्तजाम किया है कि लोग पानी पी पीकर कुछ सरकार को और ज्यादा कहें, तो मैं नहीं जानता हूं। मुमकिन है सरकार ने इस तरह का इन्तजाम करना मुनासिब समझा हो लेकिन उसके बाद--

"Allowances and Honoraria (Rs. 12,00,000)—The large increase is mainly due to the inadequacy of the provision in the original estimates for dearness allowance at increased rates for the general establishments in the districts, and partly due to the deearness allowance of extra staff sanctioned.

Rs. 2,00,000 on account of petrol and running charges of vehicles used in connexion with Zamindari Abolition Fund Collection work and Grow More Food Campaign."

(भत्ते और मानदेय १२,००,००० रु०। व्यय में इस बड़ी वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि जिलों में सामान्य स्थापनाओं के लिये बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के लिये मूल तखमीनों में धनराशि की जो व्यवस्था की गई थी वह अपर्याप्त है और आंशिक रूप में इसका कारण स्वीकृत किये हुये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग को महंगाई भत्ता देना है।

जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में इस्तेमाल की गयी गाड़ियों को चलाने और पेट्रौल पर होने वाले व्यय के कारण २,००,००० रुपये।)

लाखों रुपया पेट्रौल में, मरम्मत में खर्च हो रहा है। मैंने जैसा कहा कि इस कदर खुशहाली दिखाई दे रही है सरकार के खर्चे में कि जहां हेडक्वार्टर्स के ऊपर पहले एक गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, वहां इस वक्त जिले के हेडक्वार्टर पर ४-४, ५-५, ६-६ और बाज-बाज जिलों में ७ और ८ गाड़ियां दिखलाई देती हैं और उन गाड़ियों पर मैं दावे से कहता हूं कि आज के दिन कोई अफसर अपनी गाड़ी पर सवार नहीं होता, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे एस० डी० ओ० हो, टी० आर० ओ० और यहां तक कि इंसपेक्टर पुलिस और पुलिस के कांस्टेबिल भी आजकल सिवाय मोटर कार के किसी पर सवारी नहीं करते हैं, ठीक है मेकेनाइज्ड एज (यांत्रिक युग) है। मेकेनाइज्ड एज में मोटर पर काम होना चाहिये और उससे काफी काम होता होगा। यही वजह होगी तभी इतनी ज्यादा मोटरकार मुहय्या कर दी गयीं। लेकिन उन मोटर कारों से क्या काम हो रहा है वह तो दुनिया देखती है और जो काम करने वाले हैं वह देखते हैं कि उन गाड़ियों पर क्या काम होता है। मैं तो कहता हूं कि गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एम० एल० एज० को दे देते हैं, शादी ब्याह में भी जाती हैं और कांग्रेस कमेटियों के काम में भी इस्तेमाल होती हैं और अपने

निजी इस्तेमाल में भी सरकारी गाड़ियां ही आती हैं। अपनी गाड़ियां गैरेजेज में बन्द कर दी जाती हैं। कोई पिक-अप में, कोई जीप में सवार होता है। इस तरह से रुपया जाया किया जा रहा है। तो अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस प्रदेश में किसी किस्म का आर्थिक संकट नहीं है, खुशहाली है तो मेरा नतीजा कोई गलत नतीजा नहीं है और आज जैसा मैंने कहा कि जब बजट आने वाला है उस वक्त यह सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आती हैं जिसके ऊपर खर्चे में कोई नुक्ताचीनी करें भी तो उसका असर बजट पर नहीं पड़ सकता है। क्योंकि बजट तैयार होगा २४ तारीख को, वह भी पास कर दिया जायगा। सिर्फ यह समझ लिया है कि इस तरफ के बैठने वाले २, ४, ५ तकरीरें कर देंगे, उनका जवाब निहायत मुलायम अल्फाज में गोलमोल सूरत में कोई दे दिया जायगा। यह गोया जवाबदेही एक कष्ट है जो उठाना ही पड़ता है। इस प्रजातंत्र राज्य में इस कष्ट से बच नहीं सकते हैं। लिहाजा यह रख दें और लोगों के ऊपरी बहस मुबाहिसा खत्म होने के बाद कारवां गोज आन, कारवां गोज आन (पूर्ववत् कार्य चलता रहेगा)।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट के सम्बन्ध में भी जमींदारी अबालीशन फंड की वसूली के सिलसिले में कुछ ज्यादा रकम की मांग की गयी है। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जहां तक जमींदारी अबालीशन फंड की वसूली के लिये सरकार की तरफ से एक ड्राइव (आंदोलन) किया गया वह तो उन सूरतों में एक मुनासिब बात थी। जनता को इस बात की जानकारी करानी थी कि उनके क्या हुकूक हैं, किस तरह के हुकूक दिये जा रहे हैं और किस तरीके पर उनके रुपया जमा करने से उनको लाभ होगा। हालांकि उस वसूली के सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से काफी रुकावटें भी पैदा की गयीं, लेकिन बावजूद इन सबके जनता ने उस जमींदारी अबालीशन फंड में रुपया जमा किया। मैं इस मौके पर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अब जनता को इस कानून की काफी वाकफियत हो चुकी है, जिसके जरिये से उनको भूमिधरी का हक मिलने की बात बतायी जाती थी। अब उनकी मरजी की बात है कि वह रुपया जमा करें या न करें। भूमिधरी का हक हासिल करें या न करें। मैं इस मौके पर जमींदारी कानून के बारे में कहना कुछ मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमारे जमींदार साहबान की तरफ से उस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में नालिश दायर कर दी गयी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब सरकार को इस फंड की वसूली के लिये किसी तरह का ड्राइव नहीं करना चाहिये। कानून के जरिये से हम जमींदार साहबान को मुआविजा देने के लिये मजबूर हैं। लेकिन वह मुआविजा नकद की शक्ल में या बांड की शक्ल में दिया जा सकता है। हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री जमशेद अली साहब ने कल अपने भाषण में यह कहा कि इस तरह का जो जमींदारी फंड की वसूली में रुपया खर्च हुआ है यह नामुनासिब है और नहीं होना चाहिये था। तो मैं भी उनकी इस बात की ताईद करता हूं कि जितना परिश्रम गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव करने में किया गया वह अगर न किया गया होता तो कोई बेजा बात नहीं होती क्योंकि जो रुपया वसूल किया गया जमींदारी अबालीशन फंड में उससे जमींदार साहबान को मुआविजा दिया जायगा और मुआविजा धीरे-धीरे करके जब किसान अपना पूरा लगान दिये जाता तो उससे भी अदा होता। कोई लाजिमी नहीं था कि उनको नकद ही दिया जाय। तो अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आइन्दा कोई ड्राइव सरकार को उसकी वसूली के लिये नहीं करना चाहिये। काफी अहलकारों को परेशानी होती है, जगह-जगह दौरा करना पड़ता है, किसानों की सभायें करनी पड़ती हैं, पेट्रोल में खर्च होता है और दूसरे तरीकों से भी खर्चा होता है। तो जहां तक आफिस का या लैंड रिफार्म्स कमिश्नर का सवाल है, उसकी बाबत तो कोई एतराज नहीं किया

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

जा सकता। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का खर्चा अब नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो रुपया जमा है अगर कोई सूरत ऐसी हो कि किसी प्रोडक्टिव (उत्पादन बढ़ाने वाले) काम के लिये इस्तेमाल किया जा सके तो वह किया जाय, जिससे मुल्क की दौलत बढ़ सके। अगर कोई कानून बना कर भी हम इस रुपये को लगा सकें तो उस रुपये को लगाया जाय। जहां तक जमींदार साहबान के मुआविजा का सवाल है वह तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर समझा जायगा और अगर देना हो तो बांड की शक्ल में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि जमींदार वर्ग के कुछ लोग जो यहां भी इस भवन के सदस्य हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और उसके नेता हैं उनको इस भवन की शान और फैसले की काफी इज्जत करनी चाहिये। कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी वालों का यह उसूल होना चाहिये कि प्रजातंत्रवाद के सिद्धान्त की इज्जत करें और इस भवन के फैसले की इज्जत करें। उसूल की बात तो यही होनी चाहिये कि इस भवन के फैसले से डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने को पाबन्द समझना चाहिये लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि यहां पर बहस होती है, दलील की जाती है, फिर फैसला होता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं की जाती।

श्री ऐजाज रसूल--आपका इससे क्या मतलब है?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक पार्टी डिमोक्रेटिक पार्टी भी है तो यहां इस सभाभवन के सदस्य होने के नाते जो कुछ कानून यहां से बनें उसकी इज्जत उनको करनी चाहिये और उसके खिलाफ हरगिज बगावत नहीं करनी चाहिये। लेकिन ताज्जुब है कि उस फैसले की इज्जत उनकी तरफ से नहीं हुई। बाहर के लोग इस भवन के फैसलों की इज्जत न करें तो वह दूसरी चीज है, लेकिन इस भवन के सदस्यों को तो उसकी इज्जत करनी ही चाहिये। मैं सिर्फ इतना ही कह कर खत्म करना चाहता हूं कि जो जमींदारी अबालीशन फंड कलेक्ट (एकत्र) करने में जितना रुपया खर्च किया जा चुका है उससे अधिक अब उसको नहीं बढ़ने देना चाहिये।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा बिलकुल इरादा नहीं था कि मैं इस ग्रांट पर या किसी और ग्रांट पर आज कोई तकरीर करूं, लेकिन शोषित संघ के लीडर मौर्य जी की तकरीर ने मुझे मजबूर किया कि मैं भवन में डिमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इजहार खयाल करूं। मेरे ख्याल में डिमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बहैसियत एक पार्टी के अपोजीशन किया गया उस बिल का और यहां तक कि चैलेंज भी किया। वह समझती है कि गवर्नमेंट अगर एक गैरकानूनी चीज बनाती है तो हर फर्द को अख्तियार है कि वह गवर्नमेंट के बनाये हुये ऐक्ट को चैलेंज कर सके ख्वाह वह इस भवन का मेम्बर हो या न हो। डिमोक्रेटिक पार्टी बराबर जमींदारी अबालीशन की मुखालिफत करती रही और गवर्नमेंट को बतलाती रही कि यह गैरकानूनी चीज है। अब चूंकि यह मसला हाई कोर्ट के सामने है लिहाजा उस मसले पर कोई राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे अफसोस है कि मेम्बर साहबान यहां पर इस किस्म की बातें करते हैं। आपकी अगर मेजारिटी (बहुमत) है और मेजारिटी की ताकत से आप कोई बिल यहां पास करवा लेते हैं तो ठीक है लेकिन उसके बाद लोगों की आवाज बन्द करें भवन के अन्दर और बाहर भी यह जम्हूरी उसूल के बिलकुल खिलाफ चीज है। मुझे उम्मीद है कि आइन्दा मौर्य जी इस किस्म की बातें भवन के अन्दर नहीं करेंगे तो मुनासिब और बेहतर होगा।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि मैं पालन जी की राय से बिलकुल इत्तिफाक करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या और अफसरान जब से मोटरगाड़ियों का रिवाज चला है बेतहाशा हर काम में गवर्नमेंट की गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। जहां रेलें जाती हैं वहां भी इसी का इस्तेमाल होता है। मैं अपने तहसील की कहता हूं। संडीले में रेल और मोटर दोनों जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर

अफसरान मोटर को ही प्रिफर करते (अधिमान्य देते) हैं। रेल से आना-जाना उनको तकलीफदेह मालूम होता है। लिहाजा गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान जरूर रखना चाहिये कि जितना कम खर्च हो सके उतना किया जाय। उनके टी० ए० और डेली एलाउन्स को देखना चाहिये। ग्रो मोर फूड के सिलसिले में इस टी० ए० में कितना खर्च कर दिया गया। रहीमाबाद में फार्म खोला गया है। अगर आप रेल से गुजरें तो बिलकुल जमीन सूखी पड़ी हुई है। लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया गया। मैं आनरेबिल मिनिस्टर फार ऐग्रीकल्चर को दावत देता हूं। वे मेरे साथ चलें देखें कि किस तरह से जमीन में कोई फसल उगी तक नहीं है। तो अगर यही ग्रो मोर फूड है और इसी पर रुपया खर्च किया जाता है तो यह कहां तक मुनासिब और जायज है कि इस तरह से पब्लिक का रुपया खर्च किया जाय और एक तरफ तो यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं है आजकल तमाम बजट फेल हो रहा है और खर्च में कमी हो रही है लेकिन इस तरह से फिजूल में रुपया देने में और खर्च करने में कोई रुकावट नहीं है और ग्रो मोर फूड नाम रख दिया गया, जमींदारी अबालीशन फंड नाम रख दिया गया ताकि कारें और तमाम चीजें खरीदी जायं और उन पर खर्च किया जाय। इसके पहले भी तो सब सरकारी काम होते थे। वे घोड़ों पर चलते थे और दूसरी सवारियों पर चलते थे इस सूरत से भी सरकारी काम हो सकता है। अफसरान के पास जितनी मोटरें थीं वे सब वे बेच चुके हैं। यहीं सेक्रेटेरियट में देखिये, हर डिपार्टमेंट में स्टाफ कार हो गई है और वह स्टाफ कार निजी कामों में इस्तेमाल होती है और तमाम रुपया पेट्रोल पर खर्च होता है। अगर जिलों के अफसरान और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों का सेंसस (गणना) लिया जाय तो पता चलेगा कि कितनों ने अपनी गाड़ियां बेच डाली हैं और जब आसानी से सरकारी मोटर मिल गई हैं तो जितने भी काम हैं, ब्याह-शादी या हर काम में पब्लिक का रुपया खर्च करते हैं और बरबाद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब और खासकर मुख्य मंत्री साहब इस पर तवज्जह करेंगे कि सरकारी पेट्रोल और सरकारी गाड़ी गवर्नमेंट के काम में खर्च हो, निजी काम में न खर्च हो। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, मुझे भी अपने दोस्त मौर्य जी, मेम्बर प्राम जौनपुर, की तकरीर सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब उनको जमींदारी अबालीशन से कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही और वह यह चाहते हैं कि इस ड्राइव (आंदोलन) के सिलसिले में जो रकम अब सरकार रखना चाहती है वह न रखे और इस काम से उन्हें अब दिलचस्पी बाकी नहीं रही। ताज्जुब तो यह है कि अभी ही तो ड्राइव की सख्त जरूरत है, इसलिये कि कानून बन गया है और कानून के अन्दर चाहे बांड में रुपया दिया जाय या कैश पेमेंट हो (नगद दिया जाय,) दोनों सूरतों में सरकार के कमिटमेंट (वाग्बद्धता) होने वाले हैं और हो चुके हैं और जब हो चुके हैं तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिये। इस वक्त वह यह कहते हैं। उनको पहले कहना चाहिये था कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक इस ग्रांट का ताल्लुक है उसकी ज्यादा रकम ऐसी है जो खर्च हो चुकी है, क्लीनर में, ड्राइवर्स में, पेट्रोल में, वगैरह वगैरह और इन तमाम चीजों में कमियां महसूस हो रही हैं, इसलिये रुपये की जरूरत है और उसे पूरा करना है। आइन्दा साल का जो बजट आने वाला है उसमें अगर कोई रकम रखी गई है और मैं समझता हूं कि जरूर रखी गई होगी, उस वक्त यह कहना चाहिये कि आइन्दा साल से यह रकम निकाल दी जाय। यह सप्लीमेंटरी ग्रांट जो खर्च हो चुकी है इस पर उनकी क्या राय है कि यह खर्च जायज है या नाजायज है ? अगर आनरेबिल मेम्बर यह बताते तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सही और मुनासिब बात होती, लेकिन जब खर्च हो चुका और मैं समझता हूं कि वह भी कहीं न कहीं इस ड्राइव के सिलसिले में गये होंगे और उस पर भी खर्च पड़ा होगा तब यह कहना कि यह न रखा जाय ठीक नहीं मालूम होता। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जमींदारी अबालीशन पर अब रुपया खर्च नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जमींदारी अबालीशन

[श्री फखरुल इस्लाम]

के सिलसिले में और रुपये की जरूरत है और उसमें और तेजी करनी पड़ेगी। उस ड्राइव को इस हाउस ने मंजूर किया है और सरकार इस हाउस की डिगनिटी और शान को बढ़ाती रही है और हर मेम्बर को उसे बढ़ाना चाहिये, इसलिये यह जरूरी है कि वह जारी रहे और वह तेजी से आगे बढ़े और कामयाबी से ड्राइव आगे बढ़े। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। जमींदारी अबालीशन का कानून चैलेंज हुआ है, बहुत से कानून कोर्ट में चैलेंज हुये हैं और होते रहेंगे, लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान के सब से बड़े नेता ने अभी अभी लखनऊ में ही कहा कि पब्लिक की जो विल (इच्छा) है वह बदस्तूर कायम रहेगी, लेजिस्लेचर कुछ करे, कोर्ट कुछ करे, लेकिन जो असली चीज है वह पब्लिक की विल है। अगर आपका डिटरमिनेशन (निर्धारण) है, यहां के किसान का है और जनता का है कि जमींदारी अबालिश होनी चाहिये तो इसमें देर नहीं करनी चाहिये और तेजी और पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ना चाहिये। अभी फारेस्ट के सिलसिले में तकरीरें हुई हैं उनसे क्या जाहिर होता है। हमारे दोस्त देहात के रहने वाले हैं, वह अगर जमींदारों से पूछें तो उनको पता चलेगा कि वह कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि इतने दिन का मौका और मिल गया। किसी जमींदार ने एक लाख और किसी ने डेढ़ लाख रुपया जमा कर लिया है। यह बड़े जमींदारों की हालत नहीं है बल्कि छोटे जमींदारों की हालत है। उन्होंने अपनी जमीन और बाग वगैरह सब कुछ डिस्पोज आफ कर दिये (निबटा डाले) हैं और अब वह कहते हैं कि जमींदारियों में रह ही क्या गया है। हम तो सरकार को जमींदारी का एक स्कैल्टन (ढांचा) दे रहे हैं। जब यह हालत है तो मैं यह समझता हूं कि स्टेट की यह जिम्मेदारी है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस ड्राइव को इस तरीके से खत्म करे कि काश्तकार जिनके नाम पर जिन्दा रहना चाहते हैं उनकी कुछ खिदमत हो सके।

आज जमींदारों की जिन्दगी क्या है यह बड़े बड़े जमींदार जो कोठियों में रहते हैं उनका जिक्र नहीं है बल्कि उनका जिक्र है जो देहात में रहते हैं आज उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ जाती है उनको न तो खेती करने के लिये आदमी मिलते हैं, न तरीके मिलते हैं और न पानी की ही उनको आसानी है गरज यह कि हर तरह की उनको परेशानी है। अगर टेनेंट्स की हैसियत से उनको रहने दिया जाय तो जो आज फिजा गांवों में फैली हुई है वह खत्म हो जाय और वह भी एक काश्तकार की जिन्दगी गुजर कर सकें और वह काश्तकारों में ही मिल जायेंगे और उनकी अच्छी जिन्दी बन सकेगी इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। सरकार और हमारे दोस्त इस ड्राइव को तेजी से चलायें ताकि जल्द से जल्द यह काम खत्म हो सके। इस तरह की कोशिश होनी चाहिये ताकि हाईकोर्ट से जल्द फैसला हो सके। अगर यह मामला फेडरल कोर्ट तक जाय और वहां जो फैसला हो वह इसके खिलाफ हो तो जिन ग्राउन्ड्स (आधारों) पर वह फैसला हो उसके मुताबिक कानून बनाया जाय।

ऐसा मशहूर है कि यह ड्राइव ५ साल के लिये मुल्तवी किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है। हो सकता है कि यह महज अखबारों की ही खबर हो। कहा यह जाता है कि एलेक्शन पर्पजेज (चुनाव के उद्देश्यों) के लिये एक कानून बना दिया गया है। यह आगे देखा जायगा कि कब इसका निफाज होगा और कैसे इसका निफाज होगा? लोगों को यह गलतफहमी थी कि इस कानून का निफाज २६ जनवरी को हो जायगा। मुझ से बहुत से जमींदारों ने कहा। मैंने उनसे कहा कि क्यों बेकार अपना रुपया बरबाद करते हो। अगर तुम्हारे पास फालतू रुपया आ गया है तो बजाय इसके कि इस रुपये को कोर्ट में फेंको इससे तो बेहतर यही है कि इस रुपये को किसी गरीब को दे दो। इसलिये कि अभी सरकार जमींदारियां अबालिश करने नहीं जा रही है। यह तो महज एक धोखा है। लेकिन जनता इस धोखे में पड़ी हुई थी और खास तौर से हमारे जमींदार भाई भी कहते थे कि जमींदारियां २६ तारीख को जरूर खत्म हो जायेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि कानून बनाने से ही क्या होता है

अभी तो रूल्स (नियम) बनना बाकी हैं। सरकार को रूल्स बनाने हैं और इस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि जब रूल्स बन जायेंगे तो उनकी सैक्शन (मंजूरी) लेजिस्लेचर से यानी हाउस से लेना लाजिमी होगा। मैं कहता हूं कि क्या वह रूल्स हाउस के सामने रखे गये हैं, अगर नहीं रखे गये हैं तो एक कदम भी इस जानिब नहीं उठाया जा सकता है।

अभी तो यह भी नहीं बतलाया गया है कि सरकार कलेक्शन (वसूली) के बारे में क्या करना चाहती है। उसकी क्या मशीनरी होगी। इसके मुताल्लिक कोई जवाब सरकार का नहीं है कि आया कलेक्शन की मशीनरी क्या होगी आया वह पंचायतों के जरिये होगी, रेवेन्यू एजेंटों के जरिये होगी या उसकी क्या नीति होगी इसको भी अभी गवर्नमेंट ने जाहिर नहीं किया है और आप कहते हैं कि २६ तारीख को जमींदारी खत्म होने वाली है।

इसके अलावा सेक्शन ४ में डेट आफ वेस्टिंग (निहित होने की तिथि) का सवाल है। यह सेक्शन ४ बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि वह कहता है कि इसका निफाज किसी पार्टीक्यूलर (विशेष) डिवीजन में या किसी जिले में या किसी गांव में कर सकते हैं या पहले मेरठ वगैरा में ही कर सकते हैं या दूसरी जगह करें। जब इतनी बड़ी दिक्कतें सरकार के रास्ते में मौजूद हैं तो अन्दाजा कर सकते हैं कि सरकार क्यों कर इस काम को आगे बढ़ा सकती है।

मैं चाहूंगा और मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त इससे मुत्तफिक होंगे क्योंकि वह शोषित संघ के लीडर हैं। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द जमींदारी हटे ताकि इस जगह पर जनता आजादी की सांस ले। इस चीज से वह भी मुतमइन होंगे। उसके लिये यह चन्द लाख रुपये खर्च किये गये। लाखों रुपये का सवाल नहीं है। कांग्रेस वाले मेहनत से काम करते हैं तो उनको कुछ रुपया दे दिया गया। एक ओर भूमिधरी के लिये रुपया जमा किया जाता है तो थोड़ा सा उसमें से खर्च भी होता है। एक मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इससे उनका मुआविजा मिलेगा। वह जो भूमिधर ज्यादा तादाद में बनेंगे उससे जो रुपया आयेगा तो जल्दी से जल्दी अदा कर सकेंगे, ठीक है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जमींदारी अबालिशन होने जा रही है तो जो सोसायटी जिसकी हम जमींदारी ले रहे हैं उसको यह इत्मीनान होना चाहिये कि अगर बिजनेस स्टार्ट (कारबार शुरू) करना चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सके, इंडस्ट्री में लगाना चाहे तो इंडस्ट्री में लगा सके। किसी न किसी तरह से उनके पास रुपया होना चाहिये ताकि वे कहीं न कहीं लगा सकें और सोसायटी के बेहतरीन फर्द बन सकें। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गोपाल नारायण जी ने जो इस अनुदान के बारे में बातें कहीं उनमें से तो कुछ तो उनकी वैधानिक आपत्ति थी और कुछ इसकी तफसील से ताल्लुक रखती थीं। जहां तक सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स (अनुपूरक प्राक्कलन) पेश करने का ताल्लुक है, वह चाहे तो दो दफे में भी होंगे, तीन और चार दफे भी हो सकते हैं और मुमकिन है एक दफा ही हो। मगर यह तो जरूरत पर मुनहसिर है, कैसे करना होगा। जैसी जरूरत होगी वैसा किया जायेगा। वैसा ही उनका खयाल होगा। लिहाजा जो उनका खयाल है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना चाहिये। मैं समझता हूं कि वैधानिक आपत्ति तो इससे हल हो जाती है।

जहां तक इन खास मदों का ताल्लुक है यह तो ऐसी मदें हैं जिनके बारे में किसी इख्तिलाफ राय की गुंजायश नहीं मालूम होती। जब हाउस ने यह तै कर दिया कि डियरनेस एलाउन्स (महंगाई भत्ता) देना है और जितनी तनख्वाहें लोगों को मिलती हैं उनके मुताबिक जब रेट्स डियरनेस एलाउन्स के मंजूर किये गये तो उनको तो

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मिलना ही चाहिये, उसमें फर्क न होना चाहिये। डियरनेस एलाउन्स का जो रुपया देना है वह न दिया गया तो जो कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी होगी। इसलिये सबसे बड़ी रकम जो है खास तौर से वह रकम मेनली (मुख्यतः) डियरनेस एलाउन्स से ही ताल्लुक रखती है। डियरनेस एलाउन्स ४५० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले लोगों को और छोटी से छोटी तनख्वाह पाने वाले लोगों को २० रुपये मिलता है और औरों को और तरह से मिलता है। डियरनेस एलाउन्स की जो रकम बजट में रखी गयी थी उसके बाद ए० जी० का हिसाब आने पर मालूम हुआ कि जितनी रखी गयी थी उससे ज्यादा खर्चा है, इसलिये सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स लाना लाजिमी था। इसके बारे में कोई और जरिया हो भी नहीं सकता था।

जहां तक इसमें यह मोटर वेहिकिल्स की बातें हैं, मोटर वेहिकिल्स ली गयी हैं और इस गवर्नमेंट के आने के पहले ली गयी हैं। लिहाजा उनका काम में लाना जरूरी है। यह भी सही है कि आजकल बहुत कम आफिसर्स ऐसे हैं जिनको यह गुंजायश है कि वे अपनी मोटर रख कर सरकारी काम के लिये दौरा कर सकें। आज के दिन रुपये की कीमत इतनी कम हो गयी है कि लोग आम तौर पर इतनी गुंजायश नहीं रखते कि अपनी मोटर रख कर सरकारी काम अंजाम दे सकें। फिर इसके अलावा कई सालों में उन मोटरों की तादाद बढ़ती गयी। मसलन पुलिस का मुहकमा है। उसमें मोटरें होना पुलिस फोर्स का चहारुम खत्म करना है, कम से कम १० फी सैकड़ा तो खत्म करना ही है। मोबिलिटी से काम में एफिशियेंसी (दक्षता) बढ़ती है और उससे मैं समझता हूं हमारी फोर्स की एफेक्टिवनेस बढ़ी है। इसके बारे में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं बजट दो-तीन रोज में आने वाला है उस वक्त विचार हो सकेगा। इस वक्त लम्बा तजकिरा करना मैं गैरजरूरी समझता हूं। जो जमींदारी एबालिशन फंड की बात है, जब फंड चलाना है और जब उसे जमा करने का इरादा हमने किया तो जिस हद तक हो सके वह इस कदर खर्च होगा और वह उसकी करालरी के अन्दर है। लिहाजा यह भी उसके अन्दर आता ही था। जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में खास तौर से दो साहबों ने तकरीर की, बल्कि तीन ने। एक तो श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने, दूसरे श्री ऐजाज रसूल साहब ने और तीसरे श्री फखरुल इस्लाम साहब ने। उस संबंध में मैं कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि हर एक ने दूसरे के खिलाफ कहा और तीनों की आवाजें ऐसी हुई कि अगर वे मिलायी जायं, तो सिवा शोर के किसी की समझ में कुछ आवेगा नहीं कि कहा क्या? मगर जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जमींदारी विनाश हो तो जमींदारी एबालिशन जल्द से जल्द करने का हमारा संकल्प था कि हम उसे कर के छोड़ेंगे। यह हमारा पक्का इरादा है, मुस्तकिल इरादा है लिहाजा कोई परेशान होने की बात नहीं है। हां, हर जगह हाईकोर्ट का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है जिसे उन्हें करना है और वे अपना काम करेंगे और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम उनकी शान को कायम रखना चाहते हैं, हरगिज उनकी शान को कोई गिराना नहीं चाहते हैं और जहां तक जमींदारों का ताल्लुक है वे जो चाहें करें। अब तक भी वैसा करते आये हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता मगर जिस तरह का रवैया उनका पहले से रहा है उससे अब यह समझना कि वे दानिशमन्दी से काम लेंगे और बिलकुल एक बड़े आसमान से उतर कर नीचे आ जायेंगे, इस मंजिल पर यह उम्मीद करना मेरी समझ में गलत है। जो रवैया पहले से कायम रहा उसको कायम रखना चाहते हैं। वे अब तक उसी तरह से खर्च करते हैं जिससे आगे कर्ज लेने की गुंजायश रहे। और अब कुछ नहीं रहा तब मुकद्दमेबाजी के जरिये सही। लिहाजा उसके बारे में कोई बहुत बात कहना जरूरी नहीं है। जिस वक्त इस मसले पर कंस्टिटुएंट असेम्बली में बहस हो रही थी उस वक्त मैंने यह जरूर कहा था कि साहब हमारे

यहां बहुत दिनों से यह तरीका रहा है कि पतंग बाजी पर खर्च किया जाय, कबूतरबाजी पर खर्च किया जाय, बटेर लड़ाने पर खर्च हो और अब यह शगल नहीं रहे पर जब जमींदारी बिल हमारे यहां पास हो जायगा जो जरूर मुकदमेबाजी शुरू हो जाय इसलिये इसको ध्यान में रखना जरूरी है। दफा ३१ का जो क्लाज ४ है जिसका खास ताल्लुक हमारे बिल से था और उसी पर वहां सारी बहस हुई और इस बिल में इसका कोई प्राविजन नहीं रखा। लिहाजा मुकद्दमा करने का मसला शायद सामने न आवे। लेकिन वह तो बड़े आदमियों की बात है। जितना ज्यादा रुपया वे खर्च कर सकें, उतना करना चाहिये और इससे आखिर सरकार के पास भी कोर्ट फीस के जरिये रुपया आवेगा और उससे भी बहुत सा रुपया जमा होगा जिससे जमींदारी एबालिशन के काम में सहायता मिलेगी। इस कोर्ट फीस के जरिये बहुत हद तक खर्चा निकल सकता है।

श्री नवाजिश अली खां—वकीलों का भी फायदा है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जो ला बनाते हैं, ला मेकर्स (विधि निर्माता) हैं, ला का इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) करते हैं उन सब का फायदा है। खासतौर पर वकील लोग जो ला से ताल्लुक रखते हैं उनका तो फायदा है ही। यह भी अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात यह है कि इस तरह की कार्यवाही करने से दिल के अरमान निकल जाते हैं और जो धोखा है वह दूर हो जाता है और असल जो नतीजा है जो हकीकत है वह तो आखिर में रहता ही है। और भी बहुत सी बातें कही गयी हैं। श्री फखरुल इस्लाम साहब ने कहा कि—

"Will of the people must prevail, Will of the House must prevail and it will prevail."

(जन-मत, सदन का मत अवश्य सर्वोपरि होना चाहिये और वह सर्वोपरि होगी।)

श्री फखरुल इस्लाम साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं उनकी पूरी कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि इन ख्यालात से इस सदन के सभी लोगों को पूरा इत्तिफाक होगा। हाउस का विल प्रिवेल होगा। अब यह ऐजाज रसूल साहब के ऊपर है कि वे क्या करते हैं। हम सबको यह ख्वाहिश है कि लेजिस्लेचर की जो विल (इच्छा) हो वह प्रिवेल (सर्वोपरि) हो।

जो जमींदारी अबालिशन फंड के रुपये के बारे में कहा गया मैं उस ख्याल की कदर करता हूं कि यह रुपया नेक कामों में लगना चाहिये। गवर्नमेंट को बजाय इसके कि कहीं से रुपया कर्ज लेना पड़े इसको अच्छे काम में लगाना चाहिये। जमींदारों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कभी इस बात को अच्छा नहीं समझा कि जमींदारी एबालिशन फंड में रुपया आवे और वे लोग उसको अपने काम में लगावें। लिहाजा इसका उपयोग करना अगर इस तरह का फैसला गवर्नमेंट का हो तो मैं समझता हूं कि यह जमींदारों की ख्वाहिश के मुताबिक भी होगा और सूबे के लिये भी किसी तरह से मुजिर नहीं मुफीद ही होगा। बहुत सी जरूरतों के लिये अच्छे तरीके पर अच्छे ढंग से पब्लिक के फायदे के लिये यह रकम काम में लाई जाय, अगर यह ख्वाहिश उनकी हो तो यह उस काम में लायी जा सकती है। अगर इस तरह का फैसला हुआ तो उसके मुताबिक अमल करने की और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश की जायगी।

यहां पर जो आफिसर्स के मोटर निजी इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया मैं समझता हूं उनको निजी काम के लिये मोटर को इस्तेमाल करना कायदे के खिलाफ है। उनको सरकारी काम के लिये मोटर को इस्तेमाल करना चाहिये और गवर्नमेंट

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

की जो ख्वाहिश है कि जो आफिसर्स लोग ऐसा बेजा इस्तमाल न करें उसके भी खिलाफ है। अगर कहीं पर होता है तो उसको बन्द होना चाहिये। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि हमने इसके बारे में स्टेप लिया भी है कि मोटरों का दुरुपयोग न हो और अलाउन्स, ट्रैवलिंग के बारे में कंट्रोल करने के लिये और उनके रेगुलेशन के बारे में हमने कदम उठाया है और इसको देखभाल करने की कोशिश की है। और हमारी यह ख्वाहिश है कि हम इसको और देख भाल करें। अगर कहीं पर ट्रेन से काम हो सकता है तो उनको मोटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिये अगर कोई काम कम खर्च में हो जाय और ट्रेन से वह सफर हो सके तो वहां मोटर का इस्तमाल नहीं होना चाहिये। जो रुपया पब्लिक का है उसका बहुत ख्याल करके इस्तेमाल होना चाहिये और पूरा फायदा उठाना चाहिये और अब तो हमारे आफिसर्स भी पब्लिक के हो हैं। लिहाजा उनको खुद इस बात का लिहाज करना चाहिये कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम हो और जितना भी फायदा उठाया जाय उतना फायदा उठाना चाहिये। अगर इसके बारे में कोई सुझाव या समझने को देखने की जरूरत हो तो मैं चाहता हूं कि हमको वह बतलायें जायं तो हम उन पर गौर करेंगे। हम सब को तो एक ही ख्वाहिश है और हम सब उसके मुताबिक ही काम करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय) के अन्तर्गत २८,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतें)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतों) के अन्तर्गत १२,२५,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस अनुदान की आवश्यकता का स्पष्टीकरण इसमें लिखा हुआ है। इसलिये मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३ लेखा--शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतों) के अन्तर्गत १२,२५,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७३,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७३,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक कर मंत्री)--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १५,८५,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १५,८५,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २९--पुलिस

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत १३,२५,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत १३,२५,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३७--शिक्षा

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सिर्फ एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत कर दी गयी हैं उन राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन अधिक रखा गया था बनिस्बत उनके कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहले से अध्यापक थे। तो यह अन्तर कहां तक मुनासिब है कि उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन करके भी वह कायम रहें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अन्तर मिटा दिया गया या मिटा दिया जायगा ?

श्री नवाजिश अली खां--डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक मामूली सी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस एजूकेशन के सिलसिले में जो किताबें शुरू साल में मुकर्रर कर दी जाती हैं, इस वक्त साल तमाम पर है मगर अभी तक वे किताबें नहीं मिलतीं। अगर एजुकेशन मिनिस्टर साहब इसका ख्याल रक्खें तो ज्यादा बेहतर हो। कहां तो आप जगह-जगह एक्सकेवेशन्स करा रहे हैं मगर प्राइमरी एजुकेशन को बिलकुल छोड़ दिया। या तो आप ऐडवान्स एजुकेशन्स को इतना ज्यादा ऊंचा न ले जाइये कि दिवाला पिट जाय और प्राइमरी एजुकेशन के लिये रुपया ही न रहे और अगर प्राइमरी एजुकेशन को बैलेंस (सन्तुलन) करते हुए आप ले जायं तो ज्यादा बेहतर हो। छठवें, सातवें और आठवें जमातों की कई किताबें ऐसी हैं कि जो इस वक्त तक नहीं मिल रही हैं। हालांकि साल तमाम होने पर आ गया है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान, दो बातें कही गयीं। एक तो श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास इन स्कूलों के जाने के बाद भी अध्यापकों के वेतन में कोई फर्क रहेगा या नहीं ? सब स्कूल डिस्ट्रिक्ट

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बोर्डों के मातहत हो गये। वहां सब का वेतन एक ही रहेगा और वह वही होगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कूलों का है।

नवाजिश अली खां साहेब ने जो बातें कहीं उनमें कुछ तो सैद्धांतिक हैं। प्राइमरी एजुकेशन किस किस्म की और हायर एजुकेशन किस किस्म की और दोनों पर कितना कितना खर्चा हो और दोनों में कितना अनुपात हो, यह सब उसूल का सवाल है। आपने किताबों के बारे में भी जिक्र किया। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी किताबें बहुत सी जगहों में नहीं पहुंची हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी किताबों के पब्लिकेशन का काम तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है और हमारा यह दावा है कि पिछले २०-२५ वर्ष में जो बात नहीं हो पायी थी वह अब हो गयी है, यानी कि जुलाई मास में ही सब जगह किताबें पहुंच गयी हैं। अब फरवरी के महीने में आप इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि किताबें नहीं पहुंची। अगर आपके इल्म में यह बात थी तो मैं समझता हूं कि यह आपका फर्ज था कि आप हमारे नोटिस में लाते कि फलां जिले में या तहसील में किताबें नहीं पहुंची हैं। हमने कोई ऐसी शिकायत न तो अखबारों में ही देखी और न किसी इंसपेक्टर से या मास्टर से ही ऐसी बात सुनी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि किताबें सब जगह पहुंच गयी हैं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ४,२२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं दो बातें मुख्तसर तौर पर अर्ज करना चाहता हूं। इसमें से एक पर तो मैं खास तौर पर माननीय अन्न मंत्री की और दूसरी पर माननीय मुख्य मंत्री की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सामान्य विवाद में इन अनुपूरक मांगों के सिलसिले में मैंने यह अर्ज किया था कि मेडिकल के बजट में इस बात की गुंजायश होना कि जो और फालतू खर्चे इस साल के अन्दर आ गये हैं वे बचत से पूरे किये जा सकें, यह संदेह पैदा करता है कि जो इस सदन ने मंजूर किया था उसमें से कुछ जरूरी काम नहीं किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य की जो दशा हमारे देश में है, दवाइयों की कमी है और आम जनता गरीब है, तो ऐसी हालत में यह किसी भी तरह से उचित नहीं जान पड़ता कि मेडिकल बजट में यानी मेडिकल डिपार्टमेंट की ग्रांट में कोई भी कहीं से बचत की गुंजायश हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा कोई भी ऐसे नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, और खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो ग्रांट सैंक्शन हो उसमें कहीं भी बचत की गुंजायश नहीं दिखलायी जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान खास तौर से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रांट नं० १९ मेडिकल ग्रांट है (कुष्ठ आश्रम, बहराइच की सहायता के लिये अपर अनुदान)। इसमें एक मद आयी है, एडीशनल ग्रांट इन एड टू दी अमन सभा लेपर असाइलम बहराइच (कुष्ठ आश्रम बहराइच, की सहायता के लिए अपर अनुदान)। इसके लिये सरकार प्रति वर्ष २,००० रुपया देती थी, लेकिन उसका खर्चा ८,६०० रुपये साल का है। बाकी ५-६ हजार रुपये का खर्चा ताल्लुकदारों से मिलता था, ऐसा इस लेखे में लिखा हुआ है। चूंकि जमींदारी एबालिशन होने वाली है, इसलिये ताल्लुकदारों

न वहां कुछ देना बन्द कर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि उन्हें मुझसे इस मामले में ज्यादा वाकफियत है कि इस प्रदेश में एक नहीं बल्कि पचासों ऐसे अस्पताल हैं और दूसरी सार्वजनिक संस्थायें हैं, जिनमें बड़े-बड़े जमींदार एक बंधी रकम सालाना दिया करते थे। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत आपने इस बात की गुंजायश रक्खी थी कि किसी चैरिटेबिल परपज (दान-कार्य) के लिये या कोई इंडाउमेंट क्रिएट करने के लिये अगर कोई जमींदार अपनी जायदाद को लगा देगा तो उसको ऐनुएटी उसको मिलती रहेगी। मुझे नहीं मालूम कि ताल्लुकदारों ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर इसलिये दिलाना चाहता हूं कि दस बीस या पचास वर्ष से ऐसे जो अस्पताल, स्कूल या लेपर असाइलम चल रहे हैं, उनमें जिस दिन जमींदार रुपया देना बन्द कर देंगे, उस दिन उन इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाओं) को बन्द करना इस सरकार के लिये या किसी सरकार के लिये मुमकिन नहीं होगा और इस तरह यकीनी तौर पर उनका बोझ इस सरकार पर पड़ेगा। इसलिये इस तरफ एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जहां-जहां ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं और उनमें जो-जो जमींदार रुपया दे रहे हैं उनके पास सरकारी तौर पर, जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा या माननीय मुख्य मंत्री जी मुनासिब तरीका समझें उसके द्वारा पर्सनल ऐप्रोचेज हों कि वह अपनी जायदाद को इस सिलसिले में लगा दें। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से प्राविंशियल एक्सचेकर को १५-२० लाख रुपया सालाना की बचत हो जायगी, वर्ना वह सारे का सारा बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा।

श्रीमती अब्दुल वाजिद--जनाबवाला, मैं एक तकलीफ की तरफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहती हूं। पहले से मुझे ख्याल नहीं था लेकिन अब आज जब मुझे मौका मिल गया है तो मैं समझती हूं कि वह तकलीफ उन तक पहुंचा दूं। लखनऊ में और खास कर हजरतगंज में शायद उनके इल्म में कोई ऐसी जगह हो, लेकिन जहां तक हम लोगों को मालूम है और जहां तक लोगों को तजुर्बा है रात में दस बजे से सुबह सात बजे तक चाहे कोई मरीज मर जाय लेकिन उसको किसी शफाखाने में दवा नहीं मिल सकती है। कोई दवाखाना भी ऐसा नहीं है जो रात में खुला रहता हो। अगर कोई ऐसा दवाखाना हो तो मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वह कम से कम उसका नाम बतला दें। पहले लखनऊ मेडिकल एसोसियेशन की तरफ से एक दूकान खुली रहती थी लेकिन बदनसीबी से कुछ महीनों से वह भी अब बन्द रहती है। ऐसे मौके आये हैं कि लोग हजरतगंज की एक एक दूकान देखकर सरकार कम्पनी और सालोमन कम्पनी तक पहुंचे हैं लेकिन उनको दवा नहीं मिली है। जेम्स कम्पनी के लोग कभी-कभी इनायत कर देते हैं क्योंकि उसके मालिक करीब ही रहते हैं लेकिन उसके लिए शर्त यह रहती है कि दवा लेने वाला मोटर पर आया हो। एक तकलीफ यह है और दूसरी तकलीफ जिसकी तरफ मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहती हूं वह यह है कि आम तौर पर डाक्टर भी रात में आने से इन्कार करते हैं। कोई डाक्टर यह फरमाता है कि उसके पास मोटर ड्राइवर नहीं है, किसी को यह जरूरत होती है कि मरीज पहले यह बतलावे कि वह सही है और कहीं धोखे से तो नहीं ले जाना चाहता है। इस सिलसिले में मुझे डाक्टरों से हमदर्दी है। मुमकिन है कि उन्हें दो-चार ऐसे तजुर्बे हुये हों, जिनकी बिना पर वह रात में जाना अपनी पर्सनल सेफ्टी (वैयक्तिक सुरक्षा) के खिलाफ समझते हों लेकिन किसी न किसी तरह इसका इन्तजाम किया जाय। एरियावाइज चन्द डाक्टरों के नाम बतला दीजिये जो रात में जरूरत पड़ने पर मरीज को देखने जा सकें। इसी के साथ साथ एरियावाइज कुछ केमिस्ट्स की दूकानें भी रात में खुली रहें, गर्ज कि कोई इन्तजाम जरूर इसके मुताल्लिक आनरेबिल मिनिस्टर साहब करें।

श्री नवाजिश अली खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहराइच के लेपर असाइलम (कुष्ठ-गृह) के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। श्री त्रिलोकी सिंह साहब ने फरमाया कि जो जमींदार इसमें रुपया दे रहे थे उन्होंने अब रुपया देना बन्द कर दिया है। असल पोजीशन यह है कि पिछले २०--२५ वर्षों से बहुत से जमींदार उसमें चन्दा दिया करते थे और वह उन्हीं के चन्दे से चला करता था। जब से जमींदारी अबालीशन का बिल आया उस वक्त से इस बात की कोशिश की गयी कि इस किस्म के चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन या औकाफ पैदा हों तो गवर्नमेंट उनको मंजूर कर ले और उसके लिये इस सेक्शन पर लड़ा भी गया, लेकिन चूंकि इस चीज को मंजूर नहीं किया गया लिहाजा जमींदारों को वह चीज छोड़नी पड़ी। लेकिन मुझे सुन कर खुशी हुई कि सरकार भी यह ख्याल करती है कि यह यूजफुल इंस्टीट्यूशन है। बहराइच के अन्दर यह वबा बढ़ती चली जा रही है। अगर सरकार मजबूती से इस काम को सरअंजाम दे तो उसका सद्देबाब हो जायगा।

दूसरा प्वाइंट वह है जिसके बारे में बेगम साहबा ने फरमाया है कि खुद जाती तजुर्बे से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि और अक्सर लोगों ने कहा है कि अगर डाक्टर मिल जाते हैं तो केमिस्ट नहीं मिलते और केमिस्ट मिल जाते हैं तो डाक्टर नहीं मिलते। लखनऊ इस सिलसिले में तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक गोल दरवाजा, दूसरा विक्टोरिया स्ट्रीट और तीसरा हजरतगंज। अगर इन्हीं तीन मुकामात पर मंत्री साहब इन्तजाम कर दें कि ४ दूकानें २४ घंटे या सूरज के गुरूब होने से तुलूअ होने तक खुली रहेंगी और लोगों को इसके लिये मजबूर किया जाय। अगर ऐसा इन्तजाम हो जाय तो निहायत बेहतर होगा। रात के वक्त खुसूसन डाक्टर या दवा न मिलने से मरीजों को दिक्कत होती है और मरीजों में इजाफा भी होता है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री साहब इन चीजों पर गौर करेंगे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिलोकी सिंह का उनके उन सुझावों के लिये जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में इस भवन में अभी उपस्थित किये हैं बड़ा ही अनुगृहीत हूं। उनका यह कहना कि जो रुपया इस सदन से स्वास्थ्य विभाग के खर्च के लिये साल भर के लिये मंजूर किया जाय, वह तो खर्च हो ही जाना चाहिये और उससे बचत का कोई प्रश्न उठना ही न चाहिये; मैं उन्हें इस तरह का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विभाग का सम्बन्ध है उसका सदैव यह प्रयत्न रहा है कि जो रुपया उसमें खर्च करने के लिये मंजूर किया गया हो और जिस कार्य के लिये इस सदन से मंजूर किया गया हो वह उस कार्य में अवश्य लगाया जाय। उन्हें यह तो आवश्य मालूम ही है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष जहां तक हमारी सरकार की आमदनी का सम्बन्ध है एक कठिनाई का समय रहा है। इसलिये स्वास्थ्य विभाग में भी उन खर्चों को बचाने की कोशिश की गयी जो बचाए जा सकते हैं। उन्होंने यदि सप्लीमेंटरी बजट का अध्ययन किया होगा तो उससे उन्हें यह मालूम हो गया होगा कि जो बचत की रकम दूसरे खर्चों में लाई जा रही है इस विभाग की ओर से वह बचत की रकम है, जिसके अन्तर्गत इमारतें बनाई जाने वाली थीं। सरकार ने चूंकि यह महसूस किया कि किस ओर इसको खर्च होना चाहिये उसी ओर इसको खर्च किया जाय, इसलिये उस बचत के रुपये को मरीजों की डाइट और दवाओं इत्यादि में इस अनुपूरक मांग के द्वारा खर्च करने का प्रयत्न किया गया है। ताहम मैं उन्हें फिर भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग भी यही चाहता है कि जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है उसका बजट उत्तरोत्तर बढ़ता ही जावे, क्योंकि हमारे प्रदेश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और जितना भी इस विषय में किया जाय वह थोड़ा है। इसलिये उनका यह

सुझाव विभाग को अवश्य मंजूर है और विभाग इस बात की कोशिश करेगा कि जो रुपया इस भवन से मंजूर किया जाय वह साल के अन्दर अवश्य उन कामों में खर्च करा जाय जिनके लिये उसको यह सदन मंजूरी प्रदान करता है।

बेगम वाजिद ने यह सुझाव दिया कि हमारे नगर में और इसी तरह से और नगरों में इस तरह का कोई इन्तजाम सरकार की ओर से किया जाय कि डाक्टर रात में अवश्य मरीज को देखने के लिये जा सकें और हर मरीज को रात्रि के समय जिस दवा को वह चाहे , प्राप्त कर सके। वह जानती हैं कि अभी हमारे प्रदेश में जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण कभी कभी मरीजों को यह परेशानी होती है कि उन्हें रात्रि में डाक्टर नहीं मिल पाते और दवाइयां भी रात में नहीं बिकती हैं। परन्तु ऐसा करने के लिये तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि डाक्टरों को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह रात्रि में मरीजों को देखने जरूर जायं। वैसे उनका कनवेंशन (अभिसमय) यह जरूर है कि जब कोई रात्रि में बीमार होता है तो उसको अवश्य देखने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं अवश्य ऐसा डर होता है कि बीमारियों के कारण मरीजों को देखने नहीं जाते हैं। परन्तु अधिकांश संख्या में डाक्टर मरीज को देखने जरूर जाते हैं। फिर भी यदि यह भवन चाहेगा तो सरकार को इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत हर डाक्टर रात्रि में मरीज को देखने जाने के लिये मजबूर किया जा सके। इसी तरह से दवाओं के सम्बन्ध में जो सुझाव उपस्थित किया गया है वह भी सरकार एग्जीक्यूटिव आर्डर से दवाई बेचने वाले दूकानदारों को मजबूर नहीं कर सकती है कि वे रात्रि में दवाई अवश्य बेचें। उसके लिये भी सरकार को कोई कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे सुझाव हैं जिन पर विभाग अवश्य विचार करेगा और यदि सम्भव हो सकेगा तो कोई कानून के रूप में सुझाव को मंजूर करके भवन के सामने सरकार उपस्थित करेगी। आज मैं कतई तौर से इस तरह का वादा नहीं कर सकता कि हर डाक्टर को विभाग मजबूर कर सकेगा कि मरीजों को रात्रि में जरूर देखने जाय या हर दवाई बेचने वाले दूकानदार को मजबूर कर सकेगा कि वह रात्रि में अपनी दूकान अवश्य खोले रहें। उन्होंने खुद ही कहा कि लखनऊ में, मेडिकल असोसियेशन की एक दूकान हजरतगंज में खुली है जो रात भर खुली रहती है, सालोमन ऐंड कम्पनी है, ये कम्पनियां रात में भी नुस्खे बनाती हैं।

श्रीमती अब्दुल वाजिद--मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि यह दूकानें अब भी किसी वक्त रात को खुलती हैं? फर्ज कीजिये कि हार्ट अटैक वगैरह हो तो क्या...

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक मेरी इत्तिला है और एक आध बार मुझे भी ऐसा अवसर पड़ा है कि मुझे रात्रि को दवाई मंगानी पड़ी। तब मैंने सरकार कम्पनी से दवाई मंगायी थी। लेकिन रात्रि के समय शायद दिन से दुगने दाम लेते हैं। ताहम यह नहीं कहा जा सकता है कि जो इंतजाम आज बाजार में है वह बहुत संतोषजनक है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मरीज को उन दूकानों से दवाई न मिले। इसके लिये मैं अपने डाइरेक्टर से पूछ कर अगर सम्भव हो सकेगा कि अस्पतालों के द्वारा ऐसी जरूरत के वक्त दवाएं डिस्पेंस की जा सकें तो उनका प्रबन्ध अस्पतालों के द्वारा किया जाय, मैं इसके लिये डाइरेक्टर महोदय से बात करके सारे सूबे के लिए प्रबन्ध करने की चेष्टा करूंगा।

जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में मुझे और अधिक नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ४,२२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज)

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज) के अन्तर्गत ५,३९,८०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री भगवान सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और वह यह ह कि इस समय गरमी का सीजन है और स्टेशनों पर गन्ना सोसाइटियों की जांच-पड़ताल से विदित हुआ, वह यह कि सरकार यह तो चाहती है कि गन्ना बहुत ज्यादा उत्पन्न हो और ज्यादा से ज्यादा फैक्टरियों को भी पहुँचे। लेकिन कुछ एसा कानून गवर्नमेंट ने इसके मुताल्लिक बनाया है जिससे यह विदित हो रहा है कि किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ ह। उस सम्बन्ध में अभी जिस स्टेशन पर जांच की गई थी, १४ फरवरी को वह जांच की गई थी और वहां पर ९ लाख मन के करीब गन्ना महीने में बेंड कर लिया गया ह और उसमें परती दी जा रही है वह केवल तीन लाख मन है। इससे उनको बड़ी तकलीफ है। वहां के अधिकारियों की भी बात यह है कि जिसको चाहते हैं जितना दे देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं नहीं देते हैं, इसलिये जितने की फैक्टिरियों को जरूरत हो उतना ही लिया और यह टाइम बांध दिया जाय कि उस टाइम के अन्दर उस हद तक गन्ना लिया जायगा उसके बाद वह रिलीज कर दिये जायं। जब तक ऐसी बात नहीं होती तब तक गन्ने के विषय में किसानों के लिय बहुत बड़ी मजबूरी है।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जनाबवाला, जिस मामले का जिक्र हमारे माननीय सदस्य न किया है उसका इल्म गवर्नमेंट को अब तक नहीं है। यह मामला सोसाइटियों से ताल्लुक रखता है। उन सोसाइटियों के मेम्बर्स नान आफिशियल्स (असरकारी व्यक्ति) हैं फिर भी मैं इस मामल को केन कमिश्नर की नोटिस में लाऊंगा और जहां तक कानून इजाजत देता है उस हद तक गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करेगी कि यह तकलीफ दूर हो जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज) के अन्तर्गत ५,३९,८०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक—४०—कृषि (कृषि इन्जीनियरिंग और उपनिवेशन)

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या २२—लखा शोषक ४०—कृषि (कृषि इंजीनियरिंग

और उपनिवेशन) के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय के अन्तर्गत २,६५,२०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय के अन्तर्गत २,६५,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री लताफत हुसैन--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,१०,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,१०,००० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपयों को अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग-श्रम (संख्या)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग-श्रम (संख्या) के अन्तर्गत ५,५०,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, इस मांग के सिलसिले में जो नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस की सरकार की स्कीम है वह मैं समझता हूँ एक पुरानी मांग है और एक बहुत बड़ा काम सरकार ने लिया है। और वह काम इस वक्त शुरू भी है और उसके मुताल्लिक़ जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताल्लिक़ मैं चाहता हूं कि सरकार की तवज्जह दिलाऊं। यह काम जिस पर इतना रुपया खर्च हो रहा है, वह होना चाहिये। लेकिन अगर इस काम से, इस रुपये से जो गरज है वह पूरी नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि यह रुपया और काम जिस गरज के लिये किया जाता है वह पूरी नहीं हो सकेगी। रजिस्टर तैयार कराना सरकार चाहती है, जरूरत है कि वह तैयार हो। लेकिन इसकी तैयारी के सिलसिले में जो कार्यवाही हो रही है वह मैं समझता हूँ कि वह हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा।

जो लोग सेन्सस (जन-गणना) का काम कर रहे हैं, जिस तरह पर कर रहे, जैसे कर रहे हैं, उसके बारे में यह है कि इतने सवाल हैं और काम करने वालों की बहुत थोड़े दिनों की ट्रेनिंग है और स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) जैसे तैयार होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं। यानी अभी रहीमाबाद के मुताल्लिक़ खबर आई है और लोगों को यह शिकायत है कि वह जिस तरीक़े से चाहते हैं इंदराज नहीं किये जाते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इस तरफ तवज्जह करे और एनूमरेटर्स को इत्तिला दे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इस काम को दयानतदारी के साथ करना चाहिये और इसमें कोई एसी बात नहीं लिखनी चाहिये जो लिखवाने वाला न चाहता हो बल्कि जो शख्स कहता है वही लिखा जाना चाहिये।

मुझे अफसोस है कि हमारे मुल्क में इतनी तालीम लोगों को नहीं है कि इन सवालों को लोग पूरे तौर पर समझ सकें और सही जवाब दे सकें इसके लिये जरूरी है कि एनूमरेटर (गणना करने वाले) अपनी इंटेलीजेन्स (ज्ञान) को सामने

रख कर तवज्जह करे और कोशिश करे कि जो नक्शा तैयार हो वह अगर १०० फी सदी करेक्ट न हो तो कम से कम ९० या ९५ फी सदी तो सही होना चाहिये और ऐसी बात न हो जैसा कि लास्ट सेन्सस (गत जनगणना) में देखा गया कि जो फिगर्स (आंकड़) तैयार हुये थे वह मुनासिब नहीं थे और लोगों का ख्याल था कि सही तौर पर मुरत्तिब नहीं हुये और बहुत से कालम छोड़ दिये गये। लेकिन इस दफा तो बहुत से कालम कायम किये गये हैं ताकि सही चीज मालूम हो सके और सोसायटी का एक सही नक्शा सामने आ सके इस पर काफी रकम भी सर्फ हो रही है। इसलिये जनाबवाला के जरिये से मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि वह खास जोर दे कि जो लोग जवाब दें, वही लिखा जाय, दूसरा न लिखा जाय ताकि जो स्टेटिस्टिक्स सरकार तैयार करे वह सही हों। जो सवाल समझ में न आयें उनको समझाया जाय और अपनी तरफ से कोई रिकार्डिंग ऐसा न करें जिससे गलत इंफारमेशन या गलत नक्शा तैयार हो।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जन गणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवश्यमेव जो हमारे प्रान्त का सोशियो इकानोमिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यह महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, लेकिन इसके संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुस्तिका अनुपूरक गणना कार्य के नाम से गणना करने वाले के लिये प्रकाशित हुई है। श्री राजेश्वरी प्रसाद, आई० ए० एस०, जनगणना अधीक्षक के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें जातियों के आधार पर जनगणना के लिये कुछ हिदायतें दी गई हैं उनको देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस आधार पर यह हिदायतें जारी की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि हिन्दुओं के लिये संख्या १ लिखी जायगी और मुसलमानों के लिये संख्या २ लिखी जायगी। संख्या १ में वे हिन्दू जातियां लिखी जायंगी जिनकी एक फेहरिस्त इस पुस्तिका में दी हुई है और जो संख्या २२ है उसमें इन जातियों में कुछ नाम लिये हुये हैं "अहर, बागवान, बलई, बढ़ई, भड़भूंजा, भाट, भील, भिश्ती, ब्राह्मण, फकीर, गद्दी, जाट, कलवार, कायस्थ, खत्री, राजभर, राजपूत, ठाकुर, सैनी, सेंथवर, तगा, थारू, वैश्य। इतनी जातियों के लिये यह हिदायत दी गयी है कि इनको लिखकर इनकी संख्या दर्ज कर दी जाय और बाकी जो हिन्दू जातियां हैं उनकी जात लिखी जाय? मुसलमानों को संख्या २ लिखने का आदेश दिया गया है लेकिन कुछ जातियां दी गयी हैं जिनमें कहा गया है कि उनकी जात लिखी जायगी। उसमें हैं, धुनिया, झोजा, जुलाहा, अन्सार, कोरी, कुंजड़ा, लुनिया, मनिहार, मुराव। यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की पुस्तिका के अन्दर जो जातियां लिखने की व्यवस्था की गयी है, वह किस आधार पर की गयी है और उसका क्या उद्देश्य है। जिन जातियों का नाम नहीं लिखा जाय उनमें हैं "भड़भूंजा, फकीर, कलवार, भिश्ती, जुलाहा"। अगर मान लीजिये कि एक से इन जातियों का तात्पर्य है जो आगे बढ़ी हुई हैं यानी एडवांस्ड हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि भड़भूंजा और फकीर, इनको कैसे एडवांस्ड मान लिया गया। मैं अपने यहां यह देखता हूँ कि भिश्ती और फकीर ज्यादातर मुसलमान जातियां हैं, हिन्दू फकीर और भिश्ती कहां हैं। मेरी जानकारी में तो नहीं है इसके अलावा जो मुसलमान जातियां लिखी जायगी, उनमें "लुनिया, मुराव" के नाम दर्ज किये गये हैं। (एक आवाज कोरी भी है।) कोरी मैंने सुना है मुसलमान होते हैं। लेकिन लुनिया और मुराव यह विशेषकर हिन्दू होते हैं। हमारे यहां एजुकेशन डिपार्टमेंट से पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनी है उसमें लुनिया और मुराव हिन्दू जाति में दिखाये गये हैं। लेकिन इस पुस्तिका में मेरी समझ में नहीं आता कैसे इनको मुसलमानों में लिखने की हिदायत दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जनगणना के संबंध में जो यह पुस्तिका जारी हुई है यह हिदायतें किस अधिकार से और किस तरह पर जारी की गयी हैं जबकि जो हिन्दू जाति के हैं उनको मुसलमानों में और जो मुसलमान जाति के हैं उनको हिन्दुओं में लिखा गया है। भड़भूंजे और भील इनको

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

संख्या १ में लिखने को कहा गया है, उनकी जातियां नहीं लिखी जायंगी क्योंकि मैं समझता हूं जिनकी जातियां लिखी जायंगी वे शायद पिछड़े और गिरे हुये समझे जायंगे और राज्य सरकार से शायद उनको कुछ सहायता दी जाय या उठाने की कोशिश की जाय। यह भड़-भूंजा और भोल को कैसे आगे होने वाली जातियों में लिख दिया गया और किस तरह से यह सूची बनायी गयी। इस संबंध में मुझे बहुत असंतोष है मुराव और लुनिया जाति वाले लोगों से मेरे पास बहुत सी शिकायतें आई हैं कि उनको मुसलमानों में कैसे रखा गया और जबकि इस गवर्नमेंट के एजूकेशन डिपार्टमेंट की फेहरिस्त को देखने से पता चलता है कि लुनिया और मुराव पिछड़ी हुई जातियों में दर्ज हैं।

(इस समय ४ बज कर ३० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री नवाजिश अली खां--जनाब स्पीकर साहब, अभी जो मौर्य जी ने अपनी तकरीर में कहा है मैं खुद इस फिक्र में था कि इस सवाल को कैसे पेश करूं और मुझ से भी कई आदमियों ने यह कहा कि मुराव कैसे मुसलमन होते हैं। मौर्य जी ने जो इतनी लम्बी तकरीर की है उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता लेकिन उसमें कोई शुबहा नहीं कि मुख्तलिफ किस्म की जो जातियां हैं उनमें कैसे मुराव या भिश्ती हिन्दू होते हैं, या कैसे कोरी या लुनिया मुसलमान होते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आया हम इस सवाल को यहां उठा भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि यह चीज गवर्नमेंट आफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाली है। लेकिन चूंकि इसका आधा खर्चा हमारे सूबे की सरकार दे रही है, इसलिये हमको भी यह एक हक हासिल है कि इसकी बाबत कुछ कह सकूं। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात को क्लीयर कर दे कि मुराव, कोरी या लुनिया जो मुख्तलिफ किस्म के कास्ट्स हैं उनको कैसे लिखा जाय। इस तरह से इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटर्स को होने चाहिये। मगर मैं देखता हूं कि वे कुछ नहीं समझते हैं और उल्टा मुझसे आकर पूछते हैं कि इसको कैसे लिखूं और मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करता हूं। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि वे डिटेल में इसको बयान कर दें ताकि यह क्लीयर हो जाय।

श्री माजिद हुसैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इरादा इस मुबाहिसे में पड़ने का नहीं था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कोई मुराव मुसलमान होना चाहता है तो वह हो सकता है या नहीं। अगर वह मुसलमान हो सकता है तो इसमें किसी को क्या एतराज है कास्ट (जाति) एक चीज है। मजहब दूसरी चीज है। दोनों बिलकुल अलग-अलग चीजें हैं फिर दोनों को एक में मिलाकर कन्फ्यूजन (संभ्रम) क्यों पैदा किया जाता है? रेलिजन (धर्म) को कास्ट (जाति) में और कास्ट को रेलिजन में मिला कर आप पुराने कनफूजन को बढ़ाते जाते हैं। फर्ज कीजिये कि एक मुराव है जो कल ईसाई होना चाहता है या कोई दूसरे कास्ट का है जो दूसरा मजहब रखना चाहता है तो क्या उसे यह हक हासिल नहीं है? अगर यह हक हासिल है तो फिर इस तरह से कन्फ्यूजन क्यों पैदा किया जाता है? सिवा इसके कि आप लकीर के फकीर बने चल रहे हैं। इस किस्म की चीजों को समझने के लिये सेंस पैदा होना चाहिये। कास्ट अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। दोनों को कंफ्यूज कर देना गलत बात है। हमको कम से कम इस स्टेज पर आकर महसूस करना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यहां जो बहस हुई है वह इस अनुपूरक अनुदान के दायरे से कुछ आगे बढ़ जाती है, क्योंकि यह अनुपूरक तो सिर्फ नेशनल रजिस्टर जो बनने वाला है, उससे ताल्लुक रखता है। जहां तक मरदुमशुमारी और सेंसस का ताल्लुक है वह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की देख-रेख में होता है और हम जो कुछ भी उसमें मदद दे सकते हैं वह देते हैं। जो बातें भी इसके बारे में कही जायं या जो कुछ भी सुझाव आवे

उसमें जो कुछ भी मदद हम दे सकते हैं, उसे देने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। कुछ जातियों के बारे में इसमें लिखा नहीं है कि ये मुसलमान हमेशा लिखे जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ गलतफहमी है। दरअसल वे हिदायात हैं। उन हिदायात की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। उसकी जिम्मेदार तो गवर्नमेंट आफ इंडिया है। मगर जो हिदायात हैं वे इस तरह से हैं—धर्म लोगों का लिखा जायगा, यानी हिन्दू के लिये १, मुसलमान के लिये २ और उन लोगों के लिये जो कोई धर्म नहीं मानते हैं हिन्दु लिखा जायगा। इसके अलावा जो जैसा जवाब दे उसको वैसा ही लिखा जायगा। यानी धर्म लिखा जायगा कि किसका क्या मजहब है? इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आया उसकी जाति क्या है? दूसरी बात जो इसमें है वह यह है कि विशेष वर्ग, प्रश्न के इस भाग से हमारी मंशा हिन्दुओं और मुसलमानों की कुछ जातियों तथा ऐंग्लो–इंडियनों की गणना करने की है। दूसरों के लिये × लिखिये। किसी ऐसे हिन्दू के लिये जो यह कहे कि मैं किसी जाति या जन जाति का नहीं हूं। उनको ० लिखिये। किसी ऐसे हिन्दू के लिये, जो नीचे लिखी हुई हिन्दुओं की जातियों की सूची में दी हुई किसी जाति का हो "१" लिखिये और बाकी हिन्दुओं के लिये जिस व्यक्ति की गणना की जा रही है उसकी वह जाति या जन जाति लिखिये जो वह बताये। केवल उन मुसलमानों की जाति का नाम लिखिये जो नीचे दी हुई मुसलमानों की आठ जातियों की सूची में आते हों। "ए" ऐंग्लो–इंडियनों के लिये और × सब के लिये।

इन जातियों के लिये १ लिखा जायगा। यह इसमें नहीं है कि जो जातियां हैं, धुनिया, झोझा, जुलाहा, अन्सार, कोरी, कुंजड़ा, लुनिया, मनिहार, मुराव इन जातियों को मुसलमान लिखा जाय। इसमें तो यह है और यह बात मानी गई है कि मुसलमानों में भी इस जाति के लोग होते हैं। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जहां पर इस जाति के लोग मुसलमान हों उनके बारे में जाति लिखने की जरूरत नहीं है। मसलन् छीपी है या कोई रंगरेज है या कोई और काम करने वाला है उसकी जाति लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों में इस जाति के लोग हों उनकी जाति लिखना चाहिये। मेरी राय में शायद यह बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी जाति) के लोग हैं और उनके बारे में शायद कुछ मदद करने का इरादा हो। इसमें तो सिर्फ यह है कि जो मुसलमान हों और अपना मजहब मुसलमान बतलाते हों उनमें अगर इस जाति के लोग हों, तो यह लिखना चाहिये। और इस जाति के हिन्दू हों तो उनको हिन्दू लिखना चाहिये। यह नहीं है कि जाति हिन्दू हो और उनको मुसलमान लिखा जाय। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हुई, इस तरह की जो हिदायत हुई उसका मतलब यही है कि अगर कोई मुराव जाति का हिन्दू है तो उसको हिन्दू ही लिखा जाय। लिहाजा इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मुराव अगर हिन्दू है तो उसको हिन्दू न लिखा जाय। जाति वह अलग से बतलावें और मजहब जो वह बतलावें उसको अलग लिखना चाहिये। जहां तक जातियों की बात है उसके बारे में हिन्दुओं की जाति इसमें १९ दी हुई हैं, उनके लिये हिन्दसा "१" लिख देना चाहिये और दूसरी जाति के हों जिनमें ८ जाति आती हैं। उनकी जाति लिखना चाहिये। और दूसरों को हिन्दू या मुसलमान लिखना चाहिये। इस तरह से यह बात साफ हो जाती है और मैं समझता हूं कि कम से कम अब शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये। और सेन्सस कमिश्नर ने यह हिदायत जारी करने के पहले इन सब बातों का इत्मिनान कर लिया होगा कि हिन्दू भी भिश्ती होते हैं और मुसलमान जाति में भी ऐसे लोग होते हैं और इसके बाद यह उन्होंने निकाला होगा और अगर उनका यह कयास गलत है तो वह जो हिन्दू हैं उनका जिक्र मुसलमानों में नहीं आयेगा और मुसलमान जो हैं उनका जिकर हिन्दुओं में नहीं आयेगा, मगर खास बात जो समझने की है वह यह है कि किसी एक मजहब वाले को दूसरे मजहब को लिखने की कहीं इजाजत नहीं दी है और न इसकी कोई हिदायत है, बल्कि बात यह है कि किस मजहब का है, वह लिखना चाहिये। फिर उसके बाद यह सवाल

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

आता है कि क्या जाति है। अगर उसकी जाति इनमें से आती है जो पहले हिन्दुओं की फेहरिस्त में है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है और अगर उनके बाहर की है तब जाति लिखना चाहिये। इसी तरह मुसलमानों की आठ जातियों में से हों तब लिखना चाहिये नहीं तो नहीं। मेरे ख्याल में अगर इस तरीके पर इसको समझ लिया जाय तो कोई शिकायत की गुंजाइश रह नहीं जाती। इसके ऊपर बहुत सी तहरीरें अखबारों में निकाली गयीं और यह कहा गया कि सेंसस की तरफ से ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो हिन्दू हैं उनको मुसलमान दर्ज कर लिया जाय। यह बात गलत है। कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि हिन्दुओं को मुसलमान दर्ज किया जाय, बल्कि यह है कि जो मुसलमान इन जातियों में से हैं उनकी जाति भी लिख ली जाय। मैं खुद यह चाहता हूं कि सेंसस में एक-एक लफ्ज जो लिखा जाय वह सही हो, कहीं पर कोई बात गलत न हो और मुझे उम्मीद है कि सेंसस आफिसर्स और उनके साथी जो भी इसमें मदद दे रहे हैं वे इस बात का लिहाज रखेंगे कि सेंसस में सब बातें सही लिखी जायं क्योंकि सेंसस में अगर कहीं गलती हो तो उसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। सेंसस में जो रेकार्ड तैयार होता है उसकी बुनियाद पर न सिर्फ सरकारी इन्तजाम बल्कि तमाम मुल्क की सोशल (सामाजिक) और इकोनामिक (आर्थिक) हालत मबनी होती है और जो बुनियाद बहुत सी चीजों की होती है वह अगर गलत हो तो उससे काफी नुकसान हो सकता है और सेंसस (जनगणना) तो एक वर्ल्ड अफेयर (अन्ताराष्ट्रिय विषय) है। यह चीज कोई ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ हमारे ही काम आये, बल्कि तमाम दुनिया भर की हालत को जानने के लिये भी सब मुल्कों के सेंसस को इकट्ठा कर फिर नतीजा निकाला जाता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है क्या हो रहा है? इस वास्ते इसकी जरूरत है कि सब लोग इसकी अहमियत को समझें और इसके लिये पूरी तरह से कोशिश करें कि सही रेकार्ड बने और कोई और ख्यालात किसी के दिमाग में सेंसस करते वक्त न आयें। और मैं उन साहबान का जो सेंसस में आनरेरी तरीके पर बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंसस बिलकुल ठीक होगा और हमारा नेशनल रजिस्टर जो बन रहा है उसका एक-एक लफ्ज सही होगा और अगर उसमें कहीं पर कोई गलती हो भी गयी तो उसको दुरुस्त करने का भी काफी मौका रहेगा, मगर मुझे उम्मीद है कि वह ज्यादातर सही निकलेगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—भड़भूंजा, फकीर और भिश्ती जातियों को ऐडवान्स्ड जातियों में कहां से रख दिया गया? यह कहां तक ठीक है?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत—आपने सेंसस कमिश्नर को शायद लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आपकी दिलचस्पी ज्यादा मालूम नहीं होती क्योंकि उनसे पूछना चाहिये। यहां पर आपने इस वक्त यह कहा तो मुझे मालूम नहीं। अगर हमारे पास गवर्नमेंट में आता तब भी मैं बता सकता। अगर अब भी आपको कोई आपत्ति है तो आप उनसे मालूम करें। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैंने तो कहा कि सिवाय इसके कि सेंसस सही हो और कई अख्तियारात हमारे हैं नहीं। अगर कोई ऐडवान्स्ड (आगे बढ़ी हुई) जातियां मान ली जाती हैं तो अच्छा है। आप बैकवर्ड (पिछड़ी हुई) क्यों रखना चाहते हैं लोगों को?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—रखने का कोई सवाल नहीं है, यह तो जाहिर है कि भड़-भूंजा, फकीर और भिश्ती ऐडवान्स्ड जातियों के नहीं हैं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—तो आप सेंसस कमिश्नर से मालूम कीजिये। शायद उन्होंने देखा होगा कि वे लोग बढ़ते जा रहे हैं।

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—श्रम (संख्या)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग—श्रम (संख्या) के अन्तर्गत ५,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (वाहन विभाग)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ९५,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ९५,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत)

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत २,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत २,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य

श्री लताफत हुसैन—जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनों के अन्तर्गत २१,६९,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५९—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २१,६९,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०—५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित कोष, सरकारी छापाखाना

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित कोष, सरकारी छापाखाने के अन्तर्गत २१,३७,७०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित कोष सरकारी छापाखाने के अन्तर्गत २१,३७,७०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत ८०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत ८०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २२,७९,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २२,७९,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर संविधायन और विकास सम्बन्धी व्यय

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान्, महामान्य राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर संविधायन (planning) और विकास सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर संविधायन (planning) और विकास सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का सम्पादन

श्री लताफत हुसैन--गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४३,००,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४३,००,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री लताफत हुसैन--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ५६,०२,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ५६,०२,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री लताफत हुसैन—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—क— विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४३,२९,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४३,२९,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य प्रांतीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि—अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य प्रान्तीय निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ४०० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य प्रांतीय निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत २०,५९,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत २०,५९,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०–५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की प्रांतीय योजनाओं पर पूंजी की लागत

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,५६,८६,००० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक मांग २,५६,८६,००० रुपये की जो पेश है इसमें एक मद तो यह ५,२५,००० को पाउडर्ड मिल्क के ऊपर देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यह जो दूध है उसको कम से कम एक्जामिन करा लिया जाये कि यह खाने के लिये मुफीद है या नहीं। यह नहीं कि बाहर से आया

हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह दिया जाय, कहीं बजाय मुफीद होने के नुकसानदेह न हो।

दूसरी बात जो है वह यह है कि १७ शहरों के बजाय ३१ शहरों में राशनिंग भी चल रही है, इसलिये खर्चा करना पड़ रहा है। इस खर्च के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि जब खर्चा हो रहा तो ठीक है। देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि राशन की दूकानों के ऊपर जो गल्ला मिलता है वह अच्छा नहीं मिल रहा है। अन्न मन्त्री की तवज्जह कई मरतबे इस तरफ दिलाई गई कि चावल में गुत्थियां की गुत्थियां मिट्टी आती हैं। गेहूं में मिट्टी आती है। मैं तो बराबर कंट्रोल का हामी रहा हूं और अब भी हूं। लेकिन अगर कंट्रोल इफीशियेंटली (क्षमता पूर्वक) नहीं चलता है तो उसके रखने से कोई फायदा नहीं होता है। जब जनता को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता, अन्न अच्छा नहीं मिलता, उन की निगरानी ठीक तरह से नहीं होती है तो इस तरह से कंट्रोल के रखने से कोई मानी नहीं हैं। सबसे ज्यादा शिकायत इन्हीं कंट्रोलों के बारे में है और जनता बहुत पीड़ित है। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आज ही यह कार्य खत्म होना है। बजट के मौके पर मुझे पूरा मौका मिलेगा उसके ऊपर काफी रोशनी डाल सकूंगा। लेकिन इस मद पर कुछ न कुछ कहना जरूरी था और तवज्जह दिलानी लाजिमी थी। क्योंकि यह ऐसी मांग है कि कि अगर तवज्जह न दिलाई जाती तो मुनासिब नहीं होता।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने जो इस दूध के संबंध में यह प्रश्न उठाया कि सरकार ने दूध को जंचवा भी लिया है कि वह खाने योग्य है या नहीं, इस संबंध में मैं उन्हें यही बता सकता हूं कि यह दूध वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की तरफ से बांटा जा रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि जितनी चीजें वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (विश्व स्वास्थ्य संगठन) की तरफ से दी जाती हैं वह तो काफी छानबीन करके देशों में भेजते हैं क्यों कि उनका संबंध स्वास्थ्य से रहता है और वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन तो दुनिया के स्वास्थ्य सुधार के लिये ही प्रयत्नशील है। इसलिये इसमें किसी प्रकार का शक करने का प्रश्न नहीं उठता है।

दूसरा सवाल उन्होंने राशन की दूकानों के संबंध में उठाया है। उनका कहना कि राशन की दूकानों से जो गल्ला मिलता है वह बहुत साफ नहीं होता है, गंदा होता है, मिलावट होती है। इस प्रकार के प्रश्न इस भवन में कई मर्तबे आये हैं। उन्हीं कारणों से सरकार ने इस भवन के सुझावों को सामने रख कर यह तय कर दिया था कि उन तमाम बातों को दूर करने के लिये और कभी कभी शकों को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि हर गोडाउन के लिये सरकार की तरफ से ऐसी कमेटियां मुकर्रर कर दी जायं जो हफ्ते में, पन्दरहवें दिन जा कर उन गोडाउनों को देख लें और अपना इत्मीनान कर लें। हर शहर में जहां राशन की व्यवस्था है वहां गोडाउन कमेटियां बना दी गयी हैं। उसमें जनता के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी बेउनवानियां पायी जायं कि जो गल्ला दूकानों द्वारा वितरित किया जाता है उसमें कोई खराबी हो उस कमेटी के सदस्यों द्वारा वह दूर करवायी जा सकती है। हो सकता है कि कहीं कहीं दूकानदार लोग या व्यवसायी लोग कुछ मिलावट करते हों लेकिन वह मिलावट बिजिनेस के द्वारा ही दूर की जा सकती है। उसी के लिये इस प्रकार की कमेटियां सरकार की तरफ से नियुक्त कर दी गयी हैं। और जो मसले इन दूकानों के संबंध के हैं उनके लिये जैसा कि अभी श्री गोपाल नारायण जी ने कहा कि जब बजट पेश होगा उस वक्त उन्हें और कहने का मौका होगा तो उसी समय जो सवाल उठाये जायेंगे मुझे उस वक्त उनके बारे में बताने का मौका होगा।

श्री नवाजिश अली खां--मैं जनाब की वसातत से यह जानना चाहता हूं कि क्या लखनऊ में भी कोई ऐसी कमेटी कायम है ?

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त--हां, वह तो हर जगह, जहां राशनिंग की व्यवस्था चल रही है वहां कायम है और काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८५--क--राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,५६,८६,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान्, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७२,८९,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७२,८९,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (extension of application) का विधेयक

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पंत--मैं सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (extension of application) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। इसके साथ ही मैं इतनी दरख्वास्त और करना चाहता हूं कि परसों यह ले लिया जाय। यह बिल फार्मल (औपचारिक) है और इसमें देर नहीं लगेगी। इसलिये परसों ले लिया जाय।'

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १३५ पर)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वैधीकरण) विधेयक

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वैधीकरण) विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३८ पर)

माननीय अध्यक्ष--इसके मुताल्लिक क्या आप कोई वक्त बतायेंगे कि कब लिया जाय।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं समझता हूं कि २६ तारीख को ले लिया जाय।

श्री फखरुल इस्लाम--मुझे, जनाबवाला, सख्त एतराज है २६ तारीख के लिये इसलिये कि बजट लिटरेचर इतना बड़ा होता है इतना मोटा होता है कि उसके पढ़ने के लिये तथा डिस्कशन के लिये हमेशा ४ रोज का मौका होता था लेकिन इस साल सिर्फ दो ही रोज रखे गये हैं।

माननीय अध्यक्ष--आप शायद मुबालिगा कर रहे हैं ४ दिन के लिये ?

श्री फखरुल इस्लाम--मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अगर आप देखेंगे कि बजट के जनरल डिस्कशन के लिये पारसाल के अलावा हर साल ४ रोज दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष--और बजट के दर्मियान में और भी काम होते रहे ?

श्री फखरुल इस्लाम--नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। बहरहाल, २६ तारीख को काम नहीं होना चाहिये क्यों कि २७ तारीख को डिस्कशन (चर्चा) होने वाला है। अगर गवनमेंट चाहे कि लोग बजट लिटरेचर (साहित्य) को पढ़ लें और पढ़ कर समझ लें और समझ कर यहां राय दें तो यह जरूरी है कि २६ तारीख को कोई सेशन न हो। यह तीनों ही चीजें बजट के लिए जरूरी हैं कि पढ़ा जाय और समझा जाय और फिर राय दी जाय। और फिर मेरे ऐसे जाहिल आदमी को समझने में देर भी लगती है। समझदार लोगों की बाबत तो मैं नहीं कहता। वे फाइनेंस कमेटी में भी बैठते हैं और पढ़ते पढ़ते सब चीजों को समझ जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि २६ तारीख को काम न हो २७ तारीख को जनरल डिसकशन (साधारण चर्चा) हो।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--फखरुल इस्लाम साहब तो इस हाउस के बहुत तजुर्बेकार मेम्बर हैं। उन्होंने जो बात कही है वह औरों के लिहाज से कही है, उनको ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। औरों ने मंजूर कर लिया है लिहाजा उम्मीद है वह भी इनायत कर देंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति की नियुक्ति

माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले मुझे यह इत्तला देनी है कि विधान सभा की जो प्रक्रिया नियमावली है उसके नियम ४२ जो से प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत मैंने निम्न-लिखित सदस्यों की विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति यानी कमेटी आन प्रिविलेजेज नियुक्त की है--

माननीय उपाध्यक्ष उसके सभापति होंगे।

अन्य सदस्य ये हैं--

१--श्री चरण सिंह
२--श्री होती लाल अग्रवाल
३--श्री बेचन राम गुप्त
४--श्री जगमोहन सिंह नेगी
५--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी
६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना
७--श्री ई० एम० फिलिप्स
८--श्री अब्दुल गनी अन्सारी
९--श्री निहालुद्दीन

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर शुक्रवार, २३ फरवरी, सन् १९५१ ई० के ११ बजे पूर्वान्ह तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ फरवरी, सन् १९५१ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये २१ फरवरी सन् १९५१ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर)

फर्रुखाबाद में पंचायत मंत्रियों के वेतन वितरण की स्थिति—

फरवरी	१५, १९५० ई० तक		६ मंत्रियों को ५ १/२ मास का।			
"	"	"	८ मंत्रियों को ६ १/२ मास का।			
"	"	"	८ मंत्रियों को ४ १/२ मास का।			
"	"	"	११ मंत्रियों को १ मास का।			
"	"	"	१४	"	"	२ मास का।
"	"	"	१८	"	"	१ १/२ मास का।
"	"	"	२३	"	"	३ १/२ मास का।
"	"	"	३०	"	"	३ मास का।
"	"	"	४०	"	"	२ १/२ मास का।

वेतन प्राप्त नहीं हुआ है।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का विधेयक।

देहरादून जिले के जौंसार-बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रसार करने के लिए

विधेयक

देहरादून के जौंसार-बावर परगने और मिर्जापुर जिले के उस भाग में, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहले, अंशतः पृथक किये गये क्षेत्र (partially excluded areas) के रूप में, प्रशासन होता था; और

संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (scheduled areas) नहीं है, और

यह आवश्यक है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसे कुछ विधियों को प्रचलित किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं होते ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (extension of application) का अधिनियम" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा

२—इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर :—

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो।

(ख) "विधि" का तात्पर्य धारा ४ और (५) में, ऐसी आज्ञा, नियम या उपविधि (bye law) से है, जो ऐसे विधायन (enactment) के अधीन दी या बनाये गये हों, जो निश्चित दिनांक पर अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में प्रचलित नहीं था।

(ग) "अंशतः पृथक किये गये क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो देहरादून जिले के जौंसार–बावर परगना के और मिर्जापुर जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भी है।

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

विधियों का प्रसार

३—(१) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, ऐसे सब विधायन जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित या प्रवृत्त (in force in or applicable to) हों और जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो जिनके बारे में राज्य विधान मंडल उत्तर प्रदेश के लिए विधियों का निर्माण कर सके, और जो अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में अभी प्रचलित या प्रवृत्त न हों, उन क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधीन एतत् द्वारा (extended) किये जाते हैं :—

(क) कोई ऐसा संशोधन, जिसके अधीन सामान्य रूप से उपर्युक्त दिनांक ... उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित होने के सम्बन्ध में, उपर्यु... विधायन रहे हों, और

(ख) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये हुए हैं।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहते ... भी, ऐसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे जो राज्य सरकार सरका... गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे और उक्त विधायनों के विभि... निदेशों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये ... सकते हैं।

समान विधियों का निवर्तन

४--यदि निश्चित दिनांक पर अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में कोई ... विधि प्रचलित है जो धारा ३ की उपधारा (२) में उल्लिखित विधा... (enactment) के समान (corresponding to) है तो ऐसी समान वि... उस दिनांक से और उस अंश तक जहां तक धारा ३ के निदेशों के अधीन ... अनुसार कोई विधायन प्रचलित होता हो, यथाक्रम अंशतः पृथक किये गये क्षे... में निवर्तित (repealed) हो जायगी।

अपवाद

५--(१)धारा ४ के अधीन किसी समान विधि के निवर्तन का निम्नलिखित ... प्रभाव नहीं होगा--

(क) किसी ऐसे विधि का पूर्व व्यापार (previous operation) ...

(ख) कोई ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड (penalty, forfeiture ... punishment) जो किसी ऐसी विधि के विरुद्ध किये गये अपराध के वि... में उपगत किया गया या किये गये हों (incurred), या

(ग) उक्त शास्ति, अपवर्तन या दण्ड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधि... व्यवहार या उपचार (investigation legal proceeding or remedy) और उक्त जांच विविध व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशित या अनुक्रा... की या किया जा सकता है अथवा व्यापार में लाया जा सकता है (institute... continued or enforced) और कोई भी ऐसी शास्ति, अपवर्तन या द... उसी प्रकार लगाया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं कि... गया हो।

(२) किसी ऐसी बात या कार्य के विषय में, जो उक्त समान विधि के अ... किया गया हो, और जिसके अन्तर्गत की गई नियुक्ति या किये गये सम... (delegation) प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गयी आज्ञा या दिये गये आदे... बनायी गयी योजना, स्वीकृत प्रमाण-पत्र, एकस्व-पत्र (patent) या अनुज्ञाप... किये गये निबन्धन (registration) हैं, उस अंश तक जहां तक वे धारा ३ ... लिखित उन विधायनों के विपरीत न हों, जो अब अंशतः पृथक किये गये क्षे... में प्रसारित या प्रचलित किये जाते हों, उपधारा (१) के निदेशों को बाधि... न करते हुए--

(क) यह समझा जायगा कि वे उक्त विधान के समान निदेश ... अधीन की गयी या किया गया था, और

(ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में को... भिन्न आदेश न दिया जाय या जब तक कि वे किसी ऐसी बात या कार्य से अति... क्रान्त (superseded) न कर दिये जायं या जो उक्त विधायन ...

अधीन राज्य सरकार या किसी समर्थ प्राधिकारी (authority) द्वारा किया गया या किये गये हों।

उद्देश्य और कारण

देहरादून जिले के जौंसार-बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस अंश का जो [illegible]र पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहिले अंशतः पृथक [illegible] गये क्षेत्र के रूप में प्रशासन होता था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० [illegible]धीन उक्त ऐक्ट की धारा ९२ के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करके अंशतः [illegible]क किये गये क्षेत्रों में विधियों को प्रसारित किया जा सकता था। उस समय [illegible] विधियों का प्रसार किया गया था जो आवश्यक समझे गये थे।

संविधान के अधीन उक्त क्षेत्र अब अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, इसलिए उक्त क्षेत्रों [illegible] विज्ञप्ति द्वारा ऐसे विधियों का प्रसार का अधिकार नहीं है जो संविधान के [illegible]म्भ से पूर्व उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं थे। अब उनका प्रसार केवल विधायन [illegible]actment) द्वारा ही किया जा सकता है।

अब उक्त क्षेत्र विधियों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के [illegible]न ही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उक्त क्षेत्रों में भी ऐसे विधियों को [illegible]लित किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

गोविन्द वल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ १३२ पर)

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वैधीकरण) विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० में अनुपूरण एवं किये हुए कार्यों के वैधीकरण के लिए,

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० का अनुपूरण एवं किये हुए कार्यों के वैधीकरण की व्यवस्था करना आवश्यक है--

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) इस अधिनियम का नाम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वैधीकरण) अधिनियम होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

नये बोर्ड की स्थापना तक १९१६ के यू० पी० ऐक्ट २, का प्रयोग

२--(१) २१ जून सन् १९४९ ई० से लेकर इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद हुए प्रथम साधारण निर्वाचन (first general elections) द्वारा बोर्ड का संगठन (constitution) हो जाने तक किसी भी म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक पर वर्तमान रही हो, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे इस अधिनियम में आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के निर्देशों का प्रभाव अनुसूची में उल्लिखित अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन के अधीन (subject to the adaptations, alterations and modifications) होगा और रहा समझा जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त साधारण निर्वाचन से सम्बन्धित या अपेक्षित सब विषयों में, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं उक्त अधिनियम के उद्देश्यों का उक्त अर्थ में इस प्रकार प्रभाव जारी रहेगा मानों इस अधिनियम द्वारा उनमें किये गये अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन किये ही न गये थे--

(क) बोर्डों की रचना (composition) और विभिन्न वर्गों और हितों (classes and interests) के लिये स्थानों का निर्धारित करना (allotment of seats);

(ख) म्युनिसिपैलिटी का वार्डों में विभाजन और प्रत्येक वार्ड के लिये स्थान निर्धारित करना,

(ग) निर्वाचकों (electors) की योग्यता और निर्वाचक सूचियों (electoral rolls) का तैयार करना,

(घ) सदस्य अथवा प्रेसीडेंट के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की योग्यता और नामजदगी, और

(ङ) सामान्यतः निर्वाचन का कार्य और नये बोर्डों के उचित रूप से संगठन के लिए आवश्यक और सब विषय।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित नये बोर्ड के संघटन हो जाने पर अनुसूची में उल्लिखित अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन का ऐसे बोर्ड के सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं रहेगा और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के निदेश इस प्रकार लागू होंगे मानों वे अनुकूलन, संशोधन और परिवर्तन उस समय किसी यू० पी० ऐक्ट द्वारा रद्द किये गये विधायन हों, और तब मूल अधिनियम इस प्रकार सप्रभाव होगा मानों वह कभी भी इस अधिनियम द्वारा अथवा मूल अधिनियम की धारा ३३६-ए के अधीन दी गयी किसी आज्ञा द्वारा उक्त प्रकार से अनुकूलित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया गया था।

३--(१) धारा २ की उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि में मूल अधिनियम के उपबन्धों के अथवा उक्त अधिनियम की धारा ३३६-ए के अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अधीन किये गये किसी भी कार्य अथवा की गयी किसी बात के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत दी गयी कोई आज्ञा, किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या प्रयोग में लाया गया कोई अधिकार हैं, जो मूल अधिनियम अथवा उक्त आज्ञा के अधीन वैध और उचित रूप से किये या न किये जा सकते थे, यदि मूल अधिनियम इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुकूलित, परिवर्तित या संशोधित किया होता, यह समझा जायगा कि वे उसके अधीन वैध और उचित रूप से किया या दिया गया था, की या दी गयी थी या प्रयोग में लाया गया था।

(२) किसी मुक़दमे (suit) या व्यवहार (proceeding) में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दी गयी अन्तिम आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलों या अपील करने के लिए अनुमति के प्रार्थना-पत्रों (applications for leave to appeal) से भिन्न ऐसे सभी मुक़दमे और अन्य व्यवहार जिनमें किये गये किसी कार्य या की गयी किसी बात की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति की जाती हो कि मूल अधिनियम की धारा ३३६-ए के अधीन दी गयी किसी आज्ञा द्वारा किये गये अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन वैध नहीं थे, स्वतः विरत (abate) हो जायेंगे और खारिज कर दिये जायेंगे।

अनुसूची

(देखिए धारा २)

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में किये जाने वाले अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन

१--धारा ९ के स्थान में निम्नलिखित रक्खा जाय--

9. (1) Except as otherwise provided by the next following section, a board shall ordinarily consist of— *Normal composition of board.*

(*a*) such number of elected members as the State Government may prescribe by notification in this behalf and *Elected members.*

(*b*) where a person who is not a member of the board is elected or nominated as Chairman, the person so elected or nominated, and *Chairman.*

Additional members.

(c) in municipalities where provision is made under section 11 for separate representation on religious grounds, a woman nominated under sub-section (2) and such other persons, if any, not exceeding in number, excluding the woman member, one-fourth of the prescribed number of elected members, are nominated in the manner provided by sub-section (2) ; and

(d) in other municipalities, a woman nominated under sub-section (3) and such other persons, if any, not exceeding in number excluding the woman member one-third of the prescribed number of elected members nominated in the manner provided by sub-section (3).

(2) Not more than three of the members who may be nominated under clause (c) of sub-section (1) shall be nominated by the State Government. The remainder shall be nominated by such bodies as the State Government may by rule constitute in this behalf:

Provided firstly, that no class for which separate representation is provided under section 11 shall be a nominating body:

Secondly, that of the three members who can be nominated by the State Government under clause (c) of sub-section (1), one shall be selected from among the depressed classes, one shall be a representative of any special interest of the municipal area, which has remained unrepresented on the board after the general election and the third shall be a woman:

Thirdly, that none of the three members shall be a Government servant or a candidate who was defeated at the preceding general election:

Fourthly, that the proportion of Muslim and non-Muslim members, including both elected and nominated members shall not be so altered by the nomination of a woman as to convert a majority of one community into an equality with the other community.

(3) The members who can be nominated under clause (d) of sub-section (1) may be nominated by the State Government or in the manner prescribed:

Provided that none of the members so nominated shall be a Government servant nor a candidate who was defeated at the preceding general election:

Provided further that of the members who can be nominated under this sub-section one shall be selected from among the depressed classes, one shall be a representative of any special interest of the municipal area, which has remained unrepresented on the board after the general election and the third shall be a woman.

२—धारा १० के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Power of State Government to vary normal composition of board.

10. (1) The State Government may declare by notification in respect of any municipality, that its circumstances render inadvisable the application thereto of the provisions of the preceding section; and in such case the board shall ordinarily consist of—

Nominated members

(a) such number of members nominated by the State Government as the State Government prescribes by notification in this behalf, and

Elected members.

(b) such number of elected members as the State Government prescribes by notification in this behalf, and

Chairman.

(c) where a person who is not a member of the board is elected or nominated as chairman, the person so elected or nominated.

(2) Provided that no notification shall be issued under sub-section (1) in respect of a municipality of which the board is already constituted in accordance with the provisions of section 9.

३—धारा ११ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Provision for local and class representation on board.

11. The State Government may prescribe by rule in respect of any one or more municipalities—

(a) the division of the municipality into two or more wards, and the number of representatives to be elected for each ward, and

(b) the provision to be made for the special representation, among the elected members of any classes of the community:

Provided that the classes for whom representation may be provided on religious ground shall be the following two classes and no others—

(a) the class consisting of Muslims, and
(b) the class consisting of non-Muslims.

Provided also that not more than two members shall be assigned by rule to any class for which special representation is provided on other than religious grounds unless the municipality has been specially exempted by rule in this behalf.

४—धारा १२ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Conditions governing the provision of special representation on religious grounds.

12. (1) The power of the State Government to make rule providing special representation, on religious grounds, for a class specified in the first proviso to section 11, by the assignment to such class of a certain number of elective seats on a board, shall be subject to the conditions set forth in this section.

(2) The number of seats assigned to the class shall be fixed with reference not to the total number of elective seats on the board of the municipality concerned, but with reference only to such number after deduction therefrom of all elective

seats assigned to any class or classes other than on religious grounds.

(3) The number of seats assigned to the class shall bear the same proportion to the total net number of seats referred to in sub-section (2) as the population within the municipality concerned, of the class bears to the total population of such municipality:

Provided that for the purpose of making the calculation herein prescribed, the population of the class shall—

(a) if it is less than 25 per centum of the total municipal population, be increased by three-tenths, and

(b) if it is not less than 25 per centum but is less than 38.5 per centum of the total municipal population be raised to figure bearing to such total population the last-mentioned proportion.

(4) Where the final result of the calculation prescribed by sub-section (3) is a fraction or a whole number and a fraction, the fraction shall be disregarded unless it exceeds one-half and affects a class which comprises less than one-half of the total municipal population, but if it does both, then the State Government shall by notification, under section 9 or 11, as the case may be, increase the number of elective seats on the board for the time being by one, and shall assign the extra seats to the class, in addition to any whole number of seats furnished by the aforesaid calculation.

(5) As often as the final returns of a new State census are published, the State Government shall, on the basis of such returns, determine, to one and the nearest place of decimals, the percentage for the time being borne by the collective Muslim population of all the municipalities of Uttar Pradesh (excluding the municipalities of Naini Tal and Mussoorie) to the collective total population of such municipalities, and the percentage so determined shall be deemed to have been substituted in clause (b) of sub-section (3) for the percentage 38.5 therein specified, with effect from such date as it is published by notification made in this behalf and until the issue of a fresh notification under this sub-section.

५—धारा १३ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Special provision in respect of casual vacancies.

13. Where a vacancy occurs in a board by reason of the death, resignation, removal, or avoidance of the election of an elected member, and the term of office of a member would, in the ordinary course of events, have determined within one year, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next ordinary election.

६—धारा १४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Elections

Qualification of electors.

14. (1) A person shall not be deemed an elector for any purpose of this Act or of any rule under this Act, unless he is enrolled as an elector.

(2) The following persons shall, if not subject to a disqualification specified in sub-section (3), be entitled to be enrolled as electors, namely,

(a) every person who in any year is on such date as is fixed by rule in this behalf, assessed directly and on his own account to municipal taxes, other than octroi or toll or any similar tax, the aggregate value whereof at their annual rate is not less than such amount as is fixed by rule in this behalf, and

(b) every person who, having for a period of not less than twelve months next preceding the aforesaid date resided in the municipality, is on the aforesaid date—

(i) a graduate of any University, or

(ii) a payer of income-tax, or

(iii) an owner of a house or building in the municipality of a minimum annual value to be fixed by rule in this behalf, or

(iv) an occupier of a house or building in the municipality of a minimum annual value to be fixed by rule in this behalf, or

(v) in receipt of a minimum annual income to be prescribed in this behalf, or

(vi) an owner in his own right of land in respect of which land revenue amounting to a minimum sum per annum to be fixed by rule in this behalf is payable, or

(vii) an owner in his own right of land free of revenue, if the land revenue nominally assessed on such land in order to determine the amount of rates payable in respect of the same, either alone or together with land revenue payable in respect of other land by such owner, amounts to a minimum sum to be fixed by rule in this behalf, or

(viii) a fixed-rate tenant, ex-proprietary or occupancy tenant of land in respect of which rent amounting to a minimum sum per annum to be prescribed in this behalf is payable or in the hill pattis of the Kumaun Khaikar :

Provided further that no qualification in su to (viii) of clause (b) shall apply to any municip. the qualification is made applicable by rule thereto :

Provided further that no qualification in sub-clauses (iv), (vi), (vii) or (viii) shall be higher than the corresponding qualification prescribed for the electors on Uttar Pradesh Legislative Assembly Electoral Roll :

Provided lastly that, notwithstanding anything contained in this section, no person shall be entitled to be enrolled in any municipality as an elector for the purposes of the first election held after the commencement of the United Provinces Municipalities (Amendment) Act, 1922, unless he either was entitled to be enrolled as an elector in the municipality immediately before the commencement of the United Provinces Municipalities (Amendment) Act, 1922, or is enrolled in the Uttar Pradesh Legislative Council Electoral Rolls.

U. P. Act IX of 1922.

U. P. Act IX of 1922.

(3) A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall not be entitled to be enrolled as an elector if he on the aforesaid date—

(a) has not attained the age of twenty-one years, or
(b) is not an Indian citizen, or
(c) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind, or
(d) is an undischarged insolvent, or
(e) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding one year or to transportation for an offence, which is declared by the State Government *to imply such moral* turpitude as to unfit him to be an elector or ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, 898, such sentence or order not having subsequently been reversed or remitted or the offender pardoned, or
(f) is in arrears in the payment of any sum to which section 166 applies :

Act V of 1898.

Provided that a disqualification under clause (e) shall not last for more than five years from the date of the release of the disqualified person from imprisonment or of the expiry of such sentence or order and it may be removed at any time by an order of the State Government.

७—धारा १५ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय

Electoral rolls.

15. The elected members of a board shall be persons elected by the electors of that municipality :

Provided that when a municipality is divided into wards for electoral purposes—

(a) a separate roll or separate rolls shall be prepared for each ward, and
(b) no person shall be entitled to enrolment on more than one ward roll, and
(c) a member representing a ward shall be elected by electors on the roll or rolls of the ward :

Provided also that where any class of the community in any municipality is declared by rule to be entitled to special representation among the elected members of the board,

(a) a separate electoral roll or separate rolls shall be prepared for such class, and

(b) no person belonging to such class shall be entitled to be enrolled on a roll other than a roll prepared for his class, and

(c) a member representing such class shall be elected by electors on the roll or rolls, of the class.

८—धारा १६ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय :—

Candidates list.

16. (1) Subject to the exception stated in sub-section (2) every person enrolled as an elector in the municipal electoral roll shall be qualified for election.

(2) A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall not be entitled to stand as a candidate for election if he—

(a) has been dismissed from the service of the Government and is debarred from re-employment therein or

(b) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(c) holds any place of profit in the gift or disposal of the municipal board, or

(d) is disqualified under section 27 or 41, or

(e) is a stipendiary magistrate or police officer, or

(f) is unable to read and write English or at least one of the vernaculars of the State :

Provided that in cases (a) and (b) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

९—धारा १७ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Definition of certain terms in sections 14, 15 and 16.

17. For the purposes of sections 14, 15 and 16—

(a) "person" means an individual human being, and

(b) a person shall be deemed to pay a tax directly, if he pays the tax himself or through a legally appointed agent.

१०—निम्नलिखित धारा १८ के रूप में बढ़ा दिया जाय —

Provision by rule for enrolment of managers, trustees, etc.

18. The provision of sections 14, 15, 16 and 17 shall be subject to any rule conferring on the manager or representatives of an undivided family or of any company or firm or other association or body of individuals, or any trustee of any fund, a right to vote or to be elected a member of a board.

११—धारा २९ में निम्नलिखित खंड (a) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

Conduct of electors and kindred matters.

"(a) with reference to section 14 the minimum amounts, salaries or sums qualifying a person to be an elector,"

१२—धारा ३० के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Control of Board

Power of State Government to dissolve or supersede board.

30. If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the State Government that a board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this or any other enactment or in exceeding or abusing its powers, the State Government may, after taking into consideration the explanation of the board, by an order published with the reasons making it in the Official *Gazette* either dissolve the board or supersede it for a period to be specified in the order.

Explanation—The period of supersession specified in the order may, if the State Government so considers expedient, be extended from time to time by notification.

१३—धारा ३१ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Consequences of supersession of board.

31. When a board is superseded by an order under section 30—

(a) all members of the board shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such members, but without prejudice to their eligibility for election or nomination under clause (e);

(b) during the supersession of the board, such person or persons as the State Government appoints in this behalf may exercise and shall perform, so far as may be, the powers and duties of the board, and shall be deemed the board for all purposes;

(c) during such supersession, all property vested in the board shall, pending or in default of the appointment of a person or persons under clause (b), vest in the State;

(d) during such supersession of the operation of any notification under section 9 or 10 and of any order under section 11 shall remain in abeyance, but thereafter, shall revive; and

(e) before the expiry of the period of supersession elections shall be held or nominations made or both, as the case may be, for the purpose of reconstituting the board.

१४—धारा ३१-ए के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Consequence of dissolution of board.

31-A. When a board is dissolved by an order under section 30—

(a) all members of the board except the chairman shall, on a date to be specified in such order, vacate their offices as such members, but without prejudice to their eligibility for election or nomination under clause (b);

(b) elections shall be held or nominations made or both, as the case may be, on a date prior to the date mentioned in clause (a) to be specified in the said order for the purpose of reconstituting the board;

(c) the provisions of sections 43 and 44 shall apply as if the election was being held after a general election of the members of the board.

१५—धारा ३८ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Term of office of members.

38. (1) The term of office of a member of a board shall begin from the date upon which he is declared by the returning officer to be elected or from the date of his nomination or from the date upon which the vacancy occurs for which he is elected or nominated to fill if the vacancy occurs subsequent to the election or nomination, and shall cease, subject to the provisions of sections 39 and 40, upon the first day of the general election.

(2) The term of office of an *ex officio* member, other than a member who holds office by reason only of being chairman, shall continue during the pleasure of the authority nominating him, and shall commence from the date of nomination or, when the nomination has been made before the vacancy has occurred, from the date on which the vacancy occurs.

Provided also that a person ceasing to be a member by reason of the expiry of his term of office shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination:

१६—धारा ४० की उपधारा (४) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"Provided also that the State Government may place under suspension a member against whom an inquiry relating to the abuse of his position as a member is pending in a court of law, or under the orders of the State Government or the Commissioner, till final orders have been passed on the legal proceedings or the inquiry as the case may be. Such member shall take no part in any proceedings of the board during the period of suspension."

१७—धारा ४१ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं —

उपधारा (१) में शब्द "election" के पश्चात् आये हुए अर्धविराम (comma) और शब्द "co-option" निकाल दिये जायं।

१८—धारा ४२ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं —

शब्द "co-opted" और उसके पहिले और बाद के अर्धविराम (comma) हटा दिये जायं।

१९—धारा ४३ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Election or nomination of chairman.

43. (1) All members and persons qualified to be members of the board shall be eligible for election to the office of chairman of the board: provided that no whole-time salaried

Government servant and no member or servant of a board shall be so eligible.

Explanation—A Government Pleader or an Assi- Government Pleader, an Honorary Magistrate, an Hono- rary Assistant Collector or an Honorary Munsif but Government treasurer shall not be deemed to whole-time salaried servant of the Government within meaning of this sub-section.

(2) When a board is completed after a general ele- it shall elect its own chairman in the manner provid- section 44: provided that if any board fails to do so the Government shall nominate a chairman for that A board shall be deemed to be complete if all the el- seats have been filled up after a general election.

(3) The State Government may by notification in Official *Gazette* declare that the provisions of sub-sec- (2) shall not apply in the case of a board specified in notification, and shall in such case nominate such pers- it thinks fit to be chairman of such board: provided that such notification shall be operative for more than one ye- respect of any board, the chairman of which on April 1, 1 was not a Government servant.

(4) If there is a question whether the chairman of a bo- was duly qualified for election or has been duly selected nominated under this section the decision of the St- Government shall be final.

२०—धारा ४४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय —

Procedure for election of chairman

44. (1) For the purpose of electing a chairman un- sub-section (2) of section 43, a meeting of the board of wh- no previous notice shall be required to be given shall be h- at the office of the board at 2 p. m. on a date which shall subsequent to the election of members of the board and s- be fixed by the State Government by notification in the Offi- *Gazette*.

(2) A stipendiary civil judicial officer previously appoin- by the State Government in this behalf shall act as chairm- of a meeting held under the provisions of this section: provid- ed that the chairman of a meeting held under the provision of this section shall have no right to vote thereat.

(3) The following procedure shall be observed at a meeting held, under the provisions of this section, namely—

(*a*) if only one duly qualified candidate is proposed and seconded he shall be deemed to be elected.

(*b*) If two but not more than two duly qualified candi- dates are proposed and seconded, the candidate who obtains the greater number of votes shall be deemd to be elected.

(c) If more than two duly qualified candidates are proposed and seconded, the names of the two candidates who obtain the greatest number of votes shall again be put to the vote and the candidate who then obtains the greater number of votes shall be deemed to be elected.

(d) Every member who desires to vote shall write the name of the candidate for whom he wishes to vote upon a blank voting paper and shall also sign his own name thereof, and the voting papers shall form part of the minutes of the proceedings.

(e) In case of equality of votes the chairman shall decide the question by drawing lots.

(4) If at 4 p. m. on the date of a meeting held under the provisions of this section a chairman has not been elected the meeting shall stand adjourned.

(5) If a meeting is adjourned under the provisions of sub-section (4) the adjourned meeting shall be held at 2 p. m. at the office of the board on the seventh day after the adjournment and the procedure shall be the same as at the previous meeting.

(6) If at 4 p. m. on the date of an adjourned meeting held under the provisions of sub-section (5), a chairman has not been elected, the chairman of the meeting shall send the minutes of the meeting and of the adjourned meeting to the District Magistrate who shall send them to the State Government.

२१—धारा ४४-ए के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय --

44-A. (1) If a casual vacancy in the office of chairman occurs owing to the death, resignation or removal of the chairman, a meeting of the board for the purpose of electing a chairman shall be held on such day as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint after the occurrence of the vacancy. Election or nomination of chairman on casual vacancy.

(2) To a meeting held under sub-section (1) the provisions of section 44 shall apply as far as may be.

(3) If the board fails to elect a chairman under the provisions of this section the State Government shall nominate a chairman.

(4) When there is a question whether a chairman of a board has been duly elected or nominated under the provisions of this section the decision of the State Government on the question shall be final.

२२—धारा ४६ में निम्नलिखित संशोधन किये जाय --

उपधारा (२) में संख्या "४८" और शब्द "the" के मध्य शब्द "and notwithstanding anything in section 38" रखे जायं।

२३—धारा ४७-ए (47-A) निकाल दी जाय।

२४—(क) धारा ४८ की उपधारा (१) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

"A chairman in respect of whom an order has been made under section 40 removing him from the board as a member shall thereupon cease to be chairman."

(ख) उपधारा (२) में शब्द "President" के स्थान में "Chairman" रख दिया जाय।

२५—धारा ६९-ए (69-A) निकाल दी जाय।

२६—धारा ८७-ए (87-A) के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

Motion of non-confidence against chairman.

87-A. (1) Subject to the provisions of this section a motion expressing non-confidence in the chairman shall be made only in accordance with the procedure laid down below.

(2) Written notice of intention to make a motion of non-confidence in its chairman, signed by such number of members of the board as constitute not less than one-half of the total number of members of the board, together with a copy of the motion which it is proposed to make, shall be delivered in person together by any two of the members signing the notice to the District Magistrate.

(3) The District Magistrate shall then convene a meeting for the consideration of the motion to be held at the office of the board, on the date and at the time appointed by him which shall not be earlier than thirty and not later than thirty-five days from the date on which the notice under sub-section (2) was delivered to him. He shall send by registered post not less than seven clear days before the date of the meeting, a notice of such meeting and of the date and time appointed therefor, to every member of the board at his place of residence and shall at the same time cause such notice to be published in such manner as he may deem fit. Thereupon every member shall be deemed to have received the notice.

(4) The District Magistrate shall arrange with the District Judge for a stipendiary civil judicial officer to preside at the meeting convened under this section, and no other person shall preside thereat. If within half an hour from the time appointed for the meeting, the judicial officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and the time, to be appointed and notified to the members by that officer under sub-section (5).

(5) If the judicial officer is unable to preside at the meeting he may, after recording his reasons, adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint, but not later than fifteen days from the date appointed for the meeting under sub-section (3). He shall without delay communicate in writing to the District Magistrate the adjournment of the meeting. It shall not be necessary to send notice of the date

and the time of the adjourned meeting to the members individually, but the District Magistrate shall give notice of the date and the time of the adjourned meeting by publication in the manner provided in sub-section (3).

(6) Save as provided in sub-sections (4) and (5) a meeting convened for the purpose of considering a motion under this section shall not for any reason be adjourned.

(7) As soon as the meeting convened under this section has commenced, the judicial officer shall read to the board the motion for the consideration of which it has been convened and declared it to be open for discussion.

(8) No discussion on any motion under this section shall, be adjourned.

(9) Such discussion shall automatically terminate on the expiry of three hours from the time appointed for the commencement of the meeting, unless it is concluded earlier. Upon the conclusion of the debate or upon the expiry of the said period of three hours, as the case may be, the motion shall be put to the vote of the board.

(10) The judicial officer shall not speak on the merits of the motion, nor shall he be entitled to vote thereon.

(11) A copy of the minutes of the meeting together with a copy of the motion and the result of the voting thereon shall on the termination of the meeting, be forwarded forthwith by the judicial officer to the District Magistrate for submission to the State Government.

(12) The motion shall be deemed to have been carried only when it has been passed by a majority of more than half of the total number of members of the board, and when it has been so carried the State Government shall by notification in the Official *Gazette* remove the chairman, and the chairman shall be deemed to have vacated office with effect from the date of publication of the notifications.

(13) If the motion is not carried by a majority as aforesaid, or if the meeting cannot be held for want of a quorum, no notice of any subsequent motion of non-confidence in the same chairman shall be received until after the expiry of a period of twelve months from the date of the meeting.

(14) No notice of a motion of non-confidence under this section shall be received within twelve months of the assumption of office by a chairman.

(15) Nothing done by any member of the board, the District Magistrate, the judicial officer or the State Government in pursuance of the provisions of this section shall be questioned in any Court.

२७—धारा ११३ में निम्नलिखित संशोधन किये जायंगे—

शब्द "President or" और शब्द "as the case may be" निकाल दिये जायं।

२८—धारा ११७ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं —

शब्द "In the manner prescribed" निकाल दिये जायं।

२९—धारा २९६ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं —

उपधारा (१) में आंकड़े, शब्द और अक्षर "43-A and 44-A" निकाल दिये जायं।

३०—धारा ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५३-ए, ५४, ५५, ५६, ५९, ६०, ६२, ६४, ७०, ७४, ७५, ७६, ७७, ८२, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२ ९४, ९७, ९८, १०४, १०७, १०८ ११०, ११२, १४४, १५९, १६९, १७२, १८२, २२६, २४३, २८७, २८८, ३१५, शेड्यूल I और शेड्यूल VII में जहां कहीं भी शब्द "President" "Vice-President" और "Vice-Presidents" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Chairman" "Vice-Chairman" और "Vice-Chairmen" रक्खे जायंगे।

३१—(१) शेड्यूल I (ए) में स्तम्भ (column) १ में संख्या १३ के नीचे सं० "४३" रक्खी जायगी और स्तम्भ २ के सामने शब्द "To elect a Chairman" रक्खे जायेंगे।

(२) धारा १२४ के सामने स्तम्भ ३ में से शब्द "May be delegated if the transfer relates to movable property" निकाल दिये जायेंगे।

३२—शेड्यूल ७ में ४७-ए से संबंध रखने वाली निविष्टियां (entries) निकाल दी जायं।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९४८ द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में बढ़ायी गयी धारा ३३६-ए में और विषयों के अतिरिक्त इस बात की भी व्यवस्था की गयी थी कि उक्त ऐक्ट के अधीन जब तक कि नयी बोर्ड न बन जायें, अन्तराल की अवधि की सुविधा के लिए राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा यह आदेश दे सकती है कि उक्त अधिनियम का प्रभाव ऐसे अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन के अधीन, जो निर्दिष्ट किये जायं, निर्दिष्ट सीमित अवधि में होगा।

हाई कोर्ट के हाल के एक निर्णय में यह व्यवस्था दी गयी है कि उक्त अधिनियम का अनुकूलन, परिवर्तन या संशोधन विधान मंडल के अधिकार में है और यह काम राज्य सरकार को नहीं सौंपा जा सकता। तदनुसार अन्तराल की कठिनता के दूर करने के उद्देश्य से उक्त अनुकूलन, परिवर्तन और संशोधन को अधिनियम द्वारा करने का विचार ह। ये विधेयक की अनुसूची में दिये गये हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य से वर्तमान विधयक प्रस्तुत किया जाता है।

आत्माराम गोविंद खेर,
मन्त्री, स्थानीय स्वशासन।

जी० एस० यू० पी०—२७० एल० ए०—१९५१—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ फरवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४१)

अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इलाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
जैपत सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
परागी लाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेम लाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
बीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—४—श्री भगवानदीन मिश्र—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*५—९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*१०—श्री गजाधर प्रसाद—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किया गया।]

*११—१५—श्री खुशीराम—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २, मार्च सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*१६—१९—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*१९-क—श्रीमती लक्ष्मी देवी—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किया गया।]

*२०—२२—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—[स्थगित किये गये।]

*२३—श्री रामकुमार शास्त्री—[माननीय निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किया गया।]

*२४-२५—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—[वापस लिये गये।]

*२६-२७—श्री गंगा सहाय चौबे—[माननीय अन्न मंत्री से सम्बद्ध दूसरे बृहस्पतिवार के लिए स्थानान्तरित किये गये।]

*२८-२९—श्री राम कुमार शास्त्री—[माननीय निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*३०-३१—श्री राधामोहन सिंह—[माननीय निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

*३२-३४—श्री गुरु नारायण—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—४—श्री वीरेन्द्र शाह—[माननीय कृषि मंत्री से सम्बद्ध दूसरे सोमवार के लिए स्थानान्तरित किये गये।]

५—९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[माननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ मार्च, सन् १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।]

माननीय मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों को स्थगित करने पर माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष--आज के कार्यक्रम में जो प्रश्न हैं माननीय सदस्य देखेंगे कि माननीय मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये हैं। मैंने यह दिन बांटने का तरीका माननीय मंत्रियों की सुविधा के लिए अख्तियार किया था, जिससे कि वे सवाल के वक्त इस सदन में रहें और और कामों को और दिनों में कर लें। यह तरीका तब ही चल सकता है जब माननीय मंत्रीगण पाबंदी के साथ कम से कम उन दिनों में यहां उपस्थित रहें जिन दिनों उनके प्रश्न हैं। मुझे यह बतलाया गया है कि बाहर के प्रोग्राम इससे पहले बनाये गये थे। मैं यह आशा करता हूं कि इस सदन के काम का लिहाज करते हुए आइंदा प्रोग्राम बनाया जायगा और ऐसा कोई अवसर न आयेगा जब सवालों को मुल्तवी करना पड़े। वैसे ही सवालों की इत्तला इकट्ठा करने में वक्त लगता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि बहुत कम मौके ऐसे होंगे जब कि कोई माननीय मंत्री मुझसे यह कहें कि उनकी अनुपस्थिति के कारण सवालात मुल्तवी कर दिये जायं।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्राप्त करने के संबन्ध में श्री राघवदास का प्रार्थना-पत्र

माननीय अध्यक्ष--श्री राघव दास के प्रार्थना-पत्र पर जो उन्होंने सदन से अनुपस्थित रहने के लिए भेजा है, जो नत्थी (ख) में कार्यक्रम पर है, उस पर विचार होगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०१ पर)

यह प्रार्थना-पत्र ९ फरवरी, सन १९५१ ई० का है। इसमें यह छपने से रह गया है। इसमें वह कहते हैं कि वह बीमार हैं और इस सिलसिले में स्वास्थ्य सुधार के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं। इसलिए वह दो महीने की छुट्टी मांगते हैं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री राघव दास का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा अपनी १५ जनवरी, सन् १९५१ ई० को बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ जनवरी, सन् १९५१ ई० को बैठक में बिना किसी सिफारिश के पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति १ फरवरी, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।

श्री गणेश कृष्ण जैतली की मृत्यु के कारण राज्य के स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के स्वास्थ्य बोर्ड के एक सदस्य, श्री गणेश कृष्ण जैतली की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, एक सदस्य का निर्वाचन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राज्य के स्वास्थ्य बोर्ड के एक सदस्य, श्री गणेश कृष्ण जैतली की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, एक सदस्य का निर्वाचन किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—मैं इस चुनाव के लिए यह कार्यक्रम निर्धारित करता हूं। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए २७ फरवरी, सन् १९५१ ई० के दो बजे दिन तक।

नाम निर्देशन-पत्र की सूक्ष्म परीक्षा के लिए २८ फरवरी सन् १९५१ ई० के १ बजे दिन तक।

नाम वापस लेने की तिथि तथा समय—१ मार्च, सन् १९५१ ई० के दो बजे दिन तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हो ३ मार्च, सन् १९५१ ई० के १२ बजे दिन से ४ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक †

(एप्रोप्रियेशन बिल)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

इससे साफ जाहिर है कि इसमें वही मदें हैं जिन्हें दो दिन पहले सदन ने स्वीकार किया है। नियमानुसार इन मदों को मैं पेश कर रहा हूं ताकि कंसालिडेशन फंड (संचित निधि) से रुपया निकाला जा सके। इसी प्रथा का पालन हमने पहले पूरक विनियोग विधेयक के संबंध में भी किया था। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय इस वर्ष का यह द्वितीय अनुपूरक विधेयक हमारे सामने पेश है। पिछला एप्रोप्रियेशन बिल १५ जनवरी को इस सदन ने मंजूर किया था। इस विधेयक के द्वारा ७,३०,४३,५०० रुपये की मंजूरी मांगी गयी है। इस मौके पर मेरे लिए यह मुनासिब न होगा कि मैं इस विधेयक के अन्दर जो मांगें पेश की गयी हैं उनकी तफसील में जाऊं। इस आदरणीय सदन ने उन सब को अभी दो दिन हुए स्वीकार किया है, लेकिन इस मौके पर मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि अनुपूरक मांगों की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके लिए संविधान में और हमारे इस सदन के स्वयं नियमों में क्या कायदे हैं। श्रीमान्, मुझे परसों इन अनुदानों के सिलसिले में जिसके संबंध में यह विधेयक हमारे सामने उपस्थित है माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि सप्लीमेंटरी बजट्स लाजिमी चीज हैं और उसके साथ-साथ यह भी कहा सप्लीमेंटरी बजट्स के सिलसिले में कि इस सदन को बार-बार मौका मिलता है कि वह सरकार की नीति पर आलोचना कर सके और जो खर्चा सरकार कर रही है उसकी निगरानी और देखरेख कर सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा सप्लीमेंटरी बजट्स के खिलाफ शिकायत करने के माने यह हैं कि वह अपना बजट इतना लम्बा चौड़ा बनायें जिसमें सब खर्चों की गुंजाइश रहे और इस बात की जरूरत पेश न आये कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस आदरणीय सदन के सामने पेश हों जैसा कि मैंने अर्ज किया। मुझे उनको इन बातों को सुन कर बड़ा अचम्भा हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी को राजस्व के सिलसिले में जानकारी की एक खास शोहरत है। उनका यह कहना कि हम बहुत ज्यादा खर्च की

† विधेयक की धारायें पृष्ठ २०२ पर और उद्देश्य और कारणों का विवरण नत्थी 'ख' में छपा है।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मदें रख दें तो सप्लीमेंटरी बजट की जरूरत पेश नहीं आयगी। जब आप खर्चा रखते हैं तो लाजिमी है आप के लिए कि आप यह भी बतलायें कि इस खर्चे को पूरा कहां से करेंगे? आप ४ करोड़ या ६ करोड़ चाहते हैं और आप देखते हैं कि एक मद में जो खर्चा है उसे बढ़ाकर रख दें, बहुत अच्छा है रखिए, लेकिन उसके लिए आप को यह भी बतलाना होगा कि यह रुपया कहां से आयेगा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि उनकी इस बात को सुन कर मैं स्तंभित रह गया कि आखिर यह क्या कह रहे हैं, कोई नया सिद्धान्त बयान कर रहे हैं या मैं गलत समझ रहा हूं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद उनका ख्याल यह था कि इस आदरणीय सदन में बजट के समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम ही नहीं, बल्कि बिल्कुल है ही नहीं सिवा उनको अकेले छोड़ कर। इस बात को, श्रीमन्, आप गौर करें वह फरमाते हैं कि जो लोग एतराज करते हैं उनको ज्ञान नहीं है अगर वह लम्बी रकमें रख देते, लेकिन लम्बी रकमें रख देते इस बात के लिए मदें होतीं और एक मद से दूसरे मद में ट्रांसफर करना चाहते हैं बजट के रुपये को भी तो आप देखें कि इसके लिए लेजिस्लेचर का सैंक्शन, उसकी मंजूरी लेना आवश्यक है। लेकिन मालूम नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैसे यह बात कही। मैं खासतौर पर जिस तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह संविधान के अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं:

"The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement......"

[यदि—

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अवेक्षित न की गयी किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिए मांग उपस्थित करायेगा।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि संविधान की इस धारा के अन्तर्गत दो तरह की मदें हैं जिनके संबंध में सप्लीमेंटरी डिमांड्स यहां आ सकते हैं। एक तो वे मदें हैं जिनके बारे में जो खर्चा रखा गया है लेकिन खर्चे में कमी मालूम हुई है। दूसरी वे मदें हैं जिनके बारे में कोई खर्च नहीं रखा गया है, जिनका कोई अनुमान या ज्ञान बजट के बनाते समय नहीं था। केवल इन दो बातों के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस आदरणीय सदन

के सामने आ सकते हैं और श्रीमन्, उसके लिए यह जरूरी है कि वह रुपया जब तक इस आदरणीय सदन में मंजूर न हो गया हो तब तक खर्च न हुआ हो। क्योंकि साफ-साफ संविधान के अनुच्छेद में शब्द लिखे हुए हैं "टू बी एक्सपेंडेड" (व्यय किये जाने के लिये)। इसी के साथ-साथ जो इसका खंड (२) (ब) मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है—

"If any money has been spent on any service during a financial year. .. .." (किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, यदि कोई धन व्यय हो गया हो . . .)

अगर रुपया खर्च हो जाय तो उसके लिए एक्सेस ग्रांट (अतिरिक्त अनुदान) आना चाहिए और अगर रुपया खर्च न हुआ हो, खर्च की जरूरत हो तो ऐसी मदें मंजूरी के लिए आदरणीय सदन के सामने आनी चाहिए। अगर किसी मद की मंजूरी आदरणीय सदन से हासिल न कर ली गयी हो और जिसका जिक्र बजट में न हो तो उनके लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स (अनुपूरक मांग) आदरणीय सदन के सामने आना चाहिए। मेरे मित्र माननीय श्री खुशवक्त राय जी, जो लखीमपुर के सदस्य हैं उन्होंने इस सिलसिले में जब जनवरी मास में सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस आदरणीय सदन के सामने आये थे, तो एक वैधानिक आपत्ति उठायी थी और श्रीमन्, मुझे याद है कि आपने भी इस सिलसिले में अपनी राय प्रकट की थी। इसी सिलसिले में मेरे दूसरे मित्र श्री गोपाल नारायण जी सक्सेना ने एक आपत्ति अभी दो दिन हुए इस आदरणीय सदन में श्रीमन् की सेवा में उपस्थित की थी। मुझे अफसोस है कि बावजूद संविधान के इस अनुच्छेद के सरकार की तरफ से कोई भी फांट नहीं किया गया कि एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंटरी डिमांड दोनों अलग-अलग आना चाहिए। ताकि इससे यह मालूम हो सके कि दरहकीकत कितना रुपया सरकार खर्च कर चुकी है और कितना रुपया सरकार और खर्च करना जरूरी समझती है जिसके लिए हमारी मंजूरी होनी चाहिए।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करूंगा कि बजट इस आदरणीय सदन के सामने आता काहे के लिए है क्यों इस बात की कोशिश की जाती है कि इस साल के शुरू होने के पहले बजट की मंजूरी हासिल कर ली जाय। यदि ३१ मार्च के कब्ल मंजूरी इस सदन की हासिल न हो जाय या वोट आफ अकाउन्ट (लेखानुदान) से वह मंजूर न हो जाय तो सरकार को उस पर अमल करने का अख्तियार नहीं है। इस बजट के सिलसिले में इस आदरणीय सदन का यह तरीका है कि वह उसके ऊपर नियन्त्रण रख सके। बिना उसकी मंजूरी के एक पाई भी सरकारी खजाने से कोई निकाल नहीं सकता। मुझे ताज्जुब है कि मेरे सामने जो लेखा है और उसमें जो ग्रान्ट नम्बर २ है इस सिलसिले में मैं देखता हूं कि बावजूद इसके कि बजट जो मंजूर हुआ था उस मद का उसमें कोई जिक्र नहीं है। अगर उस मद का जिक्र होता तो एक्सेस ग्रान्ट खर्च करके निकाल सकते थे। अनफोरसीन एक्सपेंडीचर (अतर्कित व्यय) के लिये बजट में एक पैसा भी मंजूर नहीं किया गया, लेकिन आपने १,२०० रुपये कंटिन्जेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) से निकाल कर खर्च कर दिये हैं। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि यह एक्सपेंडीचर अनअथोराइज्ड (अनधिकृत) है। मुझे हैरत है कि आडीटर जनरल (महालेखा-परीक्षक) और एकाउन्टेंट जनरल (महांकिक) ने इसके सिलसिले में कोई एतराज क्यों नहीं किया है। इस आदरणीय सदन का जो इस बजट के ऊपर नियंत्रण है उसको आप एक स्वांग बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि एक्सेस डिमाण्ड आप शामिल करके ले आयें। इसके बारे में खर्चे की जरूरत थी और आपने उसको खर्च कर दिया। सप्लीमेंटरी डिमाण्ड की यह मद थी लेकिन आपने उसमें खर्च नहीं किया और अब इस आदरणीय सदन को मंजूरी लेना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि बजट के बारे में सप्लीमेंटरी डिमान्ड जब इस सदन के सामने आती है तो सदन के माननीय सदस्यों को यह अधिकार हो जाता है कि वह इस सम्बन्ध में जो नीति हो उसका सवाल उठाये और उसके बारे में विवाद करने की अनुमति आपसे हासिल करें। यह प्राविजन (उपबंध) जो संविधान में

[श्री त्रिलोकी सिंह]

रखा गया है वह इसी गर्ज से रखा गया है । मुझे अफसोस है कि यह प्रश्न इस आदरणीय सदन के सामने कई बार आ चुका है लेकिन सरकार अपने उसी पुराने ढर्रे पर चली जा रही है । जितनी सप्लीमेंटरी डिमांड हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि कितनी रकम खर्च कर चुके हैं और कितनी रकम हमारी बिना मंजूरी के खर्च हो चुकी है । श्रीमन्, मैं यह अर्ज करूंगा कि बजट में ३ हिस्से होते हैं । एक तो बजट का प्रिपेअरेशन होता है और उस बजट के तैयार करने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है और उस बजट को मंजूर करने का काम इस आदरणीय सदन का होता है और मंजूरी होने के बाद उस बजट पर अमल करने का काम फिर मंत्रिमंडल का होता है । तो आप देखें कि आज हमारे लिये यह बड़ी मुसीबत है । बिलफेल मैं इस राय का हूं कि यह खर्चा जो सरकार कर चुकी है उसको हम नामंजूर कर दें और खासकर उन मदों को तो हम नामंजूर कर ही सकते हैं जिनका बजट में किसी तरह से जिक्र नहीं था । जिनका जिक्र था उनको आप ले आयें वहां पर अगर १ लाख के बजाय डेढ़ लाख रुपया भी खर्च हो गया है तो वह मंजूर हो सकता है सिर्फ इसमें कुछ कमी बेशी का सवाल हो सकता है लेकिन जिन मदों को मंजूर नहीं किया गया था जो सामने नहीं आई थीं उनके बारे में उनको क्या अधिकार था कि वह बिना इजाजत के कंटिन्जेंसी फंड (आकस्मिकता निधि) से निकाल कर खर्च कर दें । कंटिन्जेंसी फंड के सिलसिले में संविधान के अनुच्छेद २६७ (२) यह कहता है कि--

"The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled 'the Contingency Fund of the State' into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor or Rajpramukh of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under article 205 or article 206."

(राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में "राज्य की आकस्मिकता निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये, अग्रिम धन देने के लिये उसको योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेगी ।)

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह था और मैं यह उम्मीद करूंगा कि आइन्दा साल जब कभी भी सप्लीमेंटरी बजट इस आदरणीय सदन के सामने आवे तो वह २ हिस्सों में होना चाहिये यानी एक्सेस (अतिरिक्त) ग्रान्ट अलग और सप्लीमेंटरी ग्रान्ट अलग ।

जहां तक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट का सवाल है मैं पहले भी एक दिन अर्ज कर चुका हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री की उस बात के उत्तर में खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि दुर्भाग्यवश वह इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं कि उनका यह कहना कि सप्लीमेंटरी बजट के बिना काम नहीं चल सकता हिल्टन यंग के "सिस्टम आफ नेशनल फाइनेन्स" में पेज ८९ पर सप्लीमेंटरी बजट के संबंध में लिखा हुआ है कि--

"Because of the long forecast that has to be made in preparing the estimates, supplementary estimates may often be a necessity but they are always a necessary evil. To allow the scheme once approved to be treated as something still fluid and liable to extensive modifications must infinitely weaken effective control and supplementary estimates are the most harmful way of doing so. They are a diseased excrescence of the year's finance and the skill and success in finance of the Ministry and the Executive may be measured by their ability to do without them.

(प्राक्कलनों के तैयार करने में उस दीर्घ पूर्व निरूपण के कारण अनुपूरक प्राक्कलन प्रायः आवश्यक हो सकते हैं, किन्तु वे सर्वदा एक आवश्यक दोष हैं। एक बार अनुमोदित योजना को नम्यशील बनाने तथा उसमें व्यापक सुधारों की संभावना को विद्यमान रखने के प्रभावी नियंत्रण में सदा के लिये कमी आ जायगी और अनुपूरक प्राक्कलनों द्वारा ऐसा करना सर्वाधिक हानिकारक रीति है। वे वार्षिक बिल के रोगग्रस्त कोढ़ की भांति हैं और मंत्रिमण्डल तथा कार्यपालिका की बिल में सफलता और असफलता इसी से मापी जाती है कि उनके बिना काम चलाने की उनमें कितनी क्षमता है।)

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस तरह की मांगें हमारे सामने आई हैं और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसमें अधिकतर ऐसी मदें हैं कि जिनको अनफोरसीन (अनवेक्षित) नहीं कहा जा सकता और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में बगैर आविकल किया समझे हुये कि जितने खर्च की जरूरत है या नहीं है रख दिया गया है और बावजूद इसके कि जो अफसर स्कीम के जिम्मेदार थे और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनको अमल में लाने के लिये उन्होंने ज्यादा रुपया मांगा और बिना समझे बूझे रुपया मनमाने ढंग से काट दिया गया। मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट जरूरी है और आम तौर से साल के आखिर में सप्लीमेंटरी डिमांड्स आती हैं। लेकिन वह अनफोरसीन हों और वह ऐसी हों कि जो आप ने प्लान बनाया है जो आप के एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) हैं उनमें वाकई कोई ऐसी बात पेश आये, जिससे आपको चूक न साबित हो। हम देखते हैं कि जिन मदों में आम तौर से कमी हुई है उनमें कहीं मांग की गई थी ४२ हजार की और आप ने उसको ७ हजार कर दिया, किसी हिसाब से काम होता है, कोई तुक होता है, कोई ढंग होता है, यह नहीं कि मनमाने तौर पर कहीं ज्यादा कर दिया और कहीं कम कर दिया। मैं आशा करूंगा कि आइन्दा इस तरह सप्लीमेंटरी डिमाण्ड की नौबत पेश न आयेगी और अगर आयेगी तो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड और एक्सेस डिमाण्ड के लेखे अलग-अलग इस आदरणीय सदन के सामने आयेंगे।

श्रीमन्, दूसरी बात इस संबंध में मुझे यह अर्ज करनी है कि बहुत सी मदें ऐसी हैं कि जिन के मुताल्लिक यह कहा गया है कि उनके अन्दर सेविंग या बचत हो गई है और उस बचत से यह फालतू खर्च पूरा कर दिया जायगा। मैं जानता हूं कि जहां तक बजट के सिलसिले की बात है उसके संबंध में विवाद करने का हक मुझे इस समय नहीं है लेकिन जब आप यह लाते हैं कि भवन रकम को मंजूर कर चुका है और उसके साथ-साथ आप कहते हैं कि यह फलां मद की बचत से जिसको यह आदरणीय सदन मंजूर कर चुका है पूरी हो जायगी तो हमें खटका और परेशानी होती है कि बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें और जरूरी खर्च हैं जिनको हम मंजूर कर चुके हैं उनको यह राज्य या मंत्रिमंडल इस साल के अन्दर नहीं कर पाया और जब ऐसी चीज हमारे सामने आती है तब हमको एक शुबहा पैदा होता है, एक परेशानी उसके बाद पैदा होती है कि नक्शे का प्लान या, एस्टीमेट्स थे, जो क्या बात है, कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से वह प्लान अमल में न लाया जा सका? तो मैं उम्मीद यह करूंगा कि जहां तक नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स का सवाल है जिनमें जाहिर सी बात है कि कमी होती है, उन मदों में इस बात की कमी होना यह सबूत है कि हम गाफिल हैं, हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं न सोशल सर्विसेज की तरफ जो हमारी सामाजिक रीढ़ हैं जिनका कायम रखना, जिनको तरक्की देना, जिनके प्रसार को करना, जिनके फैलाव को बढ़ाना हमारी बहबूदी और भलाई के लिये बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में, श्रीमन्, मुझे यह भी अन्देशा होता है कि सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उसमें बड़ा ढीलापन हमें दिखायी देता है। श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में जब ये ग्रांट्स इस सिलसिले में आयी थीं तो कुछ प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के वर्किंग के संबंध में मैंने एक आपत्ति उठा कर माननीय माल मंत्री का ध्यान दिलाया था और मैंने यह निवेदन किया था कि इस प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट को जिस तरह से लागू किया जा रहा है वह किसानों के हित में नहीं है। मिसाल के तौर पर, श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था कि बबूल के छुट्टा दरख्त को भी काटने के लिये माननीय माल मंत्री की आज्ञा की जरूरत

[श्री त्रिलोकी सिंह]

होती है। माननीय माल मंत्री ने तथा कुछ और भी माननीय सदस्यों ने प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट का हवाला दिया और उसकी कुछ धाराओं का जिक्र किया। धारायें एक तरफ होती हैं, अमल देखा जाता है। मैं आज वे कागजात अपने साथ ले आया हूं। खुद मैंने एक दरख्वास्त डिवीजनल आफिसर, अवध लैंड मैनेजमेंट डिवीजन को १५ नवम्बर, सन् १९५० ई० को दी कि वे बबूल के दरख्त काटने की इजाजत मुझे दें। उस दरख्वास्त में मैंने लिखा था—

"Self-grown *babul* trees scattered over a wide area in village Barawan Kalan, paragana so and so"

(बरावां कलां, अमुक परगना में एक विस्तृत क्षेत्र में स्वयंभू बबूल के छितरे हुये वृक्ष)

मेरा जाती इल्म है, मैंने वह फाइल भी देखी है। मेरे ऊपर खास इनायत करके डिवीजनल फारेस्ट आफिसर साहब उस मौजे में गये। उस मौजे का रकबा १,५०० एकड़ है। एक दरख्त यहां लगा हुआ है, दूसरा पचास कदम पर है, तीसरा सौ कदम पर है, चौथा आधा मील पर है और उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी जो मेरी आंखों की देखी हुई है कि पूरे गांव में ये दरख्त यहां से वहां तक लगे हुये हैं। माननीय माल मंत्री ने यह भी कहा कि उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। उन साहब ने मुझसे यह कहा कि यह तो चीज कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स करते हैं। उनको जब मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे मिला तो उन्होंने यह फरमाया कि यह मामला गवर्नमेंट का है और उसको हम गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं। ३ जनवरी को चीफ कंजरवेटर आफ़ फारेस्ट्स कहते हैं —

"Will you kindly refer to your letter quoted above, regarding permission to fell *babul* trees in village . . . The matter has been referred to Government."

(क्या आप उपरि-उध्द्धृत अपने पत्र का उपनिर्देशन करेंगे जिसका संबंध उस अनुज्ञा से है जो गांव . . . में बबूल-वृक्षों के कटने से है। यह विषय सरकार को निर्देशित कर दिया गया है।)

मैंने निगम साहब से अर्ज किया। निगम साहब ने मुझसे कहा कि मिनिस्टर साहब मंजूरी देंगे। मिनिस्टर साहब ने खुद मुझसे बतौर एहसान खास के यह कहा कि भाई, तुम्हारा मामला आया था, मैंने फौरन दस्तखत कर दिये। इसके बाद मुझे एक फेलिंग लाइसेन्स मिला, फेलिंग लाइसेंस नं० ७ आफ १९५१।

"The Lucknow Education Society, Lucknow, may fell and dispose of 150 *babul* trees in village . . . pargana, tahsil and district Lucknow. This permit is valid up to 30th June, 1951."

(लखनऊ की लखनऊ शिक्षा सोसाइटी १५० बबूल के वृक्षों को गांव . . . परगना, तहसील और जिला लखनऊ में काट सकती है। यह अनुज्ञापत्र ३० जून, सन् १९५१ तक मान्य रहेगा।)

इसमें है कि इस तरह से १५० पेड़ बबूल के विलेज बारावां कलां, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में हैं। इसमें तारीख ३० जून, सन् १९५१ ई० दी हुई है। यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि आप यह लाये थे इसमें और जो एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने हैं उसमें प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट की वर्किंग के सिलसिले में भी एक मद रखी थी और कहा है कि इसमें कुछ जरूरत आई थी और ८२ हजार रुपया मंजूर किया जाय। श्रीमन्, आप देखें कि हमने रुपया मंजूर किया और हम बजट मंजूर करते हैं कि इस प्रदेश की जनता को सुविधा हो और सरकार को अपना काम चलाने में सहूलियत हो। लेकिन जब आपके बड़े-बड़े अफसर वहां मौके पर जाते हैं और मुआयना करते हैं और मिसलें चलती हैं तब डी० एफ० ओ०, कंजरवेटर, चीफ कंजरवेटर, रेवेन्यु सेक्रेटरी और रेवेन्यू मिनिस्टर, यानी ५, ५ आदमी गलती करते हैं। ऐसी सूरत में यह कहना कि कानून कायदे में क्या है, मैं उससे ज्यादा परेशान नहीं होता हूं। मैंने प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट पढ़ने की कोशिश की तो उसमें फारेस्ट (वन) डिफाइन्ड (परिभाषित) ही नहीं है। आपने जनरल नोटिफिकेशन (सामान्य अधिसूचना) कर दिया कि धारा २ के अनुसार ये एक्सेप्शन्स (अपवाद) हैं और बाकी सारे प्रान्त में यह लागू है।

फारेस्ट क्या है, यह इसमें डिफाइण्ड नहीं है और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में भी नहीं है। कहां डिफाइन्ड है, कुछ पता नहीं। तो यह है क्या चीज ? मेरी समझ में नहीं आता। माननीय अर्थ मंत्री जी यहां मौजूद हैं और माननीय माल मंत्री जी ने तो आज आने की तकलीफ ही गवारा नहीं की, मैं उनकी सेवा में अर्ज करूंगा कि रुपया, श्रीमन् आप मंजूर करते हैं और उसके खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देखिये कि जो काम भी यहां होते हैं और जितना रुपया खर्च किया जाता है उससे राज्य के काम में सुविधा हो। यही नहीं कि अफसरों के काम में सुविधा हो बल्कि यहां के हर नागरिक के काम में सुविधा हो।

एक वास्ता इसी तरह का और है जिसमें सीधा संबंध माननीय शिक्षा मंत्री जी से है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के संबंध में इस एप्रोप्रिएशन बिल में कई मदें हैं। उस कमेटी की सिफारिश पर कुछ अमल किया गया है या नहीं और उन पर गौर किया गया है या नहीं और उनके अनुसार मंजूरी दी गई है या नहीं, यह सब बातें सोचने की हैं। वह कमेटी बड़े हौसले से कायम की गई थी। उसके सभापति हमारी खुशकिस्मती से पंडित हृदयनाथ कुंजरू ऐसे व्यक्ति थे। उनकी योग्यता, निष्पक्षता और एक्सपीरियंस (अनुभव) के बारे में किसी को शुबहा नहीं हो सकता। उस कमेटी में सौभाग्य से लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर भी थे। कुछ सदस्य इस आदरणीय सदन के हैं और कुछ और हैं। ऐसी कमेटी का विलायत में क्या तरीका है, यह तो शिक्षा मंत्री जी मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे योग्य आदमियों के होते हुये मुझे यह जानकर अचम्भा और दुख हुआ कि उस कमेटी ने अपने आपको काम करने में असमर्थ पाया। यहां तक उन्होंने सरकार को लिख दिया कि हम बाज आये आपकी इस कमेटी में सर्व करने से। क्या बात है जब ऐसे योग्य व्यक्ति भी सरकार की कमेटी में काम करने से इंकार करते हैं ? इस मुहकमे के माननीय मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी हैं जिनकी विद्वता से हरएक वाकिफ है और जो किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षा के संबंध में उनकी खास रुचि रही है। अपने जीवन का कार्य उन्होंने एक शिक्षक की हैसियत से किया है। तो क्या बात हुई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी ने काम करना बन्द कर दिया ? श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि उनकी जो कारेसपांडेंस है, उन्होंने जो अपनी असमर्थता प्रकट की है वह आज इस आदरणीय सदन के सामने रक्खी जाय और मुझको या दूसरे माननीय सदस्यों को जो उसे देखना चाहें उनको मौका दिया जाय। मैंने यह दो मिसालें प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट के ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के सिलसिले में महज इसलिए अर्ज कीं कि हम यह चाहते हैं कि आप जितने काम करें ठीक से करें। आप ऐसी रवायतें कायम करें जो आइन्दा के लिए मिसालें हों और जिन रवायतों के ऊपर प्रजातंत्र का ढांचा हमारे देश में सफल हो सके और जिससे जनता का हित हो सके।

पेश्तर इसके कि मैं अपने भाषण को खत्म करूं मैं एक ओर और श्रीमान् का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन के नियम १३३ के अन्तर्गत सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का जहां जिक्र है वहां पर यह है कि माननीय स्पीकर लीडर आफ दि हाउस से मशिवरा करके सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में समय नियत करें। सप्लीमेंटरी डिमांड्स पहले भी इस आदरणीय सदन के सामने आये हैं और इस संविधान के लागू होने के पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ की धारा ८१ के अन्तर्गत सप्लीमेंटरी डिमांड्स इस सदन के सामने जब कभी जरूरी होता था पेश किये जाते थे। सप्लीमेंटरी डिमांड्स दूसरे भी लोकतंत्र देशों में आते हैं। सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सम्बन्ध में हमारे इस प्रदेश की प्रथा इस संविधान के लागू होने के पहले यह थी कि उसके लिए कोई समय नियत नहीं था। मामूली एस्टीमेट्स के लिए समय नियत किया जाता था और क्लोजर भी अप्लाई किया जाता था लेकिन सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में क्लोजर नहीं अप्लाई किया जाता था, डिस्कशन गिलोटीन नहीं किया जाता था, समय नहीं निर्धारित किया जाता था और खुद इस प्रांत की पुरानी लेजिस्लेटिव कौंसिल की मिसाल है कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर एक मर्तबा ३५ दिन बहस हुई थी। मैं आपकी इजाजत से मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, फोर्टींथ एडीशन के पेज ३१८ से पढ़ता हूं --

[श्री त्रिलोकी सिंह]

"Supplementary estimates, due to the insufficiency of the original estimates are usually presented in February or March and are voted in Committee of Supply with debate unrestricted by any form of guillotine such as that which operates upon the main estimates."

(अनुपूरक प्राक्कलन, जो प्रारम्भिक प्राक्कलनों की अपूर्णता के कारण हुए हों, प्रायः फरवरी या मार्च में प्रस्तुत किये जाते हैं और उन पर सप्लाई कमेटियों में ऐसे वाद-विवादों के साथ मत लिये जाते हैं, जिन पर मुखबन्धों जैसी किसी चीज का कोई नियन्त्रण नहीं होता जैसा कि मुख्य प्राक्कलनों के साथ होता है।)

तो आप यह देखें कि यह दूसरे देशों का, खासकर विलायत का और हमारे यहां का भी रिवाज रहा है कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में कोई समय नहीं नियत किया जाता है मे के पेज २८८ में फिर दिया हुआ है --

"The consideration of supplementary estimates which are normally presented and considered towards the end of the financial year is not restricted by any system of closure similar to that which is applied to the main estimates."

(उन अनुपूरक प्राक्कलनों पर विचार जो साधारणतया वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत किये जाते हैं और जिन पर विचार होता है, ऐसी समापन-प्रणाली से नियंत्रित नहीं होता जो मुख्य प्राक्कलनों पर प्रयुक्त होती है।)

श्रीमन्, मैंने यह सिर्फ इसलिए कहा कि मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं और आप के द्वारा माननीय अर्थ मंत्री से भी कि जब कभी वह सप्लीमेंटरी डिमांड्स लायें तो इस बात का हमेशा ध्यान रक्खें कि इस आदरणीय सदन को काफी मौका मिले उन पर वाद-विवाद करने का। मैं इस सिलसिले में ज्यादा समय नहीं लूंगा। बजट के लिए तो आप को यह हक है कि आप समय नियत करें, दिन नियत करें और उसके अन्दर पास कर लें। लेकिन एक बार जब आपने बजट पास करा लिया तो इस आदरणीय सदन का भी नियंत्रण रहना चाहिये मंत्रिमंडल पर कि जो मंजूरी ली, एस्टिमेट बनाया था तो उसके मुताबिक अमल होना चाहिये। अगर आप उससे हटते हैं, आपको ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ती है तो आदरणीय सदन के सामने आइये। पूरा वाद-विवाद का मौका हमको होना चाहिये। उस वक्त तो आपको जल्दी होती है। अगर बजट नहीं पास हो तो पहली अप्रैल आ गयी, एक अनसरटेंटी (अनिश्चितता) का ऐटमास्फेयर (वातावरण) है, लेकिन अब तो सरटेंटी है। इतमीनान के साथ वाद-विवाद कर सकते हैं और आप इस आदरणीय सदन को मौका दीजिये कि आपके एस्टिमेट्स (प्राक्कलन) पर हम गौर कर सकें। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब अगले साल, परमात्मा न करे यह नौबत आवे, लेकिन अगर यह नौबत आवे और आ सकती है, मैं तो समझता हूं कि कभी-कभी सप्लीमेंटरी डिमांड्स लाजिमी हो जाते हैं और एक्सेस खर्चे भी मजबूरी दर्ज करने पड़ते हैं, तो यह एग्जिक्युटिव (कार्यपालिका) की, मंत्रिमंडल की खास जिम्मेदारी है कि इस बात का लिहाज रखें कि इस आदरणीय सदन द्वारा उन पर विचार करने के लिये कोई समय निर्धारित या नियत न किया जाय।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, बजट चाहे सालाना बजट हो या अनुपूरक हो एक ऐसी चीज है जिससे सरकार के बीते हुए कामों और आगे आने वाले कामों पर एक रोशनी पड़ती है। उस पर हर एक मेम्बर को, महज हक ही नहीं है कि सरकार के कामों की आलोचना करे बल्कि हमारा ख्याल है कि मेम्बरों का एक कर्त्तव्य है और जरूरी भी है कि वह बजट के मौके पर और दूसरे मौकों पर सरकार की आलोचना करें। परन्तु आलोचना करने का एक तरीका होता

है। आलोचना करने में एक सही नीयत होनी चाहिए। एक सही तरीका होना चाहिये जिससे यह न साबित हो कि कोई गलत तरीके से गलत बात को लेकर गलत मकसद से आलोचना की जा रही है। अगर इस तरीके पर कोई गलत आलोचना होती है तो मेरे ख्याल में वह जितनी अच्छी चीज है उससे बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। जबकि मांगेंवेश थीं और उन पर आइटमवाइज (कमानुसार) बहस का मौका था मैंने उनमें दो तीन कट मोशन दिये थे। जानबूझ कर मैंने उन को पेश नहीं किया। मैं यह समझता था कि जो मुझे निवेदन करना था उसके जरिये से वह बहुत जरूरी चीज थी यह अपने आत्मा की चीज थी उसको कहना मैं अपना धर्म समझता था इसलिये मैंने उनकी सूचना दी थी। परन्तु मैंने उनको पेश नहीं किया, मैं समझता था कि आगे एक मौका मिलेगा और मैं अपने ख्याल को पेश कर सकूंगा। आज मैं खड़ा हुआ था। श्रीमान का ध्यान उधर नहीं गया उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन चूंकि मैं खड़ा हुआ था इसलिए मुझे यह तसलीम है कि मैं खड़ा हुआ था। मैं आप की आज्ञा से दो तीन बातों पर रोशनी डालना चाहता हूं।

पहली बात शिक्षा के सम्बन्ध में है। जब जब बजट का मौका आता है और शिक्षा सम्बन्धी बिलों का जिक्र आता है तब तब मैं अपने ख्याल का इजहार करता हूं। मुल्क के आजाद होने के बाद देश के निर्माण का काम आज हमारे हाथ में है और हम दिलोजान से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश का पुनरुत्थान हो और दुनियां के देशों में हम एक सभ्यता के नाते और अपने प्राचीन गौरव के नाते कुछ नजीर पेश कर सकें। यह होते हुये भी मेरा ख्याल यह है कि शिक्षा में कोई मौलिक सुधार अब तक हो नहीं सका। शिक्षा प्रसार का जहां तक ताल्लुक है शिक्षा प्रसार में हमारे देश का कार्य और खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी तेजी के साथ काम बढ़ाया हमारा खयाल है कि संसार में एक अपनी नजीर है। पहले दस वर्षीय योजना बनी थी और उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये पंच वर्षीय योजना का रूप दिया गया यानी पांच वर्ष में ४४ हजार स्कूल अपने प्रदेश के अन्दर प्राइमरी खोलने का निश्चय किया गया। सन् १९४८ ई० से सन् १९५० ई० तक ११ हजार स्कूल हमारे प्रदेश में खुले। इसके अलावा बहुमुखी योजना शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में इस कदर जारी की गयी कि यह मालूम हुआ कि थोड़े दिनों के अन्दर निरक्षरता का सर्वथा अभाव हो जायगा। इसके लिये हमारे शिक्षा मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि शिक्षा देश के उत्थान में सबसे जरूरी चीज है और शिक्षा कैसी होनी चाहिये? एक मामूली मसल है—

"एकहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।
जो तू सींचे मूल को, फूलहि फलहि अघाय॥"

शिक्षा का वास्तविक रूप यदि सामने रखा जाय तो मेरा ख्याल है कि देश का उत्थान हो सकता है और केवल शिक्षा के सुधार से ही हो सकता है और अगर शिक्षा ठीक नहीं है तो मेरा अपना विश्वास है कि देश का सुधार कदापि नहीं हो सकता। जितने विभाग हैं, जितने देश को ऊपर उठाने वाले कार्यकर्ता सरकार को चाहियें वह सब शिक्षा द्वारा ही निकल सकते हैं और शिक्षा से निकल कर हर विभाग में जाते हैं। शिक्षा और दीक्षा उचित रूप से होनी चाहिये। सब लोगों को मालूम है कि जब यूनिवर्सिटी से शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो उनको दीक्षा दी जाती है। दीक्षान्त भाषण होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी थोड़े दिन हुये दीक्षान्त भाषण हुआ और श्री राजगोपालाचार्य जी ने दीक्षान्त भाषण किया। उसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने मकसद अपनी ड्यूटी में एक दम फेल हो जायगी अगर उन्होंने अपना कोई ठीक उसूल नहीं बनाया। उन्होंने हवाला दिया था कि विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसी चीज होनी चाहिये कि वह जल्दी से और सही जजमेंट देने में समर्थ हो सकें। उन्होंने कहा कि यह चीज फैक्टरियों में दुरुस्त नहीं

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

की जा सकती। उन्होंने कहा कि दिमाग का एपेरेटस फैक्टरियों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। ऐडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तरों में उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में उसका इलाज नहीं किया जा सकता। उसके लिये सिर्फ एक ही जगह है। जो ऊंचे शिक्षालय हैं या देश में जो भी विश्वविद्यालय तथा कालेज हैं इनमें ही वह चीज तैयार की जा सकती है, जिनसे निकले हुये उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षित और दीक्षित विद्यार्थी देश को और समाज को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकते हैं अपने सत्य और अपनी विद्या के बल से अपने उत्साह से अपने दिमाग को सही और ठीक बनाकर देश की सेवा कर सकें। मैं चाहता हूं कि उस चीज की तरफ ध्यान हमारी सरकार और खास तौर से शिक्षा मंत्री जी का आकर्षित किया जाय।

माननीय शिक्षा मंत्री ने २६ जुलाई, सन् १९५० ई० को गोरखपुर में भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करते हुये अपनी तकरीर में कहा था: "मैन आफ कैरेक्टर एलोन कैन बिल्ड ए पावरफुल नेशन" (चरित्रवान व्यक्ति ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं) इसका मुख्य अभिप्राय था कि केवल चरित्रबल जिस विद्यार्थी का उठा हुआ है वही आदमी अपने देश को बहुत बड़ा शक्तिशाली और महान देश बना सकता है। मैं जानता हूं कि "यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तद्कर्मणा करोति" मन्त्री महोदय के दिल में एक अग्नि की ज्वाला धधकती है इस बात को हमारे विश्वविद्यालयों से जितने भी विद्यार्थी निकलें उनका इतना जबर्दस्त ऊंचा कैरेक्टर हो, इतने चरित्रवान होकर वे निकलें कि थोड़े ही समय में इस देश को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकें और सारे संसार में पूर्ववत् गौरव हमें प्राप्त हो।

उनके दिल में जरूर ऐसी लगन है। जब दिल में लगन है तभी उन्होंने जबान से कहा 'यद् वाचा वदति' और जब जबान से कहा तो तद् कर्मणा करोति मुझे आशा है कि उसको जरूर एक दिन पूरा करेंगे। इसी सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो एक पुस्तिका सरकार की तरफ से पत्रिका के रूप में निकलती है जिसका नाम "शिक्षा" है उसकी तरफ आकर्षित करूंगा। वह देश में सभी जगहों पर जाती है और सभी लोग उसको पढ़ते हैं। "शिक्षा" में जो लेख मैंने पढ़ा है उसके लिये दो तीन महानुभावों का मैं आभारी हूं। उनका नाम लेना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। श्री एस० पी० खत्री, श्री उपेन्द्रनाथ दत्त, श्री आर० सी० बनर्जी ये तीन नाम मुझे आज याद हैं। इन महानुभावों का ही आभारी नहीं हूं बल्कि मैं समझता हूं कि मेरा देश और खास कर उत्तर प्रदेश उनका आभारी है। उन लोगों का यह ख्याल है कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जब तक पुनर्जीवित नहीं की जावेगी तब तक हमारा देश ऊपर नहीं उठ सकता। हमारी प्राचीन शिक्षा और हमारी प्राचीन दीक्षा अगर भुलवा दी गई और आधुनिक विज्ञान के जमाने की आधुनिक रोशनी में हम आगे बढ़ते चले गये और दुनिया को देख कर दुनिया की नकल करते चले गये तो हमारा देश बहुत नीचे गिर जायगा। श्री उपेन्द्र नाथ दत्त ने अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि —

"Education in the past provided pupils with such equipments as helped them to realise truth, knowing which everything is known."

(पिछले समय में शिक्षा विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान करती थी जिससे वे सत्य का अनुभव करते थे जिस सत्य को जानकर सभी बातें ज्ञात हो जाती हैं।)

उनका कहना है कि अगर इस ढंग से शिक्षा दी जाय तो फिर दूसरी चीज की जरूरत रह नहीं जाती। ऐसी शिक्षा से हमारा देश काफी ऊपर था और उसी शिक्षा से हमारा देश ऊपर उठेगा। कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेन्ट सेकुलर गवर्नमेन्ट है धर्मनिरपेक्ष सरकार है, हम सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को स्थान देना कदापि पसन्द नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा कि मैं भी चाहता हूं कि हमारी सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न पढ़ाई जाय

लेकिन धार्मिक शिक्षा के माने क्या होते हैं? एक सामान्य धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है। मेरा ख्याल है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में सामान्य धर्म का प्रचार किया जा सकता है जिसको कि मानव धर्म भी कहा जाता है। धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उसके जरिये सावरकर की स्कीम की तालीम दी जाय या हसन निजामी साहब ने जो एक तजवीज निकाली थी उस तरह की तालीम दी जाय लेकिन जहां मारैलिटी का सवाल है, जहां ह्यूमैनिटी का सवाल है, जहां मानव समाज के धर्म का सवाल है, उसके लिये सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकार ने कृपा करके जूनियर स्कूलों में मारल शिक्षा का कुछ थोड़ा सा समावेश किया है। कुछ पुस्तकें भी मारल शिक्षा सम्बन्धी उन स्कूलों में रखी गई हैं और उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने का आयोजन किया है लेकिन अफसोस है कि यह चीज आज उन स्कूलों में एक मजाक के रूप में काम कर रही है न तो विद्यार्थी उन पर ध्यान देते हैं और न अध्यापक लोग ही उस पर पूरी तवज्जह देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिये कि इसका कोई कम्पलसरी एक्जामिनेशन तो होता नहीं विद्यार्थियों को पास होने का नम्बर तो मिलते नहीं हैं। ऐसी हालत में एक मजाक की चीज हो गई है। जब कभी मास्टर क्लास में जाते है तो विद्यार्थी चिढ़ाकर भाग जाते हैं मास्टर को भी दुख नहीं होता है क्योंकि वह सोचता है कि जितनी देर उसमें दिमाग खपाया जायगा उतनी देर में दूसरा कोर्स (विषय) तैयार करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों के पास फेल होने का इसमें कोई सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जब इस चीज को शुरू करें तो यह देखेंगे कि यह वह चीज तो नहीं है जिसके साथ मजाक किया जाय। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाय कि अगर वहां से वह चीज शुरू की गई है यानी जूनियर स्कूलों से तो विद्यार्थियों का कम्पलसरी एक्जामिनेशन होना चाहिये और उनको नम्बर मिलें तभी उनके बिगड़े हुये दिमाग ठिकाने आ सकते हैं और रसातल को पहुंचा हुआ हमारा देश धीरे धीरे ऊपर उठेगा।

मैं शिक्षा के सम्बन्ध में पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी करना चाहता हूं कि धार्मिक चीज ऐसी न समझी जाय। धर्म के माने क्या होते हैं जहां तक सवाल है सत्य और अहिंसा का यह हर एक इंसान के लिये बराबर की चीज है। हमारे देश में जितने भी मजाहिब हैं धर्म हैं सबके एक ही तरह के माने हैं, और वह सामान्य धर्म कहलाता है।

मुझे एक बात और कहनी है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने सभापतित्व के भाषण में एक चीज कही थी कि विद्यार्थियों को केवल ज्ञान उपार्जन करना ही नहीं बल्कि उसको अमल में लाना है। स्वावलम्बन की दृष्टि से हर एक को स्वावलम्बी बनना है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई विद्यार्थी शिक्षित और दीक्षित होकर निकले और वह अगर करेक्टर का नहीं हुआ या सदाचारी नहीं हुआ तो उसका सारा पढ़ना-लिखना व्यर्थ हुआ इसीलिये कि शिक्षा दीक्षा इसी का नाम है। आज हमारा देश एक खास देश है जो दुनिया में अपनी एक अलग मिसाल रखता है। महात्मा गांधी जो हमारे देश में पैदा हुये। उन्होंने जो कुछ काम किये उनकी मिसाल आज दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है हमारे देश में गुलामी थी लेकिन महात्मा गांधी जैसा नररत्न पैदा करने वाला हमारा ही देश हुआ। महात्मा गांधी जी की वजह से ही हमें आजादी मिली वर्ना हमारा विश्वास है कि यह मुल्क कभी भी आजाद नहीं हो पाता। महात्मा जी अपने देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे और गांधी जी का यह स्वप्न था कि हमारा देश फिर ऊपर उठेगा। जहां तक कभी भी कोई देश नहीं उठा। उनके क्या विचार थे? क्या महात्मा जी यह समझते थे जो हमारी सेकुलर गवर्नमेन्ट के धर्म के माने हैं और इसी ख्याल से किसी को धर्म की तालीम नहीं दी जायगी। अगर आज महात्मा जी होते

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

तो वह इसका मुकाबिला करते और सरकार को मजबूर होना पड़ता और तालीम में सुधार होता लेकिन जहां तक धर्म का सवाल है । महात्मा गांधी जी का कहना था कि "Man cannot live without religion" यानी बिना धर्म के कोई आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की जिन्दगी के लिये बहुत ही आवश्यक चीज है। इसलिये इस धर्म का निरपेक्ष दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा । अभी हमारे पंत जी महिला विद्यालय कालेज लखनऊ में भाषण देने के लिये गये थे वहां पर छात्राओं ने जो सवाल-जवाब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से किये उनको पढ़ने के बाद बहुत अफसोस होता है कि हम इस बात का गौरव करें कि हम दुनियां के मुकाबिले में आगे बढ़ेंगे और हमारा सारा समाज जो पिछड़ा हुआ है उसको शिक्षित बनायेंगे और संसार में हम अपना मुंह फिर दिखलाने लायक होंगे। तो मेरा खयाल है कि यह चीज ठीक है इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता लेकिन महज विदेशियों की नकल करके हम न गिरेंगे। हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी ने इलाहाबाद महिला विद्यापीठ में किस तरह का भाषण दिया ? उन्होंने कहा कि हम नवीनता के फेर में पड़ कर आगे बढ़ते जायं और ठोकर खाकर गिर पड़ें और फिर दुनियां में हमारा पता न चले । उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी चीजों को भूलो मत और नयी चीजों से भी गाफिल मत रहो । जो नये नये दुनियां में आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक सुधार हो रहे हैं उनसे भी गाफिल नहीं रहेंगे उन्हें भी जरूर पकड़ेंगे लेकिन अपनी प्राचीन बातों को भूल कर अगर हम नवीनता के फेर में पड़ेंगे तो हम रसातल चले जायंगे । उन्हों ने एक आदेश दिया जो सभी को मान्य होगा । वह आदेश यह है कि हमारा ताना तो पुराना हो लेकिन बाने में नयी नयी चीजें भर कर तैयार करें जो इतना मजबूत हो जिससे हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक न सके। इन चन्द बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । मैंने कई मर्तबा इस चीज को रखा है । एक बिल आया था मठ और मन्दिर सरकार अपने हाथ में ले और उसके जरिये धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया जाय । उस धर्म और मजहब का नहीं हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, सिक्ख धर्म या क्रिश्चियनिटी का नहीं बल्कि मानव धर्म का प्रचार हम वहां करें।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी जो भाषण दे रहे हैं वह धर्म की शिक्षा के सम्बन्ध में है अथवा मठ और मन्दिर के सम्बन्ध में है। इस एप्रोप्रियेशन बिल के अन्दर जो ग्रान्ट्स आई हैं उसमें किस रकम से उसका वास्ता है ।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि मैं सही कह रहा हूं । तो मुझे यह कहना है कि इस जट में जो अनुपूरक ग्रान्ट का हवाला है जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उच्च शिक्षा की बड़ी जरूरत है और विद्यार्थियों की भरमार है जिसे पूरा करना जरूरी है। जिसके लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कायस्थ पाठशाला को आदेश दिया है कि बी० एस-सी० का क्लास अपने यहां खोले । इस खयाल से हमारी सरकार ने कायस्थ पाठशाला को ग्रान्ट दी है । मेरा खयाल है कि जिसे उच्च शिक्षा इस वक्त समझा जाता है उसमें अपनी प्राचीनता और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का ख्याल करके शिक्षा में सुधार किया जाय और तब उच्च से उच्च शिक्षा का खयाल किया जाय जिसके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता, जिसके बिना आदमी आदमी नहीं हो सकता, जिसके बिना देश का भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायगा, घट नहीं सकता। वही मौका था जिस पर मैं बोल चुका। अब मैं उस चीज को खत्म करता हूं। मैं समझता हूं कि जितना भी मैंने कहा, माननीय मन्त्री जी के लिए वह बहुत काफी है क्योंकि मेरा यह भी विश्वास है कि आर्थिक कठिनाई या कोई दूसरी दिक्कत हो या कोई सेण्ट्रल की बात हो जिससे मजबूर होकर हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी मजबूर हैं और असल चीज पर नहीं जा रहे हों तो मैं समझता हूं कि वक्त आने पर वह सब चीज ठीक हो जायगी।

अभी एक निवेदन आपकी आज्ञा से पुलिस मंत्री जी से करना है। उन्होंने अपने बजट में यह दिखलाया है। उन्होंने इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स पुलिस के कायम किये थे। उन्होंने पुलिस के ऐसे चार दल कायम किये थे जो चोरबाजारी को रोकने में समर्थ हों। मुझे आपके सामने निवेदन यह करना है कि जो पुलिस दल कायम किया जा रहा है उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह ब्लैक-मार्केटियर्स पर ही नजर न रखे बल्कि सरकारी अफसरों पर भी, जो ब्लैकमार्केटियर्स से मिल-जुल कर रुपया ले लेते हैं और जिनकी वजह से ब्लैकमार्केटिंग होता है, लेकिन यह चीज कभी भी मंजूर नहीं होती है न इस पर ध्यान दिया जाता है। माननीय पुलिस मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके कानों तक यह चीज पहुंच जायगी। पुलिस दल जो आगरा, मेरठ, बनारस आदि चार जगहों में चोर-बाजारी रोकने के लिये कायम किया गया था उसके लिये खर्च के लिये एक लाख कई हजार की अनुपूरक मांग की गई है। अगर यह नहीं किया जा सकता तो यह चीज फजूल है। चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार दोनों मिल-जुल कर होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ रहता है। बनियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अकेले चोर-बाजारी कर सकें। बड़े-बड़े बनियों के लिये लाखों की चोरी कर लेना उनके बायें हाथ का काम है। वे चार लाख की चोरी करते हैं और १० हजार रुपया रिश्वत देकर छूट जाते हैं और मुकदमें से भी बच जाते हैं। अगर आप दरअस्ल चोरबाजारी और भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो जरा अफसरों पर भी उन पुलिस दलों की निगरानी रहे ताकि भ्रष्टाचार कुछ कम हो।

तीसरी बात मुझे अपने सहकारी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करनी थी। सहकारी विभाग से मेरा काफी ताल्लुक है और मैंने कई वर्ष तक उनके साथ रह कर काम किया है। मैं जानता हूं कि व्यापार से कोआपरेटिव विभाग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार होता है वह औरों से शायद कुछ कम हो, लेकिन इस विभाग में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो मुझे निवेदन करना यह है कि ऑडिटर्स का जो विभाग है वह बहुत ईमानदारी से काम करने वाला विभाग है। और जगहों के जो लेखा परीक्षक लोग हैं उनको बिलकुल स्वतंत्रता रहती है। वे किसी के मातहत नहीं होते, बल्कि स्वतन्त्र होते हैं। लेकिन कोआपरेटिव विभाग के जो लेखा परीक्षक हैं वे बिलकुल उस विभाग के मातहत होते हैं जिनकी जांच करने के लिये वे नियुक्त होते हैं। इस तरह से जब वे उनकी मातहती में काम करते हैं तो फिर उनके खिलाफ वे क्या कर सकते हैं। इसलिये उनको आजादी मिलनी चाहिये ताकि लेखा परीक्षकों पर उस विभाग के अफसरों का कोई दबाव न रह सके। उनको बिलकुल स्वतंत्र रखना चाहिये। आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन जो सालाना बजट आने वाला है अगर उस समय मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, इस सप्लीमेंटरी एप्रोप्रिएशन बिल के सिलसिले में इस तरफ से त्रिलोकी सिंह जी ने अपने भाषण में एक बड़ी बुलन्द और बड़ी ऊंची बात इस हाउस के सामने रखी, लेकिन शायद मेरे दोस्त को यह नहीं मालूम कि इस भवन के सदस्य जो हुकूमत चला रहे हैं अगर वह अपनी उस जिम्मेदारी को महसूस करते जोकि उनके ऊपर इस भवन की है तो यह सरकार इस किस्म की कार्यवाही कभी न करती। बदकिस्मती से जनाबवाला, इस सरकार को इस बात का घमंड और इस बात का नाज है कि सही हो या गलत जो कुछ भी वह करेंगे इस भवन में मंजूर करा लेंगे। और अगर उनको यह खौफ और खतरा पैदा हो जाय कि इस भवन में उधर के बैठने वाले लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वह यह नहीं चाहते हैं कि ऐसी गलत कार्यवाही को मंजूर किया जाय तो ऐसी सप्लीमेंटरी ग्रांट जो ५ साल से पेश हो रही है, पेश नहीं होती। आज आप लोग जानते हैं कि आखिरी दिन है, कल बजट पेश होगा और यह सप्लीमेंटरी उस बजट में शामिल हो जायगी जिसको रिवाइज्ड बजट के नाम से याद किया जाता है और जो हम पिछले साल

[श्री फखरुल इस्लाम]

मंजूर कर चुके हैं उनको ऐक्चुअल की शकल दी जाती है। २,३ साल के बाद तो किसी को याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या पास किया था। यह भी हम मालूम कर नहीं सकते कि जिस मुहकमे की बाबत हमने जितना रुपया मंजूर किया था हकूमत ने उस मुहकमे में क्या सरफ किया। क्या आप यह जानते हैं कि यह जो सप्लीमेंटरी ग्रांट ८ करोड़ का आया है यह आमदनी कहां से सरकार को हुई थी? आप देखेंगे कि कभी कभी इस सप्लीमेंटरी के सिलसले में आमदनी का कोई नकशा हमारे सामने पेश नहीं किया गया कि रेवेन्यू हेड में या कैपिटल हेड में कितनी आमदनी हुई और कहां से यह रुपया बढ़ा या जायद हुआ तो यहां से हुआ। आपके सामने जितने सप्लीमेंटरीज आये हैं उनसे आप को मालूम नहीं हो सकता है कि कहां पर आमदनी बढ़ी है। क्या वह बजट जो हमने पार साल मंजूर किया था वह सरप्लस (बचत का) था या डेफिसिट (घाटे का) बजट था या सप्लीमेंटरी बजट में जो यह ८ करोड़ का इजाफा हुआ यहां से, कहां से आया? इस तरह से हमको या आपको या देश की जनता को एक अन्धेरे में रखना किसी तरह से सही और मुनासिब नहीं है। बिलकुल छिपे तरीके से यह फिगर्स (आंकड़े) तैयार की जाती हैं। बतलाने के लिए और मंजूरी लेने के लिए जब यहां पर सप्लीमेंटरीज आते हैं तो क्यों वह पूरी तरह से समझाये नहीं जाते? जनाबवाला, मैं समझता हूं कि सरकार की कारगुजारियों पर कुछ कहने का यही वक्त हो सकता है जब कि यहां पर सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश की जायं, लेकिन जैसे फिगर्स आते हैं और जिनको टोकेन के नाम से कहा जाता है उनमें मांग तो कहीं अगर १०० रुपये की होती है तो ऐक्चुअल (वास्तविक व्यय) लाखों रुपये के होते हैं और सरकार से लाखों रुपया उस स्कीम के लिए ले लिया जाता है। इस तरह की रकम इस सिलसिले में आती हैं और हमेशा यही होता है। जो रकम डेवलपमेंट विभाग के लिए दी गयी थी वह खासतौर पर जब आप फिगर्स बनाते हैं तो उन फिगर्स के बनने के एक साल बाद ऐक्चुअल बनते हैं तब मालूम होता है कि जितना रुपया उस काम के लिए दिया गया था और किसी वजह से वह रुपया आप खर्च नहीं कर सके और आखिर साल में वह स्कीम मैटीरियलाइज (कार्यरूप में परिणत) नहीं हो सकी और रुपया बच गया और उसे कहीं न कहीं सर्फ होना चाहिए, क्योंकि बजट का एक उसूल है कि अगर हमारी आमदनी १०० रुपया की है तो जरूरी है कि उसमें से इतना जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, इतना पुलिस में, इतना रेवेन्यू में और इसी तरह से मुख्तलिफ मदों में खर्च होना चाहिए और अलग हेड्स में उसको तकसीम कर दिया जाता है। अब अगर कहीं यह रुपया खर्च नहीं हुआ तो डिमांड (मांग) का रुपया दूसरी मद में डाला गया और खासतौर से उसके लिए दूसरी स्कीम बनाई गयी ताकि वह साल के आखीर में सेविंग (बचत) न हो जाय क्योंकि सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया या वह न कर सकी तो उसको ऐडमिट (मानना) नहीं करना चाहती, बल्कि वह फिगर्स (आंकड़ों) के गोरखधंधे में डालना चाहती है ताकि साल भर तक कोई न पूछ सके कि क्या हुआ।

मैं अर्ज करूंगा कि पिछले साल ए० सी० पुलिस के सिलसिले में एक रकम रखी गयी थी डकैती वगैरह को रोकने के सिलसिले में, लेकिन आखिर में एक फिगर ला कर रख दी गई। इस तरह से आप किसी वक्त में भी कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कहें तो आप से कहा जाता है कि आप तो साल गुजिश्ता का जिक्र कर रहे हैं और इस साल तो यह हुआ है। इसी तरह से ४८ के फिगर अगले बजट में कोट (उद्धरित) किये गये तब भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह फिगर इस साल की हैं आप इस साल का क्रिटिसिज्म (आलोचना) कीजिये। इस तरह से बजट फिगर्स तैयार की जाती हैं और कभी हमारे सामने सही अन्दाजा नहीं आने पाता और आप नहीं कह सकते कि कभी सरकार ने रुपया मांगा हो और उसे भवन ने मंजूर न किया हो और जब सरकार मर्जी के मुताबिक रुपया मांगती है तो जनता और दुनिया मुतालबा कर सकती है कि सरकार ने उस रुपये को किस तरीके से खर्च किया और उससे कहां तक जनता का लाभ हुआ, अगर हुआ

तो वह क्या लाभ है। क्या यह हकीकत नहीं है कि मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि वहां डाक्टरों के लिए बजट में रुपया मौजूद है लेकिन एप्वाइंटमेंट (नियुक्तियां) नहीं हुए और रुपया लैप्स (व्यय के बिना समाप्त) हो रहा है। पूर्वी जिलों की इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के सिलसिले में लोगों को मालूम होगा कि रुपये का प्राविजन है, लेकिन डाक्टरों की भर्ती नहीं हुई ? वहां हैजा और कालरा फैल रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि रुपया मौजूद है लेकिन वह खर्च नहीं किया जाता और खर्च वह होता है वहां कि जहां कोई प्रोडक्टिव स्कीम (लाभदायक योजना) नहीं है और जिनसे तरक्की नहीं हो सकती है। वैसे तो २ बरस में नहीं तो ५ बरस में और ५ बरस में नहीं तो दस बरस में खर्च होगा, लेकिन एक कायदे से काम हो और कुछ रोशनी सामने दिखाई दे तब समझा जा सकता है कि कुछ हो रहा है। जनाबवाला, इस की वजह यह हो सकती है और मैं समझता हूं और सफाई से कहना चाहता हूं कि इसकी बहुत सी वजूह हैं। सब से पहले सरकार का मंत्रियों का जो पोर्टफोलियोज (विभागों) का बटवारा है वह बहुत ही गलत और नामुनासिब है और वह किसी उसूल पर मबनी नहीं है। आप जानते हैं अगर आप एक ही मिनिस्टर को दो-दो, तीन-तीन पोर्टफोलियो दे दें तो वह चाहे कितना ही काबिल आदमी क्यों न हो वह सही तरीके से काम नहीं कर सकता और उसे अपने सबार्डिनेट्स (नीचे काम करने वालों पर) पर रिलाई (पूर्ण विश्वास) करना ही पड़ेगा। इस वक्त एक मिनिस्टर यहां पर मौजूद हैं। उन्हीं की मिसाल ले लीजिये। उनके पास एक निहायत जरूरी पोर्टफोलियो फाइनेंस का है और दूसरा एजुकेशन (शिक्षा) का है, जो एक खास अहमियत रखता है। अभी इन्द्रदेव त्रिपाठी जी ने जो भाषण किया और जो कुछ उनके अल्फाज में समझ सका तो उनका यह कहना है कि एजुकेशन में एक अजीब कैफियत नजर आती है। यह मैं नहीं कहता कि एजुकेशन बढ़ नहीं रहा है। इसी तरह से आप लेबर (श्रम) के पोर्टफोलियो को देखें। वह भी एक इंम्पार्टेंट पोर्टफोलियो (महत्वपूर्ण विभाग) है। एक ही मिनिस्टर के पास आप तीन-तीन पोर्टफोलियोज दे दें तो क्या नतीजा होगा ? डिप्टी सेक्रेटरी को आप ले लीजिए। डिप्टी सेक्रेटरी कौन होता है ? डिप्टी सेक्रेटरी जूनियर मोस्ट ब्वाएज (सबसे छोटे अफसर) रखे जाते हैं। सीनियर मोस्ट कलेक्टर्स तो जिलों के अन्दर बैठे रहते हैं और जूनियर मोस्ट डिप्टी सेक्रेटरीज सीनियर मोस्ट आफिसर्स के ऊपर आर्डर्स पास किया करते हैं। तो होता क्या है ? होता यह है कि बिलकुल अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मिनिस्टर साहब काबिल नहीं हैं, निहायत काबिल हैं बड़े विद्वान हैं, लेकिन सिवाय इस सूबे के दुनिया की मिसाल में कहीं यह नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हो। आप जानते हैं कि एजुकेशन का पोर्टफोलियो खुद एक बड़ा मुश्किल पोर्टफोलियो है, इसका चलाना बड़ा मुश्किल काम है। खुशकिस्मती से हमारे सूबे के जो मिनिस्टर साहब हैं वे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। अगर सिर्फ एजुकेशन का ही पोर्टफोलियो उनके सुपुर्द हो तो मुझे यकीन है कि वे उसमें चार चांद लगा सकते हैं।

आज क्या हालत है एजुकेशन की ? तालीम बढ़ रही है लेकिन आप देखिए कि आखिर कैरेक्टर (चरित्र) भी बढ़ रहा है, या नहीं, डिसिप्लिन (अनुशासन) भी बढ़ रही है या नहीं। आज युनिर्वासिटीज को देखिए, कालेजेज को देखिए। क्या इलाहाबाद यूनिर्वासिटी के वाइस-चांसलर, लखनऊ यूनिर्वासिटी के वाइस-चांसलर यह कह सकते हैं कि कितनी मर्तबा उन्होंने क्लासेज का मुआइना किया ? मैं लखनऊ यूनिर्वासिटी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन इलाहाबाद के बारे में जरूर कह सकता हूं कि आठ साल के अन्दर एक बार भी वहां के क्लासेज का मुआइना नहीं किया गया। क्या डीन, फैकल्टीज आफ आर्ट्स एंड साइन्स यह देखते हैं कि लड़के प्रापर ट्रेनिंग (उचित शिक्षा प्राप्त) कर रहे हैं या नहीं ? मेरे पास तो ऐसे लोग आये जिन्होंने कहा कि खुदा के लिए मिनिस्टर साहब खुद आकर देखें कि किस तरह से हमारे इंगलिश या और सब्जेक्ट्स (विषयों) के क्लासेज चल रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि महीने भर की हाजिरी पहले ही से मार्क कर (लगा) दी जाती है ? जैसा मेरे दोस्त त्रिपाठी जी ने कहा वह बिल्कुल सही है। बच्चों को जो तालीम दी जाती है,

[श्री फखरुल इस्लाम]

क्या आप उनसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे मुल्क के अन्दर कोई नजरिया पेश करेंगे ? इसी तरह से और भी चीजों की हालत है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि अगर एक मिनिस्टर के सुपुर्द एक काम हो और वह उसके पीछे लग जाय और लग सकता है तो मुझे यकीन है कि ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकता है। तालीम में तरक्की हुई है, होती है और होती रहेगी, लेकिन अगर एक मिनिस्टर अपना पूरा ध्यान उस पर दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं।

इसी तौर से, जनाबवाला, मैं दूसरी मिनिस्ट्रियों को कहता हूं। सरकार भी अपनी नीति को देखे। आठ करोड़ रुपया हमसे मांगा जाता है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट (वित्त विभाग) कुछ नहीं कर सकता। जिम्मेदारी उन लोगों की है जो रुपया मांगते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो रुपया देता है। लेकिन इस ऐवान के अन्दर मिनिस्टर साहबान इसकी जिम्मेदारी को नहीं समझते और मैं कहता हूं कि ऐसा करना इस हाउस की तौहीन करना है। लेकिन इस हाउस के मेम्बरान कुछ नहीं कर सकते जब तक उधर के बैठने वाले हर मामले में 'हां' कह देने के लिए तैयार हैं। अगर वे अपनी लगाम को कड़ी करें तो मुझे यकीन है कि इस हाउस की शान ज्यादा बढ़ सकती है। मगर यह उनके अख्तियार की बात है, इधर के बैठने वाले तो यही कर सकते हैं कि सही चीज आप के सामने रखें, आप को बतलायें, आप मानें या न मानें यह आप का काम है। आप हमारी नियत पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन नियतों की हालत तो खुदा को मालूम है, वही फैसला कर सकता है, इन्सान कुछ फैसला नहीं कर सकता।

इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा कि मिनिस्टर आफ राशनिंग और कोआपरेशन एक ही होना चाहिए। चाहे इस काम को राशनिंग की अथारिटीज करें या कोआपरेशन की करें मगर वह होना चाहिए एक ही मिनिस्टर के मातहत। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने इस बजट से पहले यह फैसला करे कि राशन और कोआपरेशन का मिनिस्टर एक हो। चाहे वह मिनिस्टर श्री गुप्ता हों और चाहे माल-विया जी हों, मगर होना एक ही आदमी चाहिए। यह काम सियासत से बिलकुल अलहदा होना चाहिए। जो पार्टी लीडरशिप करते हैं उनके पास यह काम नहीं रखना चाहिए। इस मसले के अन्दर सियासत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा मिनिस्टर, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, अपना काम सियासत से अलहदा रह कर करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हो सके तो श्री गोविन्द वल्लभ पंत इस मामले को ले लें। पोर्टफोलियोज का चेंज (परिवर्तन) होना निहायत जरूरी है और लाजिमी है। लेकिन जब तक सरकार अपनी नीति को साफ नहीं कर देती है तब तक यह नहीं हो सकता है। सरकार ने ५ साल का जमाना गुजारा और अब और भी गुजरता है। अब जनता इस बात के लिए बेचैन है कि सरकार अपनी पालिसी को तब्दील करे और एक सही उसूल सामने रख कर उस पर चले। यह नहीं होना चाहिए कि तक-लीफ उठाने वाले तकलीफ उठाया करें। अगर सरकार अपनी पालिसी बता कर काम करेगी तो ऐसी सूरत में अगर जनता को तकलीफ भी होगी तो वह उसे खुशी से बरदाश्त करेगी। जनता इस बंगलिंग (अव्यवस्था) को कहां तक सह सकती है ? मैंने 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'लीडर' में देखा और मैं समझता हूं कि 'नेशनल हैराल्ड' और 'पायनियर' में भी निकला होगा कि डेट्स (खजूर) हमारे यहां आ रहे हैं चूंकि राशन की कमी हो गयी है। यह भी था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स (पूर्वी और पश्चिमी जिलों) में दिये जावेंगे और पाउडर्ड मिल्क (दूध का चूर्ण) भी दिया जायगा। लेकिन दिया कुछ भी नहीं गया। तो ऐसी सूरत में, क्या जनाबवाला, इस हाउस के मेम्ब-रान चैन की नींद सो सकते हैं ? अब हमें कुल साढ़े चार छटांक ही मिलता है जो हो सकता है कि मेरे लिए और मिनिस्टर साहबान के लिए काफी हो। लेकिन यह मेहनत करने वाला जवान जो दिन भर मजदूरी करता है इससे कैसे अपना

पेट भर सकता है ? इससे हमारे मुल्क की क्या हेल्थ (स्वास्थ्य) रह सकती है ? यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। यह कहना कि इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया जिम्मेदार है, मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया तो यह कहती है कि इसके लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार है। तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर असली जिम्मेदारी है किसकी ? यह नहीं मालूम होता कि किसकी गलती से राशन सही तौर पर नहीं चला। क्या साढ़े चार छटांक राशन पाने वाला आज चैन की जिन्दगी गुजार सकता है ? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं समझता हूं कि मैं आनरेबिल मिनिस्टर को मुबारकबाद दूं। मैं कल एक प्राइमरी स्कूल में गया। वहां मैंने देखा कि पाउडर्ड मिल्क एक बड़े ड्रम में रखा हुआ है। हेडमास्टर से पूछने से मालूम हुआ कि यह मिल्क एजूकेशन डिपार्टमेंट से दिया गया है और वे बच्चों को दूध पिला रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब यह स्कूलों में पहुंच सका तो राशन की दूकानों पर क्यों नहीं पहुंच सका ? अगर कोई चीज एजूकेशन डिपार्ट के अन्दर पहुंच सकती है तो वह राशन में क्यों नहीं पहुंच सकती ? यह कहा गया था कि यह फेमिन कंडीशन (अकाल-स्थिति) में मदद करेगा। कुछ दिन बाद तो हमारे यहां गेहूं, मटर और चना काफी हो जायगा और वह लोगों के पास पहुंच सकेगा। आपने कहा था कि खजूर हमारी मदद करेगी लेकिन वह आवेगी कब ? आप उसके लिए रुपया ले लीजिये और रुपया इसमें रक्खा हुआ है लेकिन सवाल यह है कि इसी सेक्रेटेरिएट से एलान किया गया था और उसकी तक्सीम का तरीका भी बतला दिया गया था लेकिन आज डेढ़ महीना हो जाने पर भी पता नहीं है कि वह कहां है ? कल मैंने एक साहब से पूछा कि कब तक वह मिलेगी तो उन्होंने यह बतलाया कि उम्मीद है कि अप्रैल से डिस्ट्रिब्यूट (वितरित) होगी। रुपया तो आप ले ही सकते हैं और बगैर हमारे पूछे खरीद भी सकते हैं और रुपया खर्च भी कर सकते हैं और इस कहने वालों के जोर पर हाउस में एक फार्मेलिटी (रिवाजी कार्यवाही) बरत सकते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है—

'You are responsible to your own conscience, to your God and to your people and not to the Hon'ble Minister."

(आप अपनी आत्मा, अपने ईश्वर और अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, किन्तु अपने माननीय मंत्री के प्रति नहीं।)

इस रेस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) को आप देखिए और इसको मद्देनजर रखते हुए अमल कीजिए। अपनी नीति, अपने प्रोग्राम, अपने अमल और अपनी तमाम चीजों को सामने रख कर सरकार खुद सोचे कि वह किन किन पोर्टफोलियोज में क्योंकर तब्दीली कर सकती है। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि कामों की कमी हो जायगी, अच्छे काम हो सकेंगे और ज्यादा बेहतर तौर पर आपकी निगरानी हो सकेगी। आज मुल्क को ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जो गली-गली, कूचा-कूचा और सड़क-सड़क जनता की खिदमत के लिए, उसमें ढाढ़स बढ़ाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैं यह नहीं कहता कि आज हमारे सूबे की हालत अच्छी है। मैं मानता हूं कि बहुत सी दुश्वारियां हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी जब इम्तहान का वक्त आता है तो मैं कहता हूं कि इम्तहान सख्त सही पर दिले मोमिन ही क्या, जो हर एक उम्मीद पर मामूर न हो। मोमिन का लफ्ज हर एक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इम्तहान के वक्त इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है। जब इंसान पर मसायब आते हैं तब इंसान के कैरेक्टर की बुलन्दी का पता चलता है।

हम जानते हैं कि हमारे सूबे के लिए बहुत सी दुश्वारियां हैं और हमारे सूबे के लिए बहुत सी दिक्कतें हैं और इस वक्त जरूरत है कि हम मैदान में आयें और ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करें जिनसे हमारा सूबा आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके लेकिन यह उसी वक्त हो सकता है जब माइन्यूटेस्ट (सूक्ष्मतम) इत्तला से एक एक मिनिस्टर वाकिफ हो। आप कोई कागज किसी मिनिस्टर के पास रखिए, वह क्या करता है, ? वह कहता है कि भाई हमें तो पता नहीं, अब मैं दरियाफ्त करूंगा। मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले

[श्री फखरुल इस्लाम]

मिनिस्टर साहबान के पास ज्यादा जाते हैं और मुतमइन हो कर लौट आते हैं, लेकिन आप देखिए कि वह करते क्या हैं? उन्होंने उस कागज को उठाया और लिख दिया "सेक्रेटरी"। सेक्रेटरी के पास वह कागज पहुंचा और सेक्रेटरी ने लिखा "डिप्टी सेक्रेटरी"। डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा "सुपरिंटेंडेंट"। सुपरिंटेंडेंट ने लिखा "हेड क्लर्क"। उसके बाद उसने लिख दिया "क्लर्क"। इस तरह वह कागज क्लर्क के पास पहुंचा और फिर वहां से ड्राफ्टिंग (आलेखन) होगी। अगर आपको मालूम हो कि इस सेक्रेटरियट के अन्दर क्या होता है तो आप ताज्जुब करेंगे। अगर जौनपुर, बनारस या इलाहाबाद से एक पोस्टकार्ड, एक लेटर या एक खत आता है तो वह सेक्रेटेरिएट प्रेमिसेज (भवन) में जिस दिन आता है उसके चौथे दिन वह रेफरेंस क्लर्क (निर्देश सहायक) के पास पहुंचता है कि उस सिलसिले में अगर कोई कागजात हों तो वह बतलाये। सेक्रेटरियट में आने के बाद पहले वह रजिस्टर होता है और फिर वह आफिसर की सबमिशन में (के पास) जाता है। आफिसर उस पर कोई हुक्म नहीं देता है बल्कि सिर्फ इतना लिख देता है कि "आर०सी० टु रिपोर्ट" (निर्देश सहायक प्रतिवेदन दे) इस तरह आर० सी० के पास वह चार दिन में पहुंचता है। यह रेड टैपिज्म (दफ्तरी घिस घिस) नहीं है तो फिर क्या है। जरूरत यह है कि हर कागजात पर फौरन् ऐक्शन लिया जाय और यह लिख दिया जाय कि फौरन् कम्पलाएंस की जाय। लेकिन होता यह है कि १५-१५ दिन, एक-एक महीना और दो-दो महीना एक एक कागज में लग जाते हैं। इस तरह जनता की खिदमत नहीं हो सकती है। हम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं और उनको अपना कागज दे देते हैं और वापस चले जाते हैं लेकिन १५ दिन के बाद जब वह कागज फिर मिनिस्टर साहब के पास आता है तो वह भूल जाते हैं कि श्रीमान् बहराइच के जो आये थे, उन्होंने हमसे क्या कहा था और हमने उनसे क्या वादा किया था। सेक्रेटरी ने खिलाफ रिपोर्ट लिख दी और उसी पर मिनिस्टर साहब ने अपना आर्डर पास कर दिया।

मैं ऐसी मिसालें अभी हाल की, मसलन अपने जिले की दे सकता हूं कि एक साहब हैं, वह बराबर सिफारिश में आते रहे और बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अभी हाल में जब वह तंग आ गये तो दूसरा तरीका उन्होंने अख्तियार किया और काम हो गया। तो यह चीजें हैं, इनको देखते हुए मैं जनाब वाला, यह समझता हूं कि सरकार जो इतना रुपया ले रही है तो ले, मगर यह रुपया खर्च करने के लिए थोड़े ही ले रही है। यह खर्च होगा? यह तो आइंदा साल के बजट को मीट (पूरा) करने के लिए हो रहा है ताकि वह सब के सामने आ सके। खर्चा तो होगा ६ महीने के अन्दर। आज २३ तारीख है फरवरी की, कल २४ को बजट आ रहा है। उसका हिसाब शामिल हो जायगा ३ रोज में खर्चा भी न होगा। वह तो ६ महीने के अन्दर खर्च कहीं होगा, या न होगा तो आइंदा साल कहा जायगा कि बच गया। तो यह ८ करोड़ कहां से आ गया? अगर आमदनी बढ़ गयी है जितनी कि प्रोपोज हुई थी, तो मैं समझता हूं कि इस हाउस के फाइनेंस मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहिए कि बड़ी काबिलियत से उन्होंने ८ करोड़ की आमदनी उस बजट से ज्यादा करा दी। अगर आनरेबिल मिनिस्टर कहें कि जो हमारी प्रोपोज्ड (प्रस्तावित) आमदनी थी ५२ करोड़ या ५३ करोड़ की उसमें ८ करोड़ का इजाफा हो गया है तो उस हाउस को उनको मुबारकबाद देना चाहिए, लेकिन अगर उसी आमदनी में से ऐडजस्मेंट आफ अकाउंट (लेखा समन्वय) है तो फिर इनकाम्पिटेंसी (अक्षमता) जाहिर होती है। मैं नहीं कहता कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बल्कि उन डिपार्टमेंट्स की, जिन्होंने रुपया लिया और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया।

इन अल्फाज के साथ, जनाबवाला, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मंजूर नहीं करना चाहिए हाउस को और अगर मंजूर भी किया जाय तो यह सरकार इसको इसी तरह पर सर्फ करे।

श्री कृष्णचन्द्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस उत्तर प्रदेश (द्वितीय पूरक) विनियोग विधेयक के संबंध में हमारे जो सूबे के फाइनेंस हैं और उसके सम्मुख क्या

प्रक्रिया होनी चाहिए नये संविधान के अन्तर्गत, उसके संबंध में काफी बातें हमारे विरोधी दल के नेता माननीय श्री त्रिलोकी सिंह ने इस आदरणीय सदन के सदस्यों के सामने उपस्थित कीं। मैं भी यह समझता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है हमारे लिए यह संविधान पिछले वर्ष ही लागू हुआ है और जैसा कि श्रीमन्, मैंने बजट के इस सप्लीमेंटरी डिमांड के आम बहस-मुबाहसे के सिलसिले में बोलते हुए निवेदन किया था, हमें यह मौका है कि हम आइंदा के लिए अपने इस संविधान के मातहत उचित प्रथाओं को जहां तक कि फाइनेंशियल प्रोसीजर (वित्त सम्बन्धी प्रक्रिया) है कायम करें। श्री त्रिलोकी सिंह ने यह उपस्थित किया कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स दो किस्म की होती हैं--एक ऐक्सेस डिमांड (अतिरिक्त मांग) और एक वह डिमांड, जिसके संबंध में गवर्नमेंट का जो अनुमान बजट पेश करते वक्त था वह गवर्नमेंट को सही प्रतीत नहीं होता और गवर्नमेंट का यह खयाल है कि उस अनुमान में बढ़ोत्री होगी। इस वास्ते गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कि नया अनुमानित व्यय भवन के सामने पेश करे। जैसा कि श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, संविधान के अन्तर्गत जो २०५ धारा है उसके अनुसार पहले के संबंध में, यानी जो ऐक्सेस, ज्यादा खर्च हो चुका है उसके संबंध में ऐक्सेस डिमांड पेश करने की व्यवस्था है और दूसरे के संबंध में जो अनुमान की तब्दीली का सवाल है उसके संबंध में सप्लीमेंटरी डिमांड सप्लीमेंटरी बजट पेश करने की व्यवस्था है। इसके अलावा मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि चूंकि जल्दी ही हमारे माननीय वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं इसलिए उसके पेश करने के सम्बन्ध में वह कुछ बातों का ध्यान रखेंगे।

अभी तक जो बजट हमारे सामने पेश होता रहा है उस बजट के सिलसिले में दो पहलू होते हैं--एक खर्चे का पहलू और दूसरा आमदनी का पहलू। इस सप्लीमेंटरी डिमांड के सिलसिले में भी स्टेटमेंट के अन्दर यह दिया हुआ है कि यह सात करोड़ के करीब का जो खर्चा है उसमें से ढाई करोड़ का खर्चा तो वह है जो इस प्रदेश के विभिन्न विभागों की आमदनी से किया जायगा। इस के अलावा पांच करोड़ का खर्चा ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू (राजस्व) खर्चा नहीं है और इस सूबे के टैक्सों से होने वाली जो आमदनी है उससे नहीं किया जायगा बल्कि कैपिटल फंड (मूलधन निधि) से किया जायगा। ऐसी सूरत में सदन के सदस्यों को आर्थिक स्थिति का ठीक अंदाजा लगने के लिए यह जरूरी है कि बजट के दोनों पहलू सदन के सामने आ जायं यानी डिमांड्स और वेज ऐंड मींस (साधन और उपाय)। कामन्स सभा में जो सप्लाई कमेटी होती है उसका नाम सप्लाई ऐंड वेज ऐंड मींस कमेटी होता है। वह जहां डिमांड की मंजूरी देती है, जहां खर्चे की जांच करके उसकी स्वीकृति देती है, वहां जो वेज ऐंड मींस हैं उस खर्चे को किस तरह से पूरा किया जायगा कहां से किया जायेगा उसके ऊपर भी वहां पर विचार किया जाता है। सप्लीमेंटरी डिमांड के सिलसिले में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वेज ऐंड मींस की कोई आवश्यकता आ सकती है क्योंकि सप्लीमेंटरी डिमांड तो केवल उस खर्चे की पूर्ति के लिए होती है जो खर्चा साल के दौरान में उन्हीं मदों के अन्दर और ज्यादातर उन्हीं स्कीमों के संबंध में, जिनको सदन ने बजट के मौके पर स्वीकार किया और उन्हीं के संबंध में सप्लीमेंटरी डिमांड अतिरिक्त व्यय के लिये आती है। लेकिन तो भी ताकि सदस्यगण अच्छी तरह से समझ सकें मैं समझता हूं कि एक किसी प्रकार का वक्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से आना जरूरी मालूम होता है जिससे यह पता चल सके कि यह खर्चा जो गवर्नमेंट मांग रही है इस खर्चे में से कितना खर्चा वह सूबे की साधारण आमदनी से पूरा करेगी और कितना खर्चा दूसरी और मदों से पूरा करेगी।

श्रीमान्, इस सिलसिले में जो कंसालिडेटेड फंड आफ दि स्टेट (राज्य की संचित निधि) है जिसके ऊपर यह सब खर्चा होगा उसकी जो परिभाषा है उसमें कौन-कौन सी मदें जा सकती हैं और उनमें से कौन-कौन सी खर्च की जा सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद २६६ को पढ़ने से पता चलता है कि कंसालिडेटेड फंड आफ दि स्टेट जो है उसके अन्दर कौन सा रुपया जमा हो सकता है और उसमें से कौन-कौन सा रुपया खर्च हो सकता है। उसमें यह शब्द हैं--

"All revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and

[श्री कृष्णचन्द्र]

means, advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled 'the Consolidated Fund of the State."

(राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहुंडियों को निकालकर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार की प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी।)

तो यह कंसालिडेटेड फंड (संचित निधि) है और हमारे स्टेट का जो विनियोग विधेयक आज हमारे सामने पेश है उसमें भी इसी बात की व्यवस्था की गई है कि जितना रुपया हम सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स के द्वारा खर्च के लिये मंजूर कर चुके हैं इस विनियोग विधेयक में हम गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं कि वह उतना खर्चा कंसालिडेटेड फंड से निकाल सकती है। विनियोग विधेयक का यही तात्पर्य है। तो कंसालिडेटेड फंड में जितना रुपया जमा हो सकता है वह श्रीमन् संविधान से मैंने पढ़कर सुनाया। तो कितनी ही मदें हैं जो ऐसी हैं रेवेन्यूज उसके अन्दर हैं, लोन्स उसके अन्दर हैं और जो वेज ऐंड मीन्स के तरीके हैं वह भी उसके अन्दर हैं। जितने आमदनी के तरीके हैं वह भी कई तरीके संविधान में लिखे हुये हैं, सिर्फ रेवेन्यूज ही नहीं हैं। तो इस तरीके से जैसा मैंने निवेदन किया यह जरूरी है कि किसी तरह की कोई जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से इस सम्बन्ध में दी जानी चाहिये कि कितना रुपया हम रेवेन्यूज से मीट करेंगे और कितना रुपया वह दूसरी मदों से मीट करेंगे।

दूसरी बात जो श्री त्रिलोकीसिंह जी ने कही कि सप्लीमेंट्री डिमांड के सिलसिले में कोई वक्त निर्धारित न पहले था जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट था और न हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस के अन्दर है। मैं यह मानता हूं जैसा उन्होंने पढ़कर सुनाया कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार सप्लीमेंटरी डिमांड के लिये नियमों के अन्दर प्रक्रिया के जो नियम हैं उनमें कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन हाउस आफ कामंस में जो सप्लीमेंट्री डिमांड विचार किया जाता है और हर साल सरकार वहां पर सप्लीमेंटरी डिमांड रखती है तो यह बात मैं श्री त्रिलोकी सिंह जी की मानने को तैयार नहीं हूं कि सप्लीमेंटरी डिमांड कोई ऐसी चीज है जो हाउस आफ कामंस में एक्स्ट्रा आर्डिनरी(असाधारण)चीज समझी जाती है। हाउस आफ कामंस के अन्दर जो वेज ऐंड मींस हैं और वह करीब-करीब अगस्त से लेकर मार्च तक चलता रहता है बहुत काफी अर्से तक चलती है और उसका मकसद यही है कि पार्लियामेंट के सदस्य गवर्नमेंट के विभिन्न मुहकमों के संबंध में समय-समय पर बहस कर सकें, अपनी राय जाहिर कर सकें और इसी विचार से वहां पर सप्लाई कमेटी के बिल बहुत महीनों में तकसीम किये गये हैं ताकि जब कभी किसी माननीय सदस्य को कोई बात किसी विभाग के संबंध में देना जरूरी मालूम पड़े या कोई जरूरी सवाल किसी मुहकमे के मुताल्लिक उठाना पड़े तो सप्लाई कमेटी में उसे उठा सके। जो सप्लाई कमेटी वहां पर होती है उसमें बजट पर विचार होता है, जो कि हम यहां डिमांड के तरीके पर बहस करते हैं और मंजूर करते हैं, वेज ऐंड मींस पर विचार होता है, जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स आते हैं उस पर भी उसी कमेटी में विचार होता है। मे को पढ़ कर आपने सुनाया। मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में एक नक्शा भी दिया हुआ है कि किस साल पार्लियामेंट के कितने अधिवेशन हुये, कितने दिन तक हाउस आफ कामंस बैठा, कितने दिन सप्लाई कमेटी के अधिवेशन हुये, कितने दिन सप्लीमेंटरी डिमांड के लिये दिये गये, कितने दिन बजट के लिये दिये गये और कितने दिन किस काम के लिये दिये गये। श्रीमान्, आप देखेंगे कि यद्यपि प्रक्रिया के नियमों के द्वारा वहां पर कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन सप्लाई कमेटी के लिये दिन निर्धारित है, उसके लिये प्रक्रिया के अन्दर दिन मुकर्रर कर दिये गये हैं और उन दिनों के अलावा सप्लाई कमेटी नहीं बैठ सकती और उन्हीं दिनों के अन्दर सप्लाई कमेटी को सप्लीमेंट्री डिमांड भी तय करना है, बजट के मुताल्लिक भी जो डिमांड्स आती हैं उनको भी तय करना है। यद्यपि प्रक्रिया के नियमों के अन्दर कोई दिन निर्धारित नहीं है लेकिन वहां पर कमेटी को या सदन के

सदस्यों को पूरा मौका है कि वह जितना समय चाहें सप्लीमेंटरी डिमांड के विचार करने में लगा सकते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश रीजनल एम्प्लायमेंट एडवाइजरी कमेटी के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

उपाध्यक्ष--मुझे यह घोषित करना है कि रीजनल एम्प्लायमेंट एडवाइजरी कमेटी उत्तर प्रदेश में एक रिक्त स्थान के निर्वाचन के लिये दो नामांकन-पत्र प्राप्त हुये हैं--

(१) श्री श्यामा चरण बाजपेयी।

(२) श्री शिवदान सिंह।

दोनों नामांकन-पत्र नियमानुकूल थे और समय के भीतर श्री शिवदान सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। अतः अब मैं श्री श्यामा चरण बाजपेयी को उचित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं।

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)--(क्रमागत)

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स के लिये हाउस आफ कामन्स में जो तरीका चलता है उसमें भी यद्यपि नियमों के अंदर दिन निर्धारित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, परन्तु असल में सप्लाई के लिये दिन मुकर्रर रहते हैं और उन दिनों में, बजट, सप्लीमेंटरी डिमांड्स और एप्रोप्रियेशन बिल को खत्म करना होता है। इसलिये जहां तक दिनों का सवाल है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि जितने दिन चाहें सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स पर वहां का सदन बहस मुबाहिसा कर सकता हो।

जहां तक फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री के खर्चे पर नियंत्रण का सवाल है और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था उसके संबंध में यद्यपि हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी खर्चा, जिसकी बजट में इस सदन ने स्वीकृति न दी हो और जिस पर बजट के मौके पर अच्छी तरह से विचार न हुआ हो, वह खर्चा करने की अगर गवर्नमेंट को जरूरत महसूस होती है या जो खर्चा गवर्नमेंट का निर्धारित है उससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत गवर्नमेंट को मालूम पड़ती है। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है और वह उचित व्यवस्था है कि वह सब खर्चे गवर्नमेंट फाइनेंस कमेटी के सामने लाती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही वह सब खर्चे गवर्नमेंट करती है। इन खर्चों की छानबीन करने का मौका इस सदन के सदस्यों को फाइनेंस कमेटी में अच्छी तरह से मिलता है। यह परिपाटी हाउस आफ कामन्स में नहीं है। जहां तक सप्लीमेंटरी डिमांड और उसके संबंध में उचित प्रथा को कायम करने के संबंध में श्री त्रिलोकी सिंह ने इस सदन के सामने अपने भाषण में कुछ बातें कहीं मैं बड़ी नम्रता के साथ उनके सामने यह बातें कहने की आवश्यकता समझता हूं कि हाउस आफ कामन्स की बनिस्बत सप्लीमेंटरी डिमांड्स में जितने आइटम हमारे यहां आते हैं, हमारे यहां इस सदन का उन मदों पर जितना नियंत्रण है वह हाउस आफ कामंस की अपेक्षा एक तरह से ज्यादा कड़ा है क्योंकि हमारे यहां फाइनेंस कमेटी में गवर्नमेंट उन सब मदों के खर्चे लाती है और जब फाइनेंस कमेटी उनको स्वीकार कर लेती है तभी उन खर्चों को किया जाता है। सप्लीमेंटरी डिमांड्स की जो यह व्यवस्था चल रही है, मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था निहायत उचित है और हाउस आफ कामन्स की जो दलील उन्होंने दी, वह नहीं खपती।

[श्री कृष्णचन्द्र]

कामन्स सभा में वोट आफ डिमांड और वोट आफ क्रेडिट कई दफा आते हैं। जहां तक सप्लीमेंटरी डिमांड्स की बात कही उसके संबंध में मैं निवेदन कर चुका। यद्यपि वह जाब्ते की बात जो कही गई, सही है अर्थात् एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंटरी डिमांड दोनों अलग अलग हो जायं तो अच्छा है। इससे जाब्ते की पूर्ति होगी। जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स के संबंध में पुस्तिका हमें दी गयी है यदि उसको पढ़ें तो ज्यादा तर एक आध जगह पर ऐसा हो जहां न लिखा हो कि वह खर्चा कांटिजेंसी फंड से किया जा चुका है बाकी करीब करीब सब जगह वह बात लिखी हुई है। एक तरह से जितने भी खर्चे इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स के अन्तर्गत इस आदरणीय सदन के सामने पेश हैं और जिनकी इस सदन ने मंजूरी की वे ज्यादातर ऐक्सेस डिमांड के अंदर आती हैं जिसकी पूर्ति कांटिजेंसी फंड से हो चुकी है।

इन बातों के कहने के बाद श्रीमान्, मुझे वित्त मंत्री से कुछ बातें, जो खर्चा इस विधेयक के अन्तर्गत धारा ३ में दिया हुआ है, उसके संबंध में निवेदन करनी है। इस खयाल से निवेदन नहीं करना है कि मुझे कोई आलोचना करनी है बल्कि इस खयाल से निवेदन करना है कि जब वह कल अपना बजट पेश करने वाले हैं उस संबंध में वह उचित जानकारी प्राप्त करके इस सदन के सामने रख सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके सामने यह बातें निवेदन करूं। उद्योग की मद में एक सप्लीमेंटरी डिमांड के बारे में कहना है।

प्रेसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के लिये ३ लाख ३७ हजार रुपये बजट के अन्दर थे और दो लाख ४७ हजार रुपये अब इस आदरणीय सदन ने उस संबंध में स्वीकार किये। तो एक तरह से ६ लाख के करीब उस प्रेसीशन इंस्ट्रूमेंट के कारखाने के संबंध में यह सदन अपनी स्वीकृति दे चुका है। इस कारखाने के संबंध में इस सदन के सामने कुछ प्रश्न भी किये गये थे और उनके जवाब में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इस कारखाने का काम मुख्यतः पानी के मीटर बनाने का है और करीब साढ़े चार हजार वाटर मीटर्स बन कर तैयार हैं, एक-दो महीने के अन्दर ठीक वक्त मुझे नहीं मालूम, और अधिक मीटर तैयार हो जायंगे और उनकी लोगों को सप्लाई भी होने लगेगी। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री से इस सदन के कुछ सदस्यों ने लिख कर प्रार्थना की कि वे उस कारखाने को देखना चाहते हैं ताकि मालूम कर सकें कि उसका काम किस तरीके पर चल रहा है। उसके संबंध में कितनी ही शिकायतें समाचार-पत्रों में आ चुकी हैं। मैं भी उनमें से एक था। वहां जाकर देखा गया। वहां वाटर मीटर्स जिनके मुताल्लिक कहा गया था कि साढ़े चार हजार बन कर तैयार हैं, एक भी वाटर मीटर तैयार नहीं था। जो जवाब सदन के सम्मुख दिया गया था, बहुत खोज-बीन करने पर मालूम हुआ कि उसका शायद मतलब यह रहा होगा जैसा कि साढ़े चार हजार या ढाई हजार मीटरों के कुल पुर्जे अलग-अलग तैयार हो चुके हैं उनको एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया ताकि मीटर की शक्ल में आ सकें। और वह इस वास्ते नहीं किया गया कि मीटर सन्तोषजनक हैं या नहीं, उसकी बनावट, उसका काम ठीक तरह से सन्तोषजनक हो सकता है या नहीं, उसके लिये मीटर को अलीपुर के प्रयोगशाला में भेजा गया है और वहां से अभी तक सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं आयी है। इस बात की इन्तजारी थी कि सन्तोषजनक रिपोर्ट आने पर वे जितने भी पुर्जे अलग अलग थे उनको इकट्ठा करके मीटर की शक्ल दे दी जायगी। इस संबंध में और खोजबीन करने से पता चला कि अलीपुर टेस्ट हाउस को वह मीटर दो दफा या एक दफा पहले भेजा जा चुका है और वहां से जो रिपोर्ट आयी है वह असन्तोषजनक रिपोर्ट थी कि यह वाटर मीटर ठीक तरह से बना नहीं है या ठीक काम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि उन गलतियों को ठीक करके अब कुछ नये मीटर अलीपुर टेस्ट हाउस में भेजे गये हैं और उसकी रिपोर्ट जब सन्तोषजनक आ जावेगी जिसकी उन्हें आशा थी कि सन्तोषजनक रिपोर्ट आवेगी, तो उस रिपोर्ट के आने के बाद मीटर तैयार कर दिये जायंगे। श्रीमन्, अब मुझे मालूम हुआ है कि अभी तक वह रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं आयी है। तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जाकर देखने से मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट को जितनी भी रिपोर्टें इस फैक्टरी के मुताल्लिक अभी तक दी गयी हैं, जैसा कि वहां जाकर मालूम हुआ वह यह थी कि यह फैक्टरी नवम्बर से अपना काम मैनुफैक्चर (वस्तुनिर्माण) का

शुरू कर देगी, सप्लाई भी करने लगेगी, उसके बाद फिर फरवरी का महीना मुकर्रर हुआ और और भी कई दूसरी तारीखें मुकर्रर हुईं कि इस तारीख से हम अपना मैनुफैक्चर का काम ही नहीं शुरू कर देंगे बल्कि सप्लाई करना भी आरम्भ कर देंगे लेकिन वह अभी तक भी कुछ कर नहीं सके। कम से कम इतनी बात तो मैं कह सकता हूं कि वाटर मीटर के संबंध में जो भी आशा इस भवन को हुई, या गवर्नमेंट जिस बात की तवक्को रखती है वह शायद पूरी नहीं होगी। वाटर मीटर अगर बन कर तैयार भी हो गया तो अलीपुर टेस्ट हाउस से सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं आवेगी। उस वाटर मीटर की बिक्री ज्यादा होगी या काम ज्यादा अच्छा हो सकेगा इसके बारे में बहुत शुबहात हैं और सन्देह हैं। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ज्यादा कुछ न कह कर सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में वित्त मंत्री जी और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे और जब बजट के मौके पर यह चीज आवे तब हम लोगों को यह मौका होगा कि उस पर बहस करें।

एक बात मैंने उस रोज अर्ज की थी कि जो खर्चा अभी बढ़ा है वह नार्मल मदों में बढ़ा है और नार्मल मदों में बढ़ने की कुछ मिसालें भी मैंने दी थीं और उसका जो जवाब भी हमें वित्त मंत्री जी ने दिया था उससे यह मालूम हुआ कि जो कुछ भी मेरा अनुमान था वह बहुत हद तक सही नहीं था। उसके जवाब से प्रतीत हुआ कि उसमें काफी छानबीन की गयी और ऐसे खर्चे जो आवश्यक थे, जिनके बिना काम नहीं चल सकता था उन्हीं को रखा गया। बजट को बनाते वक्त जब कटौती की गयी थी तो गवर्नमेंट का इरादा था कि वह इसमें जहां तक हो सकेगा किफायतशारी करेंगे और खर्चे को कम करने की कोशिश करेंगे। उन खर्चों में कमी करने के इरादे से गवर्नमेंट ने उन खर्चों को कम करके बजट में रखा था ताकि वह पूरा नियन्त्रण खर्चे पर कर सकें। बाद में जब यह मालूम हुआ कि इतने से काम नहीं चल सकता है तब मजबूरी की वजह से और जनहित के ख्याल से गवर्नमेंट को उन खर्चों को मंजूर करना पड़ा और उसका एक नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट की जो मितव्ययता की नीति थी, किफायतशारी का दृष्टिकोण था जिसके कारण बजट के मौके पर उन खर्चों में कटौती की गई थी, बाद में गवर्नमेंट को उन खर्चों में वृद्धि करनी पड़ी। इससे यह जाहिर होता है कि गवर्नमेंट ने जितनी मितव्ययता हो सकती थी उसे किया लेकिन जो खर्चे जरूरी समझे गये उनको बाद में उन्हें करना पड़ा। एक बात मैं और समझता हूं और उसको जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं, उस दिन उसको कहने का मौका नहीं मिल सका था और जहां तक ऐसे खर्चे हमारे बजट के अन्दर हैं और जिनका संबंध और बहुत गहरा संबंध हमारे अधिकारियों की सुविधा से है उन प्रत्येक खर्चों में वृद्धि हुई है। जहां तक देखने में आया है वह वृद्धि इसी कारण से होती है कि अधिकारी वर्ग अपनी आसायश को कम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने उस दिन इस भवन के सामने कहा था कि अब इस बात की जरूरत है कि ऐसे मदों पर जब कि इतना आर्थिक संकट है तब यात्रा के विषय में काफी किफायतशारी की जाय। जो अफसर रेल से सफर कर सकता है और रेल से सफर करने में किफायतशारी हो सकती है तो वे मोटर से सफर न करें। जहां पर एक दफा जाने से काम चल सकता है तो वहां पर बारबार न जाया जाय लेकिन देखने में यह आता है कि बावजूद गवर्नमेंट के अच्छे इरादे के होने के और इस संबंध में हिदायत करने के जितनी भी मदें ऐसी बजट के अन्दर हैं जिनका संबंध यात्रा से है उन सब खर्चों में वृद्धि हुई है। अभी मैं देखता हूं कि इसके अन्दर अनुदान संख्या ५ में यात्रा के संबंध में ८४ हजार अधिक खर्चा हुआ है। मोटर गाड़ियों के संबंध में भी खर्चा ज्यादा और हुआ। उन गाड़ियों से मेरा मतलब नहीं है जो किराये पर चलती हैं बल्कि उन गाड़ियों से जो अफसरों के काम में आती हैं, उन सब गाड़ियों के खर्चे में हर एक जगह वृद्धि हुई है। जितना पेट्रोल का खर्चा या स्पेयर पार्ट्स का खर्चा या इसी तरह का दूसरा खर्चा था उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। शिक्षा के संबंध में जो मांग इस भवन ने मंजूर की है वह टोकेन (प्रतीक) मांग ५०० रुपये की थी। शिक्षा के अन्दर देखने से पता चलता है कि कई बड़े-बड़े खर्चे इस प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिये किये गये जो ५०० रुपये से कहीं अधिक थे। बहुत सा ऐसा

[श्री कृष्णचन्द्र]

खर्चा किया गया जो बजट के अन्दर नहीं था लेकिन उन खर्चों को विभाग ने अपने यहां से ही कमी करके पूरा किया और इस वास्ते इस भवन के सामने सारी मांग टोकन के रूप में रखी गई है ताकि इस भवन को मौका मिले कि वह अपनी राय उन खर्चों के संबंध में दे सके। एक तरह से देखने से यह निहायत अच्छी बात मालूम होती है कि कोई विभाग अपने खर्चे को यदि बढ़ाता है और उन खर्चों को करता है जो लोगों के फायदे के लिये जरूरी हैं तो वह यह कोशिश करे कि उन खर्चों की पूर्ति भी अपने विभाग के दूसरे खर्चों के अन्दर कमी और किफायतशारी कर के कर सके।

मालूम होता है और पता यह चलता है कि जो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने दस हजार या ११ हजार के करीब इस सूबे में नई योजना के अनुसार खोले थे उनको गवर्नमेंट ने नवम्बर सन् ५० से अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द कर दिया है और उनको अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही चलावेगा और उनके खर्चे को भी अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही वहन करेगा और उस खर्चे को गवर्नमेंट ग्रान्ट के रूप में उनको देगी। इन स्कूलों के संबंध में जब यह स्कूल गवर्नमेंट के मातहत चल रहे थे तब उनको अध्यापकों का जो वेतन था वह वेतनक्रम अब उनको नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों का वेतन क्रम अब तक अलग व कम था और गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम बढ़ा हुआ था। अब यह जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये हैं उनके अध्यापकों का वेतनक्रम भी वही हो जायगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दूसरे स्कूलों के अध्यापकों का वेतन क्रम है। अब तक जो भेद था दुराव था वह अखर रहा था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को यह शिकायत थी कि हम भी वही काम करते हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कूलों के अध्यापकगण करते हैं लेकिन हमारा वेतनक्रम कम है और उनका ज्यादा है। एक ही सरकार के अन्दर यह भेदभाव की नीति अच्छी नहीं थी, वह अब मिट जायगी यह एक अच्छी बात है लेकिन किफायत का काम भी उसी से होगा। मुमकिन है कि जो कमी हमारे बजट में दिखाई देती है, मेरा मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा नहीं हुआ, किफायतशारी की यह भी बहुत बड़ी मद्द थी और प्राइमरी स्कूलों का जो बहुत बड़ा खर्च था जब नवम्बर से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चले गये तो उनके खर्च में काफी बचत गवर्नमेंट को होगी और उस बचत से गवर्नमेंट ने बहुत से और काम शिक्षा के किये हैं। लेकिन मैं साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जहां वह अपनी किफायतशारी की नीति रखें वहां वह साथ ही में इस बात का भी खयाल रखें कि जहां इस सूबे के अन्दर गवर्नमेंट शिक्षा के लिये जिम्मेदार है और गवर्नमेंट शिक्षा पर पूरा खर्च करती है वहां इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपिल बोर्ड जो शिक्षा पर खर्च करते हैं गवर्नमेंट उचित अनुदान उनको दे, जितना उनको देना चाहिये वह नहीं देती है और वह उसमें किफायतशारी करती है। वह किफायतशारी प्रान्तीय बजट में तो दिखाई देती है लेकिन वह कोई अच्छी किफायतशारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपिल बोर्डों को जो इस वजह से तकलीफ और परेशानी होती है और शिक्षा का जो नुकसान होता है वह बहुत बुरा होता है और इसलिये ऐसी किफायतशारी कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं दो मिसालें इस सम्बन्ध में देता हूं। म्युनिसिपल बोर्ड वृन्दावन में कम्पलसरी एजूकेशन डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में मेरे पास आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की १० अगस्त, सन् १९४९ ई० की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने उसके खर्च को मंजूर किया है। उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं ——

23-2-51.

"Visited the Municipal Board Office and the Education Department. The new Superintendent of Education is an enthusiastic man and tries to push the scheme of compulsory primary education. The Government could not sanction the scheme of primary compulsory education for girls last year. I authorise the Board to start the scheme this year

from August 15 and the Government will pay their share. There are only two clerks."

(म्युनिसिपल बोर्ड आफिस और शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया। नये शिक्षाधीक्षक बड़े उत्साही व्यक्ति हैं और वे अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा-योजना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। गत वर्ष सरकार बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना स्वीकार न कर सकी। मैं बोर्ड को इस वर्ष १५ अगस्त से इस योजना को आरम्भ करने का अधिकार देता हूं और सरकार अपना भाग प्रदान करेगी। वहां केवल दो क्लर्क हैं।)

यानी उसमें उन्होंने लिखा है कि--

"I authorise the Board to start the scheme of compulsory education for girls from this year."

(मैं बोर्ड को इस वर्ष इस योजना को आरंभ करने का अधिकार देता हूं।)

मकसद यह कि १० अगस्त, सन् १९४९ ई० को इन आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी ने अपने निरीक्षण के संबंध में यह बात लिखी कि मैं बोर्ड को अधिकार देता हूं कि वह लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा भी १५ अगस्त से शुरू कर सकता है और उसके लिये स्कूल खोल सकता है और गवर्नमेंट अपने हिस्से का अनुदान उसको देगी। लेकिन श्रीमन्, बाद में पता चला कि गवर्नमेंट ने अभी तक लड़कियों के लिये अनिवार्य शिक्षा की योजना को स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए वह ग्रांट बोर्ड को नहीं दी गयी। बोर्ड ने जैसा कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी ने लिखा था, स्कूल भी खोल दिये, कम्पलसरी स्कीम (अनिवार्य योजना) जारी कर दिया, उस पर खर्च कर दिया। गवर्नमेंट का यह कहना कि हम ग्रांट नहीं दे सकते, यह एक तरह से उस शिक्षा की जो गति हुई थी उसको उलटा कर देना होता। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज सूबे में एक आध से ज्यादा नहीं है, लेकिन एक आध भी अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो, मैं तो यह नहीं कहता कि वे बातें जान बूझ कर होती हैं, मैं आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी को कोई दोष नहीं देता। उनके अन्दर उत्साह तो था, वे यह चाहते थे कि जहां तक हो सके लड़कियों के लिये भी अनिवार्य शिक्षा इस सूबे में जल्द से जल्द हो जाय और जो म्युनिसिपल बोर्ड उसका बोझ अपने ऊपर लेना चाहे उसको प्रोत्साहन दिया जाय और गवर्नमेंट उसको मदद दे और इसी खयाल से उन्होंने यह सब लिखा था और जिस वक्त उन्होंने यह लिखा था उनको यह पूरी उम्मीद थी कि वे उसके लिये उचित अनुदान दे सकेंगे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को कुछ दिक्कतें आयीं और उन दिक्कतों के कारण गवर्नमेंट उस स्कीम को जारी नहीं कर सकी। लेकिन जहां इसके लिये स्कूल खुल गये और फिर उनको अगर बन्द करना पड़ता तो वह बहुत अच्छी बात नहीं होती और जहां तक आम आदमियों का सम्बन्ध था वे तो इन सब बातों को नहीं समझते। उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता, वह कहते कि गवर्नमेंट की भी क्या हालत है, एक दिन एक काम को करती है और दूसरे दिन उसको बन्द करती है। यह बात कोई अच्छी नहीं है। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं जहां तक कि इस विधेयक का संबंध है और इस विधेयक के संबंध में जो माननीय वित्त मंत्री का प्रस्ताव है कि उस पर यह आदरणीय सदन विचार करे, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ऐप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में मैं अपने विचार इस भवन के सम्मुख रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो-एक बातें ऐसी हैं कि जिनकी सरकार से यह आशा थी कि उससे हमें सही-सही जानकारी हासिल होगी। मतलब यह कि जो ७ करोड़ कुछ लाख की सप्लीमेंटरी मांग की गई है इसके बारे में सदन को यह तो मालूम होना चाहिये कि सरकार इस रुपये को कहां से लावेगी और किस मद से वह उसे निकालना चाहती है। दूसरे यह कि मैं समझता हूं कि यह बड़ी ही अदूरदर्शिता है। एक समय था कि जब सन् ३४ या ३६ में, जैसा कि मैंने सुना है, गवर्नमेंट का कुल बजट ८ या ९ करोड़ रुपये का होता था। बहरहाल, मैं उसका विरोध नहीं करता और अगर सरकार को रुपये की आवश्यकता है तो वह सप्लीमेंटरी डिमांड पेश कर सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जो डिमांड्स (मांगें) हैं वे कहां तक उचित हैं और उनके लिये पहले ही से क्यों नहीं सोच लिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बहुत जरूरी है कि सरकार

[श्री गुरु नारायण]

को इस भवन को अपने कान्फिडेंस (विश्वास) में लेना चाहिये कि वह इस मांग को कहां से पूरा करेगी और किस आमदनी से वह लेने की सोच रही है।

मेरा कोई विचार पहले इस बिल के ऊपर विवाद में हिस्सा लेने का नहीं था लेकिन मैंने पत्रों में पढ़ा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इसी सप्लीमेंटरी डिमांड्स के बजट के सिलसिले में यह कहा जमींदारी अबालीशन के संबंध में कि यह तो वायस आफ दी पीपुल (जन साधारण का मत) है और उसे कोई रोक नहीं सकता, इसे मानना ही पड़ेगा। शायद हमारे मित्र फखरुल इस्लाम साहब ने जोकि जनता पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने भी तेजी में कहा और हमारे मुख्य मंत्री ने उनका वाक्य दोहराया और उसका समर्थन किया। मुझे ताज्जुब होता है जब मैं यह देखता हूं कि किसी चीज में वायस आफ दि पीपुल समझी जाती है और किसी में नहीं। मैं अपनी मौजूदा पार्टी से जोकि हुकूमत में है यह पूछना चाहता हूं कि क्या वायस आफ दि पीपुल या विल आफ दि पीपुल उस वक्त भी ली गई थी जिस वक्त भारतवर्ष के दो टुकड़े कर दिये गये थे? उस वक्त वायस आफ दि पीपुल या विल आफ दि पीपुल कहां थी? आज इस प्रकार की बातें वायस आफ दी पीपुल के बारे में क्यों कही जाती हैं? फिर अभी भी हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट में हिन्दू कोड बिल मौजूद है और परसिस्टेंट डिमांड (आग्रह पूर्ण मांग) हम लोगों की हो रही है कि वायस आफ दि पीपुल जो है, जो उससे अफेक्टेड (प्रभावित) होते हैं, उनसे इसके बारे में पूछा जाय, लेकिन मैं यह देखता हूं कि बराबर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वायस आफ दि पीपुल इसमें कंसल्ट (परामर्श) नहीं की जा सकती है। इसमें तो वायस आफ दि इंडिवीजुअल्स है। तो बात क्या है? वह यह है कि वायस आफ दि पीपुल्स तो है ही नहीं, वायस आफ दि इंडिवीजुअल्स है।

जो खर्च जमींदारी के संबंध में किया गया और डिमांड्स पेश की गईं उनमें से बहुत सा फजूल है। इसमें आपने ५० हजार रुपया का खर्च मांगा है सबट्रेजरीज में जाने के लिये और इस तरह से जो रुपया जमा हो उसे ले जाने के लिये। २५ हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज के जरिए पब्लिसिटी के लिए आपने मांगा, फिर एक लाख रुपया आपने पंचायत के सेक्रेटरीज को और उनके सभापतियों को इनाम देने के लिए मांगा। एक तरफ तो हमारी सरकार यह कहती है कि जहां तक पंचायत के सेक्रेटरीज का संबंध है वह इंडिपेंडेंट (स्वतन्त्र) हैं, वह इस काम में लगाये नहीं जायंगे लेकिन दूसरी तरफ उनको इनाम देने के लिए आप एक लाख रुपया मांगते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार इस खर्चे को सरकार जस्टीफाई (न्याय से प्रमाणित) कर सकती है। हां यह बात दूसरी है कि इस समय इस भवन में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और वह जो चाहें कर लें लेकिन न्याय की बात यह नहीं है और न इसको कोई न्याय कह सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह बिलकुल फजूल का खर्चा है। जब आप यह कहते हैं कि जिसका जी चाहे वह भूमिधर बने, तो फिर इस सिलसिले में किसी प्रकार का खर्च करना टैक्सपेयर (करदाता) को बरबाद करना है। मैं नहीं समझता कि यह सरकार की उचित डिमांड है।

इसके अलावा जहां तक नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट (राष्ट्र-निर्माण विभागों) का संबंध है मैं देखता हूं कि योजनायें आती हैं और एकदम बन्द होती चली जाती हैं लेकिन जो मौजूदा डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तनख्वाहों पर इतने ज्यादा लम्बे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। इन सब बातों पर सरकार को ध्यानपूर्वक गौर करना चाहिये। बहरहाल, रुपया आता तो हमारी जनता ही से है और हमारे किसानों ही से है, उसको इस प्रकार बरबाद नहीं करना चाहिये।

मैं जब विल आफ दी पीपुल (जनता की इच्छा) के लिए कह रहा था उस वक्त मुझे यह भी कहना था कि एक करोड़ आदमी, जिनकी जायदादें आप ले रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी आप पर है उनके बारे में आपने विल आफ दि पीपुल तो हासिल किया नहीं, लेकिन कह यह रहे हैं कि जमींदारी खत्म करना विल आफ दी पीपुल है और वह खत्म हो करके रहेगी। इन सब बातों को समझने की

जरूरत है और मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में जो भी रुपया रक्खा गया है वह बहुत ही गलत है और अनुचित है और फिर सब से बड़ी बात यह है कि प्रत्येक सरकार के लिए यह जरूरी है कि जब अपना बजट बनाये तो वह सोच समझ कर बनाये । सात-आठ करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट पेश करना उचित और न्याय की बात नहीं है जब कि सन् १९३६ ई० से पहले पूरे सूबे का बजट केवल ८ या ९ करोड़ का होता था। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री चेतराम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो सात-साढ़े सात करोड़ रुपये इस बजट में रक्खे गये हैं उनमें एक मद यह भी है कि जेल के लिए १५,८५,६०० रु० रक्खे गये हैं । यह रुपये किसलिए रक्खे गये हैं ? यह रुपये इस लिए रक्खे गये हैं कि जेल की आबादी बढ़ रही है यानी जुर्म करने वालों की तादाद जेल में बढ़ती जा रही है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब जुर्म करने वालों की आबादी बढ़ रही है तब सरकार का क्या कर्त्तव्य है ? उनकी आबादी क्यों बढ़ रही है, क्या सबब है बढ़ने का ? जब सरकार ही इतना इन्तजाम नहीं कर सकती, जरायम नहीं रोक सकती, डाकेजनी नहीं रोक सकती, नकब नहीं रोक सकती तो वह सरकार ही किस काम की ? अगर यही रवैया सरकार का रहा तो जनता का नैतिक पतन बराबर होता ही रहेगा और समाज का जो उसूल है वह जाता रहेगा और सरकार के प्रति उनके मुंह से बद्दुआ निकलती रहेगी । इससे बढ़कर तो विदेशी सरकार अच्छी थी। उसके जमाने में इतने जरायम नहीं होते थे । तो हमें सरकार से यह कहना है कि सरकार को चाहिये कि जनता का ठीक-ठीक प्रबन्ध करे, जो जरायम बढ़ रहे हैं उनको उचित रूप से रोकने की कोशिश करे ताकि जनता में जो हड़कम मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है वह दूर हो । अगर सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती है तो जनता का इन्तजाम करने वाला इस सूबे में कौन है और किसके पास जनता कहने जाये कि हम लुट रहे हैं, कट रहे हैं, फुंक रहे हैं और चोरी और डाकेजनी बढ़ रही है ? यह तो सरकार का कर्त्तव्य है कि सच्चा-सच्चा, अच्छा अच्छा इन्तजाम करे ताकि जनता की परेशानियां और तकलीफें दूर हों । अगर सरकार अच्छा इन्तजाम करे तो यह जो इतना रुपया रखा गया है, उसके रखने की जरूरत भी न पड़े और जनता में भी जो तहलका मच रहा है वह भी दूर हो जाय । दोनों तरफ से सहूलियत पैदा हो सकती है, लेकिन सरकार करे क्या ? सरकार में तो मालूम देता है कि इन्तजाम करने का माद्दा ही नहीं है, या जो सरकार के कर्मचारी हैं वह सरकार के हुक्म को ठीक से नहीं मानते । अगर मानते हैं तो ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकते । हमारी तो समझ में आता है कि जैसी नीयत वैसी बरकत । जब सरकार की नीयत में खामी आ गयी तो बरकत कहां से होगी ? आपने १५,८५,६०० रु० मांगा है । आप मांग मांगिये लेकिन जितना आप मांग मांगते जाते हैं उसी के हिसाब से जरायम भी बढ़ते चले जा रहे हैं । क्या सबब है ? कुछ समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या इन्तजाम है और सरकार कैसी है । इसी वास्ते तो बाहर की जनता यह कहती है कि सबसे बेहतर बात तो यही है कि विदेशी सरकार के जमाने में इन्तजाम सच्चा था । कहीं डाका पड़ जाता या लूट हो जाती तो हड़कम मच जाता था । जिस थाने के हल्के में यह बात होती थी उस थानेदार को मुअत्तल और सस्पेंड किया जाता था, लेकिन आज जो पुलिस का बोलवाला है, कोई जरायम करने वाला न तो पकड़ा जाता है और अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे पकड़ती है जो जरायमपेशा के नाम से बदनाम है । अगर जेल के अन्दर देखा जाय तो वहां ज्यादा तादाद उन लोगों की पाई जायगी जो जरायम के लिये बदनाम हैं । असली चोर से तो पुलिस की शिरकत है, वह पकड़ा कैसे जा सकता है ? जो पकड़ने वाला है वह खुद जुर्म करता है, खुद शिरकत करता है तो कौन पकड़ सकता है ? इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि उचित रूप से इन्तजाम करे जिससे जनता की तकलीफ रफा-दफा हो और खर्च में भी किफायत हो । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री प्रेमलाल वैद्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जो बिल पेश है इसमें बहुत

[श्री प्रेमलाल वैद्य]

ज्यादा खर्च हैं और सरकार ने बहुत गलत तरीके से इसको रखा है। यद्यपि मैं यह समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के अन्दर वास्तव में कमी है और वह अच्छा काम करने में भी असमर्थ है तथापि मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार हर विभाग में जैसी जनता की मांग होती है उसी के अनुसार रखती है और सही उपयोग में लाती है। जिस विभाग में जो भी कार्य हो रहा है ठीक ही हो रहा है और जो माननीय सदस्य ने अभी कहा मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता कि बजट बहुत अधिक है और यह जब कि विभाजन हुआ उसमें जनता की मांग का कहां तक समर्थन किया गया। विभाजन का संबंध तो इससे नहीं था। विभाजन तो उस समय की सरकार ने करवाया था। आज जनता की जैसे-जैसे मांग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बजट भी बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी नीयत से ही हो रहा होगा। दूसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि जेल का खर्चा अधिक है और जेल का खर्चा इतना क्यों बढ़ गया? इसके मानी यह नहीं हैं कि जेल का खर्चा इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि रहने वाले वहां ज्यादा हैं। बल्कि इसका कारण यह भी हो सकता है कि जेल के रहने वाले आदमियों को सुधारा जाय, जेल की व्यवस्था ठीक की जाय, वहां के रहने वालों को शिक्षा और दूसरे साधनों से ठीक किया जाय ताकि जिन कृत्यों के कारण उनको जेल आना पड़ा वे कृत्य यहां से जाकर वे न करें।

वास्तव में जो बजट पेश होता है अगर वह ठीक प्रकार से खर्च किया जाय तो जनता की बहुत अधिक सेवा हो सकती है। इस बजट में बहुत सा रुपया सरकारी कर्मचारियों के घूमने में खर्च हो जाता है। यदि यह रुपया जनता के हित में लगाया जाय तो यहां की बहुत उन्नति हो सकती है।

मैं आपका ध्यान अपने जिले की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जंगल के विषय में हमने पहले भी कहा था कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन बजट में ठीक रुपया रखते हुए भी उसका ठीक खर्च नहीं हुआ। इसी तरीके से और दूसरे विभागों में भी कर्मचारी ठीक प्रकार से काम नहीं करते। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि रुपया सही तरीके से खर्च होना चाहिए जिससे जनता की अधिक से अधिक भलाई हो सके।

पिछले वर्ष जो पत्रिका हम को दी गयी थी उसमें निकाला गया था कि हमारे यहां एक कांच का कारखाना खोला जायगा। दूसरे देवप्रयाग में छपाई का काम होगा लेकिन वह काम हुआ नहीं वह पत्रिका में ही रह गया। या तो ऐसी बात रखनी ही नहीं चाहिए या रखी जाय तो उस पर अमल हो। मैं यह चाहता हूं कि विद्युत और निर्माण योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाय जिससे जनता की भलाई हो, जनता उन्नति की ओर अग्रसर हो और जैसा कि सरकार का विचार भी है, जनता की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जाय और सरकारी कर्मचारियों पर खर्च कम किया जाय।

मैं इस बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूं इसलिए कि यह बजट जनता के हित में पेश किया गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज के विवाद के संबंध में भाग नहीं लेना चाहता था लेकिन हमारे मित्र श्री चेतराम जी ने जो बात कही है उसके बारे में मेरी भी इच्छा इस संबंध में कुछ कहने की हो गई। आपने कहा कि जेलों में तादाद बढ़ती जा रही है यह शासन की नाकाबलियत है। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। अक्सर मैंने देखा है कि पहले पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट लिखी जाती थी उसको कम करके लिखने की अधिकारियों की तरफ से एक आदत थी ज्यादा रिपोर्ट दर्ज करना या ज्यादा जुर्मों का उनके हल्के में होना यह बात उनकी नाकाबलियत में शुमार की जाती थी। कोई थानेदार अपने हलके में अगर ज्यादा चोरी के मुकद्दमे दर्ज कर ले तो वह नाकाबिल थानेदार समझा जाता था। तो अगर यही मंशा हो कि थानेदार या अधिकारी लोग जुर्मों को दबा दिया करें, रिपोर्ट न लिखी

न जायं, मामले चलाये न जायं तब तो श्री चेतराम जी की दलील के मुताबिक वह क़ाबिल भी समझे जायेंगे और जेलों में भी कम तादाद पहुंचेगी। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी इस बात को कहते कहते एक उल्टी बात भी कह गये कि पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते नहीं हैं और अपना काम करते नहीं हैं। पुलिस वालों की जरा निन्दा करनी थी वह कर गये लेकिन जब उनको अपनी पहली बात याद आयी कि जेल में तादाद बढ़ रही है, तो उसको कैसे कह कर पूरा करें, इसलिए उन्होंने फिर कहा कि जो मुजरिम नहीं होते उनको पकड़कर जेलों में भर दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि डाके जो भी पड़ रहे हैं अगर गिरफ्तार नहीं किये जाते या जुर्म जो होते हैं अगर वह रोके नहीं जाते, मुक़द्दमे चलाये नहीं जाते, तो जेलों में पहुंचते कैसे हैं? तो इससे तो यही पता चलता है कि पुलिस की तरफ से मुजरिमों को पकड़ने में और बदमाशों को जेल भेजने में काफ़ी दिलचस्पी है। उसके बरअक्स यह कहना कि चूंकि जेलों में लोग ज्यादा भेजे जा रहे हैं या तादाद ज्यादा है यह शासन की नाकाबिलियत है यह चीज़ साबित नहीं होती। जब काफ़ी मुक़द्दमे चलाये जा रहे हैं तो इससे ज़ाहिर है कि पकड़ने की तरफ भी काफ़ी कोशिश की जाती है। इसके अलावा पहले तो कभी भी रिश्वत वगैरह के मुक़द्दमे सुनने में नहीं आते थे और अगर कहीं सुनने में आते भी थे तो एकाध लेकिन अब अक्सर अखबारों में देखते हैं कि रिश्वत के कितने मुक़द्दमे हुये, ब्लैक मार्केटिंग के मुक़द्दमों में भी सजायें होती हैं। तो तरह-तरह के जो जरायम हैं उन सब का लिहाज करते हुये यह स्वाभाविक है कि जेलों की आबादी बढ़े। जेल का ख़र्च आबादी बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से बढ़ा कि जेल में रहनेवालों के लिये नई-नई सहूलियतें दी जाने लगीं।

श्री रामजी सहाय--देवरिया में एक नया जेल भी बन रहा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जैसा हमारे श्री रामजी सहाय ने कहा नया जेल भी बन रहा है। जेलों में जो काफ़ी सुविधायें कैदियों को दी गई हैं यानी उनके कपड़े में, उनके बर्तन में, जेल के कामों को जिस तरीक़े पर अब सहूलियत से कराया जाता है, उन सब वजहों से ख़र्च बढ़ा हुआ है। पहले कैदी पानी सींचते थे अब बैलों से पानी खींचा जाता है। पहले लोहे के बर्तन मिलते थे अब पीतल के बर्तन मिलते हैं, इन सब बातों का लिहाज करते हुये भी जेल का खर्च बढ़ा है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे श्री चेतराम जी ने इस मसले पर कुछ गौर नहीं किया और आबादी बढ़ने की बात कह कर के शासन को नाकाबिल और नाकारा कह डाला लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी दिलचस्पी और मुस्तैदी से मुजरिमों को पकड़ने का काम पुलिस के जरिये से हो रहा है उससे तो शासन की काबलियत ही मालूम पड़ती है। मैं तो यह समझता हूं कि काबिले तारीफ चीज है कि मुजरिमों को पकड़ने की तरफ पुलिस वालों का ज्यादा ध्यान है। उस पर इस तरह छींटा कशी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी दलील मानी जाय तो फिर कोई पकड़ा न जाय, किसी पर मुकद्दमा न चलाया जाय और जो जरायम होते हैं उन पर ख़ाक डाल दी जाय और छिपा दिया जाय तो इससे शासन अच्छा हो जायगा, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में श्री कृष्णचन्द्र जी ने मुझको कुछ सलाह अगले बजट के सम्बन्ध में दी। सलाह क़बूल है लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि बजट जो कल पेश होने वाला है चाहे अच्छा है या बुरा बन चुका है। बहरहाल अब अगले साल १९५२-५३ में जो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा जब वह बजट तैयार करेगा तो मैं आशा करता हूं कि उस सलाह से बजट तैयार करते वक्त जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

आज सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में कई बातें हमारे सामने रखी गईं, शिक्षा के संबंध में, उद्योग के संबंध में, उनके ब्योरे में मैं नहीं जाता लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम जरूर उन बातों पर, यों तो अभी भी रखते हैं और कोशिश करते हैं, आइंदा खयाल रखेंगे और कोशिश करेंगे। हमारे मित्र पंडित इन्द्रदेव त्रिपाठी ने शिक्षा के संबंध में बहुत सी

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बातें कहीं लेकिन मेरी एक मुसीबत है, मेरा खयाल गलत होगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट में जो जनरल पालिसी की बातें हैं उन पर बहस नहीं करनी चाहिये, जो मदें कि सप्लीमेंटरी बजट में पेश की गई हैं उनसे अगर कोई पालिसी की बात निकलती हो, साधारण नीति की बात निकलती हो तो उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन साधारण नीति पर बहस तो जब मुख्य बजट पेश होगा उस समय हो सकती है, इसलिये जिन बातों को त्रिपाठी जी ने कहा उनको मैंने ध्यान से सुना लेकिन उनके संबंध में स्वयं कुछ निवेदन नहीं कर सकता। मुख्य बजट के पेश होने के बाद यदि उन बातों को फिर उठाया गया तो उन विचारों के संबंध में मेरे जो विचार हैं उनको पेश करने की मैं कोशिश करूंगा।

एक बात का सुझाव हमारे सामने प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जी ने रखा और श्री त्रिलोकी सिंह जी ने भी रखा, वह यह कि बजट में जो रकमें रखी जाती हैं उनके संबंध में यह भी बतलाया जाय कि वे तमाम रकमें कैसे कवर होंगी, उनका रुपया कहां से आयेगा। श्री त्रिलोकी सिंह ने एक सवाल भी उठाया कि यह ७॥ या ८ करोड़ का बजट पेश किया गया तो गवर्नमेंट का यह कहने का मतलब है कि उसकी आमदनी ७॥ या ८ करोड़ रुपया और बढ़ गयी। ७॥ या ८ करोड़ का जिक्र होता है तो उसको सुनकर कुछ आश्चर्य होता है। कम से कम जिम्मेदार लोगों को ....

श्री त्रिलोकी सिंह--मैंने नहीं कहा कि ७॥ करोड़ की आमदनी बढ़ गई। मुझे मालूम है कि तमाम सेविंग्स (बचत) से और और दूसरे हेडों से ट्रांसफर (शीर्षकों से स्थानांतरण) हुआ।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कम से कम जिम्मेदार लोगों को इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। उन्होंने तो इस बजट को जरूर पढ़ा होगा और जो कोई भी पढ़ेगा देख सकता है कि इसमें ७॥ करोड़ का कोई सवाल उठता ही नहीं ह। इसलिये नहीं उठता कि मसलन गल्ले के लिये २॥ करोड़ का जिक्र करते हैं, जाहिर सी बात है कि हम गल्ला जमा करने के लिये नहीं रखते। एक तरफ खरीदा जायगा और दूसरी तरफ वह बेचा जायगा। चूंकि खरीदना है इसलिये वह रकम खर्चे के नाम में लिखी जायगी। एक रकम है ४० लाख रुपये की। वह कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमारे खजाने में ४० लाख रुपये की एक रकम रोडवेज के एकाउन्ट में रख दी जाय। चूंकि खर्चा है इसलिये दिखा दी गई है। आमदनी कहां से बढ़ गई जैसा कि कहा गया ह इसका यहां पर कोई सवाल नहीं है, हमारे पास है या नहीं इसका सवाल नहीं है। इस तरह से अगर जोड़ा जाय तो २ करोड़ ९० लाख रुपया इस साढ़े सात करोड़ रुपये में से निकाल दीजिये। इसके अलावा भी कई रकमें ऐसी हैं उनको मैंने जोड़ा नहीं है। आधी रकम के करीब "ग्रो मोर फूड" (अधिक अन्न उपजाओ) के सिलसिले में है। वह रकम हमको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से मिलेगी क्योंकि इतना खर्चा हमको करना ह इसलिये हमने उसको दिखाया है।

कुछ रकमों की बात ऐसी है कि सेविंग्स में से आने वाली हैं। सेविंग नहीं होना चाहिये ऐसा कहा जा सकता है। मैं इसका थोड़ा बहुत जरूर जिक्र करूंगा। इन सबको निकाल देने के बाद करोड़ डेढ़ करोड़ रुपये की रकम ऐसी होगी जो कहीं से कवर नहीं होगी। न गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से रकम मिलने वाली है और न बाजार में माल बेचकर वहां से रकम आने वाली है। अब वह रकम कहां से आयेगी, यह सवाल तो वैसा ही है जैसा कि शुरू में बजट पेश किया जाता है तो रुपया कहां से आता है। कभी-कभी तो गवर्नमेन्ट को डेफीसिट बजट पेश करना होता है। उड़ीसा में ९० लाख का डेफीसिट बजट पेश किया गया है और बिहार में ११ करोड़ का डेफिसिट बजट पेश किया गया है। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है और हमारी आमदनी कम होती है और हमारा खर्च आमदनी से ज्यादा होता है तो क्या होता है ? तो जो सूरत है कि जहां से बाकी रुपया आता है यह रुपया भी आयेगा। अगर यह करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया जो हम मांग रहे हैं, अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और खर्चा आमदनी से कम

होता है तब तो ऐसी सूरत में हमारा बजट सरप्लस रहेगा। अगर इत्तफाक से ऐसा हुआ कि सब हिसाब लगाने के बाद यानी दो तीन महीने के बाद मालूम होगा कि आमदनी कम होती है और खर्चा ज्यादा निकला तो हमारा बजट डेफीसिट रहेगा।

हां, एक सजेशन (सुझाव) है जो श्री त्रिलोकी सिंह ने और श्री कृष्णचन्द्र ने रखा है वह यह कि इसमें यह दिखाया जा सके कि रुपया कहां से आयेगा। अभी मैं नहीं कह सकता कि यह चीज हो सकेगी या नहीं। इसलिये कि अगर हम नहीं दिखाते हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इंगलैन्ड की बात तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन आज से पहले यह चीज नहीं होती थी। हमारे यहां गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया में यह होता है। वहां भी यह दस्तूर नहीं है कि रिसीट्स (आमदनी) दिखाई जाय। जब डिमान्ड्स पेश होती ह तो रिसीट्स नहीं दिखायी जाया करती है। अभी तक तो ऐसा नहीं होता रहा है जैसा कि यहां पर सजेशन दिया गया है। इस सजेशन को हमको पहले एक्जामिन (जांच) करना होगा कि सप्लीमेंटरी बजट पेश करते वक्त यह दिखाना मुमकिन हो सकेगा या नहीं। हमको इस सजेशन पर अच्छी तरह से गौर करना होगा और इस मामले में अपने यहां के एकाउन्टेन्ट जनरल से भी हमको राय लेनी होगी। अगर मुमकिन हो सका और कोई दिक्कत न हुई तो हम आयंदा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज नहीं तो दो महीने के बाद सारा हिसाब सामने आता है ही।

सेविंग्स का सवाल यह होता है कि कहां से होती है और कैसे होती है। सेविंग्स कई तरीके से हो जाती है। यह मैं नहीं जानता कि अभी एक साहब ने एक मिसाल दी कि रुपया तो मौजूद है लेकिन डाक्टर नहीं रखे जा रहे हैं। इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं? अगर इसका यह मतलब निकलता है कि रुपया तो रखा गया है लेकिन गवर्नमेन्ट डाक्टरों की भर्ती नहीं कर रही है इसलिये कि वह चाहती है कि लोग मरें, लोगों की तन्दुरुस्ती खराब हो जाय, जानें जायं, लेकिन रुपया खर्च न हों इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। क्योंकि जो बहस होती है उसका कोई न कोई लेबेल (स्तर) होता है और यह भी देखना होता है कि किसी की नीयत पर कहां तक हमला करना है। और उसकी हद के नीचे जाना किसी के लिये मुनासिब होगा, हमारे लिये मुनासिब नहीं है। अगर कोई कहता है कि डाक्टर मिल सकते हैं लेकिन लोगों की जान की परवाह न कर के महज बचत दिखाने के लिये गवर्नमेन्ट ऐसा करती है तो मैं यह बात मंजूर नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जो इस तरह की बेहूदी बात करेगी कि लोगों के मरने का खयाल न करके डाक्टरों को न रखेगी। खयाल यह है कि यह बात नहीं है कि रुपया है और आदमी नहीं रखे जा रहे हैं बल्कि बात यह होगी कि आदमी नहीं मिल रहे होंगे। क्वालिफाइड (योग्य) डाक्टर कम होंगे, अगर होंगे भी तो उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस ज्यादा होगी नौकरी करना वह पसन्द नहीं करते हैं और इन वजूहात से इतने डाक्टर्स नहीं मिलते होंगे जितनों की जरूरत होगी।

सेविंग कई प्रकार से होती है। मेरे अपने डिपार्टमेंट में होती है। एजूकेशन डिपार्टमेंट में हर साल बचत होती है। एक बार मैंने इस सम्बन्ध में सदन में जिक्र भी किया था। हमने देखा कि इतने स्कूल हैं। आमतौर से एक रकम रख दी कि इतने इंटरमीडियेट और हाई स्कूल को हम ग्रान्ट-इन-एड (सहायक अनुदान) देंगे। लेकिन होता क्या है? कोई स्कूल वह क्वालिफिकेशन्स नहीं रखता जो हमने रखी है, जितना स्टाफ रखना चाहिये उतना नहीं रखता इसलिये उनको ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती। लिहाजा वह रुपया बच जाता है। इंडस्ट्रीज में कोई काम करना है, इंग्लैंड से कोई मशीन मंगाना है, अमेरिका से कोई सामान मंगाना है, इत्तिफाक से वह नहीं आता है इस वजह से सेविंग हो जाती है वर्ना कोई नीयत नहीं है कि सेविंग हो। कोई भी गवर्नमेन्ट हो जितना ज्यादा वह काम कर सके रोजगार, इंडस्ट्री, खुशहाली, एम्पलायमेंट दिखा सके उससे

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उतनी ही उसकी तारीफ होगी। मजबूरियों की वजह से जो रुपया इस तरह से बच जाता है उसको दूसरी मदों में खर्च करते हैं। एक दो बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र श्री त्रिलोकी सिंह ने किया यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमेटी के बारे में दो बातें कहीं। एक बात का जवाब देना तो आसान है दूसरी बात की बाबत इतना कह सकता हूं अगर जिक्र न किया होता तो अच्छा होता, लेकिन जिक्र जब कर ही दिया तो जहां तक संभव होगा उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहूंगा। एक तो यह कहा कि यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमेटी में बड़े विद्वान लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन उनकी सलाह भी गवर्नमेन्ट नहीं मानती। ठीक है हम नहीं मानते। कभी भी हम जिम्मा नहीं लेते कि हर बात में हम उनकी सलाह मानें। जब कमेटी बनाई गई थी तो कह दिया था कि यह एडवाइजरी कमेटी (परामर्शदात्री समिति) है। इसमें शुबहा नहीं कि उसके जो सदस्य हैं बड़े काबिल हैं लेकिन वे सलाह क्या दे सकते हैं? यही दे सकते हैं कि एजूकेशन के फलां-फलां काम में इतना रुपया देना चाहिये, हायर एजूकेशन (उच्च शिक्षा) के सिलसिले में इतना रुपया फलां मद में खर्च करना चाहिये। लेकिन हमारी हैसियत देने की है या नहीं, हमारे पास रुपया है या नहीं, इसे वे नहीं जानते हैं। वे तो बहुत योग्य आदमी हैं मैं उनके मुकाबिले में बहुत कम लियाकत रखता हूं लेकिन रुपया खर्च करने की जो बात है उनसे ज्यादा रुपया खर्च करने की बात मैं बतला सकता हूं कि फलां जगह इतना रुपया खर्च करना चाहिये देना चाहिये, लेकिन नहीं दे सकते। श्री त्रिलोकी सिंह का खुद कुछ शिक्षा संस्थाओं से ताल्लुक है। एक ऐसी है जिसके प्रबन्ध में वह भी हैं और मैं भी हूं। जब हम और वह साथ बैठते हैं तो वह भी उसकी जरूरियात को जानते हैं और मैं भी जानता हूं लेकिन वह कहते हैं कि इतनी जरूरत है लेकिन गवर्नमेन्ट दे नहीं सकती। दूसरी बात कही भी नहीं जा सकती। मैं उस वक्त मिनिस्टर की हैसियत से नहीं बैठता बहैसियत मैनेजमेंट (प्रबन्धक) की हैसियत से बैठता हूं और कहता हूं कि गवर्नमेन्ट से रुपया नहीं मिल सकता। हम जरूरतों को जानते हुये भी खर्चा नहीं कर सकते। इसलिये यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी से जो सिफारिशें आती हैं हम उनका कद्र करते हैं, यह शुबहा नहीं करते हैं कि जरूरत नहीं है लेकिन इतना जानते हुये भी हम मजबूर हैं। हमारे रिसोर्सेज (साधन) नहीं हैं जितने के लिये वह सिफारिश करती हैं उतना रुपया हम मंजूर नहीं कर सकते। बाज-बाज मदों में एक रुपया नहीं दे सकते। जहां १०० की मांग होती है वहां ५० और २५ देते हैं। इसके सिवा दूसरी सूरत मुमकिन नहीं।

दूसरी बात का जिक्र किया कि गवर्नमेन्ट की किन्हीं हरकतों से मजबूर हो कर उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गयी। इसी को मैं कह रहा था कि इसका जिक्र न करते तो अच्छा होता। गालिबन उनको जिससे इस बात का पता लगा वह अधूरा पता लगा और गलत पता लगा चूंकि चर्चा हो गयी है माननीय सदस्यों में से किसी को भ्रम न रहे इस वजह से थोड़ा-सा जिक्र करना जरूरी है। पिछली मिनिस्टरी के जमाने में एक कमेटी बैठाई गई थी। यूनी-वर्सिटीज में इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा इन तीनों यूनीवर्सिटीज के नियमों में क्या परिवर्तन किये जायं, उसकी बहुत मोटी रिपोर्ट पेश की गई थी जो ३९ में आई लेकिन मिनिस्टरी का इस्तीफा हो गया और एडवाजरी रिजीम (परामर्शदाताओं के शासन) के जमाने में उसे कूड़े में डाल दिया गया। उसके बाद जब मौजूदा गवर्नमेन्ट आई तो फिर हमने सोचा कि इस पर गौर करना चाहिये लेकिन इस वक्त पहले से बहुत फर्क हो गया था, तो हमने एक कमेटी बुलायी जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज थीं उन सब के अपने चुने हुये रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) आये। उसमें कुछ गवर्नमेन्ट के भी आदमी थे, मैं खुद उसका चेयरमैन था। उस कमेटी की मीटिंग साल भर तक चली। टोटल नम्बर (कुल संख्या) तो मीटिंग का बहुत थोड़ा था लेकिन सिलसिला करीब-करीब साल भर तक चलता रहा। बहुत काफी परिश्रम के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट बनायी उसे देखा गया। सन् १९३९ ई० से लेकर सन् १९४९ ई० तक १० वर्ष के भीतर जो-जो परिवर्तन हुए उनको ध्यान में रखा गया। दुनिया के और देशों में शिक्षा सम्बन्धी जितनी तरक्की हुई उसको देखा गया और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने जो यूनिवर्सिटी

कमीशन बैठाया था उसकी रिपोर्ट को देखा गया और सब बातों को देख कर जो कमेटी थी उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की और उसी के आधार पर हम यूनिवर्सिटी ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं और उसी के आधार पर मसविदा वगैरह तैयार होने की बात सोची जा रही है । किसी वजह से यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी को ऐसा खयाल हुआ कि हमें इस कमेटी को नहीं बुलाना चाहिये था और उनसे जो खतोकिताबत हुई उसमें उन्होंने यह जाहिर किया कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी का इरादा है कि हमें किसी और यूनीवर्सिटी वालों से सलाह नहीं लेनी चाहिये । उनको कहीं से गलतफहमी हो गई और हमारी उनसे खतोकिताबत हुई तो हमने साफ कह दिया कि हमें किसी से भी सलाह लेने का पूरा अधिकार है और उनको भी सलाह देने का पूरा अधिकार है। मगर उनको अन्देशा हुआ कि गवर्नमेन्ट उनके इस अधिकार को छीन लेना चाहती है । हमने उनको साफ कह दिया कि हम उनके इस अधिकार को छीनना नहीं चाहते हैं। उनको राय देने का पूरा अधिकार है लेकिन इसके साथ हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में किसी और यूनीवर्सिटी से हमें सलाह नहीं लेनी चाहिये । हमने साफ कह दिया कि उनको राय देने का पूरा अधिकार है और हमें राय लेने का पूरा अधिकार है । यह सूरत थी । इस्तीफा वगैरह की बात बीच की गलतफहमी थी जो दूर हो गयी। जैसा कि मैंने कहा कि इसको मैंने साफ कह दिया कि आप जो राय दें उसकी हम कदर करते हैं लेकिन साथ ही दूसरे से राय लेने का भी गवर्नमेन्ट को पूरा अधिकार है । जो कमेटी बैठी थी उसने अपनी राय देदी, आप भी अपनी राय लिख कर भेज दें हम उस पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन यह कहना कि गवर्नमेन्ट की हरकत की वजह से वे नाराज हो गये हैं और इस्तीफा देने की नौबत आ गयी मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । वह सिर्फ गलतफहमी थी जो दूर हो गयी ।

मैं समझता हूं कि और कोई विशेष बात तो नहीं है जैसा कि श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि गवर्नमेन्ट का काम है कि पहले बजट बनावे और फिर उसकी मंजूरी होनी चाहिये । अब बजट के मुताबिक काम हो इसके लिये बीच का काम लेजिस्लेचर का है कि वह बजट मंजूर करे या नामंजूर करे। इस बजट में जितने भी आइटम्स (मदें) हैं सब को लेजिस्लेचर ने मंजूर कर लिया है। इस सम्बन्ध में और किसी बहस की जरूरत नहीं है । अगर इस पर और बहस की जाय तो इसके माने यह होंगे कि लेजिस्लेचर ने इसको नहीं माना है। लेकिन मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर ने बहुत सोच विचार कर इसको मंजूर किया है और अब इस पर कुछ बहस करना उचित नहीं है । लिहाजा मुझे आशा है कि जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है वह स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक† (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना, धाराएं तथा अनुसूची

३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य व निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कुछ और धनराशियों के भुगत विनियोग का अधिकार दिया जाय।

† विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५०-५१ के लिये ७,३०,४९,५०० रु० का देया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल जोड़ ७,३०,४९,५०० (सात करोड़, तीस लाख, उन्चास हजार, पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं:--

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट वाले व्यय)--			
२	भू-राजस्व ..	१४,०१,२००	..	१४,०१,२००
५	बन (फारेस्ट) ..	४,४९,१००	..	४,४९,१००
७	मोटर वेहिकिल्स ऐक्टों के निमित्त होने वाले परिव्यय	३४,५१,४००	..	३४,५१,४००
८	अन्य करों और शुल्कों के निमित्त होने वाले परिव्यय	१००	..	१००
९	राजस्व (रेवेन्यू) में से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण-कार्य ..	११,००,२००	..	११,००,२००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
१०	सिंचाई (इर्रिगेशन) और जल-विद्युत अधिष्ठान (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक इस्टैबलिशमेंट) संबंधी परिव्यय ..	११,३७,२००	..	११,३७,२००
११	सामान्य प्रशासन के निमित्त होने वाले परिव्यय ..	४,४१,४००	९,०००	४,५०,४००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन संबंधी (ऐडमिनिस्ट्रेशन) परिव्यय ..	२८,१०,०००	..	२८,१०,०००
१३	गांव सभायें और पंचायतें	१२,२५,२००	..	१२,२५,२००
१४	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस)	१,७३,१००	..	१,७३,१००
१५	जेल	१५,८५,६००	..	१५,८५,६००
१६	आरक्षक (पुलिस) ..	१३,२५,१००	..	१३,२५,१००
१८	शिक्षा	५००	..	५००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	४,२२,२००	..	४,२२,२००
२०	लोक-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	२००	..	२००
२१	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट ऐंड रिसर्च) ..	५,३९,८००	..	५,३९,८००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन) ..	२००	..	२००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
२४	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	५००	..	५००
२५	विद्युत् योजनाओं पर व्यय*	२,६५,२००	..	२,६५,२००
२६	विद्युत् योजनाओं के अधिष्ठान का परिव्यय	२,१०,०००	..	२,१०,०००
२७	सहकारिता ..	२००	..	२००
२८	उद्योग-धंधे (इंडस्ट्रीज) और विमानचालन (एविएशन)	१,०००	..	१,०००
२९	श्रम (लेबर) ..	५,५०,०००	..	५,५०,०००
३०	परिवहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	९५,१००	..	९५,१००
३१	राजस्व (रेवेन्यू) की सहायता से किये जाने वाले लोक-निर्माण-कार्यों (पब्लिक वर्क्स) पर होने वाला व्यय ..	२,०००	..	२,०००
३४	असैनिक-निर्माण कार्यों के निमित्त सहायक अनुदान (ग्रांट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	१००	..	१००
३६	अतिहायन (सुपरएनुएशन) भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) ..	२१,६९,४००	..	२१,६९,४००
३७	लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) और मुद्रण (प्रिंटिंग) ..	२१,३७,७००	..	२१,३७,७००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
३८	प्रकीर्ण परिव्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	८००	..	८००
३९	असाधारण परिव्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज) ..	२२,७९,२००	..	२२,७९,२००
४०	युद्धोत्तर उपक्रमण (पोस्ट-वार प्लानिंग) और विकास (डेवेलपमेंट) ..	२००	..	२००
	जोड़ 'क' ..	२,३७,७३,९००	९,०००	२,३७,८२,९००
	ख--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर अभि-पूंजी व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर)--			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत कार्यों (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक वर्क्स) का निर्माण (कंसट्रक्शन) ..	३००	..	३००
४३	कृषि योजनाओं पर अभिपूंजी प्रयोग (कैपिटल आउटले)	४३,००,०००	..	४३,००,०००
४४	औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट) पर अभिपूंजी प्रयोग (कैपिटल आउटले) ..	२००	..	२००
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर असैनिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर धन प्रयोग (आउटले) ..	५६,०२,६००	..	५६,०२,६००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एंड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
४६	विद्युत योजनाओं पर अभिपूंजी प्रयोग	४३,२९,०००	..	४३,२९,०००
४७	सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), शरणार्थियों के साहायता और पुनर्वासन (रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर अभिपूंजी प्रयोग (कैपिटल आउटले)	४००	..	४००
४८	निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) का संराशि मूल्य (कम्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन्स) ..	२०,५९,०००	..	२०,५०,०००
४९	राज्य-व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की सरकारी योजनायें ..	२,५६,८६,०००	..	२,५६,८६,०००
	जोड़ 'ख' ..	४,१९,७७,५००	..	४,१९,७७,५००
	ग--ऋणों और अग्रऋणों (लोन्स ऐन्ड एडवांसेज) का प्रदान (डिस्बर्समेंट)--			
५०	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज) ..	७२,८९,१००	..	७२,८९,१००
	जोड़ 'ग' ..	७२,८९,१००	..	७२,८९,१००
	कुल जोड़ ..	७,३०,४०,५००	९,०००	७,३०,४९,५००

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धाराएं १, २, ३, प्रस्तावना और अनुसूची इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension Of Application) का विधेयक*

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द —मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) के विधेयक पर विचार किया जाय।

मैं इसके विषय में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक एक निर्दोष और सरल है। इसका तात्पर्य यह है कि सन् १९३५ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के पहले कुछ हिस्से हमारे प्रदेश में देहरादून और मिर्जापुर में थे जिन पर अलग कानून लागू होता था वह शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स (अनुसूचित जिले) कहे जाते थे। उसके बाद जब सन् १९३५ ई० का गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट आया तो उसमें यह था कि उन एरियाज (क्षेत्रों) में तब तक कोई कानून लागू न होगा जब तक कि एक स्पेशल नोटीफिकेशन (विशेष अधिसूचना) न हो जाय। नोटीफिकेशन होने के बाद वहां पर कानून लागू होता था लेकिन अब इस नये कांस्टीट्यूशन में शिड्यूल और बेशेड्यूल में कोई भेद नहीं रह गया है। इसलिये इस कानून से यह बात चाही जा रही है कि हमारे प्रदेश में जो सब जगह कानून लागू है वहां भी लागू किये जायं ताकि इन हिस्सों को भी उनका फायदा हो सके और वह अलग न रहें। इतना ही इसका मतलब है और मैं समझता हूं कि हाउस इसको स्वीकार करेगा।

श्री गोपालनारायण सक्सेना— उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल उत्तर प्रदेश ला एक्सटेंशन आफ एप्लीकेशन बिल पर विचार करने के लिये अभी माननीय मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया है यह बहुत ही मुनासिब बिल है और हर सदस्य इस भवन का इसका स्वागत करता है। जौनसार बावर और कैमूर श्रेणी पर्वत एरियाज में कुछ ऐसे कानून थे जो कि हमारे प्रदेश में लागू थे लेकिन वहां पर लागू नहीं थे। वह एक्सक्लुडेड एरियाज के नाम से थे और वह इस कांस्टीट्यूशन के पास होने के बाद शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट नहीं रह गये हैं। इसलिये लाजिमी था कि जो कानून हमारे प्रदेश में हैं वह सब वहां पर भी लागू हों जैसे कि हमारे प्रदेश में लागू होते हैं। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि इसके लिये किसी को एतराज नहीं होगा और यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो जायगा।

श्री ऐजाज रसूल—मुझे और मेरी पार्टी को बड़ी खुशी है कि यह बिल लाया गया और उन जगहों पर जहां पर शेड्यूल एरियाज थे उनके लिये अब यह कानून बनाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनकी हालत इस कानून के पास होने के बाद बेहतर से बेहतर हो जायगी।

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) के विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और धाराएं १, २, ३, ४, तथा ५

देहरादून जिले के जौंसर-बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रसार करने के लिये

---

* यह विधेयक विधान सभा की २१ फरवरी सन् १९५१ ई० की कार्यवाही में छपा है।

विधेयक

देहरादून के जौंसर–बावर परगने और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहले, अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्र (partially excluded areas) के रूप में, प्रशासन होता था, और

संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (scheduled areas) नहीं है, और

यह अवश्यक है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसी कुछ विधियों को प्रचलित किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं होते,

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा

२—इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर:—

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो।

(ख) "विधि" का तात्पर्य धारा ४ और ५ में, ऐसी आज्ञा, नियम या उपविधि (bye-law) से है जो ऐसे विधायन (enactment) के अधीन दी या बनाये गये हों जो निश्चित दिनांक पर अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में प्रचलित नहीं था।

(ग) "अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो देहरादून जिले के जौन्सर बावर परगना के और मिर्जापुर जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भी है।

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

विधियों का प्रसार

३—(१) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी ऐसे सब विधायन जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित या प्रवृत्त (in force in or applicable to) हों और जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो जिनके बारे में राज्य विधान मन्डल उत्तर प्रदेश के लिए विधियों का निर्माण कर सके और जो अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में अभी प्रचलित या प्रवृत्त न हों उक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधीन एतत् द्वारा (extended) किये जाते हैं:—

(क) कोई ऐसा संशोधन जिसके अधीन सामान्य रूप से उपर्युक्त दिनांक पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित होने के सम्बन्ध में, उपर्युक्त विधायन रहे हों, और

(ख) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये हुए हैं।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहते हुये भी, ऐसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे जो राज्य सरकार सरकारी

गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे और उक्त विधायनों के विभिन्न निदेशों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

४—यदि निश्चित दिनांक पर अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में कोई ऐसी विधि प्रचलित है जो धारा ३ की उपधारा (२) में उल्लिखित विधायन (enactment) के सामान (corresponding to) है तो ऐसी समान विधि उस दिनांक से और उस अंश तक जहां तक धारा ३ के निदेशों के अधीन और अनुसार कोई विधायन प्रचलित होता हो, यथाक्रम अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में निर्वर्तित (repealed) हो जायगी। समान विधियों का निवर्तन।

५—(१) धारा ४ के अधीन किसी समान विधि के निवर्तन का निम्न-लिखित पर प्रभाव नहीं होगा— अपवाद

(क) किसी ऐसे विधि का पूर्व व्यापार (previous operation), या

(ख) कोई ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड (penalty, forfeiture or punishment) जो किसी ऐसी विधि के विरुद्ध किये गये अपराध के विषय में उपगत किया गया या किये गये हों (incurred), या

(ग) उक्त शास्ति, अपवर्तन या दण्ड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधिक व्यवहार, या उपचार (investigation, legal proceeding or remedy); और उक्त जांच विविध व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशित या अनुक्रान्त की या किया जा सकता है, अथवा व्यापार में लाया जा सकता है (instituted continued or enforced) और कोई भी ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड उसी प्रकार लगाया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो।

(२) किसी ऐसी बात या कार्य के विषय में जो उक्त समान विधि के अधीन किया गया हो, और जिसके अन्तर्गत की गयी नियुक्ति या किये गये समर्पण (delegation) प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गयी आज्ञा या दिये गये आदेश, बनायी गयी योजना, स्वीकृत प्रमाण पत्र, एकस्वपत्र (patent) या अनुज्ञापत्र, किये गये निबन्धन (registration) हैं, उस अंश तक जहां तक वे धारा ३ में लिखित उन विधायनों के विपरीत न हों, जो अब अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में प्रसारित या प्रचलित किये जाते हों, उपधारा (१) के निदेशों को बाधित न करते हुए

(क) यह समझा जायगा कि वे उक्त विधान के समान निदेश के अधीन की गयी या किया गया था, और

(ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में कोई भिन्न आदेश न दिया जाय या जब तक कि वे किसी ऐसी बात या कार्य से अतिक्रान्त (superseded) न कर दिये जायं, या जो उक्त विधायन के अधीन राज्य सरकार या किसी समर्थ प्राधिकारी (authority) द्वारा किया गया या किये गये हों।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक की धाराएं १, २, ३, ४ और ५ प्रस्तावना सहित विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) के विधेयक को पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) के विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन, ११ बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ फरवरी, सन् १९५१ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५८ पर ।)

श्रीयुत सेक्रेटरी महोदय,

लेजिस्लेटिव असेम्बली ,

लखनऊ।

मैं अस्वस्थ होने से असेम्बली की बैठकों में सम्मिलित न हो सकूंगा। इस लिये कुछ दिनों के बाद बाहर स्वास्थ्य-सुधार के लिये जाऊंगा। १ १/२, २ महीना तक लग सकता है। सूचनार्थ निवेदन है। इसलिये २ मास की अनुपस्थिति विधान सभा स्वीकृत करे।

आपका,

राघवदास।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ १५९ पर।)

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) के उद्देश्य और कारणों का विवरण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

एक विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिए जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त निधि में से हो सके।

सम्पूर्णानन्द,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—२७१ एल० ए०—१९५०—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २४ फरवरी, सन् १९५१ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३२)

अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविंद खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
ईतिजा हुसैन, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री

फखरुल इस्लाम, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवप्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानीदेवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामाप्रसाद, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री

प्रश्नोत्तर

[२१ फरवरी, सन् १९५१ ई० के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

राजनीतिक पीड़ितों को मोटर तथा ट्रक के परमिट

*३०--श्री रामकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उन सज्जनों के क्या नाम हैं जिन्हें मोटर अथवा ट्रक के परमिट राजनीतिक पीड़ित होने के कारण मिले हैं?

*३१--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जिन मोटर अथवा ट्रकों का परमिट राजनीतिक पीड़ितों को दिया गया है उनके क्या-क्या नम्बर हैं और उनका संचालन किसके द्वारा होता है?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)--इस तरह की सूची अब नहीं रखी गयी है कि कौन राजनीतिक पीड़ित हैं अथवा शरणार्थी आदि। अतएव ऐसी सूची बनाने में बहुत कठिनाई होगी। फिर सारे प्रान्त के लिये सूचना एकत्र करने में और अधिक श्रम और समय लगेगा। माननीय सदस्य किसी विशेष परमिट के संबंध में जानना चाहें तो सूचना दी जा सकती है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार के पास कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है कि जिसमें राजनीतिक पीड़ितों को ट्रक के परमिट दिये गये हों?

माननीय श्री लालबहादुर--रजिस्टर में कोई इस तरह की कैटेगरी (श्रेणी) नहीं रखी गयी है कि कौन राजनीतिक पीड़ित है, कौन नहीं है और माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि हाल ही में इस संबंध में कुछ हाई कोर्ट से फैसले भी हुए थे। उसमें इस बात का जिक्र था कि किसी तरह का कोई ऐसा अंतर करना मुनासिब नहीं है और मोटर व्हिकिल्स ऐक्ट के अन्दर जो कायदे और कानून हैं उन्हीं के अनुसार सबके साथ परमिट देने में बर्ताव होना चाहिये और उन्हीं कायदों की पाबन्दी होनी चाहिये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राजनीतिक पीड़ितों को कोई लाइसेंस और परमिट नहीं दिया जाता है?

माननीय श्री लाल बहादुर--जैसे औरों को दिया जाता है वैसे ही उनको भी दिया जा सकता है, यानी उस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाता। लिहाजा उनको भी मिल सकता है जैसे औरों को दिया जाता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये कोई विशेष सुविधा नहीं रखी गयी है।

माननीय श्री लाल बहादुर--जी नहीं।

बस्ती जिले में पेट्रोल के एजेंट

*३२--श्री रामकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में किन किन स्थानों में पेट्रोल मिलता है और उसके एजेंट कौन हैं?

माननीय श्री लाल बहादुर--सूचना नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४९ पर।)

नोट--तारांकित प्रश्न ३०-३२ श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने पूछे।

कानपुर और उन्नाव से मौरावां जाने वाली बसों का समय

*३३--श्री प्रयाग नारायण--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिन में कानपुर से मौरावां को जाने वाली पहली बस दोपहर के १२ बजे के थोड़ी देर बाद चलती है?

माननीय श्री लाल बहादुर--कानपुर से मौरावां जाने वाली पहली बस ९ मार्च सन् १९५० ई० तक १२ बजे दिन को चलती थी किन्तु १० मार्च सन् १९५० ई० से यह सवेरे ८ बजे चलती है।

*३४--श्री प्रयाग नारायण--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उन्नाव से मौरावां को जाने वाली आखिरी बस ५ बजे शाम को चलती है?

माननीय श्री लाल बहादुर--उन्नाव से मौरावां जाने वाली आखिरी बस २४ जनवरी, १९५० ई० के पूर्व ५ बजे शाम को चलती थी, परन्तु २४ जनवरी, १९५० ई० से यह ५ १/२ बजे चलती है।

*३५--श्री प्रयाग नारायण--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस प्रकार के प्रबंध से जनता को कष्ट तथा असुविधा होती है?

माननीय श्री लाल बहादुर--ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है।

*३६--श्री प्रयाग नारायण--क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई प्रबंध कर रही है?

माननीय श्री लाल बहादुर--यह प्रश्न नहीं उठता।

दंड विधान संग्रह के अन्तर्गत सीतापुर में जाली वारन्ट पर गिरफ्तारी

*३७--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि किसी एक व्यक्ति को ता० २९-११-५० को सीतापुर की पुलिस ने धारा ३०२, ३२८ व ३९६ दंड-विधान संग्रह के अन्तर्गत जाली वारन्ट पर गिरफ्तार किया?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जाली वारन्ट कैसे जारी हुआ और क्या उनको यह मालूम है कि एक समन के ऊपर बिलकुल बेकायदे से यह वारन्ट पहुंचा और गिरफ्तारी हो गयी?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी नहीं, यह जाली वारन्ट बहुत ढंग से बनाया गया था और सील मुहर के साथ लिफाफे में डाक से यह वारन्ट गया और दूसरे जिले में उस पर कार्रवाई होने वाली थी। सब चीज बिलकुल ऐसी मालूम हुई जैसे कायदे का वारन्ट आना चाहिये। इस सिलसिले में एक आदमी पर शक भी है जो भागा हुआ है और जिसने इस चीज को बनाया था।

*३८--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उक्त व्यक्ति को ६-१२-५० तक जेल में रक्खा गया?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जो आदमी बेकसूर जेल में बन्द रहा है उसे क्या सरकार का कुछ मुआविजा देने का खयाल है?

माननीय श्री लाल बहादुर--ऐसा तो कोई विचार नहीं है।

नोट--तारांकित प्रश्न ३७-४० श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने पूछे।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या इस व्यक्ति ने कोई दरख्वास्त मंत्री महोदय को इस सिलसिले में दी है?

माननीय श्री लाल बहादुर--इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

*३९--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--यह गिरफ्तारी किसके आदेश पर हुई?

माननीय श्री लाल बहादुर--सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट कानपुर के वारन्ट के आधार पर गिरफ्तारी की गई, जो बाद में जाली साबित हुआ।

*४०--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--क्या इस गिरफ्तारी के उत्तरदायी अधिकारियों के विरोध में कोई कार्यवाही की गयी?

माननीय श्री लाल बहादुर--इस संबंध में जांच हो रही है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--यह जांच कब तक खत्म होगी?

माननीय श्री लाल बहादुर--अभी हाल ही में हमने यहां से हिदायत फिर भेजी है कि यह मामला जांच करके जल्द से जल्द खत्म होना चाहिये और सरकार को रिपोर्ट आनी चाहिये।

लखनऊ के थाना चौक के इंचार्ज सब-इंसपेक्टर के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*४१--श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि थाना चौक शहर, लखनऊ के इंचार्ज कौन सज्जन हैं और यह इस थाने में कितने दिनों से हैं?

माननीय श्री लाल बहादुर--थाना चौक, शहर लखनऊ के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर श्री जगदीश प्रसाद मुंशी हैं। यह इस थाने में १ जनवरी, १९४९ ई० से तैनात हैं।

*४२--श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब से वे इस थाने में हैं इस हल्के में कितनी चोरियां, डकैतियां और कत्ल हुए?

माननीय श्री लाल बहादुर--११ कत्ल और १७६ चोरियां हुईं। कोई डकैती नहीं हुई।

*४३--श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उनके खिलाफ कोई शिकायतें सरकार, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सुपरिंटेंडेंड पुलिस के पास आयी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

माननीय श्री लाल बहादुर--६ शिकायतें आईं। तीन बहुत साधारण थीं जिन पर सब-इंस्पेक्टर को चेतावनी दी गयी। दूसरे मामलों की जांच में सब-इंस्पेक्टर का कसूर पाया नहीं गया।

कुम्भ मेले में घटित दुर्घटना की जांच

*४४--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि पिछले कुंभ मेले के अवसर पर जिस घटना से कुछ आदमी मर गये थे उसकी कोई जांच की गयी? यदि हां, तो उस जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट थी?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां। जांच की गयी थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना केवल आकस्मिक थी जिसमें भीड़ के मारे धक्के के कारण कुछ व्यक्ति, जिनमें अधिकतर स्त्रियां थीं, गिर कर दब गये।

*४५--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या उस जांच कमेटी में कोई गैरसरकारी आदमी भी शरीक हुआ था?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां।

*४६--**श्री गोपाल नारायण सक्सेना**--क्या जिन लोगों की जान जाया गयी उन्हें कुछ मुआविजा दिया गया था? यदि हां, तो किसको और कितना?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

वर्ष १९४८, १९४९ तथा १९५० ई० में पुलिस के सब-इन्सपेक्टरों, प्रासिक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टरों तथा डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्टों का चुनाव

*४७--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--वर्ष १९४८, १९४९ और १९५० में कौन-कौन सी सरकारी चुनाव कमेटियों ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर, प्रासीक्यूटिंग सब-इंस्पेक्टर तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का चुनाव किया?

*४८--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उपर्युक्त वर्षों में किस जगह के लिये कितने आदमियों में से कितने आदमी चुने गये और उनके नाम व योग्यता क्या-क्या है?

माननीय श्री लाल बहादुर--वर्ष १९४८, १९४९ तथा १९५० में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों, प्रासीक्यूटिंग सब-इंस्पेक्टरों तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस चुनने के लिये दो कमेटियां नियुक्त हुई उनके नाम साथ के नक्शे में दिये गये हैं। इन वर्षों में प्रासीक्यूटिंग सब-इंस्पेक्टर तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जो चुने गये हैं उनके नाम और योग्यता भी दिये जा रहे हैं। सब-इंस्पेक्टरों की सूची बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५० पर)

*४९--**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने अब निश्चय किया है कि अगले वर्ष से यह चुनाव बजाय सेलेक्शन के मुकाबिले की परीक्षा के द्वारा किया जायगा?

माननीय श्री लाल बहादुर--डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होता है। सब-इंस्पेक्टरों आदि के चुनाव का जो तरीका अब तक है उसे बदलने का कोई विचार नहीं है।

राज्य में पेट्रोल की राशनिंग

*५०--**श्री अम्मार अहमद खां** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की राशनिंग कब से खत्म की जायगी?

माननीय श्री लाल बहादुर--गवर्नमेंट ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है।

श्री गुरु नारायण--जब अन्य प्रान्तों में राशनिंग खत्म हो गयी है तो इस प्रान्त में अभी क्यों रखी गयी है?

माननीय श्री लाल बहादुर--इस पर कुछ समय पहले माननीय उद्योग मंत्री ने पूरा प्रकाश डाला था कि इस प्रान्त में पावर अलकोहल का एक नया उद्योग चलाया जा रहा है जो और प्रान्तों में नहीं है या कम है। इस उद्योग को बनाये रखने के लिये इस बात की जरूरत है कि यह कंट्रोल जारी रखा जाय।

*५१--**श्री अम्मार अहमद खां** (अनुपस्थित)--[माननीय माल मंत्री से सम्बद्ध तीसरे शुक्रवार के लिए स्थानान्तरित किया गया।]

नोट--तारांकित प्रश्न ५० श्री गुरु नारायण ने पूछा।

रोडवेज में कैन्टीनों का खोला जाना

*५२—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी रोडवेज में कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली और आगरा रीजन में कहां-कहां कैन्टीन खोले गये हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—कानपुर, आगरा, बरेली और इलाहाबाद रीजनों में निम्नलिखित स्थानों पर कर्मचारियों की सुविधा के लिये कैन्टीन खोले गये हैं—

रीजन	स्थान
आगरा ..	.. आगरा
बरेली ..	.. मुरादबाद
कानपुर ..	.. फतेहपुर
इलाहाबाद	.. मिर्जापुर

इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा गोरखपुर रीजनों में भी कैन्टीन खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री गंगा सहाय चौबे—यह प्रबन्ध कब तक पूरा हो जायगा ?

माननीय श्री लाल बहादुर—अगर दूसरी बार आप सवाल पूछेंगे तो यही उत्तर मिलेगा कि प्रबन्ध हो गया है। बहुत जल्दी ही वह हो जायगा।

कुसमरा, जिला मैनपुरी में पुलिस चौकी बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क़स्बा कुसमरा, जिला मैनपुरी में सन् १९४० ई० से अब तक कितनी बार डकैती हो चुकी है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—तीन बार, एक सन् १९४२ में दूसरी सन् १९४५ में और तीसरी सन् ५० में।

*५४—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी क़ायम कराने के संबंध में सेक्रेटरी, मण्डल कांग्रेस कमेटी, कुसमरा से रजिस्ट्री द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर, १९४९ को प्राप्त पत्र जिसके प्राप्त करने की सूचना सरकार के गृह विभाग (क्रिमिनल) लखनऊ, ने अपने पत्र नं० पी० एन० ५५९/६-यू० पी० [No P. N. 659/6 U. P.] दिनांक २७ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० द्वारा दी थी, की एक प्रतिलिपि मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री लाल बहादुर—पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५७ पर)

*५५—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्थान पर पहले कभी चौकी थी या नहीं और उस चौकी की कोई इमारत आजकल बनी हुई खड़ी है या नहीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इस स्थान पर पुलिस चौकी पहले कभी नहीं थी। पुराने काग़ज़ों को देखने से मालूम होता है कि सन् १८६६ में किसी जमींदार ने सरकार को पुलिस चौकी बनाने के लिये थोड़ी सी जमीन मुफ्त दी थी। उस पर एक कच्चा कमरा और बरामदा बना हुआ है। गश्त लगाने के लिये जो पुलिस कांस्टेबुल उधर जाते हैं वे यहां ठहरा करते हैं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क़स्बा कुसमरा में जो इमारत बनी हुई है वह उन्हीं जमींदार महाशय ने बनवा दी है या सरकारी खर्च से बनाई गयी है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गश्त पर जाने वाले कांस्टेबिलों के ठहरने के लिए प्रबन्ध करने का कोई नीति सरकार की है या नहीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसमें कोई नीति की बात नहीं है। लोग अपने आप बहुत सा इन्तजाम कर लिया करते हैं। अगर हर एक आदमी की सहूलियत के लिए प्रबन्ध किया जाय तो शायद आदमी इतने नाजुक हो जायंगे कि कुछ काम करना ही छोड़ देंगे।

श्री शिब्बन लाल सक्सेना एम० पी० का नैपाली फौज द्वारा गोली से घायल होना

*५७—श्री श्रीचन्द सिंघल—क्या यह सच है कि नैपाली फ़ौज ने श्री शिब्बन लाल सक्सेना, एम० पी० को ता० २३ नवम्बर को गोरखपुर जिले के फेटनी ग्राम में गोली से घायल कर दिया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व जो उत्तर संसद में दिया था उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है। यह विषय प्रादेशिक सरकार के उत्तरदायित्व के बाहर है। इसलिये इस बारे में अधिक कहने में मैं असमर्थ हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५८ पर)

*५८—श्री श्रीचन्द सिंघल—क्या यह सच है कि नैपाल से मिले हुए उत्तर प्रदेश के ग्रामों में नैपाली फ़ौज ने कुछ ज्यादतियां की हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

*५९—श्री श्रीचन्द सिंघल—क्या यह सच है कि गोरखपुर के जिलाधीश ने इन बातों की जांच की है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में साम्प्रदायिक झगड़ा

*६०—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १६ दिसम्बर या उसके क़रीब की तारीखों में प्रतापगढ़ के शहर में कोई झगड़ा हो गया जिसमें अक्सरियत के फ़िर्क़े के एक मुश्तइल मजमे ने अक़लियत पर हमला कर दिया, लोगों को मारा पीटा और घरों को आग लगादी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—१६ दिसम्बर को प्रतापगढ़ में एक जगह गो-वध होने के कारण झगड़ा हुआ।

*६१—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या सरकार बतायगी कि कितने घर जले, कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग इस समय बेघर हो गये हैं और इस संबंध में सरकार ने मज़लूमों को कोई सहायता दी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—क़साइयों के २४ घरों में आग लगी, जिसमें ९ घरों के खपरैल बिलकुल जल गये और बाकी को साधारण नुकसान हुआ। सिर्फ ४ आदमियों को मामूली चोट आई है। सब के घरों के छप्पर और खपरैल आदि ठीक करने के लिये सामान वहां फौरन ही पहुंचाया गया और भी दूसरी सहायता जो जरूरी है अधिकारी दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि अलावा मकानों के जलाने के मकान वालों का तमाम मुकम्मल तौर पर सामान भी लूट लिया गया, यहां तक कि बरतन जो बाकी रह गये थे उनमें छेद करके उन्हें खराब कर दिया गया ?

माननीय श्री लालबहादुर--छेड़ करके सामान खराब किया गया, इसकी तो इत्तला नहीं है लेकिन कुछ लूटपाट तो हुई ही।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि बावजूद बार-बार इत्तला के आज तक पुलिस ने कोई तलाशी उन बलवाइयों की नहीं ली और उनके यहां सामान मौजूद है फिर भी उसको हासिल करने की कोशिश नहीं की गयी?

माननीय श्री लालबहादुर--गवर्नमेंट को इसकी कोई इत्तला नहीं है और मैं समझता हूं कि जितनी मुनासिब कार्यवाही पुलिस को उसमें करनी चाहिये थी उसने की, बल्कि एक हद तक अपने हद के बाहर जाकर भी कुछ ऐसी हिदायत वहां के एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दी कि जिसके कारण काफी कड़ी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ हुई जो शरारत में शामिल थे या जो पीछे छिपे हुये थे, जिनका न पता चल सकता था और न जिनके खिलाफ गवाही मिल सकती थी। इसी लिए शुरू में कुछ लोगों को नजरबन्द भी करना पड़ा और अब उनके खिलाफ सब्सटेंशिएल (सारभूत) दफात के मातहत मुकद्दमा भी चलाये जाने की तैयारी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि उसने लखनऊ से डी० आई० जी० को मामले की तहकीक़ात और देखभाल के लिये भेजा था?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर को मालूम है कि डी० आई० जी० साहब जो इस काम के लिये भेजे गये थे वह सिर्फ स्टेशन पर रहे और वहां से लौट आये और उन्होंने कोई अमली कार्रवाई नहीं की?

माननीय श्री लालबहादुर--जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वहां कोई कालिज है जिसके प्रोफेसरों ने और लड़कों ने नुमायां तौर पर इस फसाद में हिस्सा लिया था, आज भी वह तबाह शुदा लोगों को मुख्तलिफ क़िस्म की धमकियां दे रहे हैं।

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा है कि स्कूलों के लड़कों ने हिस्सा लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इब्तदायी रिपोर्ट में किसी लड़के का जिक्र नहीं है और इस बात की जांच पड़ताल हो रही है कि कुछ लड़के जो कि खासतौर पर इसमें शामिल थे उनका पता चले, मगर अभी तक वहां के रहने वाले मुसलमान भी इस बात को नहीं बतला सकते हैं कि वे लड़के कौन थे हो सकता है कि उसका बताना आसान न हो, क्योंकि लड़के आमतौर पर बाहर से आते हैं। जब किसी का नाम दर्ज नहीं है तो लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान बात नहीं है। यह तभी हो सकता है जब हमें कोई सही-सही बात या कोई सबूत या गवाही मिले।

अतारांकित प्रश्न

२१ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० से २० दिसम्बर, सन् १९५० ई० तक बलिया और गाजीपुर जिलों में डाके और कत्ल

१--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार बतायेगी कि २१ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० से २० दिसम्बर, सन् १९५० ई० तक जिला बलिया और गाजीपुर में कितने डाके और कितने क़त्ल हुये?

माननीय श्री लालबहादुर--जिला बलिया में २३ डाके और १४ क़त्ल और जिला गाजीपुर में ६ डाके और १२ क़त्ल हुये।

२--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार बतायेगी कि डाके किन किन गांवों में और किस किस के यहां पड़े और क्या वे डाकू पकड़े गये?

माननीय श्री लालबहादुर--यह सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।
(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५९ पर)

३--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार बतायेगी कि जो जो डाकू पकड़े गये उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने मुकद्दमे अभी अदालत में हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर--जिला बलिया में कुल २३ मुकद्दमों में से तीन की अभी जांच हो रही है बाकी २० अदालत में हैं जिनका अभी फैसला नहीं हुआ। जिला गाजीपुर में कुल छः मुकद्दमों में से एक की अभी जांच हो रही है, तीन अदालत में चल रहे हैं और बाकी दो का फैसला हो गया है जिनमें तीन डाकुओं को सजा हुई।

४--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार बतायेगी कि दोनों जिलों में जिन जिनके क़त्ल हुये हैं उनके नाम, गांव व थाना क्या हैं ?

माननीय श्री लालबहादुर--यह सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।
(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६१ पर).

५--श्री बादशाह गुप्त--[स्थगित किया गया।]

अस्त्र-शस्त्रों पर से रोक हटाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

६--श्री श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अस्त्र शस्त्रों पर से रोक हटाने के संबंध में उसकी क्या नीति है ?

माननीय श्री लाल बहादुर--हथियारों पर रोक संबंधी नियम और क़ानून भारतीय सरकार द्वारा संचालित होते हैं, इसलिये उसे बदलने में हम स्वतंत्र नहीं हैं।

[शनिवार, २४ फरवरी सन् १९५१ ई० के प्रश्न जो पहले २२ फरवरी, १९५१ के लिये निर्धारित किये गये थे।]

तारांकित प्रश्न

अन्न-संग्रह-योजना के अन्तर्गत जिला सीतापुर में कपड़े के विशेष आयात-कर्त्ताओं की नियुक्ति

*१--श्री बनारसी दास (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि सरकार को अन्न-संग्रह योजना के अनुसार १९४९ में जिला सीतापुर में कपड़े के विशेष इम्पोर्टर्स की नियुक्ति की गई।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--जी हां।

*२--श्री बनारसी दास (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कौन विशेष इम्पोर्टर्स नियुक्त किये गये और किस आधार पर ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला थोक बिक्रेता संघ के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये निम्नलिखित फर्म अन्तिम रूप से कपड़े के विशेष आयातकर्त्ता नियुक्त किये गये थे--

श्री रामेश्वर दयाल कपूर,
सर्वश्री राम नरायन प्राग नरायन,
सर्वश्री शिव सहाय हजारीमल।

गल्ला वसूली योजना के संबंध में कपड़े के विशेष कोटे के आयातकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिये सरकार की हिदायतों में यह कहा गया था कि यह काम जिले की आयात करने वाली एजेन्सियों को सुपुर्द किया जाय अर्थात् उन आयातकारी एजेन्सियों को जो नियमित मासिक कोटे

के संबंध में काम करती थीं और यदि आयातकारी एजेन्सी इस अतिरिक्त कार्य को संभालने के लिये तैयार न हो तो प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर किसी दूसरे स्थिर आर्थिक स्थिति वाले थोक व्यापारी को इस काम के लिये नियुक्त करेंगे।

सीतापुर में उस समय श्री रामेश्वर दयाल कपूर और सर्वश्री रामनारायण प्राग नरायन आयातकर्त्ता थे जो कि थोक व्यापारी संघ द्वारा नामजद हुये थे। सर्वश्री रामेश्वर दयाल कपूर इस अतिरिक्त कार्य को लेने के लिये तैयार न थे और इसलिये जिला मैजिस्ट्रेट ने सर्वश्री रामनरायन प्रागनरायन को इस विशेष कोटे के लिये आयातकर्त्ता नियुक्त किया और उनका नाम प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर के पास १ अप्रैल, १९४९ ई० को भेज दिया। इस संघ के कुछ सदस्य सर्वश्री शिव सहाय हजारीमल थोक व्यापारी फर्म के मालिक श्री गनेशप्रसाद मेहरोत्रा को जो इस संघ के वाइस प्रेसिडेन्ट भी थे, आयात कर्त्ता नियुक्त कराने की कोशिश में थे। इस संघ के सेक्रेटरी ने भी विशेष कोटे के लिये अपना नाम संघ द्वारा मनोनीत व्यक्ति के रूप में १ अप्रैल, १९४९ ई० को पेश किया। इसलिये सर्वश्री शिव सहाय हजारीमल की फर्म के नाम को जिला मैजिस्ट्रेट ने दूसरे उम्मीदवार के रूप में प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर के पास भेज दिया। ४ अप्रैल, १९४९ ई० को संघ के सेक्रेटरी ने विशेष कोटा उठाने के लिये इस फर्म को सिन्डीकेट के प्रतिनिधि के रूप में सामने रक्खा और जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर को भेज दिया। प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर ने अस्थायी रूप से दोनों फर्मों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट से कहा कि सरकारी आज्ञा के अनुसार केवल वर्तमान आयातकर्त्ता को ही नियुक्त किया जाना चाहिये और अन्य लोगों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिये जब कि वर्तमान आयातकर्त्ता अतिरिक्त कार्य कर सकने में असमर्थ हों। जिला मैजिस्ट्रेट ने इस लिये मामले की फिर से जांच की और उनकी यह राय हुई कि वर्तमान आयातकर्त्ता सर्वश्री राम नारायन प्राग नारायन को ही विशेष आयात कर्त्ता बनाया जाना चाहिये और यह कि संघ के सेक्रेटरी द्वारा सर्वश्री शिव सहाय हजारीमल का मनोनीत किया जाना सद्भावना से नहीं हुआ था, इसलिये उन्होंने अपनी सिफारिश २५ अप्रैल, १९४९ ई० को प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर के पास भेज दी। इसलिये साधारण तया केवल यही फर्म विशेष आयातकर्त्ता के रूप में कार्य करता, लेकिन विधान मंडल के एक माननीय सदस्य ने सर्वश्री शिव सहाय हजारीमल के इस प्रयत्न में सहायता की कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा २५ अप्रैल, १९४९ ई० को की गई सिफारिश रद्द कर दी जाय। फर्म के प्रोप्राइटर प्राविन्शियल टैक्सटाइल कन्ट्रोलर के कार्यालय में २६ अप्रैल, १९४९ ई० को एम० एल० ए० साहब का पत्र ले कर पहुंचे। उपर्युक्त एम० एल० ए० साहब ने २७ अप्रैल, १९४९ ई० को जिला मैजिस्ट्रेट को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उस नियम के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई व्याख्या के ठीक होने पर सवाल उठाया जिसके द्वारा विशेष आयातकर्त्ता की नियुक्ति हुई थी। और जिला मैजिस्ट्रेट से कहा कि वे अगली कार्रवाई करने के पहले इस संबंध में उच्चाधिकारियों से आज्ञा प्राप्त कर लें। २८ अप्रैल, १९४९ ई० को एम० एल० ए० साहब कपड़े के व्यापारी को साथ लेकर सचिवालय के इस विभाग के एक अफसर से मिले। मामले को स्पष्ट करने के लिये सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेट को टेलीफोन से यह बतलाया कि संघ के मनोनीति व्यक्तियों को ही विशेष कपड़े का आयातकर्त्ता नियुक्त किया जाना चाहिये। जिला मैजिस्ट्रेट ने इन आदेशों को गलत समझा और यह खयाल किया कि इनका अर्थ यह है कि संघ के अंतिम मनोनीत व्यक्ति को, जो सर्वश्री शिवसहाय हजारीमल थे और जिनकी एम० एल० ए० साहब ने भी सिफारिश की थी, मान लिया जाय और इसलिये उन्होंने २५ अप्रैल, १९४९ ई० को अपनी आज्ञा को रद्द कर दिया और सर्वश्री शिवसहाय हजारीमल को नियुक्त कर दिया। जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया, तो सरकार ने यह आदेश दिया कि तीनों फर्मों को संघ का एजेन्ट मान लिया जाय, ताकि आगे कोई ऐसी गड़बड़ी न हो जिससे गल्ले की वसूली में बाधा पड़े। इस परिस्थिति में ऐसा हुआ कि दो वर्तमान आयातकर्त्ताओं के अतिरिक्त सर्वश्री शिवसहाय हजारीमल का फर्म भी विशेष कपड़ा आयातकर्त्ता नियुक्त हो गया।

वृन्दावन में श्री रंगजी के मंदिर में चावल का पकड़ा जाना

*३--श्री कृष्ण चन्द्र--क्या यह सही है कि ४०० मन से अधिक चावल श्री रंगजी के मंदिर में वृन्दावन (जिला मथुरा) में राशन अधिकारियों ने अक्टूबर, नवम्बर सन् १९४९ में पकड़ा था?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*४--श्री कृष्ण चन्द्र--क्या यह सही है कि गवर्नमेंट के आदेश पर उस मुकद्दमे को नहीं चलाया गया? यदि हां, तो क्यों?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। यह गल्ला छिपाया नहीं गया था। उसकी ठीक ठीक उस दिन तक प्रविष्टियां की गई थीं, केवल यू० पी० फूड ग्रेन्स राशनिंग आर्डर के वाक्यखंड २९ के अन्तर्गत केवल घोषणा नहीं की गई थी। यह त्रुटि वास्तविक थी। चूंकि यह मंदिर भारत के अति प्रमुख तथा प्रख्यात मंदिरों में से है इसलिये यह उचित नहीं समझा गया कि वास्तविक त्रुटि के लिये इस के ऊपर मुकद्दमा चलाया जाये। इसलिये पकड़ा गया गल्ला मंदिर के राशन कार्ड के हिसाब में मुजरा कर दिया गया जब तक कि उस गल्ले के चलने की संभावना थी।

श्री कृष्ण चन्द्र--गवर्नमेंट को किस प्रकार पता चला कि यह चावल छिपाया नहीं गया था और उसका डिस्ट्रिब्यूशन वितरण बराबर हो रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और उसने तमाम इन्दराजात उस रजिस्टर में पाये, जहां कि सब माल जोकि उस मंदिर का था लिखा गया था।

वृन्दावन के सर्वश्री रघुनाथ गणेशीलाल व नारायण के यहां कोयले की अवैध बिक्री

*५--श्री कृष्ण चन्द्र--क्या यह सही है कि फरवरी सन् १९५० ई० में सर्वश्री रघुनाथ, गणेशी लाल व नारायण के पास कुछ गैर कानूनी कोयले का स्टाक था और उसकी गैर कानूनी बिक्री वृन्दाबन, जिला मथुरा के राशन अधिकारियों ने पकड़ी थी और उस सम्बन्ध में कुछ गवाहों के बयान भी सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने करा दिये गये थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*६--श्री कृष्ण चन्द्र--यदि हां, तो वह मुकदमा अभी तक क्यों नहीं चला?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस संबन्ध में कानूनी राय लेने पर ज्ञात हुआ कि यदि मुकदमा चलाया गया तो वह कुछ कानूनी बारीकियों के कारण सफल न होगा। तो भी विभागीय कार्यवाही की गई। उनके लिये कोयले का जो अंश नियत किया गया था वह रद्द कर दिया गया तथा फरीकों को और कोटा पाने के लिये वंचित कर दिया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र--यह किस प्रकार पता चला कि मुकद्दमा चलाने में कानूनी नुक्स है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह भी जिला मैजिस्ट्रेट ने इत्तला दी थी। उसने अपने वकीलों से सलाह ली थी, उसके बाद सरकार के पास इस तरह की इत्तला उन्होंने भेजी।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या सरकारी वकील से ही केवल लाह ली गयी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिलाधीश हमेशा सरकारी वकीलों से ही सलाह लेते हैं।

रुहेलखंड-कुमायूं डिवीजन के कमिश्नर द्वारा आयोजित दावतों में नियंत्रित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग

*७--श्री श्याम लाल वर्मा--क्या कमिश्नर महोदय, रुहेलखंड-कुमायूं डिवीजन ने नैनीताल में माह अक्टूबर, १९५० में दो दावतों का आयोजन किया था और उनमें नियंत्रित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग किया गया था।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर ने नैनीताल में अक्तूबर १९५० ई० में निजी हैसियत से केवल एक ही प्रीतिभोज (party) दिया था जिसमें अधिकांश थालियों (dishes) में आमिष सेवन भोज्य पदार्थ परसे गये थे और उस प्रीतिभोज में नियंत्रित खाद्य पदार्थों का प्रयोग बड़ी सीमित मात्रा में किया गया था।

*८--श्री श्यामलाल वर्मा--यदि हां तो इन दावतों में कितने लोग आमंत्रित थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियंत्रित किये गये व्यक्तियों की संख्या निर्धारित सीमा ५० से बहुत कम थी।

*९--श्री श्यामलाल वर्मा--क्या यह सत्य है कि इन दावतों में नियंत्रित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग किया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जी हां, बड़ी सीमित मात्रा में।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवायी गयी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच तो हमेशा जिलाधीश के द्वारा होती है और उसी ने इन प्रश्नों का उत्तर जांच करवा के भेजा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उस पार्टी के अतिरिक्त जो कमिश्नर साहब ने जाती तौर पर दी वह दूसरी पार्टी किस की तरफ से दी गयी थी जिस में वह सम्मिलित हुये थे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच में सिर्फ एक ही पार्टी का जिक्र आया है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह पार्टी उन्होंने कब दी जो जाती तौर पर दी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मेरे पास इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह सीमित मात्रा में जो खाद्यान्न का प्रयोग किया गया तो सीमित से सरकार का क्या तात्पर्य है, नियमों में जो दिया है उससे कम या अधिक प्रयोग किया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सीमित में जो सीमा रखी गयी है, और कंजम्पशन आर्डर (उपभोग आदेश) में जो है उसी के अन्तर्गत उन्होंने दी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या यह भी सही है कि जिस तारीख को उन्होंने पार्टी दी उससे पूर्व पचास के बजाय पचीस आदमियों का नियम सरकार ने बना डाला था?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियम तो पचास का ही है।

*१०--श्री श्यामलाल वर्मा--क्या सरकार कृपया उस आज्ञापत्र की एक प्रतिलिपि मेज पर रखेगी जिसके द्वारा ऐसी दावतों में नियंत्रित खाद्य वस्तुओं के प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जिले के उच्च अधिकारियों को दिये गये हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- यू० पी० फूड कंजम्पशन रेस्ट्रिक्शन आर्डर, १९४९ ई० (U. P. Food Consumption Restriction Order) की एक प्रति मेज पर रख दी गयी है। ऐसी कोई दूसरी आज्ञा (Order) नहीं निकाली गयी है जो जिलों के उच्च कर्मचारियों पर ही केवल लागू होती हो।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६३ पर)

पीलीभीत जिले के व्यापारियों द्वारा टनकपुर के धान का व्यापार

*११--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि बहुत दिनों से यह प्रथा चली आ रही है कि पीलीभीत जिले के व्यापारी टनकपुर के क्षेत्र से धान लाकर व्यापार करते हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*१२--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)-- क्या अब इस प्रकार के व्यापार पर कोई रोक आज्ञा (ban) लगा दी गई है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--बैलगाड़ियों और टट्टुओं द्वारा धान लाने लेजाने पर कोई रोक टोक नहीं है। केवल रेल अथवा मोटर गाड़ियों द्वारा धान के लाने ले जाने पर पाबन्दी है।

श्री गोपालनारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेल और मोटर के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया और टट्टू और गाड़ियों पर नहीं लगाया गया, सरकार इससे क्या फायदा सोचती है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--रेल और मोटर से तो ज्यादा दूर तक माल भेजा जा सकता है। लेकिन टट्टू और बैलगाड़ी से अधिक दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। और सरकार यह नहीं चाहती कि अधिक दूर तक बाहर के इलाकों में माल भेजा जाय क्योंकि अगर माल इस तरह से बाहर भेजा जाय तो प्रोक्योरमेंट (वसूली) होना असम्भव है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने फासले पर वह चाहती है कि यह गल्ला जाय और कितनी दूरी पर यह न जाय?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज्यादातर बैलगाड़ियां अपने जिले के ही अन्दर काम करती हैं और जिले के अन्दर गल्ला घूमता फिरता रहता है। इससे प्रोक्योरमेंट में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी कि उस दशा में जबकि गल्ला एक स्थान से किसी दूसरे दूर के स्थान पर ले जाया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार को यह मालूम है कि एक जिले से दूसरे जिले में बैलगाड़ियों के ऊपर बराबर गल्ला जाता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जाता है, लेकिन बहुत कम जा सकता है। अगर रेल से जाने लगे तो बहुत मात्रा में जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार को यह मालूम है कि कानपुर में कितने जिलों से गल्ला आता है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--कानपुर में कई जिलों से, अड़ोस-पड़ोस के जिलों से आता होगा।

*१३--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--इस प्रकार की आज्ञा लगा देने का क्या कारण है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ये पाबन्दियां गल्ला वसूली के विचार से लगायी गयी हैं।

*१४--श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित) क्या यह सच है कि इस आज्ञा के कारण पीलीभीत के निवासियों को अच्छा चावल मिलना दुर्लभ हो गया है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न ११--१४ श्री गोपालनारायण सक्सेना ने पूछे।

सहारनपुर जिले में कुयें बनाने के लिये रुपयों की स्वीकृति

*१५--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने लगभग २०,००० रुपया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर फर्स्ट डिवीजन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास कुआं बनवाने के लिये फरवरी सन् १९५० ई० में दिये थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, यह रुपया फरवरी सन् १९५० में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ विभाग प्रथम डिवीजन मेरठ को सहारनपुर जिले के गांवों में पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये दिया गया था।

*१६--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या यह सच है कि सरकार ने यह भी हुक्म दिया था कि यह रुपया किसी विशेष एम० एल० ए० की राय से खर्च किया जाय?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से यह कहा गया था कि वे श्री फूल सिंह एम० एल० ए० से सलाह करके उन गांवों में कुयें बनवाने में रुपया खर्च करें जहां पानी की कठिनाई हो।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मखसूस तौर से श्री फूल सिंह जी के लिये ही क्यों आदेश दिया गया कि उनके जरिये से यह कुयें बनवाये जायं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--क्योंकि अर्जियां जो कुओं के न होने के कारण कठिनाइयों के बारे में आयी थीं वह उन्हीं के द्वारा भिजवाई गई थीं और बोर्ड में वह अर्जियां उनके हस्ताक्षर से आयी थीं और बोर्ड में उनके ऊपर विचार हुआ था तब बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि जब कुयें बनवाये जायं तो उनसे पूछ लिया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिर्फ फूल सिंह जी की ही कांस्टीटुयेंसी (निर्वाचन क्षेत्र) में कुयें बनने वाले थे या सारे जिले सहारनपुर में कुयें बनने थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, सारे जिले में कुयें बनने का सवाल नहीं था। सिर्फ दो तीन जगह कुयें बनने थे। लेकिन उनको आवश्यकता की मांग उनके द्वारा आई और बोर्ड ने उनपर विचार किया और यह निर्णय किया और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह आदेश दिया गया कि वह उनसे पूछ लें कि किन किन स्थानों पर पानी के उपलब्ध होने में कठिनाई है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि और जिलों में भी कहीं किसी और एम० एल० ए० के लिये आदेश दिया गया कि जो कुयें बनें वह उनके मशविरे से बनें?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, जहां से अर्जी आती है बोर्ड उनपर विचार करता है। बस्ती जिले में भी इस तरह की शिकायत आयी थी। वहां जो बस्ती के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे उनके लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा गया था कि कहां कहां पानी की दिक्कतें हैं उनके मशविरे से मालूम करके कुयें बनवा लें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के और एम० एल० एओं से क्यों राय के लेने का आदेश नहीं दिया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस व्यक्ति ने अर्जियां भिजवाई थीं और जिसके जरिये से अर्जियां आयी थीं उसकी जानकारी श्री फूलसिंह को अधिक थी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या यह बात सही है कि श्री फूल सिंह जी ने इस बात का वादा सरकार से किया था कि गांव वाले मुफ्त में काम करेंगे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह बात सही है। उन्होंने कहा था कि जहां तक मजदूरी का सम्बन्ध है गांव वाले मुफ्त में काम करेंगे।

*१७--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह रुपया किसने व किस प्रकार खर्च किया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी इस रुपये में से कुछ भी व्यय नहीं हुआ है।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बावजूद सरकार के इस हुक्म के क्यों इस रुपये को अबतक खर्च नहीं किया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुछ दिक्कतें बताई, क्योंकि यह कुयें ऐसे क्षेत्र में थे जो ज्यादा फैले हुये थे। उन्होंने कहा कि दो तीन कुओं पर आपका स्टाफ लगेगा तो सरकार का ज्यादा खर्च होगा। उन्होंने सलाह दी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मार्फत ही कुंयें बनवाये जायं।

रुई की बिक्री पर नियंत्रण

*१८--श्री भगवान दीन मिश्र--क्या यह सत्य है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में रुई किसी भी मूल्य पर बाजारों में उपलब्ध नहीं हुई है जबकि प्रथम बार रुई पर सरकारी नियंत्रण जारी किया गया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में रुई के अनुज्ञाधारी व्यापारियों को घरेलू उपयोग के लिये रुई की लगभग १२,००० गांठें उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर बेचने के लिये वितरित की गई हैं।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि किन किन जिलों में व्यापारियों के पास पहले से रुई मौजूद थी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों में पहले से रुई मौजूद थी वहां भी रसद विभाग की उपेक्षा के कारण कीमत निर्धारित नहीं हो सकी और लोगों को समय से रुई न मिली ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि बहराइच जिले में कीमत निर्धारित न होने की वजह से ३० गांठ रुई पड़ी रही और जाड़े में लोगों को रुई न मिल सकी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा हो सकता है कि कीमत निर्धारित होने में कुछ देरी हुई हो और समय से वह रुई न बिक सकी हो।

श्री खानचन्द गौतम--इस सूबे में पर्याप्त मात्रा में रुई न मिलने का एक कारण क्या यह भी है कि प्रदेश में रुई की उत्पत्ति बहुत कम हो गई है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- हां, यह बात तो है।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले चार वर्षों में रुई की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यद्यपि इस विभाग से मेरा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मेरा खयाल है कि पिछले वर्ष में और इस वर्ष में रुई की उत्पत्ति के लिये काफी चीजें सरकार ने इस प्रदेश में की हैं।

*१९--श्री भगवान दीन मिश्र--क्या यह सत्य है कि सरकार ने रुई का कोटा प्रत्येक जिले के लिये नियंत्रण करने पर निश्चित कर दिया है ? यदि हां, तो यह कोटा कब निश्चित किया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--रूई के कोटे अक्टूबर तथा दिसम्बर सन् १९५० ई० में निर्धारित किये गये।

राज्य में मरदानी धोती और मारकीन का अभाव

*२०--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि सारे प्रदेश में एक अर्से से मर्दानी धोती और मारकीन कपड़े के कोटे में नहीं के बराबर सूबे को मिल रही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

श्री खानचन्द गौतम--इसका क्या कारण है कि मारकीन और मरदानी धोती के जोड़े प्रदेश में नहीं के बराबर मिल रहे हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--क्योंकि उनकी पैदावार इस वक्त कम है। सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को कई बार यह लिखा जा चुका है और आज भी मैं केन्द्र के मंत्रियों से इस सम्बन्ध में बातें करने जा रहा हूं कि इस प्रदेश में धोती जोड़ों की बहुत कमी है और इसका मुख्य कारण यह है कि मिलें धोती जोड़े, जो कि लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, तैयार नहीं कर रही हैं। इस प्रदेश की सरकार चाहती है कि केन्द्र की सरकार मुनासिब आदेश मिलों को दे, जिससे अधिक मात्रा में धोतियां तैयार की जा सकें।

श्री खानचन्द गौतम--क्या यह बात सही है कि उद्योगपतियों को यह सुविधा इस समय प्राप्त है कि अपनी उत्पत्ति का कुछ अंश वे सरकार को वितरित करने के लिये न दें और सीधे वितरित करें?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, ऐसी सुविधा उन्हें प्राप्त है।

श्री खानचन्द गौतम--उनकी उत्पत्ति का कितना प्रतिशत सीधा बिकता है और कितना प्रतिशत सरकार द्वारा वितरित होता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--कहा जाता है कि १/३ हिस्सा उनको सीधा वितरित करने की आज्ञा मिली हुई है।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय मंत्री की सूचना में यह चीज है कि जो सीधे वितरित करने के लिये १/३ दिया गया है, उसका अधिकांश भाग बाहर विदेशों में जाकर, इंगलैंड, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स में वहां के बने हुये कपड़ों से कम मूल्य पर बिक रहा है और इसी वजह से यहां नहीं बिकता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह १/३ उस कोटे से अलहदा है, जो कि मिलों को बाहर के देशों को भेजने के लिये मिलता है और भेजते हैं।

श्री खानचन्द गौतम--क्या यह बात सही नहीं है कि १/३ हिस्सा जो बाहर जाने के लिये मिलों को दिया गया है उसके अतिरिक्त इस कपड़े में से भी जो यहां सीधी बिक्री करने के लिये दिया गया है, यह भी बाहर जा रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी सूचना इस प्रदेश की सरकार के पास नहीं है। यह तो केंद्रीय सरकार बतला सकती है, हम नहीं बतला सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन में (पूर्ण उत्पादन) से कितना हिस्सा माल बाहर भेजा गया है।

श्री खानचन्द गौतम--क्या इस प्रदेश की सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है और अगर पता लगाया है तो नतीजा क्या है कि जो कपड़ा उद्योगपति सीधे वितरित करते हैं वह कहां-कहां होता है और होता भी है या नहीं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके आंकड़े इस प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती है क्योंकि यह तो केंद्रीय सरकार से संबंध रखने लायक बात है। वह बतला सकती है कि कपड़े का टोटल प्रोडक्शन क्या था और उसका कितना हिस्सा बाहर भेजा गया और कितना १/३ में से यहां देश के अन्दर बांटा गया।

बनारस के टाउन राशनिंग कार्यालय में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग

*२१--श्री बेचन राम गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि डिप्टी टी० आर० ओ० (आई०) बनारस ने हिन्दी की जगह सभी कार्य अंग्रेजी में करने की आज्ञा प्रदान की है और उस आदेश से बहुत से रजिस्टर ज [illegible] में लिखे जाते थे अब अंग्रेजी में लिखे जाने लगे हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है कि कार्यालय में सब स्थानों पर हिन्दी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। केवल हिसाब के रजिस्टरों में अंग्रेजी अंकों के प्रयोग करने का आदेश दिया गया है।

बनारस के टाउन राशनिंग कार्यालय में चटाइयों का क्रय

*२२--श्री बेचनराम गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि डिप्टी टी० आर० ओ० (आई०), बनारस ने बिना टेंडर मांगे ही चटाइयां खरीदीं ? यदि हां, तो किस दर में ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, चटाइयां एक आना फी वर्ग फुट के हिसाब से खरीदी गयीं।

*२३--श्री बेचन राम गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि ये चटाइयां लखनऊ में खरीदी गयीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

बनारस के डिप्टी टी० आर० ओ० से सरकारी बंगले के किराये की वसूली

*२४--श्री बेचन राम गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि डिप्टी टी० आर० ओ० (आई०), बनारस करीब आठ मास से सरकारी बंगले में जो गोदाम का एक हिस्सा है, रह रहे हैं ? यदि हां, तो उस हिस्से का उन्होंने अभी तक कितना किराया दिया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। अब तक कोई किराया नहीं दिया गया है क्योंकि इमारत के जिस हिस्से में यह अफसर रह रहे हैं उसका किराया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, जिनके पास यह निर्धारित करने के लिये भेजा गया है, अभी तक निर्धारित नहीं किया है।

१९५० के हरिद्वार के कुंभ मेले पर अन्न का व्यय

*२५--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या यह सच है कि पिछले कुंभ मेले पर हरिद्वार में जितना अन्न चाहिये था उससे बहुत ज्यादा सरकार ने पहुंचा दिया था, जो बाद में मेला शुरू होने के पहले ही वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना रुपया इस अन्न के आने-जाने में खर्च हुआ ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। हरद्वार कुंभ मेला के लिये अन्न की आवश्यकताओं का अनुमान उससे पूर्व के कुंभ मेले में आये हुए यात्रियों की संख्या के आधार पर लगाया गया था। रेलवे विभाग ने सूचित किया था कि २० मार्च, १९५० ई० के बाद हरद्वार भेजने के लिये कोई अन्न स्वीकार नहीं किया जायगा, क्योंकि ईस्ट इंडियन रेलवे के इस सेक्शन में यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना है। अतः उपर्युक्त तिथि के पूर्व ही मेले के लिये पूरी रसद हरद्वार पहुंचानी पड़ी थी। मेले के बाद बचा हुआ खाद्यान्न सम्पूर्ण स्टेट में पुनः वितरित कर दिया गया।

२४,६०० मन गेहूं और २४,८०० मन आटा नम्बर १ मार्च के प्रथम सप्ताह अर्थात् कुंभ मेला के आरंभ होने के पूर्व ही हरद्वार से वापस मंगा लिया गया था, किन्तु इसलिये नहीं

नोट--तारांकित प्रश्न २१-२४ श्री रामनन्दन सिंह ने पूछे।

कि वहां उस समय आवश्यकता से अधिक स्टाक जमा हो गया था, परन्तु इसलिये कि समीप-वर्ती राशन वाले नगरों की गंभीर खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये और कोई दूसरा उपाय नहीं था। उपर्युक्त रसद की मात्रा को ले आने में कुल व्यय २८,००० रु० हुआ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेले के बाद कितना सामान बचा और वह कहां-कहां भेजा गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेले के सामान के आंकड़े इस समय मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन वह सामान सहारनपुर, देहरादून, मेरठ और बिजनौर, जो समीपवर्ती जिले थे वहां भेजा गया।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री अंदाजन बताने की कृपा करेंगे कि कितना सामान बचा जो सहारनपुर, देहरादून, वगैरह भेजा गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि आप नोटिस देंगे तो सामान की मात्रा कितनी थी मैं बतला सकूंगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री इसकी वजाहत कर देंगे जो उन्होंने कहा है २४,६०० मन गेहूं और २४,८०० मन आटा नम्बर १ मार्च के प्रथम सप्ताह में मेला शुरू होने से पहले वापस मंगा लिया गया तो वजाहत दें कि मेले के बाद गल्ला बचा तो कैसे समझा कि ज्यादा गल्ला नहीं पहुंचा था।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज्यादा गल्ला उस अनुमान से नहीं था जो लगाया गया था कि कम से कम इतने लाख यात्री मेले में आयेंगे। अनुमान यह लगाया गया था कि मेले में कम से कम १६ लाख से लेकर २० लाख यात्री आयेंगे लेकिन नहीं आये। इस-लिये जो गल्ला भेजा गया वह उससे ज्यादा नहीं था जो मामूली तौर पर गल्ला लाना चाहिए था और भेजा जाना चाहिये था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेला शुरू होने के पेश्तर उनको कैसे मालूम हो गया कि मेले में आदमी कम आयेंगे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने यह कहा कि यह गल्ला इसलिये हमको वापस लेना पड़ा कि जो नजदीक के जिले थे वहां राशनिंग की व्यवस्था चल रही थी वहां लोगों को गल्ला देने के लिये हमारे गोदाम में गल्ला नहीं था। हमारे पास गेहूं कम था, इसलिये उस स्थान से जहां गल्ला हमने इकट्ठा कर रक्खा था, वहां से हमें गल्ला मंगाना पड़ा और उसका वितरण करना पड़ा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मेरा सवाल मंत्री महोदय से यह है कि ४८ हजार, ४९ हजार मन गल्ला एक ही हफ्ते के अन्दर भेजा गया और फिर वापस ले लिया गया तो यह एक ही हफ्ते में कैसे जरूरत पड़ गयी कि भेजते ही वापस ले लिया गया। माननीय मंत्री यह बतला दें कि कितने अर्से में सामान भेजा गया और मंगाया गया, वे तारीखें मैं जानना चाहता हूं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--तारीखें मेरे पास नहीं हैं। गल्ला वहां भेजा गया और वापस लिया गया। इसलिये कि पहले सरकार को उम्मीद थी कि बाहर से जो गल्ला हमें मिलने वाला है वह सामान मिल जायगा और उसको हम उन स्थानों पर भेज सकेंगे जहां राशनिंग की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जब पता चला कि समय पर गल्ला नहीं मिल सकेगा तो हमने उस गल्ले को जो हमारे हाथ में था और जो गल्ला मेले के लिये भेजा था उसमें से हमने गल्ला निकाला और उसका वितरण उन स्थानों पर करवाया जहां उसकी आवश्यकता थी।

***२६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना**--[स्थगित किया गया।]

***२७--३०--श्री गंगा सहाय चौबे**--[स्थगित किये गये।]

अस्पतालों के डाक्टरों की आपरेशन फीस

*३१--**श्री राम शरण** (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट बतलाने की कृपा करेगी कि अस्पतालों में आपरेशन फीस में कितनी वृद्धि की गयी है और इस वृद्धि का कारण क्या है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--आपरेशन फीस में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

*३२--**श्री राम शरण** (अनुपस्थित)--अस्पतालों के डाक्टरों को लोगों के घर पर ले जाकर आपरेशन कराने में फीस का क्या नियम रखा गया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अस्पताल के डाक्टरों को घर पर केवल मरीज दिखलाने की फीस नियत है। आपरेशन तथा और किसी प्रकार चिकित्सा के लिये कोई फीस नियत नहीं है।

*३३-३४--**श्री रामनन्दन सिंह**--[स्थगित किये गये।]

मुरादाबाद के सिविल अस्पताल में एम्बुलेन्स कार का प्रयोग

*३५--**श्री राम शरण** (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद के सिविल अस्पताल में एंम्बुलेंस कार का अस्पताल में पहुंचने के समय से अब तक प्रतिमास कई बार प्रयोग हुआ है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विवरण नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २६६ पर।)

*३६--**श्री राम शरण** (अनुपस्थित)--क्या इस कार को चलाने वाले के लिये बनाये गये मकान में किसी दूसरे व्यक्ति को रख दिया गया है और चलाने वाला शहर में रहता है। ऐसा क्यों किया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सिविल सर्जन के हेड क्लर्क को शहर में मकान न मिलने के कारण वान--ड्राइवर के क्वार्टर में किराये पर रखने की अस्थायी आज्ञा दी गयी है। जैसे ही उनको मकान मिल जायगा वे क्वार्टर खाली कर देंगे।

यहां यह बताना उचित होगा कि ड्राइवर शहर में ऐसे स्थान पर रहता है कि जहां टेलीफोन पर वह हर समय मिल सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब कि वह टेलीफोन करने पर न मिला हो। परन्तु तब भी उसको अस्पताल के क्वार्टर में जितना जल्द हो सकेगा स्थान दिया जायगा।

अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को राशन

*३७--**श्री बादशाह गुप्त**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन शहरों में सरकारी कर्मचारियों को राशन दिये जाने की व्यवस्था है, वहां उसकी नीति स्थानीय अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों (गवर्नमेंट पेंशनर्स) को भी राशन देने की है या नहीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को गल्ला न देने में सरकार की क्या नीति है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नीति कोई खास नहीं है। उनको जिस तरह से आम आदमियों को नहीं मिलता है, उसी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

*३८--**श्री बादशाह गुप्त**--(माननीय शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध आगामी मंगलवार के लिये स्थानान्तरित किया गया।)

श्री खुरशेदलाल की मृत्यु के कारण संसद में रिक्त हुये स्थान के लिये निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मुझे यह सूचना देनी है कि श्री खुरशेदलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रतिनिधि का स्थान संसद में रिक्त हो गया है और मैंने उपरोक्त उप निर्वाचन के लिये सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के पद पर तथा श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, सहायक सचिव को रिटर्निंग आफिसर के अधीन उनको चुनाव में सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर रिटर्निंग आफिसर का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है।

इस उपनिर्वाचन का मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है--

(१) नामों के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि और समय .. ३ मार्च सन् १९५१ ई० को १-३० बजे तक।

(२) नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा करने के लिये तिथि और समय .. ५ मार्च, सन् १९५१ ई० को १-३० बजे तक।

(३) निर्वाचन से नाम वापस लेने के लिये अन्तिम तिथि और समय .. ७ मार्च, सन् १९५१ ई० के १-३० बजे तक।

(४) यदि आवश्यक हो तो मत (वोट) प्रदान करने की तिथि, समय तथा स्थान .. १७ मार्च सन् १९५१ ई० को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में।

विशेषाधिकार का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष--श्री फखरुल इस्लाम ने मुझे सूचना दी है कि वे एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं कि बजट की कापियां प्रेस को यहां मेम्बरों को तकसीम होने से पहले दे दी गयी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कायदे के अन्दर माननीय नेता सदन को भी उन्होंने इसकी सूचना दी है कि वे इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं?

श्री फखरुल इस्लाम--मैंने आपके पास ही एक कापी लिख कर दे दी है।

माननीय अध्यक्ष--कायदा यह है कि इसकी सूचना माननीय नेता सदन को भी देनी चाहिये क्योंकि कायदे में यह लिखा हुआ है--

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary and the Leader of the House before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised."

(कोई सदस्य जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हो, उस दिन उपवेशन आरंभ होने के पूर्व जिस दिन प्रश्न प्रस्थापन किया जाना हो सचिव तथा सदन के नेता को लिखित सूचना देगा।)

श्री फखरुल इस्लाम--मैं उसकी कापी दे सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष--मगर रूल्स का कम्पलायन्स (नियमों का पालन) नहीं होता। सिटिंग (उपवेशन) शुरू होने के लिये ११ बजे का वक्त था और आज तो मैं इसको इसी नुक्स की वजह से कि आपने इसको तामील नहीं की नहीं ले सकता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५१—५२ का आय-व्ययक

मानतीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—श्रीमन्, मैं १९५१-५२ का बजट उपस्थित करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

जैसी कि परम्परा रही है मैं पहले इस समाप्त होने वाले वर्ष को कुछ प्रमुख घटनाओं और प्रवृत्तियों की थोड़ी समीक्षा से ही प्रारम्भ करूंगा ।

हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसके बारह महीने इनमें होने वाली घटनाओं की दृष्टि से कई शताब्दियों से भी बड़ प्रतीत होते हैं । ऐसा राज्य, जो भारतीय राष्ट्र संघ का एक अंगमात्र है कोई अन्ताराष्ट्रीय महत्व नहीं रखता, और इसीलिए हम अंताराष्ट्रीय रंगमंच के प्रत्यक्ष अभिनेताओं में से नहीं हैं । फिर भी चीन, कोरिया, तिब्बत, नैपाल और हिन्द-चीन में जिन घटनाओं को घटते हम देख रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री तथा लेकसक्सेस स्थित प्रतिनिधिगण द्वारा किये जाने वाले शान्ति के भगीरथ प्रयत्नों को संसार के अन्य राष्ट्रों के सम्मुख जो सफलता मिल रही है उसकी हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया न हो ऐसी बात नहीं है । अंताराष्ट्रीय जगत में जो घटनाएं घटती हैं उनका हमारे ऊपर केवल बौद्धिक और मानसिक प्रभाव ही नहीं पड़ता । उदाहरण के लिए, अभी जो कुछ नैपाल में हुआ है हमें बाध्य करता है कि हम अपनी सीमाओं के अन्दर शान्ति और सुव्यवस्था को सुरक्षित रखें तथा देखते रहें कि कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे नैपाल और हमारे बीच हुई संधि की शर्तों को खतरा पहुंचे । हमारे लिए यह परम सन्तोष की बात है कि हमारे पड़ोस में नैपाल राज्य का शासन शीघ्र ही उसके नागरिकों की इच्छा के अनुरूप और गणतंत्र के सर्वमान्य सिद्धान्तों के अनुसार होने लगेगा ।

प्रशासन की दृष्टि से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कई बातों में अधिक अच्छा रहा है । जो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल पड़ोसी राष्ट्रों में हो रही है उसे देखते हुए इसकी आशा नहीं थी कि इस देश में या इस राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखना इतना आसान होगा । किन्तु इस विषय में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अत्यधिक सफलता रही । हिंसात्मक अपराधों की संख्या घट गयी । पुलिस ने डाकुओं के अनेक कुख्यात दलों का पता लगाकर तथा उनका निर्मूलन करके अपने लिए विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की । हम ग्रामवासियों को लुटेरों और डाकुओं का मुकाबला करने के लिए उत्साहित करते चले आ रहे हैं और इसका फल भी पर्याप्त संतोषजनक हुआ है । शांति और सुव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने वाली जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई है वह है वह प्रगति, जो हमने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए उद्वासितों को पुनर्वासित करने और उन्हें अपने समाज में मिला लेने में की है । श्रमिक स्थिति भी इस वर्ष पहले की अपेक्षा अच्छी रही । इस क्षेत्र में सिवा चीनी मिलों के श्रमिकों की निष्फल हड़ताल तथा कुछ अन्य असम्बद्ध घटनाओं के अतिरिक्त, जिनमें मजदूर थोड़े से स्वार्थी लोगों के बहकावे में आ गये थे, कोई बड़ी घटना न हुई । आज की इस कठिन आर्थिक परिस्थिति में यह सफलता किसी प्रकार भी उपेक्षणीय नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है । इतने थोड़े से समय में जो काम इन पंचायतों में से कुछ ने किया है उसे देखते हुए ग्राम्य प्रजातंत्र की यह परीक्षा अत्यन्त आशापूर्ण जान पड़ती है । विलीन राज्यों के प्रशासन को इस राज्य के शेष भागों के प्रशासन के समकक्ष लाने का कार्य भी ठिकाने और सन्तोषपूर्ण रीति से चलता रहा है ।

आर्थिक और वित्तीय दृष्टियों से यह वर्ष किसी भी प्रकार सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । देश की सामान्य परिस्थितियां अत्यधिक कठिन होती गयीं । केन्द्रीय और राज्य सरकारों को इस बात का श्रमसाध्य और सतत प्रयत्न करते रहना पड़ा है कि मुद्रास्फीति की (इन्फ्लेशनरी) प्रवृत्तियां बढ़ने न पावें । चीजों का दाम जो इस वर्ष के प्रारम्भ में ही अधिक था, विदेशीय घटनाओं के प्रभाव से वह बराबर बढ़ता ही गया । उसकी इस उत्तरोत्तर बाढ़ को रोकने में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये सभी प्रयत्नों के बावजूद भी पूरी सफलता न मिली । गत वर्ष हुए मुद्रा अवमूल्यन से यद्यपि हमारे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई पर देश के

आंतरिक उत्पादन में इतनी वृद्धि न हो सकी जितनी कि यहां की गृह समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक थी। बड़ी–बड़ी ईतियों, विशेषकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूचाल आदि के कारण, खाद्य समस्या और भी उग्र प्रतीत हुई। इनके द्वारा हुए खाद्यान्न के विनाश के कारण हमारे उन सारे प्रयत्नों की सफलता अंधकाराच्छन्न हो गयी जो हम विभिन्न "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के अन्तर्गत कर रहे थे और जिन पर पिछले दो वर्षों में पर्याप्त व्यय भी किया गया। इस राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में तो फसल का बहुत नुकसान हुआ। इन जिलों की बहुत बड़ी आबादी भुखमरी से केवल इस कारण बच सकी कि राज्य सरकार ने बड़ी तत्परता से इन हिस्सों में अन्न पहुंचाया और मितव्ययता की योजना को प्रभावशाली ढंग से चलाया। इस प्रकार की हानि देश के अन्य भागों में भी हुई। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष भी हमें पर्याप्त मात्रा में विदेशों से अन्न मंगाना पड़ा। ऐसे समय में जब कि खाद्य–कार्ष्य आसन्न हो यह स्पष्ट ह कि मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) की एक नवीन लहर आवेगी। निदान इसे रोकने के लिए बाधित होकर सरकार को खाद्य पदार्थों और कुछ दूसरी सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण आदि पर नियंत्रण करना पड़ा और इसके कारण सरकार के ऊपर एक ऐसा अनिवार्य वित्तीय बोझ पड़ा जिसे वह उपलब्ध साधनों के आधार पर संभालने के लिए प्रस्तुत न थी। जहां तक हम देख सकते हैं निकट–भविष्य में इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखायी पड़ता। वस्तुतः जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वह हमारे बिलकुल प्रतिकूल हैं। युद्ध के बादल पुनः अंताराष्ट्रीय क्षितिज पर मंडरा रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड ने पुनर्शस्त्रीकरण की बड़ी-बड़ी योजनाएं चालू कर दी हैं। बड़ी मात्रा में कच्चे माल और दूसरी आवश्यक सामग्रियों का संग्रह किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रों ने चीन को कोरिया में आक्रमणकारी घोषित कर दिया है। बड़े बड़े राष्ट्रों के परस्पर विरोधी दलों के आमने–सामने खड़े हो जाने के कारण तृतीय महायुद्ध की वास्तविकता एकाएक स्पष्ट हो गयी है। यदि समग्र विश्व के लिए नहीं, तो कम से कम अपने देश के कल्याण के लिए भी, हमें दृढ़तापूर्वक यही आशा करनी चाहिए कि विनाश के ये बादल निश्चय ही फट जायेंगे। क्योंकि सैनिक संगठन में पिछड़े हुए तथा खाद्य की कमी का सामना करते हुए राष्ट्र के लिए एक विश्वव्यापी युद्ध के आर्थिक नतीजों की कल्पना भी भयावह प्रतीत होती ह। किन्तु चाहे युद्ध हो अथवा न हो, यह स्पष्ट है कि अंताराष्ट्रीय रंगमंच पर मुद्रास्फीति करने वाली (इन्फ्लेशनरी) शक्तियों को खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे राष्ट्र को इनका प्रतिघात बरदाश्त करने तथा उसके बावजूद भी उससे बच निकलने के लिए निश्चय ही तैयार रहना पड़ेगा। कार्यरूप में परिणत करने के लिए हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो हमें आत्मनिर्भर (सेल्फ सफीशियेंट) होने के लिए, विशेषकर खाद्य, उद्योग और उत्पादन में हम जो कुछ भी प्रयत्न कर सकें करना चाहिए। दूसरे, हमको चीजों के दाम की बाढ़ को, जैसा कि गत महायुद्ध के पूर्व और बाद में दाम बढ़ा था, रोकने के लिए निश्चित प्रयत्न करना चाहिए। फलतः इस सरकार ने कम से कम व्यय में, सिंचाई, "अधिक अन्न उपजाओ", पानी की बिजली और उद्योग को उन्नति की दूसरी योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने के काम को सबसे अधिक प्रमुखता दी है। इस वर्ष बहुत से ट्यूब–वेल और पक्के कुएं (मेशनरी–वेल) खोदे गये हैं और मीलों तक नहरें निकाली गयी हैं। नगवा और ललितपुर के बांधों का उद्घाटन भी हो गया है। इनसे बहुत बड़े भूभाग में होने वाली खेती की सिंचाई के लिए सुविधा मिल गयी। सपरार बांध और कबराई झील योजना कुछ ही महीनों में पूरी हो जायगी। दरियाबाद और मौरावां की नहरों की वृद्धि का काम लगभग पूरा हो चुका है और उनकी सीमा में आने वाले खेतों की सिंचाई का काम भी उनसे लिया जाने लगा है। उद्योग के क्षेत्र में "प्रिसिशन इन्स्ट्रूमेंट फक्टरी" बठायी गयी है और उसमें उत्पादन भी हो रहा ह। कैसा का पूरा दाम दे दिया गया और अब उसकी कार्यशक्ति तथा उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। राजकीय सीमेंट फैक्टरी के लिए कुछ मशीनें और कल-पुर्जे आ गये हैं तथा बाकी कुछ ही महीनों में आ जायेंगे और यह आशा की जाती है कि फैक्टरी और उसके कार्यालय इस वर्ष के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेंगे। विद्युत्–शक्ति के उत्पादन की योजनाओं में मुहम्मदपुर का हाइड्रोएलेक्ट्रिक पावर स्टेशन करीब-करीब बन कर तैयार हो चुका है। ३,१०० किलोवाट का एक सेट अभी ही बठा दिया गया है और वह बिजली दे रहा

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है। "शारदा पावर हाउस" की सीमेंट की वृहत् आधार-भूमि तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर की इमारत में काम जारी है। कुछ और भी दूसरी सिंचाई और बिजली की योजनाएं चल रही हैं, जिनका काम शीघ्रता से प्रगति कर रहा है। इस प्रकार "अधिक अन्न उपजाओ" उद्योग तथा बिजली की योजनाएं सन्तोषजनक रूप से काम कर रही हैं।

मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी स्थिति में होता जहां से सामान्य उद्योग के क्षेत्र में अधिक निश्चित उन्नति की सूचना दे पाता किन्तु परिस्थितियां मुझे ऐसा करने नहीं देंगी। पूंजी की दशा पूर्ववत् बनी है अर्थात् रोजगारों में नयी पूंजी अब भी नहीं लगायी जा रही है। जब कि पिछले बारह महीनों में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की संख्या १,७८५ से बढ़कर १,९५५ हो गयी है। इस वृद्धि का यह अर्थ नहीं कि हमारे उद्योग के कार्यों में कोई बड़ी वृद्धि हुई है, और न यही कि हमारे व्यक्तिगत धन में वृद्धि हुई है। यह सच है कि हमारी कुछ वस्तुएं भारत के बाहर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। उदाहरण के लिए मुरादाबाद के बरतन, फर्रुखाबाद की छींट और कुछ किस्म के मिल के कपड़े विदेशों में बहुतायत से बिक रहे हैं। यह अच्छी बात है, और हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए, यदि हम अपनी कुछ और चीजों को विदेशी बाजार में बेच सकें और इस प्रकार अपने आदमियों को कुछ अधिक काम दे सकें तथा अपने देश में विदेशी धन के आयात को अबाध बना सकें। किन्तु दुर्भाग्यवश कई कारणों से, जिनमें कुछ अंताराष्ट्रीय ढंग के भी हैं, देश की आंतरिक वितरण व्यवस्था चिन्ताजनक हो रही है। रूई की बहुत बड़ी कमी हो गयी है, विशेषकर उत्तर प्रदेश की मिलों के लिए, जिन्हें इस राज्य के बाहर से रुई मंगाना पड़ता है। कपड़े की समस्या उत्तरोत्तर कठिन होती जा रही है और कुछ किस्म के कपड़े जैसे धोती आदि का दाम अनौचित्य की सीमा को लांघ चुका है।

जब तक यह कठिन परिस्थिति बनी रहती है हम अपने नागरिकों को केवल इस बात की आशा बंधा सकते हैं कि उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की अधिकाधिक मात्रा उन्हें मिलती रहे इसकी व्यवस्था में हमसे जो कुछ भी हो सकेगा, हम करते रहेंगे। हम अपने सभी नागरिकों से भी—चाहे वह अधिकारी वर्ग हो अथवा जनता—इस बात की आशा करते हैं कि वह चोरबाजारी और दूसरी असामाजिक प्रवृत्तियों को, जिनके कारण समस्त जनता के लाभ के लिए हमारे साधनों का न्यायोचित वितरण रुकता है, रोकने और उनके नाश करने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। सरकार ऐसी प्रत्येक सहायता का स्वागत करेगी, जो हमारे सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने में सहायक होगी।

थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं कह रहा था, सरकार द्वारा आयोजित सभी "अधिक अन्न उपजाओ" और दूसरी जनोपयोगी योजनाएं बहुत अच्छी प्रगति कर रही हैं। लेकिन उन्हें हमें वित्तीय सहायता देनी थी और सरकार को इस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था अपने ही साधनों से करनी पड़ी। केन्द्रीय सरकार विकास योजनाओं के लिए अब आधी भी वित्तीय सहायता नहीं कर रही है, जैसा कि उसने पिछले वर्ष किया था। अब केन्द्रीय सरकार ने आधे से भी कम अनुपात पर "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं में से कुछेक के लिए ही आर्थिक सहायता करने का निश्चय कर लिया है। "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं पर होने वाले व्यय तथा उस व्यय का, जो कि दूसरी विकास योजनाओं पर होगा, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशु पालन, सहकारिता, उद्योग और सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी योजनाएं भी सम्मिलित हैं, सारा भार राज्य सरकार के ही ऊपर आ गया है। केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार हाथ खींच लेने के कारण यह राज्य सरकार कुछ ऐसे वित्त सम्बन्धी वायदों में पड़ गयी कि जिन्हें पूरी तरह वह इस साल के राजस्व से पूरा नहीं कर सकती। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, सरकार को फलतः मितव्ययता के कई तरीके निकालने पड़े। ई० आई० आर० कमेटी के गत वर्ष के बहुत से सुझावों को हमने कार्यान्वित कर दिया है। वित्त और पुनर्संगठन कमिश्नर ने सरकार के सम्मुख जो आख्या उपस्थित की थी उसके आधार पर विभिन्न विभागों के काम को पुनः संगठित करने के लिए समय समय पर आदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि उनकी कार्य शक्ति को बिना धक्का पहुंचाए उन पर होने वाला व्यय कम हो जाय।

और इससे बहुत बड़ी बचत हुई भी है। इन मितव्ययता के उपायों के फल का पूरा पता कुछ महीने बाद लगेगा, लेकिन इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि इनके द्वारा हमने लगभग १ करोड़ से ऊपर की बचत अपने खर्चे में की। लेकिन इन सब उपायों के बावजूद भी हम विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली केन्द्रीय सहायता के रुक जाने से हुई क्षति को पूरी तरह नहीं संभाल सके हैं। भविष्य के लिए स्पष्ट है कि यदि हमको प्रचलित विकास योजनाओं को छोड़ना नहीं है तो हम अपने राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर) को एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं जाने दे सकते, और वर्तमान विकास योजनाओं की वृद्धि या कुछ नवीन योजनाओं के चालू करने का यह अर्थ होगा कि हमारा व्यय बढ़ेगा। चूंकि हमारा प्रधान उद्देश्य, जिसके लिए कि कांग्रेस ने उत्तरदायित्व संभाला, जनता के सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना था, अतः सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम-हित (लेबर वेल्फेयर), कृषि तथा उद्योग विकास आदि का काम थोड़े समय के लिए भी रोकने की बात स्वीकार कर सके। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है जहां तक संभव होगा कार्यशक्ति को बिना कम किये मितव्ययता के द्वारा विकास योजनाओं के लिए होने वाले व्यय के हेतु आवश्यक धन को हमने निकाला है और बराबर बचत से निकालते रहेंगे। लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस प्रकार हुई कुल बचत को मिलाकर भी हम इतना कोष नहीं प्राप्त कर सके, जो इस प्रकार की विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त सिद्ध हो। अतएव सरकार इस बात की जांच करा रही है कि कुछ प्रकार के मालों और जनता के लिए जो काम किये जाते हैं उनके (सर्विसेज़) ऊपर लगने वाले करों के प्रचलित दर में थोड़ी बहुत वृद्धि करने से वस्तुतः कितना फायदा पहुंचेगा। इसके लिए कोई फैसला करने के पूर्व सरकार निश्चय ही इस बात की पूरी छान-बीन कर लेगी कि इससे पड़नेवाले अतिरिक्त बोझ का भार जहां तक हो सके उन लोगों के ऊपर ही पड़े, जिन्होंने इन चीजों के दाम बढ़ने से फायदा उठाया है और उन लोगों पर भी, किसी प्रकार युद्ध के पूर्व उनकी आय के ऊपर जो बोझ था उसके अनुपात से अधिक बोझ न हो।

इतना तो मैंने इस बजट के राजस्व विभाग के सम्बन्ध में कहा। अब मैं बजट के उस विभाग के संबंध में कहूंगा, जिसमें पूंजी प्राप्तियों और व्यय की रकमें रहती हैं। इस संबंध में भी वित्त कार्श्य उतना ही था जितना कि गत वर्ष। उत्पादक पूंजी व्यय को, उचित ही, ऋण से पूरा करना चाहिये। लेकिन माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि आजकल बाजार से कर्ज लेने की जो प्रणाली है उसका परिणाम यह होता है कि कुछ राज्य सरकारों को ऋण के लिए अनुपाततः दूसरी राज्य सरकारों से अधिक ब्याज देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस समस्या का एक समाधान यह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार सब राज्यों की आवश्यकता के अनुसार एक साथ ऋण ले लिया करे और फिर विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति कुछ उसी प्रकार करे जिस प्रकार हम आय कर की आय के वितरण की व्यवस्था करते हैं। जो कुछ भी हो, इसके लिए अभी और छान-बीन की आवश्यकता है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि इस वर्ष भी सरकार सार्वजनिक ऋण (पब्लिक लोन) लेने की व्यवस्था न कर सकी और अपनी पूंजी व्यय का एक बड़ा हिस्सा उसे अपने सुरक्षित कोष से ही पूरा करना पड़ा।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके कारण हमें अपने बहुत से कामों को रोकना पड़ा, जिन्हें हम इस वर्ष कर सकते थे और यदि सामान्य रूप से हमें पूंजी व्यय मिलता रहता तो सिंचाई, विद्युत-शक्ति और मार्गों के निर्माण आदि कार्य में हमने कहीं अधिक प्रगति दिखायी होती। इस समय सरकार की तात्कालिक चिन्ता यह है कि वह इस कठिन वित्त कार्श्य के होते हुए भी ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे सिंचाई, विद्युत-शक्ति, और उद्योग की कुछ आवश्यक और प्रधान योजनाओं के, जिनको कि हमने हाथ में ले लिया है, पूरा होने में देर न लगे और इस राज्य के नागरिकों को इनकी उपादेयता का पूरा पूरा लाभ जितनी जल्दी हो सके मिले।

इससे अधिक उन्नति की आशा के लिए तो मुझे डर है कि तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि हमें सार्वजनिक ऋण और केन्द्र से मिलने वाली सहायता न प्राप्त होने लगे। अतः भविष्य की आशा कुछ धुंधली ही प्रतीत होती है।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं पुनः इस बात को दोहराने से अपने को नहीं रोक सकता कि हमारे लिए यह अत्यन्त निराशा की बात है कि हमारे पहले के शासकों ने ठीक ऐसे समय पर मुद्रास्फीति और राजनीतिक तथा आर्थिक घोर असन्तोष पैदा कर दिया था जब कि यह राज्य अपने जीवन काल में पहले पहल शासन की व्यवस्था संभाल रहा था और तमाम राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने की शक्ति संचय कर रहा था। माननीय सदस्यगण निश्चय ही इस बात को जानते होंगे कि सरकार ने इस राज्य के आर्थिक विकास की दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के हेतु योजना परिषद् (प्लानिंग बोर्ड) और योजना समितियों (प्लानिंग कमेटियों) की स्थापना की। यह योजनाएं बन चुकी हैं। अब प्रश्न केवल इनके लिए आवश्यक धन प्राप्त करना रह गया है।

अब मैं सदन को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि सरकार को महान वित्त कार्ष्य की कठिनाइयों के बीच अपना काम करना पड़ रहा है, किन्तु उसने इस बात का पूरा प्रबन्ध किया है कि इस राज्य की वित्तीय स्थिति पूर्णरूपेण दृढ़ रहे। १९४६-४७, १९४७-४८ और १९४८-४९ में क्रमशः १.९५ करोड़, १.२२ करोड़ और २.९१ करोड़ की राजस्व बचतें दिखायी गयी थीं। १९४९-५० ई० में केन्द्रीय राज सहायता के सहसा रुक जाने से हमें अपने राजस्व सुरक्षित कोष से २.२९ करोड़ तक रुपया निकालना पड़ा। इस वर्ष "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं में से कुछेक को छोड़ कर अन्य विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली केन्द्रीय राज सहायता पूर्णतः रुक गयी है। भारतीय संविधान की धारा २८६ के लागू हो जाने के कारण बिक्री-कर से होने वाली आय में लगभग १ करोड़ रुपये की कमी हो गयी है। सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण राशनिंग व्यवस्था को बनाये रखने में बहुत अधिक व्यय उठाना पड़ा है। हाल में ही पेट्रोल, टायर और ट्यूबों के दाम में वृद्धि हो जाने के कारण राजकीय बसों को चलाने का अवर्त्ती व्यय बढ़ गया है। इनके और इन्हीं के समान अन्य कारणों से इस वर्ष भी राजस्व से अधिक व्यय होगा। संशोधित तखमीनों के तैयार करने के समय तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हमने इस व्यय वृद्धि (एक्सेस) को १३६ लाख दिखाया है जो गत वर्ष के २२९ लाख की अपेक्षा इस अर्थ में बहुत कम है कि गत वर्ष तक अनुमोदित विकास योजनाओं के लिए हमें केन्द्रीय सरकार से ५० प्रतिशत तक राज सहायता भी मिलती थी और जो इस वर्ष बिलकुल रुक गयी है। वस्तुतः यह व्यय वृद्धि १३६ लाख से और भी कम हो सकती है कारण मितव्ययता के अन्य साधन अभी से काम में लाये जा रहे हैं और कुछ और लाये जायेंगे। इस वर्ष के अन्त तक जितनी वास्तविक व्यय वृद्धि (एक्सेस) होगी उतना रुपया इस वर्ष भी हमें राजस्व सुरक्षित कोष से निकालना पड़ सकता है। अगले वर्ष भी बावजूद इसके कि हमने और भी अधिक मितव्ययता की है हमारा अनुमानित व्यय हमारी अनुमानित आय से कुछ अधिक है और इसी को दिखाने के लिए हम सदन के सम्मुख घाटे का बजट उपस्थित कर रहे हैं। इस राज्य के वार्षिक राजस्व (आय) को देखते हुए, जो लगभग ६० करोड़ से ऊपर है, २५ लाख का घाटा बहुत कम है और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका हमारी वित्तीय प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः भारत सरकार से मिले हुए सब से अन्तिम समाचार के आधार पर इस बात की आशा करने के पर्याप्त कारण हैं कि आय-कर से होने वाली आय का हमारा भाग इस बजट में हमारे प्रस्तावित अनुमान से अधिक ही होगा। यदि ऐसा हुआ तो हमारा यह घाटा यत्किंचित् बचत में परिणत हो जायगा।

मैं इस स्थान पर सदन का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय संकट के होते हुए भी और उसके कारण हमें अपने व्ययों में जो कमी कर देनी पड़ी है उसके रहते हुए भी हमने विकास सम्बन्धी विभागों को, जो रुपया देना चाहिए था, उसमें कमी नहीं की। उदाहरण के लिए एक शिक्षा को ही ले लीजिए। अगले वर्ष हमारा शिक्षा सम्बन्धी व्यय उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले वर्षों से कहीं अधिक होगा। इसी प्रकार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों का व्यय पहले से अधिक ही होगा। वित्तीय संकट के होते हुए भी शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता, उद्योग और वैज्ञानिक परिवहन, पशुपालन, श्रम और योजना सम्बन्धी विभागों का हमारा कुल व्यय अब १७.१५

करोड़ है। माननीय सदस्यों को मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले १९४५–४६ ई० में विकास सम्बन्धी हमारा कुल व्यय केवल ६.७७ करोड़ था। विगत वर्षों में हमारे विरुद्ध यह कहा जाता था कि हमने कोई क्रान्तिमय बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया। किन्तु हमारी नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्तियों ने यह कभी नहीं कहा कि क्रान्तिमय बजट से उनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। मेरी समझ से जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है, उनके होते हुए भी राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तरोत्तर वृद्धिशील व्यय की व्यवस्था करना ही किसी सरकार के लिए कुछ कम गर्व की बात नहीं है। किन्तु फिर भी उन लोगों को छोड़कर, जो तथ्य के प्रति जान–बूझ कर अपनी आंखें बन्द कर लेते हैं, हमारा यह कहना है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में जितना अपूर्व और क्रान्तिमय परिवर्तन हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था और सरकार ने उसके निमित्त जो कुछ किया है, वह नगण्य नहीं है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारी सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीति भी बहुत ही सुवि–चारित रीति से चल रही है। सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी बड़ी योजनाओं में लगे हमारे रुपये पर हमें जो सूद मिल रहा है, वह वस्तुतः उस ब्याज के बराबर ही है जो हमें अपने ऋणों पर देना पड़ता है। हम इस बात की पर्याप्त व्यवस्था करने में पूर्णतया दत्तचित्त हैं कि हमें जहां तक हो सके ऋण न लेना पड़े या कम लेना पड़े। सन् १९५१–५२ ई० में इसके निमित्त केवल ९६.१ लाख की ही व्यवस्था की गयी है।

अब तक हमने अपने वक्तव्य में मुख्यतया वैभागिक विकास योजनाओं का ही उल्लेख किया है। अब मैं आप लोगों को संक्षेप में यह बतलाना चाहता हूं कि हमने अब तक सामाजिक और आर्थिक सुधार सम्बन्धी अपनी तीन बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में क्या उन्नति की है। इनमें से एक योजना, यहां मेरा तात्पर्य गांव में पंचायत राज्य द्वारा जनतंत्र की स्थापना से है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अच्छी उन्नति कर रही है, पंचायतें अब हमारे ग्राम जीवन का एक अंग बन गयी हैं, हमारे ग्रामवासी अब धीरे-धीरे सामाजिक संकल्प (कम्युनिटी विल) के प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं और गांवों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की उसमें कितनी क्षमता है, इसका भी उत्तरोत्तर अनुभव करते जा रहे हैं। हमारी दूसरी योजना मद्य निषेध सम्बन्धी है। अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम जिस तेजी से प्रगति करना चाहते थे उस तेजी से नहीं कर पाये हैं। उन दो जिलों को मिलाकर, जिनमें पिछले साल पूर्ण निषेध की व्यवस्था लागू की गयी थी, इस राज्य में ऐसे जिलों की संख्या ११ तक पहुंच गयी है। वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत बजट वर्ष में इस प्रकार के क्षेत्रों का और विस्तार सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि उससे आय में बहुत बड़ी कमी होने के साथ ही व्यय में भी वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। फिर भी हम इस बात का विशेष प्रयत्न करेंगे कि इस राज्य में बाहर से मादक पदार्थ चोरी चोरी न आने पावें और लोग अवैध रूप से मदिरा न बना सकें। हम इसका भी प्रयत्न करेंगे कि मद्यपान की दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध हम जो प्रचार करते हैं, उसे बढ़ाकर और दृढ़ कर दें। अगले साल केन्द्रीय सरकार के उस निश्चय के अनुसार, जो देश की सभी राज्य सरकारों के संयुक्त परामर्श से किया गया है, अफीम के सेवन को कम करने के लिये कुछ उपाय किये जायेंगे। हमारी तीसरी बड़ी योजना, जिसका सम्बन्ध सामाजिक और आर्थिक सुधार से है, अपने किसानों को जमींदारी प्रथा के आर्थिक बन्धन से मुक्ति दिलाना है। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण विषय में हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। जिसकी हमें पहले से ही आशंका थी, निहित स्वार्थ वालों (वेस्टेड इन्टरेस्ट्स) ने इस योजना में अड़ंगा लगाने का भरसक प्रयत्न किया। उन बातों को यहां दुहराना निरर्थक है। इस सदन को यह भली भांति ज्ञात है कि हमें अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए पग–पग पर लड़ाई लड़नी पड़ी। किन्तु अब अन्ततोगत्वा जमींदारी विनाश अधिनियम ने विधि अर्थात कानून का रूप धारण कर लिया है और वह अहिंसात्मक क्रांति, जो इस धरती के सपूतों को अपने सामन्तीय शोषकों से अपना अधिकार वापस लेने के लिए करनी पड़ी, अब पूरी हो गयी है। अब जमींदार लोग इस अधिनियम की वैधता के विरुद्ध न्यायालयों में आपत्ति उठाकर सामाजिक

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रगति की लहर को रोकने का अन्तिम प्रयास कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि यह प्रश्न अगले दो-तीन महीनों के अन्दर ही अन्तिम रूप से तय हो जायगा और हम आगामी जुलाई तक उक्त अधिनियम के विभिन्न महत्वपूर्ण निदेशों को प्रशासनतया कार्यान्वित करने में समर्थ होंगे। यदि हमारी यह आशा फलीभुत हुई तो उक्त दिनांक को अनेक यातनापूर्ण शताब्दियों के बाद राज्य का साधारण मानव उस पद और उन अधिकारों को फिर से प्राप्त कर लेगा, जो उसे शताब्दियों पूर्व मौर्यों और गुप्तों के काल में प्राप्त थे। सरकार के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप एक स्वतन्त्र देश में वह फिर से वस्तुतः स्वतन्त्र व्यक्ति हो जायगा। वास्तव में इस सरकार के लिये वह गर्व का दिन होगा क्योंकि उसी दिन उससे उस वचन की, जो उसने किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के विषय में दिया था, अंतिम पूर्ति होगी। इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि जमींदारों से जो अधिकार इस प्रकार ले लिये जायेंगे उसके लिये उन्हें राज्य के कोष में से प्रतिकर दिया जायगा। जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था योजना के ही अंग रूप में सरकार ने कृषकों को यह अवसर दिया कि वह सरकार को लगान की वर्तमान दर का दस गुना देकर अपनी लगान में स्थायी कमी तथा भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर लें। इस योजना के अनुसार जो रकम अब तक मिली है वह २८.६४ करोड़ है। यद्यपि यह बहुत बड़ी रकम है फिर भी स्पष्ट है कि जमींदारों को दिये जाने वाले प्रतिकर को पूरा पूरा यह अदा न कर सकेगी। स्वभावतः प्रतिकर राज्य के राजस्व का ही व्यय (चार्ज) होगा। लेकिन जमींदारी उन्मूलन कोष के संग्रह से कई प्रकार का लाभ हुआ है। इससे इस राज्य के अधिकांश कृषकों को अपनी जमीन में बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गया है और दूसरों को इससे प्रोत्साहन भी मिला है। इसके अतिरिक्त इस से मुद्रास्फीति को रोकने में बड़ी सहायता मिली है और हमारे देश की वर्तमान संकटमय आर्थिक परिस्थितियों में जो योजना इस बात में सहायक हो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है, फिर भूमिधरों की संख्या को बढ़ाकर भूमि के वास्तविक किसानों और उनके खेतों के सम्बन्ध को पहले की अपेक्षा और भी दृढ़ कर के उस समाज को, जो राजनीतिक और सामाजिक असमानता की ओर बड़े भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था, स्थायित्व प्रदान करने में सहायक हुआ है। तीसरे, किसान को उसकी भूमि में पहले की अपेक्षा अधिक स्वत्व देकर उक्त भूमि में सुधार करने के लिये उसे पहले की अपेक्षा अधिक प्रेरित किया है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे चल कर भूमिधरी भूमि में अन्नोत्पादन अत्यधिक मात्रा में बढ़ जायगा। इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन कोष से केवल काश्तकारों को ही महान लाभ नहीं पहुंचा है, बल्कि उससे इस राज्य के दूसरे वर्ग के निवासी भी पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित हुये हैं।

अब मैं मूल बजट के विषय में कहूंगा। प्रारम्भ में ही मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आय-व्ययक की रूपरेखा में हुये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान के अनुसार एक आनुषंगिक कोष (कंटिंजेंसी फंड) की स्थापना इस वर्ष हुई है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को विधान सभा की स्वीकृत मिलने के पूर्व उसी निधि से पूरा करती रहे। अतएव राज्य सरकार के आर्थिक लेखे में तीन खाते खोलना आवश्यक हुआ अर्थात् एकत्रीकृत कोष (कन्सालिडेटेड फंड), आनुषंगिक कोष (कंटिंजेंसी फंड) तथा सार्वजनिक लेखा (पब्लिक अकाउन्ट)। इसी योजना के अनुसार आय-व्ययक में बजट अनुमानों (तखमीनों) और संशोधित तखमीनों का ब्योरा दिया गया है। १९५०-५१ ई० के आय-व्ययक को उपस्थित करते समय, जैसा कि मैंने बताया था, राज्य सरकार को प्राप्त हुआ कुल राजस्व, हुंडी जारी कर के सरकार को प्राप्त हुआ कुल ऋण, अन्य ऋण या उपाय और साधन अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांसेस) और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी में मिली रकमें, अब एकत्रीकृत कोष में दिखायी जाती हैं, जिसे 'राज्य का एकत्रीकृत कोष' कहते हैं। दूसरे सभी सार्वजनिक, धन चाहे वह सरकार को अथवा सरकार के नाम प्राप्त हुआ हो, अलग से 'राज्य के सार्वजनिक लेखे' (दि पब्लिक अकाउन्ट आफ

दि स्टेट) में दिखाया जाता है, आनुषंगिक कोष (कंटिंजेंसी फंड), जिसकी स्थापना इसी वर्ष हुई है, एक प्रकार से वह सुरक्षित कोष होगा जिसमें से राज्य विधान सभा की स्वीकृति के पूर्व अप्रत्याशित व्यय के लिये रुपया निकाला जा सकेगा। दूसरा परिवर्तन जो आय-व्ययक में देखा जा सकता है, वह यह है कि अभी थोड़े दिन पहले की रियासतों—टेहरी, बनारस और रामपुर—के व्यय को पूरा करने के लिये जो एकमुश्त रकम गत वर्ष रखी गयी थी वह इस वर्ष छोड़ दी गई है। यह थोड़े दिन पहले की रियासतें अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मिला दी गयी हैं और उनमें होने वाले व्यय के तखमीने अब पूरे आय-व्ययक में मिल गये और विभिन्न वैभागिक तखमीनों के आंतरिक अंग बन गये हैं।

जैसा चलन रहा है, आय-व्ययक को उपस्थित करने के पूर्व मैं थोड़े में गत वर्ष के वास्तविक आंकड़ों (ऐक्चुअल्स) पर तथा इस वर्ष के संशोधित अनुमानों (तखमीनों) पर टीका करूंगा। अधिक विस्तार जानने के लिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह आय-व्ययक साहित्य के खंड 'दो' को देखें।

निम्नलिखित नक्शे में १९४९–५० के लेखों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है—

(आंकड़े लाख में)

	मूल आय–व्ययक	वास्तविक आंकड़े
आरंभिक शेष (ओपनिंग बैलेन्स) ..	२,०७,	९५,
राजस्व शीर्षक—		
प्राप्तियां	५५,७३,	५६,२६,
व्यय	५५,५८,	५६,२६,
शेष	+१५,	..
पूंजी व्यय	१६,९२,	७,०५,
सार्वजनिक ऋण से हुई प्राप्तियां (शुद्ध) ..	१०,००,	—९६,
अन्य ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) ..	+६,६८,	+९,५२,
सब लेन–देन का अंतिम फल	—९,	+१,५१,
अंतिम शेष	१,९८	२,४६,

उपर्युक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मूल आय-व्ययक से मिलाने पर राजस्व प्राप्तियों और व्यय के वास्तविक आंकड़े बड़े हैं। अस्तु प्राप्तियों में वृद्धि वास्तविक नहीं है, क्योंकि २२९ लाख रुपये व्यय को संतुलित करने के लिए राजस्व रक्षित कोष से निकाले गये।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को बताया है अनुमोदित विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की ५० प्रतिशत रकम ही सहायता के रूप केन्द्रीय सरकार देगी। उन के इस निश्चय से हम लोगों को ऐसे वित्तीय अनुषंगों में फंस जाना पड़ा, जिन्हें हम उसी वर्ष की राजस्व प्राप्तियों से पूरा न कर सके।

निम्नलिखित सारांश से १९५०-५१ के संशोधित अनुमानों की स्थिति स्पष्ट होगी:

(आंकड़े लाख में)

	मूल आय-व्ययक	संशोधित
आरंभिक शेष	६१,	२,४६,
१--एकत्रीकृत कोष--		
क--राजस्व के शीर्षक--		
प्राप्तियां ..	५२,२६,	५२,०६,
व्यय	५२,२१,	५३,४२,
	+५,	--१,३६,
ख-- पूंजी व्यय	११,४८,	१६,५२,
ग--सार्वजनिक ऋणों से हुई प्राप्तियां (शुद्ध) ..	+६,००,	..
घ--दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) ..	+४,०३,	+१२,५९,
२--आनुषंगिक कोष (कंटिजेंसी फंड) ..	..	+४,००,
३--सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) ..	+१,६७,	--२६,
इस वर्ष में हुये--लेन देन का अंतिम फल .	+२७,	--१,५५,
अंतिम शेष	८८,	९१,

मूल बजट से मिलान करने पर, यह देखा जा सकता है कि संशोधित रूप में राजस्व प्राप्तियां २० लाख कम हैं जबकि राजस्व व्यय १२१ लाख अधिक है। यह अंतर विभिन्न शीर्षकों में हुई कमी और वृद्धि का संकलित फल है। व्यय खाते में मुख्य वृद्धियां "मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट" के कारण ३५ लाख के अंडर चारर्जेज, यातायात विभाग के अन्तर्गत ३१ लाख, लेखन और मुद्रण के अन्तर्गत २४ लाख और आकस्मिक व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चारजेंज) के अन्तर्गत २३ लाख हैं। राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय के अन्तर्गत ५०४ लाख रुपयों की वृद्धि का एक मात्र कारण राज्य आनुषंगिक कोष में ४०० लाख का पर्यादान तथा खाद्यान्न, वितरण और राशनिंग पर खर्च का बढ़ जाना है।

१९५१-५२ के आय-व्ययक के अनुमान (तखमीने) इस प्रकार हैं:

	(लाख में)
	आय-व्ययक
आरंभिक शेष	९१,
१—एकत्रीकृत कोष—	
क—राजस्व के शीर्षक—	
प्राप्तियां ..	६१,२६,
व्यय	६१,५१,
	—२५
ख—पूंजी व्यय ..	१६,७९,
ग—सार्वजनिक ऋण से प्राप्तियां	४,००,
घ—दूसरे ऋण और जमा शीर्षक	+११,३९,
२—आनुषंगिक कोष	,,
३—सार्वजनिक लेखे (शुद्ध) ..	+१,६१,
इस वर्ष के लेन-देन का अंतिम फल	—४,
अंतिम शेष	८७,

कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि क्यों इस वर्ष २५ लाख रुपयों के राजस्व घाटे की आशा की जा रही है जब कि राजस्व प्राप्तियां और व्यय दोनों ६१ करोड़ तक पहुंच रही हैं। इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों में ५२ करोड़ से एकाएक ६१ को इस आकस्मिक वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि भूमि कर की प्राप्तियों (लैंड रेवेन्यू रिसीट्स) के अन्तर्गत ६७९ लाख रुपयों की वृद्धि यह मान कर दिखायी गई है कि आगामी वर्ष के आधा समाप्त होते होते जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगा। केन्द्रीय राज मार्ग कोष की प्राप्तियों में लगभग ७७ लाख और प्रकीर्ण प्राप्तियों के अन्तर्गत लगभग १२६ लाख की और भी वृद्धि हुई है। भूमि कर प्राप्तियों के अन्तर्गत हुई वृद्धि का अधिकांश भाग जमींदारी उन्मूलन कोष में मुआवजा देने के लिये डाल दिया जायगा। इसके कारण राजस्व व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। बाकी वृद्धि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत मालगुजारी वसूलने का खर्चा मुआविजे का अनुमान लगाने में व्यय, जिला परिषदों को स्थानिक रेटों से होने वाली आय के बराबर अनुदान देने में व्यय, और वर्क्स पर बढ़े हुये खर्च के लिये केन्द्रीय राज मार्ग कोष से मिलने वाले धन के कारण हुई है।

अब मैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का हवाला दूंगा, जिन्हें हम लोगों ने चालू कर रखा है। मैं बहुत संक्षेप में इन योजनाओं के लिये बजट में प्रस्तावित रकमों का भी उल्लेख करूंगा। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण जानने के लिये माननीय सदस्यगण कृपा कर अपने बजट साहित्य के इस विषय से सम्बन्ध अंशों को देखें।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अधिक अन्न उपजाओ योजना

जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना देश के लिये जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। अतः सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ योजना को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान कर रक्खी है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के निमित्त बहुत सा धन अलग कर रखा है यद्यपि इसके लिये उसे अन्य स्थानों में मितव्ययता करनी पड़ी। इसका परिणाम यह है कि पिछले दो वर्षों में इन योजनाओं का बहुत सा कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य में सिंचाई की कई बड़ी-बड़ी योजनायें भी शामिल हैं, किन्तु इनका वर्णन मैं अपने भाषण में आगे चल कर करूंगा। इस स्थान पर मैं केवल सिंचाई की छोटी योजनाओं और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों का ही जिक्र करूंगा। १९४९-५० में लगभग ८,००० नये पक्के कुंयें और ११८ ट्यूब वेल बनाये गये और ४,९७२ रहट और ८३ पम्पवाले कुंयें कायम किये गये। १७,००० एकड़ भूमि, जिन पर पहले पानी रहा करता था, पानी को सुखाकर कृषि-कार्य के लायक बनायी गयी है। लगभग ३०,००० एकड़ भूमि सरकारी ट्रैक्टरों के सहारे तोड़कर जोतने योग्य बनायी गयी। २,००० एकड़ जंगल साफ किया गया और उसका आधे से अधिक भाग अन्न बोने के लायक बना दिया गया। चालू वर्ष में २,००० पक्के कुंयें और ४८ ट्यूबवेल खोदे गये और आशा है कि आगामी जून तक और ८,००० पक्के कुयें और ८५ ट्यूबवेल तैयार हो जायेंगे। इस बात की भी पूरी आशा है कि वर्षान्त तक ३,००० नयी रहट वैभागिक अभिकरणों द्वारा लगा दी जायेंगी। सरकारी ट्रैक्टरों से इस वर्ष ८,००० एकड़ नयी भूमि तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तकावी तथा अन्य प्रकार की सरकारी सुविधायें प्रदान कर के अनुमान है कि जून, सन् १९५१ ई० तक लगभग १,७५,००० एकड़ नयी जमीन और भी आबाद की जा सकेगी। फालतू पानी के सुखाने के जो काम हाथ में लिये गये हैं उन के सम्पन्न होने पर जून, १९५१ तक आशा है ८०,००० एकड़ भूमि को फायदा होगा। बुन्देलखंड में बंधियों का निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह बतलाना भी उचित होगा कि हमारे कृषि विभाग ने अपने बैंकिंग बीज गोदामों द्वारा गत वर्ष ५ लाख मन बीज का वितरण किया और इस साल उस से भी अधिक अन्न बांटने की सम्भावना है। १९४९-५० में जो कार्य सरकार ने किये उसके परिणामस्वरूप अनुमानतः १,३०,००० टन अधिक अन्न उपजने की आशा थी। किन्तु बाढ़ और सूखा जनित हानि के कारण इस वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सका। फिर भी आगामी वर्ष तक यदि साधारणतया अच्छा मौसम हुआ तो आशा है कि प्रान्त की खाद्यस्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायगा। इस विषय के साथ ही मैं इस राज्य की आत्मनिर्भरता की योजना की एक विशेष प्रगति का जिक्र कर देना उचित समझता हूं गो कि उसका खाद्य सामग्री से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे पास लगभग ५०,००० एकड़ भूमि में जूट की खेती होती है और यदि सरकार की वे सारी योजनायें, जिनमें हाथ लगाया गया है, पूरी तरह सफल हुईं तो शीघ्र ही इसका रकबा दूना हो जायगा। इस महत्वपूर्ण वस्तु में आत्म निर्भरता की आवश्यकता का ज्ञान सभी माननीय सदस्यों को है।

पुनर्वासन योजना

नयी बस्तियों में विस्थापितों के गृहों, सार्वजनिक भवनों, सड़कों तथा कुओं आदि के निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई है। १९४९-५० में १,२४१ विस्थापितों के गृह गंगा खादिर में, ५५० तराई में, ९६ काशीपुर में और ६ दूनागिरि योजना के अन्तर्गत बनाये गये। बीज गोदामों, पंचायत घरों, निरीक्षण गृहों (इंस्पेक्शन हाउस) तथा निवास गृहों के निर्माण का कार्य गंगा खादिर में समाप्त हो चुका है। सिंचाई के लिये २८ ट्यूबवेल बनाये गये और तराई में १४ मील खावें फेंगे गये। नगला से रुद्रपुर तक १२ मील लम्बी पक्की सड़क बन चुकी

है। काशीपुर क्षेत्र में ७,००० एकड़ और अधिक भूमि तोड़ी जा चुकी है। विस्थापितों, राजनीतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (एक्स सोलजर्स) के १,४६० कुटुम्ब गंगा खादर तथा तराई में बसाये जा चुके हैं। चालू वर्ष में २५० विस्थापितों के गृह बन चुके हैं और दूसरे ५०० एक कमरे वाले घर तराई में बनाये जा रहे हैं। ५०० घर काशीपुर क्षेत्र में भी बन रहे हैं। रुद्रपुर में एक २० बिस्तरे वाला अस्पताल और एक बिजली घर बन गया है। रुद्रपुर से गदरपुर तक एक ११ मील लम्बी पक्की सड़क बन गयी है। आगे बढ़ने पर यह सड़क काशीपुर को बरेली और मुरादाबाद से मिला देगी। गंगा खादर में एक बिजली घर बन गया है और कुछ गोशाला की इमारतें तथा एक अस्पताल भी, जिसमें एक मलेरिया निरोधक (ऐन्टी मलेरिया) खंड भी होगा, शीघ्र ही बन जायेंगे। इसी साल काशीपुर क्षेत्र में ७,००० एकड़ और तराई में २०,००० एकड़ भूमि तोड़ी जा चुकेगी। इस वर्ष विस्थापितों, राजनीतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के १,५७१ कुटुम्ब इन क्षेत्रों में बसाये जा चुके हैं।

सिंचाई

यदि इस बात को छोड़ भी दिया जाय कि कृषि प्रधान राज्य के लिये सिंचाई की योजनायें सदैव महत्वपूर्ण होती हैं तो भी हमारे लिये इस समय यह परमावश्यक है कि हम अपने राज्य को खाद्य संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बना दें। अतः हमने इस कार्य के लिये अपने सारे उपलब्ध कोष का उपयोग सिंचाई की नयी योजनाओं को कार्यान्वित करने में लगा दिया है। फलतः यह कार्य हमने काफी प्रगति के साथ किया है। मिर्जापुर के नगवा बांध और झांसी के ललितपुर बांध का काम पूरा हो गया है। इन बांधों से २०,००० तथा ३०,००० एकड़ भूमि की सद्यः सिंचाई हो सकेगी। सपरार बांध जिससे ३०,००० एकड़ भूमि की तथा कबराई झील की योजना जिससे ५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी आगामी कुछ ही महीनों में पूरी हो जायेंगी। दरियाबाद तथा मौरावां की नहरें जिनके बनने का कार्य अब पूरा हो रहा है अभी ही संबंधित क्षेत्रों के कुछ भागों की सिंचाई कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कई मीलों तक और भी नहरें बनायी गयी हैं जिनके अधिकतर भागों से सिंचाई का कार्य आरंभ हो गया है। बहुत से ट्यूबवेल बैठाये गये और शक्ति संपन्न किये जा चुके हैं। ट्यूबवेलों के निर्माण में और भी शीघ्रता करने की इच्छा से सरकार ने हाल ही में एसोसियेटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड एक अंग्रेजी इंजीनियरिंग कारखाने को ४४० ट्यूबवेल के निर्माण का ठेका दे रखा है। इस ठेके की शर्तों के अनुसार ये ४४० ट्यूबवेल दो वर्षों में बन जायेंगे। वर्तमान ट्यूबवेलों की सिंचाई की सामर्थ्य बढ़ाने के उद्देश्य से सीमेंट की नालियां बनाने की योजना निश्चित की गयी है। अब तक २५० मील लम्बी सीमेंट की नालियां बनायी जा चुकी हैं। जिसका परिणाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो चुका है। सिंचाई की दूसरी योजनायें जो अच्छी प्रगति कर रही हैं, वह इलाहाबाद जिले की बेलन नहर का निर्माण, कल्याणीपार की योजना (ट्रांस कल्याणी प्रोजेक्ट), मझगांवा बांध योजना, कुमायूं की छोटी सिंचाई योजनायें, शाहगंज डिस्ट्रिब्यूटरी का निर्माण, प्रतापगढ़ शाखा नहर का निर्माण और शारदा कैनाल का विस्तार है।

पशु-धन विकास

खाद्यपूर्ति योजनाओं से निकट संबंध रखने वाली हमारी पशुधन विकास योजना है, इससे हमारा अभिप्राय अपने यहां उन्नत किस्म के पशुओं के विकास के साथ-साथ उनकी नस्ल सुधारने का है ताकि उनसे अधिक दूध प्राप्त हो तथा अधिक काम लिया जा सके। पशुपालन के मिकेनाइज्ड फार्मों की संख्या, जिनको सरकार ने खोल रक्खा है, १६ है। इनमें ७,००० पशु पाले जा रहे ह। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है इन गोशालाओं से केवल देहातों में अच्छी नस्ल के सांड़ों का वितरण मात्र ही नहीं हो रहा है, बल्कि इनसे हमारी 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना को भी यथार्थ रूप में मदद मिलती है, क्योंकि

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रत्येक पशुपालन फार्म और गौशाला में कृषि केंद्र भी मिश्रित हैं जिनमें हजारों एकड़ भूमि में खेती का भी काम होता है। दूध, अंडे तथा अन्न संबंधी वस्तुओं का उत्पादन इन केंद्रों में बढ़ता ही जा रहा है। इन फार्मों में राज्य के लाभार्थ उस साधारण उपज की भी भूमि को काम में लाया जा रहा है, जिसमें कोई साधारण व्यक्ति खेती करने के लिये तैयार न था। १९४९–५० में इन फार्मों ने ३५३ सांड़ तथा १,६०० मुर्गियां अच्छी नस्ल चलाने के उद्देश्य से वितरित किया। इस वर्ष ३३० सांड़ और ७८ भेड़ें पशु-वृद्धि के लिये वितरित की गयी हैं। कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफीशियल इनसेमिनेशन) के जो केन्द्र मेरठ, मथुरा, लखनऊ, देवरिया तथा गाजीपुर में खोले गये हैं उनको जनसाधारण में पर्याप्त मान्यता प्राप्त हो रही है और उनसे इस वर्ष पारसाल से अधिक लाभ उठाया जा रहा है। इन केंद्रों से जो लाभ हो रहा है वह अत्यन्त ही संतोषजनक है। इस विभाग ने इस साल पशुओं को टीका लगाने वाली औषधियां अधिक मात्रा में तैयार की हैं। इन औषधियों के प्रयोग का चमत्कार महेवा के पायलेट प्रोजेक्ट क्षेत्र में विशेषरूप से देखने को मिलता है, जहां के एक भाग में फुकवा (रेन्डरपेस्ट) का बहुधा प्रकोप रहता था, वहां इस बीमारी से मृत्यु संख्या कुछ भी न रही। उसी प्रकार से घेंघें की बीमारी (हेमो-रोहेजिक सेप्टीसीमिया) को भी इतना नियंत्रित कर लिया गया कि उससे भी मृत्यु संख्या बहुत ही कम रही। लगभग १२,६०,००० सुइयां और टीका गत वर्ष लगाये गये। इस वर्ष की एक नयी कार्यवाही भेड़ पालन योजना है, जिसके ५ निश्चित केन्द्र कायम किये गये हैं। पहाड़ी भेड़ों की नस्लों में उन्नति करने की इच्छा से अमेरिका से मेरिनो स्टौक की भेड़ें मंगाने का प्रबंध हो गया है। अंगोरा नस्ल की बकरियों के पालने का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। और हिसार फार्म में १५० क्रासब्रीड बकरियां आई० सी० ए० आर० से हासिल की गयी हैं। यमुनापारी बकरियों की वृद्धि की एक दूसरी योजना सरकारी सहायता से इटावा में चलायी गयी है।

विद्युत्-शक्ति का विकास

विद्युत् शक्ति की जिन योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था वे अब एक एक करके उत्पादन कार्य करने लगी हैं। मुहम्मदपुर के नये "पावर स्टेशन" ने अभी ही आंशिक कार्य प्रारंभ कर दिया है। जब यह पूरा हो जायगा तो यह गंगा ग्रिड में अतिरिक्त ६,००० किलोवाट विद्युत्-शक्ति पहुंचाने लगेगा। सोहावल का "स्टीम स्टेशन" परिवर्द्धित कर दिया गया है और अब यह इस वर्ष २,००० किलोवाट अधिक वाष्प जनित शक्ति देगा। ऐसी आशा की जाती है कि गोरखपुर का पावर स्टेशन जिसमें १,९०० किलोवाट की प्रस्थापित सामर्थ्य होगी इस वर्ष पूरा हो जायगा। हरदुआगंज स्टीम स्टेशन में नये बायलर बैठाये जा रहे हैं। इनके कारण इस स्टेशन की शक्ति जनन सामर्थ्य ६,००० किलोवाट बढ़ जायगी। पथरी विद्युत्-शक्ति योजना का काम भी संतोषजनक रूप से चल रहा है। यह स्टेशन, ऐसी आशा की जाती है कि अगले दो वर्ष में काम करने लग जायगा। खटीमा पावर स्टेशन में अब जोरों से काम लग गया है और आशा है कि जब यह शक्ति उत्पादन करने लगेगा तो ग्रिड प्रणाली में २३,००० किलोवाट की वृद्धि हो जायगी।

उद्योग विकास की योजनाएं

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस राज्य के उद्योगीकरण में शीघ्रता करने के उद्देश्य से ही सरकार ने यह निश्चय किया कि यहां एक सीमेंट का तथा एक प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट का कारखाना खोला जाय। सीमेंट की कारखाने की मशीनें आना प्रारंभ हो गयी हैं। कारखाने की इमारतों के बनाने में हाथ लग रहा है। आशा है कि इमारतों का अधिकांश आगामी आय-व्ययक वर्ष में पूरा हो जायगा। वित्त कार्श्य के होते हुए भी भारत सरकार ने कृपा कर चुनार-राबर्ट्सगंज रेलवे लाइन को आगामी बजट वर्ष में बनवाना स्वीकार

कर लिया है ताकि सीमेंट के कारखाने को रेल की सुविधा प्राप्त हो सके। स्यात यही एक रेलवे निर्माण कार्य भारत सरकार अगले वर्ष कर रही है और इसी से इस बात का पता चल सकता है कि इस सीमेंट के कारखाने को भारत सरकार ने कितना महत्व दिया है। प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट का कारखाना तैयार हो गया है और काम भी चालू हो गया है। इस वर्ष के कार्यक्रम में वाटर मीटरों, खुर्दबीनों और बेतार के तार के यंत्रों के पुर्जे बैठाने का काम सम्मिलित किया गया है। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी हमने प्रगति की है। यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट ने इस वर्ष लगभग १५ लाख रुपये का व्यापार किया है और अब इस संस्था का एक निर्यात विभाग भी खोला जा रहा है जो अपने यहां की हाथ की बनी वस्तुओं के लिये विदेशों में बिक्री की व्यवस्था करेगा। आगामी बजट वर्ष में सरकार द्वितीय श्रेणी की उद्योग प्रशिक्षण संस्थाओं को, जहां विद्यार्थियों की संख्या कम थी, उत्पादन प्रशिक्षण संस्था के रूप में परिणत कर देने का विचार कर रही है ताकि प्रशिक्षण का काम शास्त्रीय तो कम, पर औद्योगिक परम्परा के अधिक अनुरूप हो सके। एक बात जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार की ४ बड़ी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक जिसे भारत सरकार ने कानपुर में खोलने का निश्चय किया है उसके लिये सरकारी कोष से जमीन प्राप्त करने के लिये रुपये की व्यवस्था इस आय-व्ययक में की गयी है। इस संस्था के द्वारा जिसमें लगभग ३ करोड़ रुपया व्यय होगा ऐसे ऊंचे स्तर का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जायगा जो अब तक भारत में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं था। इस योजना से इस राज्य को संभावित लाभ तो स्पष्ट ही है।

सड़कों का कार्यक्रम

वित्त कार्ष्य की कठिनाइयों के कारण नवीन राजमार्गों का निर्माण इस वर्ष के प्रारंभिक भाग में तो स्वभावतः रुका रहेगा। जो कुछ कार्य पहले हो चुका है उसको संभालने और नयी बनी हुई सड़कों के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक संबद्ध सूत्र में बांधने के लिये कुछ नयी सड़कों का बनाया जाना आवश्यक हो गया है और यह विचार हो रहा है कि यही कार्य चालू बजट वर्ष में हो। केन्द्रीय राजमार्ग कोष (सेंट्रल रोड फंड) में इस राज्य के जमा खाते में इस समय जो कुछ रुपया है, वह सब इसी काम में लगाया जायगा, राजमार्गों का इससे अधिक विकास तब तक संभव प्रतीत नहीं होता जब तक पूंजी व्यय को बढ़ाने के लिये जो इस समय ऋण मिल रहा है उससे अधिक ऋण न मिले।

मार्ग यातायात

मार्ग यातायात के राष्ट्रीयकरण से जनता को अधिकाधिक लाभ मिलना जारी रहा है। दिसम्बर, सन् १९५० ई० के अन्त में राजमार्गों पर चलने वाली राजकीय बसों की संख्या १,३०४ तक पहुंच चुकी थी जो राज्य में लगभग २४२ सर्विसेज को चालू किये हुए हैं। इनमें कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की सर्विसें भी सम्मिलित हैं। इन सर्विसों के अन्तर्गत कुल लगभग ४ हजार मील का यातायात होता है। कानपुर का केंद्रीय मरम्मती कारखाना बहुत अच्छा काम कर रहा है, विशेषकर नगर सर्विसों के लिये उन्नत ढंग की सुविधापूर्ण बसों के बनाने के क्षेत्र में। इस राज्य के ८ प्रादेशिक मरम्मती कारखानों को भी चालू वर्ष में पर्याप्त उन्नति हुई है और वह प्रायशः पूर्ण रूपेण सुसज्जित हैं। कई सर्विस स्टेशन और मेंटेनेंस डिपों की भी स्थापना हुई है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये कानपुर के केंद्रीय कारखाने में ओटोमोबाइल इंजीनियर्स और मिकैनिकों के प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है और निकट भविष्य में ही उनका प्रशिक्षण वहां प्रारंभ हो जायगा। सिटी बस सर्विसें अब लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में चालू की गयी हैं। फतेहगढ़, मथुरा तथा देहरादून के मुफस्सिल में भी यह काम कर रही है। यात्रियों की सुविधा के लिये पीने का पानी, विश्राम के लिये छाया तथा टिकट घर आदि की व्यवस्था बहुत से प्रमुख स्टेशनों पर कर दी गयी है और

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

धीरे-धीरे अन्य जगहों में भी होती जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस यातायात का आवर्त्ती व्यय टायरों ट्यूबों और दूसरे पुर्जों के दाम बढ़ जाने के कारण बढ़ता ही जा रहा है और इनके नियंत्रण पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु जो कुछ भी हो, किराये की दर वही रखी गयी है जो १९४९ के अन्त में रखी गयी थी। १९४९-५० के अन्त में राजमार्गों के यातायात से लगभग ५ लाख के ऊपर का लाभ (शुद्ध) हुआ है।

शिक्षा

पिछले वर्ष की भांति ही शिक्षा का स्थान हमारे आय-व्ययक में प्राथमिक महत्व रखता है। यह सच है कि हम लोग उस तेजी से इस क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो सके हैं, जिस तेजी से कि शिक्षा की अविकसित अवस्था को देखते हुए होना चाहिये था। लेकिन मैं सोचता हूं कि हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि इस वित्त कार्य के युग में हमसे जो कुछ भी हो सका हमने किया। ४,४०० प्राथमिक पाठशालाओं को खोलने का जो हमने पहले निश्चय किया था बाद को उसे त्याग कर ५५० पाठशालायें ही गत वर्ष खोलीं। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षण योग्य आबादी में पूर्ण साक्षरता फैलाने के कार्यक्रम में कुछ वर्षों की और देर लगेगी। जिला परिषदों की ओर से इस बात की बराबर मांग हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण में द्विराज न होना चाहिये प्रत्युत उसका नियंत्रण एक ही अभिकरण से होना चाहिये। सरकार ने उसकी इस मांग के औचित्य को स्वीकार कर लिया है और यह निश्चय किया कि अनराजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को जो अब तक खोली जा चुकी हैं या भविष्य में खोली जायंगी उनका नियंत्रण जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दिया जाय। फिर भी सरकार उनके संबंध के आवश्यक व्यय का भार जिला परिषदों को दिये जाने वाले सहायता के अनुदान के रूप में वहन करेगी ही। माध्यमिक शिक्षा के पुनस्संगठन की योजना बहुत अग्रसर हुई है और पहले की प्रणाली की अपेक्षा इसमें एक विशिष्ट प्रगति को अंगीकृत किया जा रहा है। इस योजना का प्रत्यक्ष और पूरा फल २, ३ वर्ष बाद दिखायी पड़ेगा जब पुनस्संगठन का कार्य एकदम पूरा हो जायेगा और जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण सुसज्जित रचनात्मक कक्षायें खुल जायंगी।

वित्त कार्श्य के बावजूद भी हमने बजट में व्यय की नयी मदें रखी हैं। हमें आशा है कि उन्हें सर्वमान्य स्वीकृति मिलेगी। मैं उनमें से कुछ की ओर संक्षेप में संकेत करूंगा। यह सर्व विदित है कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों ने अपने ऊपर भारी ऋण एकत्र कर लिये हैं जो प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। इस ऋण का प्रधान कारण यह रहा है कि उन्होंने नयी-नयी नियुक्तियां कीं, जिनमें से बहुत सी नियुक्तियां या तो सरकार की बिना अनुमति से ही हुई और नहीं तो कुछ सरकार के स्पष्टतः मना करने पर भी हुईं। इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय दुर्भाग्यवश बहुत ही अधिक दोषी है। चालू वर्ष में हमें इनकी रक्षा के लिये कुछ ऋण और एक सहायता का अनुदान देना पड़ा जो कुल मिलाकर १,९०,००० रुपया होता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के मामलों की जांच होनी चाहिये। यह आगामी वर्ष में किया भी जायगा। लेकिन इस बीच में उनके ऋण की वृद्धि को रोकने के लिये हम लोगों ने २,४०,००० रुपये की व्यवस्था बजट में की है जो इन दो विश्वविद्यालयों की अननुमोदित नियुक्तियों को प्रश्रय देगी। यह आवर्त्ती अनुदान की व्यवस्था उस अनावर्त्ती अनुदान के अतिरिक्त है जो ८१,७०० रुपये के रूप में अन्य विभिन्न कार्यों के लिये दिया गया है। २ लाख रुपये की एक रकम इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उन दूसरी संस्थाओं के लिये रखी गयी हैं जो उपाधि कक्षाओं और उत्तर उपाधि कक्षाओं के पठन-पाठन का कार्य करती हैं ताकि उनका सामान्य विकास हो सके, उदाहरणार्थ उनकी प्रयोगशालाओं और

पुस्तकालयों का। ७,५४,००० रुपये की एक रकम इसलिये रखी गयी है कि वह नगर परिषदें जो अपने यहां अनिवार्य बालिका शिक्षा प्रारंभ करना चाहती हैं और इस कार्य में अपने हिस्से का व्यय उठाने को तैयार हैं उनकी मदद की जा सके। जब सहायित संस्थाओं के अध्यापकों का वेतन, वेतन समिति के अभिस्तावों के अनुसार बढ़ाया गया था तो उनके लिये राजकीय अध्यापकों की भांति पूर्वकृत सेवाओं के लिये विशेष वार्षिक वृद्धि न स्वीकार हो सकी थी और इसका फल यह हुआ कि वेतन समिति की योजना से पुराने अध्यापकों का बहुत कम लाभ हुआ। धन की कमी के कारण ही, जैसा कि मैंने एकाधिक बार कहा है, इस प्रकार का भेद किया गया। हमने अब निश्चय किया है कि इस प्रकार के प्रत्येक अध्यापक को जिसने १० या १० से अधिक वर्षों तक सेवा की है, उसे एक वार्षिक वृद्धि दी जाय। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य यद्यपि बहुत देर में और अपर्याप्त ढंग से हो रहा है, फिर भी इन आत्मत्यागी और जनहितसेवी मनुष्यों के उपयोगी कार्य की स्वीकृति के रूप में अंगीकृत किया जायगा। इस पुरस्कार के निमित्त होने वाले अधिक व्यय के लिये ३,५०,००० रुपये की एक रकम रखी गयी है। ३ वर्ष पूर्व इन सहायित संस्थाओं में जब शिक्षा शुल्क बढ़ाया गया था तभी मैंने इस बात की घोषणा की थी कि ज्योंही हमारी वित्तीय स्थिति उन्नत होगी, हम इसमें पुनः कमी कर देंगे। यह सर्व सम्मति से स्वीकृत है कि हमारी वित्तीय स्थिति में कोई उन्नति नहीं हुई है। लेकिन जो आर्थिक कष्ट मध्य वित्त के नागरिकों को भोगने पड़ रहे हैं और जिनके ही वरों से हमारा अधिकांश विद्यार्थी समुदाय आता है, उसका अनुभव करके हमने यह निश्चय किया है कि ११ वीं और १२ वीं कक्षा की फीस में १ रुपये की कमी कर दी जाय। इस कमी से हुई आय की हानि को पूरा करने के लिये, जो अन्यथा हमें शुल्क से ही होती हमने २,५०,००० रुपये की व्यवस्था की है। सरकार के ध्यान में यह बात भी आयी है कि कुछ ऐसे मेधावी विद्यार्थी भी हैं जो अपने माता-पिता के गिरी हुई आर्थिक स्थिति के कारण ही अपनी विश्व-विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। निःशुल्क या आधे शुल्क के रूप में जो थोड़ी बहुत सहायता वह प्राप्त कर पाते हैं उससे उनके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में होने वाले व्यय की आंशिक पूर्ति ही होती है। अतः यह निश्चय किया गया है "उत्तर प्रदेश राज्य प्रज्ञा वृत्ति" के रूप में ६० रुपये प्रतिमास की १०० प्रज्ञावृत्तियां प्रतिवर्ष १० महीने के लिये दी जायं, और लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के अधिकार में कुछ धन इसलिये दिया जाय कि वह गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकों आदि के लिये दे सकें। ऐसी आशा की जाती है कि इन प्रज्ञावृत्तियों से गरीब घरों से आने वाले विद्यार्थियों की परेशानियां पर्याप्त रूप से कम हो जायंगी। यह भी आशा की जाती है कि शुल्क संबंधी वह रियायतें जो स्वभावतः इन विद्यार्थियों को मिलती थीं दूसरे विद्यार्थियों को मिलने लगेंगी। इस आय-व्ययक में आप देखेंगे कि इसके लिये ७५ हजार रुपये की एक रकम अलग रखी हुई है। अन्त में मैं आप का ध्यान १ लाख रुपये की उस रकम की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के नवसंगठन के लिये रखी गयी है। राज्य में नार्मल स्कूलों का एक जाल सा बिछ गया है और पुराने हिन्दी मिडिल विद्यालयों के अतिरिक्त नये नये माध्यमिक विद्यालय खुलते जा रहे हैं। यह आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ये विद्यार्थी उच्च शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ उठावें लेकिन उनका अध्यापन उनके वातावरण के अनुरूप हो ताकि विद्यालय से निकलने के बाद उनमें से अधिकांश हमारे समाज के जीवित अंग बन सकें। यह सोचा जा रहा है कि उनके पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ कृषि भी एक विषय रख दिया जाय। इसके विस्तार का निश्चय अन्य संबद्ध विभागों के परामर्श से शिक्षा संचालक कर रहे हैं।

चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य

आवश्यक धन की कमी के कारण हम सर्वसाधारण को चिकित्सा और स्वास्थ्य की वह सुविधायें न दे सके जो हम देना चाहते थे। फिर भी साम्पत्तिक वित्त कार्य्य के

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

रहते हुए भी मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि हमने इस क्षेत्र में भी प्रगति की है। लखनऊ मेडिकल कालेज में क्षय, कान, नाक, कंठ की बीमारियों और रेडियोलोजी की शिक्षा का प्रबंध पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के रूप में किया गया है। विभिन्न विषयों में विशिष्ट अध्ययन के लिये ४ चिकित्सक विदेशों में भेजे गये हैं। नवस्थापित दंतशल्य चिकित्सा महाविद्यालय (डेंटल स्कूल आफ सर्जरी) में विशिष्ट डेंटल चेयर्स के लिये ४५ हजार रुपये दिये गये हैं। इस विद्यालय की अभिरक्षण सहायता (मेंटनेंस ग्रांट) बढ़ा दी गयी है और इसको भवन निर्माण के लिये १ लाख ४० हजार की अनावर्ती सहायता भी दी गयी है। इस राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालयों को अपने शिक्षण के स्तर को उन्नत करने के लिये विशिष्ट सहायतायें दी गयी हैं। ग्राम्य दवाखानों के लिये बहुत सी इमारतों के बनने का काम या तो पूरा हो गया है या पूरा हो रहा है। ६ नये ग्राम्य चिकित्सालय खोले गये हैं। खुरजा, फिरोजाबाद, देवरिया और रायबरेली के जिलों में अस्पतालों के लिये नयी इमारतें बनायी जा रही हैं। एक औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन (इंडस्ट्रियल हेल्थ आर्गेनाइजेशन) इस कार्य के लिये विशेषरूप से प्रशिक्षित अधिकारी के तत्ववधान में कानपुर में आयोजित किया जा रहा है जो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को होने वाली विशिष्ट बीमारियों की छान-बीन करेगा और उनको रोकने के उपाय बतायेगा। बी० सी० जी० का टीका बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। और अब तक ५० हजार विद्यार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। हैजे की सुई अनिवार्यतः लगने के कारण इस साल हरिद्वार के कुंभ मेले में या बृन्दाबन के मेले में हैजे से कोई दुर्घटना नहीं हुई। माननीय सदस्यगण यदि याद कर सकें तो पहले ऐसे मेलों और दूसरे अवसरों पर जो कुछ होता था उसको देखते हुए स्पष्ट हो जायगा कि इस क्षेत्र में सरकार को जो सफलता मिली है, उसके लिये उनको गर्व करने के पर्याप्त कारण हैं। पिछले बाढ़ के जमाने में मलेरिया और हैजे को रोकने के लिये तत्कालीन उपाय किये गये और उनसे भी बहुत ही संतोषजनक फल प्राप्त हुआ। यू० पी० प्योर फूड ऐक्ट, खाद्य पदार्थों में मिलावट को और भी अधिक रोकने के लिये लागू किया गया है। बजट वर्ष में मिर्जापुर जिले के बहमनी स्थान में मलेरिया का एक विशेष अस्पताल और बस्ती और गोरखपुर जिलों में २ मलेरिया निरोधक दल कायम करने का विचार हो रहा है। मलेरिया निरोधक कार्य जो अब तक केवल तराई और भाबर क्षेत्रों में हो रहा था अब रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में भी प्रारंभ कर दिया जायगा। यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष १०० रोगियों के लिये एक टी० बी० सैनोटोरियम भी बनाया जा सकेगा। एक्सरे की मशीन १२ अतिरिक्त अस्पतालों में बैठाने का प्रबंध किया गया है। मलेरिया के टीके की दवा को बनाने का कारखाना और भी विस्तृत किया जायगा ताकि इस दवा के सम्बन्ध में हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो सके। मिर्जापुर के हसनपुर नामक स्थान में एक महिला चिकित्सालय भी खोला जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों में १० और अंग्रेजी दवाखाने खोले जायेंगे।

सहकारिता

ग्रामीण जनता की उन्नति के लिए हमारे जैसे देश में सहकारिता की योजना सब से अधिक उपादेय होती है। अतएव सरकार की यह नीति रही है कि इस राज्य में सहकारी समितियों के विकास की पूरी कोशिश की जाय। सम्प्रति उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या ३७ हजार से ऊपर हो चुकी है। इन समितियों का कार्य क्षेत्र प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रत्येक आर्थिक कार्यक्रम से सम्बद्ध होता है। आजकल गांवों में बहुत सी उपभोक्ता सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां, भवन निर्माण सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, प्रकीर्ण सहकारी समितियां (मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाइटी) स्थापित हो गयी हैं। इनके नामों से ही इनके कार्यों का पता चल जाता है। इनमें से कुछ ग्रामवासियों को गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं, जैसे नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, नियंत्रित अन्न और

दूसरी उपभोग की सामग्रियां अधिक सस्ते रूप से प्राप्त करने और वितरित करने में सहायता देती हैं अन्यथा ये वस्तुएं व्यापार के तरीकों से प्राप्त करने पर अधिक मंहगी मिलतीं। कुछ दूसरी समितियां कृषकों को बोने के लिए अच्छा बीज प्राप्त करने में मदद देती हैं। अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में सहकारी बीज गोदामों ने लगभग ११.३२ लाख मन बीज वितरित किया। उपभोक्ता सहकारी समितियों और उपभोग्य सामग्री उत्पादकों में कड़ी का काम करने वाला एक बृहत् सहकारी व्यावसायिक संगठन (कोआपरेटिव बिजिनेस आर्गनाइजेशन) है जिसे प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन कहा जाता है। १९४९-५० में इस संघ ने चार करोड़ के ऊपर का कपड़ा खरीदा और बेचा। हरिद्वार के पिछले कुम्भ मेले में इस संघ ने लगभग २८ लाख रुपये की चीनी का क्रय-विक्रय किया। इसी प्रकार इस संघ का आर्थिक पक्ष प्रान्तीय सहकारी बैंक है, जिसकी सभी सहकारी समितियां सदस्य हो सकती हैं और जो बहुत बड़े पैमाने पर लेन-देन का व्यवसाय कर रहा है। इस बैंक की चालू पूंजी गत वर्ष की समाप्ति के समय ३ करोड़ से ऊपर की थी। सहकारी विभाग दूध संघों को भी चला रहा है, और इनके द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों से गांवों में दूध खरीदा जाता है और फिर उसे नगरों में बेचते हैं। भूमि को पुनर्वासित करने की समितियां अभी हाल ही में बनायी गयी हैं और इनके द्वारा पाकिस्तान से उद्वासित विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जायगा। सब से आधुनिक ढंग की सहकारी समितियां जो अभी बनायी गयी हैं वह सहकारी कृषि समितियां हैं। इस समय यह समितियां एकदम प्रायोगिक अवस्था में हैं। लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि इनसे होने वाला शुद्ध लाभ इन समितियों के बनने के पूर्व कृषकों द्वारा अर्जित व्यक्तिगत आय से शत प्रतिशत अधिक हो रहा है। देश के भविष्य के लिए इन समितियों का बड़ा भारी महत्व है क्योंकि यदि यह सफल हुई तो एक ऐसे व्यावहारिक तरीके को जन्म मिलेगा जिस के द्वारा सहकारी कृषि योजना को इसमें होने वाली मितव्ययता और उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ, हम बड़े पैमाने पर अपने कृषकों में शान्तिमय ढंग से बिना किसी दबाव के चला सकेंगे। दूसरे शब्दों में इन समितियों द्वारा हम उस ग्रामीण क्रान्ति को सफल बनायेंगे जिसकी तुलना आर्थिक दृष्टि से केवल जमींदारी उन्मूलन योजना से ही की जा सकती है।

पंचायत राज

अभी थोड़े दिन पहले की रियासतों जैसे टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस के उत्तर प्रदेश में विलीन हो जाने के कारण इस राज्य में गांव सभाओं की संख्या अब बढ़ कर ३५,९१९ हो गयी है और पंचायती अदालतों की संख्या ८,४१४। ये संस्थाएं अब हमारे ग्रामीण आर्थिक व्यूह की आंतरिक अंग हो गयी हैं। अपने जीवनकाल के थोड़े समय में ही उन्होंने भविष्य के लिए बहुत बड़ी आशा बंधायी है। अपने सदस्यों के सहयोग से बहुत सी गांव सभाएं छोटे पैमाने पर रचनात्मक कार्यक्रम चला सकने में समर्थ हुई हैं। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ है कि राज्य भर में ५,७१९ पंचायत घर बनाये जा चुके हैं। और १,६४३ ग्रामीण पाठशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं तथा उनका अभिरक्षण हो रहा है। पंचायतों ने १,२९० मील तक कच्ची सड़कें और २१६ मील तक पक्की सड़कें तथा लगभग ६०,००० कुएँ बनवाये हैं। चालू वित्त वर्ष के प्रथम चतुर्थांश में पंचायती अदालतों ने १,४०,००० से ऊपर मुकद्दमों के फैसले किये। इनमें से प्रति पांच पर एक मुकद्दमे का निर्णय सुलह से कराया गया। यह स्पष्ट है कि इन संस्थाओं ने ग्रामवासियों को व्यर्थ और खर्चीले मुकद्दमेबाजी से बचाने का अपना कर्त्तव्य प्रारम्भ कर दिया है। बहुत सी गांव सभाओं ने तो स्थानीय कर लगाने के अपने अधिकार का उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन सब प्रकार से देखने पर यह कहना पड़ेगा कि आर्थिक दृष्टि से वे पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हो सकी हैं। इस साल फिर सरकार को १२ लाख रुपये की सहायता का अनुदान गांव सभाओं को इसलिए देना पड़ा है कि वे पंचायतों के सचिवों को वेतन दे सकें। फिर भी ऐसी आशा की जाती है कि अगले वर्ष से इन्हें सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता न रह जायेगी। माननीय सदस्यगणों की जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव अगले वर्ष फिर होगा।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जो कुछ सूचनाएं अभी तक मिली हैं उनसे यह पता चलता है कि भावी चुनाव में अच्छी प्रतिद्वन्दिता होगी।

शान्ति और व्यवस्था

अपराधों में कमी की दृष्टि से इस राज्य में इस वर्ष काफ़ी उन्नति हुई है। डाकुओं के गिरोहों को नष्ट करने का प्रयत्न जो हमने किया उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। १९५० के मार्च और अप्रैल के महीनों में रुहेलखण्ड के जिलों के कुछ थोड़े से उत्पातों को छोड़कर जिनका कि हमने कठोरता और दृढ़ता के साथ दमन किया राज्य भर में साम्प्रदायिक शांति बनी रही। दशहरा और मुहर्रम के पर्व इस वर्ष एक साथ ही पड़े, लेकिन इन अवसरों पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। राजनैतिक कार्यों में हिंसा की जो प्रवृत्ति लक्षित होने लगी थी, उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुलिस संघठन ने अपराधों को रोकने और शांति और व्यवस्था को बनाये रखने में अपनी परम्परा को क़ायम रखा। उपस्थित आर्थिक कठिनाइयों के रहते हुए जहां तक सम्भव हो सका पुलिस संघठन में चिरअपेक्षित सुधार किये गये। बेतार के तार का विभाग बढ़ाया गया और सशस्त्र रक्षक दल (आर्मड् सेक्योरिटी रिजर्व) की भी वृद्धि की गयी। अभियोग संचालन शाखा को पुनस्संगठित कर दिया गया है और कुछ बड़े शहरों में तो प्रत्येक थाने पर और दूसरे शहरों में जिले के हेडक्वार्टर के थानों पर अलग से जांच और शोध का कार्य करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं। प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ववत् अच्छा काम करता रहा। रहीमाबाद में १५,००० स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया और इन स्वयं सेवकों ने लगभग ३,००० एकड़ जंगल को साफ करके वहां की भूमि को खेती के लायक़ बनाया। प्रांतीय रक्षक दल ने मेलों और अन्य अवसरों पर भी उपयोगी कार्य किये। प्रान्तीय रक्षक दल का अगले वर्ष फिर से संघठन किया जायगा ताकि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायक हो सकें और साथ ही इनके संगठन पर होने वाला व्यय भी कम हो सके। मैं इस अवसर पर यह भी कह देना चाहूंगा कि हमने अपराधों को रोकने के लिए रचनात्मक योजनाएं भी चालू कर दी हैं, और यू० पी० फर्स्ट आफ़ेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट को चार अन्य जिलों, देहरादून, गाज़ीपुर, जालौन और उन्नाव में भी लागू कर दिया है। जेलों में सुधार की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में लखनऊ के प्रायोगिक आदर्श जेल में जो कार्य हुआ है, वह बहुतों को विशेष रूप से रुचिकर प्रतीत होगा। इस आदर्श जेल में चौकीदारों और खबरगीरों की संख्या न्यूनतम कर दी गयी है। क़ैदियों को मजदूरी कमाने की स्वीकृति दे दी गयी है। और वे न केवल अपने भरणपोषण का व्यय अपनी मजदूरी से निकाल लेते हैं, बल्कि उनको अपने दूसरे खर्चों के लिए भी कुछ आमदनी हो जाती है। इस आदर्श जेल में पंचायत प्रणाली का भी श्री गणेश कर दिया गया है और क़ैदियों की अलग दूकान हो गयी है। इन दोनों चीजों की व्यवस्था क़ैदी स्वयं करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से इन्हें टिकट लेकर बाहर जाने की छुट्टी प्राप्त करने की प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी है। कुछ केन्द्रीय कारागारों में जहां पर्याप्त मात्रा में भूमि प्राप्त है, कृषि योजना प्रारम्भ करने का भी विचार हो रहा है और आशा है कि अगले वर्ष से वह प्रारम्भ भी कर दी जायगी। इन सब मामलों में भी वित्त कार्श्य हमारी प्रगति में बाधक रहा है।

न्याय

सरकार और माननीय हाई कोर्ट दोनों को न्यायालयों में मुकद्दमों के फैसले में होने वाली देर और अनिर्धारित मुक़द्दमों की संख्या वृद्धि से बहुत बड़ी चिन्ता हो गयी थी। अपनी ओर से इस समस्या के समाधान में माननीय हाई कोर्ट ने अपने अवकाश तथा अपने अधीन न्यायालयों की कई छुट्टियों में कमी कर के योग दिया है। न्यायालयों के न्यायाधिकारियों की संख्या वृद्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 'हाई कोर्ट एरियर्स कमेटी' ने अपनी आख्या दे दी है और यह आशा की जाती है कि जब इसके अभिस्ताव कार्यान्वित किये

जायेंगे तो इन अनिर्धारित मुकद्दमों की संख्या में कमी हो जायगी। जैसा कि इस सदन को मालूम है इस सरकार ने भी हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में 'जूडिशियल रिफ़ार्म कमेटी' नियुक्त की है। इस समिति ने एक बहुत ही विस्तृत प्रश्नावली प्रचारित की है जिसके लगभग अब तक ५०० उ र आ चुके हैं। इन उत्तरों का अध्ययन हो रहा है। यह कमेटी थोड़े ही समय में जिला अदालतों के दैनिक कार्यशैली में सुधार के लिए अपने अभिस्ताव उपस्थित करेगी। मुकद्दमों के सुनने के सम्बन्ध में जिले के प्रशासन अधिकारियों को मुकद्दमों को फैसल करने के काम से अलग करने की जो योजना सन् १९४९ में ८ जिलों में चालू की गई थी वह अब १८ जिलों में लागू कर दी गई है। रेवेन्यू अफसरों और जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के पद एक में मिलाकर उन्हें जुडीशियल अफसर के रूप में परिणत कर दिया गया है। यह सब अधिकारी अब माल व फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे करेंगे। यह निश्चय हुआ है कि इनके लिये भी समयानुसार वेतन वृद्धि (टाइम स्केल) की व्यवस्था कर दी जाय और इनमें से कुछ अधिकारी पहली अप्रैल सन् १९५१ से स्थायी कर दिये जायें। इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अधीन अधिकार अब तक हाई कोर्ट और कानपुर के जिलाधीश को ही था। न्यायार्थी जनता की सुविधा की दृष्टि से सरकार ने सभी जिला जजों को इस अधिनियम के अधीन कुछ अधिकार दे दिया है।

श्रम

देश की प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी मजदूरों और मालिकों में अच्छे सम्बन्ध के बढ़ाने के सरकार के अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप इस वर्ष श्रम क्षेत्र में थोड़ी उन्नति लक्षित होने लगी है। इस वर्ष भी औद्योगिक क्षेत्र में छटनी (रिट्रेंचमेंट) और ले-आफ़ हुए लेकिन उससे औद्योगिक शान्ति को धक्का नहीं पहुंचने दिया गया क्योंकि सरकार ने इस प्रकार निकाले हुए मजदूरों को पुनर्नियुक्ति के लिए तात्कालिक प्रयत्न किये। उद्योग के क्षेत्र में कच्चे माल की सार्वभौम कमी होने के कारण औद्योगिक उत्पादन और सम्बन्ध को धक्का लगा लेकिन राज्य के संराधन अभिकरण ने किसी बड़ी औद्योगिक अशांति को न होने दिया और अच्छे ढंग से काम होता रहा। एक ही दुर्घटना हुई और वह भी चीनी मिलों में मजदूरों को गुमराह करके हड़ताल कराने के कारण। इसकी कहानी माननीय सदस्यों को अच्छी तरह विदित है। कुछ दूसरे भी उदाहरण हैं जिनमें स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा मजदूरों को गुमराह किया गया। हम आशा करते हैं कि मजदूरों की रहन-सहन की दशा सुधारने के उन लाभदायक उपायों के कार्यान्वित होने से जो सरकार के विचाराधीन हैं आगामी वर्ष में श्रम के क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति होगी। इस बात का विचार हो रहा है कि असंगठित उद्योगों में, और कृषि के क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर उसे अनिवार्य कर दिया जाय। कानपुर में श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए अहातों की सफाई की व्यवस्था में उन्नति करने के लिए इस वर्ष बजट में ५०,००० रु० की एक रक़म रक्खी गयी है। ऐसी आशा की जाती है कि चीनी मिलों के मजदूरों के रहने के लिए मकान बनवाने के काम में अगले वर्ष से हाथ लग जायगा।

परिगणित और पिछड़ी जातियों की उन्नति और उत्थान की योजना

परिगणित और पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक दशा को पर्याप्त और प्रभावशाली ढंग से सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने जनवरी, सन् १९४८ ई० में हरिजन सहायक विभाग के नाम से राजधानी में एक नया विभाग खोला। इस विभाग ने अपने प्रशासन अधिकार में पुनर्ग्रहण और उद्धार (रिक्लेमेशन) का काम भी ले लिया। अपने जीवन के थोड़े समय में ही इस विभाग ने अस्पृश्यता निवारण और दूसरी जातियों के समक्ष हरिजनों को भी बराबरी का दर्जा दिलाने के राजकीय उद्देश्य को सन्तोषजनक रूप से सफलता दिलायी है। इस विभाग के आगामी वर्ष के बजट में सरकार ने जूनियर कक्षा के विद्यार्थियों से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षा में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और दूसरी अनावर्ती सहायताएं देने के लिए १४ लाख रुपये की व्यवस्था की है और इसी से उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जायगा इस लेखे में रुपया बढ़ता ही जा रहा है।

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बहुत से हरिजन लड़के अब डाइरेक्टर आफ़ रिसेटिलमेंट और एम्प्लायमेंट के तत्वावधान में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पा रहे हैं। लखनऊ के बख्शी तालाब पर इनके लिए एक पूर्णविकसित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है और इस समय उसमें लगभग १०० विद्यार्थी प्रशिक्षा पा रहे हैं। इनकी संख्या में और वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का एक शिविर बख्शी तालाब केन्द्र में गत वर्ष जून के महीने में आयोजित किया गया था और राज्य भर से सामाजिक कार्यकर्त्ता आये थे। अब प्रत्येक जिले में हरिजन सहायक संस्थायें बन गयी हैं और वह अच्छा काम भी कर रही हैं। तथाकथित अपराधी जातियों के सुधार का काम भी सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। इस वर्ष सरकार ने सालवेशन आर्मी से फजलपुर, कांठ और साहबगंज में तीन अपराधी जातियों के सेटेलमेंटों का काम ले लिया है।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

१९४२ के आंदोलन में योग देने के प्रत्यक्ष फलस्वरूप जिन संस्थाओं और व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था उन्हें प्रतिकर के रूप में दिये गये धन की रक़म अब ३४ लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। इस सम्बन्ध में जो व्यय चालू वित्त वर्ष में हुआ है वह ३०,४१७ रु० १२ आना है। एक हजार राजनीतिक पीड़ितों को लाइफ़ पेंशन, एक मुश्त सहायता और थोड़ी अवधि के आवर्ती अनुदान के रूप में वित्तीय सहायताएं दी गयी हैं। चालू वित्त वर्ष में २६० राजनीतिक पीड़ितों को लाइफ़पेंशन और ६६ को एकमुश्त सहायता दी गयी। पेंशन के मद में आवर्ती व्यय ३ लाख होता है और एकमुश्त सहायता के रूप में दिये गये अनुदान की रक़म १ लाख से कुछ ऊपर जाती है। राजनीतिक पीड़ितों को जिन्हें लाइफ़ पेंशन दी गयी है उनके बेसिक पेंशन के पचास प्रतिशत के हिसाब से महंगाई का भत्ता भी दिया जाता है। १९४२–४३ के आन्दोलन में ऐडवाइजरी शासन में जो सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया था उसकी ३५ लाख की रक़म लौटा दी गयी। कहीं कहीं पर इस रक़म को बजाय व्यक्तियों के लौटाने के सार्वजनिक हित की योजनाओं में ख़र्च किया जा रहा है। इस चालू वित्त वर्ष में ४०,००० रु० व्यक्तियों को लौटाया गया। विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनों में वसूल किये गये जुर्माने की ८.६ लाख की रक़म लौटा दी गयी। इस मद में इस चालू वित्त वर्ष में जो रक़म लौटायी गयी वह ७,१२९ रु० है। इस वर्ष शिक्षा विभाग ने राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियों और पुस्तकों के लिए सहायता के अनुदान रूप में ५५,००० रु० खर्च किया। पुनर्वासन विभाग ने नयाबाद जमीन के कई चक राजनीतिक पीड़ितों को दिया है।

विस्थापित व्यक्ति

मुझे खुशी है कि मैं इस सदन के सम्मुख पाकिस्तान से उद्वासित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वासन की जो आख्या उपस्थित कर रहा हूं उसमें पर्याप्त प्रगति हुई है। अब यह संभव हो सका है कि हम सहायता के शिविर बन्द कर दें। निःशुल्क भोजन और दूसरी इस प्रकार की सहायताएं अब केवल इलाहाबाद, मेरठ और मथुरा के विधवा आश्रमों और अनाथालयों में तथा ऋषिकेश के अपाहिज गृह (इन्फ़मरी) में अनाथ विधवाओं और बच्चों को दी जा रही है। विस्थापित व्यक्तियों के निवास के लिए सरकार ने लगभग ४ हज़ार पक्के घरों का निर्माण किया है और २ हजार से ऊपर लकड़ी की दुकान १९४८ से ५० ई० के भीतर बनायी गयीं। इस बजट वर्ष में ३,५०० एक कमरे वाले और १,५३० दो कमरे वाले अतिरिक्त घर बनाने का विचार है। इलाहाबाद जिले के नैनी स्थान में, और मेरठ जिले के मोदीनगर और हस्तिनापुर स्थानों में ३ नागरिक बस्तियां बसाने का भी विचार हो रहा है। इन नागरिक बस्तियों की योजनाएं अच्छी प्रगति कर रही हैं। सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को १ करोड़ से ऊपर रुपया व्यापार और कृषि का काम करने के लिए दिया है। इस प्रकार १० हजार से ऊपर विस्थापित परिवारों की मदद की गयी। २ लाख से ऊपर रुपया २७५ विस्थापित छात्रों

को अपनी पढ़ायी जारी रखने के लिए बांटा गया। विद्यार्थियों को ऋण देने की योजना में हमने संशोधन किया है और महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अदेय ऋण के रूप में छात्रवृत्तियां दी जायंगी। अब तक इस रूप में १८८ छात्रों को ७१ हजार से ऊपर रुपये की छात्रवृत्तियां दी गयीं। १,७१८ विस्थापित कृषक परिवारों को गंगा खादर और तराई पुनर्वासन क्षेत्रों में १७,९८० एकड़ भूमि देकर उन्हें पुनर्वासित किया गया। विभिन्न स्थानों में विस्थापित स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र चलाये जा रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए राज्य सरकार ने जूट उत्पादन क्षेत्र में ५० परिवारों को निवास देने की स्वीकृति दे दी है। पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर हमने मिर्जापुर जिले के चुनार स्थान में २५० परिवारों और पूर्वी पाकिस्तान की अनाथ विस्थापित स्त्रियों और बच्चों के आश्रय के लिए एक बस्ती का निर्माण करना तथा उनको विभिन्न उद्योगों और उपयोगी कलाओं में प्रशिक्षित करना स्वीकार कर लिया है। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता की इस संक्षिप्त समीक्षा को समाप्त करने के पूर्व मैं इस सरकार की ओर से इन अभागे व्यक्तियों की, जो अपनी सम्पत्ति और जीविका से जबरदस्ती अलग कर दिये गये हैं और जिन्होंने बिना किसी अशांति और शिकायत के इस नवीन वातावरण में अपने जीवन को पुनः सुव्यवस्थित करने का काम किया है, सराहना करता हूं।

खाद्य और रसद

आय-व्ययक के तखमीनों को तैयार करते समय हम लोगों ने आशा की थी कि हम लोग क्रमशः राशनिंग के दायित्व को कम कर सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैं माननीय सदस्यों से इस भाषण के प्रारम्भ में कह रहा था दैवी विपत्तियों और दूसरे प्रकार की क्षतियों के कारण इस देश में जो खाद्यान्न की कमी हुई है उसने हमें न केवल राज्य के सभी नगरों में पूर्ण राशनिंग व्यवस्था को जारी रखने के लिए ही बाध्य किया वरन् पूर्वी जिलों की आबादी के लिए खाद्यान्न की लागत से कम दाम पर बिक्री भी अपेक्षित करदी, और फलस्वरूप सरकार को बहुत बड़े अनुत्पादक व्यय का भार वहन करना पड़ा। इस वर्ष अन्न संग्रह "कम्पलसरी लेवी" के आधार के बजाय "गवर्नमेंट मोनोपोली पर्चेज" के आधार पर किया गया। इनके और दूसरे विशिष्ट उपायों के कारण ही यह सम्भव हुआ कि सरकार ने इस वर्ष से अधिक अन्न संग्रह किया। दैवी विपत्तियों से जो क्षति इस राज्य को पहुंची है उसके कारण जो हमारा व्यय बढ़ा वह इस प्रकार हुई अन्न संग्रह में वृद्धि से कहीं अधिक था। बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण धान और ज्वार की फसल को, विशेषतया पूर्वी जिलों में, भारी क्षति पहुंची है और इसके बाद जो सूखा पड़ा, उससे हमारे धान की अगहनी फसल भी चौपट हो गई। कई लाख टन की खरीफ की फसल के नुकसान हो जाने के कारण, कई कम उपज के जिलों में खाद्यान्न की इतनी बड़ी कमी हो गयी की हमें इन जिलों के देहाती क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ी। इन कारणों से, हमारे उत्पादन और अन्न संग्रह को अत्यधिक बढ़ाने के बावजूद भी हम आन्तरिक साधनों से ही इस कमी को पूरा न कर सके, और भारत सरकार को हमारी सहायता के लिए आयात अन्न की स्वीकृति देनी पड़ी जो पिछले साल बन्द कर दिया गया था। भारत सरकार स्वयं देश में पर्याप्त सुरक्षित खाद्यान्न की कमी के कारण कठिन परिस्थिति में पड़ गयी है। कई राज्यों ने उनसे खाद्यान्न की मांग की है जो उन्हें देना पड़ रहा है। इसके साथ ही जल यातायात की भी कई कठिनाइयां हैं। इन सब कारणों से देश में खाद्यान्न की ऐसी सार्व-भौम कमी हो गयी है कि भारत सरकार को बाध्य होकर राशन की मात्रा में सख्ती से तब तक सार्वभौम कमी करने का आदेश देना पड़ा है जब तक या तो फसल न तैयार हो जाय या देश में बाहर से अन्न न आ जाय। मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही सूचित कर दिया है कि राज्य के अर्थकोष पर खाद्यान्न और रसद के वितरण व्यय का बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। पहले तो भारत सरकार से खाद्यान्न को राशनिंग के संबंध में कई प्रकार की राज-सहायतायें और बोनस मिलते थे। हाल ही में अख्तियार किये गये नये नियमों के कारण अब इसमें बहुत बड़ी कमी कर दी गयी है। लागत से कम बिक्री की दर (सब्सिडाइज्ड

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सेलिंग रेट्स) रखने से जो घाटा होता है उसका अधिकांश भाग अब हमी लोगों को वहन करना पड़ रहा है। यह घाटा इस वित्त वर्ष में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आयात से प्राप्त खाद्यान्न का भाव बढ़ गया है। माननीय सदस्य इस बात को जानकर प्रसन्न होंगे कि खाद्यान्न को राशनिंग योजना का फायदा इस राज्य के प्रायः १ करोड़ व्यक्तियों को मिलता है।

बाढ़ और अकाल निवारण सहायता

इस राज्य में पूर्वी जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण गत-जुलाई अगस्त में खरीफ और ज्वारों का, विशेषतः बाजरे का, बहुत नुकसान हुआ। इससे हुई क्षति को पूरा करने और किसानों की दशा सुधारने के हेतु सरकार ने १,३१,४०० रुपये बाढ़-पीड़ितों को सहायता और दान के रूप में दिया। माननीय मुख्य मंत्री ने भी अपने डिस्क्रीशनरी ग्रांट से २३,५०० रुपये का दान दिया। पशु और बीज खरीदने के लिये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को साधारण तकावी के अतिरिक्त २५,००,००० रुपया दिया गया। बाढ़ के बाद मध्य सितम्बर से लेकर मध्य दिसम्बर तक घोर सूखा पड़ा। खरीफ को खड़ी फसल जो अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त न हुई वह सूखे से नष्ट हो गयी। रबी के फसल के भी बोने में देर हुई। सहायता कार्य के रूप में सरकार ने गोंडा, बहराइच और बस्ती जिलों में अकाल की जांच का काम प्रारंभ कर दिया और इसमें कुल ३७,५०० रुपया व्यय हुआ। लगान में मुल्तवी और छूट के रूप में सहायता के हेतु क्रमशः २२,१५२ और २,४३,४४४ रुपये अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं और आगे भी १२ लाख ५० हजार रुपये की छूट का प्रारंभिक प्रस्ताव विचाराधीन है। जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा है उनमें कुएं खोदने के लिये और तकावी बांटने के लिये ५ लाख रुपये सरकार ने स्वीकृत किये हैं। इन क्षेत्रों में अन्न पहुंचाने की योजनाओं के चालू किये जाने के विषय में मैंने अपने इस भाषण में अन्यत्र कहा ही है।

योजना और विकास

ग्रामीण जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये और तेजी से काम करने वाले साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने दो वर्ष हुए कुछ अमेरिकन विशेषज्ञों को बुलाया था। उनकी सलाह से और उन्हीं की देखरेख में इटावा जिले में एक प्रयोगात्मक संगठन खड़ा किया गया। पहिले साल इस प्रयोग को जिसे इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट कहते हैं। चौंसठ गांवों तक सीमित रखा गया। दूसरे साल इसका क्षेत्र सौ गांवों तक बढ़ा दिया गया। ऐसा ही प्रयोग गोरखपुर और देवरिया जिलों के सौ गांवों में एक चक में आरंभ किया गया है, जहां की परिस्थितियां और समस्यायें इटावा से नितान्त भिन्न हैं। दूसरे प्रयोग को शुरू हुए अभी एक ही वर्ष हुआ है। इन दोनों प्रयोगों के अब तक के नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। फुंकवा जैसी बीमारियों से इटावा की ओर हर साल बहुत से पशु मर जाते थे। टीका लगाने के फलस्वरूप यह बीमारी बिल्कुल गायब हो गयी है। पहिले साल इटावा क्षेत्र में गेहूं की अच्छी जाति का थोड़ा सा बीज किसानों को उसका फायदा दिखाने के लिये बोया गया। अब वहां ६,००० एकड़ भूमि पर इसकी खेती हो रही है और हमको वहां से ५० हजार मन शुद्ध बीज मिलने की आशा है। इटावा, गोरखपुर, देवरिया, क्षेत्रों की ग्रामीण जनता सरकार से बिना किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लिये केवल अपने उद्योग से कई सड़कों की मरम्मत कर रही है। पशुधन के ह्रास के बंद हो जाने, अच्छे बीजों की बदौलत गेहूं की उपज में २५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने और लोगों में अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की भावना के जागने से इस बात का अनुमान हो सकता है कि दो वर्षों के अल्प काल में ही ये दोनों प्रयोग कितने सफल हुए हैं। अब इन क्षेत्रों में मलेरिया विनाशक कार्य, शीतला रोग के उन्मूलन के लिये

टीका, प्रौढ़ शिक्षा जैसे और काम हाथ में लिये गये हैं। हमको पूरा विश्वास है कि इस कार्य में भी वैसी ही सफलता मिलेगी। अब ऐसा विचार है कि इटावा में सौ दूसरे गांवों में यह काम बढ़ाया जाय। इसी प्रकार अगले साल गोरखपुर-देवरिया में भी कार्य का विस्तार किया जायगा ताकि इन उपायों की पूरी जांच हो सके। सरकार का विचार है कि आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में भी ऐसे प्रयोग किये जायं। हमारा विचार तो यह है कि अपने विभागों के वर्तमान संगठनों का पूरा उपयोग करके राज्य में यथासंभव बड़े से बड़े क्षेत्र को इन उपायों का लाभ पहुंचाया जाय। इस उद्देश्य को सामने रख कर ऐसा प्रबंध किया जा रहा है कि उन विभागों के, जिनका संबंध देहाती क्षेत्रों से है, देहात में काम करने वाले कर्मचारियों को एक संगठन में लाया जाय और उनको इसके लिये उपयुक्त शिक्षा दी जाय। यह भी निश्चय हुआ है कि प्रत्येक जिले में विकास संबंधी इस प्रकार के सब कामों का नियंत्रण एक आफिसर के हाथ में रहे। यह आफिसर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर कहलावेगा।

साधारण चुनाव

केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के चुनाव के लिये नवम्बर-दिसम्बर, १९५१ का समय निश्चित किया गया है। मतदाताओं की सूचियां एतराजों के लिये १ नवम्बर, १९५० में प्रकाशित की गयी थीं। जून, १९५१ तक उनका अन्तिम रूप स्थिर कर दिया जायगा। पोलिंग स्टेशनों को बनवाने, बैलट बक्सों को तैयार कराने, तथा चुनाव संबंधी अन्य कामों के लिये बजट में लगभग ८४,००,००० रु० रक्खा गया है।

उपसंहार

मैंने अब तक जो कुछ कहा है वह बजट की मुख्य बातों की रूपरेखा मात्र है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि इस संक्षिप्त विवरण से भी माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास हो जायगा कि वर्तमान परिस्थिति की भूमिका में अपने कर्त्तव्यों के पालन करने का सरकार ने यथाशक्य पूर्ण प्रयत्न किया। हम योग सिद्धियों से काम लेने का दावा नहीं करते, हम यह नहीं कहते कि हमने सामान्य नागरिकों को चिन्तित करने वाली सभी समस्याओं को सुलझा दिया है परन्तु हमारा यह आग्रह है कि हमने अपने नागरिक की सत्सेवा करने की ईमानदारी से कोशिश की है। हम जानते हैं कि जनता के बहुत बड़े अंश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। और उसे अपनी बहुत सी जरूरतों की पूर्ति से वंचित रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि ऐसी जनता की, जिसने दीर्घ-कालीन पराधीनता के बंधन को तोड़ कर अभी हाल ही में स्वतंत्र राष्ट्रीयता के आसन पर पांव रखा हो, भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकतायें कितनी बहुसंख्यक और जटिल होती हैं और मुझे यह भी विश्वास है कि बजट इस बात का प्रमाण देता है कि राष्ट्रीय कल्याण के लिये किसी उपाय को न उठा रखने का हमारा दृढ़ संकल्प है। अभी भले ही अंधेरा फैला हो, भले ही ऊषाकाल दूर प्रतीत होता हो, भले ही काले बादल आने वाले तूफान की सूचना दे रहे हों, परन्तु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा सम्मिलित संकल्प सारी बाधाओं पर विजयी होगा। रुपये पैसे या अन्य भौतिक साधनों से विजय नहीं मिला करती, विजय वैजयन्ती वहीं फहराती है जहां एकनिष्ठा, बलवान चरित्र और शुद्ध नियत पायी जाती है। कवि के शब्दों में,

क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतान्नोपकरणे

बैठने के पहिले मुझे एक सुखद कर्त्तव्य का पालन करना है। श्री गोपालकृष्णन् के जिम्मे आजकल खाद्य और रसद विभाग (फूड ऐन्ड सिविल सप्लाइज विभाग) का कठिन काम है परन्तु वित्तीय विषयों में हमको उनकी सहायता और परामर्श का लाभ बराबर मिलता रहता है। वह जिस तरह इस बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं उसके लिये मैं

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उनका कृतज्ञ हूं। बजट का तैयार करना बहुत कठिन काम है परन्तु साल भर तक राज्य के वित्त पर सतर्क दृष्टि रखना उससे भी कठिन काम है। जिस व्यक्ति को यह काम संभालना पड़ता है उसे अगत्या बहुत सी कटु आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ता है। अपने बचाव में वह स्यात ही कभी मुंह खोल सकता है। श्री बी० जी० राव, वित्त सचिव, ने जिस योग्यता और परिश्रम के साथ अपने गुरुभार का वहन किया है उसके लिये मैं उनका ऋणी हूं। मैं वित्त सचिवालय के दूसरे सदस्यों, विशेषतः बजट विभाग के इंचार्ज अंडर सेक्रेटरी श्री केशवदास तथा व्यय नियंत्रण विभाग के अंडर सेक्रेटरी श्री के० एस० गोयल और असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री एन० सी० रे का भी आभारी हूं। हम लोग जो वित्त विभाग से संबंध रखते हैं सदैव दूसरे विभागों के उन सज्जनों के कृतज्ञ रहते हैं जिनके सोत्साह सहयोग के बिना बजट समय पर तैयार हो ही नहीं सकता। अन्त में मैं शिक्षा विभाग के विशेषाधिकारी श्री भगवती शरण सिंह के प्रति इस भाषण के अनुवाद में मुझे सहायता देने के लिये गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेंडेंट और कर्मचारियों के प्रति बजट को यथा समय छापने के कठिन और श्रमापेक्षी काम को उत्साह के साथ सम्पन्न करने के लिये अपने आभार को प्रकट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं १९५१-५२ के बजट को उपस्थित करता हूं।

(इसके बाद सदन १ बज कर ७ मिनट पर सोमवार २६ फरवरी, १९५१ के ११ बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ फरवरी, सन् १९५१ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए २१–२–५१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

क्रम-संख्या	स्थान	एजेंटों के नाम	आयल कम्पनी
१	बस्ती नगर	१—श्री यूनीवर्सल कम्पनी	बर्मा शेल, नई दिल्ली
		२—श्री भगवत पांडे	स्टैन्डर्ड वैकुअम, कलकत्ता
		३—श्री राम सुन्दर पाठक ऐंड कं०	इंडो बर्मा पेट्रोलियम कं०, कलकत्ता
२	बढ़नी	श्री केदारनाथ द्वारकादास	बर्मा शेल, नई दिल्ली
३	खलीलाबाद	श्री मोहनलाल हीरालाल	,,
४	उसका बाजार	श्री सेदामल लड्डूराम	,,
५	बस्ती	रोडवेज कन्ज्यूमर पम्प	,,

नत्थी 'ख'

(देखिए २१-२-५१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ४७-४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ२०८ पर)

नक्शा "क" सब-इंस्पेक्टरों का चुनाव

वर्ष	उम्मीद-वारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये
१९४८	७८९	१--श्री महेशेन्द्र शंकर माथुर, डी० आई० जी० पुलिस, प्रधान २--श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी ३--श्री शरदचन्द्र मिश्र, सीनियर एस० पी०, इलाहाबाद ४--श्री प्रकाश नारायण माथुर, डायरेक्टर, सोशल सर्विस ५--श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव, एस० पी० पुलिस, हेडक्वार्टर्स, सेक्रेटरी।	३०२
१९४९	१३०८	१--श्री बदन सिंह, डी० आई० जी० पुलिस, प्रधान २--श्री विचित्र नारायन शर्मा, एम० एल० सी०। ३--श्री शरदचन्द्र मिश्र, ए० आई० जी०, रेलवे पुलिस । ४--श्री चन्द्रमोहन भाटिया, डायरेक्टर ब्यूरो आफ साइकोलाजी । ५--श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता, प्रिंसिपल, पी० टी० सी०, सेक्रेटरी।	१३९
१९५०	११६०	१--श्री महेशेन्द्रशंकर माथुर, डी० आई० जी० पुलिस, प्रधान। २--श्री महेशचन्द्र त्यागी, सीनियर एस० पी०, इलाहाबाद। ३--श्री चन्द्रमोहन भाटिया, डायरेक्टर, ब्यूरो आफ साइकोलोजी । ४--श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०। ५--श्री फतेह सिंह राना, एम० एल० ए० । ६--श्री हिमांशु कुमार कर, एस० पी० पुलिस हेडक्वार्टर्स, सेक्रेटरी।	६१

नक्शा "ख" असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटरों (जिनकी जगह पहले प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर काम करते थे) का चुनाव

वर्ष	उम्मीदवारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता	
१९४८	..	.		...	..
१९४९	१२८	(१) श्री विश्वनाथ लहरी, आई० जी०, पुलिस	५३	(१) सतेन्द्रपाल जैन	ला ग्रेजुएट
		(२) श्री सिराजु-उद्दीन अहमद, डी० आई० जी०, पुलिस हेडक्वार्टर्स		(२) कृष्ण पाल शर्मा	"
		(३) देवेंद्र सेन, ए० टू आई० जी०, पुलिस		(३) हर बन्श सिंह	"
				(४) फिरोजी लाल शिवा	"
				(५) रतन प्रकाश	"
				(६) ओंकार नाथ तिवारी	"
				(७) जवाहर सिंह	"
				(८) धमद्र सिंह चौहान	"

वर्ष	उम्मीदवारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता	
				(९) भगवानसहाय	ला ग्रेजुएट
				(१०) राजाराम	,,
				(११) शिव शंकर सिनहा	,,
				(१२) जमुना सहाय	,,
				(१३) अमर सिंह सिंघल	,,
				(१४) इन्द्र प्रकाश कपिल	,,
				(१५) कृष्ण हेमराज करन चन्दानी	,, ,,
				(१६) माधो प्रसाद त्रिपाठी।	,,
				(१७) महेश प्रसाद माथुर।	
				(१८) बद्री दत्त पांडे	,,
				(१९) राजेन्द्र कुमार गुप्ता	,,
				(२०) सत्यदेव गुप्ता	,,
				(२१) किशोरी नन्दन कपूर	,,
				(२२) दयालु राम सक्सेना	,,
				(२३) नरेन्द्र नाथ शर्मा	,,
				(२४) जय पाल सिंह	,,
				(२५) बाबू राम गुप्ता	,,
				(२६) ए.स० सी० बनर्जी	,,
				(२७) हरी मोहन कौल	,,
				(२८) शान्ती प्रकाश	,,
				(२९) नरायन स्वरूप माथुर	,,

वर्ष	उम्मीद- वारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता
१	२	३	४	५
				(३०) दया शंकर सक्सेना ला ग्रेजुएट
				(३१) वीरेन्द्र बहादुर सिंह „
				(३२) इन्दु शेखर सिंह „
				(३३) तेजू मल मोजवानी „
				(३४) राजेन्द्र चन्द्र निगम „
				(३५) भुवनेश्वर मिश्रा „
				(३६) काजी ऐबे नुल रहमान „
				(३७) हौसल दत्त पांडे „
				(३८) लक्ष्मी नारायन महरोत्रा „
				(३९) विष्नू देव सहाय „
				(४०) देव नरायन सिंह „
				(४१) गौरी शंकर श्रीवास्तव „
				(४२) राम बिहारी दुबे „
				(४३) भगवान दुबे „
				(४४) जय किशन सिंह „
				(४५) माता चरन खरे „
				(४६) सूर्य देव मिश्रा „
				(४७) सभाजीत सिंह „
				(४८) शत्रुहन सिंह „
				(४९) राम लाल टंडन „
				(५०) शीतला प्रसाद सिंह „
				(५१) गुलाब सिंह „
				(५२) राज कुमार सिनहा „
				(५३) जफर अली „
१९५०	६०	(१) श्री गोविन्द नारायण, गृह सचिव, प्रधान		(१) जगदीश प्रसाद शर्मा एम० ए०, एल-एल० बी०
				(२) राजेन्द्र प्रताप सिंह „
				(३) रामानुज दास कौशिक बी० ए०, एल-एल० बी०
		(२) श्री रणधीर सिंह, लीगल रिमेम्ब्रेंसर		(४) राम नरेश लाल „
				(५) ओम् नरायन अग्रवाल एम० काम०, एल-एल० बी०

वर्ष	उम्मीद–वारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता	
१	२	३	४	५	
		(३) श्री महेशेन्द्र शंकर माथुर, डी० आई० जी०, पुलिस ।		(६) महेन्द्र पाल सिंह	एम० ए०, एल-एल० बी०
		(४) श्री कमला–पति त्रिपाठी, एम० एल० ए०		(७) मुरारी लाल अग्रवाल	,,
		(५) श्री फतेह सिंह राना, एम० एल० ए० ।		(८) वेद प्रकाश गुप्त	एम० ए०, एल-एल० बी०
		(६) श्री हिमांशु–कुमार कर, एस० पी०, पुलिस हेडक्वार्टर्स		(९) हरीश चन्द्र शरो–गिया	,,
				(१०) विनोद कुमार गुप्त	बी० ए०, एल-एल० बी०
				(११) राज करन सिंह	,,
				(१२) विपिन चन्द्र जोशी	एम० ए०, एल-एल० बी०
				(१३) प्रणवीर वीर प्रताप नरेश चन्द्र गुप्ता	,,
				(१४) गौर अम्बिका प्रसाद जैसवाल	,,
				(१५) कामेश्वरनाथ वर्मा	बी० ए०, एल-एल० बी०
				(१६) सालिक चन्द	,,
				(१७) ग्रीश चन्द्र	,,
				(१८) कुंअर करन सिंह	,,
				(१९) बाल मुकुन्द	,,
				(२०) राम कुमार सिंह	बी० काम०, एल-एल० बी०
				(२१) बहादुर सिंह	एम० ए०, एल-एल० बी०
				(२२) बेनी माधो सिंह	बी० ए०, एल-एल० बी०
				(२३) बलदेव बिहारी बाजपेई	बी० काम० एल-एल० बी०
				(२४) जयन्ती प्रसाद गोविल	बी० एस–सी०, एल-एल० बी०
				(२५) हरीहर नाथ चतुर्वेदी	बी० ए०, एल-एल० बी०

नक्शा "ग" डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का चुनाव

वर्ष	उम्मीदवारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता	
१	२	३	४	५	
१९४८	३९९	(१) श्री अमर नाथ झा, प्रधान चेयरमैन, पब्लिक सरविस कमीशन	२२	(१) एस० एन० डे	बी० ए०
				(२) एम० सिंह	बी० एस-सी०
				(३) एम० चतुर्वेदी	एम० ए० डिप० एल० एस० जी०
				(४) डी० आचार्य	बी० एस-सी०
				(५) एस० सी० मुकर्जी	बी० ए०
		(२) श्री गोपी नाथ श्रीवास्तव, मेम्बर, पब्लिक सरविस कमीशन		(६) एम० बी० मुकर्जी	एम० ए०
				(७) एम० सी० जौहरी	बी० ए०
				(८) कामेश्वर सिंह	एम० ए०
				(९) केदार राय,	एम० ए०
				(१०) एस० एस० पावर	बी० ए०, एल-एल० बी०
		(३) श्री विश्वनाथ लहरी, आई० जी०, पुलिस		(११) विश्नु प्रसाद	बी० ए०
				(१२) के० एल० दीवान	,,
				(१३) एन० एन० मिश्रा	बी० ए० एल-एल० बी०
				(१४) एच० के० चतुर्वेदी	,,
				(१५) आर० सी० भल्ला	एम० ए०
				(१६) पी० एन० मिश्रा	बी० ए०
				(१७) शुशील सिमलाई	बी० ए०
				(१८) इकबालकृष्ण	इन्टरमीडियेट फाइनल परीक्षा के २ महीने पहले फौज में भर्ती हो गये और १९४२ से ४५ तक फौज में रहे
				(१९) ए० के० बासु	बी० ए०
				(२०) के० बी० सिंघल	एम० काम०
				(२१) एच० एन० सिंह	बी० एस-सी० एग्रीकल्चर

वर्ष	उमीद-वारों की संख्या	कमेटी जिसने चुना	कितने चुने गये	नाम तथा योग्यता	
१	२	३	४	५	
				(२२) बी० एन० सिंह	बी० ए०
१९४९	५२	(१) चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार।	१७	(१) डाल चन्द	एस० एल० सी०
				(२) त्रिलोक सिंह	
				(३) बालमुकुंद शर्मा	"
		(२) इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, उत्तर प्रदेश।		(४) हरनाम सिंह	"
				(५) अयोध्या प्रसाद पाठक	"
				(६) मरदान सिंह	"
		(३) डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, सी० रेंज, उत्तर प्रदेश		(७) पदम सिंह	"
				(८) सी० इ० शारपे	दसवां दर्जा
				(९) राम भरोसे तिवारी	एस० एल० सी०
				(१०) तेज सिंह	"
				(११) रामनरायन सिंह	"
				(१२) चेतन स्वरूप	"
				(१३) सिद्धेश्वरी सिंह	हाई स्कूल
				(१४) जगन्नाथ सिंह	एस०एल०सी०
				(१५) हरपाल सिंह	हाई स्कूल
				(१६) जंग बहादुर सिंह	"
				(१७) अन्तू लाल	"

नोट--इस कमेटी ने केवल उन उम्मीदवारों का चुनाव किया जो पुलिस इन्स्पेक्टर के पद पर काम कर रहे थे।

नत्थी 'ग'

(देखिये २१ फरवरी, सन् १९५१ ई० के तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

श्रीयुत लालबहादुर जी शास्त्री,
मंत्री, पुलिस विभाग, प्रान्तीय गवर्नमेंट,
लखनऊ।

श्रीमान् जी,

सेवा में सविनय निवेदन है कि कुसमरा में जो कि जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव में है, एक पुलिस चौकी का होना निम्न कारणों से बहुत आवश्यक है —

(१) इस कस्बे की आबादी करीब तीन हजार है।

(२) पुलिस स्टेशन यहां से करीब सात मील की दूरी पर है, इस कारण शीघ्र किसी प्रकार की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

(३) यहां पर गवर्नमेंट शीड स्टोर तथा सहयोगी संघ की गल्ले की गोदामें हैं जिनमें कि करीब अस्सी हजार रुपये का गल्ला हर समय रहता है, और अधिकतर यह सरकार का उसूल है कि यह गोदामें वहीं खोली जाती हैं जहां पुलिस स्टेशन होता है।

(४) यहां की तिजारत इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी हुई है कि यहां पर लोग कलकत्ता तथा बम्बई तक से तिजारत का कार्य करते हैं तथा जहां पर गवर्नमेंट के कपड़ा, नमक, शकर तक के होलसेल के व्यापारी हैं।

(५) यहां पर डाकखाना, मिडिल स्कूल, लड़कियों का मिडिल स्कूल, और सरकारी अस्पताल तक मौजूद हैं। और रक्षा का कोई इन्तजाम न होने के कारण सरकारी अधिकारियों तक को कभी-कभी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।

(६) यहां पर पुलिस चौकी की पुरानी इमारत मौजूद है, अथवा सरकार को पुलिस चौकी खोलने के लिये यहां नई इमारत बनवाने की आवश्यकता नहीं है।

(७) यहां अदालत पंचायत का सेन्टर है और गवर्नमेंट का गल्ला प्रोक्योरमेन्ट का सेन्टर भी था।

(८) यह कस्बा गल्ले की बहुत बड़ी मंडी है, तथा इटावा, बरेली रोड पर स्थित है।

(९) पुलिस का कोई ठीक सा इन्तजाम न होने के कारण इस कस्बे में अकसर वारदातें हो जाया करती हैं।

अतः उपरोक्त वजूहातों को देखते हुये, प्रार्थना है कि यहां की तिजारत को बढ़ाने के लिये, तथा यहां की जनता को निधड़क व सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये यहां पर एक पुलिस चौकी का होना निहायत ही आवश्यकीय है। आशा है आप इस बड़ी जरूरत पर जो कि यहां की जनता के लिये हित की चीज है, शीघ्र ध्यान देंगे।

प्रार्थी,
(ह०) चन्द्रशेखर गुप्त, मंत्री, मंडल कांग्रेस कमेटी,
कुसमरा, जिला मैनपुरी।

तारीख ५ दिसम्बर, १९४९ ई०

नत्थी 'घ'

(देखिये २१-२-५१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER FOR THE MEETING OF THE PARLIAMENT OF INDIA, TO BE HELD ON 4th DECEMBER, 1950.

ADMITTED AS NO. 21

QUESTION

Shri H. V. Kamath :

Will the Prime Minister be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that Shri Shibban Lal Saksena, M. P. was recently shot at by Nepal State troops near the Indo-Nepal border ;

(b) If so, when, where and the circumstances in which the shooting incident took place ;

(c) The nature of injuries sustained by him ;

(d) his present condition; and

× × × ×

ANSWER (Oral).

The Hon'ble Shri Jawahar Lal Nehru :

(a) to (d) :— Yes, Sir. On 22nd November, Shri Shibban Lal Saksena attended a meeting in Nepalese territory across the Gorakhpur border. This meeting was forcibly dispersed by Nepalese Government Forces. Shri Saksena and party returned on a truck towards the Indian border. This truck ran into an ambush of Nepalese Government Forces near Danda river bridge and was fired upon. Shri Saksena received bullet injuries in his leg. His present condition is reported to be satisfactory.

नत्थी 'ङ'

(देखिये २१ फरवरी, १९५१ ई० के स्थगित अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

जिला बलिया के उन गांवों और लोगों के नाम जहां २१ दिसम्बर सन् १९४९ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५० तक डकैतियां हुई।

क्रम-संख्या	गांव		थाना		डाकुओं की संख्या जो पकड़े गये	वादी के नाम
१	मेउली	..	सिकन्दरपुर	..	२	श्री इन्द्रदेव सिंह
२	मलिकपुरा	..	हल्दी	..	२	श्री शिवरतन तिवारी
३	भलुही	..	गड़वार	..	१४	श्री कुलदीप सिंह
४	सुलतानीपुर	..	रसड़ा	..	..	श्री कुरबान अली
५	मधुबनी	..	कैरिया	..	१८	श्री ब्रह्मदेव राय
६	केवटलिया	..	बांसडीह	..	८	श्री जगदीश मिश्र
७	हाटा बिसवलिया	..	,,	..	..	श्री शिवपूजन तेली
८	भंगी छपरा	..	सहतवार	..	१५	श्री सरजू तिवारी
९	छिछोर	..	हलधरपुर	..	४१	श्री राम कुंवर सिंह
१०	बनरही मठिया	..	सिकन्दरपुर	..	..	श्री रामनाथ जठी
११	दोगरा खासी	..	नगरा	..	१०	श्री कपिल सिंह
१२	धन्घोरा	..	बांसडीह	..	..	श्री तारकेश्वर सिंह
१३	शक्करपुर	..	,,	..	..	श्री इन्द्र देव सिंह
१४	रक्षीपुर	..	रसड़ा	..	..	श्री बासुदेव सिंह
१५	बलिया कस्बा	..	बलिया	..	..	श्री रामचन्द्र कान्चू
१६	हालपुर	..	बांसडीह	..	१५	श्री सुखनारायन लोहार
१७	नवापुरा	..	रसड़ा	..	..	श्री बिशुन कान्टू
१८	खरीचा	..	गड़वार	..	१०	श्री जैराम दुबे
१९	कोटवार	..	नरही	..	..	श्री राम नारायन कान्चू
२०	बेकुना	..	सिकन्दरपुर	..	..	श्री किसुन कान्चू
२१	नीमछपुरा	..	हल्दी	..	..	श्री कालिका तिवारी
२२	गंगापुर	..	हल्दी	..	..	श्री बंकेश्वर उपाध्याय
२३	रामपुर	..	कोतवाली	..	..	श्री श्याम बिहारी
			योग	..	१३५	

जिला गाजीपुर में उन गांवों और लोगों के नाम जहां २१ दिसम्बर सन् १९४९ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५० ई० तक डकैती पड़ी।

क्रम संख्या	गांव	थाना	डाकुओं की संख्या जो पकड़े गये	वादी के नाम
१	इटवा	करीमुद्दीन पुर	८	श्री राम नारायण सिंह
२	करसरी	मरदह	१०	श्री रामदेव कोइरी
३	केलही	मरदह	२०	श्री रामनरेश
४	कमसरी	करीमुद्दीनपुर	२२	श्री कमला प्रसाद
५	काजीपुर	कोतवाली	४	श्री भगवान कान्चू
६	सुख डेहरा	कासिमाबाद	१४	श्री शिवप्रसाद राय
		योग	७८	

नत्थी 'च'

देखिये २१ फरवरी, १९५१ ई० के स्थगित अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

जिला बलिया में २१ दिसम्बर सन् १९४९ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५० तक कत्ल हुये लोगों के नाम तथा पते की सूची --

क्रम-संख्या	कत्ल किये गये व्यक्तियों के नाम		गांव		थाना
१	शिवधनी सिंह	..	बढौलिया	..	नरही
२	वृक्षा अहिर	..	मनियर दियार	..	बांसडीह
३	इलीयास	..	सोना डीह	..	नगरथ
४	मुसम्मात सुगिया	..	जाम	..	रसड़ा
५	खखन सिंह	...	बक्वा	..	बांसडीह
६	राधा मोहन सिंह	..	केन्डवा	..	हलधरपुर
७	रामजतन नोनिया	..	बिलौआ	..	"
८	राम दहिन कमकर	..	शिवरामपुर	..	कोतवाली
९	रामलगन अहीर	..	रामपुर	..	बांसडीह
१०	मुख लाल अहीर	..	सीहपुर	..	गड़वार
११	राजबली सिंह	..	हुंडसड	..	सिकन्दरपुर
१२	शिवराम सिंह	..	ककरासो	..	अमांव
१३	धन मनिया	..	सवन	..	गड़वार
१४	श्रीपतगुसहर केशरी	..	हथुवी	..	रसड़ा

जिला गाजीपुर में २१ दिसम्बर सन् १९४९ से ३१ दिसम्बर, १९५० तक कत्ल हुये लोगों के नाम तथा पते की सूची।

क्रम-संख्या	कत्ल किये गये व्यक्तियों के नाम	गांव	थाना
१	राम राज सिंह	.. नवदर	.. नन्दगंज
२	श्रीमती कौशल्या	.. नोनहरा	.. मोहम्मदाबाद
३	कुलदीप सिंह	.. चटाइपारा	.. कोतवाली
४	रामधारी सिंह	.. लिलापुर	.. नन्दगंज
५	तालुख राज सिंह	.. गौसंदेपुर	.. ,,
६	बल्देव राय	.. सिहोरी	.. ,,
७	छांगुर लोहार	.. नौली	.. गहमर
८	शिवगोविन्द	.. महेरी	.. जमानियां
९	गंगा विशुन सिंह	.. गोसन्देपुर	. नन्दगंज
१०	अब्दुल हइ	.. मनियां	.. गहमर
११	कपिल देव राय	.. ताजपुर	.. जमानियां
१२	रामनन्दन सोनार	.. सेरपुर	.. मोहम्मदाबाद

नत्थी 'छ'

(देखिए २४-२-५१ के तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर)

युक्त प्रान्तीय अन्न उपभोग (प्रतिबन्ध) आज्ञा, १९४९ ई० [The United Provinces Food Consumption (Restriction) Order, 1949]

१--(१) यह आज्ञा "युक्त प्रान्तीय अन्न उपभोग (प्रतिबन्ध) आज्ञा, १९४९ ई०" कहलायेगी।

(२) यह समस्त युक्त प्रान्त में लागू होगी।

(३) यह १० जून, १९४९ ई० से लागू होगी।

२--इस आज्ञा में जब तक कि कोई बात, विषय या प्रसंग के विपरीत न हो --

(१) "भोजनादि व्यवस्थापक (caterer)" से तात्पर्य किसी भोजनादि स्थापना (catering establishment) के मालिक या उसके इंचार्ज व्यक्ति या व्यक्तियों से है।

(२) "भोजनादि स्थापना (catering establishment)" में होटल, बोर्डिंग हाउस, रेस्टारेंट, खाद्य गृह (Eating House), कैफे, चाय की दुकान, क्लब, कैन्टीन, रेलवे-जलपान स्थान (railway refreshment room), जलपान डिब्बा (Restaurant Car) और कोई दूसरा स्थान जहां से जनता को मूल्य देने पर पका कर या किसी अन्य प्रकार से तैयार किया हुआ भोजन मिलता हो, सम्मिलित हैं।

(३) "उपभोग करने (consume)" में उपभोग की आज्ञा सम्मिलित है।

(४) "भोजन-क्रम (course)" से तात्पर्य--

(क) किसी ऐसे भोजन से है जो अकेला खाया जाता हो, या

(ख) किसी ऐसे भोजन के योग से है जो साधारणतया साथ-साथ खाये जाते हों।

नोट --इसमें रोटी सम्मिलित नहीं है अगर वह अकेली या इस्प्रेड (Spread) (खाने) के साथ खाई जाती हो।

(५) "आमोद (entertainment)" में किसी तरह का भोज, पार्टी या उत्सव चाहे वह धार्मिक हो, चाहे सामाजिक या किसी अन्य प्रकार का हो जहां किसी प्रकार का भोजन दिया जाता है, परसा जाता है या वितरण किया जाता है, सम्मिलित है।

(६) "भोजन (food)" में कोई खाद्य-पदार्थ और रस भी सम्मिलित हैं। इसमें फल या कड़े छिलके वाले फल (nuts), तरकारियां, पेय चीजें, जैसे चाय, काफी, फल के रस, शरबत और शराब इत्यादि (alcoholic liquors) और दूध, शक्कर और मिठाइयों से तैयार की हुई चीजें जिनके तैयार करने में गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, चावल, धान, मक्का और उपर्युक्त अन्नों में से किसी का मिश्रण (उनसे तैयार पदार्थों) का उपयोग नहीं हुआ है, सम्मिलित नहीं है।

(७) "परिवार (household)" से तात्पर्य उन सब व्यक्तियों से है जो साधारणतया एक ही रसोई में तैयार किया हुआ भोजन करते हैं या उन स्थानों पर जहां ऐसी राशनिंग हैं, अन्न की राशनिंग के प्रयोजनों के लिये एक साथ ही गिनती किये जाते हैं।

(८) "प्राप्त करना" में प्राप्त करने का प्रयत्न भी सम्मिलित है।

(९) "सप्लाई (पहुंचाना)" में सप्लाई करना भी सम्मिलित है।

३—कोई भोजनादि व्यवस्थापक (caterer) भोजन के तीन क्रमों (दौर) से अधिक किसी व्यक्ति को न देगा और न कोई व्यक्ति किसी भोजनादि व्यवस्थापक (caterer) से प्राप्त कर सकेगा या किसी भोजनादि स्थापना (catering establishment) से खा सकेगा।

४—वह धनराशि जो किसी भोजनादि स्थापना (catering establishment) में परसे गये या किसी भोजनादि व्यवस्थापक (caterer) द्वारा दिये गये किसी भोजन के लिये दी जायगी, मूल्य में चार रुपये आठ आने से अधिक न होगा और उसमें अलकोहल या बगैर अलकोहल की शराब का मूल्य सम्मिलित न होगा, किन्तु उसमें परसन (service) के सब व्यय, कमरे, टेबिल और टेबिल के अन्य पदार्थों के व्यवहार के सब व्यय या दूसरे व्यय सम्मिलित होंगे।

पर शर्त यह है कि यदि कोई भोजनादि व्यवस्थापक, भोजनादि स्थापना (केटरिंग इस्टैब्लिशमेंट) के स्थानों के बजाय किसी दूसरे स्थान पर भोजन देता है तो इस प्रकार दिये गये प्रत्येक भोजन के लिये अतिरिक्त धनराशि देनी होगी जो २ रुपये से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबंधात्मक वाक्यखण्ड के प्रयोजनों के लिये "भोजनादि स्थापना (कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट) के स्थान" में ऐसी सब इमारतें और उससे लगी हुई जमीन सम्मिलित होगी और विशेष कर किसी "रेलवे जलपान स्थान (railway refreshment room) के स्थान" में उस स्टेशन का सब स्थान शामिल होगा जहां पर जलपान गृह स्थित है और "जलपान का डिब्बा (रिफ्रेशमेंट कार) के स्थान" में वहसब ट्रेन शामिल होगा जिसमें रिफ्रेशमेंट कार लगाई जाती है।

५—कोई व्यक्ति स्वयं या एक या एक से अधिक अतिथियों के साथ मिलकर किसी एक दिन ५० व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को जिसमें अतिथि समूह और उसके/उनके परिवार के लोग भी सम्मिलित हैं, न आमंत्रण देगा या कोई ऐसा आमंत्रण दिलायेगा और न कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध किसी निमंत्रण में जान बूझकर भाग लेगा।

पर शर्त यह है कि इस वाक्यखण्ड में दी हुई कोई बात 'प्रसाद' के तौर पर या किसी मंदिर, मसजिद या गुरुद्वारा या किसी दूसरी धार्मिक संस्था में या उसके द्वारा किसी स्वीकृत धार्मिक उत्सव के उपलक्ष में वितरण किये जाने वाले अन्न पर लागू न होगा, किन्तु ऐसे अन्न का वितरण प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्रा में १/२ छटांक से अधिक न होगा।

किन्तु यह भी शर्त है कि इस वाक्यखण्ड में दी हुई कोई भी बात उस अन्न के वितरण के संबंध में लागू न होगा जो जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के अनुसार नीचे लिखे भोजन के प्रकारों में ऐसे अवसरों पर दिया जाता है जो उन (प्रकारों) के सामने दिये गये हैं और उस परिमाण में दिया जाता है जो ऐसे अवसरों पर रीति के अनुकूल हो लेकिन तो भी प्रत्येक व्यक्ति को यह उसी परिमाण तक बांटा जा सकता है जो इस प्रकार की स्वीकृति देते समय जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाय—

(१) कड़हा प्रसाद—गुरुपर्व के अवसर पर और सत्संग में ग्रंथ साहब के पाठ पर बांटा जाता है।

(२) प्रसाद—जो किसी विशेष धार्मिक उत्सव पर जैसे कि भगवान् श्रीकृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के जन्म दिवसों पर, हवन, कीर्तन, कथा पूजा या यज्ञ के उत्सव पर बांटा जाता है।

(३) तबर्रुक—जोकि मिलादुन नबी, मजलिसे आजा और ग्यारवीं शरीफ के बाद बांटा जाता है।

(४) वेडिंग केक (wedding cake) जो किसी ईसाइयों के विवाह के बाद तुरन्त ही स्वागत के लिये बांटा जाता है।

६--प्रान्तीय सरकार या जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिलों में किसी व्यक्ति या साधारणतया व्यक्तियों के समूह को उस क्षेत्र में जहां वे रहते हैं, इस आज्ञा के सभी या किसी भी आदेश को मानने से मुक्त कर सकते हैं।

७--किसी व्यक्ति को जो इस आदेश के किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ ई० [Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946] (ऐक्ट संख्या २४, १९४६ ई०) जैसा कि उसका समय-समय पर संशोधन किया गया है की धारा ७ के अधीन दंड दिया जायगा।

आज्ञा से,
भगवान सहाय,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ज'

(देखिये २४ फरवरी १९५१ ई० के तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

जिला चिकित्सालय मुरादाबाद की ऐंबुलेंस द्वारा की गई यात्राओं की सूची। दिनांक २० अक्टूबर, १९४९ ई० से —

माह का नाम			कुल यात्रा
अक्टूबर	१९४९	..	रिक्त
नवम्बर	"	..	"
दिसम्बर	"	..	"
जनवरी	१९५०	..	२
फरवरी	"	..	४
मार्च	"	..	३
अप्रैल	"	.	६
मई	"	..	२
जून	"	..	२
जुलाई	"	..	२
अगस्त	"	..	रिक्त
सितम्बर	"	..	५
अक्टूबर	"	..	३
नवम्बर	"	..	३
दिसम्बर	"	..	२
जनवरी	१९५१	..	२

वी० एस० यू० पी०—२७२ एल० ए०—१९५१—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ९०

प

प्रश्नोत्तर